त्रयोदश माला, खंड 11, अंक 8

NOT TO BE ISSUED

FOR REFERENCE ONLY.

बुधवार, 29 नवम्बर, 2000

8 अग्रहायण, 1922 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

पांचवां सत्र

(तेरहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

PARLIAMENT LIBRARY

No. D...II.....

Date 11/10/01

(खंड 11 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा. (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

पी.सी. चौधरी
प्रधान मुख्य सम्पादक

शारदा प्रसाद
मुख्य सम्पादक

डा. राम नरेश सिंह
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

गोपाल सिंह चौहान
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाहीं और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 11, पांचवां सत्र, 2000/1922 (शक)]

अंक 8, बुधवार, 29 नवम्बर, 2000/8 अग्रहायण, 1922 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
* तारांकित प्रश्न संख्या 141 और 144	2–29
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 145 से 160	29–81
अतारांकित प्रश्न संख्या 1536 से 1765	81–426
सभा पटल पर रखे गए पत्र	427–432
राज्य सभा से संदेश	432
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति	
दसवां प्रतिवेदन	432
प्राक्कलन समिति	
विवरण	433
श्रम और कल्याण संबंधी स्थायी समिति	
सातवें से दसवां प्रतिवेदन	433–434
याचिका का प्रस्तुतीकरण	434
कार्य मंत्रणा समिति	473
पन्द्रहवां प्रतिवेदन	473
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	
मारुति उद्योग लिमिटेड में श्रमिकों में असंतोष	474–505
श्री रामजी लाल सुमन	474, 481
श्री मनोहर जोशी	474
डा. सुशील कुमार इन्दौरा	482
श्री अजय चक्रवर्ती	485
श्री नवल किशोर राय	486

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय		कॉलम
नियम 377 के अधीन मामले		506–516
(एक)	राजस्थान में बूंदी के गन्ना उत्पादकों को देय बकाया धनराशि का भुगतान सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता	
	श्री रघुवीर सिंह कौशल	506
(दो)	झारखंड राज्य के सभी कार्य क्षेत्रों में आदिवासियों की मुख्य हिस्सेदारी सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता	
	श्री सालखन मुर्मू	506
(तीन)	गुजरात के बनासकांठा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में भारी उद्योग स्थापित किए जाने की आवश्यकता	
	श्री हरिभाई चौधरी	507
(चार)	छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर क्षेत्र में सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता	
	श्री सोहन पोटाई	509
(पांच)	गोपालपुर पत्तन को रायपुर से जोड़ने वाली सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने की आवश्यकता	
	श्री बिक्रम केशरी देव	509
(छह)	राजस्थान सरकार को राज्य में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
	डा. गिरिजा व्यास	511
(सात)	आंध्र प्रदेश सरकार को राज्य में मस्तिष्क ज्वर (जापानी एंसीफैलिटिस) के प्रसार को रोकने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
	श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी	512
(आठ)	पंजाब में स्थित फगवाड़ा में रेलवे उपरि पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता	
	श्रीमती संतोष चौधरी	513
(नौ)	कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के अंतर्गत 1.4.93 और 15.11.95 के बीच सेवा छोड़ने वाले कर्मचारियों के लिए पेंशन लाभ का प्रावधान करने वाली योजना को शीघ्र क्रियान्वित किए जाने की आवश्यकता	
	प्रो. ए.के. प्रेमाजम	513
(दस)	इन्सुलिन के मूल्यों में कमी करके उन्हें वहन करने योग्य बनाए जाने की आवश्यकता	
	डा. मन्दा जगन्नाथ	514
(ग्यारह)	उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में रतनपुरा रेलवे स्टेशन पर उत्सर्ग एक्सप्रेस के ठहराव की व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता	
	श्री बालकृष्ण चौहान	514

विषय		कॉलम
(बारह)	तमिलनाडु के तिरूतनी और अवडी के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को और अधिक रेल सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
	श्री ए. कृष्णास्वामी	515
(तेरह)	बिहार में छपरा जिले के मशरख और सिवान जिले के बसन्तपुर में उर्वरक संयंत्र लगाए जाने की आवश्यकता	
	श्री प्रभुनाथ सिंह	515
(चौदह)	देश में, विशेषकर तमिलनाडु के पोल्लाची संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में चाय बागान श्रमिकों और किसानों की समस्याओं पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता	
	डा. सी. कृष्णन	516
कोल इंडिया (अंतरण, विनियमन और विधिमान्यकरण) विधेयक		517–560
विचार करने के लिए प्रस्ताव		517
	श्री एन.टी. षणमुगम	517, 550
	श्री संतोष मोहन देव	518
	श्री गिरधारी लाल भार्गव	525
	श्री बसुदेव आचार्य	527
	डा. बी.बी. रमैया	532
	श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार	534
	श्री पी.आर. खूंटे	536
	डा. रघुवंश प्रसाद सिंह	539
	श्री रघुनाथ झा	542
	श्री सुदीप बंद्योपाध्याय	544
	श्री प्रियरंजन दासमुंशी	546
	श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति	549
	श्री हरिभाऊ शंकर महाले	549
खण्ड 2 से 4 और 1		560
पारित करने के लिए प्रस्ताव		560

लोक सभा

बुधवार, 29 नवम्बर, 2000/8 अग्रहायण, 1922 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का अल्पसंख्यक स्वरूप समाप्त करने और उसे आई.एस.आई. का अड्डा बताने का काम *...(व्यवधान)* वहां आज तनाव है और यह बहुत ही गम्भीर मामला है।

अध्यक्ष महोदय : अभी नहीं, आप इसे बाद में रेज करें, जीरो आवर में उठाएं। रोज ऐसा चलेगा तो अच्छा नहीं है। यह प्रौसीजर नहीं है। रामजीलाल सुमन जी, इसे अभी न उठाएं जीरो आवर में उठाएं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: इसे जीरो आवर में उठाएं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह प्रक्रिया नहीं है, यह क्या है?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं बोलने के लिए खड़ा हूं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): अलीगढ़ विश्वविद्यालय को आई.एस.आई. का अड्डा बताएंगे तो यह इसमें क्या कर सकते हैं। माननीय प्रधान मंत्री जी कहें कि वह आई.एस.आई. का अड्डा है *...(व्यवधान)* आप देखिये कि वहां क्या स्थिति है। सवाल यह है कि उसे आई.एस.आई. का अड्डा कैसे बना रहे हैं। *...(व्यवधान)* एक लड़का अगर आई.एस.आई. का एजेंट है तो उसे फांसी पर लटका दीजिए। आई.एस.आई. के लिए हमने कितना कहा है। अगर हिम्मत है तो आई.एस.आई. के अड्डे पर हमला करो। यह समाजवादी पार्टी चाहती है कि अगर वह आई.एस.आई. का अड्डा है तो उस पर हमला करो। *...(व्यवधान)* अगर आप प्राथमिकता के आधार पर सुनेंगे तो हम बैठ जाएंगे।

अध्यक्ष महोदय : जीरो-आवर में सुनेंगे, आप बैठ जाइये। रोज ऐसा करना ठीक नहीं है। आपको जीरो-आवर में मौका मिलेगा।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो): अध्यक्ष जी, अगर यह बोलते हैं तो हमें एतराज नहीं है लेकिन हम लोगों को भी इस तरीके से मौका दीजिए।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[हिन्दी]

शिक्षित बेरोजगार

***141. मोहम्मद शाहाबुद्दीन** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस समय देश में सात करोड़ से अधिक शिक्षित बेरोजगार हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकारी अनुदानों के अनुसार आगामी दस वर्षों के दौरान ऐसे लोगों की संख्या दोगुनी हो जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार को यह जानकारी है कि देश में नई आर्थिक नीतियां अपनाने, आधुनिकीकरण और अद्यतन प्रौद्योगिकी को अपनाने के परिणामस्वरूप कर्मचारियों की छंटनी किए जाने और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों आदि से विनिवेश करने से लाखों लोग बेरोजगार हो जाने की संभावना है; और

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) से (घ) एक विवरण सभा-पटल पर रखा गया है।

विवरण

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एन.एस.एस.ओ.) द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार, 1987-88 की तुलना में 1993-94 में शिक्षित बेरोजगारी की दर में कमी आयी है। 1999-2000 में सम्पन्न हुए अगले सर्वेक्षण के निष्कर्ष अभी आना शेष हैं।

नयी आर्थिक नीतियों से जहां रोजगार के नए अवसर पैदा हुए हैं, वहीं पुराने उद्यमों के कार्यक्षम नहीं होने के कारण पुराने रोजगारों में कमी आ रही है। नये रोजगारों का सृजन वित्तीय सेवाओं, सूचना प्रौद्योगिकी व पर्यटन जैसे सेवा क्षेत्रों में हो रहा है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगारों को स्व-रोजगार दिलाने की केन्द्र सरकार की योजनाओं से रोजगार के सृजन की निरंतरता बनी हुई है।

मोहम्मद शहाबुद्दीन : अध्यक्ष जी, आज देश की आबादी लगभग सौ करोड़ है। इसमें लगभग सात करोड़ के करीब बेरोजगार हैं। चाहे सवाल कश्मीर का हो या पूर्वोत्तर राज्यों में आतंकवाद का हो। बढ़ते हुए आतंकवाद और अपराध का एक बड़ा कारण बेरोजगारी भी है।

अध्यक्ष महोदय : हम जूनियर मैम्बर्स को चांस देंगे, सीनियर मैम्बर्स को नहीं देंगे।

[अनुवाद]

वे भी इस सभा में 'बेरोजगार' हैं। उन्हें बोलने का कोई अवसर नहीं मिल रहा है।

[हिन्दी]

मोहम्मद शहाबुद्दीन : इसमें शिक्षित बेरोजगार भी हैं। बहुत सारी आत्म-हत्याओं में एक कारण बेरोजगारी और बेकारी है। करीब 25 प्रतिशत आत्म-हत्याएं इसी कारण होती हैं।

मैंने यह प्रश्न किया और सरकार से यह जानना चाहा कि इसे रोकने के लिए सरकार क्या ठोस कदम उठा रही है? क्या सरकार का विचार संविधान के अन्तर्गत रोजगार को मौलिक अधिकार की सूची में रखने का है?

डा. सत्यनारायण जटिया : अध्यक्ष महोदय, इसके लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं, उसके बारे में माननीय सदस्य ने जानना चाहा। उसके आधार पर मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि हम आने वाले वर्षों में प्रधान मंत्री की घोषणा के अनुसार प्रति वर्ष एक करोड़ लोगों को रोजगार देने की योजना को कारगर रूप से लागू करने के लिए मोनटेक सिंह आहलूवालिया समिति की सिफारिशों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस समिति का गठन हो गया है। उसके ग्रुप भी बन गए हैं। हम उनके निष्कर्षों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आज के समय में इनफॉर्मेशन टैक्नॉलोजी के आधार पर रोजगार के बड़े अवसर हैं। शिक्षित लोगों को काम देने के बहुतायत मौके उपलब्ध हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे बिजनेस सर्विस है।

[अनुवाद]

"उनमें कम्प्यूटर से संबंधित सेवाएं, अनुसंधान और विकास सेवाएं, भूसम्पदा सेवाएं/संचालक के बिना किराए/पट्टे देने संबंधी सेवाएं, अन्य व्यवसायिक सेवाएं, संचार सेवाएं, निर्माण संबंधी इंजीनियरिंग सेवाएं, वितरण सेवाएं, शिक्षा सेवाएं, पर्यावरण सेवाएं, वित्तीय सेवाएं, स्वास्थ्य संबंधी और सामाजिक सेवाएं, पर्यटन और यात्रा संबंधी सेवाएं, मनोरंजन संबंधी, संस्कृति और अमोद-प्रमोद संबंधी सेवाएं, परिवहन सेवाएं हैं।

[हिन्दी]

इसके द्वारा प्रशिक्षित लोगों को रोजगार देने के पर्याप्त अवसर हैं। इस प्रकार की सम्भावना है कि इन सारे लोगों को जो शिक्षित बेरोजगार हैं, ...*(व्यवधान)*

श्री रघुनाथ झा : यह केवल एक सपना है। ...*(व्यवधान)*

डा. सत्यनारायण जटिया: यह सपना नहीं है। यह यथार्थ है। जैसा आप जानते हैं कि पुराने रोजगार जा रहे हैं और नए रोजगारों का सृजन हो रहा है। उसके आधार पर नए शिक्षित लोग अपने नाम रोजगार कार्यालय में दर्ज करवा सकते हैं। इसके अलावा भी रोजगार के सृजन के लिए सरकार की अनेक प्रकार की एजेंसियां हैं जैसे बैंकिंग और रेलवे में है। अधिक से अधिक लोगों को रोजगार देने की दृष्टि से हमारे पास अनेक अवसर हैं। इसलिए यह कहना मुनासिब होगा कि आने वाले समय में हम शिक्षित लोगों को बहुतायत में रोजगार दे सकेंगे।

मोहम्मद शहाबुद्दीन : प्रश्न के "ख" भाग में मैंने पूछा था कि सरकारी अनुमानों के अनुसार बेरोजगार लोगों की संख्या दस साल में लगभग दोगुनी हो जाएगी। बढ़ती हुई जनसंख्या से इस बात का अनुमान लगाया जा सकता है। इसका माननीय मंत्री जी ने उत्तर नहीं दिया। उन्होंने इतना कहा कि 1987-88 की तुलना में 1993-94 में बेरोजगारी की दर में कमी आई है। अभी माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि एक साल में एक करोड़

बेरोजगार लोगों को रोजगार दिया जाएगा। इसका कोई निश्चित समय होना चाहिए। जैसे सात करोड़ का टारगेट है तो सात साल में बता देना चाहिए कि हम इन सात वर्षों में इस टारगेट को पूरा कर लेंगे। मैंने अभी यह भी पूछा कि क्या सरकार का विचार बेरोजगार युवकों को रोजगार देने के लिए उसे संविधान की मौलिक अधिकार की सूची में रखने का है?

डा. सत्यनारायण जटिया : माननीय सदस्य ने अपने मूल प्रश्न में यह कहा कि देश में सात करोड़ से अधिक शिक्षित बेरोजगार लोग हैं। यह आंकड़ा सही नहीं है। जहां तक रोजगार दर में वृद्धि की बात है ...*(व्यवधान)*

श्री रघुनाथ झा : आप सही-सही बात बताएं कि उनकी कितना संख्या है? ...*(व्यवधान)*

डा. सत्यनारायण जटिया : शिक्षित बेरोजगारों के मामले में बेरोजगारी की जो स्थिति है और पूर्ण रूप से जो बेरोजगार हैं ...*(व्यवधान)* 55 लाख लोग पूर्णत: शिक्षित क्षेत्र में बेरोजगार हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

डा. बिक्रम सरकार : माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षित बेरोजगार का प्रश्न ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : डा. बिक्रम सरकार के प्रश्न के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री रघुनाथ झा, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

डा. बिक्रम सरकार : अध्यक्ष महोदय, शिक्षित बेरोजगार का प्रश्न ...*(व्यवधान)*

डा. गिरिजा व्यास : यह घटने के बजाय बढ़ रही है। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : यह सूचना बिल्कुल गलत है ...*(व्यवधान)*

डा. बिक्रम सरकार : महोदय, शिक्षित बेरोजगार का मामला संपूर्ण राष्ट्र के लिए चिंता का विषय है। शिक्षित बेरोजगार के संबंध में यह स्थिति और अधिक चिंताजनक है क्योंकि यह सारे देश का आम अनुभव है और सारे देश को पता है कि यह मामला विस्फोटक स्थिति धारण कर चुका है। यह विशेषत: शिक्षित बेरोजगार युवकों की कुल संख्या के बारे में पूछा गया एक विशेष प्रश्न था। इसका उत्तर नहीं दिया गया है।

[हिन्दी]

डा. सत्यनारायण जटिया : मैंने बताया है।

[अनुवाद]

डा. बिक्रम सरकार : इसे जानने के लिए एक तंत्र है। उत्तर में इसका उल्लेख नहीं है। अध्ययन करने के लिए एक विशेष तंत्र है। हम और यह सभा इसके बारे में जानना चाहते है। इस समय शिक्षित बेरोजगारों की कुल संख्या चिंता का विषय है। माननीय मंत्री ने आंकड़े दिए हैं और वे भी तुलनात्मक हैं। वास्तविक आंकड़ा नहीं दिया गया है।

दूसरे, यह सामान्य अनुभव की बात है और हम इससे सहमत हैं और हम यह जानना चाहते हैं कि इस संबंध में वास्तव में क्या आंकड़े दिए जाने वाले हैं। हम पहले वह संख्या जानना चाहते हैं, यदि उनके पास कोई हो तो, और दूसरी बात यह है कि अगले दस वर्षों में क्या स्थिति होने जा रही है। यह बात विशेष तौर पर संख्या के बारे में पूछी गई है। सरकारी क्षेत्र के विनिवेश के कारण स्थिति और खराब हो रही है। यह प्रश्न पूर्ण रूप से उपेक्षित रह गया है।

अध्यक्ष महोदय : आपका अनुपूरक प्रश्न क्या है?

डा. बिक्रम सरकार : महोदय, हम माननीय मंत्री से यह जानना चाहते हैं कि वास्तव में बेरोजगारों की संख्या कितनी है और अगले दस वर्षों में क्या स्थिति होगी।

[हिन्दी]

डा. सत्यनारायण जटिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने कहा कि देश में संगठित तथा असंगठित क्षेत्र में हमारा श्रम बल 36 करोड़ है जिसमें से 35 करोड़ लोगों को रोजगार मिला हुआ है। इनमें शिक्षित बेरोजगारों का श्रम बल 9.5 प्रतिशत है जिसको काम नहीं मिला हुआ है। मैंने जो संख्या बतायी, जो बेरोजगार हैं जिसमें संगठित तथा असंगठित शिक्षित 80 लाख हैं।

श्री रघुनाथ झा : अध्यक्ष महोदय, शिक्षित बेरोजगारों की संख्या है?

डा. सत्यनारायण जटिया : शिक्षित रोजगार 55 लाख हैं।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री रघुनाथ झा : यह बिल्कुल गलत है।

डा. सत्यनारायण जटिया : अध्यक्ष महोदय, यह नेशनल सर्वे के आधार पर जानकारी दे रहा हूं।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, आपके माध्यम से, मैं माननीय मंत्री से एक बात पूछना चाहता हूं। दिये गए उत्तर से मौजूदा वास्तविक स्थिति का सही ज्ञान नहीं होता।

[हिन्दी]

मैं आपके माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध कर रहा हूं कि आप प्रो. विजय मलहोत्रा और मेरे साथ सहमत होंगे कि सारी दिल्ली में मीना बाजार, जामा मस्जिद के सामने घूमकर देखिये।

[अनुवाद]

वहां 20 अथवा 25 रुपये प्रति मीटर वाले आयातित कपड़े के 20-30 ट्रक आते हैं जो भारतीय दर्जियों को तैयार वस्त्रों को बनाने से वंचित कर रहे हैं। आप नोएडा चले जाइये। वहां चीनी वस्तुओं के अत्यधित आयात के कारण, प्रैशर-कुकर और अन्य चीजें बनाने वाले छोटे कल-कारखाने बंद हो गये हैं *...(व्यवधान)* मैं उस प्रश्न पर आ रहा हूं। माननीय मंत्री कह रहे हैं सूचना-प्रौद्योगिकी और विकास के कारण, नये रोजगार सृजित किए जा रहे हैं। मैं इसके बिल्कुल उल्टा कह रहा हूं। युवकों के मौजूदा रोजगार अवसरों को एक-एक करके छीना जा रहा है। कुल संख्या 55 लाख नहीं है।

उन्हें संपूर्ण भारत के रोजगार केन्द्रों के अद्यतन आंकड़े लेने चाहिए। पश्चिम बंगाल में ही बेरोजगार युवकों की संख्या 55 लाख से अधिक है, जिसमें से 30 लाख शिक्षित हैं। वह पूरे देश का आंकड़ा 55 लाख बता रहे हैं। अत:, क्या माननीय मंत्री विषय की गंभीरता पर विचार करेंगे और इस संबंध में कि नौवीं योजना के अंत में और दसवीं योजना के आरंभ में सरकार शिक्षित बेरोजगार युवकों की समस्या का सामना किस प्रकार करेगी, सरकार की कार्ययोजना के साथ वास्तविक जानकारी प्रदान करेंगे?

[हिन्दी]

डा. सत्यनारायण जटिया : जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है कि रोजगार कार्यालयों में जिन लोगों के नाम दर्ज हैं, उसके मुकाबले में बेरोजगारों की संख्या ज्यादा होती है। परंतु मेरा कहना यह है कि यह संख्या वास्तविक नहीं होती है, यह इसलिए वास्तविक नहीं होती है चूंकि जिन लोगों ने रोजगार कार्यालयों में नाम लिखाये हैं, उनमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेहतर रोजगार की तलाश में होते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने रोजगार प्राप्त कर लिया है, किंतु उनकी सूचना रोजगार कार्यालयों में नहीं है। इसलिए हम रोजगार कार्यालयों को ठीक प्रकार से दिशा-दर्शन का केन्द्र बना सके, इस प्रकार की कार्रवाई सरकार के विचाराधीन है और सरकार इस पर कार्रवाई कर रही है कि वहां से उसे मार्ग दर्शन मिल सके और ज्यादा रोजगार पैदा कर सकें ऐसा सरकार का प्रयास है। *...(व्यवधान)*

श्रीमती जसकौर मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहती हूं कि बहुत से राज्य ऐसे हैं जहां पिछड़े क्षेत्रों में गरीब लोग पेट काटकर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। मैं जानना चाहती हूं कि वित्तीय सेवाओं, सूचना प्रौद्योगिकी एवं पर्यटन के क्षेत्र में कितने शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार प्राप्त हुआ है, उसका राज्यवार ब्यौरा यदि हो तो राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में मैं जानना चाहती हूं कि वित्तीय सेवाओं, सूचना प्रौद्योगिकी और पर्यटन के क्षेत्र में कितने शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराया गया है।

डा. सत्यनारायण जटिया : इन्होंने राजस्थान और बाकी के बारे में जो प्रश्न है, यदि उसके बारे में अलग से कोई प्रश्न देंगे तो हम जरूर उसका उत्तर देंगे।

[अनुवाद]

श्री मुद्रागाड़ा पद्मानाभम : अध्यक्ष महोदय, देश में बेरोजगार युवकों को रोजगार प्रदान करना दिवास्वप्न लगता है। हम निकट भविष्य में तेजी से बढ़ती हुई संख्या में बेरोजगार युवकों को रोजगार प्रदान करने में समर्थ नहीं हो सकेंगे। अत:, मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार बेरोजगार युवकों को कोई बेरोजगारी सहायता राशि प्रदान करने पर विचार कर रही है। यदि नहीं, तो मैं सरकार से दसवीं कक्षा और स्नातकोत्तर तक की शिक्षा प्राप्त किए लोगों को क्रमश: 300 रु. और 3000 रुपये के बीच सहायता राशि प्रदान करने का अनुरोध करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : यह बेरोजगारी भत्ते का प्रश्न है।

[हिन्दी]

डा. सत्यनारायण जटिया : वास्तव में हम जानते हैं कि यह कान्सेप्ट संसाधनों पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है और जिस तरह से हमारे पास बेरोजगार लोग हैं, उन सबको इस प्रकार का

अलाउन्स देने की स्थिति में हम आज नहीं हैं। विकसित देशों में यह कान्सेप्ट जरूर है, क्योंकि उनके पास वित्तीय स्रोत हैं इसलिए इस प्रकार की संभावनाएं वहां हैं। किंतु स्वरोजगार योजनाओं के माध्यम से हम उन्हें रोजगार देने के उपाय कर रहे हैं, वे प्रभावी उपाय हैं। प्रधान मंत्री स्वरोजगार योजना में शिक्षित बेरोजगारों के लिए उपाय किये गये हैं, निश्चित रूप से उसके कारण रोजगार के सृजन के अवसर बढ़ रहे हैं। लेकिन आज की स्थिति में यह संभव नहीं है कि हम उन्हें बेरोजगारी भत्ता दे सकें। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सुरेश कुरुप : केरल सरकार पहले ही यह दे रही है ...*(व्यवधान)*

अनेक माननीय सदस्य : आधे घंटे की चर्चा होनी चाहिए ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : क्या आधे-घंटे की चर्चा करवाने पर कोई आपत्ति नहीं है?

डा. सत्यनारायण जटिया : जी नहीं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : विषय के महत्व के मद्देनजर, मैंने आधे-घंटे की चर्चा की अनुमति दी है।

[हिन्दी]

विकसित देशों में आयुर्वेद और होम्योपैथी

***142. श्रीमती रेनु कुमारी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ विकसित देशों ने अपने यहां आयुर्वेद और होम्योपैथी पाठ्यक्रम आरंभ करने में रुचि दिखाई है;

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं; और

(ग) भारतीय चिकित्सा प्रणाली और होम्योपैथी की विकसित देशों में मांग के मद्देनजर सरकार द्वारा इन्हें अधिक प्रभावी और आधुनिक बनाने के लिए उठाए गए/उठाए जाने वाले ठोस उपाय क्या हैं?

[अनुवाद]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर): (क) से (ग) एक विवरण लोक सभा के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) और (ख) आयुर्वेद के क्षेत्र में सहयोग हेतु जापान, आस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, इटली और संयुक्त राज्य अमरीका की संस्थाओं द्वारा गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जामनगर से सम्पर्क किया गया है। गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान को पूर्ण रूप से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाता है।

भारत सरकार और रूस संघ सरकार के बीच हस्ताक्षर किए गए समझौता ज्ञापन के अनुसरण में रूस स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा यह सूचित किया गया है कि उस देश में पंचकर्मा थिरेपी मान्यता दिए जाने की अग्रिम अवस्था में है। इसे उस देश में आयुर्वेद को मान्यता देने के संबंध में एक मुख्य कदम के रूप में माना गया है।

अन्य आयुर्वेदिक थिरेपी, नामत: क्षार सूत्र की भी रूस की दो संस्थाओं द्वारा मान्यता देने से पूर्व जांच की जा रही है। रूस संघ सरकार ने उनके प्रयासों में सहायता करने हेतु आयुर्वेदिक डाक्टरों की सेवाएं भी मांगी हैं।

यूनाइटिड किंग्डम में द् थेम्स वैली यूनिवर्सिटी ने भी पिछले अक्तूबर में आयुर्वेद में एक डिग्री पाठ्यक्रम शुरू किया है।

लन्दन में द् रॉयल लन्दन होमियोपैथिक हॉस्पिटल आयुर्विज्ञान होमियोपैथी में स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रम चलाता है। उस अर्हता को भारत में होमियोपैथी केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1973 के अधीन मान्यता प्राप्त हैं।

(ग) भारतीय चिकित्सा पद्धतियों और होमियोपैथी का विकास और प्रचार-प्रसार करने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ निम्नलिखित शामिल हैं:-

- भारतीय चिकित्सा पद्धति और होमियोपैथी संस्थाओं में शिक्षा के मानकों को अपग्रेड करने हेतु राज्यों की सहायता करना ताकि छात्रों को पर्याप्त प्रशिक्षण मिले और उन्हें नैदानिक सामग्री की जानकारी हो।
- राज्य औषध परीक्षण प्रयोगशालाओं और फार्मेसियों को सुदृढ़ बनाने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय जो भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होमियोपैथी की औषधों की जांच करने में और सरकारी क्षेत्र में बेहतर गुणवत्ता की औषधों का उत्पादन करने में सहायता भी करेंगी।

- औषधों की प्रभावकारिता का पता लगाने के लिए परिचालनात्मक अध्ययनों तथा नैदानिक परीक्षणों के माध्यम से व्यापक इंट्रा म्यूरल और एक्स्ट्रा म्यूरल अनुसंधान शुरू करना।

- भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होमियोपैथी औषधों के मिश्रणों (फार्मूलेशनों) में प्रयुक्त होने वाले कच्ची सामग्री की उपलब्धता और गुणवत्ता में सुधार करने हेतु एक औषधीय पादप बोर्ड की स्थापना करना।

- भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होमियोपैथी औषधों के लिए उद्योगों और भेषजकोशीय मानकों के विकास के लिए उत्कृष्ट विनिर्माण पद्धतियों को अधिसूचित करना।

- इन पद्धतियों के बारे में जागरूकता में वृद्धि करने और वे वर्तमान स्वास्थ्य स्थितियों के संबंध में क्या योगदान दे सकती हैं तथा प्राथमिकताओं के लिए विभिन्न देशों में सेमिनारों तथा सम्मेलनों में भाग लेना।

- इन पद्धतियों के बारे में उपयुक्त जानकारी तथा विभाग की वेबसाइट पर इस तक कैसे पहुंचा जा सकता है, का प्रचार-प्रसार करना।

[हिन्दी]

श्रीमती रेनु कुमारी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहती हूं कि आयुर्वेद का विकास भारत में ही हुआ, लेकिन यह भारत में ही विकलांग बना हुआ है। इसकी विकलांगता को दूर करने के लिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरकार क्या उपाय कर रही है तथा क्या माननीय प्रधान मंत्री जी ने दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर का आयुर्वेद का अस्पताल खोलने की घोषणा की थी, यदि हां, तो उसके खोलने की योजना कब तक है?

डा. सी.पी. ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, आयुर्वेद भारतवर्ष का बहुत पुराना शास्त्र जरूर है। लेकिन अभी विदेशों में इसका इतना क्रेज हो गया है कि वर्ल्ड मार्केट डब्ल्यू.एच.ओ. ने कहा है कि 62 बिलियन डालर पर ईयर का इसका वर्ल्ड मार्केट है। केवल अमेरिका में इसका मार्केट चार बिलियन डॉलर का है। इसके लिए हमारी सरकार प्रयत्नशील है कि आयुर्वेद का इतना बढ़ता हुआ मार्केट है, उसमें कैसे दुनिया के मुकाबले हम अपने को आगे ला सकें। इतने बड़े मार्केट में भारतवर्ष का एक्सपोर्ट 400 करोड़ रुपये का है। चाइना का एक्सपोर्ट 20,000 करोड़ रुपये का है। इस गैप को कम करने के लिए थोड़े दिन पहले न्यूयार्क में आयुर्वेद पर कॉनफ्रेन्स हुई थी जिसका माननीय प्रधान मंत्री जी ने उद्घाटन किया और हम लोगों ने कई मीजर्स ऐसे लिये हैं कि जिससे हमारी आयुर्वेद पद्धति दुनिया के मुकाबले में आ सकती है और दुनिया के बहुत सारे देश हैं जैसे ऑस्ट्रेलियन ऐकेडमी ऑफ नैचुरल मैडिसिन, वह चाहता है कि जामनगर यूनिवर्सिटी के साथ उसका मैमोरण्डम ऑफ अंडरस्टैण्डिंग हो। इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेडीशनल ओरियेंटल मैडिसिन इन जापान, वह भी चाहता है कि हमारे यहां हो। यूरोपियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च इन आयुर्वेद, वह भी चाहता है कि हमारे यहां हो। यूनिवर्सियाड अवार्डा इंटरमेरिकाना अर्जेन्टीना का है, वह भी चाहता है। आयुर्वेदिक मैन्स ग्रुप अर्जेन्टीना, वह भी चाहता है। अमेरिकन ऐकेडमी ऑफ आयुर्वेदिक मैडिसिन, वह भी चाहता है। कैलिफोर्निया कॉलेज ऑफ आयुर्वेद, वह भी चाहता है। इंस्टीट्यूट इटालियोडी आयुर्वेद, वह भी चाहता है। गांधी फाउंडेशन इटली, वह भी चाहता है। अभी माननीय सदस्या ने पूछा है कि प्रधान मंत्री ने घोषणा की थी कि दिल्ली में आयुर्वेद का एक स्तरीय इंस्टीट्यूट बनना है। उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं और अर्बन डैवलपमैंट मिनिस्ट्री से हमने जमीन के लिए निवेदन किया है और बात चल रही है। ...*(व्यवधान)* उसके बाद एक मैडिसिनल प्लांट बोर्ड बन गया है, उससे कैसे आयुर्वेद को आगे बढाएंगे, कैसे मैडिसिनल प्लांट्स की खेती करेंगे और कैसे ऐक्सपोर्ट करेंगे, वह हम करने जा रहे हैं। दूसरा गुड मैनुफैक्चरिंग प्रैक्टिस वह आयुर्वेद में हमने शुरू किया है कि हमारी जो आयुर्वेद ड्रग्ज बनें, वह स्तरीय हों। इसके लिए राज्यों को भी हम मदद करने जा रहे हैं। हरेक राज्य में जो भी आयुर्वेद कालेज हैं, उसकी भी मदद करके उनको सुधारने का प्रयास है। ...*(व्यवधान)* हम सब राज्यों में जा रहे हैं। आप अपने राज्य से भिजवाइए, वहां भी देंगे।

श्री रघुनाथ झा : वह राज्य तो आपका भी है।

डा. सी.पी. ठाकुर : उसके लिए भी कर रहे हैं। हर राज्य के लिए कर रहे हैं। ड्रग टैस्टिंग की लैबोरेटरी हर राज्य में कर रहे हैं। एक स्तरीय ड्रग टैस्टिंग लैबेरेटरी बनाई जाएगी। हम चाहते हैं कि वर्ल्ड मार्केट में इंडिया योगदान दे और कुछ दिनों में 1000 करोड़ रुपये का ऐक्सपोर्ट हम करें।

श्रीमती रेनु कुमारी : मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि आयुर्वेद दवाओं के इस्तेमाल में लोगों को आमतौर पर यह संदेह होता है कि यह दवा कार्य करेगी या नहीं। दवा नुकसान तो नहीं करेगी या दवा में कोई स्टीरॉइड जैसी मिलावट तो नहीं है। इस संदेह को दूर करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? औषधि पौधा बोर्ड का गठन होने से किसानों में औषधि पौधा उगाने की दिलचस्पी बढ़ी है, इसलिए मैं पूछना चाहती हूं कि बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे कृषि आधारित राज्यों में औषधि पौधा उगाने हेतु किसानों को क्या-क्या मूलभूत सुविधाएं सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही हैं? ...*(व्यवधान)*

डा. सी.पी. ठाकुर : मैडिसिनल प्लांट बोर्ड की फॉर्मेशन के बाद हम लोग गृहस्थ लोगों को उसमें जोड़ेंगे और उन पौधों को

उगाने से गरीब लोगों की आय में कुछ वृद्धि होगी, वह भी हम करेंगे। कौन सा पौधा उगाया जाएगा, कौन सा बेचा जाएगा, वह हम करने जा रहे हैं।

दूसरा प्रश्न माननीय सदस्या ने जो पूछा है, तो हम लोग इसके स्तर को सुधारने के लिए हरेक राज्य में टैस्टिंग लैबोरेटरी शुरू करने जा रहे हैं।

उनका तीसरा प्रश्न यह है कि लोगों को संदेह होता है कि दवा का असर होगा या नहीं, उस पर रिसर्च हम लोगों ने शुरू की है कि जो आयुर्वेदिक ड्रग्ज हैं, उनकी क्या ऐफिकेसी बीमारी में है, वह भी हम देखने जा रहे हैं।

[अनुवाद]

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा : अध्यक्ष महोदय, हम आपका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु आप इस ओर देख ही नहीं रहे हैं *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

वैद्य विष्णु दत्त शर्मा : अध्यक्ष महोदय, विदेशों में आयुर्वेद की मांग बढ़ रही है। अपने घर में इसको अभी तक पूरा सम्मान नहीं मिला है। यह एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो भारत की देन है। लेकिन यहां भी अभी तक राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति को करार नहीं दी गई है। मैं समझता हूं कि जैसे चीन ने अपनी चिकित्सा पद्धति को राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति की करार दी है, उसी तरह क्या भारत भी इस विषय में कदम उठायेगा?

दूसरा, भारत की हर चिकित्सा पद्धति मानवमात्र के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए है लेकिन तरक्की की दौड़ में भारत के सारे बजट में केवल एक प्रतिशत का धन ही आयुर्वेद के लिए निश्चित है। आप बताइये कि इससे वह कितनी तरक्की कर पायेगी। हिन्दुस्तान के कितने सूबे हैं, अब तो तीन और सूबे बढ़ गये हैं। मुझे यह बताया जाये कि क्या इन सारे सूबों में आयुर्वेद के कितने डायरेक्टरेट हैं जो आयुर्वेद जानते हैं और कितने मंत्री हैं जो आयुर्वेद को संरक्षण दे सकते हैं या गाइड कर सकते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि भारत में ऐसे लोग कितने परसेंट हैं जो आयुर्वेद पद्धति से फायदा उठाते हैं और कितने परसेंट ऐसे लोग हैं जो माडर्न मेडीसीन से लाभ उठाते हैं?

डॉ. सी.पी. ठाकुर : माननीय सदस्य ने पूछा है कि तीन राज्य जो अलग हुए हैं, तो मैं कहना चाहता हूं कि अभी तो इन राज्यों को अलग हुए थोड़े दिन ही हुए हैं। वहां भी आयुर्वेद का विकास होगा। केवल राजस्थान ही एक ऐसा राज्य है जहां पर आयुर्वेद के लिए अलग से मिनिस्टर है। बाकी जगह मेडिकल मिनिस्टर्स जो होते हैं, वही कामकाज देखते हैं। लेकिन डायरेक्टरेट ऑफ आयुर्वेद करीब-करीब सभी राज्यों में स्थापित हो गया है।

वैद्य विष्णु दत्त शर्मा : वहां आयुर्वेद डायरेक्टरेट हैं लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि नॉन डायरेक्टरेट कितने हैं?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें। अब, मंत्रीगण भी सभा में समस्याएं खड़ी कर रहे हैं।

आप अध्यक्षपीठ को संबोधित कीजिए। आपकी क्या समस्या है?

[हिन्दी]

डॉ. सी.पी. ठाकुर : आयुर्वेद के विकास के लिए आयुर्वेदिक डायरेक्टरेट करीब-करीब सभी राज्य में हैं। माननीय सदस्य का कहना ठीक है कि यह देश की चिकित्सा पद्धति है और हमने जैसा अभी बताया कि इसके लिए हम सारे प्रयास कर रहे हैं कि कैसे आयुर्वेदिक चिकित्सा का स्तर एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति के बराबर हो जाये। हम इलैक्टिव कोर्स सारे मेडिकल कालेज में कर रहे हैं कि जिसका मन हो, वह करे। उनको आयुर्वेद का थोड़ा इंट्रोडक्शन हो, ऐसा हम कर रहे हैं।

श्री दिनशा पटेल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि आयुर्वेद और होम्योपैथिक चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए आप सोच रहे हैं। अभी आपने हमारे गुजरात के जामनगर यूनीवर्सिटी की बात की। गुजरात में करीब छः कालेज हैं। मेरी सिटी में एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन गुजरात आयुर्वेदिक है जहां जर्मनी से पेशेंट आते हैं। इसके साथ-साथ जर्मनी से स्टूडैंट भी यहां पढ़ने के लिए आते हैं। हमारे वहां के डाक्टर श्री गुप्ता को जर्मनी में लेक्चर के लिए भी बुलाया जाता है। लेकिन कल यहां यू.जी.सी. ग्रांट के बारे में प्रश्न पूछा गया था। उसमें एग्रीकल्चर यूनीवर्सिटी को एक पैसा भी नहीं दिया गया। आयुर्वेदिक यूनीवर्सिटी को चार साल के लिए करीब तीन लाख रुपये दिये गये। यह ग्रांट कम मिलती है तथा इससे उसका डेवलपमैंट कैसे होगा। मेरा कहना है कि उनको यह ग्रांट ज्यादा मिले। इसके अलावा इस संबंध में जो संस्कृत की पुस्तक है, वह जर्मनी वाले यहां से ले जाते हैं और उसे पढ़कर उसे आगे विकसित करने की बात सोच रहे हैं। यह भारत में क्यों नहीं होता है क्योंकि आयुर्वेद बहुत पुरानी चिकित्सा पद्धति है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि गुजरात में ज्यादा डेवलपमैंट हो, इसके लिए क्या आप ग्रांट बढ़ायेंगे?

अध्यक्ष महोदय : श्री दिन्शा पटेल, अन्य सदस्य भी हैं जो अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहते हैं। कृपया समझने का प्रयास कीजिए।

[हिन्दी]

डॉ. सी.पी. ठाकुर : जहां तक ग्रांट का सवाल है, हम लोग सब कालेज की ग्रांट को बढ़ाने जा रहे हैं। इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसन के माध्यम से गुजरात का जामनगर बहुत अच्छा है। जैसा आपने कहा कि वहां बाहर से लड़के पढ़ने आते हैं। इसके अलावा सारे देश से लड़के वहां आकर पढ़ रहे हैं। जहां तक संस्कृत पढ़कर उसको विकसित करने का सवाल है तो हमने अपने डिपार्टमैंट में इंटरनेट शुरू किया है। जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ ऋगवेद से लेकर अभी तक जो भी है, उन सबका हम इंगलिश में ट्रांसलेशन करके इंटरनेट पर लगा देंगे ताकि कोई इसे पेटेंट न कर पाये और यह समझ जाये कि यह हिन्दुस्तान में पहले से था। यह सारा काम हम शुरू करने जा रहे हैं। ...*(व्यवधान)* हम इसको तीन लाख नहीं बल्कि साढ़े-चार करोड़ रुपये प्रतिवर्ष देते हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री ए.पी. अब्दुल्लाकुट्टी : महोदय, केरल के मालीपुरम में स्थित कोट्टाक्कल आयुर्वेदशाला के नाम से एक प्रसिद्ध आयुर्वेदिक संस्थान है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री अखिलेश सिंह, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। मैंने आपको बोलने की अनुमति नहीं दी है।

श्री ए.पी. अब्दुल्लाकुट्टी : केरल में मालीपुरम में कोट्टाक्कल आयुर्वेदशाला के नाम से एक प्रसिद्ध आयुर्वेदिक संस्थान है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने गत माह केरल की यात्रा के दौरान घोषणा की थी कि केरल में एक आयुर्वेद विश्वविद्यालय खोला जाएगा। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि इस संबंध में अब तक क्या कार्रवाई की गई है।

डा. सी.पी. ठाकुर : महोदय, जब मैं केरल में था तो मैंने भी उस संस्थान का दौरा किया था। वह वास्तव में एक बड़ी अच्छी संस्थान है। मैंने पाया कि जिम्बाब्वे और दक्षिण अफ्रीका के लोग वहां इलाज करवा रहे हैं। वे चाहते थे कि इसे मानद विश्वविद्यालय बनाया जाए। यह प्रक्रिया शुरू की जाएगी और इसमें समय लगेगा परंतु यह काम पूरा किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने अभी अपने जवाब में बताया है कि विदेशों में इसका रुझान बहुत बढ़ गया है तथा वे इसके लिए सेमीनार वगैरह करते हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अपने देश में कितने प्रतिशत लोगों का रुझान बढ़ा है? हम यह मानते हैं कि अपने यहां इसके रुझान में कमी है। क्या आप अपने यहां इसके प्रचार-प्रसार और लोगों में जागरूकता लाने के लिए राज्यवार सेमीनार करेंगे? इसके अलावा क्या आप राज्यों को यह भी निर्देश देंगे कि राज्य सरकार के सचिवालयों में जो डाक्टरों की नियुक्ति होती है, उनमें होम्योपैथिक शिक्षा प्राप्त डाक्टरों को डायरेक्टरेट बनाया जाये। जिस तरह एक ब्लाक स्तर पर डाक्टरों की नियुक्ति की हुई है, उसी तरह हर प्रखंड में होम्योपैथिक चिकित्सकों की नियुक्ति करने हेतु क्या आप राज्य सरकारों को निर्देश देंगे?

डॉ. सी.पी. ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, ब्लाक स्तर पर आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक डाक्टरों की बहाली हो रही है। जहां तक माननीय सदस्य ने कहा कि अपने देश में रुझान बढ़ाने के लिए क्या आप सेमीनार करेंगे तो हमारा कहना है कि हम सेमीनार कर रहे हैं। अभी स्वास्थ्य मेला भी लगा रहे हैं।

श्री प्रभुनाथ सिंह : आपने एक वर्ष में कितने सेमीनार किये हैं?

डॉ. सी.पी. ठाकुर : आयुर्वेद का हर जगह सेमीनार हो रहा है।

प्रशिक्षण हेतु अधिकारियों की विदेशों में नियुक्ति

***143. श्री अब्दुल रशीद शाहीन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आज तक केन्द्र सरकार के कितने अधिकारियों को विदेशों में प्रशिक्षण हेतु भेजा गया और इस संबंध में विभागवार और वर्षवार कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई;

(ख) उन्हें दिए गए प्रशिक्षण का ब्यौरा क्या है और देश में भारत सरकार के विभिन्न विभागों में इसका किस प्रकार सार्थक उपयोग किया गया;

(ग) क्या ऐसी प्रशिक्षण सुविधाएं देश में उपलब्ध नहीं हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का निकट भविष्य में देश में ऐसा प्रशिक्षण प्रदान करने का विचार है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) से (छ) इस बारे में विवरण सदन के पटल पर रखा जा रहा है।

विवरण

(क) वर्ष, 1998-99, 1999-2000 और 1.11.2000 को मौजूद स्थिति के अनुसार वर्ष, 2000-2001 के दौरान प्रदाता सरकारों/संगठनों द्वारा पूर्णत: वित्त पोषित किए गए विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत प्रशिक्षण हेतु विदेशों में भेजे गए, केन्द्रीय सरकार और राज्य-सरकारों के अधिकारियों की संख्या नीचे दर्शाए गए ब्यौरे के अनुसार रही है:-

1998-1999	-	610
1999-2000	-	520
2000-2001 (1.11.2000 को मौजूद स्थिति के अनुसार)	-	150

इसके अतिरिक्त, जनवरी, 1998 से आरम्भ और जुलाई, 2000 तक की अवधि के दौरान, 31 अधिकारी प्रशिक्षण हेतु विश्व-बैंक में प्रतिनियुक्त किए गए।

इसके अलावा, वर्ष, 2000-2001 के दौरान, भारत सरकार की निधि से 10 अधिकारी, हल-विश्वविद्यालय (ब्रिटेन) में एम.बी.ए. कार्यक्रम में और 10 अधिकारी, बर्मिंघम विश्वविद्यालय (ब्रिटेन) में एम.बी.ए. (लोक सेवा) कार्यक्रम में भेजे गए हैं। 1.11.2000 को मौजूद स्थिति के अनुसार, इन 20 अधिकारियों पर, संगत समय पर प्रचलित विनिमय दरों पर, विदेशी मुद्रा स्वरूप - 56,420 पौण्ड स्टर्लिंग (38,92,980 रुपए) की धनराशि का व्यय हुआ है।

उपर्युक्त जानकारी, मंत्रालय/विभाग-वार नहीं रखी जाती।

(ख) ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया और अन्य देशों की सरकारों के तकनीकी सहयोग-कार्यक्रमों के अन्तर्गत, सामान्य प्रशासन/लोक प्रशासन, सामाजिक योजना, ग्रामीण विकास, विकास प्रशासन, परियोजना प्रबन्धन, आर्थिक योजना और एम.बी.ए. के क्षेत्रों में प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए गए हैं। उपर्युक्त प्रशिक्षण का उद्देश्य, अधिकारियों का ज्ञान, कौशल और उनकी क्षमता बढ़ाना और उनके प्रशिक्षण से वापस आने पर उन्हें सुपुर्द किए जाने वाले कामकाज के निर्वाह की दृष्टि से उनके रुझान में बदलाव लाना है।

(ग) से (छ) देश में ऐसे अनेक प्रशिक्षण-कार्यक्रम सफलतापूर्वक कार्यान्वित किए जा रहे हैं जिनसे अधिकारियों की क्षमता/उनका कौशल बढ़ाता है। फिर भी, विश्व स्तर पर प्रबन्धन प्रणालियों और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तेजी से आ रहे बदलाव के मद्देनजर, अधिकारियों को दुनिया भर के देशों में सर्वोत्तम प्रबन्धन-प्रणालियों से परिचित करवाना आवश्यक है। विदेशों में प्रशिक्षण से अधिकारी, अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर नवीनतम परियोजनाओं और तकनीकों का ज्ञान और विशेषज्ञता हासिल करते हैं। समस्या सुलझाने में, दूसरे देशों से आए अपने सहप्रतिभागियों के अनुभव से सीख लेने के लाभ, विदेशी प्रशिक्षण के कुछ ऐसे प्रमाणांक हैं, जो देश के भीतर ही आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रतिबिम्बित नहीं हो सकते। विदेशों में प्रशिक्षण से हमारे सिविल कर्मचारी, अपेक्षाकृत बेहतर नीतियां/योजनाएं बनाने और परियोजनाएं कार्यान्वित करने में समर्थ बनते हैं और उससे जनता को अपेक्षाकृत बेहतर सेवाएं मुहैया करवाना सुनिश्चित करते हैं।

[अनुवाद]

श्री अब्दुल रशीद शाहीन : महोदय, इस सच से इंकार नहीं किया जा रहा है कि विदेशों में हमारे अधिकारियों के प्रशिक्षण से हमारे प्रशासन तंत्र को सहायता मिलती है। परस्पर आदान-प्रदान से इन्हें कुछ ज्ञान और सूचना प्राप्त करने में सहायता मिलती है। किंतु चिंता इसलिए व्यक्त की गई है क्योंकि प्रशिक्षण के उपरांत अधिकारियों के लौटने पर उन्हें कहीं और नियुक्त कर दिया जाता है। क्या मंत्री महोदय सभा को यह बताएंगे कि ऐसे प्रशिक्षणों के लिए चयन का मापदण्ड क्या है? हम यह सुनिश्चित कैसे करेंगे कि इन सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों से हमारे देश को लाभ होगा? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे प्रशिक्षण प्राप्त अधिकारियों की नियुक्ति ऐसे स्थानों पर की जाए जहां वे अपने प्रशिक्षण से प्राप्त ज्ञान व अनुभव के द्वारा कुछ बेहतर सुधार कर सकें?

श्रीमती वसुन्धरा राजे : महोदय, इनका चयन कोई मनमानी प्रक्रिया नहीं है, यह चयन निर्धारित मापदण्डों के आधार पर किया जाता है। सबसे पहले, हम राज्य सरकारों और संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारियों को परिपत्र जारी करते हैं जिसमें हम उन्हें अंतिम तिथि के साथ दो-तीन माह का समय देते हैं। चयन के मापदण्ड में कई बातों का ध्यान रखा जाता है जैसे सेवा के न्यूनतम वर्ष, अधिकतम आयु सीमा, सेवा के संपूर्ण कार्यकाल में एक अधिकारी केवल एक दीर्घकालीन कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकता है, छ: महीने के बाद एक माह से अधिक का प्रशिक्षण प्राप्त अधिकारी के लिए सुविधाजनक अवधि, छह मास से अधिक का प्रशिक्षण

प्राप्त अधिकारी, सेवा रिकॉर्ड जो कम से कम "बहुत अच्छा" हो, साफ-सुथरा सतर्कता रिकार्ड जिसमें ऐसी स्वीकृति की आवश्यकता होती है, इत्यादि प्राप्त करना कि इस अधिकारी पर कभी कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया और इसे मंजूरी दी जाती है आदि। मनोनीत अधिकारियों के नाम केन्द्रीय स्थापना बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। तदुपरान्त यह बोर्ड अधिकारियों के नामों की संस्तुति करता है। इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य प्रशिक्षण के उपरान्त अधिकारी को उसके अनुभव वाले क्षेत्र में ही नियुक्त करने का प्रयास करना है। सामान्यत: ये प्रशिक्षण सामान्य प्रशासन, ग्रामीण विकास, कम्प्यूटर प्रशिक्षण इत्यादि जैसे क्षेत्रों में दिए जाते हैं। ये प्रशिक्षण लगभग हर क्षेत्र में जहां वह अधिकारी सामान्य रूप से नियुक्त किए जाते हैं, लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं हम यह सुनिश्चित करने का प्रयत्न करते हैं कि ये प्रशिक्षण सहक्रियाशील और उन्नत आधारभूत कौशल के हों और मुख्यत: ये एकीकृत कार्यक्रम हैं। कुछ क्षेत्रों के अतिरिक्त, ये क्षेत्र तटस्थ हैं। जहां तक संभव हो हमारा यही प्रयत्न रहता है कि प्रशिक्षण प्राप्त अधिकारियों को प्रशिक्षण प्राप्त क्षेत्र में ही नियुक्त किया जाए।

श्री अब्दुल रशीद शाहीन : मेरे पास पिछले वर्ष के साथ-साथ अन्य पिछले तीन सालों के आंकड़े हैं। जिनसे यह पता चलता है कि चयन विभिन्न क्षेत्रों जैसे शहरी विकास और रोजगार में किए गए हैं। वर्ष 1998 के दौरान, हमने प्रशिक्षण के लिए 87 अधिकारियों को विदेश भेजा।

इसलिए, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि प्रशिक्षण के क्षेत्रों के चयन के लिए कौन से तरीके अपनाए जाते हैं। हम यह सुनिश्चित कैसे करते हैं कि वे क्षेत्र कौन से हैं जहां अधिकारियों को प्रशिक्षण देना अनिवार्य है ताकि उनके अनुभवों से कुछ लाभ उठाया जा सके।

श्रीमती वसुन्धरा राजे : इस समय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग केवल कुछ ही कार्यक्रम चला रहा है जो कि हल, बरमिंघम, क्वीन ऐलिजाबेथ हाऊस प्रोग्राम, जापान और आस्ट्रेलिया में हैं। ये सामान्य कार्यक्रम हैं। जहां तक विशेष मंत्रालयों का संबंध है उनके कार्यक्रम और आर्थिक कार्य विभाग संचालित करता है। यदि कोई माननीय सदस्य कोई विशेष सूचना चाहते हैं तो मुझे उन्हें जानकारी प्रदान करते हुए खुशी होगी।

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा : महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से विशेष रूप से विदेश में प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु अपनाई गई नीति के बारे में जानना चाहूंगी। पहले, कुछ शर्तों में से एक यह थी कि विदेशों में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले अधिकारियों को लिखित रूप से यह वचन देना होता था कि वे प्रशिक्षण उपरांत देश की प्रशिक्षण संस्थाओं में अपना योगदान देंगे ताकि उनके द्वारा विदेशों में प्राप्त ज्ञान और विशिष्ट कौशल का लाभ देश में अन्य अधिकारियों को मिल सके। विदेशों में जाने वाले अधिकतर अधिकारियों की सोच यही रहती है कि वे विदेश केवल अपनी खातिर ही जा रहे हैं और वे अपने उस ज्ञान का उपयोग विकास में नहीं कर सकते।

मैं यह जानना चाहूंगी कि इनकी इच्छाओं के विरुद्ध उस समय निर्धारित यह शर्त अभी भी है और क्या इसका पालन अभी भी किया जा रहा है। मैं यह भी कहना चाहती हूं कि प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले अधिकारियों की अधिकांश सूचियों में, जिन्हें निर्णायकों तथा इस संबंध में अधिकार प्राप्त कार्मिक विभाग के पास भेजा जाता है, आमतौर पर महिलाओं, अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों को सम्मिलित नहीं किया जाता है। इसलिए हमने कहा है कि नामितों की प्रत्येक सूची में महिला अधिकारियों, अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। क्या मंत्री महोदय हमें यह आश्वासन देंगे कि इन मानदण्डों का पालन किया जाएगा ताकि यह कुछ विशेषाधिकार प्राप्त समूहों का विशेष परमाधिकार न बन जाए?

श्रीमती वसुन्धरा राजे : अभी मैंने बताया है कि अधिकारियों का चुनाव मनमाने तरीके से नहीं किया जाता है। इसके लिए विशेष मानदण्ड निर्धारित किये गए हैं। मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य यह जानती ही होंगी क्योंकि वे उस विभाग का भाग रह चुकी हैं।

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा : किंतु नामित अधिकारियों की सूची को विशेष स्थान पर ही तैयार किया जाता है ...*(व्यवधान)*

श्रीमती वसुन्धरा राजे : अब, जैसा कि आपने अभी कहा कि इसमें एक शर्त निर्धारित की जा रही है। मैं इसमें शुद्धि करना चाहूंगी। इस पहलू को निश्चित रूप से ध्यान में रखा गया है कि प्रशिक्षण प्राप्त अधिकारियों के अनुभवों का उपयोग किसी विशेष संस्थान के लिए किया जा सके। तथापि ऐसी कोई शर्त नहीं रखी गई है ...*(व्यवधान)*

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा : यह हटा दी गई है। पहले यह शर्त थी। उन्होंने लिखित में दिया था। उन्होंने इसे वापिस ले लिया है ...*(व्यवधान)*

श्रीमती वसुन्धरा राजे : इस समय ऐसी कोई शर्त नहीं है। मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगी कि विदेशों में भेजे जाने वाले अधिकारियों के चयन के तरीके पर हम बहुत सावधानी रखते हैं। मैं आपको मानदण्डों के बारे में पहले ही बता चुकी हूं। जहां तक अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिला अधिकारियों का संबंध

है, जब हम अधिकारियों को प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए विदेश भेजते हैं तो हम यह सुनिश्चित करने का प्रयत्न करते हैं कि इनमें उन सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व प्राप्त हो। बरमिंघम में चलाए गए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का मैं एक उदाहरण देना चाहूंगी। इसमें सेवाओं के अनुसार अधिकारियों का चयन किया गया था। इसमें तीन अधिकारी भारतीय प्रशासनिक सेवा, केन्द्रीय सचिवालय सेवा का एक अधिकारी, केन्द्रीय सिविल सेवाओं के चार अधिकारी, राज्य सिविल सेवाओं का एक अधिकारी और संघ राज्य क्षेत्र सिविल सेवा का एक अधिकारी था। ये दस अधिकारी प्रशिक्षण पर भेजे गए थे। इन दस अधिकारियों में से दो महिलाएं थीं, एक अधिकारी अनुसूचित जाति और एक अधिकारी अनुसूचित जनजाति का था। इसके अतिरिक्त दो अधिकारी पूर्वोत्तर के थे। इस प्रकार हम हर पहलू को ध्यान में रखते हैं और मार्गनिर्देशन के अनुसार ही कार्य करते हैं ताकि विदेश भेजे जाने वाले अधिकारियों की इस प्रणाली और तरीके में पूरी पारदर्शिता बनी रहे।

श्री के. येरननायडू : विभिन्न राज्य सरकारों से कई शिकायतें मिली हैं। जहां तक सरकार द्वारा मानदण्डों के पालन का सवाल है तो वह ठीक है किंतु वे सभी राज्यों को इसके बारे में सूचित नहीं करते हैं। यदि सरकार एक व्यक्ति का चयन करना चाहती है तो वह केवल उसी विशेष राज्य को ही सूचित करते हैं वे अन्य राज्यों को नहीं। इसके परिणामस्वरूप क्षेत्र विशेष के लिए हमें उम्दा अधिकारी प्राप्त नहीं हो पाते हैं। इसलिए, सरकार को चाहिए कि सभी राज्यों को सूचित करने के लिए एक ठोस व्यवस्था विकसित की जाए। इसके लिए प्रतियोगिता होनी चाहिए वरना हम श्रेष्ठ व्यक्तियों का चयन नहीं कर सकते हैं। क्या सरकार ने कोई ऐसी व्यवस्था विकसित की है? इसके बारे में कई शिकायतें मिल रही हैं क्या केन्द्र सरकार को इस बारे में कोई शिकायत मिली है।

दूसरे, ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप केवल एक अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। मंत्री महोदय केवल एक अनुपूरक प्रश्न का ही उत्तर दे सकते हैं।

श्री के. येरननायडू : महोदय, मेरे प्रश्न का भाग (ख) यह है—हम अपने अधिकारियों को विशेष कौशल प्राप्त करने के लिए विदेश भेजने पर बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा व्यय कर रहे हैं किंतु लौटने पर उन्हें उचित स्थान पर नियुक्त नहीं किया जाता है। मैं जानना चाहूंगा विशेष कौशल प्राप्त करने के लिए विदेशों में कितने अधिकारियों को भेजा गया है और लौटने पर उनमें से कितने अधिकारियों को उस क्षेत्र विशेष में नियुक्त किया गया है। यदि उन्हें उचित स्थान पर नियुक्त नहीं किया जाता है तो उन पर व्यय की जाने वाली धनराशि, बेकार चली जाती है। इसलिए सरकार को इस संबंध में कोई ठोस नीति बनानी चाहिए। वापस आने पर देश के विकास के लिए ऐसे अधिकारियों की सेवाओं का उपयोग किया जाना चाहिए।

श्रीमती वसुन्धरा राजे : महोदय, मैं यह दोहराना चाहूंगी कि यह प्रणाली पारदर्शी है। ऐसा मनमाने ढंग से नहीं किया जाता है। हर साल हम राज्य सरकारों और संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारियों को ठीक समय पर दो-तीन माह पहले परिपत्र जारी करते हैं और इसकी अन्तिम तिथि भी बता देते हैं। प्रशिक्षण के लिए अधिकारियों को भेजने का दायित्व उनका है। इसके अतिरिक्त, हमने एक राष्ट्रीय प्रशिक्षण नीति भी बनाई है। यह नीति 1996 में बनाई गयी। इसकी एक सम्पूर्ण पुस्तिका प्रकाशित की गई। यह वितरित कर दी गई है और हर किसी को प्राप्त भी हो गई है। यदि वे इसका प्रयोग करें तो उनका स्वागत है किंतु जहां तक अधिकारियों का संबंध है, मैं एक बात पूरी तरह से स्पष्ट करना चाहता हूं कि जब हम विदेशों में प्रशिक्षण के लिए 50 या 54 कार्यक्रमों में लगभग 500 अधिकारी भेजते हैं तो हम करीब 1900 पाठ्यक्रमों में करीब 40,000 लोगों को प्रशिक्षण देते हैं।

श्री खारवेल स्वाईं (बालासोर): महोदय, प्रश्न के अनुसार, आम तौर पर विदेशों में भेजे जाने वाले अधिकारियों पर हम काफी बड़ी रकम खर्च करते हैं लेकिन उनके वापस आने पर हम उनकी विशेषज्ञता का उपयोग नहीं करते। इस प्रकार काफी बड़ी रकम बेकार चली जाती है। महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि क्या केवल भारत में ही अधिकारियों को प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजा जाता है या दूसरे देश भी अपने अधिकारियों को भारत में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भेजते हैं। मैं उन देशों के बारे में जानना चाहूंगा।

श्रीमती वसुन्धरा राजे : जी हां, महोदय ऐसा केवल भारत में ही नहीं होता है। हम विदेशों में अपने अधिकारियों को प्रशिक्षण के लिए 1950 में शुरू हुई कोलम्बो योजना के अंतर्गत भेजते हैं जो 1960 में अत्यन्त लोकप्रिय हुई थी। हम करीब 16 देशों के लगभग 400 अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान कर चुके हैं।

श्री पी.एच. पांडियन : अध्यक्ष महोदय, अनुभव और विशेषज्ञता दो भिन्न चीजे हैं। अधिकारी एक निश्चित अवधि के दौरान एक विभाग में कार्य कर अनुभव प्राप्त करते हैं और भर्ती के तुरंत बाद अथवा प्रारंभ में वे विशेषज्ञता प्राप्त करते हैं। क्या भारत सरकार युवा अधिकारियों का चयन करेगी ताकि विदेशों से प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात् उनकी सेवाओं का प्रयोग यहां किया जा सके? क्या सरकार सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों या उन अधिकारियों को, जिनके सेवानिवृत्त होने में पांच साल रह गये हैं, भेजने के प्रस्ताव पर रोक लगाएगी ताकि प्रतिनियुक्त अधिकारियों को वापस बुलाया जा सके और उनके अनुभवों का लाभ देश को मिल सके?

श्रीमती वसुन्धरा राजे : महोदय, नामित करने के लिए अपनाए जाने वाले मानदण्डों के बारे में बता चुकी हूं।

श्री पी.एच. पांडियन : उम्र के बारे में क्या विचार है? यदि कोई अधिकारी 40 वर्ष का है तो वह विशेषज्ञता प्राप्त कर देश की सेवा कर सकेगा किंतु यदि वह 55 वर्ष का है तो वह देश की सेवा केवल दो या तीन साल तक ही कर पाएगा।

श्रीमती वसुन्धरा राजे : महोदय, हम 45 वर्ष तक के अधिकारियों को ही नामित करने का प्रयास करते हैं।

डा. नीतिश सेनगुप्ता : महोदय, क्या मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछ सकता हूं कि क्या तथाकथित सार्वभौम तकनीक, प्रौद्योगिकी, उन्नत प्रणालियां, प्रथाओं और उनके अनुवर्ती कार्य निष्पादन के संबंधों में कोई अध्ययन किया गया है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐसा अक्सर सुनने में आता है कि प्राप्त होने वाले प्रशिक्षण और उसके पश्चात् की नियुक्ति में कोई संबंध नहीं है। ऐसा देखने में आता है कि शहरी विकास में प्रशिक्षण प्राप्त अधिकारी को कृषि विभाग में नियुक्त कर दिया जाता है और जिस अधिकारी ने प्रशिक्षण उन्नत पशुचिकित्सा विज्ञान में प्राप्त किया है उसे उद्योग विभाग में नियुक्त कर दिया जाता है। इसलिए क्या ऐसी स्थिति से बचा जा सकता है?

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय यह जानते हैं कि नवीनतम और अद्यतन प्रशिक्षण सुविधाएं भारत में भी उपलब्ध हैं। इसलिए अधिकारियों को विदेशों में प्रशिक्षण प्रदान करने पर विदेशी मुद्रा खर्च करने का कोई औचित्य नहीं हैं।

श्रीमती वसुन्धरा राजे : मैंने अभी कहा है कि हमारे लगभग 50 प्रशिक्षण कार्यक्रम हैं जिनमें भारत की लगभग सभी प्रशासनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के बारे में ध्यान दिया जाता है हम यहां 40,000 के करीब अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। दरअसल तुलना बड़ी ही सूक्ष्म है। 50 प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए लगभग 1.5 प्रतिशत से 2 प्रतिशत तक अधिकारी विदेश भेजे जाते हैं। विदेशों में प्रशिक्षण के लिए करीब 500 अधिकारी भेजे जाते हैं। मेरे विचार से यह अत्यंत आवश्यक है क्योंकि वैश्वीकरण के समय में अधिकारियों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे बाहर जाएं। विशेषकर इसलिए क्योंकि वे प्रशासनिक व्यवस्था के ऐसे अंग हैं जो बाहर जाकर विश्व का अनुभव प्राप्त करते हैं। तब वे यहां लौटकर देश को अपने अनुभवों से लाभ पहुंचा सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री हरीभाऊ शंकर महाले : अध्यक्ष महोदय, विदेश में अधिकारी भेजने के लिए मानदंड होते हैं। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या उम्र का भी मानदंड होता है? पिछड़ी जाति के लोग 35 साल की उम्र में नौकरी पाते हैं इसलिए उनमें से ज्यादातर मानदंडों के कारण बाहर नहीं जा पाते, तो क्या मंत्री जी उम्र में कोई छूट देने वाली हैं या नहीं?

श्रीमती वसुन्धरा राजे : मैंने पहले भी कहा था कि हम बहुत सख्ती से देखते हैं कि जो ट्रेनिंग प्रोग्राम हैं, उनमें अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं का उचित प्रतिनिधित्व हो। मैंने पढ़ा भी था कि दस अधिकारी अगर बाहर जाते हैं तो उनमें अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाओं, नार्थ-ईस्ट और हिली एरिया के लोगों का प्रतिनिधित्व जरूर होता है।

श्री हरीभाऊ शंकर महाले : उम्र के मामले में क्या छूट देंगी?

श्रीमती वसुंधरा राजे : वह 45 वर्ष के नीचे रखी हुई है।

[अनुवाद]

केन्द्रीय श्रम अधिनियम में संशोधन

***144. श्री रूप चन्द पाल :**
श्री वसुदेव आचार्य :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय श्रम अधिनियम के उपबंधों में संशोधन के संबंध में मजदूर संघों के साथ परामर्श प्रक्रिया आरम्भ की है;

(ख) यदि हां, तो सरकार के उक्त कदम पर मजदूर संघों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) मजदूर संघों द्वारा दिए गए सुझावों का ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) सरकार विभिन्न श्रम कानूनों में संशोधन के बारे में त्रिपक्षीय समितियां, स्थायी श्रम समिति की बैठकों और भारतीय श्रम सम्मेलन के माध्यम से श्रमिक संघों के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श करती रही है। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय श्रमिक संघों और नियोजक संगठनों के साथ, समय-समय पर विचारों का आदान-प्रदान भी किया जाता रहा है।

2. सरकार द्वारा द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन भी 15.10.1999 को जारी संकल्प द्वारा किया गया है जो आर्थिक नीति में हो रहे सामान्य परिवर्तनों के अनुसार श्रम कानूनों की सुसंगति और श्रमजीवी वर्ग को और अधिक कल्याण प्रदान करने को सुनिश्चित करने हेतु श्रम कानूनों की व्यापक समीक्षा करेगा। यह आयोग त्रिपक्षीय स्वरूप का है और इसने सभी संबंधितों से विचार आमंत्रित किए हैं और इसके साथ-साथ उनसे परामर्श भी कर रहा है।

[अनुवाद]

श्री रूपचंद पाल : मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि वित्तीय श्रम आयोग त्रिपक्षीय प्रकृति का है और इसने सभी संबंधित पक्षों से उनके विचार मांगे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि श्रम और श्रम कानूनों पर एन.डी.ए. सरकार के नीतिगत परिप्रेक्ष्य और उसके विचार दो दस्तावेजों में अभिव्यक्त होते हैं। एक, प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा गठित टास्क फोर्स। इसमें औद्योगिक घरानों के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया है। मैं उनके नाम नहीं लूंगा। दूसरा, नौवीं योजना दस्तावेज। योजना आयोग के सदस्य सचिव श्री मोंटेक सिंह आहलूवालिया की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है।

मैं, माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि राष्ट्रीय श्रम आयोग से दो टास्क फोर्सों की संस्तुतियां मानने के लिए कहा गया है, जिनमें श्रमिकों के विचार सुने नहीं गए हैं।

[हिन्दी]

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): यह कहना मुनासिब नहीं होगा क्योंकि पहला श्रम आयोग 1966 में बना था और उसके 33 साल बाद दूसरे श्रम आयोग का गठन हुआ है और श्रम कानूनों की समीक्षा करने के लिए श्रम संबंधी मुद्दों के बारे में विचार-विमर्श करने के लिए कोई मौका नहीं होगा। यह श्रम आयोग बना है और इसका साफ उद्देश्य यह है कि संगठित क्षेत्र में जो कानून हमारे पास उपलब्ध हैं, उन सब कानूनों के बारे में, उनकी समीक्षा करना और कानूनों को अद्यतन बनाना तथा उन्हें आज की जरूरतों के मुताबिक बनाना है। आर्थिक उदारीकरण के कारण जो कुछ परिवर्तन हो रहे हैं, दुनिया के अंदर उन सारी बातों को देखते हुए हमारा कानून काफी सक्षम हो और साथ ही साथ श्रमिकों के हितों की सुरक्षा कर सके, उनके रोजगारों की सुरक्षा कर सके और सार्वजनिक सुरक्षा के पर्याप्त प्रावधान कर सके, ऐसा हमारा प्रयास है। दूसरा जो उद्देश्य है कि असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को अम्ब्रैला लेजिस्लेशन के अन्तर्गत यानि समग्र कानून का विधान कि जो कुछ कानून हमारे पास उपलब्ध हैं, उन सारे कानूनों को एक जगह उपलब्ध करके उनको सुरक्षा प्रदान करना है। इस प्रकार से श्रमिकों के लिए असंगठित क्षेत्र के लिए और संगठित क्षेत्र के लिए जो कानून बने हुए हैं, इनमें व्यापक रूप से इन्हीं दो बातों पर विचार करने के लिए हमने इस दूसरे श्रम आयोग का गठन किया है। यह बात अलग है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो था, उसकी रिपोर्ट आने के बाद इन सारी बातों पर विचार करना एक निमित्त बन गया किंतु यह कानून पूरी तरह से समग्र कानूनों में परिवर्तन करने के लिए है।

[अनुवाद]

श्री रूपचंद पाल : मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया गया है। मैंने पूछा था कि क्या यह सच नहीं है कि द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग से दो टास्क फोर्सों की वे संस्तुतियां मानने के लिए कहा गया है, जिनमें केन्द्रीय मजदूर संघों के विचारों को सुना ही नहीं गया है।

[हिन्दी]

डा. सत्यनारायण जटिया : यह कहना मुनासिब नहीं है, जैसा कि हमारे माननीय सदस्य जानते हैं कि पहला श्रम आयोग 1966 में बना था और श्रम आयोग के बनने के कारण बहुत सारे कानूनों में समसामयिक परिवर्तन करने के लिए जो कुछ सुझाव आ गये हैं, उनके माध्यम से किया गया है। 1966 से लेकर 2000 अब हो रहा है और इन 34 वर्षों में जो भी परिवर्तन हुए हैं, चाहे वे आर्थिक क्षेत्र के कारण या श्रम बाजार के कारण हो रहे हैं, उन सारे परिवर्तनों का समावेश करने की दृष्टि से सर्वांगीण विचार करने के उद्देश्य से दूसरा श्रम आयोग बनाने का काम किया। दूसरे श्रम आयोग के बनते हुए भी जो कानून हैं, उनमें संशोधन करना बहुत जरूरी है और वह हम करने जा रहे हैं। कल ही लोक सभा में कमपेंसेशन के बारे में, मुआवजे में जो सुधार करना चाहिए था तथा डिसएबैल्ड होने पर जो मुआवजा देना चाहिए था, उसके बारे में राज्य सभा और लोक सभा में पारित किया गया। इसके साथ-साथ हम अनेक श्रम कानूनों की समीक्षा कर रहे हैं और यह काम निरन्तर जारी है।

[अनुवाद]

श्री रूपचंद पाल : मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि यह सच नहीं है कि इन टास्क फोर्सों में ऐसे उद्योगपति हैं जिन्होंने इस देश के प्रमुख श्रम कानूनों का साफ तौर पर उल्लंघन किया है और कर्मचारियों को बेरोजगार कर दिया है। उन्होंने गैरकानूनी रूप से उद्योगों को बंद करवा दिया अथवा तालाबन्दी का आदेश दे दिया है। यही लोग टास्क फोर्सों में हैं।

यह एक संस्तुति की गई है कि 150 श्रम कानूनों के बदले केवल एक ऐसी विधि अपनाई जानी चाहिए जिसका प्रयोग नियोक्ता, श्रमिकों को उनके हितों और अब तक मिल रहे संरक्षण से वंचित करने के लिए मुक्त रूप से कर सकें।

दूसरे, नियोक्ताओं के दबाव के बावजूद कि बोनस अधिनियम को बदलना नहीं चाहिए, इस देश के लाखों श्रमिकों का वेतन 3500 रु. से अधिक हो गया है जिससे उन्हें बोनस नहीं मिल रहा है। सरकार को लगभग सभी केन्द्रीय मजदूर संघों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं किंतु इन औद्योगिक घरानों, नियोक्ताओं के प्रतिनिधियों के दबाव के कारण सरकार बोनस अधिनियम में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं कर रही है जिससे इस देश के लाखों श्रमिकों को बोनस प्राप्त हो सके।

[हिन्दी]

डा. सत्यनारायण जटिया : महोदय, हमारे यहां पर समस्याओं पर विचार करने के लिए एक बहुत अच्छी प्रणाली बनी हुई है। उसमें हम त्रिपक्षता के आधार पर विचार-विमर्श करते हैं, उसमें मजदूर श्रम संगठनों के और सरकार के प्रतिनिधि भी हैं। इन सब प्रतिनिधियों के रहते हुए कोई भी कानून ऐसा नहीं बन सकता, जिसमें कि श्रमिकों की सुरक्षा के बारे में विचार न हो सके। हमने एक सर्वांगीण विचार करने की पद्धति विकसित की है और उस पद्धति में व्यापक विचार-विमर्श होता है। हम श्रम कानूनों के माध्यम से श्रमिकों के हितों और वर्कर्स के इंटरस्ट को प्रोटेक्ट करने का पूरा-पूरा काम करते हैं। माननीय सदस्य ने बोनस और मिनिमम पेमेंट ऑफ वेजेज के बारे में कहा है, इसके लिए श्रम मंत्रालय ने प्रस्ताव किया है और प्रस्ताव करके सरकार के पास भेज दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि इस पर सरकार का निर्णय शीघ्र आएगा।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, बहुत दिनों से यह मांग की जा रही थी कि हमारे देश में जो श्रम कानून हैं, वह बहुत पुराना है। उसमें बहुत लूपहोल्स हैं, उसका वायलेशन होता है और उसके बाद कुछ कार्यवाही नहीं होती है। इसमें बदलाव लाया जाए। इस दृष्टिकोण से जो कानून का उल्लंघन होता है उसे कैसे बंद किया जाए, रोका जाए। मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, जो द्वितीय श्रम आयोग गठन करने का लक्ष्य है उसमें साफ दिया है-

[अनुवाद]

हमें यह सुनिश्चित करने के लिए श्रम कानूनों की विस्तारपूर्वक समीक्षा करनी चाहिए कि श्रम कानून आर्थिक नीति में होने वाले सामान्य परिवर्तनों के अनुरूप हों ताकि श्रमिक वर्ग का अधिक से अधिक कल्याण हो सके।

[हिन्दी]

यह कंट्राडिक्टरी है। यह जो द्वितीय श्रम आयोग बनाया है, उसका उद्देश्य क्या है? मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि किस उद्देश्य से द्वितीय श्रम आयोग का गठन किया गया है? इसका क्या टर्म्स ऑफ रेफरेंस है? इसमें एक कांट्रेक्ट लेबर एबोल्यूशन एंड रेगुलेशन एक्ट है, इस कानून में बदलाव लाने के लिए एक कांफ्रेंस भी बुलाई गई थी। क्या सरकार यह चाहती है कि जो कांट्रेक्ट लेबर एबोल्यूशन एंड रेगुलेशन एक्ट 70 साल का है, उसमें परिवर्तन करना चाहती है, उसे हटाना चाहती है, यह मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं?

डा. सत्यनारायण जटिया : महोदय, मैंने पहले भी साफ तौर पर कहा है कि श्रम आयोग का गठन बदलती हुई परिस्थितियों में श्रम बाजार की जरूरतों को देखते हुए, रोजगार की सुरक्षा के लिए सामाजिक सुरक्षा को देखते हुए, और जो बात माननीय सदस्य ने पढ़ कर बताई है, जो चार विषय बताए हैं, उसमें से एक बात इन्होंने यह बताई।

मध्याह्न 12.00 बजे

दूसरा हमने यह भी कहा है कि श्रम संरक्षण तथा कल्याणकारी उपायों तथा आधारभूत संस्थात्मक ढांचे का एक न्यूनतम स्तर इस प्रकार सुनिश्चित किया जाए जो लचीले श्रम बाजार के लिए सहायक हो तथा प्रौद्योगिकी परिवर्तन तथा आर्थिक विकास के बढ़ाने के लिए आवश्यक समायोजन कर सके। श्रम संरक्षण की बात इसमें है।

साथ ही हमने कहा है कि सामाजिक सुरक्षा, व्यावसायिक स्वास्थ्य तथा सुरक्षा, न्यूनतम मजदूरी से संबंधित उपायों की प्रभावशीलता में सुधार तथा मजदूरी तथा उत्पादन की समयबद्धता तथा नियोजन में खासकर महिलाओं और विकलांगों के लिए आवश्यक सुरक्षा तथा सुविधाएं उपलब्ध करना। इसलिए हम अपने उद्देश्यों में बहुत स्पष्ट हैं और इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए सैकिंड लेबर कमीशन ने 6 ग्रुप बनाने का काम किया है और उन पर विचार-विमर्श जारी है। मुझे उम्मीद है कि श्रम आयोग अपना काम समयबद्ध रूप से कर लेगा।

श्री बसुदेव आचार्य : आपने ठेका मजदूर कानून के बारे में नहीं बतलाया, वह बतलाएं? *...(व्यवधान)*

सरदार बूटा सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस देश में सफाई कर्मचारियों की संख्या करोड़ों में है। चाहे प्राइवेट सैक्टर हो, पब्लिक सैक्टर हो या लोकल बॉडी हों, लेकिन किसी भी आयोग ने उनके बारे में अभी तक विचार नहीं किया है। सैकिंड सफाई

आयोग में विशेष रूप से उनके लिए प्रावधान करें और जो ठेकेदारी प्रथा है उससे सफाई कर्मचारियों को मुक्ति दी जाए। इस संबंध में सरकार का दृष्टिकोण क्या है?

डा. सत्यनारायण जटिया : ये कर्मचारी आयोग की बात कर रहे हैं और हम श्रम आयोग की बात कर रहे हैं।

सरदार बूटा सिंह : सफाई कर्मचारियों की बात कर रहे हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, आप माननीय सदस्य को अपना लिखित उत्तर भेज सकते हैं। समय समाप्त हो गया है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

कश्मीर मामला

***145. श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी:** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पाकिस्तान द्वारा भारत-पाक सीमा पर प्रोत्साहित की जा रही आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए विश्वव्यापी समर्थन जुटाने के लिए कौन से विशिष्ट प्रयास किए गए हैं;

(ख) सरकार विश्व स्तर पर इस संबंध में अपने पक्ष में स्थिति बनाने में अब तक किस हद तक सफल रही है; और

(ग) कश्मीर समस्या का हल ढूंढ पाने में यह किस हद तक सहायक होगी?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) से (ग) सीमा-पार से चलाए जा रहे आतंकवाद को पाकिस्तान के समर्थन और भारत के अन्दरूनी मामलों में हस्तक्षेप के उसके सतत् प्रयासों की ओर सरकार ने प्रभावी ढंग से अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षित किया है। आंतकवाद को पाकिस्तान के अधिकारिक समर्थन से सम्बद्ध तथ्यों को अनेक अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर उजागर किया गया है। यह मुद्दा विश्व के नेताओं के साथ उच्च-स्तरीय द्विपक्षीय बातचीतों में भी उठाया गया है।

विश्व समुदाय अब बड़े पैमाने पर भारत में जम्मू और कश्मीर तथा अन्य स्थानों पर आतंकवाद को पाकिस्तान के अधिकारिक समर्थन और हमारे देश और क्षेत्र की सुरक्षा पर उसके दुष्प्रभाव को स्वीकार करता है। इस बढ़ती हुई जागरूकता को पाकिस्तान से संबंधित अन्तर्राष्ट्रीय मीडिया में और अनेक सरकारों के आधिकारिक प्रवक्ताओं द्वारा दिए जा रहे वक्तव्यों में भी प्रतिलक्षित किया जा रहा है।

साथ ही सरकार शांति के प्रति जम्मू और कश्मीर के लोगों की तीव्र इच्छा को ध्यान में रखते हुए जम्मू और कश्मीर में स्थिति को सामान्य बनाने तथा वार्ता के लिए तैयार लोगों के साथ बातचीत करने के लिए अपने प्रयास जारी रखे हुए है। इस दिशा में 19 नवम्बर, 2000 को सरकार ने घोषणा की है कि उसके भारतीय सशस्त्र बलों को रमजान के आगामी पवित्र माह में जम्मू और कश्मीर में आतंकवादियों के विरुद्ध अपनी ओर से सशस्त्र कार्यवाही शुरू न करने के अनुदेश दिए हैं। तथापि, सरकार को इस बात की जानकारी है कि पाकिस्तान जम्मू और कश्मीर में शान्ति की संभावनाओं को क्षति पहुंचाने के अपने प्रयासों में लगा हुआ है। सरकार ऐसे प्रयासों को असफल करने के लिए दृढ़ संकल्प है।

जन्मदर तथा शिशु स्वास्थ्य

***146. श्री सुनील खां:**
श्री जय प्रकाश:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार जन्म दर को नियंत्रित करने और सबके लिए स्वास्थ्य सुनिश्चित करने में विफल रही है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यों को इस प्रयोजनार्थ राज्य-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई तथा उपर्युक्त क्षेत्रों में कितनी सफलता प्राप्त हुई;

(घ) आज की स्थिति के अनुसार देश में विद्यमान शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पिछले दो वर्षों के दौरान उनका किस सीमा तक कार्यान्वयन किया गया?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर): (क) से (ग) भारत में लोगों के परिवार नियोजन और स्वास्थ्य स्टेटस का उन्नयन करने में महत्वपूर्ण प्रगति हासिल की गई है। अशोधित जन्मदर 1951 में 40.8 से घटकर 1999 में 26.1 और

कुल प्रजननता दर 1951 में 6.0 से घटकर 1997 में 3.3 रह गई है। प्रति हजार जनसंख्या पर मृत्यु दर (अशोधित मृत्युदर) 1951 में 25.1 कम होकर 1999 में 8.7 रह गई है। नवजात मृत्यु दर 1951-61 में 146 से कम होकर 1999 में 70 हो गई है। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा पुरुषों के लिए 1951 में 37.1 वर्ष से बढ़कर 1996-2001 में 62.4 वर्ष हो गई है और उसी अवधि के दौरान यह महिलाओं के लिए 36.1 वर्ष से बढ़कर 63.4 वर्ष हो गई है। चेचक और प्लेग का उन्मूलन कर दिया गया है। हैजा और संबद्ध रोगों से होने वाली मौतों में कमी आई है। मलेरिया को काफी अधिक हद तक नियंत्रित कर लिया गया है। पोलियो का उन्मूलन होने ही वाला है। संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग कार्यक्रम के अधीन लगभग 26 करोड़ जनसंख्या को पहले ही कवर कर लिया गया है। 1995-96 से कुष्ठ कार्यक्रम के अधीन सभी जिलों को मुक्त बहु-औषध उपचार सेवाएं प्रदान करने के लिए कवर कर लिया गया है। इसके अलावा, प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या के आधारभूत ढांचे में कई गुणा वृद्धि हुई है। उपकेन्द्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या जो 31 मार्च, 1975 की स्थिति के अनुसार 33616 और 5293 थी, बढ़कर 30.6.99 की स्थिति के अनुसार क्रमशः 137271 और 22975 हो गई है।

परिवार कल्याण कार्यक्रम के अधीन पिछले तीन वर्षों के दौरान सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को रिलीज की गई निधियों को दर्शाने वाला विवरण-I संलग्न है अखिल भारतीय स्तर पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के अधीन निधियों और चुनिंदा रोगों के बारे में रिलीज की गई निधियों को दर्शाने वाला एक अन्य विवरण-II में संलग्न है।

(घ) और (ङ) 1997-98 से सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में प्रजनन एवं बाल, स्वास्थ्य कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है। वैक्सीन निवार्य रोगों से प्रतिरक्षण तीव्र श्वसनी संक्रमणों तथा अतिसारीय रोगों के उपचार, आवश्यक नवजात परिचर्या की व्यवस्था और और पौषणिक रक्ताल्पता और विटामिन ए की कमी से बचाव सहित अनेक बाल स्वास्थ्य उपाय सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित किए जा रहे हैं। पिछले दो वर्षों में वैक्सीनों का कवरेज स्तर संलग्न विवरण-III में दिया गया है। प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अधीन किए गए उपायों के अलावा देश से पोलियो का उन्मूलन करने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में हर वर्ष पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है। अपेक्षाकृत खराब निष्पादन वाले क्षेत्रों में विस्तार (आउटरीच) सेवाओं में सुधार करने के लिए नवजात और मातृ मृत्यु दर को मौजूदा स्तर से कम करके आगामी तीन से चार वर्षों में आधा करने के लिए 16 राज्यों के 47 जिलों में सीमावर्ती जिला कलस्टर कार्यनीति परियोजना के अधीन अतिरिक्त सहायता प्रदान की जा रही है। मातृ एवं बाल स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए निवेश प्रदान करने हेतु असम, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और गुजरात के चुनिंदा 50 कमजोर जिलों में विस्तार (आउटरीच) सेवाओं में सुधार करने की एक नई योजना शुरू की गई है। स्टाफ की गतिशीलता, क्षेत्रीय कार्यकलापों के पर्यवेक्षण और स्थान-विशिष्ट सूचना, शिक्षा एवं संचार अभियान शुरू करके मांग उत्पन्न करने के लिए निवेश (इन्पुट्स) प्रदान किए जा रहे हैं।

विवरण-I

परिवार कल्याण कार्यक्रम के अधीन सहायता अनुदान (नगद और वस्तुगत)

(लाख रुपए में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1997-98 योग	1998-99 योग	1999-2000 योग
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	11225.96	14614.20	19632.70
2.	अरुणाचल प्रदेश	237.38	219.81	334.55
3.	असम	4450.31	4437.80	8492.91
4.	बिहार	12621.82	12817.90	33304.28
5.	गोवा	206.83	243.77	325.94
6.	गुजरात	11323.12	12611.98	17213.08

1	2	3	4	5
7.	हरियाणा	4244.30	3652.67	4407.75
8.	हिमाचल प्रदेश	1431.02	2373.54	2407.34
9.	जम्मू व कश्मीर	2137.78	2056.50	2261.85
10.	कर्नाटक	6461.33	9792.97	19086.05
11.	केरल	3955.16	5503.94	6864.11
12.	मध्य प्रदेश	9993.30	13153.54	16361.97
13.	महाराष्ट्र	10677.68	15036.24	15896.09
14.	मणिपुर	585.85	731.06	1055.35
15.	मेघालय	397.04	469.53	750.71
16.	मिजोरम	296.04	307.88	444.27
17.	नागालैंड	268.24	338.27	500.51
18.	उड़ीसा	6159.09	6484.62	7819.21
19.	पंजाब	3569.72	3684.16	4188.09
20.	राजस्थान	947669	11180.84	17545.57
21.	सिक्किम	264.87	349.40	485.06
22.	तमिलनाडु	12759.97	11779.69	23103.19
23.	त्रिपुरा	572.78	1975.59	1000.48
24.	उत्तर प्रदेश	25073.58	51256.08	366552.35
25.	प. बंगाल	7707.15	14295.80	11948.24
	योग (राज्य)	146097.01	199367.78	252081.65
विधान मण्डल वाले संघ राज्य क्षेत्र				
1.	पांडिचेरी	174.02	192.40	186.32
2.	दिल्ली	1155.41	1485.94	2791.07
बिना विधानमण्डल वाले संघ राज्य क्षेत्रों के लिए परिव्यय				
1.	अंडमान और निको. द्वीपसमूह	122.40	123.60	0.00
2.	दादरा और नगर हवेली	39.96	69.29	0.00
3.	चंडीगढ़	113.33	189.05	0.00
4.	लक्षद्वीप	19.16	35.06	0.00
5.	दमण और दीव	44.40	52.05	0.00
	योग (संघ राज्य क्षेत्र)	1668.68	2147.39	2977.39
	महायोग	147765.69	201515.17	255059.04

विवरण-II

1997-98 से 1999-2000 के दौरान स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए वित्तीय परिव्यय

(लाख रुपये में)

	1997-98	1998-99	1999-2000
1	2	3	4
राजस्व (प्लान)	84735	89714	100500
राजस्व (नॉन प्लान)	63919	81820	91637
पूंजीगत (प्लान)	1737	1350	500
पूंजीगत (नॉन प्लान)	39951	33872	30549
योग	190342	206756	223186

1997-98 से 1999-2000 के दौरान चुनिंदा रोगों के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजना स्कीमों हेतु वित्तीय परिव्यय

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	कार्यक्रम/संगठन का नाम	1997-98	1998-99	1999-2000
1.	राष्ट्रीय ट्रकोमा और दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम	7000	7500	8400
2.	राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम (काला आजार सहित)	19000	22700	20500
3.	राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (रक्त निरापदता उपायों और यौन संचारित रोग नियंत्रण कार्यक्रम सहित)	12450	11100	14000
4.	राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम	7900	7900	8200
5.	राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम	8000	7200	9500
6.	कैंसर अनुसंधान और उपचार कार्यक्रम	2575	3000	4075

विवरण-III

प्रतिरक्षण कवरेज (प्रतिशत में)

कार्यक्रम	1998-99	1999-2000
टी टी (पी डब्ल्यू)	83.9	81.7
डी.पी.टी.	93.7	95.3
पोलियो	95.3	95.6
बी.सी.जी.	97.7	101.6
खसरा	88.1	89.6

[हिन्दी]

हैपेटाइटिस-बी, एड्स और टी.बी. का उन्मूलन

*147. **श्री चन्द्रकांत खैरे:**
श्री थावर चन्द गेहलोत:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हैपेटाइटिस-बी, एड्स और टी.बी. जैसी तेजी से बढ़ रही बीमारियों से देश में काफी संख्या में लोगों की मृत्यु हो रही है;

(ख) यदि हां, तो 1998, 1999 और 2000 में अब तक उक्त बीमारियों के कारण हुई मृत्युओं के राज्य-वार तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं;

(ग) उपरोक्त अवधि के दौरान उक्त बीमारियों से प्रभावित व्यक्तियों की संख्या कितनी थी;

(घ) उपरोक्त बीमारियों के उन्मूलन के लिए कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(ङ) उक्त अवधि के दौरान कुल आबंटित धनराशि में से प्रत्येक कार्यक्रम पर प्रत्येक राज्य द्वारा कुल कितनी राशि खर्च की गई;

(च) उक्त अवधि के दौरान एड्स और टी.बी. से निपटने के लिए अन्य देशों और विश्व स्वास्थ्य संगठन से कुल कितनी राशि की सहायता प्राप्त हुई; और

(छ) इन बीमारियों को और अधिक फैलने से रोकने के लिए सरकार का कौन से कदम उठाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर): (क) से (छ) सरकार को विदित है कि हैपाटाइटिस-बी, एड्स और क्षय रोग जैसे रोगों के उन्मूलन/नियंत्रण करने के लिए किए जा रहे समन्वित प्रयासों के बावजूद ये रोग अभी भी हावी हैं।

हैपाइटाइटिस बी:

हैपाटाइटिस-बी की व्यापकता का सही अनुमान उपलब्ध नहीं है। वर्ष 1998 और 1999 के दौरान वाइरल हैपाटाइटिस के सूचित किए गए रोगियों और इससे हुई मौतों की कुल संख्या को दर्शाने वाले आंकड़े संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं। हैपाटाइटिस-बी के फैलाव को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं:

- सभी रक्त बैंकों में रक्त की अनिवार्य जांच के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
- केन्द्र सरकार के अस्पतालों में कार्यरत अत्यधिक जोखिम वाले कार्मिकों को हैपाटाइटिस-बी से प्रतिरक्षित किया जाता है। राज्य सरकारों को भी ऐसे ही उपाय करने की सलाह दी गई है।
- राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन सुरक्षित यौन क्रिया को बढ़ावा देने और गैर-विसंक्रमित सिरिंजों और सूइयों का इस्तेमाल करने से होने वाले खतरों के बारे में सूचना, शिक्षा एवं संचार अभियान शुरू किए गए हैं।
- राज्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों को प्रत्येक इंजेक्शन के लिए अलग सिरिंज और सूई का इस्तेमाल करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
- दोबारा इस्तेमाल को रोकने के लिए प्रयोग में लाई गई सिरिंजों और सुइयों के निपटान के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

क्षयरोग:

क्षयरोग का नियंत्रण देश के राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम में ध्यान केन्द्रित किए जाने वाला प्रमुख क्षेत्र है। क्षयरोग के सूचित किए गए रोगियों और इससे हुई मौतों की कुल संख्या संलग्न विवरण-II में दी गई है।

राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम 1962 में केन्द्र और राज्यों के बीच 50:50 की लागत हिस्सेदारी के आधार पर कार्यान्वित किया गया था जिसका उद्देश्य यथा संभव अधिक से अधिक रोगियों का पता लगाना और उनका प्रभावी उपचार करना तथा। राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन 447 जिला केन्द्र और 330 वक्ष क्लिनिक स्थापित किए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में क्षयरोगियों को जिला क्षयरोग केन्द्रों के माध्यम से क्षयरोग-रोधी औषधों की आपूर्ति सहित निदान और उपचार की सुविधाएं मुफ्त प्रदान की जाती हैं। भारत सरकार ने नए स्मूटम पाजिटिव रोगियों के कम से कम 85 प्रतिशत को रोग मुक्त करने और ऐसे रोगियों के कम से कम 75 प्रतिशत का पता लगाने के उद्देश्य से एक संशोधित कार्यनीति विकसित की है। इसकी शुरू में 1993 में 23.5 लाख जनसंख्या में प्रायोजित आधार पर जांच की गई थी और इसने उल्लेखनीय सफलता दर्शायी। आज इसके अंतर्गत देश की 26 करोड़ जनसंख्या आती है। और 2002 तक इसके अंतर्गत 50 करोड़ जनसंख्या लाए जाने की प्रत्याशा है। नौवीं पंचवर्षीय योजना में इस कार्यक्रम के लिए कुल अनुमोदित बजटीय आवंटन 450 करोड़ रुपये है। पिछले तीन वर्षों में राज्य-वार रिलीज की गई रकमों और सूचित किए गए व्यय का ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है। यह भी बताया जाता है कि संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय अभिकरणों ने निम्नानुसार वित्तीय सहायता प्रदान करने की सहमति प्रदान की है:

विश्व बैंक	-	604.00 करोड़ रुपये
डेनिडा	-	31.95 करोड़ रुपये
डी.एफ.आई.डी.	-	109.93 करोड़ रुपये

इसके अतिरिक्त विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 1998-99 और 1999-2000 के दो वर्षों में 1.1 मिलियन डालर की सहायता दी है।

एच.आई.वी./एड्स

एड्स जो एक उभरता हुआ रोग है, के नियंत्रण के लिए देश में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का चरण-1 पहले ही पूरा हो गया है और कार्यक्रम का चरण-2 इस समय कुल 1425.10 करोड़ रुपये की लागत से कार्यान्वित किया जा रहा है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार देश में एड्स के पूर्ण रूप से विकसित सूचित किए गए रोगियों की कुल संख्या इस प्रकार हैं:-

1997	-	1984
1998	-	1548
1999	-	3273

एड्स से संबंधित मौतों का कोई भी सही अनुमान अभी तक उपलब्ध नहीं है। राज्य-वार रिलीज की गई कुल निधियां और सूचित किए गए व्यय का ब्यौरा संलग्न विवरण-IV में दिया गया है। विदेशी अभिकरणों और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा चरण-2 में प्रदान की गई निधियां इस प्रकार हैं:-

1. विश्व बैंक	-	959.10 करोड़ रुपए
2. यू.एस.एड	-	166.00 करोड़ रुपये
3. डी.एफ.आई.डी.	-	104.00 करोड़ रुपये

इसके अतिरिक्त विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 1999-2000 के दौरान द्विवर्षीय कार्यकलापों के लिए 130,000 अमरीकी डालर का प्रावधान रखा है।

इस कार्यक्रम के अधीन अपनाई गई प्रमुख कार्यनीतियां इस प्रकार हैं:-

- लक्षित जनसंख्या की पहचान करके और पियर काउंसलिंग प्रदान करके, कंडोम को बढ़ावा देकर, यौन संचारित संक्रमणों का उपचार आदि करके अधिक जोखिम वाले समूहों में एच.आई.वी. के फैलाव को कम करना।
- सूचना, शिक्षा और संचार तथा जागरूकता अभियान चलाकर आम जनसंख्या के लिए निवारक उपाय करना।
- स्वैच्छिक जांच और काउंसलिंग की व्यवस्था करना।
- निरापद रक्ताधान सेवाएं और व्यावसायिक प्रभाव की रोकथाम।
- एच.आई.वी./एड्स से ग्रस्त लोगों के लिए अवसरवादी संक्रमणों का उपचार करने तथा घरेलू और समुदाय आधारित परिचर्या प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।

विवरण-I

वर्ष 1998 और 1999 में वाइरल हैपाटाइटिस के सूचित किए गए रोगियों और मौतों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण (देश के वर्ष 2000 के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं)

क्र.सं.	राज्यों के नाम	1998		1999	
		रोगी	मौतें	रोगी	मौते
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	19309	101	34673	108
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—
3.	असम	15519	4	—	—
4.	बिहार	—	—	—	—
5.	गोवा	157	1	151	0
6.	गुजरात	2928	30	2676	9
7.	हरियाणा	1034	10	—	—

1	2	3	4	5	6
8.	हिमाचल प्रदेश	1606	4	1717	2
9.	जम्मू व कश्मीर	1658	*	5874	2
10	कर्नाटक	6353	72	5897	46
11.	केरल	14983	17	7197	4
12.	मध्य प्रदेश	5291	31	1841	25
13.	महाराष्ट्र	11057	419	29221	297
14.	मणिपुर	1625	1	690	3
15.	मेघालय	498	6	374	5
16.	मिजोरम	243	2	514	6
17.	नागालैंड	435	2	32	0
18.	उड़ीसा	18145	125	—	—
19.	पंजाब	1604	27	—	—
20.	राजस्थान	1152	14	2415	46
21.	सिक्किम	264	0	35	0
22.	तमिलनाडु	528	9	504	18
23.	त्रिपुरा	317	0	122	0
24.	उत्तर प्रदेश	2779	25	1289	31
25.	प. बंगाल	—	—	—	—
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	230	2	247	3
27.	चंडीगढ़	—	—	—	—
28.	दादरा एवं नगर हवेली	76	3	3	0
29.	दमन एवं दीव	124	0	37	0
30.	दिल्ली	2972	30	2081	56
31.	लक्षद्वीप	120	1	319	1
32.	पांडिचेरी	203	1	578	21
	कुल (अखिल भारत)	111230	937	98487	683

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए
आंकड़े अनंतिम हैं

विवरण-II

वर्ष 1998 और 1999 में क्षयरोग के सूचित किए गए रोगियों और मौतों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण (देश के वर्ष 2000 के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं)

क्र.सं.	राज्यों के नाम	1998		1999	
		रोगी	मौतें	रोगी	मौते
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	104896	1214	115088	957
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—
3.	असम	13478	65	—	—
4.	बिहार	—	—	—	—
5.	गोवा	8919	80	7588	53
6.	गुजरात	14119	190	36101	84
7.	हरियाणा	107749	283	29461	194
8.	हिमाचल प्रदेश	17559	245	12732	232
9.	जम्मू व कश्मीर*	@	@	2899	0
10	कर्नाटक	66786	828	63495	907
11.	केरल	39771	120	35987	194
12.	मध्य प्रदेश[$]	53357	138	25631	41
13.	महाराष्ट्र	78772	1105	84215	716
14.	मणिपुर	923	10	2399	28
15.	मेघालय	1940	23	2204	2
16.	मिजोरम	482	7	1000	14
17.	नागालैंड**	1919	1	872	0
18.	उड़ीसा	32567	409	39190	376
19.	पंजाब	134794	72	14912	71
20.	राजस्थान	20610	81	54776	287
21.	सिक्किम	870	43	2100	21
22.	तमिलनाडु	19251	285	60569	358
23.	त्रिपुरा	25	0	0	0
24.	उत्तर प्रदेश	63853	238	58518	250
25.	प. बंगाल	35470	460	37546	960

1	2	3	4	5	6
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	657	18	879	22
27.	चंडीगढ़	—	—	—	—
28.	दादरा एवं नगर हवेली[$$]	723	16	79	1
29.	दमन एवं दीव	1493	3	1328	11
30.	दिल्ली	28086	1084	19680	688
31.	लक्षद्वीप	23	0	84	0
32.	पांडिचेरी	19138	78	18588	69
	कुल (अखिल भारत)	868230	7096	727921	6536

[@]आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।
[#]आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।
[*]केवल कश्मीर प्रभाग।
[$]अक्टूबर, 1998 के आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।
[$$]जुलाई और अगस्त के आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।
[**]अगस्त, 1998 के आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।
आंकड़े अनंतिम हैं और अस्पष्ट कवरेज के कारण तुलनीय नहीं हैं।

विवरण-III

राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम 1998-99, 1999-2000, 2000-2001

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1998-1999		1999-2000		2000-2001
		आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	जारी
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	563.57	534.00	372.12	377.0024	472.22
2.	अरुणाचल प्रदेश	4.66	1.66	24.03	18.36715	52.22
3.	असम	101.67	95.01	216.19	196.847	135.99
4.	बिहार	633.34	369.15	650.90	19.148	273.93
5.	गोवा	2.07	2.07	2.87	2.87	10.70
6.	गुजरात	620.77	241.16	433.53	407.0804	264.01
7.	हरियाणा	63.69	63.69	205.00	118.3501	95.42
8.	हिमाचल प्रदेश	113.46	66.23	111.30	121.2109	109.39
9.	जम्मू व कश्मीर	26.65	26.65	63.12	63.11524	94.03

1	2	3	4	5	6	7
10	कर्नाटक	414.28	240.61	352.97	400.0404	307.92
11.	केरल	447.06	191.13	173.26	161.7459	132.15
12.	मध्य प्रदेश	258.17	234.91	626.64	594.3669	159.41
13.	महाराष्ट्र	573.75	395.65	1047.76	987.6163	1067.07
14.	मणिपुर	27.53	18.20	34.62	29.39109	76.87
15.	मेघालय	5.91	5.91	15.45	15.45213	7.54
16.	मिजोरम	5.31	2.31	10.81	5.15342	4.87
17.	नागालैंड	4.81	1.81	21.45	15.78867	19.32
18.	उड़ीसा	218.52	215.52	267.90	265.7899	221.11
19.	पंजाब	96.11	96.11	64.22	64.22132	70.63
20.	राजस्थान	242.41	183.93	812.06	460.2535	513.36
21.	सिक्किम	4.51	1.51	13.80	8.13521	26.89
22.	तमिलनाडु	469.64	272.10	603.24	407.2595	580.33
23.	त्रिपुरा	8.75	8.75	21.19	21.19037	19.18
24.	उत्तर प्रदेश	793.12	709.14	1346.84	1190.911	370.23
25.	प. बंगाल	707.41	461.76	870.83	519.1913	321.89
26.	दिल्ली	62.69	84.86	299.69	182.73	17.97
27.	पांडिचेरी	1.82	1.82	8.27	2.61	3.35
28.	अंडमान एवं निकोबार	3.82	0.82	6.83	1.17	0.99
29.	चंडीगढ़	5.27	2.27	9.18	3.52	12.95
30.	दादर एवं नगर हवेली	0.44	0.44	0.63	0.63	0.70
31.	दमन एवं दीव	0.32	0.32	0.45	0.45	0.56
32.	लक्षद्वीप	0.16	0.16	0.23	0.23	2.11
	कुल	6481.69	4530.26	8687.37	7251.84	5445.31

टिप्पण: आंकड़े में क्षयरोग सोसायटियों को दिया गया वस्तुगत सहायता अनुदान शामिल है।

विवरण IV

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा निधियों का उपयोग

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1999-2000		2000-01
		जारी किए गए अनुदान	सूचित किया गया व्यय	जारी किए गए अनुदान
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	11219.67	1003.93	223.50
2.	अरुणाचल प्रदेश	159.00	103.07	19.00

1	2	3	4	5
3.	असम	322.00	314.78	194.00
4.	बिहार	55.00	124.03	96.00
5.	गोवा	98.00	67.09	16.50
6.	गुजरात	721.00	673.46	97.00
7.	हरियाणा	270.00	194.29	124.50
8.	हिमाचल प्रदेश	318.00	176.00	108.50
9.	जम्मू व कश्मीर	25.00	—	50.00
10	कर्नाटक	801.67	555.03	203.00
11.	केरल	280.00	301.65	193.00
12.	मध्य प्रदेश	352.31	101.68	310.00
13.	महाराष्ट्र	998.35	1157.80	302.00
14.	मणिपुर	352.38	190.11	205.00
15.	मेघालय	70.14	43.88	17.50
16.	मिजोरम	168.00	170.55	65.00
17.	नागालैंड	380.00	178.70	113.50
18.	उड़ीसा	200.00	34.47	118.50
19.	पंजाब	312.39	173.29	101.50
20.	राजस्थान	150.00	22.09	210.00
21.	सिक्किम	25.00	44.37	23.00
22.	तमिलनाडु	883.09	1763.98	367.00
23.	त्रिपुरा	50.00	37.62	40.00
24.	उत्तर प्रदेश	851.00	343.77	450.00
25.	प. बंगाल	425.00	621.80	292.50
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	283.00	369.54	150.00
27.	चंडीगढ़	25.00	35.78	21.50
28.	दादरा एवं नगर हवेली	50.00	121.91	42.50
29.	दमन एवं दीव	115.00	122.02	63.00
30.	दिल्ली	25.00	—	9.00
31.	लक्षद्वीप	95.00	26.02	9.00

1	2	3	4	5
32.	पांडिचेरी	25.00	1.04	8.50
33.	एम.डी.ए.सी.एस., मुम्बई	670.00	728.92	297.00
34.	अहमदाबाद, एम.सी	75.00	38.89	28.50
35.	चेन्नई, एम.सी.	125.00	15.66	39.50
	कुल	10975.00	9857.22	4609.00

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

***148. श्री पी.आर. खुंटे:**
श्री विलास मुत्तेमवार:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(ख) देश में कितने गांवों में स्वास्थ्य केन्द्र खोले गए हैं और उनमें से कितने कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को मूलभूत चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने हेतु आवंटित की जा रही धनराशि कभी भी गांवों तक नहीं पहुंचती है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार देश में बड़ी संख्या में स्वास्थ्य केन्द्रों की ऐसी दुर्दशा है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और देश में गरीब लोगों को नि:शुल्क वितरण हेतु औषधियों की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के कार्यकरण में सुधार लाने हेतु पर्याप्त संख्या में चिकित्सकों की तैनाती के लिए और अधिक मात्रा में अनुदान राशि देने के लिए क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर): (क) देश में 22975 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कार्यकर रहे हैं। औसतन एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 25 गांवों को कवर करता है। प्रत्येक 4-5 गांवों के लिए एक स्वास्थ्य उप-केन्द्र होता है।

(ख) और (ग) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना और रखरखाव राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। राज्य सरकारें प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को मूलभूत सुविधाओं की प्रदानगी के लिए निधियां प्रदान करती हैं। केन्द्र सरकार प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम और 2000-2001 में शुरू की गई प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना स्कीम के अन्तर्गत इन प्रयासों में सहयोग देने के लिए राज्य सरकारों के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को अतिरिक्त निधियां प्रदान करती है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर उपचारात्मक, निवारक और संवर्धनात्मक सेवाएं प्रदान की जाती हैं जबकि ग्रामीण स्तरीय परिचर्या उप केन्द्रों और सहायक नर्स धात्रियों के माध्यम से प्रदान की जाती है।

(घ) 199 जिलों में 398 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को कवर करते हुए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के बहुकेन्द्रिक अध्ययन से स्वास्थ्य केन्द्रों में महिला परा चिकित्सकों की कमी, जिनकी उपलब्धता असमान है, अनिवार्य औषधों की कमी और प्रसव कक्षों के घटिया रूप में सज्जित होने का पता चला।

(ङ) राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000 में मूल प्रजनन और बाल स्वास्थ्य परिचर्या के लिए स्वास्थ्य परिचर्या अवसंरचना, स्वास्थ्य कार्मिक और एकीकृत सेवा प्रदानगी के प्रावधान का इस नीति के तात्कालिक उद्देश्य के रूप में उल्लेख किया गया है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000 में प्रतिपादित कार्य योजना और प्रचालनात्मक कार्यनीति संबंधी प्रमुख बिन्दु विवरण के रूप में संलग्न हैं।

केन्द्र सरकार ने अनेक उपाय शुरू किए हैं जो इस प्रकार हैं:-

- नियमित पहुंच (आउटरीच) और कवरेज सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संवेदनहारकों और विशेषज्ञों की संविदात्मक नियुक्तियों के लिए राज्य सरकारों को अधिकार दिए गए हैं।
- अतिरिक्त सहायक नर्सों/धात्रियों (मिडवाइफों) की संविदा आधार पर नियुक्ति को सरल बनाया गया है।

- यह सुनिश्चित किया गया है कि छोटे सिविल कार्यों सहित अवसंरचना के गंभीर अंतरालों को एरिया परियोजनाओं और विशेष स्कीमों के माध्यम से पाटा जाए।
- अनिवार्य प्रसूति परिचर्या और आपाती प्रसूति परिचर्या के लिए औषध किटें और उपस्कर किटें प्रदान की गई हैं।
- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर अनिवार्य नवजात परिचर्या पर ध्यान केन्द्रित करना शुरू किया गया है।
- आपाती प्रसूति परिचर्या के लिए गर्भवती महिलाओं के लिए इस उद्देश्य के लिए स्पष्ट संयोजन (लिंकेजिज) सहित रैफरल परिवहन की और अधिक व्यवस्था की गई है।
- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के स्टाफ को मानदेय के साथ कुछ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चौबीसों घंटों की प्रसूती (डिलीवरी) सेवाएं।

इसके अतिरिक्त, 2000-2001 के दौरान केन्द्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अंतर्गत उप-केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को स्वास्थ्य अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण, मरम्मत और रख-रखाव औषधों और उपभोज्यों की व्यवस्था और आकस्मिक व्यय के लिए राज्यों को 375 करोड़ रुपयें का अतिरिक्त केन्द्रीय आबंटन किया है।

14 राज्यों में एरिया परियोजनाएं अवसंरचना सुविधाओं, प्रशिक्षण सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण और वस्तुओं, उपस्करों, औषधों और फर्नीचरों के प्रापण की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं।

विवरण

राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000

राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000 में प्रतिपादित कार्य योजना और प्रचालनात्मक कार्यनीति—मुख्य बातें:

1. ग्रामीण स्तरों पर सेवा प्रदानगी को एक स्थान पर उपलब्ध करना।
2. बेहतर स्वास्थ्य और पोषण के लिए महिलाओं को शक्ति संपन्न बनाना।
3. प्रसूति और नवजातों की जटिलताओं के प्रबंधन में जिला स्वास्थ्य कार्यालय, जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और उप-केन्द्रों के बीच रैफरल नेटवर्क को सुदृढ़ करना।
4. व्यापक आपाती प्रसूति और नवजात परिचर्या प्रदान करने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सुदृढ़ करना।
5. मूलभूत आपाती और प्रसूति और नवजात परिचर्या प्रदान करने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की क्षमता को सुदृढ़ करना।
6. मातृ और बाल स्वास्थ्य प्रदायकों की तकनीकी दक्षताओं को सुधारना।
7. सुरक्षित गर्भपात परिचर्या के लिए सुविधाओं को बढ़ाना और सुधारना।
8. प्रथम रैफरल यूनिटों के रूप में कार्य करने के लिए उप-जिला स्तर और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर प्रसूति अस्पतालों को विकसित करना।
9. सभी वैक्सीन निवार्य रोगों के लिए 100% नेमी प्रतिरक्षण सुनिश्चित करना।
10. पोलियों के उन्मूलन के लिए पल्स पोलियों अभियान को जारी रखना।
11. गैर-सरकारी क्षेत्र और उद्योग की प्रतिबद्धता के साथ सहयोग करना।
12. वृद्ध जनसंख्या के लिए प्रावधान करना।
13. सूचना, शिक्षा और संचार में सुधार करना।

[अनुवाद]

तम्बाकू एक हानिकारक जानलेवा उत्पाद

***149. श्रीमती श्यामा सिंह:**
श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि तम्बाकू देश में अत्यधिक हानिकारक और जानलेवा उत्पादों में से एक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तम्बाकू के उपयोग के कारण कितने लोगों की मृत्यु हुई;

(ग) क्या महिलाओं और बच्चों में तम्बाकू का उपभोग बढ़ रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनका प्रतिशत कितना है; और

(ङ) देश में तम्बाकू के उपयोग पर रोक लगाने के लिए कौन-कौन से ठोस कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर): (क) से (ङ) तम्बाकू से होने वाली मौतों को प्रदर्शित करने वाला कोई प्रतिनिधिक सांख्यिकीय अनुमान उपलब्ध नहीं है। तथापि, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने तम्बाकू के सेवन करने वालों और सेवन नहीं करने वालों में मृत्यु दरों की गणना करने हेतु भारत में समुदाय आधारित कुछ सर्वेक्षण कराए हैं।

तम्बाकू-सेवन से संबंधित राष्ट्रव्यापी सूचना राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा वर्ष 1987-88 और 1993-94 में कराए गए दो सर्वेक्षणों से उपलब्ध है। देश में विभिन्न वायु वर्गों में तम्बाकू का सेवन कुल मिलाकर कोई महत्वपूर्ण बदलाव को इंगित नहीं करता है।

सरकार ने लोगों को तम्बाकू सेवन के प्रति निरुत्साहित करने के लिए अपने प्रयास पहले ही तेज कर दिए हैं। प्रशासनिक अनुदेशों के अंतर्गत, भारत सरकार के नियंत्रणाधीन अस्पतालों, औषधालयों और अन्य स्वास्थ्य परिचर्या प्रतिष्ठानों, शैक्षिक संस्थाओं, सम्मेलन कक्षों, देशी हवाई उड़ानों रेलगाड़ियों के वातानुकूलित कोचों, उप-शहरी रेलगाड़ियों और वातानुकूलित बसों में धूम्रपान प्रतिबंधित है। इसके अतिरिक्त, तम्बाकू के सेवन को निरुत्साहित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:-

(1) सिगरेट (उत्पादन, आपूर्ति और वितरण विनियमन) अधिनियम, 1975 के अनुसार, सभी कार्टूनों/पैकेटों पर स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी अंकित करना अनिवार्य है;

(2) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1955 के अंतर्गत यह चेतावनी "तम्बाकू चबाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है" चबाने वाले तम्बाकू उत्पादों पर अंकित करना अनिवार्य है।

(3) दूरदर्शन और आकाशवाणी पर तम्बाकू या तम्बाकू संबंधी उत्पादों के बारे में सीधा विज्ञापन प्रतिबंधित है। सरकार ने केबल दूरदर्शन विनियमन अधिनियम बनाया है जो अन्य बातों के साथ-साथ केबल दूरदर्शन विनियमन बनाया है जो अन्य बातों के साथ-साथ केवल दूरदर्शन पर भी तम्बाकू संबंधी विज्ञापनों को प्रतिबंधित करता है;

(4) सरकार ने राज्य सरकारों को गुटखा सहित चबाने वाले तम्बाकू वाले तम्बाकू उत्पादों के सेवन को निरुत्साहित करने की सलाह दी है, उन्हें यह सुनिश्चित करने की भी सलाह दी गई है कि शैक्षिक संस्थानों के आस-पास तम्बाकू उत्पाद नहीं बेचे जाएं;

(5) इलैक्ट्रानिक मीडिया के प्रयोग के जरिए तम्बाकू सेवन के बुरे प्रभावों के बारे में स्वास्थ्य शिक्षा को भी तेज कर दिया गया है।

सरकार तम्बाकू के सेवन को निरुत्साहित करने हेतु कानून बनाने का विचार कर रही है तथापि, इसको बनाने के लिए इस समय कोई निश्चित समय सीमा नहीं दी जा सकती।

बाढ़ नियंत्रण

***150. श्री चाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी:**
श्री नवल किशोर राय:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान आंध्र प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर बाढ़ के कारण जान-माल और फसलों की भारी क्षति हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा भीषण बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ग) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान आज तक बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए प्रत्येक राज्य को कितनी राशि आवंटित की गई है और कितनी राशि जारी की गई है;

(ङ) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार इस स्थिति के निपटने के लिए कोई स्थायी निकाय गठित करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन सेठी): (क) से (च) जी, हां। वर्ष 2000 के मानसून के दौरान आंध्र प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, गुजरात और उत्तर प्रदेश राज्यों में बाढ़ों के कारण नुकसान हुआ है। वर्ष 2000 के मानसून के दौरान बाढ़ से होने वाले नुकसान का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने आकलन किया है कि भारत में 40 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र बाढ़ों की संभावना वाला क्षेत्र है। बाढ़ों

की संभावना वाले क्षेत्रों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। प्रत्येक वर्ष बाढ़ों से प्रभावित होने वाले क्षेत्र का लेखा-जोखा संबंधित राज्य द्वारा रखा जाता है। वर्ष 2000 के मानसून के दौरान बाढ़ों से प्रभावित क्षेत्र का राज्यवार ब्यौरा उपरोक्त विवरण-I में दिया जा चुका है।

बाढ़ प्रबन्धन कार्य राज्य का विषय है। योजना आयोग द्वारा राज्य योजना निधि के तहत राज्यों को निधियों का आबंटन बाढ़ नियंत्रण उपक्षेत्र के लिए ब्लॉक ऋणों और अनुदानों के रूप में किया जाता है। वर्ष 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के दौरान प्रत्येक बाढ़ प्रभावित राज्य के लिए राज्य योजना के बाढ़ नियंत्रण उप क्षेत्र के तहत अनुमोदित परिव्यय संलग्न विवरण-III में दिए गए हैं। केन्द्र सरकार विशिष्ट स्कीमों के लिए भी राज्यों को केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराती है। जल संसाधन मंत्रालय द्वारा पिछले 3 वर्षों के दौरान बाढ़ प्रभावित असम, बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों को मुहैया कराई गई वित्तीय सहायता संलग्न विवरण-IV में दी गई है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न राज्यों को राष्ट्रीय आपदा राहत कोष (एन.एफ.सी.आर.) और आपदा राहत कोष (सी.आर.एफ.) से भी सहायता मुहैया कराई जाती है। पिछले 3 वर्षों के दौरान राज्यों को दी गई एन.एफ.सी.आर. और सी.आर.एफ. का ब्यौरा संलग्न विवरण-V और VI पर दिया गया है।

भारत सरकार ने गंगा बेसिन में बाढ़ प्रबन्धन के लिए विस्तृत मास्टर योजनाएं तैयार करने के वास्ते वर्ष 1972 में गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग की स्थापना की है। गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग द्वारा तैयार की गई मास्टर योजनाएं कार्यान्वयन के लिए संबंधित गंगा बेसिन राज्यों को भेजी गई हैं। इसी प्रकार ब्रह्मपुत्र, बराक और उनकी सहायक नदियों के लिए मास्टर योजनाएं तैयार करने के वास्ते भारत सरकार ने वर्ष 1980 में ब्रह्मपुत्र बोर्ड की स्थापना की है। ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा तैयार की गई मास्टर योजनाओं को कार्यान्वयन के लिए सभी बेसिन राज्यों को भेजा गया है। भारत सरकार, बाढ़ प्रबन्धन के लिए किसी अन्य "निकाय" के गठन पर विचार नहीं कर रही है।

विवरण-I

वर्ष 2000 (8.11.2000 तक) बाढ़ों/भारी वर्षा के कारण होने वाली क्षतियों को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	प्रभावित क्षेत्र मिलियन हेक्टेयर में	प्रभावित जनसंख्या मिलियन में	फसलों को क्षति		घरों की क्षति		मृत मवेशियों की संख्या	मृतकों की संख्या	सार्वजनिक सम्पत्ति को क्षति	फसलों, घरों और सार्वजनिक संपत्ति की कुल क्षति रु. करोड़ में (का. 6+8+11)
				क्षेत्र मिलियन हेक्टेयर में	मूल्य करोड़ रुपये में	संख्या	मूल्य करोड़ रुपये में				
1.	आंध्र प्रदेश	0.178	0.098	0.178	15.480	35677	110.000	5368	131	776.750	902.230
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.005	0.025	0.003	—	1500	—	10000	15	105.990	105.990
3.	असम										
	पहली बाढ़	—	0.062	—	—	—	—	—	1	—	—
	दूसरी बाढ़	0.301	0.960	0.055	—	—	—	—	13	—	—
	तीसरी बाढ़	0.443	3.579	0.224	—	—	—	—	32	—	—
4.	बिहार	0.700	7.972	0.392	222.807	312298	167.699	1861	274	34.098	424.604
5.	गुजरात	—	0.2408	—	—	23844	2.642	406	116	--	2.642
6.	हिमाचल प्रदेश	0.016	0.611	0.012	34.87	722	4.646	593	41	66.359	105.875
7.	पंजाब	0.011	—	0.011	—	55	0.21	1	7	—	0.210
8.	उत्तर प्रदेश	0.784	6.386	0.472	—	40666	—	997	453	—	—
9.	पश्चिम बंगाल	2.376	22.1	1.511	3886	1887000	361	305000	1293 (159 लापता)	840	5067.00

विवरण-II

देश में बाढ़ के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र

(क्षेत्र लाख हेक्टेयर)

क्र.सं.	राज्य	बाढ़ के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	13.9
2.	असम	31.5
3.	बिहार	42.6
4.	गुजरात	13.9
5.	हरियाणा	23.5
6.	हिमाचल प्रदेश	2.3
7.	जम्मू व कश्मीर	0.8
8.	कर्नाटक	0.2
9.	केरल	8.7
10.	मध्य प्रदेश	2.6
11.	महाराष्ट्र	2.3
12.	मणिपुर	0.8
13.	मेघालय	0.2
14.	उड़ीसा	14.0
15.	पंजाब	37.0
16.	राजस्थान	32.6
17.	तमिलनाडु	4.5
18.	त्रिपुरा	3.3
19.	उत्तर प्रदेश	73.36
20.	पश्चिम बंगाल	26.5
21.	दिल्ली	0.5
22.	पांडिचेरी	0.1
	कुल	335.16
		(अर्थात 34 मिलियन हेक्टेयर)

वर्ष 1953-78 की अवधि के लिए राज्यों से आंकड़ों के अनुसार बाढ़ प्रवण क्षेत्र - 34 मिलियन हेक्टेयर

तब (1978) तक सुरक्षित क्षेत्र - 10 मिलयन हेक्टेयर

कुल: 44 मिलयिन हेक्टेयर

सुरक्षा कार्यों की असफलता के कारण क्षेत्र में बाढ़ आई जिससे सूचित बाढ़ग्रस्त क्षेत्र (परिकल्पित) में वृद्धि हुई (-) - 4 मिलियन हेक्टेयर

देश में कुल बाढ़ प्रवण क्षेत्र - 40 मिलियन हेक्टेयर

विवरण-III

बाढ़ नियंत्रण उप-क्षेत्र में अनुमोदित योजना परिव्यय और व्यय दर्शाते हुए विवरण

(करोड़ रु.)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	अनुमोदित परिव्यय 1997-98	1997-98 के दौरान व्यय	अनुमोदित परिव्यय 1998-99	1998-99 के दौरान व्यय	अनुमोदित परिव्यय 1999-2000
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	17.00	17.85	49.00	49.00	42.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	4.48	3.76	4.61	4.16	4.25

1	2	3	4	5	6	7
3.	असम	19.92	16.24	20.27	20.27	27.57
4.	बिहार	40.00	42.34	63.00	43.00	110.00
5.	गोवा	0.84	0.94	0.60	1.16	0.85
6.	गुजरात	5.00	4.00	5.00	5.00	5.00
7.	हरियाणा	12.10	20-.71	23.40	20.00	20.00
8.	हिमाचल प्रदेश	3.90	3.65	5.74	5.88	8.12
9.	जम्मू और कश्मीर	15.90	17.61	26.51	26.12	31.10
10.	कर्नाटक	7.48	10.31	7.00	7.00	6.90
11.	केरल	25.50	22.13	24.00	24.00	24.00
12.	मध्य प्रदेश	1.00	0.72	1.00	1.00	1.01
13.	महाराष्ट्र	6.37	0.98	1.16	1.16	0.99
14.	मणिपुर	6.00	6.84	5.10	5.10	7.00
15.	मेघालय	2.00	1.50	3.00	2.00	3.00
16.	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	शून्य
17.	नागालैंड	0.20	0.20	0.09	0.09	4.50*
18.	उड़ीसा	5.00	18.31	15.00	15.00	12.63
19.	पंजाब	70.00	51.05	182.84	184.84	105.39
20.	राजस्थान	7.82	12.34	4.93	4.53	3.55
21.	सिक्किम	2.34	1.09	0.50	0.02	0.02
22.	तमिलनाडु	2.03	0.00	0.80	0.80	17.77
23.	त्रिपुरा	4.64	4.64	3.21	3.24	5.85
24.	उत्तर प्रदेश	18.15	14.40	20.00	45.90	23.53
25.	पश्चिम बंगाल	70.23	62.32	145.90	82.22	165.30
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	—	—	0.00	0.00	0.00
27.	दादर व नगर हवेली	—	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	चण्डीगढ़	—	0.00	0.00	0.00	0.00
29.	दिल्ली	17.96	10.02	24.00	15.81	20.00
30.	दमन व दीव	—	0.40	0.28	0.28	0.18
31.	लक्षद्वीप	—	3.69	2.63	0.00	3.05
32.	पांडिचेरी	—	3.83	3.00	3.00	4.00

*इसमें वृहद, मध्यम और लघु सिंचाई तथा कमान क्षेत्र विकास भी शामिल हैं।

विवरण-IV

बाढ़ प्रबंधन से संबंधित कार्यों पर विगत तीन वर्षों के दौरान असम, बिहार और उत्तर प्रदेश को उपलब्ध कराई गयी केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा

(रुपये करोड़ में)

असम

1997-98	–	18.00
1998-99	–	18.00
1999-2000	–	15.00

बिहार

1997-98	–	3.25
1998-99	–	3.33
1999-2000	–	5.18

उत्तर प्रदेश

1997-98	–	शून्य
1998-99	–	0.44
1999-2000	–	0.46

इसके अतिरिक्त वर्ष 1997-98, 98-99 और 1999-2000 के दौरान प्रत्येक वर्ष के लिए सीमा क्षेत्र में प्रति सुरक्षा कार्यों को करने के लिए सीमावर्ती पूर्वोत्तर राज्यों और पंजाब राज्य को 1.5 करोड़ रुपये की दर से निधियां जारी की गई।

विवरण-V

पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यों को राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से जारी की गई राशियों की स्थिति

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	1997-98	1998-99	1999-2000
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	4200.00	2650.00	7536.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	1347.00	0.00
3.	असम	0.00	5990.00	0.00
4.	बिहार	1000.00	1145.00	3818.00
5.	गुजरात	8690.00	5535.00	5458.00
6.	हरियाणा	0.00	1327.00	0.00
7.	हिमाचल प्रदेश	2480.00	0.00	0.00
8.	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	7342.00
9.	कर्नाटक	2200.00	3998.00	1709.00
10.	केरल	1291.00	0.00	0.00
11.	मध्य प्रदेश	6776.00	3500.00	3886.00
12.	मणिपुर	0.00	0.00	493.00
13.	मेघालय	0.00	0.00	0.00
14.	मिजोरम	0.00	0.00	600.00
15.	उड़ीसा	400.00	0.00	82815.00

1	2	3	4	5
16.	पंजाब	0.00	0.00	0.00
17.	राजस्थान	0.00	2198.00	10293.00
18.	सिक्किम	700.00	767.00	0.00
19.	तमिलनाडु	0.00	0.00	0.00
20.	त्रिपुरा	0.00	505.00	534.00
21.	उत्तर प्रदेश	0.00	13115.00	1668.00
22.	पश्चिम बंगाल	0.00	6633.00	2952.00

विवरण-VI

पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यों को आपदा राहत कोष से जारी की गई राशियों की स्थिति (केन्द्र का हिस्सा)

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	1997-98	1998-99	1999-2000	चालू वर्ष
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	9829	10330	10769	14854
2.	अरुणाचल प्रदेश	557	586	610	439.82
3.	असम	3958	4160	4337	1566.47
4.	बिहार	4112	4322	45054	—
5.	गोवा	85	89	93	33.58
6.	गुजरात	11048	11612	12105	13113.51
7.	हरियाणा	1983	2084	2173	1568.64
8.	हिमाचल प्रदेश	2133	2242	2337	843.9
9.	जम्मू और कश्मीर	1559	1639	1709	1309
10.	कर्नाटक	3312	3481	3629	1310.81
11.	केरल	4385	4608	4804	1734.39
12.	मध्य प्रदेश	4042	4249	4429	3197.94
13.	महाराष्ट्र	5398	5673	5914	—
14.	मणिपुर	196	206	215	156
15.	मेघालय	221	232	243	175.5
16.	मिजोरम	100	105	110	111.5

1	2	3	4	5	6
17.	नागालैंड	135	141	147	53.08
18.	उड़ीसा	3879	4077	4250	4105
19.	पंजाब	4286	4504	4698	1695.39
20.	राजस्थान	14170	14892	15525	16818.45
21.	सिक्किम	373	392	408	294.66
22.	तमिलनाडु	4697	4937	5147	3849
23.	त्रिपुरा	356	374	390	140.83
24.	उत्तर प्रदेश	9902	10407	10850	3918.35
25.	पश्चिम बंगाल	4062	4269	4450	7583.00

[हिन्दी]

मादा भ्रूण हत्या

***151. श्री रामशेठ ठाकुर:**
श्री रघुराज सिंह शाक्य:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश में मादा भ्रूण हत्या की बहुत बड़ी संख्या में घटनाओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान मादा भ्रूण हत्या के कितने मामलों की राज्य-वार जानकारी दी गई;

(ग) क्या ऐसे मामलों का मुख्यत: प्राइवेट और गैर-मान्यता प्राप्त अस्पतालों में पता चला है;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस घिनौनी प्रथा को रोकने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में बालक और बालिकाओं के बीच भेदभाव को दूर करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर): (क) और (ख) मादा भ्रूण हत्या के बारे में अलग से कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। वर्ष 1997, 1998, 1999 के दौरान मादा भ्रूण हत्या के सूचित मामले का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) हरियाणा और तमिलनाडु से प्रसव-पूर्व नैदानिक (विनियमन और दुरूपयोग निवारण) अधिनियम, 1994 के उल्लंघन के केवल कुछेक मामलों की सूचना प्राप्त हुई है। जिससे उपचर्या गृह/क्लिनिक संबद्ध पाए गए हैं। हरियाणा सरकार ने वर्ष 1998 में सूचित किया कि जाखल (फतेहबाद) और मोहिन्दरगढ़ से मादा भ्रूण हत्या से संबंधित दो शिकायतें प्राप्त हुई। जांच करवाई गई लेकिन साक्ष्य की कमी के कारण उल्लंघन कर्त्ताओं के विरुद्ध आरोप सिद्ध नहीं हो सके। तमिलनाडु में धर्मपुरी में एक डाक्टर के विरुद्ध वर्ष 1998 में कानूनी कार्रवाई की गई है जिसने एक गर्भवती मां में प्रसव पूर्व लिंग् निर्धारित कर दिया था।

मादा भ्रूण हत्या को रोकने हेतु सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

(1) देश में आधुनिक प्रसव-पूर्व नैदानिक तकनीकों के दुरूपयोग, जिसमें प्राय: मादा भ्रूण की पहचान करके उसका चयनात्मक रूप से गर्भपात कराया जाता है, को विनियमित करने और इसकी रोकथाम के उद्देश्य से प्रसव-पूर्व नैदानिक तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग निवारण) अधिनियम, 1994 (पी एन डी टी) बनाया गया है जो 1.1.1996 से प्रभावी है। इस अधिनियम के अंतर्गत प्रसव-पूर्व नैदानिक तकनीक, आनुवंशिक परामर्श केवल इस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत जैनेटिक (आनुवंशिक) क्लिनिकों, जैनेटिक (आनुवंशिक) प्रयोगशालाओं और जैनेटिक (आनुवंशिक) परामर्श केन्द्रों द्वारा ही प्रदान किए जा सकते हैं। ऐसी तकनीकों के उपयोग की अनुमति सिर्फ असमान्यताओं का पता करने

हेतु है और इसमें भी अधिनियम में विनिर्दिष्ट शर्तों में से एक शर्त को पूरा करना होता है। भ्रूण का लिंग बताना प्रतिबंधित है। कानून के उल्लंघन के लिए दण्ड निर्धारित किए गए हैं।

(2) अधिनियम के अंतर्गत सभी राज्यों में राज्य सरकारों द्वारा उपयुक्त प्राधिकरण गठित किए गए हैं।

(3) पश्चिम बंगाल और बिहार को छोड़कर सभी राज्यों में उपयुक्त प्राधिकरण को सहायता और सलाह देने के लिए परामर्शदायी समितियां गठित की गई हैं। अधिनियम के कार्यान्वयन का काम संबंधित राज्य/संघ राज्य सरकार/ प्रशासन के जिम्मे है।

(4) अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु समय-समय पर सरकार का मार्गदर्शन करने के लिए प्रसव-पूर्व नैदानिक तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग निवारण) अधिनियम के अंतर्गत एक केन्द्रीय पर्यवेक्षी बोर्ड (सी.एस.बी.) गठित किया गया है

(5) राज्यों में गहन सूचना, शिक्षा एवं संचार कार्यकलापों के जरिए प्रसव पूर्व नैदानिक (विनियमन और दुरुपयोग निवारण) अधिनियम के प्रावधानों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए कार्यक्रम चलाए गए हैं।

(6) सरकार ने डाक्टरों/नर्सिंग होमों/क्लिनिकों और जन सामान्य में अधिनियम के बारे में जागरूकता पैदा करने के काम में गैर-सरकारी संगठनों/स्वैच्छिक संगठनों को शामिल किया है।

(7) बालिका की जीवन रक्षा और परिचर्या को बढ़ावा देने के लिए बालिका समृद्धि योजना कार्यान्वित की जा रही है जिसके अंतर्गत जन्म क्रम 1 या 2 पर बालिका के जन्म के लिए नकद पुरस्कार दिया जाता है।

(ङ) प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत लिंग भेद को कम करने और लिंग समानता लाने के लिए क्रियाकलाप चलाने हेतु गैर-सरकारी संगठनों को शामिल किया जा रहा है।

विवरण

वर्ष 1997-1999 के दौरान भ्रूण हत्या की घटना*

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1997	1998	1999
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	0	0	9
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	2
3.	असम	0	0	5
4.	बिहार	5	5	3
5.	गोवा	0	0	0
6.	गुजरात	2	0	0
7.	हरियाणा	0	0	2
8.	हिमाचल प्रदेश	1	0	0
9.	जम्मू और कश्मीर	1	2	0
10.	कर्नाटक	1	2	1
11.	केरल	2	1	0
12.	मध्य प्रदेश	20	8	6
13.	महाराष्ट्र	7	4	10

1	2	3	4	5
14.	मणिपुर	0	0	0
15.	मेघालय	0	0	0
16.	मिजोरम	0	0	0
17.	नागालैंड	0	0	0
18.	उड़ीसा	1	0	1
19.	पंजाब	0	0	4
20.	राजस्थान	2	0	0
21.	सिक्किम	0	0	2
22.	तमिलनाडु	0	0	0
23.	त्रिपुरा	0	0	0
24.	उत्तर प्रदेश	0	0	0
25.	पश्चिम बंगाल	0	0	0
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0	0	0
27.	चण्डीगढ़	0	0	0
28.	दादर व नगर हवेली	0	0	0
29.	दमन व दीव	0	0	0
30.	दिल्ली	4	0	1
31.	लक्षद्वीप	0	0	0
32.	पांडिचेरी	0	0	0

*जैसा कि राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो द्वारा एकत्र किया गया।

[अनुवाद]

विश्व विकास रिपोर्ट, 2000-2001

***152. श्री शिवाजी माने:**
श्री राम मोहन गाड्डे:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व विकास रिपोर्ट, 2000-2001 के अनुसार आर्थिक विकास के बावजूद भारत में विशेषत: ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले दशक के दौरान निर्धनता उन्मूलन की गति धीमी रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) और (ख) सितम्बर, 2000 में विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित गरीबी पर प्रहार करने वाली विश्व विकास रिपोर्ट 2000/2001 में कहा गया है कि "भारत के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (एन.एस.एस.) के नवीनतम आंकड़े सुझाते हैं कि गरीबी

में कमी आने की गति 1990 के दशक के दौरान, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, और भी धीमी हुई। राष्ट्रीय लेखे (एन.ए.एस.) के अनुसार ऐसा सुदृढ़ आर्थिक विकास (1990-98 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद विकास दर प्रतिवर्ष 6.1 प्रतिशत रही) के कारण हुआ''। हालांकि, उपभोग आंकड़ों के संबंध में यह कहा गया है कि ''परन्तु एन.एस.एस. एवं एन.ए.एस. आंकड़ों की तुलना करना एक जटिल मामला है जिसमें कवरेज में भिन्नताएं, एन.एस.एस. में प्रत्यावाहन पूर्वाग्रह, मूल्य आरोपण (उदाहरण के लिए, घर में उत्पादित चीजों का उपभोक्ता तथा एन.एस.एस. में वस्तु रूप में मजदूरी तथा एन.ए.एस. में गैर-विपणित उत्पादन केन्द्र), दोनों में सैम्पलिंग व नॉन-सैम्पलिंग त्रुटियां शामिल हैं'' इसके अलावा यह उल्लेख किया गया है कि ''यह भी प्रमाण है कि 1990 के दशक के पूर्व भाग में ग्रामीण गरीबी में देखे गए रुझान, ग्रामीण क्षेत्रों के अपर्याप्त मूल्य अपस्फीतिकारकों का प्रयोग करने के कारण हो सकते हैं।'' अंत में यह कहा गया है कि ''यह युक्तियुक्त है कि एन.एस.एस. आधारित गरीबी के आंकड़ों के द्वारा भारत में गरीबी में कमी की दर को कम करके आंका गया है।'' (बॉक्स 1.8, 1990 के दौरान भारत में गरीबी की पड़ताल, पृष्ठ-26)।

(ग) योजना आयोग राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर गरीबी के अनुमान लगभग 5 वर्ष के अंतराल में कराए जाने वाले राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एन.एस.एस.ओ.) के उपभोक्ता व्यय संबंधी वृहत् प्रतिदर्श सर्वेक्षणों से लगता है। गरीबी के नवीनतम अनुमान वर्ष 1993-94 के लिए उपलब्ध है जो उपभोक्ता व्यय संबंधी राष्ट्रीय प्रतिदर्श के 50वें दौर के आंकड़ों पर आधारित है। जुलाई, 1999 से जून, 2000 तक की अवधि के दौरान उपभोक्ता व्यय संबंधी करवाए गए अगले वृहत् सर्वेक्षण के पूर्ण आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं। इसलिए 1990 के दशक के दौरान की गरीबी के अनुमान केवल वर्ष 1993-94 के ही उपलब्ध हैं। अत: 1990 के दशक के दौरान गरीबी की स्थिति में हुए परिवर्तन का आकलन करना संभव नहीं है। तथापि, दो नवीनतम अनुमानों 1987-88 और 1993-94 की तुलना करने पर यह पाया गया है कि गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों का प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में 1.82 प्रतिशतांक तथा शहरी क्षेत्रों में 5.84 प्रतिशतांक तक गिरा और पूरे देश के लिए इसके प्रतिशत में 2.89 अंकों तक की गिरावट आई।

(घ) गरीबी उन्मूलन संबंधी कार्यनीति में, रोजगार गहन क्षेत्रकों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए आर्थिक विकास को त्वरित करना, लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए न्यूनतम बुनियादी सेवाओं तक पहुंच तथा लक्षित गरीबीरोधी कार्यक्रमों के रूप में राज्य का सीधा हस्तक्षेप शामिल है। गरीबीरोधी कार्यक्रम विकास के प्रयासों के पूरक के रूप में काम करते हैं। तथा गरीबों को अभावग्रस्तता, रोजगार एवं आय में तेजी से आने वाले उतार-चढ़ावों तथा सामाजिक असुरक्षा से बचाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार एवं मजदूरी रोजगार, दोनों के सृजन के लिए विशेष रूप से अभिकल्पित गरीबीरोधी कार्यक्रमों को उनकी क्षमता/गरीबों पर उनके प्रभाव में सुधार लाने एवं उनकी अनुकूलता में सुधार लाने के लिए 1999-2000 में उन्हें पुन: अभिकल्पित एवं संरचित किया गया है। शहरी क्षेत्रों में भी स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत स्व: एवं मजदूरी रोजगार स्कीमों को 1.12.1997 से पुन: संरचित किया गया। कार्यक्रमों की क्षमता में सुधार लाने के उद्देश्य से पंचायती राज संस्थाओं (पी.आर.डी.), स्वयंसेवी एवं प्रयोगकर्ता समूहों तथा गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के माध्यम से कार्यक्रमों की आयोजना एवं कार्यान्वयन में लोगों की भागीदारी काफी अधिक है।

[हिन्दी]

लघु उद्योगों का पुनर्वास

***153. प्रो. दुखा भगत: क्या लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) लघु क्षेत्र में अब तक कुल कितना निवेश किया गया है और इन उद्योगों में से कितने प्रतिशत उद्योग रुग्ण हैं;

(ख) क्या वर्ष 1999 के दौरान रुग्ण लघु उद्योगों के प्रतिशत में वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) ऐसे लघु उद्योगों के पुनर्वास हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) से (ग) वर्ष 1999-2000 के दौरान लघु उद्योग क्षेत्र में निवेश अनुमानत: 82745 करोड़ रु. है। लघु उद्योगों (एस.एस.आई.) में रुग्णता संबंधी आंकड़े रखे नहीं जाते क्योंकि लघु उद्योगों का पंजीकरण स्वैच्छिक है। तथापि

भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई) रुग्ण लघु इकाइयों पर आंकड़े एकत्रित करता है जिसमें ग्राम तथा कुटीर उद्योग को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा वित्त पोषित होती हैं, शामिल हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार मार्च, 1999 के अंत तक रुग्ण लघु इकाइयों की संख्या 3,06,221 थी जिन पर 4313 करोड़ रु. की राशि बकाया थी, जबकि मार्च, 1998 के अंत तक रुग्ण लघु इकाइयों की संख्या 2,21,536 थी तथा उन पर 3857 करोड़ रु. की राशि बकाया थी।

(घ) लघु इकाइयों में औद्योगिक रुग्णता की समस्या की सरकार को पूरी जानकारी है तथा संभाव्य जीवनक्षम रुग्ण उद्योगों के समय से पहचान करने तथा पुनर्वास की सुविधा हेतु विभिन्न उपाय किए हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ राज्य स्तरीय अन्तर संस्थात्मक समितियों के रूप में संस्थात्मक तंत्र, बैंकों तथा राज्य वित्तीय संस्थाओं में विशेष पुनर्वास सहायता बढ़ाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी विस्तृत दिशा-निर्देश शामिल हैं।

[अनुवाद]

प्राकृतिक संसाधनों का अभीष्टतम उपयोग

***154. श्री प्रभुनाथ सिंह:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि अनुसंधान और उन्नत प्रौद्योगिकी के अभाव में प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग नहीं किया जा सका है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा देश की उन्नति के लिए प्राकृतिक संसाधनों का अभीष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने हेतु योजना बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या योजना आयोग आने वाले वर्षों के लिए समुचित परिप्रेक्ष्य, संकल्पना तथा तदनुसार योजना निर्माण को नजरअंदाज करके केवल वार्षिक और पंचवर्षीय योजना बनाने पर ध्यान केन्द्रित कर रहा है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा आयोग के दृष्टिकोण में अपेक्षित परिवर्तन लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) जी, नहीं।

(ख) एक बड़ी संख्या में अभिकरण, उदाहरण के लिए भारत का भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, भारतीय खान ब्यूरो, भारतीय खनिज अन्वेषण निगम, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, भारतीय तेल निगम, केन्द्रीय खान आयोजन एवं अभिकल्पन संस्थान, केन्द्रीय खनन अनुसंधान संस्थान, इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स, केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान, नेशनल रॉक मैकेनिक इंस्टीट्यूट, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आदि देश के प्राकृतिक संसाधनों से युक्त स्थानों का पता लगाने, उनकी खोज करने तथा उनका अभीष्टतम उपयोग करवाने में सक्रिय रूप से लगे हैं। नवीनतम अनुसंधान पद्धतियां एवं प्रौद्योगिकियां जैसे रिमोट सेंसिंग, जियोमैगनेटिज्म, सेटेलाइट इमेंजिंग आदि प्राकृतिक संसाधनों का पता लगाने के लिए उपयोग की जाती हैं। संसाधनों की स्थायी निधियों को ध्यान में रखते हुए, विभिन्न क्षेत्रकों द्वारा निम्न धारा के उद्योगों को एवं निर्यात हेतु इन संसाधनों का उपयोग करने के लिए योजनाएं बनाई जाती है; जहां संसाधन संबंधी स्थायी निधियां अधिक हैं वहां घरेलू संसाधनों जैसे कच्चा तेल, तांबा आदि की अभीष्टतम अक्षुणता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आयात किए जाते हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रत्येक पंचवर्षीय योजना से पूर्व, प्राकृतिक संसाधनों के विकास एवं अवशोषण हेतु भावी योजनाएं तैयार करने के लिए विशेष क्षेत्रकों में कार्यदल गठित किए जाते हैं। इन कार्यदलों के मध्य विचार-विमर्श के दौरान, और अलग से भी विभिन्न सरकारी विभागों/मंत्रालयों, राज्य सरकारों, उद्योग प्रतिनिधियों-सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक दोनों से ही, क्षेत्र के विशेषज्ञों, अकादमी विशेषज्ञों, अर्थशास्त्रियों, वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों, प्रबंधन विशेषज्ञों, परामर्शदाताओं के साथ विस्तृत विचार-विमर्श किए जाते हैं। विभिन्न हित समूहों के विचारों एवं मतों को ध्यान में रखते हुए प्राकृतिक संसाधनों के अभीष्टतम उपयोग के लिए उपयुक्त योजनाएं तैयार की जाती हैं। इस उद्देश्य से, विदेश प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।

अन्तरराज्यीय जल विवाद

***155. श्री एस.डी.एन.आर. वाडिचार:** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने कृष्णा तथा गोदावरी नदियों के जल का नदी तट वाले राज्यों के बीच बंटवारा परस्पर समझौते के आधार पर करने पर जोर दिया है;

(ख) यदि हां, तो नदी जल बंटवारे की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार ने इस विवाद का शीघ्र निपटारा करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन सेठी): (क) से (ग) गोदावरी और कृष्णा नदियों के जल के बंटवारे से संबंधित गोदावरी और कृष्णा जल विवाद अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 के तहत 1969 में अधिकरणों को भेजे गए थे। इन अधिकरणों ने अपनी अंतिम रिपोर्ट क्रमश: 1980 एवं 1976 में केन्द्र सरकार को प्रस्तुत की है।

भारत-जापान समझौता

***156. श्री राम नायडू दग्गुबाटि:**
श्री जी.एस. बसवराज:

क्या **सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जापान ने सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत के साथ सहयोग करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या जापानी प्रधान मंत्री की भारत यात्रा के दौरान इस मुद्दे पर चर्चा हुई थी और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे;

(ग) यदि, हां, तो इस समझौते की प्रमुख बातें क्या हैं तथा इस समझौते से किस सीमा तक भारत में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को बढ़ावा मिलने की संभावना है;

(घ) क्या जापानी सहायता से हैदराबाद में कोई सूचना प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित किया जा रहा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सॉफ्टवेयर व्यावसायिकों को जापान भेजा रहा है; और

(छ) यदि हां, तो उनकी अनुमानित संख्या क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) से (ग) जी, हां। अगस्त 2000 में जापान के प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग के मुद्दे पर विचार-विमर्श हुआ। दोनों सरकारों के बीच इस संबंध में किसी करार पर हस्ताक्षर नहीं किए गए।

(घ) जी, हां।

(ङ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(च) और (छ) जापान भेजे जा रहे सॉफ्टवेयर विशेषज्ञों को जापानी भाषा का ज्ञान होना पूर्व-अपेक्षा है। चूंकि भारत के बहुत ही कम सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों को तकनीकी जापानी का ज्ञान है, अत: इस समय जापान जाने वाले व्यक्तियों की संख्या बहुत ही कम है, हालांकि सरकार के पास इस संबंध में सटीक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

[हिन्दी]

आयुर्वेदिक औषधियों में चांदी का उपयोग

***157. श्री रामशकल: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आयुर्वेदिक औषधि बनाने में चांदी का प्रयोग गुर्दे के लिए हानिकारक है;

(ख) यदि हां, तो सरकार इस पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर): (क) आयुर्वेद की आधिकारिक पुस्तकों में निर्धारित सूत्रों (फार्मूलों) के अनुसार तैयार की जाने वाली औषधियों के विनिर्माण की अनुमति, औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के तहत दी जाती है।

केन्द्रीत आयुर्वेद एवं सिद्धा अनुसंधान परिषद के अनुसार चांदी वाले आयुर्वेदिक मिश्रण जब निर्धारित विधि के अनुसार उपयुक्त तरीके से तैयार किए जाते हैं तो उनमें कोई विषाक्तता नहीं पाई जाती है।

तथापि, धातु वाले आयुर्वेदिक मिश्रणों का मानकीकरण आयुर्वेदिक औषधियों के औषधकोश (फार्माकोपिया) में शामिल करने के लिए रखा गया है। बाजार में बेचे जा रहे मिश्रणों के परीक्षण के लिए औषध परीक्षण प्रयोगशालाओं के सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया भी चल रही है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

वेतन की अधिकतम सीमा

***158. श्री इन्द्रजीत गुप्त:**
श्री सुरेश रामराव जाधव:

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्मचारियों की पेंशन योजना की अधिकतम सीमा को 5000 रुपये प्रतिमाह के वर्तमान स्तर से बढ़ाकर 6500 रुपये प्रतिमाह करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या है और सरकार ने इस बारे में क्या कदम उठाए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) से (ग) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत व्याप्ति के लिए मजदूरी की अधिकतम सीमा में प्रतिमाह 5000 रुपये से 6500 रुपये वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए एक प्रस्ताव पर वित्त मंत्रालय के परामर्श से विचार किया जा रहा है। इस संबंध में अंतिम निर्णय अभी लिया जाना है।

कामगारों के अधिकारों का संरक्षण

*159. **श्री चन्द्र भूषण सिंह:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उदारीकरण के दौर में बदलते समय के अनुरूप मौजूदा कानूनों का संशोधन करते समय कामगारों के हितों की रक्षा के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(ख) रुग्ण कंपनियों के संदर्भ में कामगारों के भुगतान के अधिकार की रक्षा के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(ग) क्या सरकार सभी निजी क्षेत्र की कंपनियों के कर्मचारियों को उनमें कार्यरत कर्मचारियों की संख्या को ध्यान मे रखे बिना कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अंतर्गत अनिवार्य रूप से लाने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (डॉ. सत्यनारायण जटिया): (क) सरकार ने दिनांक 15.10.1999 को जारी संकल्प के द्वारा द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन किया है। यह आयोग आर्थिक नीति में हो रहे परिवर्तनों के साथ श्रम कानूनों की एकरूपता और कामकाजी वर्ग के अधिकाधिक कल्याण की व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए श्रम कानूनों की व्यापक समीक्षा करेगा।

(ख) सरकार रुग्ण कंपनियों से संबंधित कामगारों के देयों का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए विद्यमान अधिनियमों के उपबंधों के अंतर्गत सभी कदम उठा रही है।

(ग) और (घ) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध, अधिनियम 1952 के अंतर्गत प्रतिष्ठानों/कंपनियों की व्याप्ति के लिए कर्मचारियों की संख्या की शर्त पूरी तरह फिलहाल हटाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

सरदार सरोवर बांध

*160. **श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:**
श्री पी.एस. गढ़वी:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार उच्चतम न्यायालय के हाल के निर्णय के पश्चात् नर्मदा बांध की ऊंचाई बढ़ाने के बारे में निर्णय लेने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण ने इस मुद्दे पर विचार किया है;

(ग) इस परियोजना से कौन-कौन से राज्यों को पेयजल और सिंचाई कार्यों के लिए पानी मिलेगा और इसकी मात्रा कितनी-कितनी होगी;

(घ) क्या सरकार ने उक्त परियोजना हेतु कोई कार्य योजना तैयार की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) बांध का कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन सेठी): (क) से (च) उच्चतम न्यायालय ने अपने दिनांक 18.10.2000 के निर्णय में अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्देश दिया कि बांध का निर्माण नर्मदा जल विवाद अधिकरण के आदेश के अनुसार जारी रहेगा। माननीय न्यायालय ने 90 मीटर ऊंचाई तक बांध का तत्काल निर्माण करने की अनुमति भी दे दी है। इस निर्णय के अनुसार, नर्मदा बांध का निर्माण कार्य पहले ही प्रारम्भ हो चुका है।

निर्माण की प्रत्येक अवस्था पर 90 मीटर से अधिक नर्मदा बांध की ऊंचाई बढ़ाने संबंधी एक कार्रवाई योजना के साथ-साथ पर्यावरण तथा पुनर्वास और पुनर्स्थापना स्वीकृति पर नर्मदा नियंत्रण

प्राधिकरण की 17 नवम्बर, 2000 को आयोजित 61वीं बैठक में विचार किया गया था:

बांध की ऊंचाई	परियोजना से प्रभावित लोगों को भूमि एवं आवास का आबंटन	निर्माण पूर्ण होने की तिथि
100 मीटर	दिसम्बर, 2001	जून, 2002
110 मीटर	दिसम्बर, 2002	जून, 2003
121 मीटर	दिसम्बर, 2003	जून, 2004
138 मीटर	दिसम्बर, 2004	जून, 2005

नर्मदा जल विवाद अधिकरण ने नर्मदा के पानी का आबंटन निम्नानुसार किया है:-

मध्य प्रदेश	18.25 एम.ए.एफ.	(22,511.01 एम. क्यूमेक्स)
गुजरात	9.00 एम.ए.एफ.	(11,101.32 एम. क्यूमेक्स)
राजस्थान	0.50 एम.ए.एफ.	(616.74 एम. क्यूमेक्स)
महाराष्ट्र	0.25 एम.ए.एफ.	(308.37 एम. क्यूमेक्स)
कुल	28.00 एम.ए.एफ.	(34,537.44 एम. क्यूमेक्स)

सरदार सरोवर बांध से 17.93 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी। इसमें गुजरात के 14 जिलों में स्थित 62 तालुकों के 3360 गांव शामिल हैं। इससे राजस्थान में सामरिक महत्व के बाड़मेर और जालौर जिलों में 75000 हेक्टेयर भूमि और महाराष्ट्र के जनजातीय पर्वतीय क्षेत्र में लिफ्ट द्वारा 37,500 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई भी होगी। सामान्यत: इस नहर के जल का उपयोग कमान क्षेत्र में स्थित बस्तियों के पेयजल के स्रोत के रूप में किया जाता है।

नर्मदा अधिकरण ने सरदार सरोवर बांध से आबंटित 9 एम.ए.एफ. जल में से 1.06 एम.ए.एफ. जल, घरेलू और औद्योगिक उपयोग के लिए आबंटित किया है। पश्चिमी तट पर स्थित सौराष्ट्र क्षेत्र, शुष्क कच्छ क्षेत्र और राजस्थान के निकटवर्ती जल की कमी वाले उत्तरी गुजरात क्षेत्र में घरेलू और औद्योगिक खपत के लिए 8215 गांवों और 135 कस्बों को जल आपूर्ति की योजना है।

[अनुवाद]

मंत्रालयों को मिलाना

1536. श्री महबूब जहेदी: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों को मिलाने के मामलों की जांच के लिए श्री एफ.एस. नारीमन की अध्यक्षता में एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा स्वीकार की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) से (ङ) विभिन्न मंत्रालयों को मिलाने के संबंध में विचार करने के लिए कोई समिति गठित नहीं की गई है। तथापि, दिसम्बर, 1999 में वित्त मंत्री की अध्यक्षता में दूर-संचार तथा आई.टी. कनवरजेंस से संबंधित एक ग्रुप का गठन किया गया था। उस ग्रुप द्वारा अपने समक्ष कार्य के समाधान के लिए, दूर-संचार, कंप्यूटर, टेलीविजन और इलेक्ट्रानिकी के तीव्र केन्द्रामुखीकरण को ध्यान में रखते हुए भारतीय टेलिग्राफ अधिनियम, 1885 को बदलने के दृष्टि से एक नये व्यापक कानून का प्रारूप तैयार करने हेतु श्री फाली एस. नरीमन, संसद सदस्य के संयोजन के अंतर्गत एक उप-ग्रुप सहित तीन उप-ग्रुपों का गठन किया गया। इस उप-ग्रुप ने विचार-विमर्श के बाद संचार विधेयक, 2000 का एक मसौदा तैयार किया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ संचार के भी प्रारूपों को विनियमित करने तथा उनसे संबद्ध या प्रासंगिक मामलों के लिए व्यवस्था करने हेतु एक स्वतंत्र आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया है।

दिल्ली अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम लिमिटेड

1537. श्री हरीभाऊ शंकर महाले: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री दिनांक 17 मई, 2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7998 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या दिल्ली अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम लिमिटेड ने आय संबंधी मानदंडों को परिभाषित करने वाली प्रणाली की समीक्षा की थी और 29.8.2000 को आवेदकों को सूचित किया था कि जिस मामले में आवेदक व्यस्क है, उस मामले में उसे एक अलग इकाई का रूप माना जाना चाहिए और माता-पिता की आय को लाभार्थी की आय में शामिल नहीं किया जाना चाहिए और आवेदकों को पुन: आवेदन करने के लिए कहना चाहिए;

(ङ) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए आय मानदंडों को परिभाषित करने वाली पूर्व प्रणाली की समीक्षा करने का कारण और उसका ब्यौरा क्या है;

(च) गत पांच वर्षों में आय को परिभाषित करने वाली दोषपूर्ण प्रणाली के फलस्वरूप कितने आवेदकों को उनके अधिकारों से वंचित रखा गया है और इसके लिए कौन अधिकारी जिम्मेवार थे;

(छ) क्या डी.एस.सी.आर. और डी.सी. द्वारा नए आवेदन-पत्र मांगने के बजाय फोटोकापी मशीन की खरीद करने के लिए ऋण संस्वीकृत करने हेतु 1999 में प्राप्त किए गए सभी आवेदन-पत्रों पर विचार करने का प्रस्ताव है; और

(ज) प्रभावित आवेदकों को कब तक ऋण संस्वीकृत किए जाने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) और (ख) दिनांक 17 मई, 2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7998 के संबंध में एक आश्वासन दिया गया था। जिसके संबंध में कार्यान्वयन रिपोर्ट 27 सितम्बर, 2000 को भेज दी गई है। कार्यान्वयन संबंधी प्रति विवरण एक रूप में संलग्न है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, हां।

(ङ) और (च) दिल्ली अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम लिमिटेड की स्थापना मुख्य रूप से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में रहने वाले अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के आर्थिक विकास के उद्देश्य से की गई है। इसकी प्रणाली को अधिक कारगर बनाने के उद्देश्य से इस निगम द्वारा अपनाए गए दिशानिर्देशों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है। जहां तक लाभग्राहियों की आय मानदंड का संबंध है, इस निगम ने निर्णय लिया है कि जब कोई आवेदक एक बड़ा व्यक्ति है तो उसे एक अलग हस्ती के रूप में माना जाना चाहिए और उसके माता-पिता/अन्य परिवारिक सदस्यों की आय को आवेदक की आय का निर्णय करते समय शामिल नहीं किया जाए।

इससे पूर्व, यह निगम उस प्रणाली का अनुसरण कर रहा था जिसके अंतर्गत यदि लाभग्राही का नाम राशन कार्ड में उसके माता-पिता के साथ दर्शाया गया है तो उस लाभग्राही को संयुक्त परिवार का एक सदस्य माना जाना था और सभी कमाने वाले सदस्यों को आय के निर्णय में एक साथ मिला दिया जाता था।

इस आय का निर्धारण राजस्व प्राधिकारी अर्थात संबंधित सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता है, जिसके आधार पर इस निगम में आवेदन को प्रक्रियाबद्ध किया जाता है।

(छ) और (ज) ऋण की स्वीकृति के लिए 1999 में प्राप्त आवेदन-पत्रों के संबंध में, जिन पर परिवार की कुल आय को ध्यान में रखने के कारण विचार नहीं किया गया, आवेदकों से दस्तावेजों के साथ नए आवेदन-पत्र भेजने को कहा गया है। नए आवेदन-पत्रों के फार्म उन्हें पहले ही भेज दिए गए हैं।

विवरण

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय पूर्ति का तारीख

प्रश्न संख्या तारीख तथा संसद सदस्य का नाम	विषय	दिया गया आश्वासन	कब और कैसे पूरा किया गया	विलम्ब का कारण
1	2	3	4	5
दिनांक 17.5.2000 के लिए श्री हरिभाऊ शंकर महाले द्वारा पूछा गया अतारांकित प्रश्न संख्या 7998	दिल्ली अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम लिमिटेड पूछा गया था कि:-			इसमें समय लगा क्योंकि अपेक्षित सूचना दिल्ली अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम से एकत्र की जानी थी।
	(क) फोटो कापियर मशीन खरीदने हेतु ऋण मुहैया कराए जाने के लिए कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं;	(क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही	अपेक्षित सूचना दिल्ली अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम से प्राप्त कर	

1	2	3	4	5
	(ख) उक्त ऋण मुहैया कराए जाने के लिए निर्धारित आय सीमा से अधिक आय के आधार पर रद्द किए गए प्रत्येक आवेदन का ब्यौरा क्या है;	है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।	ली गई है। प्रश्न के भाग (क) से (च) के संबंध में उत्तर नीचे दिया गया:- (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान फोटोकापियर मशीन खरीदने के लिए ऋण की मंजूरी हेतु डीएससीएफडीसी द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या नीचे दी गई है:-	
	(ग) प्रत्येक मामले में उन मंडल मजिस्ट्रेटों द्वारा विधिवत सत्यापित और आवेदक द्वारा घोषित आय क्या है;			
	(घ) प्रत्येक मामले में दिल्ली अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम के अधिकारी द्वारा निर्धारित आय क्या है और उनके निर्धारण का आधार क्या है;			
	(ङ) इस संबंध में दिल्ली अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम को कितनी शिकायतें मिली हैं, और			
	(च) अब तक इस पर क्या कार्यवाही की गई है तथा इस संबंध में क्या कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव है?			

वर्ष	प्राप्त आवेदन पत्र
1997-98	175
1998-99	103
1999-2000	115

(ख) से (च) 1997-98 के दौरान निम्नलिखित 3 मामलों को रद्द किया गया:-

1. श्री राजू सुपुत्र श्री भानो निवासी 10/47 खिचड़ीपुर, दिल्ली
2. श्री भूपेन्द्र कुमार सुपुत्र श्री लक्ष्मण सिंह निवासी न्यू क्वाटर नं. 575, गांव खेड़ा खुर्द, दिल्ली
3. श्री सुशील कुमार सुपुत्र श्री सोनी सिंह निवासी 9-ए, एसपी मुखर्जी मार्ग, दिल्ली।

1999-2000 के दौरान श्री राजेश सुपुत्र श्री मूलचन्द से संबंधित एक आवेदन पत्र रद्द किया गया।

श्री राजू (क्र.सं.1) और सुशील कुमार (क्रम. सं. 3) ने एसडीएम द्वारा जारी किया गया कोई आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया था।

श्री भूपेन्द्र (क्र.सं. 2) सुपुत्र श्री लक्ष्मण सिंह ने 2000 रुपये प्रति माह की आय दर्शाने वाला एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया था।

श्री राजेश कुमार सुपुत्र श्री मूल चन्द्र ने एसडीएस द्वारा जारी किया गया आय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया था। इसके अनुसार आय 18000 रुपये प्रति वर्ष बताई गई है। आवेदक के पिता संसद में कार्यपालक अधिकारी हैं और आवेदक स्वयं संसद सदस्य श्री आर.के. मालवीय के साथ कार्य कर रहे हैं और लगभग 2000 रुपये प्रति महीना कमा रहे हैं। इसके अतिरिक्त आवेदक के पिता का पश्चिम विहार में तीन मंजिला मकान है और लगभग 3000 रुपये प्रति महीना किराए के रूप में कमा रहे हैं सक्षम प्राधिकारी ने उपर्युक्त सभी 4 मामलों पर विचार किया है और यह पाया है कि इन आवेदकों की सभी स्रोतों से पारिवारिक आय योजना में निर्धारित सीमा से अधिक है और इसलिए उपर्युक्त सभी 4 मामलों को निगम द्वारा रद्द कर दिया गया था।

1	2	3	4	5
			डीएसएफडीसी के अध्यक्ष निगम की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत आय के मानदंडों को परिभाषित करने वाली पद्धति की समीक्षा की गई और यह निर्णय लिया है कि जहां आवेदक वयस्क है उसे अलग अस्तित्व के रूप में समझा जाएगा और माता-पिता की आय को इस लाभार्थी की आय के साथ शामिल नहीं किया जाना चाहिए। तदनुसार उपर्युक्त सभी चार मामलों की समीक्षा की जा रही है जिससे इन सभी को इस संबंध में 3.7.2000 को विभिन्न समाचार-पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों के जवाब में फिर आवेदन करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है।	

बंधुआ मजदूर

1538. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने देश में बंधुआ श्रमिकों के संबंध में रिपोर्ट तैयार करने और इस संबंध में उपयुक्त सिफारिशें करने के बारे में एक सात सदस्यीय दल गठित किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त दल में कौन-कौन से सदस्य हैं और इसके विचारार्थ विषय क्या हैं; और

(ग) उक्त दल द्वारा कब तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिए जाने की संभावना है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) से (ग) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बंधुआ श्रमिकों की वर्तमान स्थिति, वर्तमान योजनाओं में सुधार और बंधुओं श्रमिकों के उत्सादन से संबंधित कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सिफारिशों पर एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए 7 सदस्यीय दल का गठन किया है। इसका संघटन और विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं:

संघटन:

1. श्री एस.आर. संकरन, आई.ए.एस. (सेवानिवृत्त)
2. श्री के.आर.वी. वेणुगोपाल, आई.ए.एस. (सेवानिवृत्त) विशेष सम्पर्ककर्ता, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग
3. श्री चमन लाल, विशेष सम्पर्ककर्ता, रा.मा.आ.
4. श्री के.बी सक्सेना, प्रधान सलाहकार, योजना आयोग
5. श्री विवेक पंडित
6. स्वामी अग्निवेश, अध्यक्ष, बंधुआ मुक्ति मोर्चा
7. श्री हर्ष मंदर, देश निदेशक, ऐक्शन एड

विचारार्थ विषय:

1. बंधुआ श्रमिकों की बहुलता वाले जिलों और बंधुआ श्रमिकों का नियोजन करने वाले उद्योगों और व्यवसायों की पहचान करना।
2. भारत में बंधुआ श्रमिकों से संबंधित विद्यमान कानूनों और उनके प्रवर्तन की समीक्षा करना।
3. बंधुआ श्रमिक कानूनों की प्रवर्तन पद्धति की संरचना की जांच करना और सुधारों के लिए सुझाव देना।
4. विभिन्न लक्ष्य समूहों जैसे (1) राजस्व, श्रम और पुलिस विभाग के अधिकारियों (2) बंधुओं श्रमिकों के मामलों को देखने वाले अधिवक्ताओं और वकीलों तथा (3) सरकारी वकीलों इत्यादि के लिए बंधुआ श्रमिकों के कानूनी पहलुओं और प्रवर्तन पर प्रशिक्षण।
5. सरकारी अधिकारियों और गैर-सरकारी संगठनों को उनके संयुक्त प्रयास में उनकी भूमिका और उत्तरदायित्वों के बेहतर तालमेल के लिए एक दूसरे के नजदीक लाने के लिए जिला और राज्य स्तर पर संगोष्ठियों और कार्यशालाएं।
6. विभिन्न गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का अध्ययन करना ताकि बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास की व्यवस्था करने में उनका अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
7. बंधुआ श्रमिक कानूनों से संबंधित विभिन्न उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालयों के निर्णयों/आदेशों का विश्लेषण करना और उससे संबंधित सूचनाएं एकत्र करना।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मंत्री दल से अपनी रिपोर्ट इसके गठन की तिथि से 6 माह के भीतर प्रस्तुत करने के लिए कहा है।

बोनस के लिए वेतन सीमा

1539. श्री नरेश पुगलिया: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की कंपनियों और निजी कंपनियों दोनों में कर्मकारों को भुगतान किए जाने वाले बोनस की पात्रता के लिए निर्धारित सीमा को बढ़ाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) से (ग) सरकार, बोनस संदाय अधिनियम, 1965 के तहत सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में कार्यरत कामगारों की वेतन मात्रता सीमा एवं गणना की अधिकतम सीमा में बढ़ोत्तरी की मांग से अवगत है।

निगमों के कार्यकरण की समीक्षा

1540. श्री सुबोध मोहिते: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार अलाभकारी ग्रुपों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने की दृष्टि से सभी छह शीर्ष निगमों के कार्यकरण की समीक्षा करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कितनी समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि यह निगम आत्म-निर्भर बनने की बजाय सरकारी सहायता पर ज्यादा निर्भर रहते हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस संस्थानों द्वारा अपनी स्थापना के समय निर्धारित मूल लक्ष्यों की प्राप्ति के उद्देश्य से इन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) और (ख) सभी शीर्ष निगमों के कार्यकरण की समीक्षा मंत्रालय में मासिक रूप से होती है। इस प्रकार, निगमों के कार्यकरण को निकट से और नियमित रूप से मानिटर किया जाता है तथा सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं और जहां आवश्यक होता है, वहां आवश्यक दिशानिर्देश दिए जाते हैं। इसके परिणामस्वरूप, लाभग्राहियों की कवरेज में विस्तार करने के लिए उपाय किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने शीर्ष निगमों की स्थायी समिति का भी गठन किया है जो वितरण तंत्र में सुधार करने के उद्देश्य से निगमों की ऋण नीतियों की आवधिक रूप से समीक्षा करती है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अंतर्गत पांच शीर्ष निगमों अर्थात् राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम (एन एस एफ डी एस) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम (एन एस के एफ डी सी), राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम (एन बी सी एफ डी सी) और राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास निगम (एन एच एफ डी सी) की स्थापना लाभ न कमाने वाली कंपनियों के रूप में की गई है, जिसका उद्देश्य क्षमता निर्माण करना तथा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों और विकलांग व्यक्तियों की श्रेणियों के जरूरतमंद व्यक्तियों को राज्य माध्यम एजेंसियों और गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से आसान ऋण प्रदान करता है। ताकि इन्हें आय सृजक कार्यकलाप शुरू करने के लिए सक्षम बनाया जा सके। इन निगमों को निधियां सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा इक्विटी के रूप में निर्मुक्त की जाती है इस समय ये निगम अपने पास उपलब्ध निधियों का आवर्तन करने और राज्य माध्यम एजेंसियों की जरूरतों को पूरा करने में समर्थ हैं।

छठा निगम अर्थात् भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण (एलिम्को) भी एक आत्मनिर्भर संगठन है जिसकी स्थापना कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अंतर्गत एक लाभ न कमाने वाली कंपनी के रूप में की गई है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए पैकेज

1541. श्री समर चौधरी: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वोत्तर राज्यों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने के लिए प्रधान मंत्री पैकेज में वर्षा-जल और भू-जल का संचयन करने के बारे में विचार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम में विभिन्न प्रयोजनों के लिए संचित और उपयोग किए गए वर्षा-जल का ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 2000-2001 के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए राज्य योजना और केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के लिए कितनी राशि आवंटित की गई?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) दिनांक 22 जनवरी, 2000 को शिलांग में प्रधान मंत्री द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम के समाजार्थिक विकास के लिए, यथा घोषित वर्षा-जल तथा भू-जल संग्रहण से संबंधित मद को विशिष्ट रूप से एजेंडा में शामिल नहीं किया है, तथापि, इस एजेंडा में प्रत्येक वर्ष, पूर्वोत्तर और सिक्किम के लिए ग्रामीण आधारिक संरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) हेतु 500

करोड़ रु. के प्रावधान पर विचार किया गया। आरआईडीएफ के अंतर्गत, राज्य सरकारें, जल संभरण विकास, लघु सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण उपायों आदि जैसे कार्यक्रमों को शुरू कर सकती हैं। इन कार्यक्रमों का मुख्य लक्ष्य वर्षा और भूजल प्रबंधन है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

*(ग) सभी पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम के संबंध में वार्षिक योजना 2000-01 के लिए परिव्ययों के क्षेत्रकीय वितरण को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास

1542. श्री एम.के. सुब्बा: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पूर्वोत्तर राज्यों के पैकेज के अंतर्गत तेजी से विकास को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) उक्त पैकेज के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता के रूप में अब तक कितनी राशि जारी की गई है और पूर्वोत्तर क्षेत्र के प्रत्येक राज्य द्वारा उक्त पैकेज के अन्तर्गत क्या मांग की गई है; और

(ग) उक्त पैकेज के क्रियान्वयन के विभिन्न क्षेत्रों में अब तक की गई प्रगति और योजना के अंतर्गत विचाराधीन लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) से (ग) विगत कुछ वर्षों में पूर्वोत्तर में विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए गए हैं। इस संबंध में, प्रधान मंत्री की घोषणाएं इस दिशा में उठाए गए कदम हैं। सभी केन्द्रीय मंत्री एवं विभागों के लिए, जब तक कि वह अन्यथा विशेष रूप में छूट प्राप्त हों, पूर्वोत्तर (एवं सिक्किम) विशेष कार्यक्रमों हेतु अपने बजट का कम से कम 10 प्रतिशत खर्च करना अपेक्षित है। इस लक्ष्य को पूरा करने में हुई कमी को संसाधनों के गैर-व्यपगत केन्द्रीय पूल में इकट्ठा करना है। केन्द्रीय पूल का वित्तीय वर्ष 1998-99 से प्रचालन हो गया। अब तक, पूर्वोत्तर क्षेत्र (एवं सिक्किम) में विकासात्मक कार्यक्रमों/परियोजनाओं/स्कीमों के लिए पूल से जारी किए जाने हेतु 732.40 करोड़ रुपये की राशि की सिफारिश की गई है।

प्रधान मंत्री ने, आर्थिक विकास और सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए, दिनांक 21 और 22 जनवरी, 2000 को पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम के राज्यपालों और मुख्यमंत्रियों के साथ एक सम्मेलन में भाग लिया। 22 जनवरी, 2000 को अंतिम टिप्पणियों में प्रधान मंत्री ने पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम के समाजार्थिक विकास लिए एक एजेंडा की घोषणा की। इस एजेंडा के अंतर्गत कवर की गई मदों को प्राथमिकता के आधार पर कार्यान्वित किया जाना है और वर्तमान में ये कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

प्रधान मंत्री द्वारा 22 जनवरी, 2000 को शिलांग में पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम के समाजार्थिक विकास हेतु घोषित एजेंडा के अंतर्गत कवर की गई मदों के संबंध में प्रगति विवरण (22.11.2000 के अनुसार)

क्रम संख्या	मद	वित्तपोषण की राशि/स्रोत	स्थिति
1	2	3	4
1.	पूर्वोत्तर और सिक्किम के लिए ग्रामीण आधारिक संरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) हेतु 500 करोड़ रु. का प्रावधान	एन ए बी ए आर डी (नबार्ड) 500 करोड़ रु. प्रति वर्ष	वर्ष 2000-01 में सभी राज्यों के लिए आरआई डीएफ के अंतर्गत निधियों की स्वीकृति और संवितरण के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। दिनांक 30.9.2000 तक 689.26 करोड़ रु. की स्कीम की स्वीकृति दी गई थी और संवितरित राशि 192.27 करोड़ रुपये थी।

1	2	3	4
2.	एक वर्ष के अन्दर सभी सीमा व्यापार केन्द्रों पर बैंकिंग सुविधाओं का प्रावधान	शून्य	27 सीमा व्यापार केन्द्रों पर 35 बैंक शाखाएं कार्य कर रही हैं। 10 सीमा व्यापार केन्द्रों पर कोई सुविधाएं नहीं हैं। इन 10 केन्द्रों के आलावा स्टेट बैंक आफ इंडिया और अन्य बैंकों की 4 शाखाएं हैं। नई शाखाएं खोलने के लिए अन्य बैंक व्यवहार्य नहीं समझे जाते हैं। यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया, जो मणिपुर और त्रिपुरा के लिए राज्य स्तरीय बैंकों के लिए संयोजक है, ने सूचित किया है कि मोरेह (मणिपुर) जहां यूबीआई की पहले से ही एक शाखा है, को छोड़कर दूसरा कोई स्थान नई शाखा खोलने के लिए उपयुक्त नहीं है। एक उप समिति जिसमें त्रिपुरा में कार्यरत प्रमुख बैंक शामिल हैं, ने राज्य में वर्तमान शाखा नेटवर्क के अध्ययन के बाद त्रिपुरा के सीमा क्षेत्र में जिन विद्यमान बैंक शाखाओं को शुरू किया है, पर्याप्त है और बैंक शाखाएं खोलने के लिए नए केन्द्रों की पहचान का क्षेत्र त्रिपुरा में वर्तमान आर्थिक और कानून व्यवस्था की स्थिति में व्यवहार्य सुसंगत नहीं समझा जाता है। असम और मेघालय के संबंध में असम में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के क्षेत्रीय कार्यालय यह निर्णय करने के लिए कि कोई अन्य बैंक उन केन्द्रों में जहां एस.बी.आई की अपनी शाखाएं नहीं हैं, अपनी शाखाएं खोलने के लिए इच्छुक है, शीघ्र ही एस. एल.बी.सी. की दूसरी बैठक बुला रही है।
3.	पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम (एनईडीएफआई) द्वारा कम से कम 50 करोड़ रु. प्रति वर्ष का संवितरण	एनईडीएफआई से 50 करोड़ रु. प्रतिवर्ष	31.3.2000 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान संस्वीकृत सहायता 35.03 करोड़ रु. है और संवितरण 14.62 करोड़ रुपये था। एनईडीएफआई बोर्ड के निदेशकों ने वित्तीय वर्ष (2000-01) के लिए 85 करोड़ रु. के लक्ष्य के लिए कारोबार योजना का अनुमोदन किया है। चालू वित्तीय वर्ष (2000-01) के दौरान दिनांक 30.9.2000 तक कुल संवितरण 8.48 करोड़ रु. था।
4.	5 करोड़ रु. की प्रारंभिक लागत के साथ एक निर्यात विकास निधि (ईडीएफ) की स्थापना करना और प्रचालन हेतु पद्धतियों को तैयार करना	केन्द्रीय योजना के अंतर्गत 5 करोड़ रु.	संसाधनों के गैर-व्यपगत केन्द्रीय पूल से 5 करोड़ रु. की राशि निर्यात विकास स्कीम के प्रारंभिक कोरपस के रूप में जारी की गई है।

1	2	3	4
5.	दो वर्षों में 20 करोड़ रु. की लागत पर मोरेह (मणिपुर) सोखवतर (मिजोरम), दावकी (मेघालय) और सुतरखंडी (असम) के चार सीमा नगरों का विकास	केन्द्रीय योजना (दो वर्षों में) के अंतर्गत 20 करोड़ रु.	36.32 करोड़ रु. की लागत की दो वर्षों की अवधि में (मणिपुर में मोहर, मिजोरम में सोखावथर, मेघालय में दवाकी और असम में सुत्तरखंडी) चार सीमा कस्बों के विकास के लिए कार्य योजना तैयार की गई है।
6.	सीमा व्यापार संबंधी अंतर मंत्रालयीय कार्य दल की सिफारिशों पर कार्रवाई के लिए एक अधिकार सम्पन्न समिति की स्थापना करना	शून्य	वाणिज्य सचिव की अध्यक्षता में एक अधिकार सम्पन्न समिति दिनांक 28.3.2000 को गठित की गई है जो कार्यबल की सिफारिशों की जांच और प्रक्रम करेगी। दिनांक 16.6.2000 को समिति की पहली बैठक आयोजित की गई, दूसरी बैठक दिनांक 7.7.2000 को आयोजित की गई और दिनांक 25.9.2000 को गुवाहाटी में तीसरी बैठक हुई जिसमें पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्य सचिवों को भी आमंत्रित किया गया था।
7.	422.60 करोड़ रु. की लागत पर शिलांग स्थित पूर्वोत्तर इन्दिरा गांधी स्वास्थ्य और आयुर्विज्ञान क्षेत्रीय संस्थान का उन्नयन	422.60 करोड़ रु. (केन्द्रीय योजना)	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएच. एफडब्ल्यू) ने, पूर्वोत्तर इन्दिरा गांधी स्वास्थ्य और आयुर्विज्ञान क्षेत्रीय संस्थान (एनईआईजीआरआईएच एमएस) की स्थापना के विभिन्न चरणों की संस्वीकृति और कार्यान्वयन के लिए एक कार्य-योजना तैयार की है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने पूर्वोत्तर और सिक्किम के लिए अलग से 130 करोड़ रु. (इसकी वार्षिक योजना 2000-01 परिव्यय का 10%) नियत किया है एनईआईज़ीआरएचएमएस के लिए 15 करोड़ रु. उद्दिष्ट किए गए हैं। एनईआईजीआरआईएचएमएस के निदेशक ने डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग और परियोजना प्रबंधन के लिए दिनांक 6.2.2000 को मैसर्स अस्पताल परामर्शदात्री सेवाएं निगम (भारत) लिमिटेड के साथ एक अनुबन्ध पत्र पर हस्ताक्षर किया है और दिनांक 14.3.2000 को निगम को 5 करोड़ रु. का प्रारंभिक भुगतान कल्याण मंत्रालय ने भी प्रारंभिक जमा के लिए निगम को 3.50 करोड़ रु. जारी किया। दिनांक 13.10.2000 को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया इएफसी ज्ञापन अनुमोदित किया गया। मेघालय सरकार ने जंगलों के मुख्य संरक्षक, पर्यावरण

1	2	3	4
			एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय को मावडियांगडियांग में पेड़ों को गिराने की अनुमति के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की है, मामले पर जंगल के मुख्य संरक्षक, एनईजी, क्षेत्रीय कार्यालय, शिलांग में विचार-विमर्श किया गया। एमएच यूएफ डब्लू ने अब सूचित किया है कि वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की स्वीकृति सीसीएफ, एन ई जोन को भेज दी गई है। संपूरक वृक्षारोपण के लिए 18 हेक्टेयर भूमि की पहचान की गई है। संस्थान ने दिनांक 7.11.2000 को राज्य वन विभाग को वनारोपण के लागत का भुगतान किया है पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने दिनांक 8.8.2000 को मदयान दियांग, शिलांग में एनईआईजीआरआईएच एमएस भवन के निर्माण शुभारंभ करने का हाल ही में शिलान्यास किया है।
8.	मिजोरम में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करना। लोक सभा द्वारा इस संबंध में बिल पारित करना और विश्वविद्यालय के लिए 25 करोड़ रु. की लागत पर आधारिक संरचना का विकास	25 करोड़ रु. (केन्द्रीय योजना)	मिजोरम विश्वविद्यालय की स्थापना का बिल संसद द्वारा पारित कर दिया गया है और राष्ट्रपति द्वारा 25.4.2000 को इसकी अनुमति दे दी गई है। 978 एकड़ भूमि की पहचान की गयी है, शुरू किए जाने वाले पाठ्यक्रमों की पहचान की गई है।
9.	अगले तीन वर्षों में 100 करोड़ के परिव्यय के साथ नए व्यापारों में प्रशिक्षण देने के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और प्रशिक्षार्थियों की संख्या को दुगुना करना।	101.39 करोड़ रु. (केन्द्रीय योजना)	आईटीआई की क्षमता बढ़ाने के लिए और पूर्वोत्तर क्षेत्र में नये आईटीआई खोलने के लिए श्रम मंत्रालय ने एक कार्य योजना तैयार की है।
10.	प्रतिपूर्ति योग्य पुलिस द्वारा किए गए व्यय की मदों की सूची का विस्तार, जिसमें, पीओएल लागत का 50% ग्राम गार्ड, ग्राम रक्षा समितियों और होम गार्ड शामिल होंगे।		सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडल सचिवालय ने प्रतिपूर्ति किये जाने योग्य पुलिस पर होने वाले खर्च जिसमें पीओएल लागत 50 प्रतिशत गांव सुरक्षा समितियां और गृह सुरक्षा वाहिनी शामिल है के मदों की सूची का विस्तार करने के लिए दिनांक 3.11.2000 के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है।

1	2	3	4
11.	पुलिस फोर्स स्कीम का आधुनिकीकरण और सिक्किम तक इसका विस्तार तथा पुलिस का आधुनिकीकरण के लिए उपस्करों की खरीद हेतु 40 करोड़ रु. प्रतिवर्ष की अतिरिक्त प्रतिपूर्ति।	40 करोड़ रु. (केन्द्रीय गैर-योजना)	सिक्किम के पुलिस बल स्कीम के आधुनिकीकरण को बढ़ाने के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया गया है।
12.	त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर के लिए तीन भारतीय रिजर्व बटालियन (आईआरबी) की संस्वीकृति तीन वर्षों के लिए तीन आईआरबी का अनुमानित व्यय 45 करोड़ रु. है।	45 करोड़ रु.	त्रिपुरा के लिए तीन भारतीय रिजर्व बटालियन (7.4.2000 को) मणिपुर के लिए (24.6.2000 को) और मिजोरम के लिए (24.6.2000 को) भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कर दी गई है।
13.	(क) मिजोरम को इसकी वित्तीय समस्याओं का समाधान करने के लिए 180 करोड़ रु. का शान्ति बोनस, (ख) मिजोरम की विशिष्ट आधारित संरचना विकास परियोजनाओं के लिए पांच वर्षों हेतु संसाधनों के गैर-व्यपगत पूल से प्रति वर्ष 50 करोड़ रु. के परिव्यय का प्रावधान	230 करोड़ रु. (केन्द्रीय गैर-योजना + योजना)	प्रधान मंत्री द्वारा मिजोरम के लिए घोषित 180 करोड़ रु. की जगह 182.45 करोड़ रु. की सहायता (शान्ति बोनस) अनुदान के रूप में संस्वीकृत की की गई है। राज्य सरकार के अनुरोध पर योजना आयोग ने मिजोरम में विभिन्न परियोजनाओं को संस्वीकृति दी है और वर्ष 1999-2000 के दौरान संसाधनों के गैर-व्यपगत केन्द्रीय पूल से 62.15 करोड़ रु. की राशि जारी की है।
14.	1,335 करोड़ रु. के कुल परिव्यय सहित भारत-बंगलादेश सीमा के शेष भाग की बाड़ और सड़कों का निर्माण तथा कार्य अप्रैल, 2000 में शुरू होना।	1,335 करोड़ रु. (केन्द्रीय गैर-योजना)	दिनांक 23.5.2000 को सरकार ने 1,335 करोड़ रु. की लागत पर भारत-बंगलादेश सीमा के शेष भाग में बाड़ और सड़कों के निर्माण को अनुमोदित कर दिया है।
15.	पूर्वोत्तर के लिए गैर-व्यपगत केन्द्रीय संसाधन पूल के अंतर्गत परियोजनाओं के चयन की प्रक्रिया को सुप्रवाही बनाना 500 करोड़ रु. की परियोजनाओं की मंजूरी देना, और आधारिक संरचना का निर्माण और आर्थिक विकास परियोजनाएं शुरू करना।	500 करोड़ रु. (केन्द्रीय योजना)	गैर-व्यपगत केन्द्रीय संसाधन पूल में प्रोदभवनों हेतु प्रक्रिया को सुप्रवाही बनाने के लिए, अधिकांश मंत्रालयों/विभागों की अनुदान मांगों में एक बजट "शीर्ष" खोला गया है। इससे पूर्वोत्तर और सिक्किम में परियोजनाओं/स्कीमों/कार्यक्रमों के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा किए गए व्यय की पहचान करने में सुविधा होगी।

1	2	3	4
16.	मणिपुर में 578 करोड़ रु. की लागत पर लोकटक डाऊनस्ट्रीम पन विद्युत परियोजना (90 एमडब्ल्यू) का कार्यान्वयन	578 करोड़ रु. (केन्द्रीय योजना+ एफआई)	मणिपुर में 578 करोड़ रु. की लागत वाली लोकटक डाउन स्ट्रीम पन विद्युत परियोजना को संस्वीकृति दे दी गई है।
17.	सिक्किम में 2,198.04 करोड़ रु. की लागत पर टीस्टा-V पन विद्युत परियोजना (510 एमडब्ल्यू) का कार्यान्वयन	2,198.04 करोड़ रु. (केन्द्रीय योजना+ एफआई)	जनवरी, 2000 में सिक्किम में 2198.04 करोड़ रु. की लागत वाली टीस्टा-V चरण पन विद्युत परियोजना (510 एमडब्ल्यू) को संस्वीकृति दे दी गई है।
18.	अरुणाचल प्रदेश में सुबनसिरी लोअर साइड (600 एम डब्ल्यू) विद्युत परियोजना पर दिसम्बर, 2001 तक कार्य के आरंभ होने को सुनिश्चित करने के लिए कार्य का आरम्भ, (परियोजना की लागत लगभग 3,000 करोड़ रु. है।	3,000 करोड़ रु. (केन्द्रीय योजना)	तीन हजार करोड़ रु. की सुबनश्री लोवरसाइड (600 एम डब्ल्यू) परियोजना साइट का एनएचपीसी को हस्तांतरित कर दिया गया है। परियोजना की छानबीन शुरू हो गयी।
19.	पूर्वोत्तर में लगभग 30 करोड़ रु. की लागत पर 500 जनजातीय गांवों के ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए एक स्कीम को तैयार करना और उसका कार्यान्वयन	30 करोड़ (केन्द्रीय योजना)	जनजातीय गांवों और हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण हेतु 7.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष के रियायती ऋण की एक स्कीम को कैबिनेट द्वारा दिनांक 23.3.2000 को अनुमोदित कर दिया गया है। आरम्भ में पूर्वोत्तर राज्यों के 165 जनजातीय गांवों को चुना गया था। संसाधनों के गैर-व्यपगत केन्द्रीय पूल से उत्तर पूर्व के 159 जनजातीय गांवों (अरुणाचल प्रदेश के 6 जनजातीय गांवों को छोड़कर जिन्होंने विकेन्द्रीकृत गैर-परम्परागत उर्जा स्रोतों द्वारा कवर करने का अनुमान है) हेतु वित्त मंत्रालय से 12.53 करोड़ रुपये की राशि जारी करने का अनुरोध किया गया है।
20.	239.92 करोड़ रु. की लागत पर चालू महत्वपूर्ण, उप-महत्वपूर्ण पारेषण प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए अतिरिक्त सहायता	239.92 करोड़ रु. (केन्द्रीय योजना)	पूर्वोत्तर में पारेषण और उपपारेषण प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए विद्युत मंत्रालय ने पूर्वोत्तर के राज्यों और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के परामर्श से महत्वपूर्ण पारेषण लाइनों की अनुमानित लागत 239.92 करोड़ रु. है। 5.9.2000 को हुई (संसाधनों के गैर-व्यपगत केन्द्रीय पूल हेतु गठित) की एक बैठक में उत्तर पूर्व एवं सिक्किम में उपपारेषण

1	2	3	4
			तथा संवितरण कार्य हेतु चल रही स्कीमों को सिफारिश करने पर सहमति हुई थी। इन कार्यों के लिए वित्त मंत्रालय से संसाधनों के गैर-व्यपगत केन्द्रीय पूल से 52 करोड़ रुपये की राशि जारी करने का अनुरोध किया गया है।
21.	नागरिक विमानन : (क) अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर छोटे वायुयानों को विमानन टरबाईन ईंधन का प्रावधान। (ख) ठीक समझे गए छोटे वायुयानों के लिए विमानन टरबाईन ईंधन का उपचार ताकि बिक्री कर के 4 प्रतिशत के स्तर को कम किया जा सके। (ग) पूर्वोत्तर राज्यों में प्रचालित रूटों के लिए आईएटीटी नहीं।	(केन्द्रीय क्षेत्रक)	मंत्रिमंडल द्वारा जनवरी 2000 में प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के आपसी विचार-विमर्श के बाद अन्तर्राष्ट्रीय दामों पर ए टी एम देने के लिए एक मैकेनिज्म बनाई गई। सचिव समिति द्वारा दिनांक 19.4.2000 को लिए गए निर्णयों के अनुसरण में नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव ने राज्य सरकारों से टर्बोप्राप आपरेशन के लिए एटीएम को केन्द्रीय सेल टैक्स एक्ट 1956 के तहत अधिसूचित करने पर सहमति लेने के लिए 27.4.2000 को एक बैठक की। पूर्वोत्तर राज्यों के सभी मार्गों को आईएटीटी से दिनांक 2.5.2000 से छूट दे दिया गया है।
22.	258.24 करोड़ रु. के कुल परिव्यय सहित एनईसी के अंतर्गत 8 सड़क/पुल परियोजनाओं को स्वीकृति	258.24 करोड़ रुपये (केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना) तीन और सड़कों के लिए 117.24 करोड़ रुपये स्वीकृत किया गया है।	258.24 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ एनईसी योजना के अंतर्गत दिनांक 10.2.2000 को आठ सड़क पुल परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई। तीन और सड़क परियोजनाओं को 117.24 करोड़ रुपये की लागत पर स्वीकृति दे दी गई है।
23.	12 नये राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास/1962 कि.मी. की कुल लम्बाई को कवर करते हुए वर्तमान के लिए कम-से-कम 100 करोड़ रु. का प्रावधान।	100 करोड़ रुपये (केन्द्रीय योजना)	पूर्वोत्तर में 1962 किमी की लम्बाई में फैले 12 नये राष्ट्रीय राजमार्गों/वर्तमान राजमार्गों के उन्नयन के लिए 31.3.2001 तक 54 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।
24.	पूर्वोत्तर राज्यों में सभी 447 ब्लाकों और सिक्किम में 40 ब्लॉकों में कम्प्यूटर सूचना केन्द्र स्थापित करने का कार्यक्रम और 100 करोड़ रु. की न्यूनतम लागत पर अगले 2 वर्षों में परियोजना पूरी करना।	220 करोड़ रुपये (केन्द्रीय योजना)	पूर्वोत्तर में अब तक 26 ब्लाकों में कंप्यूटर सूचना केन्द्र स्थापित किए जा चुके हैं। शेष बचे हुए 461 ब्लाकों को जोड़ने के लिए 220 करोड़ रुपये लागत वाली परियोजना रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। यह आशा की जाती है कि दो फेजों में सभी ब्लॉकों को दो वर्ष में कवर किया जा सकेगा।

1	2	3	4
25.	असम में नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत नुमलीगढ़ रिफाइनरी के लिए उत्पाद शुल्क रियायत का विस्तार।	200 करोड़ रु. (केन्द्रीय गैर-योजना)	वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग द्वारा दिनांक 9.2.2000 को जारी अधिसूचना द्वारा नुमालिगढ़ रिफाइनरी से निकले सामानों पर जिससे रिफाइनरी को 200 करोड़ रुपये का वार्षिक लाभ होगा।
26.	ब्रह्मपुत्र बोर्ड में सुधार और इसके कार्य करने को अधिक प्रभावी बनाना और बाढ़ प्रबंधन स्कीमों का कार्यान्वयन।	शून्य	ब्रह्मपुत्र बोर्ड के सभी खाली पदों को दिसम्बर, 2000 तक भर लिए जाने की संभावना है। बोर्ड शक्तियां बढ़ाने का प्रस्ताव है। बोर्ड निम्नलिखित पर कार्रवाई कर रहा है: (क) मास्टर प्लान तैयार करना। (ख) पहचान की गई जल निकासी परियोजनाओं की जांच और उन्हें तैयार करना। (ग) बहुद्देशीय बांध परियोजना के लिए डीपीआर की जांच और तैयार करना। (घ) जल निकासी स्कीमों का निष्पादन। (ङ) पगलदिया परियोजना (548 करोड़ रुपये) का कार्यान्वयन। कतिपय शर्तों सहित पगलदिया, बांध परियोजना के लिए पीआईबी स्कीकृति प्राप्त कर ली गई है।
27.	चालू वित्तीय वर्ष में बागबानी के लिए आगामी 3 वर्षों के लिए 262.50 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय सहित प्रौद्योगिकी मिशन की स्वीकृति।	262.50 करोड़ रु. (केन्द्रीय योजना)	कृषि मंत्रालय ने पूर्वोत्तर के लिए 262.50 करोड़ रुपये की लागत वाली बागवानी के संबंध में प्रौद्योगिकी मिशन संबंधी एक परियोजना तैयार की है। जैसाकि योजना आयोग ने स्कीम को केन्द्र प्रायोजित स्कीम के रूप में प्रयोग करने का निर्णय किया है जिसके लिए पूर्ण योजना आयोग का अनुमोदन अपेक्षित है।
28.	तीन वर्षों के लिए प्रति वर्ष 30 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय सहित बोडो स्वायत्त शासी परिषद क्षेत्रों में आधारी संरचना एकक अन्य सुविधाओं के विकास के लिए विशेष कार्यक्रम की स्वीकृति	30 करोड़ रुपये (केन्द्रीय योजना)	संसाधनों के गैर-व्यपगत केन्द्रीय पूल से सहायता के लिए बोडो स्वायत्तशासी परिषद तथा असम सरकार से बहुत से प्रस्ताव (परियोजना/स्कीमें) प्राप्त हुई हैं। दिनांक 5.9.2000 को (संसाधनों के गैर-व्यपगत पूल की व्यवस्था करने के लिए गठित समिति की बैठक में विचार-विमर्श करने के लिए बीएसी/असम सरकार से प्राप्त डी पी आर को स्वीकार किया गया।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय से जुड़ी अतिरिक्त कार्यसूची मदें

पूर्वोत्तर राज्यों में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद सचिवालयों को सुदृढ़ बनाने के लिए 1990-2000 के दौरान मुख्य सचिवालय एवं आधुनिक कार्यालय एवं संचार उपकरण हेतु जनशक्ति के लिए 105 लाख रुपये की सहायता प्रदान की गई। 2/2000 में पूर्वोत्तर राज्यों में 6 ग्रामीण प्रौद्योगिकी पार्कों को अनुमोदित किया है। (त्रिपुरा-2, मेघालय-3, असम-1) माइक्रो-हाइडल डिमॉस्ट्रेशन प्लांट्स स्थापित करने के लिए, मणिपुर, नागालैंड एवं सिक्किम में एक-एक प्लाइंट लगाने की स्वीकृति दी गई है। गुवाहाटी में इंस्टीट्यूट आफ एडवांस्ड स्टडी इन साइंस एंड टैक्नोलोजी (आईएएसएसटी) के उन्नयन हेतु आधार संरचना जैसे भवन, प्रयोगशालाएं जनसाधन, उपकरण आदि के लिए 9.55 करोड़ रुपये के कुल अनुदान में से अब तक 3.20 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं।

कृषि और ग्रामीण उद्योग विकास संबंधी योजना

1543. श्री दह्याभाई वल्लभभाई पटेल: क्या **लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र शासित प्रदेश दमन व दीव में क्रियान्वयनाधीन कृषि और ग्रामीण उद्योग विकास संबंधी योजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) इसके परिणामस्वरूप इन उद्योगों में उत्पादन और रोजगार में कितनी बढ़ोत्तरी हुई; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष-वार जारी की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आर.ई.जी.पी.) जिसके अन्तर्गत के.वी.आई.सी. द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में खादी या औद्योगिक इकाइयों की स्थापना करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है। इसका कार्यान्वयन दमन और दीव संघ शासित प्रदेश सहित सारे देश में किया जा रहा है। तथापि, आर.ई.जी.पी. स्कीम के अन्तर्गत दमन और दीव संघ शासित क्षेत्र में अभी कृषि और ग्रामीण उद्योग जैसे उद्योग की स्थापना नहीं की गई है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

पार्थिव शरीर को वापस लाना

1544. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मंत्रालय द्वारा विदेशों में मृत्यु प्राप्त भारतीयों के पार्थिव शरीरों को वापस लाने के लिए क्या व्यवस्था की गई है; और

(ख) वर्ष 2000-2001 के दौरान कितने मामलों में ऐसे व्यक्तियों का अंतिम संस्कार विदेशों में किया गया?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) भारतीय राष्ट्रिक की मृत्यु की स्थिति में विदेश स्थित हमारे मिशन आवश्यक कौंसली सहायता प्रदान करते हैं जिसमें शव को भारत ले जाने के लिए मृत्यु प्रमाण-पत्र तथा अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करना शामिल है। वे भारत में निकट संबंधी को भी सूचित करते हैं और शव को भारत लाने अथवा स्थानीय शवदाह गृह लाने को सुविधाजनक बनाने के लिए भी संपर्क करते हैं।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार मौजूदा वर्ष में 23.11.2000 तक ऐसे 193 व्यक्तियों का अन्तिम संस्कार किया गया।

[अनुवाद]

भारतीय श्रमिकों पर रोक

1545. श्रीमती जयश्री बैनर्जी: क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने भारतीय श्रमिकों के कुवैत जाने पर रोक लगा दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) उक्त रोक को कब तक हटाए जाने की संभावना है; और

(घ) भारत सरकार और कुवैत सरकार के बीच हस्ताक्षर किए गए समझौता ज्ञापन की निबन्धन शर्तें क्या हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) से (घ) सरकार ने नौकरानियों और घरेलू नौकरों को तंग करने, मजदूरी का भुगतान न करने या भुगतान विलम्ब से करने इत्यादि से संबंधित शिकायतों को देखते हुए कुवैत में तैनाती पर रोक लगा दी थी। घरेलू नौकरों की तैनाती पर लगी रोक हटाई जा चुकी है।

कुवैत में नौकरानियों की तैनाती पर लगी रोक हटाने या न हटाने के प्रश्न पर तभी विचार किया जाएगा जब सरकार इस बात से आश्वस्त हो जाएगी कि ऐसी तैनाती रोजगार की सेवा शर्तों के अनुसार है। इस मामले में भारत सरकार और कुवैत सरकार के बीच किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं।

विशिष्ट विदेशी व्यक्तियों की यात्रा

1546. श्री टी. गोविन्दन: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वर्ष के दौरान किन-किन विशिष्ट विदेशी व्यक्तियों ने भारत की यात्रा की; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान इनमें से प्रत्येक ने किन-किन करारों पर हस्ताक्षर किए?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

बिहार के लिए निधि

1547. श्री राजो सिंह: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1999-2000 के दौरान बिहार के लिए कितनी राशि की निधियां स्वीकृत की गई और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कितनी राशि जारी की गई;

(ख) क्या स्वीकृत और जारी की गई निधियों में कोई अन्तर है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) अगले वर्ष के दौरान दोबारा वित्तीय संकट की स्थिति न पैदा होने देने के लिए क्या निवारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) से (ग) बिहार (झारखंड के अलग होने से पहले) को वर्ष 1999-2000 और वर्ष 2000-01 के लिए आवंटित केन्द्रीय सहायता क्रमश: 2390.27 करोड़ रुपये तथा 2161.75 करोड़ रुपये है। वर्ष 1999-2000 के दौरान वित्त मंत्रालय द्वारा जारी की गई निधियां 2216.82 करोड़ रुपये है तथा वर्ष 2000-01 के दौरान जारी की गई निधियां अब तक 1165.63 करोड़ रुपये है। वर्ष के दौरान राज्यों को यथा आवंटित केन्द्रीय सहायता जारी करने के लिए उपलब्ध है। तथापि, एआईबीपी, ईएपी जैसे शीर्ष के अंतर्गत जारी की गई निधियां चूंकि राज्य सरकार द्वारा दावा किए गए प्रतिपूर्ति के उपयोग/निवेदन पर आधारित हैं, राज्य द्वारा, कुछ स्कीमों में, प्रतिरूप निधि के प्रावधान के संबंध में, राज्य को आवंटित केन्द्रीय सहायता राज्य द्वारा पूर्ण रूप से समाविष्ट नहीं हो पाएगी।

(घ) संविधान के अंतर्गत राज्य स्वायत्त हैं और उनसे आशा की जाती है कि वे अपनी वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए उपाए करें। चूंकि राज्य का वित्तीय प्रबंधन मुख्यत: राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है, अत: राज्य सकार को उपचारी कार्यवाई शुरू करनी है।

[अनुवाद]

पंचायतों के लिए कम्प्यूटर

1548. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश की सभी पंचायतों को रियायती दरों पर कम्प्यूटरों की आपूर्ति करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या कम्प्यूटरों की लागत में कमी लाने के लिए कोई योजना तैयार की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) रियायती दरों पर कम्प्यूटरों की आपूर्ति करने संबंधी उक्त योजना कब तक लागू कर दी जाएगी;

(ङ) क्या सरकार ने इस संबंध में महाराष्ट्र में प्रायोगिक आधार पर कोई परियोजना शुरू की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग) सरकार की कम्प्यूटरों की लागत कम करने की कोई विशेष योजना नहीं है। फिर भी, वैयक्तिक कम्प्यूटरों के

मूल्य प्रौद्योगिकी, वित्तीय लाभों एवं प्रतियोगिता के कारण गिर रहे हैं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, नहीं।

(च) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

गैस-आधारित उद्योग

1549. श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी: क्या लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तरी गुजरात में कई गैस-आधारित उद्योग हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इन उद्योगों को सुचारू रूप से चलाने के लिए पर्याप्त गैस नहीं मिल रही है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) स्थिति ने निबटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) और (ख) जी, हां। इस क्षेत्र की कुछेक इकाईयां गैस की कमी का सामना कर रही हैं।

(ग) और (घ) तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओ.एन.जी.सी.) फील्ड्स से प्राकृतिक गैस की मौजूदा उपलब्धता नार्थ गुजरात में उपभोक्ताओं को किए गए आबंटन से कम है। पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अन्तर्गत ओ.एन.जी.सी. ने मौजूदा और नए फील्ड्स के विकास और फ्लैयरिंग ऑफ गैस का नियंत्रण करने के माध्यम से गैस के उत्पादन को बढ़ाने के संबंध में विभिन्न कदम उठाए हैं।

भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् के कार्यकरण में सुधार

1550. श्री शिवाजी विठ्ठलराव काम्बले: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की चालू परियोजनाओं के कार्यनिष्पादन और निर्धारित लक्ष्य और प्राप्त लक्ष्यों की हाल ही में समीक्षा की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के क्षेत्रीय कार्यालयों के समक्ष आने वाली समस्याओं और उनके निवारण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है; और

(घ) भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के कार्यकरण को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) और (ख) भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के कार्यकलापों की इसकी सांविधिक निकायों, विशेषज्ञ समिति, विदेश मंत्रालय तथा विदेश स्थित मिशनों के प्रमुख द्वारा लगातार समीक्षा की जाती है ताकि यह और अधिक प्रभावी रूप से कार्य कर सके। इसके अतिरिक्त विदेश मंत्रालय से संबद्ध संसदीय स्थायी समिति भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के कार्यों की समीक्षा करती है।

(ग) भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के क्षेत्रीय कार्यालयों के कार्यों की कोई प्रमुख समस्या नहीं है।

(घ) भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की शासी निकाय, और आम सभा और विदेश मंत्रालय से संबद्ध संसदीय स्थायी समिति द्वारा भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के कार्यों को और अधिक प्रभावी बनाने से संबंधित की गई सिफारिशों को कार्यान्वित किया जा रहा है।

कर्मचारी भविष्य निधि में वृद्धि

1551. श्री उत्तमराव ढिकले: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार औद्योगिक प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों द्वारा जमा कराई जाने वाली भविष्य निधि अंशदान की प्रतिशतता में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) से (ग) कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत 22.9.1997 से भविष्य निधि अंशदान की न्यूनतम दर 8.33% से बढ़ाकर 10% और अधिकतम दर 10% से बढ़ाकर 12% कर दी गई है। फिलहाल भविष्य निधि की ये दरें पर्याप्त समझी गई हैं अत: योजना के

अन्तर्गत देय कर्मचारी भविष्य निधि की दरों में वृद्धि का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

सफदरजंग अस्पताल में भर्ती मरीजों को दी जाने वाली सुविधाएं

1552. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:
श्री शीशराम सिंह रवि:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नई दिल्ली में सफदरजंग अस्पताल और अन्य सरकारी अस्पतालों में भर्ती मरीजों को बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं;

(ख) क्या नए बहिरंग रोगी विभाग में नाममात्र को भी स्वच्छता नहीं है और फर्श धूल भरे और गन्दे हैं;

(ग) क्या पुराने बहिरंग रोगी विभागों में पेयजल की व्यवस्था नहीं है, बेंच और पंखे नहीं हैं और पंजीकरण पटल और डाक्टरों के कक्षों के सामने लम्बी कतारें दिखाई देती हैं;

(घ) क्या सफदरजंग अस्पताल में मरीजों को दवाओं की उपलब्धता नहीं है और सुपर बाजार में भी दवाएं नहीं हैं;

(ङ) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई जांच कराई गई है;

(च) यदि हां, तो इसका क्या निष्कर्ष रहा; और

(छ) इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/ उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (छ) केन्द्र सरकार, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद तथा दिल्ली नगर निगम के अस्पतालों में अन्तरोग-रोगियों के लिए शौचालय, पीने का पानी, टेलीफोन बूथ जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं।

सफदरजंग अस्पताल के फर्श सहित नए बहिरंग रोगी विभाग के परिसर साफ हैं। अस्पताल के परिसर की सफाई को उच्च प्राथमिकता दी जाती है तथा उद्दिष्ट किए गए उपयुक्त अधिकारियों द्वारा नियमित दौरे भी किए जाते हैं। उसी तरह केन्द्र सरकार, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद, दिल्ली नगर निगम के अन्य अस्पतालों में सफाई रखी जाती है।

सफदरजंग के पुराने बहिरंग रोगी विभागों में केन्द्र सरकार, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद, दिल्ली नगर निगम के अस्पतालों में पीने के पानी की सुविधा, बेंच तथा पंखे उपलब्ध हैं।

सफदरजंग अस्पताल में सामान्यत: अस्पताल की फार्मूलरी के अनुसार रोगियों को औषधें दी जाती हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के अधीन अस्पतालों के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

पाकिस्तान से नाभिकीय खतरा

1553. श्री सुन्दर लाल तिवारी:
श्रीमती रेणु कुमारी:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाकिस्तान के सैनिक शासक ने भारत के खिलाफ नाभिकीय हथियारों के इस्तेमाल की धमकी दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार का विचार इस धमकी से किस प्रकार निबटने का है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) और (ख) वर्तमान सैन्य शासन के 'प्रमुख कार्यकारी' जनरल परवेज मुशर्रफ ने पिछले महीने एक साक्षात्कार में कहा कि अगर पाकिस्तान की सुरक्षा को खतरा हुआ तो वह भारत के विरुद्ध अपने नाभिकीय अस्त्रों का प्रयोग कर सकता है।

(ग) अन्य देशों के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सरकार ने नाभिकीय मसले पर पाकिस्तान के संयम की कमी को उजागर किया। यह कमी कारगिल संघर्ष के दौरान पाकिस्तान द्वारा जारी कुछ गैर-जिम्मेदाराना वक्तव्यों में भी उजागर हुई थी। यह 'प्रथम प्रयोग नहीं' तथा 'न्यूनतम प्रतिरोध' के प्रति भारत के दृष्टिकोण के विपरीत है। हमारी सुरक्षा के खतरों के प्रति अपने-अपने आकलनों के अनुरूप सरकार भारत की सुरक्षा तथा राष्ट्रीय हितों की प्रभावी संरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए पूरी तरह से वचनबद्ध है।

पासपोर्ट अधिनियम में संशोधन

1554. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय पासपोर्ट अधिनियम में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) संशोधित अधिनियम के कब तक प्रभावी होने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) और (ख) जी, हां। मौजूदा सुरक्षा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने राष्ट्रीय हितों की सरंक्षा के लिए पासपोर्ट अधिनियम, 1967 में संशोधन करना आवश्यक समझा गया।

(ग) निश्चित समय-सीमा बताना संभव नहीं है क्योंकि सरकार मामले की विस्तृत जांच कर रही है।

[अनुवाद]

अतिरिक्त पेंशन

1555. श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तारीख में केन्द्र सरकार के पेंशनभोगियों की संख्या कितनी है;

(ख) पांचवें वेतन आयोग द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार पेंशनभोगियों को 38 वर्ष की सेवा के बाद प्रत्येक वर्ष की गई सेवा के लिए एक प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन न देने का क्या कारण हैं;

(ग) पेंशन निधि स्थापित करने का क्या कारण है; और

(घ) इस निधि को कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) रक्षा-सेवाओं, रेल, डाक-तार और केन्द्रीय सरकार के अन्य विभागों के पेंशनभोगियों की अनुमानित संख्या लगभग 38 लाख है।

(ख) प्रशासनिक, वित्तीय और कानूनी कठिनाइयों के मद्देनजर, सरकार ने, 33 वर्ष की सेवा से अधिक की अतिरिक्त सेवा के संबंध में अतिरिक्त पेंशन दिए जाने से संबद्ध सिफारिश स्वीकार नहीं की है।

(ग) और (घ) पांचवें केन्द्रीय वेतन-आयोग ने यह सिफारिश की है कि वर्ष 1997-98 से भर्ती होने वाले प्रत्येक कर्मचारी के वेतन की 17.73% धनराशि काटकर के सरकार के पास एक राष्ट्रीय पेंशन-कोष कायम किया जाए जिससे कि वर्ष 1997-98 से, सेवा में आने वाले कर्मचारियों की पेंशन की देयता से संबद्ध व्यय प्रस्तावित कोष से वहन किया जा सके। इस बारे में अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

आर्थर एंडरसन सलाहकार

1556. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या **लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खादी-ग्रामोद्योग आयोग को पुन: गठित करने के लिए सरकार द्वारा आर्थर एंडरसन सलाहकार की सेवाएं ली गई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस संबंध में कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) परामर्शदाता द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है।

समेकित अवसंरचना विकास कार्य

1557. श्री अरुण कुमार:
श्री कांतिलाल भूरिया:

क्या **लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार के ग्रामीण और पिछड़े जिलों में लघु उद्योगों हेतु समेकित अवसंरचना विकास कार्यों की अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ख) इनकी दशा में और सुधार हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) और (ख) केन्द्र सरकार की एकीकृत आधारिक संरचना विकास योजना (आई आई डी) के अन्तर्गत लघु उद्योगों के लिए एकीकृत आधारिक संरचना विकास केन्द्र, राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर संस्वीकृत किए गए हैं। अब तक बिहार राज्य से एकीकृत आधारिक संरचना विकास केन्द्र स्थापित करने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

समेकित औद्योगिक विकास योजना

1558. श्री कांतिलाल भूरिया: क्या **लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों को केन्द्र की समेकित औद्योगिक विकास योजना के अंतर्गत शमिल किया गया है जिसमें लघु उद्योग क्षेत्र का विकास सरकारी निर्देशों और ''सिडबी'' से ऋण के माध्यम से किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इन योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार की स्वीकृति के बाद भी ''सिडबी'' ने सिवनी जिले में मन्डोल औद्योगिक क्षेत्र के विकास की योजना के लिए ऋण नहीं दिया;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इन योजनाओं का क्रियान्वयन किस प्रकार से किया जाएगा?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) और (ख) जी, हां। एकीकृत आधारिक संरचना विकास योजना 1994 में ग्रामीण/पिछड़े क्षेत्रों में मूलभूत आधारित संरचना सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु शुरू की गई थी। इस स्कीम के अन्तर्गत प्रत्येक केन्द्र के लिए 2 करोड़ रु. का केन्द्रीय अनुदान और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) से 3.00 करोड़ रुपये तक का ऋण उपलब्ध है। राज्य सरकारों के लिए आवश्यक है कि वह उचित स्थान चुनें, प्रस्तावों को पक्का करें, तकनीकी-आर्थिक जीवन क्षमता हेतु सिडबी से इनका मूल्यांकन करवाए और एक कार्यान्वयन अभिकरण नियुक्त करें। सिडबी आवधिक ऋण के समान केन्द्रीय अनुदान जारी करने हेतु प्राधिकृत है। कार्यान्वयन अभिकरण विशेष रूप से परियोजना के नाम पर अपने संसाधन के समान भाग बैंक में जमा करके केन्द्रीय अनुदान से अग्रिम प्राप्त कर सकते हैं। अथा केन्द्रीय अभिकरण द्वारा किए गए व्यय को देखते हुए प्रतिपूर्ति आधार पर केन्द्रीय अनुदान जारी किया जाता है। मध्य प्रदेश राज्य में चार एकीकृत आधारिक संरचना विकास केन्द्र स्वीकृत किए गए हैं। एक नदनतोल जिला सतना, दूसरा मंडोल जिला सिवनी, तीसरा जग्गाखेडी जिला मंदसौर और चौथा निगरानी गांव जिला खरगौन में है। सतना जिले के नदनतोल आई आई डी केन्द्र के लिए 89.00 लाख रुपये का केन्द्रीय अनुदान पहले ही जारी कर दिया गया है। मंदसौर जिले के जग्गाखेडी तथा खरगौन जिले के निमरानी में हाल ही में संस्वीकृत परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार ने केन्द्रीय अनुदान हेतु मांग नहीं की है। मध्य प्रदेश सरकार ने सिवनी जिले के मंडोल हेतु स्वीकृत परियोजना को छोड़ दिया है।

(ग) से (ङ) योजना के अंतर्गत राज्य सरकार के लिए आवश्यक है कि वह एक ऐसा कार्यान्वयन अभिकरण नियुक्त करे जिसका ट्रैक रिकार्ड अच्छा हो और उसकी वित्तीय स्थिति सुदृढ़ हो। आई आई डी केन्द्र ''मन्डोल'' के प्रस्तावित कार्यान्वयन अभिकरण मध्य प्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, जबलपुर की वित्तीय स्थिति संतोषजनक नहीं पाई गई थी। अभिकरण ने भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का भुगतान नहीं किया है और हानियां उठाई हैं। इसलिए सिडबी ऋण संस्वीकृत करने का इच्छुक नहीं है। राज्य सरकार को विकल्प दिया गया था कि सिडबी के ऋण के स्थान पर अपनी स्वयं की निधि का निवेश करे या कार्यान्वयन अभिकरण बदले। राज्य सरकार ने अपनी स्वयं की निधि निवेश करने में असमर्थता व्यक्त की है और सूचना दी है कि उन्होंने सिवनी जिले के मंडोल आई आई डी केन्द्र का कार्यान्वयन छोड़ दिया है।

[अनुवाद]

जल संसाधन नीति

1559. श्री अनादि साहू: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने राष्ट्रीय जल नीति की तरह अपनी जल संसाधन नीति बनाई है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार और उड़ीसा सरकार ने उड़ीसा में बाढ़ प्रवण नदियों, यथा-महानदी, ब्रह्मणी, बैतरणी और ऋषिकुल्या के नियंत्रण और प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय जल नीति के एक भाग के रूप में एक मास्टर प्लान तैयार किया है; और

(ग) यदि हां, तो योजना के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं और चालू वित्त वर्ष के दौरान इस हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

जल-संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) जी, हां। उड़ीसा की राज्य सरकार ने राष्ट्रीय जल नीति, 1987 के अनुरूप एक राज्य जल नीति तैयार किया है।

(ख) उड़ीसा सरकार ने महानदी डेल्टा कमान क्षेत्र की डेल्टा विकास योजना तैयार की है जिसमें महानदी डेल्टा क्षेत्र की जल निकास विकास योजना भी शामिल है। इस योजना में अन्य बातों के साथ-साथ तटबंधों को ऊंचा करना एवं उनका सुदृढ़ीकरण नदी नियंत्रण कार्यों, संपर्क, सहायक और निकासी नालियों का निर्माण और उनका सुधार करना, आवश्यकतानुसार ज्वारीय/बाढ़ नियमन सुविधाएं और नालियों के तटबंध तैयार करने की योजनाएं भी शामिल हैं।

तथापि, राज्य सरकार ने ब्राह्मणी, बैतरणी और ऋषिकुल्या के संबंध में जल संसाधन मंत्रालय को कोई मास्टर योजना प्रस्तुत नहीं की है।

(ग) जल संसाधन विकास और बाढ़ प्रबंधन स्कीमों का अन्वेषण, आयोजना एवं उनका कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा उनकी प्राथमिकता तथा निधियों की उपलब्धता के अनुसार किया जाता है।

म्यांमार के नागरिकों का प्रत्यर्पण

1560. डा. मन्दा जगन्नाथ: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेशियों विषयक् अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार किए गए और बाद में सितम्बर, 1999 में भारतीय न्यायालयों द्वारा बरी किए गए 58 म्यांमारी कैदियों को म्यांमार के अधिकारियों ने वहां प्रवेश नहीं करने दिया;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में म्यांमार सरकार से संपर्क किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) से (ग) पश्चिमी बंगाल की राज्य सरकार ने ऐसे 58 व्यक्तियों, जिन्हें म्यामांर राष्ट्रिक बताया गया है, के बारे में सूचना दी है जिन्होंने पश्चिम बंगाल में अपनी सजा पूरी कर ली है। उनके प्रत्यावर्तन के मामले को म्यामांर सरकार के साथ नई दिल्ली स्थित उनके राजदूतावास के माध्यम से उठाया गया है।

महासंघ का गठन

1561. श्री सुकदेव पासवान:
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत, पाकिस्तान और बंगलादेश को मिलाकर एक महासंघ का गठन करने की कोई मांग है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

न्यूनतम मूलभूत सेवाएं

1562. श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) न्यूनतम मूलभूत सेवाएं कार्यक्रम और ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) गत दो वर्षों के दौरान विभिन्न केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत राज्यों; विशेषकर गुजरात को कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(घ) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य विशेषकर गुजरात को केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत परिवार कल्याण हेतु कितनी धनराशि जारी की गई और इन राज्यों ने कितनी धनराशि का उपयोग किया; और

(ङ) वर्ष 1998-99 और 1999-2000 के दौरान प्रत्येक राज्य और विशेषकर गुजरात को त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम

(एआरडब्लुएसपी) और त्वरित शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम (एयूडब्ल्यूएसपी) की केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत राज्यवार कितनी धनराशि जारी की गई और उन्होंने कितनी धनराशि व्यय की?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री(श्री अरुण शौरी): (क) बुनियादी न्यूनतम सेवा (बीएमएस) कार्यक्रम, जुलाई, 1996 में आयोजित मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन की सिफारिशों के अनुसरण में शुरू किया गया था। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि लोगों की अपनी जीवन गुणवत्ता सुधारने के लिए आधारभूत सेवाओं तक पहुंच हो।

प्राथमिकता प्रदान करने के लिए निम्नलिखित सात बुनियादी सेवाओं की पहचान की गयी थी:-

क. ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल के प्रावधान का शत प्रतिशत कवरेज।

ख. ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं का शत प्रतिशत करवरेज।

ग. प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनीकरण।

घ. सभी आवासविहीन गरीब परिवारों को सार्वजनिक आवास सहायता का प्रावधान।

ङ. सभी ग्रामीण ब्लाकों और शहरी गंदी बस्तियों एवं अलाभान्वित वर्गों को प्राथमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के विस्तार के द्वारा पूरक पोषाहार तथा आई सी डी एस के भाग के रूप में लागू पूरक पोषाहार कार्यक्रम।

च. सभी असम्बद्ध गावों और आवास स्थलों की संयोजनता का प्रावधान।

छ. गरीबों पर विशेष ध्यान केन्द्रित करते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कारगर बनाना।

(ख) वर्ष 2000-01 से बी.एम.एस. कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है। इसके स्थान पर चालू वर्ष से प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना (पीएमजीवाई) शुरू की गई है। पीएमजीवाई का उद्देश्य चुनी गयी सेवाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता प्रदान करना है। ये हैं: शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, पेयजल और पोषाहार। इसके अतिरिक्त, इस स्कीम के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों को प्राथमिकता प्रदान की गयी है। जिसके लिए चालू वर्ष में 2500 करोड़ रुपये का अलग से प्रावधान किया गया है।

(ग) बीएमएस के अंतर्गत शामिल किए गए लोगों को सेवाएं मुहैया कराने के लिए भारत सरकार द्वारा बहुत सी केन्द्र प्रायोजित स्कीमें चलाई जा रही हैं इसके अतिरिक्त राज्य, राज्य क्षेत्रक की स्कीमें भी लागू करते हैं। उन केन्द्र प्रायोजित स्कीमों की सूची, जो उन मुद्दों का समाधान करती हैं, जिनके लिए बी एम एस कार्यक्रम तैयार किया गया था, नीचे दी गई हैं:

स्वच्छ पेयजल आपूर्ति	:	त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम (एआरडब्ल्यूएसपी) और त्वरित शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम (एयूडब्ल्यूएसपी)।
प्राथमिक शिक्षा	:	आपरेशन ब्लैकबोर्ड, शिक्षक शिक्षा जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, अनौपचारिक शिक्षा और मध्याह्न भोजन
स्वास्थ्य	:	परिवार कल्याण और स्वास्थ्य के लिए विभिन्न स्कीमें।
आवास	:	ग्रामीण आवास के लिए इंदिरा आवास योजना
पोषाहार	:	एकीकृत बाल विकास सेवा स्कीम (आईसीडीएस)।

उत्तर के भाग (ख) में उल्लिखित केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत गुजरात राज्य के लिए पिछले दो वर्षों के दौरान आवंटन/जारी की गई राशि निम्नलिखित हैं:

केन्द्रीय आबंटन/जारी की गई राशि

(करोड़ रुपये)

स्कीम का नाम	1998-99	1999-2000
प्राथमिक शिक्षा	122.63	112.06
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	142.13	201.43
आवास (आईएवाई)	39.38	51.64
पोषाहार	47.88	53.70
जलापूर्ति	64.66	67.63

(घ) पिछले दो वर्षों के लिए गुजरात सरकार को केन्द्रीय आबंटन/जारी की गई राशि और परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य कार्यक्रमों (एड्स के नियंत्रण, मलेरिया, कुष्ठ, यक्ष्म और अंधापन के उन्मूलन के लिए) के अंतर्गत व्यय निम्नलिखित हैं:

(करोड़ रुपये)

	1998-99		1999-2000	
	आबंटन/जारी राशि	व्यय	आबंटन/जारी की गई	व्यय
परिवार कल्याण	126.11	110.16	172.13	111.30
स्वास्थ्य	16.02	14.09	29.30	16.39
कुल	142.13	124.25	201.43	127.69

(ङ) वर्ष 1998-99 और 1999-2000 के दौरान त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम (एआरडब्ल्यूएसपी) और त्वरित शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम (एयूडब्ल्यूएसपी) की केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत राज्यवार आबंटन, जारी की गई राशि और व्यय संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है।

विवरण-I

वर्ष 1998-99 के दौरान त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम (एआडब्ल्यूएसपी) के अंतर्गत आवंटन, जारी किया एवं व्यय दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपये में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एआरडब्ल्यूएसपी (डीडीपी सहित)		
		आबंटन	जारी किया गया	व्यय
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	10131.61	10033.44	10086.96
2.	अरुणाचल प्रदेश	3623.00	2163.82	1408.12
3.	असम	6120.00	6417.00	3222.87
4.	बिहार	11768.50	0.00	850.24
5.	गोवा	283.75	0.00	14.83
6.	गुजरात	6260.51	7151.35	7015.84
7.	हरियाणा	3643.34	3477.47	3248.56
8.	हिमाचल प्रदेश	2008.15	2939.59	2010.81
9.	जम्मू व कश्मीर	5567.40	4659.41	2735.37
10	कर्नाटक	10134.98	10549.42	9472.45
11.	केरल	4673.49	4673.49	3158.62
12.	मध्य प्रदेश	11063.07	11061.14	10488.04

1	2	3	4	5
13.	महाराष्ट्र	13301.46	16384.68	41891.94
14.	मणिपुर	1330.00	666.74	357.07
15.	मेघालय	1425.00	1709.00	1157.05
16.	मिजोरम	1018.00	1017.66	1200.40
17.	नागालैंड	1058.00	796.90	755.34
18.	उड़ीसा	5236.47	4793.75	4352.52
19.	पंजाब	1668.62	2205.28	1102.62
20.	राजस्थान	15519.38	16506.47	14419.55
21.	सिक्किम	434.00	1401.12	725.00
22.	तमिलनाडु	7922.54	10527.51	13151.14
23.	त्रिपुरा	1262.00	2128.95	2128.95
24.	उत्तर प्रदेश	18537.93	16297.06	18605.18
25.	पश्चिम बंगाल	7169.63	6426.91	5852.13
26.	अंडमान व निकोबार	12.50	0.00	0.00
27.	दादरा एवं नगर हवेली	12.50	0.00	0.00
28.	दमन एवं दीव	12.50	0.00	0.00
29.	दिल्ली	5.00	0.00	0.00
30.	लक्षद्वीप	12.50	0.00	0.00
31.	पांडिचेरी	5.00	0.00	1.79
	जोड़	151220.83	143988.16	159413.39

वर्ष 1999-2000 के दौरान त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम (एआरडब्ल्यूएसपी) के अंतर्गत आवंटन, जारी किया एवं व्यय दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपये में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एआरडब्ल्यूएसपी (डीडीपी सहित)		
		आवंटन	जारी किया गया	व्यय
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	9283.51	12534.37	12576.45
2.	अरुणाचल प्रदेश	2476.00	1980.80	2979.46
3.	असम	4180.00	2090.00	5564.58

1	2	3	4	5
4.	बिहार	9380.00	4690.00	869.99
5.	गोवा	352.92	0.00	490.36
6.	गुजरात	6428.52	7842.20	19936.65
7.	हरियाणा	3334.34	3857.67	3813.44
8.	हिमाचल प्रदेश	2316.85	3107.95	4127.36
9.	जम्मू व कश्मीर	6434.26	3190.72	2337.25
10	कर्नाटक	9359.83	11409.90	10272.65
11.	केरल	4307.88	3446.30	4227.56
12.	मध्य प्रदेश	9444.68	12330.44	12338.77
13.	महाराष्ट्र	13614.41	17302.37	18846.54
14.	मणिपुर	907.00	0.00	88.89
15.	मेघालय	974.00	779.20	1045.76
16.	मिजोरम	696.00	696.00	548.82
17.	नागालैंड	724.00	579.20	765.08
18.	उड़ीसा	4847.93	4847.93	3407.73
19.	पंजाब	1720.64	2320.64	1245.98
20.	राजस्थान	17241.06	15654.37	11881.50
21.	सिक्किम	460.83	1045.59	418.94
22.	तमिलनाडु	6534.66	8958.28	18095.73
23.	त्रिपुरा	862.00	1662.00	1662.00
24.	उत्तर प्रदेश	14775.00	14825.12	16084.02
25.	प. बंगाल	7008.15	5606.45	7337.74
26.	अंडमान व निकोबार	12.50	0.00	0.00
27.	दादरा एवं नगर हवेली	12.50	0.00	0.00
28.	दमन एवं दीव	12.50	0.00	0.00
29.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00
30.	लक्षद्वीप	12.50	0.00	0.00
31.	पांडिचेरी	5.00	0.00	10.13
	जोड़	137719.47	140757.00	160973.38

विवरण-II

शहरी विकास मंत्रालय

केन्द्र प्रायोजित त्वरित जल आपूर्ति कार्यक्रम (एयूडब्ल्यूएसपी)

स्थिति: 11.11.2000
(लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्य	वार्षिक आबंटन 1998-99	वार्षिक आवंटन 1999-200	जारी की गई राशि		प्रतिवेदित संचयी व्यय (राज्य अंश सहित)
				अवधि 1998-99	अवधि 1999-2000	
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	125.36	203.71	—	—	—
2.	अरुणाचल प्रदेश	30.2	49.08	0.00	149.08	733.59
3.	असम	199.55	324.26	198.87	324.26	503.05
4.	बिहार	192.75	313.21	192.75	319.47	112.21@
5.	गोवा	23.72	38.54	0.00	0.00	51.41
6.	गुजरात	205.92	334.62	0.00	347.25	958.09
7.	हरियाणा	80.19	130.3	130.19	259.56	713.63
8.	हिमाचल प्रदेश	30.12	48.94	58.95	156.50	872.91
9.	जम्मू व कश्मीर	18.44	29.97	20.75	183.90	122.97@
10	कर्नाटक	248.08	403.13	298.08	465.91	1649.59
11.	केरल	88.84	144.37	85.50	67.69	272.38@
12.	मध्य प्रदेश	576.72	936.56	626.72	936.56	3202.35
13.	महाराष्ट्र	243.94	396.4	393.94	369.01	2286.33
14.	मणिपुर	63.16	102.63	63.16	160.51	456.32
15.	मेघालय	11.9	19.34	0.00	0.00	183.10
16.	मिजोरम	32.95	53.54	76.95	63.42	415.88
17.	नागालैंड	15.56	25.29	17.51	175.80	555.08
18.	उड़ीसा	153.96	251.42	258.00	258.62	1209.06
19.	पंजाब	84.33	137.03	0.00	105.48	140.94@
20.	राजस्थान	236.41	384.17	324.81	0.00	2635.61
21.	सिक्किम	4.58	7.44	0.00	28.92	—
22.	तमिलनाडु	234.91	381.72	234.91	521.36	1536.03

1	2	3	4	5	6	7
23.	त्रिपुरा	42.11	68.42	42.11	91.44	90.00
24.	उत्तर प्रदेश	932.83	1515.26	932.83	1515.26	6496.44
25.	पश्चिम बंगाल	123.47	200.65	43.97	0.00	333.00
	कुल	4000.00	6500.00	4000.00	6500.00	25529.97

*प्रतिवेदन व्यय केन्द्र तथा राज्य दोनों सरकारों द्वारा जारी राशि से 50 प्रतिशत से कम हैं।
स्रोत: शहरी विकास मंत्रालय और पी.ए.

न्यूनतम मूलभूत सेवाएं

1563. श्री बृज भूषण शरण सिंह: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जनता को उपलब्ध कराई जाने वाली उच्च प्राथमिकता प्राप्त न्यूनतम मूलभूत सेवाओं की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) चालू वित्त वर्ष के दौरान इस हेतु राज्यवार कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(घ) क्या इस राशि के दुरुपयोग के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) और (ख) जी, हां। सरकार द्वारा ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में रहने वाले के लिए मूलभूत सेवाओं को प्राथमिकता दी गई है। इस संबंध में पांचवीं पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (एमएनपी) एक समन्वित प्रयास था। बुनियादी न्यूनतम सेवा (बीएमएस) कार्यक्रम जुलाई, 1996 में आयोजित मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन की सिफारिशों के अनुसरण में शुरू किया गया था। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि लोगों की अपनी जीवन गुणवत्ता सुधारने के लिए आधारभूत सेवाओं तक पहुंच हो।

प्राथमिकता प्रदान करने के लिए निम्नलिखित सात बुनियादी सेवाओं की पहचान की गयी थी:-

1. ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल के प्रावधान का शत प्रतिशत कवरेज।
2. ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं का शत प्रतिशत कवरेज।
3. प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनिकरण।
4. सभी आवासविहीन गरीबी परिवारों को सार्वजनिक आवास सहायता का प्रावधान।
5. सभी ग्रामीण ब्लाकों और शहरी गंदी बस्तियों एवं अलाभान्वित वर्गों को प्राथमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के विस्तार के द्वारा पूरक पोषाहार तथा आईसीडीएस के भाग के रूप में लागू पूरक पोषाहार कार्यक्रम।
6. सभी असम्बद्ध गांवों और आवास स्थलों की संयोजनता का प्रावधान।
7. गरीबों पर विशेष ध्यान केन्द्रित करते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कारगर बनाना।

वर्ष 2000-01 से बी.एम.एस. कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है। इसके स्थान पर चालू वर्ष से प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना (पीएमजीवाई) शुरू की गयी है। पीएमजीवाई का उद्देश्य चुनी गयी सेवाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता प्रदान करना है। ये हैं: शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, पेयजल और पोषाहार। इसके अतिरिक्त, इस स्कीम के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों को प्राथमिकता प्रदान की गयी है जिसके लिए चालू वर्ष में 2500 करोड़ रुपये का अलग से प्रावधान किया गया है।

(ग) ग्रामीण सड़क घटक को छोड़कर पीएमजीवाई कार्यक्रम के लिए चालू वर्ष में अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) का राज्यवार आबंटन संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) उपर्युक्त को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

पीएमजीवाई 2000-01 के लिए एसीए का आवंटन

(लाख रुपये)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	विशेष केन्द्रीय सहायता 2000-01
1	2	3
गैर-विशेष श्रेणी राज्य		
1.	आंध्र प्रदेश	14206.00
2.	बिहार	28725.00
3.	गोवा	78.00
4.	गुजरात	6479.00
5.	हरियाणा	1678.00
6.	कर्नाटक	7513.00
7.	केरल	6908.00
8.	मध्य प्रदेश	11377.00
9.	महाराष्ट्र	9913.00
10.	उड़ीसा	9855.00
11.	पंजाब	4040.00
12.	राजस्थान	9640.00
13.	तमिलनाडु	10479.00
14.	उत्तर प्रदेश	34891.00
15.	पश्चिम बंगाल	16782.00
	उप जोड़	172564.00
विशेष श्रेणी		
1.	अरुणाचल प्रदेश	6817.00
2.	असम	17957.00
3.	हिमाचल प्रदेश	7061.00
4.	जम्मू व कश्मीर	17158.00
5.	मणिपुर	4856.00
6.	मेघालय	4059.00
7.	मिजोरम	4041.00
8.	नागालैंड	4113.00
9.	सिक्किम	2811.00
10.	त्रिपुरा	5083.00
	उप जोड़	73956.00
संघ राज्य क्षेत्र		
1.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	1105.00
2.	पांडिचेरी	477.00
3.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	1027.00
4.	चंडीगढ़	456.00
5.	दादर व नगर हवेली	132.00
6.	लक्षद्वीप	177.00
7.	दमन व दीव	106.00
	उप जोड़	3480.00
	कुल जोड़	250000.00

सरकारी और सम्बद्ध मेडिकल कालेज

1564. श्री हरिभाई चौधरी:
श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्यवार कितने सम्बद्ध मेडिकल कालेज हैं;

(ख) सरकारी और सम्बद्ध मेडिकल कालेजों में प्रवेश हेतु निर्धारित मानदण्ड क्या हैं;

(ग) क्या सरकार को एम बी बी एस/दंत चिकित्सा पाठ्यक्रमों हेतु प्रवेश परीक्षा लेने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का क्या निर्णय है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) देश में मेडिकल कालेजों की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) मेडिकल कालेजों में एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश के पात्रता मानदण्ड स्नातक आयुर्विज्ञान शिक्षा संबंधी भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद विनियम, 1997 और 1999 में जारी की गई इसके संशोधन संबंधी अधिसूचना संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं:

(ग) और (घ) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड देश भर में फैले हुए 300 केन्द्रों में राजकीय मेडिकल कालेजों में एमबीबीएस/बीडीएस पाठ्यक्रमों में 15 प्रतिशत सीटों के लिए प्रवेश हेतु अखिल भारतीय प्रि-मेडिकल/प्रि-डेंटल प्रवेश परीक्षा आयोजित कर रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का प्राइवेट मेडिकल/डेंटल कालेजों में एमबीबीएस/बीडीएस पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा आयोजित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण-I

जून, 2000 की स्थिति के अनुसार देश में मेडिकल कालेजों की राज्यवार संख्या

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	मान्यता प्राप्त			गैर-मान्यताप्राप्त/विचाराधीन			धारा 10क के अधीन दी गई अनुमति			योग
	सर-कारी	विश्व वि.	प्राइ-वेट	सर-कारी	विश्व वि.	प्राइ-वेट	सर-कारी	विश्व वि.	प्राइ-वेट	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
आंध्र प्रदेश	9	—	1	—	—	—	—	—	4	14
असम	3	—	—	—	—	—	—	—	—	3
बिहार	9	—	—	—	—	2	—	—	—	11
चंडीगढ़	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
दिल्ली	3	1	—	—	—	—	—	—	—	4
गोवा	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
गुजरात	6	—	1	—	—	—	2	—	1	10
हरियाणा	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
हिमाचल प्रदेश	1	—	—	—	—	—	1	—	—	2
जम्मू व कश्मीर	2	—	—	1	—	—	—	—	1	4
कर्नाटक	4	—	15	—	—	—	—	—	4	23
केरल	5	—	—	—	—	—	1	—	—	6
मध्य प्रदेश	6	—	—	—	—	—	—	—	—	6
महाराष्ट्र	16	—	16	—	—	—	—	—	2	34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
मणिपुर	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
उड़ीसा	3	—	—	—	—	—	—	—	—	3
पांडिचेरी	1	—	—	—	—	—	—	—	1	2
पंजाब	3	—	2	—	—	—	—	—	1	6
राजस्थान	6	—	—	—	—	—	—	—	—	6
तमिलनाडु	10	—	4	—	—	—	2	—	1	17
उत्तर प्रदेश	7	2	—	—	—	—	—	—	2	11
पश्चिम बंगाल	7	—	—	—	—	—	—	—	—	7
योग	104	3	40	1	—	2	6	—	17	173
महायोग		147			3			23		173

विवरण-II

1310 भारत का राजपत्र, मई 17, 1997 (वैशाख 27, 1919)
[भाग 3-खण्ड 4]
भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद
दिनांक 4 मार्च 1997

सं. भा.आ.प.-26 (3)/96-मैड-भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद केन्द्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति से एतद् द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात्:-

(1) संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ (1) ये विनियम

''स्नातक आयुर्विज्ञान शिक्षा पर विनियम, 1997'' कहे जाएंगे।

(2) ये शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

अध्याय-2

प्रवेश, चयन, प्रव्रजन और प्रशिक्षण:-

4. आयुर्विज्ञान पाठ्यक्रम में प्रवेश -''पात्रता मानक'' किसी भी अभ्यर्थी को प्रथम आयुर्विज्ञान और शल्य-चिकित्सा स्नातक (एम.बी.बी.एस.) पाठ्यक्रम के आयुर्विज्ञान पाठ्यक्रम में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी जब तक कि:-

(1) वह उक्त पाठ्यक्रम का विहित शैक्षिक सत्र आरम्भ होने वाले वर्ष की जुलाई के प्रथम दिन से पूर्व 17 वर्ष की आयु पूरी नहीं कर लेता/लेती।

2. उसने नीचे दिए अनुसार अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की हों:-

(क) उच्चतर माध्यमिक परीक्षा अथवा भारतीय स्कूल प्रमाण-पत्र जो 12 वर्ष के अध्ययन की अवधि के उपरान्त 10+2 उच्चतर माध्यमिक परीक्षा के समकक्ष है, अध्ययन के अंतिम दो वर्षों में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और गणित अथवा शिक्षा पर राष्ट्रीय समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार 10+2+3 वर्षीय शैक्षिक ढांचा आरम्भ किए जाने के बाद राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा अंग्रेजी के लिए यथा-निर्धारित कोर पाठ्यक्रम के स्तर पर अंग्रेजी सहित अन्य कोई वैकल्पिक विषय;

टिप्पणी: पाठ्यक्रम की विषय-सूची राष्ट्रीय समिति के 10+2 शैक्षिक ढांचे के लिए विहित के अनुसार नहीं होने की स्थिति में अभ्यर्थियों को आयुर्विज्ञान कालेजों में प्रवेश

से पूर्व एक वर्ष की अवधि का पूर्ण-व्यवसाय प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा;

अथवा

(ख) किसी भारतीय विश्वविद्यालय/बोर्ड अथवा अन्य मान्यता प्राप्त परीक्षा निकाय की भौतिक-विज्ञान रसायन-विज्ञान और जीव-विज्ञान सहित जिसमें इन विषयों में प्रायोगिक परीक्षा भी शामिल है और अंग्रेजी एक अनिवार्य विषय के साथ विज्ञान में इन्टरमीडिएट परीक्षा;

अथवा

3.2.3 उच्चतम माध्यमिक विद्यालय परीक्षा अथवा प्री-यूनीवर्सिटी अथवा कोई समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् भौतिक-विज्ञान, रसायन-विज्ञान और जीव-विज्ञान विषयों के साथ प्री-प्रोफेशनल/प्री-आयुर्विज्ञान परीक्षा/प्री-प्रोफेशनल/प्री-आयुर्विज्ञान परीक्षा में भौतिक-विज्ञान, रसायन-विज्ञान और जीव-विज्ञान में प्रायोगिक परीक्षा और अंग्रेजी एक अनिवार्य विषय के रूप में शामिल होना चाहिए।

अथवा

(घ) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय का भौतिक-विज्ञान रसायन-विज्ञान और जीव-विज्ञान विषयों में प्रायोगिक परीक्षा सहित इन विषयों के साथ तीन वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम का प्रथम वर्ष बशर्ते कि परीक्षा "विश्वविद्यालय परीक्षा" हो और अभ्यर्थी ने कोर पाठ्यक्रम के स्तर का अंग्रेजी के साथ 10+2 उत्तीर्ण किया हो।

अथवा

(ङ) किसी भारतीय विश्वविद्यालय की विज्ञान-स्नातक परीक्षा बशर्ते कि उसने भौतिक-विज्ञान, रसायन-विज्ञान और जीव-विज्ञान, वनस्पति-विज्ञान, प्राणि विज्ञान विषयों में से कम से कम दो विषयों के साथ विज्ञान स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की हो और इसके अलावा उसने पहले भौतिक-विज्ञान, रसायन-विज्ञान, जीव-विज्ञान और अंग्रेजी के साथ अर्हक परीक्षा भी उत्तीर्ण की हो।

अथवा

(च) भौतिक-विज्ञान, रसायन-विज्ञान और जीव-विज्ञान विषयों में से प्रत्येक में प्रायोगिक परीक्षा सहित इन विषयों और अंग्रेजी के साथ कोई अन्य परीक्षा जो, विषयों और स्तर में किसी भारतीय विश्व विद्यालय/बोर्ड की इन्टरमीडिएट विज्ञान परीक्षा के समकक्ष हो।

टिप्पणी:

प्री-आयुर्विज्ञान पाठ्यक्रम किसी आयुर्विज्ञान कालेज अथवा किसी विज्ञान-कालेज में आयोजित किया जाएगा।

आयुर्विज्ञान और शल्य-चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए गणित में प्राप्त अंकों को शामिल नहीं किया जाएगा।

10+2 पाठ्यक्रम आरम्भ कर दिए जाने के उपरान्त समेकित पाठ्यक्रम समाप्त कर दिए जाने चाहिए।

5. विद्यार्थियों का चयन: आयुर्विज्ञान कालेज में विद्यार्थियों का चयन पूर्णत: योग्यता क्रम के आधार पर होगा और योग्यताक्रम के निर्धारण के लिए निम्नलिखित कसौटी देश भर में समान रूप से अपनाई जाएगी:-

(1) अर्हक परीक्षा आयोजित करने वाली केवल एक आयुर्विज्ञान कालेज और एक विश्वविद्यालय/बोर्ड/परीक्षा निकाय होने वाले राज्यों/में ऐसी अर्हक परीक्षा में प्राप्त अंकों पर गौर किया जाएगा।

(2) अर्हक परीक्षा आयोजित करने के लिए एक से अधिक विश्वविद्यालय/बोर्ड/परीक्षा निकाय होने वाले (अथवा जहां एक ही प्राधिकरण के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एक से अधिक आयुर्विज्ञान कालेज हैं राज्यों में एक प्रतियोगी प्रवेश परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए ताकि समान मूल्यांकन किया जा सके क्योंकि विभिन्न एजेंसियों द्वारा आयोजित अर्हक परीक्षा के स्तर में भिन्नता हो सकती है।

(3) एक से अधिक कालेज होने वाले और अर्हक परीक्षा आयोजित करने वाला केवल एक विश्वविद्यालय/बोर्ड होने वाले राज्य में सभी कालेजों के लिए एक संयुक्त चयन बोर्ड गठित किया जाए।

(4) अखिल भारतीय स्वरूप के संस्थानों के मामलों में प्रतियोगी प्रवेश परीक्षा नितांत आवश्यक है।

(5) प्रतियोगी प्रवेश परीक्षा का पात्र होने के लिए अभ्यर्थी में "पात्रता कसौटी" शीर्ष टिप्पणी के अंतर्गत यथा-उल्लिखित कोई अर्हक परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण की हो;

परन्तु यह भी कि:-

(1) अर्हक परीक्षा के आधार पर प्रवेश के मामले में आयुर्विज्ञान पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी ने अर्हक परीक्षा के साथ ली गई परीक्षा में अंग्रेजी

में 50% और भौतिक विज्ञान, रसायन-विज्ञान और जीव-विज्ञान में 50% से कम अंक प्राप्त न किए हों;

(2) प्रतियोगी प्रवेश परीक्षा के आधार पर प्रवेश के मामले में आयुर्विज्ञान पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी ने अर्हक और प्रतियोगी दोनों परीक्षाओं में एक साथ की गई परीक्षा में अंग्रेजी में 50 अंकों और भौतिक-विज्ञान, रसायन-विज्ञान और जीव-विज्ञान में 50% अंकों से कम अंक प्राप्त न किए हों।

परन्तु यह भी कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों (अ.वि.व.) से सम्बद्ध अभ्यर्थियों के संबंध में प्राप्त अंकों के 50% की बजाय 40% पढ़ा जाए।

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद

दिल्ली, दिनांक 10 मई, 1999

सं. 26(3)/99-आयु. : भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद, अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद, केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति से स्नातक आयुर्विज्ञान शिक्षा, 1997 के विनियमों का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ:-

(1) ये विनियम स्नातक आयुर्विज्ञान शिक्षा (संशोधन) विनियम, 1999 कहे जायेंगे।

(2) ये शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।

2. स्नातक आयुर्विज्ञान शिक्षा विनियम, 1997 में :-

(क) विनियम 4 के खण्ड (1) के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:-

(1) एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश के वर्ष में वह 31 दिसम्बर को या उससे पहले 17 वर्ष की आयु पूरी कर चुका/चुकी हो।

(ख) विनियम 5 खण्ड (5) के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

(5) एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम के चयन की पद्धति निम्नलिखित होगी:-

(1) योग्यता आधार पर खण्ड (1) के अधीन अर्हक परीक्षा के आधार पर प्रवेश के मामले में अभ्यर्थी को एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीवविज्ञान तथा अंग्रेजी विषयों में प्रत्येक में उत्तीर्ण होना होगा और भौतिक विज्ञान रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान में अर्हक परीक्षा में कुल मिलाकर 50% अंक अवश्य प्राप्त करने होंगे जैसा कि विनियम (4) के खण्ड (2) में उल्लिखित है। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों के सम्बन्ध में अर्हक परीक्षा में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान तथा जीव विज्ञान में प्राप्तांक 50% के स्थान पर 40% होंगे।

(2) इस विनियम के खण्ड (2) से (4) के अन्तर्त प्रतियोगी प्रवेश परीक्षा के आधार पर प्रवेश की स्थिति में, अभ्यर्थी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान जीव विज्ञान तथा अंग्रेजी में प्रत्येक में उत्तीर्ण होना चाहिए और विनियम 4 खण्ड (2) में ऊपर उल्लिखि अनुसार अर्हक परीक्षा में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान तथा जीव विज्ञान में मिलाकर 50% अंक प्राप्त करने होंगे और इसके अतिरिक्त इस प्रतियोगी प्रवेश परीक्षा के फलस्वरूप भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान तथा जीव विज्ञान को मिलाकर और प्रतियोगी प्रवेश परीक्षा योग्यता सूची में आना होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों या अन्य पिछड़ा वर्गों के मामले में ऊपर उल्लिखित के अनुसार भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान तथा जीव विज्ञान में अर्हक परीक्षा और प्रतियोगी प्रवेश परीक्षा में अंक 50% के स्थान पर 40% होंगे।

इसके अतिरिक्त जो अभ्यार्थी अर्हक परीक्षा में बैठ चुका हो जिसका परिणाम घोषित नहीं किया गया है उसे अनंतिम रूप से प्रतियोगी प्रवेश परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान की जायेगी तथा एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु चयन के मामले में उसे पाठ्यक्रम में विनियमन 4 के अन्तर्गत पात्रता मानदण्ड पूरे करने तक प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

डा. एम. सचदेवा
सचिव
भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद

पाद टिप्पणी: मुख्य विनियम अर्थात स्नातक आयुर्विज्ञान शिक्षा 17 मई, 1997 को भारत के राजपत्र के भाग-3, खण्ड-4 में प्रकाशित किए गए थे।

मैला ढोने वालों के लिए योजनाएं

1565. श्री ए. नरेन्द्र
श्री रामदास आठवले:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मैला ढ़ोने वालों को उनके पारम्परिक पेशे से मुक्ति दिलाने और उनके पुनर्वास हेतु नई योजनाएं, नामत: "सैनिटरी मार्ट" और "स्वच्छकार विमुक्ति योजना" तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक योजना हेतु राज्यवार कितनी धनराशि आबंटित की गई; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान और आज की तारीख तक प्रत्येक योजना के अंतर्गत कितने मैला ढोने वाले लाभान्वित हुए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) और (ख) मंत्रालय की सफाई कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों की मुक्ति और पुनर्वास की राष्ट्रीय योजना है जो उन राज्य अनुसूचित जाति विकास निगमों या राज्यों, द्वारा कार्यान्वित की जाती है जहां निगमों का गठन नहीं किया गया है। इन योजना का उद्देश्य वैकल्पिक व्यवसायों को आरंभ करने के लिए लक्ष्य समूहों को पर्याप्त प्रशिक्षण तथा वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना में सफाई कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए राज्य अनुसूचित जाति विकास निगमों के लिए शत-प्रतिशत केन्द्रीय सहायता का प्रावधान है। पुनर्वास के लिए केन्द्रीय सहायता सब्सिडी तथा सीमांत धन ऋण के अंश के रूप में प्रदान की जाती है। योजना के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

माननीय प्रधानमंत्री ने दिसम्बर, 1999 में आयोजित अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के संसद सदस्यों के सम्मेलन के उद्घाटन भाषण में सिर पर मैला ढोने की अमानवीय प्रथा को समाप्त करने की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया। तदनुसार, इस मंत्रालय ने जनवरी, 2000 में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वैकल्पिक व्यवसायों में सफाई कर्मचारियों के प्रभावी और दीर्घकालिक पुनर्वास के लिए सफाई कर्मचारी एवं उनके आश्रितों की मुक्ति और पुनर्वास की राष्ट्रीय योजना के अंतर्गत सैनिटरी मार्ट स्थापित करने पर विचार करने का सुझाव दिया। सैनिटरी मार्ट लगभग 20-25 सफाई कर्मचारियों की एक सहकारी समिति है जो जल वाहित फलश शौचालयों जैसी सैनिटरी सामग्रियों का उत्पादन करने के अतिरिक्त स्वच्छता संबंधित सामग्रियों को रखती है। ये मार्ट सेवा केन्द्र के रूप में भी कार्य करते हैं जहां सफाई कर्मचारी शौचालयों का निर्माण कार्य कर सकते हैं। तत्पश्चात् सैनिटरी मार्ट अस्पतालों, रेस्तरांओं आदि के ठोस अवशिष्ट निपटान का कार्य भी एजेंसी आधार पर कर सकते हैं तथा मार्टों की महिला सदस्य भी सफाई कर्मचारियों और छात्रों की यूनिफार्म की सिलाई का कार्य कर सकती हैं। इसलिए सैनिटरी मार्टों का उद्देश्य न केवल दीर्घकालिक आधार पर सफाई कर्मचारियों को उपयुक्त वैकल्पिक व्यवसाय प्रदान करना है बल्कि विशेष तौर पर सफाई कर्मचारियों द्वारा सेवा प्रदान किए गए क्षेत्रों में जलवाहित शौचालयों की मांग उत्पन्न करना भी है।

(ग) सफाई कर्मचारियों और उनके आश्रितों की मुक्ति और पुनर्वास की राष्ट्रीय योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यों को निर्मुक्त वर्षवार केन्द्रीय सहायता संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(घ) सफाई कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों की मुक्ति और पुनर्वास की राष्ट्रीय योजनाओं के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रशिक्षण और पुनर्वास के लिए वित्तीय रूप से सहायता प्राप्त सफाई कर्मचारियों की संख्या तथा 2000-2001 के दौरान शामिल करने के लिए अब तक प्रस्तावित सफाई कर्मचारियों की संख्या निम्नलिखित हैं:-

वर्ष एन एस एल आर एस के अंतर्गत सहायता प्राप्त सफाई कर्मचारियों की संख्या

वर्ष	प्रशिक्षण	पुनर्वास
1997-98	15493	30626
1998-99	8010	35476
1999-2000	86316 (अनुमानित)	106456 (अनुमानित)
*2000-2001	23935 (प्रस्तावित)	29875 (प्रस्तावित)

*(27.11.2000 की स्थिति के अनुसार)

विवरण-I

सफाई कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों की मुक्ति और पुनर्वास की राष्ट्रीय योजना

सफाई कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों की मुक्ति और पुनर्वास की राष्ट्रीय योजना मार्च, 1992 में शुरू की गई थी जिसमें वैकल्पिक व्यवसायों में सफाई कर्मचारियों के प्रशिक्षण और पुनर्वास के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान है। इस योजना के अंतर्गत प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा निम्नलिखित है:-

प्रशिक्षण के लिए सहायता: इस योजना में ट्राइसेम शर्तों के अनुसार केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों तथा गैर

सरकारी संगठनों के प्रशिक्षण संस्थाओं में 15-50 वर्ष के आयु वाले सफाई कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण का प्रावधान है। तथापि, प्रशिक्षण की अवधि 6 महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए। प्रशिक्षण अवधि के दौरान सफाई कर्मचारी को प्रदान किया गया वजीफा 500/-रु. प्रतिमाह तक है। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण संस्थानों की देय प्रशिक्षण शुल्क प्रति सफाई कर्मचारी 300/-रु. प्रतिमाह, क्राफ्टमैन को मानदेय प्रति सफाई कर्मचारी 100/-रु. प्रति माह तथा प्रति सफाई कर्मचारी 2000/- रु. तक एकमुश्त टूल किट भत्ता है। तदनुसार, शतप्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

पुनर्वास के लिए सहायता: सफाई कर्मचारियों के पुनर्वास के लिए 50000/-रु. प्रति लाभार्थी तक की लागत की परियोजनाओं को निर्धारित वित्तीय पैकेज के द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। जिसमें प्रति परियोजना 1000/-रु. की अधिकतम सीमा के अध्यधीन 50% सब्सिडी, सीमांत धन ऋण के रूप में परियोजना लागत का 15% जो केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों के बीच 49:51 के अनुपात में साझेदारी है तथा शेष राशि बैंक ऋण के द्वारा शामिल है।

विवरण-II

सफाई कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों की मुक्ति और पुनर्वास की राष्ट्रीय योजना

(रु. करोड़ में)

क्रसं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1997-98	1998-99	1999-2000
1.	आंध्र प्रदेश	3.69	शून्य	10.41
2.	बिहार	4.64	शून्य	शून्य
3.	गुजरात	8.90	शून्य	11.61
4.	मध्य प्रदेश	24.51	शून्य	8.83
5.	उड़ीसा	1.07	5.90	शून्य
6.	राजस्थान	2.73	शून्य	16.62
7.	तमिलनाडु	शून्य	शून्य	22.53
8.	उत्तर प्रदेश	44.46	शून्य	शून्य
	कुल	90.00	5.90	70.00

ऑन लाइन पंजीकरण प्रणाली

1566. श्री सुशील कुमार शिंदे:
श्री माधवराव सिंधिया:
श्रीमती रेणूका चौधरी:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों ने ऑन लाइन पंजीकरण आरम्भ किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) कितने क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों ने यह योजना आरंभ की है; और

(घ) कितने क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों का उक्त योजना आरम्भ करने का प्रस्ताव है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क), (ख) और (घ) 5 सितम्बर, 2000 को बंगलौर स्थित पासपोर्ट कार्यालय में परीक्षण आधार पर पासपोर्ट आवेदनों के पंजीकरण के लिए एक आन-लाईन चैनल आरम्भ किया गया है। अन्य पासपोर्ट कार्यालयों में इसका विस्तार करना इस परीक्षण के अनुभव के आधार पर निर्भर करेगा।

(ग) इस समय एक पासपोर्ट कार्यालय।

आतंकवाद से निपटने हेतु समझौते

1567. श्रीमती निवेदिता माने: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत ने आतंकवाद से निपटाने के लिए किन-किन देशों के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं और इनमें से अब तक कितने समझौतों की पुष्टि की गई है; और

(ख) बाकी संधियों की कब तक पुष्टि किए जाने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) जी हां। भारत ने हाल ही में बहुत से देशों के साथ संगठित अपराधों तथा अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद आदि का सामना करने के लिए द्विपक्षीय करार सम्पन्न किए हैं। ये देश हैं- बुल्गारिया, चीन, मिस्र, इटली, ओमान, रोमानिया और रूस। इनमें से केवल चीन के साथ हुई संधि का अनुसमर्थन किया जाना बाकी है।

उपर्युक्त विशिष्ट करारों के अतिरिक्त आतंकवादी अपराधों के दोषी व्यक्तियों के प्रत्यर्पण तथा भारत में उन पर मुकदमा चलाने

के लिए प्रत्यर्पण संधि तथा आपराधिक मामलों में परस्पर सहायता संधि का भी प्रयोग किया जा सकता है।

कनाडा, फ्रांस, कजाकस्तान, किर्गिस्तान, रूस, स्विटजरलैंड, तुर्की, यू ए ई, यू.के., उजबेकिस्तान के साथ परस्पर सहायता करार संधियां सम्पन्न की जा चुकी हैं। इन संधियों में फ्रांस कजाकस्तान, किर्गिस्तान तथा उजेबेकिस्तान के साथ की गई संधियों का अनुसमर्थन किया जाना बाकी है।

बेल्जियम, भूटान, कनाडा, हांगकांग, नेपाल, नीदरलैण्ड, रूस, स्विटजरलैण्ड, ट्यूनीशिया, यू ए ई, यू के तथा यू एस ए के साथ प्रत्यर्पण संधियां संपन्न की गई हैं। इनमें से रूस तथा ट्यूनीशिया से की गई संधि का अनुसमर्थन किया जाना बाकी है। इन द्विपक्षीय प्रत्यर्पण संधियों के अतिरिक्त आस्ट्रेलिया, फिजी, पापुआ न्यूगिनी, सिंगापुर, श्रीलंका, स्वीडन, तंजानिया, थाइलैंड के साथ प्रत्यर्पण प्रबंध किए गए हैं जो इस समय प्रवृत्त हैं।

(ख) जी हां। जिन संधियों का अभी तक अनुसमर्थन नहीं किया गया है उनके अनुसमर्थन के लिए भरसक प्रयत्न किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

लम्बित सिंचाई परियोजना

1568. श्री पदमसेन चौधरी:
डा. बलिराम:
श्री राजो सिंह:
कर्नल (सेवानिवृत्त) सोनाराम चौधरी:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष सरकार ने राज्यवार बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं संबंधी कितने प्रस्ताव स्वीकृत किए;

(ख) इस समय सरकार के पास स्वीकृति हेतु राज्यवार, विशेषकर राजस्थान के कितने प्रस्ताव लम्बित हैं;

(ग) क्या इस प्रस्तावों को स्वीकृति देने में अनावश्यक विलम्ब हो रहा है;

(घ) यदि हां, तो इन प्रस्तावों की स्थिति क्या है;

(ङ) आज की तारीख तक सरकार ने त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.) के अंतर्गत प्रत्येक राज्य को कितनी धनराशि का आवंटन किया है और प्रत्येक राज्य ने उक्त राशि का कितना उपयोग किया है तथा उक्त अवधि के दौरान इन परियोजनाओं से कुल कितनी सिंचाई क्षमता तैयार हुई है; और

(च) इन परियोजनाओं को कब तक स्वीकृत किया जाएगा?

जल-संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) से (च) राजस्थान सहित राज्य सरकार से तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन के लिए केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्त परियोजनाओं की राज्य-वार संख्या तथा उनके मूल्यांकन की वर्तमान स्थिति विवरण-I में दी गई है। इन परियोजनाओं की स्वीकृति इस पर निर्भर करती है कि राज्य कितनी तत्परता से विभिन्न केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियों की अनुपालना करते हैं।

वर्ष 1996-97 में शुरू किए गए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत सरकार द्वारा प्रदान की गई निधियों का ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

वर्ष 1996-97, 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के दौरान ए.आई.बी.पी. के तहत सृजित अतिरिक्त सिंचाई क्षमता क्रमश: 80.033 हजार हेक्टेयर, 217.118 हजार हेक्टेयर, 282.683 हजार हेक्टेयर और 208.116 हजार हेक्टेयर है।

विवरण-I

क्र.सं.	राज्य	कुछ टिप्पणियों और/अथवा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से प्राप्त स्वीकृति के अधीन तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा स्वीकृत वृहद/मध्यम परियोजनाओं की संख्या	प्रत्येक तीन वर्षों के दौरान स्वीकृत वृहद/मध्यम परियोजनाओं की संख्या			जांच के अधीन/ राज्य सरकारों से प्राप्त होने वाली अनुपालनाधीन वृहद/मध्यम परियोजनाएं
			1998	1999	2000	
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	17	2	2	4	2
2.	असम	2	1	1	—	2

1	2	3	4	5	6	7
3.	बिहार	5	—	7	1	6
4.	गुजरात	1	—	—	—	1
5.	हरियाणा	2	—	—	—	1
6.	हिमाचल प्रदेश	1	1	3	—	1
7.	जम्मू और कश्मीर	—	—	—	—	15
8.	कर्नाटक	2	—	—	1	4
9.	केरल	1	—	—	—	2
10.	मध्य प्रदेश	8	—	—	—	3
11.	महाराष्ट्र	19	2	2	—	21
12.	मणिपुर	2	—	1	—	—
13.	मेघालय	—	—	—	—	—
14.	नागालैंड	1	1	—	—	—
15.	उडीसा	14	2	4	7	6
16.	पंजाब	5	—	2	—	5
17.	राजस्थान	3	—	2	3	4
18.	सिक्किम	—	—	—	—	—
19.	तमिलनाडु	1	—	—	—	2
20.	त्रिपुरा	—	—	—	—	—
21.	उत्तर प्रदेश	8	1	2	—	4
22.	पश्चिम बंगाल	—	—	—	—	1
23.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—	—
24.	गोवा, दमन व दीव	—	—	—	—	—
	कुल योग	92	10	26	17	80

विवरण-II

ए.आई.बी.पी. के तहत वृहद एवं मध्यम परियोजनाओं के लिए जारी केन्द्रीय ऋण सहायता

(करोड़ रुपये में)

राज्य का नाम	जारी की गई केन्द्रीय ऋण सहायता				
	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01
1	2	3	4	5	6
आंध्र प्रदेश	35.250	74.000	79.670	65.015	66.780
असम	5.230	12.400	13.950	13.020	9.450

1	2	3	4	5	6
बिहार	13.500	14.040	47.825	144.040	50.295
गोवा	0.000	5.250	0.000	3.500	15.350
गुजरात	74.773	196.900	423.820	272.700	391.100
हरियाणा	32.500	12.000	0.000	0.000	0.000
हिमाचल प्रदेश	0.000	6.500	5.000	14.455	—
जम्मू व कश्मीर	1.300	0.000	0.00	4.680	0.00
कर्नाटक	61.250	90.500	94.500	157.140	76.000
केरल	3.750	15.000	0.000	0.000	0.000
मध्य प्रदेश	63.250	114.500	90.750	105.845	109.393
महाराष्ट्र	14.000	55.000	50.860	49.875	59.425
मणिपुर	4.300	26.000	10.780	20.310	—
मेघालय	—	—	—	—	1.280
उड़ीसा	48.450	85.000	71.500	81.350	38,000
पंजाब	67.000	100.000	0.000	42.000	0.00
राजस्थान	2.675	42.000	140.050	106.665	11.402
त्रिपुरा	3.773	5.100	3.975	6.300	4.845
तमिलनाडु	20.000	0.000	0.000	0.000	0.000
उत्तर प्रदेश	43.500	78.000	76.5000	286.000	138.610
पश्चिम बंगाल	5.000	20.000	10.000	25.000	1.225
वृहद एवं मध्यम परि. का योग	500.001	952.190	1119.180	1397.895	901.155

[अनुवाद]

विदेश यात्राएं

1569. श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया:
श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान सरकार बनने के बाद से आज तक उनकी और प्रधान मंत्री की विदेश यात्राओं का ब्यौरा क्या है और इस अवधि के दौरान उन्होंने किन-किन देशों की यात्रा की;

(ख) इसके परिणामस्वरूप हस्ताक्षरित समझौतों/प्राप्त उपलब्धियों का देशवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इनके द्वारा पृथकत: किन-किन मुद्दों की चर्चा की और इसके क्या परिणाम रहे?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

आयुर्वेदिक पद्धति की लोकप्रियता

1570. **डा. रघुवंश प्रसाद सिंह:**
श्रीमती कान्ति सिंह:
मोहम्मद अनवारूल हक:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति की लोकप्रियता हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो देश में आयुर्वेदिक औषधि निर्माताओं को क्या प्रोत्साहन दिए गए हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा एलोपैथिक औषधियों की तुलना में प्रतिवर्ष खरीदी गई आयुर्वेदिक औषधियों का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) आयुर्वेदिक पद्धति सहित भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होमियोपैथी का विकास और प्रचार-प्रसार करने के लिए सरकार ने 1995 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में एक स्वतंत्र भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होमियोपैथी विभाग की स्थापना की। भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होमियोपैथी विभाग ने पहले ही औषधीय पादपों के विकास और खेती करने, कृषि तकनीकें तैयार करने, स्नातकपूर्व/स्नातकोत्तर संस्थाओं का उन्नयन करने, औषधों का मानकीकरण करने, इंट्राम्यूरल और एक्स्ट्राम्यूरल अनुसंधान को बढ़ावा देने और सूचना, शिक्षा एवं संचार के जरिए जानकारी का प्रचार-प्रसार करने की योजनाएं कार्यान्वित की है।

(ख) औषधीय पादप बोर्ड के कार्यरत होने के बाद पर्याप्त मात्रा में अच्छी किस्म की कच्ची सामग्री के उपलब्ध होने में मदद मिलेगी। उद्योगों को अपने उत्पादों की जांच और उनका विश्लेषण करवाने में मदद करने के लिए प्रयोगशाला सुविधाओं का विस्तार करने का प्रयास किया गया है जिससे उनके उत्पादों की स्वीकार्यता और विश्वसनीयता बढ़ेगी। इस उद्योग को अन्तर्राष्ट्रीय कार्यकलापों में भाग लेने में मदद की गई है जिससे उन्हें अपने उत्पादों के लिए एक बाजार तैयार करने में मदद मिलेगी। औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के अधीन लेवल लगाने के उपबंधों में आयातकर्ता देशों की जरूरत के अनुसार ढील दी गई है।

(ग) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना दिल्ली के द्वारा खरीदी गई आयुर्वेदिक और एलोपैथिक औषधों का ब्यौरा इस प्रकार है:-

(रु. में)

वर्ष	एलौपैथिक	आयुर्वेदिक
1997-98	39,45,73,476.00	1,70,00,000.00
1998-99	41,37,40,813.00	1,99,03,536.00
1999-2000	49,28,88,754.00	1,75,66,420.00

सॉफ्टवेयर पार्क

1571. **श्री अनन्त नायक:**
कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली:
श्री कांतिलाल भूरिया
श्री पी.डी. एलानगोवन:
श्री पी.आर. खुंटे:

क्या सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किन-किन राज्यों में सॉफ्टवेयर टेक्नॉलॉजिकल पार्क बनाए गए हैं;

(ख) क्या 2000-2001 के दौरान सरकार ने प्रत्येक राज्य सॉफ्टवेयर टेक्नॉलॉजिकल पार्क बनाने के लिए कोई योजना आरम्भ की है;

(ग) यदि हां, तो इस हेतु राज्यवार किन-किन स्थानों और राज्यों को चुना गया है;

(घ) क्या सरकार ने तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सॉफ्टवेयर टेक्नॉलॉजिकल पार्क बनाने के लिए किसी योजना को अनुमोदित किया है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) वर्ष 2000-2001 और नौवीं पंचवर्षीय योजना के शेष वर्षों के दौरान विभिन्न जिलों में सॉफ्टवेयर टेक्नॉलॉजिकल पार्क बनाने के लिए सरकार ने कितनी धनराशि उपलब्ध कराई है या कितनी धनराशि वहन करने का प्रस्ताव किया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एसटीपीआई)

ने निम्नलिखित राज्यों में सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्कों की स्थापना की है:

	राज्य	स्थान
1.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद, वाइजैग
2.	असम	गुवाहाटी
3.	गुजरात	गांधीनगर
4.	कर्नाटक	बंगलौर, मणिपाल तथा मैसूर
5.	केरल	तिरूवनन्तपुरम
6.	महाराष्ट्र	पुणे तथा मुम्बई
7.	मध्य प्रदेश	इंदौर
8.	उड़ीसा	भुवनेश्वर
9.	पंजाब	मोहाली
10.	राजस्थान	जयपुर
11.	तमिलनाडु	चेन्नई तथा कोयम्बटूर
12.	उत्तर प्रदेश	नोएडा

पश्चिम बंगाल और गोवा की सरकारों ने भी अपने-अपने राज्य में सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्कों की स्थापना की है। गोवा स्थित सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क के मामले में, केन्द्र सरकार ने आंशिक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है।

(ख) से (ङ) तमिलनाडु तथा मध्य प्रदेश राज्यों में सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्कों की स्थापना पहले ही की गई है। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित राज्यों में सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्कों की स्थापना के लिए आंशिक केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है:

राज्य	स्थान
जम्मू तथा कश्मीर	श्रीनगर
कर्नाटक	हुबली
पांडिचेरी	पांडिचेरी
हिमाचल प्रदेश	शिमला

इस समय छत्तीसगढ़ राज्य में सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना का कोई प्रस्ताव नहीं है। फिर भी, तकनीकी, प्रशासनिक और वित्तीय बाध्यताओं के अध्यधीन सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क की सुविधा को सभी राज्यों को उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव है।

(च) और (छ) 2000-2001 के दौरान 2 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई है। नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के आवंटन में लगभग 2 करोड़ रुपये और उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है।

[हिन्दी]

अन्तर-राज्यीय जल विवाद

1572. श्री रामेश्वर डूडी: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि पंजाब वैध पात्रता के बिना राजस्थान की नहरों से बड़े पैमाने पर पानी का उपयोग कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/प्रस्तावित है?

जल-संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) और (ख) राजस्थान सरकार ने केन्द्र सरकार को सूचित किया है कि यद्यपि जल की मात्रा के संदर्भ में राजस्थान को 31.12.1981 के रावी-व्यास समझौता तथा भाखड़ा नांगल समझौता-1959 में निर्धारित हिस्सों के अनुसार जल प्राप्त हो रहा है, तथापि प्रवाह के संबंध में राजस्थान को जलापूर्ति, भाखड़ा व्यास प्रबंधन मंडल द्वारा निर्धारित नियमन पद्धति तथा पंजाब के समक्ष रखे मांग-पत्र के अनुसार नहीं किया जाता है।

(ग) और (घ) पंजाब के मुख्य मंत्री से अनुरोध किया गया है कि इन मुद्दों की जांच की जाए और उपयुक्त कार्रवाई की जाए। राजस्थान सरकार को यह भी सुझाव दिया गया है कि इस मुद्दे पर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के मुख्य मंत्रियों की अन्तर्राज्यीय बैठक में विचार-विमर्श किया जा सकता है।

स्वर्ण रेखा सिंचाई परियोजना के विस्थापित

1573. श्री रामटहल चौधरी: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में बहुउद्देश्यीय स्वर्ण रेखा सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु कितने भूमि क्षेत्र का अधिग्रहण किया गया है और इसके परिणामस्वरूप कितने परिवार विस्थापित हुए;

(ख) क्या विस्थापित परिवारों का समुचित रूप से पुनर्वास कर दिया गया है और उन्हें उनकी भूमि के अधिग्रहण के लिए उचित मुआवजा दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सभी विस्थापितों का पुनर्वास/मुआवजा भुगतान कब तक कर दिए जाने की संभावना है?

जल-संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) से (ङ) सुवर्णरेखा बहुद्देशीय परियोजना के कारण प्रभावित परिवारों की संख्या 14,164 है (1981 की जनगणना के अनुसार) और 36721 हेक्टे. भूमि क्षेत्र अधिग्रहण किया गया है। राज्य का विषय होने के कारण भूमि अधिग्रहण और विस्थापित परिवारों के पुनर्वास सहित सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, वित्त पोषण और क्रियान्वयन करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है।

[अनुवाद]

पद आधारित रोस्टर

1574. श्री रमेश सी. जीगाजीनागी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने आरक्षण प्रणाली लागू करने के लिए 'रिक्ति आधारित रोस्टर' के स्थान पर 2.7.1997 से ''पद आधारित रोस्टर'' आरम्भ किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या 'रिक्ति आधारित रोस्टर' के स्थान पर 'पद आधारित रोस्टर' आरम्भ करते समय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 36012/2/96-ईएसटीटी (आरईएस), दिनांक 2-7-97 के पैरा (5) के अनुसार स्वास्थ्य मंत्रालय और सभी स्वायत्त/सांविधिक संगठन, सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों और सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के अंतर्गत प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की सेवाओं में यदि कोई आधिक्य/कमी हो तो उनका पता लगाने की प्रक्रिया आरम्भ की गई थी;

(घ) यदि हां, तो 2-7-1997 की स्थिति के अनुसार उक्त सभी श्रेणियों में पाए गए आधिक्य/कमियों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त कार्यालय ज्ञापन के अनुसार आधिक्य/कमी, यदि हो तो उनकी पहचान करने की प्रक्रिया को पूरा किए बिना 'रिक्ति आधारित रोस्टर' के स्थान पर 'पद आधारित रोस्टर' आरम्भ करने के क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) जे.सी. मल्लिक बनाम भारत संघ के मामले में दिए गए फैसले के साथ पठित आर.के. सभरवाल बनाम पंजाब राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले के अनुसरण में पहले की रिक्ति आधारित रोस्टरों के स्थान पर 2.7.1997 से पद आधारित रोस्टर लागू किए गए थे।

(ग) से (ङ) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय जल नीति

1575. श्री शंकर सिंह वाघेला:
श्री साहिब सिंह:
श्री आर. एस. पाटिल:
श्री दिनशा पटेल:
श्री नरेश पुगलिया:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने संशोधित राष्ट्रीय जल नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या नई जल नीति तैयार करते समय सभी राज्य सरकारों की राय प्राप्त की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो, इसके क्या कारण हैं?

जल-संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) जी, हां।

(ख) संशोधित राष्ट्रीय जल नीति के मसौदे की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:-

(1) विद्यमान जल संसाधन सुविधाओं के कार्य निष्पादन के सुधार पर अधिक बल देना।

(2) जल संसाधनों की उपलब्धता संबंधी राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए बेसिन राज्यों के बीच जल आबंटन के लिए दिशा-निर्देश तैयार करना।

(3) अधिकरण को भेजे गये जल विवाद का समय पर निर्णय करने के लिए अन्तर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम-1956 की समीक्षा और संशोधन।

(4) समग्र नदी बेसिन अथवा उप बेसिनों जहां आवश्यक हो, की आयोजना, विकास और प्रबंधन के लिए सांविधिक शक्तियों के साथ उपयुक्त नदी बेसिन संगठनों की स्थापना।

(5) उपयुक्त विधान के जरिए विभन्न अभिकरणों के बीच आंकड़ों के स्वतन्त्र आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए मानकीकृत राष्ट्रीय सूचना प्रणाली का विकास।

(6) पुनर्स्थापना और पुनर्वास संबंधी राष्ट्रीय नीति तैयार करना ताकि परियोजना प्रभावित व्यक्तियों को समुचित पुनर्वास द्वारा लाभ मिल सके।

(7) विद्यमान बांधों का समुचित निरीक्षण, रख-रखाव और निगरानी सुनिश्चित करने के लिए बांध सुरक्षा विधान लागू करना।

(8) जल संसाधन स्कीमों के रख-रखाव के लिए संस्थागत प्रबंध सुनिश्चित करना तथा जल अवसंरचनाओं के प्रचालन, अनुरक्षण तथा प्रबधन में जल प्रयोक्ता संघों को शामिल करना।

(9) विभिन्न उपयोगों के लिए जल प्रभारों को इस प्रकार निर्धारित करना कि इसमें निर्धारित सब्सिडी के साथ कम से कम प्रचालन और अनुरक्षण लागत शामिल हो।

(10) बारहमासी नदियों में न्यूनतम प्रवाह बनाये रखना और पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए नदियों में जल बहाने से पहले नि:स्राव का स्वीकार्य स्तरों तथा मानकों तक उपचार करना।

(11) जल के उपयोग के लिए अन्तर बेसिन स्थानान्तरण भूजल का कृत्रिम पुनर्भरण, खारे अथवा समुद्री जल का विलवणीकरण, वर्षा जल संचयन और जल विभाजक प्रबन्धन जैसे गैर-परम्परागत तरीकों को बढ़ावा देना।

(ग) और (घ) जी, हां। संशोधित राष्ट्रीय जल नीति के मसौदे को 29.10.98 को काफी लम्बे विचार-विमर्श के बाद राष्ट्रीय जल बोर्ड द्वारा अन्तिम रूप दिया गया। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव बोर्ड के सदस्य हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम

1576. श्री गजेन्द्र सिंह राजूखेड़ी: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर राज्यों की तर्ज पर मध्य प्रदेश सहित कुछ राज्यों में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत जल संसाधनों के विकास पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस उद्देश्य के लिए केन्द्र सरकार ने कोई योजना तैयार की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

कुपोषण के शिकार बच्चे

1577. श्री पुष्प जैन:
श्री वसुदेव आचार्य:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व में कुपोषण के शिकार 40 प्रतिशत बच्चे भारत में हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य, विशेषकर राजस्थान में कुपोषण के शिकार बच्चों का कुल प्रतिशत क्या है;

(ग) यदि हां, तो बच्चों में कुपोषण रोकने हेतु सरकार क्या उपाय कर रही है;

(घ) क्या देश में तीन वर्ष से कम आयु के बच्चे कुपोषण के कारण रक्तालपता और अन्य बीमारियों से पीड़ित हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय करेगी?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) विश्व बैंक की रिपोर्ट "वेस्टिंग एवे-द-क्राइसिस

इन इण्डिया'' के अनुसार विश्व के कुपोषित बच्चों में से 40 प्रतिशत भारत में हैं। कुपोषण की समस्या पर ध्यान देने के लिए भारत सरकार ने 1993 में राष्ट्रीय पोषण नीति को अपनाया। कुपोषण की समस्या को नियंत्रित करने तथा लोगों के पोषण में सुधार लाने के लिए यह नीति एक बहुक्षेत्रीय एप्रोच की हिमायत करती है। राष्ट्रीय पोषण नीति में अल्पावधिक प्रत्यक्ष उपायों के साथ-साथ दीर्घावधिक अप्रत्यक्ष उपाए शामिल हैं।

(ख) राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (II), 1998-99 द्वारा यथा सूचित भारत तथा राजस्थान में बच्चों की पौषणिक स्थिति संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ग) सरकार द्वारा बाल जनसंख्या सहित जनसंख्या के पौषणिक स्तर में सुधार लाने के लिए अपनाए गए विभिन्न उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ कृषि उत्पादन में वृद्धि, आय का सृजन करने वाली योजनाओं के जरिए लोगों की क्रयशक्ति में सुधार। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए आवश्यक खाद्य-सामग्रियों को कम मूल्यों पर उपलब्ध करना, जागरूकता पैदा करने तथा पोषण पद्धतियों में सिर्फ स्तनपान तथा शिशु एवं छोटे बच्चों में उपयुक्त पूरक आधार पद्धतियों सहित पोषण पद्धतियों में व्यवहार परिवर्तन लाने के लिए पोषण शिक्षा शामिल है। समेकित बाल विकास सेवा योजना, विशेष पोषण कार्यक्रम, बालवाड़ी पोषण कार्यक्रम तथा मध्याह्न भोजन कार्यक्रम सहित अनुपूरक आहार कार्यक्रमों का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोडीन की विशिष्ट सूक्ष्म अल्पता के निवारण तथा विटामिन-ए की अल्पता के कारण होने वाली दृष्टिहीनता तथा लौह एवं फोलिक एसिड की अल्पता के कारण होने वाली रक्ताल्पता के निवारण हेतु रोगनिरोधन कार्यक्रमों का कार्यान्वयन किया जा रहा है। सूक्ष्म पोषक कुपोषण के नियंत्रण के लिए एक प्रायोगिक परियोजना का भी कार्यान्वयन किया जा रहा है।

(घ) राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-II, 1998-99 ने सूचना दी कि 3 वर्षों के नीचे के 74.3 प्रतिशत बच्चों को रक्ताल्पता थी।

(ङ) तीन वर्षों के नीचे के बच्चों में रक्ताल्पता की राज्य-वार व्यापतता संलग्न विवरण-II पर है। प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत पौषणिक रक्ताल्पता के उपचार एवं रोगनिरोधन के लिए लौह एवं फोलिक एसिड की गोलियां दी जाती हैं। इसके अलावा केवल स्तनपान तथा उपयुक्त अनुपूरक आधार पद्धतियों को बढ़ावा दिया जा रहा है।

विवरण-I

भारत तथा राजस्थान के बच्चों की पौषणिक स्थिति

अल्पपोषित के रूप में वर्गीकृत तीन वर्षों से कम बच्चों का उनके पौषणिक स्तर के मानवमिति सूचकों पर प्रतिशत

	आयु के अनुसार भार		आयु के अनुसार ऊंचाई		आयु के अनुसार भार	
	-3एसडी से नीचे प्रतिशत	-2एसडी से नीचे प्रतिशत	-3एसडी से नीचे प्रतिशत	-2एसडी से नीचे प्रतिशत	-3एसडी से नीचे प्रतिशत	-2एसडी* से नीचे प्रतिशत
भारत	18.0	47.0	23.0	45.5	2.8	15.5
राजस्थान	20.8	50.6	29.0	52.0	1.9	11.7

नोट: प्रत्येक सूची अंतर्राष्ट्रीय रेफरेंस जनसंख्या की माध्यिका से मानक विचलन इकाईयों (एसडी) में व्यक्त की गई।
* में ऐसे बच्चे शामिल हैं जो अन्तर्राष्ट्रीय रेफरेंस जनसंख्या माध्यिका से -3 एसडी नीचे हैं।

विवरण-II

तीन वर्षों की आयु से कम के रक्ताल्पता वाले बच्चों का प्रतिशत राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-2

1. भारत	—	74.3
शहरी	—	70.8
ग्रामीण	—	75.3
2. उत्तर		
दिल्ली	—	69
हरियाणा	—	83.9
हिमाचल प्रदेश	—	69.9
जम्मू एंड कश्मीर	—	71.1
पंजाब	—	80
राजस्थान	—	82.3
3. मध्य		
मध्य प्रदेश	—	75
उत्तर प्रदेश	—	73.9

4. पूर्व		
बिहार	—	81.1
उड़ीसा	—	72.3
पश्चिम बंगाल	—	78.3
5. पूर्वोत्तर		
अरुणाचल प्रदेश	—	54.4
असम	—	63.2
मणिपुर	—	45.2
मेघालय	—	67.6
मिजोरम	—	57.2
नागालैंड	—	43.7
सिक्किम	—	76.5
6. पश्चिम		
गोवा	—	53.4
गुजरात	—	74.5
महाराष्ट्र	—	76
7. दक्षिण		
आंध्र प्रदेश	—	72.3
कर्नाटक	—	70.6
केरल	—	43.9
तमिलनाडु	—	69

खुले सामान्य लाइसेंस की सूची

1578. श्री अखिलेश यादव: क्या लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2000-2001 की आयात-निर्यात नीति के अंतर्गत लघु उद्योगों के लिए आरक्षित कुछ वस्तुओं को खुले सामान्य लाइसेंस की सूची में शामिल किया गया है;

(ख) यदि हां, तो खुले सामान्य लाईसेंस की सूची में शामिल की गई वस्तुओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप रोजगार की स्थिति पर किस हद तक प्रभाव पड़ने की संभावना है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) जी, हां।

(ख) एक्जिम नीति 2000-2001 में खुला सामान्य लाईसेंस (ओ.जी.एल.) के अन्तर्गत ऐसी 58 मदों को रखा गया था। इन मदों की सूची विवरण के रूप में संलग्न है। विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू.टी.ओ.) के दायित्वों के अनुसार आयातों के संबंध में मात्रात्मक प्रतिबंध (क्यू.आर.) हटाने के बारे में भारत की वचनबद्धता के भाग के रूप में इन मदों को खुले सामान्य लाइसेंस (ओजीएल) के अन्तर्गत रखा गया है।

(ग) केवल लघु उद्योग क्षेत्र में विनिर्माण के लिए आरक्षित उत्पादों को खुले सामान्य लाइसेंस (ओजीएल) के अन्तर्गत रखने से और बड़ी प्रतिस्पर्धा होगी। तथापि, भारत में लघु उद्योग क्षेत्र में इतना लचीलापन है कि वह मात्रात्मक प्रतिबंध के प्रभावों का मुकाबला कर सकता है जैसा कि उनके हाल के ट्रेक रिकार्ड से स्पष्ट होता है।

विवरण

क्र.सं.	आयात-निर्यात कोड	मद विवरण
1	2	3
1.	एक्स 400591.09	कम्पाउंडिड रबर का अन्य प्लेट, सीट तथा स्ट्रिप्स
2.	एक्स 401610.00	सेलुलर रबर की अन्य वस्तुएं
3.	401699.06	रबर कुशन
4.	482090.00	स्टेशनरी पेपर की अन्य वस्तुएं अथवा पेपर बोर्ड
5.	482360.00	पेपर अथवा पेपर बोर्ड के ट्रे, थाली, प्लेट, कप
6.	एक्स 482370.09	कागज की लुगदी का अन्य ढांचा अथवा प्रेस्ड वस्तुएं

1	2	3
7.	640319.01	चर्म के बाह्य सोल तथा ऊपरी भाग चर्म का अन्य क्रीड़ा पादुका।
8.	640319.02	रबर के बाह्य सोल तथा ऊपरी भाग चर्म का अन्य क्रीड़ा पादुका।
9.	640319.09	प्लास्टिक के बाहरी सोल अथवा मिश्रित चर्म तथा ऊपरी भाग चर्म का अन्य क्रीड़ा पादुका।
10.	640320.01	अंगूठा वाला बंद चर्म पादुका।
11.	640320.02	अंगूठा वाला खुला चर्म पादुका।
12.	640320.03	चर्म सोल तथा ऊपरी भाग कशीदाकारी वाला पादुका।
13.	640320.09	बाहरी सोल चर्म तथा ऊपरी भाग में चर्म का पट्टा एवं अंगूठा के चारों ओर पट्टी वाला पादुका।
14.	640340.00	बाहरी सोल रबर, प्लास्टिक चर्म तथा मिश्रित चर्म का तथा ऊपरी भाग चर्म का जिसमें अंगूठा पर धातु का कैप हो वाला पादुका।
15.	640351.01	सभी प्रकार का चर्म पादुका जो टखना ढकने वाला हो।
16.	640351.09	बाहरी सोल चर्म वाला अन्य पादुका जो टखना ढ़कने वाला हो।
17.	640359.00	बाहरी सोल चर्म का तथा ऊपरी भाग चर्म वाला अन्य पादुका।
18.	640399.01	रबर सोल वाला चमड़ा का सैन्डल।
19.	640399.02	प्लास्टिक तथा सिंथेटिक सोल वाला चमड़ा का सैन्डल।
20.	640411.01	क्रीड़ा पादुका, टेनिस का जूता, बास्केटबाल का जूता, जिम का जूता, प्रशिक्षण तथा अन्य प्रकार का जूता जिसका सोल रबर का तथा ऊपरी भाग कैनवास का हो।
21.	640411.02	क्रीड़ा पादुका, टेनिस का जूता, बास्केटबाल का जूता, जिम का जूता, प्रशिक्षण तथा अन्य प्रकार का जूता जिसका सोल रबर का तथा ऊपरी भाग लेदर क्लॉथ का हो।
22.	640411.09	क्रीड़ा पादुका, टेनिस का जूता, बास्केटबाल का जूता, जिम का जूता, प्रक्षिण तथा अन्य प्रकार का जूता।
23.	640419.01	अन्य क्रीड़ा पादुका जिसका सोल रबर का तथा ऊपरी भाग कैनवास का हो।
24.	640419.02	अन्य क्रीड़ा पादुका जिसका सोल रबर का तथा ऊपरी भाग लैदर क्लॉथ का हो।
25.	640419.09	अन्य क्रीड़ा पादुका, अन्य।
26.	64420.00	बाहरी सोल चमड़ा अथवा मिश्रित चमड़ावाला पादुका।
27.	680221.01	पालिस किया हुआ मार्बल ब्लॉक या टाइल्स।
28.	680223.01	पालिस किया हुआ ग्रेनाइट ब्लॉक या टाइल्स।
29.	681019.01	मोजैक के लिए सीमेंट का टाइल्स।
30.	681130.01	एस्वेस्टम-सीमेंट का पाईप।
31.	690480.01	सिरामिक-फर्श ब्लॉक सहायता अथवा फिलर टाइल्स।
32.	690510.00	सिरेमिक फर्श की टाइल्स।

1	2	3
33.	690790.00	अनग्लेज्ड सिरेमिक फलौवज एण्ड पेविंग, अर्थ अथवा वाल टाईल्स, अनग्लेज्ड सिरेमिक मोसाइक क्यूब्ज और इसी तरह के पदार्थ।
34.	690810.01	सिरेमिक मोसाइक क्यूब्ज, जिसका सबसे बड़ा सतही क्षेत्र ऐसे वर्ग में घेरा जाने में समर्थ है, जिसकी भुजा 7 से.मी. से कम है।
35.	690810.02	सिरेमिक मोसाइक टाइल्स, जिसका सबसे बड़ा सतही क्षेत्र ऐसे वर्ग में घेरा जाने में समर्थ हैं, जिसकी भुजा 7 से.मी. से कम है।
36.	690810.09	अन्य ग्लेज्ड सिरेमिक टाइल्स, क्यूब्ज और इसी तरह की वस्तुएं, जिसका सबसे बड़ा सतही क्षेत्र ऐसे वर्ग, में घेरा जाने में समर्थ है, जिसकी भुजा 7 से.मी. से कम है।
37.	690890.01	सिरामिक मौजैक क्यूब तथा अन्य।
38.	690890.02	सिरामिक मोजैक टाइल्स तथा अन्य।
39.	690990.00	सिरामिक टरोघस, टब्स और सेल्यूलर रिसप्टेकल्ज, जिस किस्म के कृषि, सिरेमिक पाटस, जार और जिस किस्म के माल के वाहन अथवा पैकिंग के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं।
40.	691010.00	सिरेमिक सिंक्स, वास बेसिन, वास बेसिन पेटेस्टलस वेदस, वाइटेटस, वाटर क्लोसेट पेन्स।
41.	691090.00	सिरामिक सैनिटरी फिक्सर तथा अन्य।
42.	691190.00	सिरामिक के टेबल के बर्तन, रसोई के बर्तन, अन्य घरेलू वस्तुएं तथा टॉयलेट की वस्तुएं।
43.	691200.03	टेबल के बर्तन, रसोई के बर्तन तथा अन्य घरेलू वस्तुएं जैसे मृत्तिका वस्तुएं।
44.	691200.09	पोर्सिलेन और चीन के अतिरिक्त अन्य सिरामिक घरेलू वस्तुएं।
45.	691310.00	पोर्सिलेन और चीन के लघु प्रतिमाएं एवं अन्य आभूषणीय वस्तुएं।
46.	691390.00	सिरामिक की लघु प्रतिमाएं एवं अन्य आभूषणीय वस्तुएं।
47.	700910.00	वाहनों के लिए पीछे देखने के शीशे।
48.	701321.00	पारदर्शी शीशे के पीने के गिलास।
49.	701339.00	टेबल या रसोई के लिए प्रयोग किया जाने वाला अन्य शीशे का सामान।
50.	701399.00	टॉयलेट, कार्यालय, आंतरिक सज्जा और इसी प्रकार के लिए प्रयुक्त शीशे का सामान।
51.	701810.02	कांच के मनके, प्रकाश उत्सर्जी मोती, कीमती एवं अल्प कीमती प्रकाश उत्सर्जी पत्थर।
52.	701810.09	इसी प्रकार अन्य शीशे के छोटे बर्तन।
53.	एक्स 702000.00	शीशे के अन्य वस्तुएं।
54.	841451.02	सिलिंग फैन जिसमें एक इलैक्ट्रिक मोटर लगी हो जिसका आउटपुट 125 वाट से अधिक न हो।
55.	841451.03	पेडेस्टल फैन जिसमें एक इलेक्ट्रिक मोटर लगा हो तथा जिसका आउटपुट 125 वाट से अधिक न हो।

1	2	3
56.	एक्स 850410.00	कामपैक्ट फ्लुओरिसेंट लैंप के अतिरिक्त लैंप अथवा ट्यूब डिस्चार्ज संचालक।
57.	851679.09	अन्य इलेक्ट्रोथर्मिक वस्तुएं।
58.	853110.00	चोर अथवा अग्नि अलार्म तथा इसी प्रकार की वस्तुएं।

[अनुवाद]

बिरुपा-गेंगुती सिंचाई परियोजना

1579. श्री त्रिलोचन कानूनगो: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा की प्रमुख सिंचाई परियोजना बिरुपा-गेंगुती के निर्माण कार्य को रोक दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है और केन्द्र सरकार ने इसके लिए अब तक कितनी धनराशि स्वीकृत की है; और

(घ) इस परियोजना के निर्माण कार्य को पुन: शुरू कराने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

जल-संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) से (घ) यह संदर्भ सम्भवत: बिरुपा-गेंगुती द्वीप परियोजना के सम्बन्ध में हैं। उड़ीसा के वार्षिक योजना 2000-2001 प्रलेख के मसौदे के अनुसार इस परियोजना की स्थिति इस प्रकार है:-

1. किस योजना में शुरू की गई	:	सातवीं योजना
2. अनुमोदन की स्थिति	:	योजना आयोग द्वारा मार्च, 1990 में 4.63 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से अनुमोदित।
3. संशोधित अनुमोदित लागत	:	योजना आयोग द्वारा 29.3.94 को 11.464 करोड़ रु. पर अनुमोदित।
4. 3/2000 तक व्यय	:	14.24 करोड़ रुपये
5. वर्ष 2000-2001 के दौरान राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित परिव्यय	:	0.20 करोड़ रुपये

राज्य सरकार का विषय होने के कारण, सिंचाई परियोजनाओं का अन्वेषण, आयोजन क्रियान्वयन और वित्त पोषण राज्य सरकारों द्वारा स्वयं उनके संसाधनों में से तथा उनकी प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है।

पुनर्वास

1580. श्री ए. ब्रह्मनैया:
श्री रामजी मांझी:
डा. जसवंत सिंह यादव:
श्री जय प्रकाश:
श्री भर्तृहरि महताब:
श्री कालवा श्रीनिवासुलु:
श्रीमती जयश्री बैनर्जी:
श्री पुष्प जैन:
डा. संजय पासवान:
श्री पी.डी. एलानगोवन:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विकलांगों के लिए कितने पुनर्वास केन्द्र कार्य कर रहे हैं और राज्य-वार कितने जिला पुनर्वास केन्द्र, व्यावसायिक केन्द्र, समेकित पुनर्वास केन्द्र खोले जाने की संभावना है;

(ख) पुनर्वास केन्द्रों और विकलांगों की संख्या के बीच संतुलन कायम करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार विभिन्न विदेशी स्रोतों जैसे डब्ल्यू.एच.ओ., यूनिसेफ, यू.एन.डी.पी. आदि की सहायता से देश में नई पुनर्वास और स्वरोजगार योजना शुरू करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार इस समय भारत में चल रही विभिन्न पुनर्वास परियोजनाओं और भारतीय पुनर्वास परिषद की भूमिका की निगरानी कर रही है; और

(च) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान पुनर्वास परियोजनाओं को जारी धनराशि और उपयोग में लाई गई धनराशि तथा इसके लाभार्थियों का वर्षवार और राज्यवार ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) और (ख) केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा केन्द्रों के जरिए अनेक कार्यक्रमों का कार्यान्वयन किया जा रहा है जिसमें इस प्रयोजन के लिए विभिन्न राज्यों में स्थापित 6 राष्ट्रीय संस्थान, 11 जिला पुनर्वास केन्द्र, 4 क्षेत्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण केन्द्र, 17 व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र शामिल हैं। पुनर्वास की उपलब्धत सेवाओं और इसकी जरूरत के बीच अन्तर को कम/समाप्त करने के लिए, सरकार ने अनेक नए कार्यक्रमों को अनुमोदित किया है, जिसमें विशेष रूप से ग्रामीण विकलांग व्यक्तियों को पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के लिए देश के 31 अलग-अलग राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से चुने हुए 100 से भी अधिक जिला पुनर्वास केन्द्रों, पुनर्वास सेवाएं और जनशक्ति विकास उपलब्ध कराने के लिए क्षेत्रीय संयुक्त संसाधन केन्द्रों, पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के लिए मेरुदण्ड क्षति और अन्य अस्थि विकलांगता वाले व्यक्तियों हेतु क्षेत्रीय पुनर्वास केन्द्रों, ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक अवरुद्धता और बहु विकलांगता से पीड़ित व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्याय की स्थापना करना शामिल है। राज्य, जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तरों पर सेवा प्रदान करने के लिए प्रणाली का सृजन करने के लिए, 1999-2000 से राज्य क्षेत्र की योजना के रूप में विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया है। 1999-2000 में राज्यों/संघ क्षेत्रों को 5 करोड़ रुपये प्रदान किए गए थे। वर्ष 2000-2001 में इस योजना के अंतर्गत 32 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 74 जिलों को शामिल करने के लिए वित्तीय संसाधन अनुमोदित किए गए हैं। राष्ट्रीय वित्त एवं विकास निगम विकलांग व्यक्तियों को स्वरोजगार व्यवसाय के लिए आसान ऋण देता है।

(ग) और (घ) विभिन्न पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के लिए बहुपक्षीय एवं द्विपक्षीय बाह्य एजेंसियों से समय-समय पर वित्तीय और प्रौद्योगिकी सहायता प्राप्त होती है। वर्ष 2000-2001 से यू.एन.डी.पी. विकलांग बच्चों को शिक्षा एवं संबद्ध पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के लिए सहायता संबंधी एक परियोजना का वित्त पोषण कर रहा है। सरकार का पुनर्वास परियोजनाओं के भावी वित्त पोषण के लिए बाहरी एजेंसियों से सम्पर्क जारी रखने का प्रस्ताव है।

(ङ) सरकार स्वयं एवं विभिन्न संस्थानों के जरिए पुनर्वास परियोजनाओं को निरन्तर मानीटर करती है। भारतीय पुनर्वास परिषद पुनर्वास व्यावसायिकों/कार्मिकों के प्रशिक्षण को विनियमित और मानीटर करती है तथा व्यावसायिकों/कार्मिकों के लिए केन्द्रीय पुनर्वास रजिस्टर का रखरखाव करती है।

(च) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में नि:शक्तता क्षेत्र का बजट प्रावधान 1996-97 के 64.89 करोड़ रुपये से बढ़कर 1998-99 में 140.63 करोड़ रुपये और 1999-2000 में 177.33 करोड़ रुपये हो गए हैं, चूंकि पुनर्वास एक बहुगतिविधि वाली और दीर्घकालिक प्रक्रिया है, अत: लाभग्राहियों की सही-सही संख्या का अनुमान लगाना गठिन है। हाल ही के कुछ वर्षों में प्रदान कराई गई पुनर्वास सेवाओं, जिसमें संस्थाएं और वर्ष 1999-2000 (11.2.2000 तक) के लिए "विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक कार्रवाई को प्रोत्साहन की योजना" (1 लाख रुपयों से अधिक की राशि) और सहायक यंत्रों और उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए विकलांग व्यक्तियों को सहायता की योजना" के अंतर्गत किए गए आवंटन शामिल हैं, का कुछ ब्यौरा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की वर्ष 1999-2000 की वार्षिक रिपोर्ट में उलब्ध है।

[हिन्दी]

बांधों का निर्माण

1581. डा. ए.डी.के. जयशीलन: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार तमिलनाडु में बांधों के निर्माण हेतु राज्य को दी जाने वाली वित्तीय सहायता में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो स्थानवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल-संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) से (ग) केन्द्र सरकार ने उन सिंचाई परियोजनाओं को पूरा होने की उन्नत अवस्था में है अथवा ऐसी वृहद परियोजनाएं जो राज्यों की संसाधन क्षमता से बाहर हैं, को पूरा करने के लिए राज्य सरकारों को केन्द्रीय ऋण सहायता (सीएलए) उपलब्ध कराने के वास्ते वर्ष 1996-97 से त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम प्रारंभ किया है। तमिलनाडु सरकार वर्ष 2000-20001 के दौरान त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत केन्द्रीय ऋण सहायता के लिए बांधों के निर्माण की योजना करते हुए कोई सिंचाई परियोजनाएं प्रस्तुत नहीं की हैं।

[अनुवाद]

बाढ़ नियंत्रण

1582. श्री प्रियरंजन दासमुंशी:
श्री वीर सिंह महतो:

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम बंगाल में हाल ही में बाढ़ और भारी वर्षा हुई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बाढ़ नियंत्रण के लिए नदियों को गहरा करने और उनके तटों का निर्माण/मरम्मत करने हेतु विभिन्न परियोजनाएं लागू की जा रही हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार को पश्चिम बंगाल सरकार से विभिन्न जिलों जैसे उत्तर और दक्षिण दीनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद में नियमित रूप से बाढ़ के खतरे के बारे में कोई विशेष रिपोर्ट मिली है; और

(च) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने राज्य में बाढ़ के खतरे से निपटने के लिए कोई व्यापक मास्टर योजना तैयार की है?

जल-संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) जी, हां।

(ख) पश्चिम बंगाल के बीरभूम, मुर्शिदाबाद, नाडिया और 24 परगना (उत्तर) जिलों में सितम्बर, 2000 में बहुत भीषण बाढ़ आई। ऐसा इस लिए हुआ कि मात्रा और सघनता दोनों दृष्टि से काफी बारिश हुई। ऐसी वर्षा पहले कभी दर्ज नहीं की गई थी। 18 से 23 सितम्बर, 2000 के बीच अजॉय बेसिन में कुल वर्षापात 1040 मि.मी. था। मयूराक्षी जल ग्रहण क्षेत्र में 1224 मि.मी. और दामोदर बेसिन में 529 मि.मी. वर्षापात था। भागीरथी बेसिन में अधिक बाढ़ आई क्योंकि इस बेसिन में कई बार सहायक नदियों द्वारा अपनी वाहक क्षमता से कहीं अधिक जल लाया गया। अधिक जल के कारण सभी नदियों के तटबंधों में दरार आई। बाढ़ से हुए विध्वंस का ब्यौरा इस प्रकार है:-

(1) प्रभावित कुल क्षेत्र	:	23971 वर्ग कि.मी.
(2) प्रभावित फसल क्षेत्र	:	19200 वर्ग कि.मी.
(3) प्रभावित आबादी	:	218 लाख
(4) मृतकों की संख्या	:	1320 संख्या
(5) गुमशुदा व्यक्तियों की संख्या	:	154 संख्या
(6) क्षतिग्रस्त घरों की संख्या	:	21.94 लाख
(7) प्रभावित ब्लाकों की संख्या	:	117 संख्या
(8) प्रभावित नगरपालिकाओं की संख्या	:	68

(ग) तटबंधों के निर्माण/मरम्मत, जल निकास स्कीमों, चैनलों के उच्छेदन, तट-सुरक्षा कार्यों और कटावरोधी कार्यों के लिए पश्चिम बंगाल राज्य सरकार द्वारा बहुत-सी स्कीमें शुरू की जा रही हैं।

(घ) नगर सुरक्षा, तटबंधों के निर्माण और अनुरक्षण, कटावरोधी कार्यों और पूरा होने के विभिन्न स्तरों की जल निकास स्कीमों से संबंधित 200 से अधिक स्कीमें राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई हैं।

(ङ) उत्तर प्रदेश और दक्षिण दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद जिलों में बाढ़ के नियमित प्रकोप से संबंध में पश्चिम बंगाल सरकार से कोई विशिष्ट रिपोर्ट केन्द्र सरकार को प्राप्त नहीं हुई है।

तथापि, पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने सूचित किया है कि मालदा और मुर्शिदाबाद जिलों की गंगा नदी की बाढ़ से अक्सर क्षति होती हैं और वहां गम्भीर कटाव होता है। उत्तर दिनाजपुर और दक्षिण दिनाजपुर में बाढ़ महानन्दा नदी और इसकी नदियों द्वारा आती है।

(च) गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग ने राज्य में बाढ़ की समस्या का समाधान करने के लिए दीर्घावधिक नीति तैयार करने के वास्ते पश्चिम बंगाल के निम्नलिखित नदी-बेसिनों के लिए बाढ़ नियंत्रण की एक व्यापक योजना तैयार की है:-

1. मुख्य गंगा
2. दामोदर
3. अजॉय
4. रूपनारायण
5. महानन्दा
6. मयूराक्षी

संयुक्त राष्ट्र की सहस्त्राब्दी शिखर बैठक

1583. श्री माधवराव सिंधिया:
श्रीमती रेणूका चौधरी:
श्री सुशील कुमार शिंदे:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सितम्बर, 2000 में न्यूयार्क में संपन्न संयुक्त राष्ट्र की तीन दिवसीय सहस्त्राब्दी शिखर बैठक में स्वीकार की गई घोषणाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) जिन देशों में अभी भी सैनिक या कोई अन्य अलोकतांत्रिक शासन प्रणाली है उनमें लोकतंत्र की बहाली के लिए उठाए गए कदमों, यदि कोई हों तो, उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा देश के भीतर और विदेशों में विशेषकर हमारे पड़ोसी देशों के संबंध में इन घोषणाओं के अनुपालनार्थ क्या कदम उठाए गए हैं/उठाये जा रहे हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) संयुक्त राष्ट्र सहस्त्राब्दी शिखर सम्मेलन में पारित घोषणा में आठ खण्ड हैं जिनमें मूल्य और सिद्धान्त, शांति, सुरक्षा और निरस्त्रीकरण, विकास और गरीबी उन्मूलन, हमारे सामान्य पर्यावरण, मानवाधिकारों, प्रजातंत्र और सुशासन का संरक्षण करना, असुरक्षित का संरक्षण करना, अफ्रीका की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति करना, और संयुक्त राष्ट्र को मजबूत करना शामिल है।

(ख) इस घोषणा में प्रजातंत्र का संवर्धन करने तथा प्रजातांत्रिक सिद्धान्तों और प्रथाओं के कार्यान्वयन संबंधी सभी देशों की क्षमता को मजबूत करने का संकल्प किया गया।

(ग) देश के भीतर, सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही नीतियाँ और कार्यक्रम इस घोषणा की भावना के अनुरूप हों। पड़ोसी राज्यों सहित अन्य राष्ट्रों के साथ सरकार के क्रियाकलापों का उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ प्रजातंत्र, शान्ति और सुरक्षा का संवर्धन और इस घोषणा के स्वीकृत उद्देश्यों के अनुरूप हों।

[हिन्दी]

शिशु मृत्यु दर

1584. योगी आदित्यनाथ: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हमारे देश में शिशु मृत्यु दर अन्य देशों की तुलना में अधिक है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) आज की स्थिति के अनुसार देश में राज्य-वार शिशु मृत्यु दर कितनी है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ग) देश में शिशु मृत्यु दर कुछ अन्य देशों की दर की अपेक्षा अधिक है। देश में शिशु मौतों के लिए तीव्र श्वसनी संक्रमण, अतिसार रोग तथा नवजात अवधि के दौरान मौतें तथा कुछ क्षेत्रों में वैक्सीन निवार्थ रोग जिम्मेवार हैं। कुपोषण की उच्च व्याप्तता शिशु मृत्यु में योगदान करती है। देश में तथा बड़े राज्यों में वर्ष 1999 के लिए शिशु मृत्यु दर संलग्न विवरण में दर्शायी गई है।

विवरण

शिशु मृत्यु दर, 1999 का अनंतिम अनुमान शिशु मृत्यु दर

**भारत*	–	70
बड़े राज्य		
आंध्र प्रदेश	–	66
असम	–	76
बिहार	–	66
गुजरात	–	63
हरियाणा	–	68
कर्नाटक	–	58
केरल	–	14
मध्य प्रदेश	–	91
महाराष्ट्र	–	48
उड़ीसा	–	97
पंजाब	–	53
राजस्थान	–	81
तमिलनाडु	–	52
उत्तर प्रदेश	–	84
पश्चिम बंगाल	–	52
छोटे राज्य		
अरुणाचल प्रदेश	–	43

गोवा	–	21
हिमाचल प्रदेश	–	62
मणिपुर	–	25
मेघालय	–	56
मिजोरम	–	19
नागालैण्ड	–	अनुपलब्ध
सिक्किम	–	49
त्रिपुरा	–	42

*आंशिक विवरण प्राप्त होने के कारण नागालैण्ड (ग्रामीण) तथा जम्मू कश्मीर शामिल नहीं हैं।
अनुपलब्ध: आंशिक विवरण की प्राप्ति के कारण अनुपलब्ध
नोट: 1997-99 की अवधि के लिए छोटे राज्यों की शिशु मृत्यु दर
स्रोत : नमूना पंजीकरण पद्धति।

[अनुवाद]

इनसैट-2बी

1585. श्री पी.एस. गड़वी: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इनसैट-2बी में कोई गड़बड़ी आने के कारण उसका धरती से संपर्क (अर्थ लॉक) टूट गया है;

(ख) यदि हां, तो इस गड़बड़ी को दूर करने हेतु इसरो के वैज्ञानिकों द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या इसके परिणामस्वरूप दूरदर्शन के कुछ चैनल प्रभावित हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो डी.ओ.टी., इसरो और अन्य संबंधित संगठनों द्वारा क्या वैकल्पिक प्रबंध किये गये हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) और (ख) जी, हां। जुलाई 1993 में प्रमोचित इनसैट-2बी उपग्रह ने सन् 2000 के मध्य तक सात वर्ष की अपनी निर्धारित कालावधि पहले ही पूरी कर ली है। नवम्बर 3, 2000 को इसमें रखे ऑक्सीडाइजर के समाप्त होने के कारण उपग्रह का पृथ्वी से सम्पर्क टूट गया था, जोकि इसकी कालावधि की समाप्ति पर एक सामान्य बात है। ऑक्सीडाइजर के समाप्त होने के कारण, इसकी पुन: प्राप्ति के प्रयासों में सामान्य से अधिक समय लगा और नवम्बर 5, 2000 को उपग्रह से पुन: सम्पर्क स्थापित कर लिया गया।

(ग) और (घ) जी, हां। इस संपर्क के टूटने के कारण इनसैट-2बी उपग्रह के माध्यम से संचालित दूरदर्शन का ज्ञान दर्शन नामक चैनल प्रभावित हुआ था। इसे नवम्बर 7, 2000 को पुन: स्थापित कर दिया गया है।

स्वयंसेवी संगठन

1586. श्री शिवराज सिंह चौहान:
श्री जयभान सिंह पवैया:
श्री राजो सिंह:

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश के विभिन्न भागों विशेषकर गुजरात, बिहार और मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में कार्यरत केन्द्र सरकार द्वारा वित्तपोषित उन स्वयंसेवी संगठनों का ब्यौरा क्या है जो सहायता अनुदान परियोजना के अन्तर्गत बाल श्रमिकों के कल्याण की योजनाएं चला रहे हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन संगठनों द्वारा हासिल किए गए लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को आदिवासी क्षेत्रों में कार्यरत स्वयंसेवी संगठनों द्वारा केन्द्रीय वित्तीय सहायता के भारी दुरुपयोग के संबंध में शिकायतें मिली हैं; और

(घ) यदि हां, तो अभी तक कितनी शिकायतें मिली है और इस पर क्या कार्यवाही की गई या करने का विचार है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) स्वैच्छिक संगठनों द्वारा निधि के दुरुपयोग के संबंध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं लेकिन जनजातीय क्षेत्रों में चल रहे संगठनों के बारे में कोई विशेष शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अनुदान-सहायता स्कीम की सेवा शर्तों के अनुसार संबंधित संगठन के विरुद्ध कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

विवरण

राज्य का नाम	स्वैच्छिक संगठन का नाम	लाभान्वित बच्चों की संख्या	परियोजना की स्थिति
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	ग्रामीण सामाजिक कल्याण एसोसिएशन, महबूब नगर	150	चल रही है
	विजयपुरम प्रजा सेवा समिति, चित्तूर	100	चल रही है
	ग्रामीण विकास संगठन, महबूब नगर	200	चल रही है
	युवा ग्रामीण शिक्षा और विकास एसोसिएशन, खम्मम	200	चल रही है
	श्रीत्रिवेणी शिक्षा अकादमी, नंदीगाम, खम्मम	200	चल रही है
	जिला विकलांगूला संगम, विनाकोन्डा, गुन्टूर	200	चल रही है
बिहार	श्रीमती मनोरमा महिला मंडल, हाजीपुर	100	जनवरी, 2000 से बन्द
	सुधा महिला समाज प्रतिष्ठान, हिल्सा	50	फरवरी, 2000 में बन्द
	दारोगो प्रसाद राय महिला प्रशिक्षण एवं औद्योगिक केन्द्र, नवादा	100	मार्च, 2000 में बन्द
	ग्रामीण संसाधन विकास परिषद, बुधनपुर	50	अगस्त, 1999 में बन्द
	महुआ महिला विकास संस्थान, महुआ	100	मार्च, 2000 में बन्द
	जयप्रभा अकादमी, चितभोरा	100	अप्रैल, 2000 में बन्द
	भारतीय जनमंच, धरहरा	100	अप्रैल, 2000 में बन्द
	भगवान बुद्ध मिशन, हाजीपुर	100	मार्च, 2000 में बन्द
	चन्द्रिका सेवा सदन, हकीमपुर	100	मार्च, 2000 में बन्द
	समता ग्राम सेवा संस्थान, पटना	100	मार्च, 2000 में बंद
	अल्पसंख्यक महिला प्रशिक्षण संस्थान, पटना	100	चल रही है
	विद्याश्री निकेतन, पाकुर	150	चल रही है
	प्रगति फाउन्डेशन, जिला वैशाली	100	चल रही है
	चन्द्रशेखर युवा केन्द्र, काथसरांज	100	चल रही है
	सुविधा इन्टरनेशनल, गया	100	चल रही है
	भारतीय ग्रामीण सेवा संस्थान, ठाकरिया	100	चल रही है
	वैशाली कलाकुंज, वैशाली	200	चल रही है

1	2	3	4
	आशा फाउन्डेशन, पटना	150	चल रही है
	हेल्पिंग इंडिया दुधैला गाछी, सोनपुर	200	चल रही है
गुजरात	*गुजरात केलावानी ट्रस्ट, अहमदाबाद*	*200*	*बन्द है*
हरियाणा	माडर्न एजुकेशन सोसायटी, सोनीपत	100	चल रही है
	अमर ज्योति शिक्षा समिति, जींद	100	चल रही है
	हरियाणा लोक कल्याण शिक्षा समिति, पानीपत	100	चल रही है
जम्मू व कश्मीर	सोसल वेलफेयर ऑफ इंडिया, राजौरी	100	अप्रैल, 2000 में बंद
केरल	टैगोर मेमोरियल चेरिटेबल सोसायटी, तिरुअनन्तपुरम	200	चल रही है
मणिपुर	सोशल एनवायरमेन्ट एण्ड रूरल टैक्नालोजी काउंसिल, पलेल	50	मार्च, 2000 में बंद
	मणिपुर वूमेन कोर्डिनेटिंग काउंसिल, इम्फाल	25	मार्च, 1998 में बंद
	रूरल हैल्थ आर्गेनाइजेशन, वेस्ट सेनापति	50	मार्च, 2000 में बंद
	मणिपुर रूरल इंस्टीट्यूट, इम्फाल	200	जून, 1998 में बंद
	यूनाइटेड रूरल डवलपमेन्ट सर्विस, थोबल	50	चल रही है
मध्य प्रदेश	श्री नवकेतन शिक्षा समिति, भोपाल	100	चल रही है
	रफी अहमद किदवई एजूकेशन सोसायटी, भोपाल	100	मार्च, 1999 में बंद
	डा. अम्बेडकर मेमोरियल एजूकेशन सोसायटी, भोपाल	100	जनवरी, 2000 में बंद
महाराष्ट्र	अहिल्या देवी महिला मंडल, नागपुर	100	अप्रैल, 2000 में बंद
नई दिल्ली	डा. ए.वी. बालिका मेमोरियल ट्रस्ट बहादुरशाह जफर मार्ग	200	अप्रैल, 2000 में बंद
	प्रयास, बसंत कुंज	150	चल रही है
	नम्रता एजुकेशन ट्रस्ट, मुनिरका	150	चल रही है
	जन जागृति एजूकेशन, मंगोलपुरी	100	चल रही है
	मोबाइल क्रैचिज, गोल मार्किट	200	चल रही है
उड़ीसा	मानव सेवा सदन, धेनकनाल	100	जनवरी, 2000 में बंद
	प्रोजेक्ट स्वराज्य, कटक	150	मार्च, 1998 में बंद
	एनवाईएसएड डीआरआई, धेनकनाल	100	मार्च, 2000 में बंद
	श्रीराम कृष्ण आश्रम, अंगुल	150	मार्च, 2000 में बंद

1	2	3	4
	पीआरआरआईआईए, बालासोर	100	चल रही है
	निलांचल सेवा प्रतिष्ठान, पुरी	100	जुलाई, 2000 में बंद
	उड़ीसा मल्टीपरपज डेवलपमेंट सेन्टर, चन्द्रशेखरपुर	100	चल रही है
	इन्स्टीट्यूट फॉर काम्युनीकेशनल एंड डेवलेपमेन्ट एक्शन, भद्रक	100	चल रही है
	रुचिका सोशल सर्विस विंग, भुवनेश्वर	400	चल रही है
तमिलनाडु	विलेज रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलेपमेन्ट प्रोजैक्ट, सेलम	180	अक्तूबर, 1999 में बंद
	आर्गेनाइजेशन फॉर रूरल डेवलेपमेन्ट, मदुरई	200	चल रही है
	टीएन विलेज कन्जूमर्स प्रोटेक्शन काउंसिल, न्यू	150	चल रही है
उत्तर प्रदेश	अम्बिका देवी हाईस्कूल कन्या विद्यालय, मिर्जापुर	250	मई, 2000 में बन्द
	संस्कृत भाषा विकास परिषद सेवापुरी, देवरिया	100	मार्च, 2000 में बन्द
	प्रोजेक्ट माला, मिर्जापुर	150	चल रही है
	ग्राम सेवा संस्थान, देवरिया	100	चल रही है
	चिल्ड्रन इमेन्सीपेशन सोसाइटी प्रोजेक्ट माला; मिर्जापुर	150	चल रही है
	अखिल भारतीय समाज कल्याण परिषद, देवरिया	100	मार्च, 2000 में बन्द
	बिजनौर सेवा संस्थान, बिजनौर	100	मार्च, 2000 में बन्द
	जन सेवा समिति, इलाहाबाद	100	चल रही है
	बाल विकास एवं महिला परिषद, गोंडा	100	चल रही है
	वैष्णवी शिक्षा समिति, इलाहाबाद	200	चल रही है
	कपिल बाल एवं सेवा समिति, बस्ती	100	चल रही है
	अवध महिला आवाम बाल कल्याण समिति	100	चल रही है
	शिक्षा महिला समिति, बस्ती	50	चल रही है
	डा. भीमराव अम्बेडकर, महाराजगंज	50	चल रही है
	जन जीवन माध्यमिक शिक्षा समिति	100	चल रही है
	आल इंडिया वूमेन्स एण्ड डेव. आर्गे. कानपुर	100	चल रही है
	आल इंडिया वूमेन्स कानफ्रेन्स, कानपुर	150	चल रही है

1	2	3	4
	स्वामी विवेकानन्द शिक्षा समिति, मिर्जापुर	100	चल रही है
	हरिजन निर्बल शिक्षा विकास समिति, इलाहाबाद	250	चल रही है
	भारतीय जन कल्याण एवं महिला सेवा संस्थान	100	चल रही है
	कृषक विकास समिति, गाजीपुर	100	चल रही है
	पूर्वांचल मानव कल्याण संस्थान, महाराजगंज	200	चल रही है
	परख, इलाहाबाद	100	चल रही है
	भारतीय समाजोठन सेवा संस्थान, देवरिया	100	चल रही है
	ग्राम विकास सेवा समिति, इलाहाबाद	100	चल रही है
पश्चिम बंगाल	बागमारी यूथ प्रोग्रेसिव एसोसिएशन, कलकत्ता	100	जनवरी, 2000 में बन्द
	भांगड़ा डायमंड क्लब, बर्दवान	100	जनवरी, 2000 में बन्द
	इक्षुपत्रिका सोशल वैलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, मिदनापुर	100	जनवरी, 2000 में बन्द
	केओराखाली जन सेवाश्रम, दक्षिण 24 परगना	100	चल रही है
	जन शिक्षा प्रचार केन्द्र, कलकत्ता	100	चल रही है
	करीमपुर सोशल वेलफेयर सोसाइटी	250	फरवरी, 2000 में बन्द
	अनएम्लायड यंग वर्कर्स सोसाइटी, बर्दवान	100	बन्द
	सीड, हावड़ा	100	चल रही है
	सेन्टर फॉर सोशल डेवलपमेन्ट, नार्थ-24 परगना	100	चल रही है
	तफा पाल्ली मिलानी संघ, दक्षिण 24 परगना	200	चल रही है
	इंडियन रूरल मेडिकल एसोसिएशन, कलकत्ता	250	चल रही है
	विलेज वेलफेयर सोसाइटी, कलकत्ता	250	चल रही है

[हिन्दी]

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति-योजना

1587. श्री रवि प्रकाश वर्मा: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की स्थिति के अनुसार स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार के कितने कर्मचारियों/अधिकारियों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली है;

(ख) केन्द्र सरकार के इन कर्मचारियों/अधिकारियों को दिए गए सेवानिवृत्ति और अन्य लाभों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या महिला कर्मचारियों और अधिकारियों ने पुरुष कर्मचारियों और अधिकारियों की तुलना में अधिक संख्या में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली है;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के वर्षवार और श्रेणीवार ब्यौरे सहित इसके क्या कारण हैं;

(ङ) अभी तक इन कर्मचारियों और अधिकारियों के भुगतान से संबंधित कितने लंबित मामलों को निपटाया गया है और आज की स्थिति के अनुसार अभी भी कुल कितने मामले लंबित हैं;

(च) क्या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों को सभी पेंशन के लाभ वरीयता आधार पर मिलने चाहिए; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) और (ख) केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 48-क के अनुसार, केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी 20 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी कर लेने पर सेवानिवृत्ति ले सकते हैं। इस नियम के अंतर्गत किसी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति लेने-देने का अधिकार नियोक्ता प्राधिकारी को ही होता है, अत: इस नियम के अनुसार, सेवानिवृत्त होने दिए गए सरकारी कर्मचारियों की संख्या संबंधी कोई भी आंकड़े, केन्द्रीयकृत रूप से उपलब्ध नहीं हैं। उन्हें (स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्ति होने वाले कर्मचारियों को) सेवानिवृत्ति से संबंधित प्रसुविधाएं, उपर्युक्त नियमों में निर्धारित मानदण्डों के अनुसार स्वीकृत की जाती हैं।

(ग) और (घ) चूंकि केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 48क के अंतर्गत किसी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति लेने-देने का अधिकार, नियोक्ता प्राधिकारी को ही होता है, अत: इस नियम के अंतर्गत, सेवानिवृत्त होने दिये गये महिला और पुरुष सरकारी कर्मचारियों की संख्या से संबंधित कोई भी आंकड़े, केन्द्रीयकृत रूप से उपलब्ध नहीं हैं।

(ङ) पेंशन की मंजूरी और उसके संवितरण का काम-काज, विकेन्द्रीकृत करके संबंधित मंत्रालयों/विभागों को दे दिया गया है, अत: इस बारे में जानकारी केन्द्रीकृत रूप से, नहीं रखी जाती।

(च) और (छ) सेवानिवृत्ति से संबंधित सभी प्रसुविधाएं, केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 49 और 50 में निर्धारित मानदण्डों के अनुसार स्वीकृत की जाती हैं। उपर्युक्त नियमावली के नियम 48-क के अनुसार, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले सरकारी कर्मचारियों की पेंशन के कागजात की जांच-पड़ताल और उसके आधार पर यथोचित कार्रवाई किये जाने की प्रक्रिया, सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्त हो जाने के पश्चात् ही आरम्भ की जाती है, क्योंकि उपर्युक्त नियम में सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन विशेष से, सेवानिवृत्ति लेने का नोटिस वापस ले लिये जाने का भी प्रावधान है।

[अनुवाद]

दूषित भू-जल

1588. श्री एन.एन. कृष्णदास:
श्री एस.पी. लेपचा:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि पश्चिम बंगाल के नौ जिलों के तीन लाख लोग भू-जल में संखिया विष मिले होने से प्रभावित हैं और तकरीबन चार करोड़ लोगों का जीवन खतरे में है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस स्थिति को नियंत्रित करने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये/करने का विचार है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) जी, हाँ।

(ख) पश्चिम बंगाल सरकार के जन स्वास्थ्य इन्जीनियरी विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार, राज्य के आठ आर्सेनिक से प्रभावित जिलों के 67 ब्लाकों में 57.81 लाख लोग जोखिम पूर्ण क्षेत्र में रहते हैं। आर्सेनिक विषैलेपन से प्रभावित आबादी संबंधी आंकड़े राज्य सरकार के पास उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) आर्सेनिक प्रदूषण की समस्या को रोकने के लिए की गई कार्रवाई में निम्नलिखित शामिल हैं:

(1) पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने भारत सरकार के सहयोग और वित्तीय सहायता से निम्नलिखित स्कीमें स्वीकृत की हैं:

(1) 858.33 लाख रुपये की लागत की प्रथम चरण कार्रवाई योजना जिसके तहत आर्सेनिक से प्रभावित स्थल स्रोतों की प्रतिस्थापना की गई है तथा बड़े डायामीटर के नलकूपों को पूरा किया गया है और चार जल आपूर्ति स्कीमें शुरू की गई हैं।

(2) मालदा जिला के लिए 8848 लाख रुपये की अनुमानित लागत से एक सतही जल पर आधारित पाइप जल आपूर्ति स्कीम स्वीकृत की गई है।

(3) दक्षिण 24 परगना जिला के आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्र के लिए 232.84 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से एक सतही जल पर आधारित पाइप जल आपूर्ति स्कीम स्वीकृत की गई है।

(4) आर्सेनिक प्रदूषण का समाधान करने के लिए दीर्घकालीन और अल्पकालीन उपायों सहित 750.00 करोड़ रुपये की कुल लागत से एक परिप्रेक्ष्य योजना तैयार करना। इस योजना की कुछ मुख्य विशेषतायें ये हैं,- नलकूपों को अधिक गहरे नलकूपों में बदलना, नई पाइप जल आपूर्ति स्कीमों का निर्माण, स्वास्थ्य की दृष्टि से सुरक्षित रिंग कुएं और तत्काल राहत के लिए वर्षा जल संचयन संरचनाएं, सतही जल पर आधारित पाइप जल आपूर्ति स्कीमों की स्थापना और नए स्थल स्रोतों की स्थापना।

2. केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत अखिल भारतीय स्वच्छता और जन स्वास्थ्य संस्थान ने आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्रों में मरकविज्ञानी इपिडेमियोलाजिकल अध्ययन किए हैं।

(3) ग्राम विकास मंत्रालय के राजीव गांधी राष्ट्रीय पेय जल मिशन के तहत स्वीकृत की गई अनेक अनुसंधान और विकास परियोजनाएं नीचे दी गई हैं:

(1) स्कूल आफ ट्रापिकल मेडिसन और अखिल भारतीय स्वच्छता और जन स्वास्थ्य संस्थान द्वारा 10.82 लाख रुपये की परियोजना लागत से पश्चिम बंगाल में भूजल में आर्सेनिक प्रदूषण पर उप-मिशन परियोजना।

(2) 4.13 लाख रुपये की परियोजना लागत पर पश्चिम बंगाल के छ: जिलों में आर्सेनिक प्रदूषण अध्ययन करना।

(3) 4.93 लाख रुपये की परियोजना लागत से गम्भीर रूप से आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्रों में विषाक्तता की जांच करने के लिए इपिडेमियोलॉजिकल अध्ययन पर आर. एंड डी. परियोजना। यह अध्ययन इंस्टीट्यूट आफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, कलकत्ता द्वारा किया गया है।

(4) 74.00 लाख रुपये की परियोजना लागत से अनुमोदित आर्सेनिक और अन्य रसायनिक प्रदूषणों के नियंत्रण पर आर एंड डी परियोजनाएं। यह अध्ययन प्रेसिडेंसी कालेज, कलकत्ता को सौंपा गया है।

(5) भारत सरकार द्वारा 3.30 लाख रुपये की परियोजना लागत से अनुमोदित भूजल से आर्सेनिक दूर करने के लिए कम लागत के फिल्टर माध्यम का विकास। यह अध्ययन राष्ट्रीय मेटालुरजिकल लेबोरेटरी, जमशेदपुर को सौंपा गया है।

(6) भारत सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल के छह जिलों में 4.78 लाख रुपये की परियोजना लागत से अनुमोदित भूजल में आर्सेनिक की विद्यमानता का भौगोलिक और भू-रसायनिक अध्ययन। यह अध्ययन आर्सेनिक से संबंधित रोगों के लिए मानव और पर्यावरण, कलकत्ता के अध्ययन के वास्ते केन्द्र को सौंपा गया है।

छोटे परिवार के लिए निर्धारित मानदण्ड

1589. श्री पवन कुमार बंसल: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार छोटे परिवार के लिए निर्धारित मानदण्डों को प्रोत्साहित करने के लिए समाज के सभी वर्गों हेतु प्रोत्साहन/हतोत्साहन पैकेज शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) सरकार प्रजनक स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाते समय और परिवार नियोजन सेवाएं प्रदान करने में लक्ष्य रहित नीति को जारी रखते हुए नागरिकों की स्वैच्छिक और विदित पसन्द तथा सहमति की नीति पर चलती है।

अनुसूचित जातियों/जनजातियों की सूची

1590. श्री अनंत गंगाराम गीते:
श्रीमती जयश्री बैनर्जी:
श्री सुरेश चन्देल:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न राज्यों से कुछ जातियों और जनजातियों को अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने हेतु बहुत आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर राज्यवार क्या कार्यवाही की गई;

(ग) क्या सरकार हिमाचल प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के पश्चात् राज्य के नए और पुराने क्षेत्रों के बढ़इयों को अनुसूचित जातियों और गद्दियों और गुज्जरों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल न करने के कारण इनको प्राप्त सुविधाओं पर पड़ने वाले असर से उत्पन्न विसंगतियों के बारे अवगत है;

(घ) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई; और

(ङ) इन विसंगतियों को कब तक दूर कर दिये जाने की संभावना है और इन्हें कब तक यह सुविधाएं उपलब्ध करा दी जायेंगी?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की सूचियों में शामिल करने, अपवर्जित करने तथा अन्य संशोधनों के संबंध में विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों पर अनुमोदित प्रक्रियाओं के अनुसार कार्रवाई की गई है। राज्य सरकारों द्वारा संस्तुत मामलों को भारत के महापंजीयक तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग को उनकी टिप्पणियों/सलाह के लिए भेजा जाता है। भारत के महापंजीयक तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग की टिप्पणियां/सलाह प्राप्त करने के बाद, अनुमोदित प्रक्रियाओं के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

(ग) से (ङ) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की सूचियों में बढ़ई (तरखान), गद्दी तथा गुज्जर समुदायों को शामिल करने संबंधी मामले की अनुमोदित प्रक्रियाओं के अनुसार जांच की गई है। हिमाचल प्रदेश सरकार से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की सूचियों में इन समुदायों को शामिल करने की पात्रता के मानदंडों को न्यायोचित सिद्ध करने वाले मानव जातीय ब्यौरे प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है। कोई समय अवधि निर्धारित नहीं की जा सकती क्योंकि इसके लिए विभिन्न एजेंसियों से परामर्श की आवश्यकता है।

विवरण

दिनांक 27.11.2000 तक की स्थिति के अनुसार अनुसूचित जातियों/जन-जातियों की सूचियों में शामिल करने, अपवर्जित करने तथा अन्य संशोधन करने के लिए प्रस्ताव

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्राप्त कुल प्रस्ताव
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	145
2.	अरुणाचल प्रदेश	40
3.	असम	132
4.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	8
5.	बिहार	74
6.	चंडीगढ़	25
7.	दिल्ली	21
8.	दादर और नगर हवेली	11
9.	दमन और दीव	3
10.	गोवा	17
11.	गुजरात	43
12.	हरियाणा	25
13.	हिमाचल प्रदेश	44
14.	जम्मू और कश्मीर	18
15.	कर्नाटक	110
16.	केरल	119
17.	लक्षद्वीप	0
18.	मध्य प्रदेश	72
19.	मणिपुर	30
20.	मेघालय	26
21.	महाराष्ट्र	123
22.	मिजोरम	11
23.	नागालैंड	24
24.	उड़ीसा	134
25.	पांडिचेरी	26

1	2	3
26.	पंजाब	28
27.	राजस्थान	47
28.	सिक्किम	10
29.	तमिलनाडु	129
30.	त्रिपुरा	29
31.	उत्तर प्रदेश	128
32.	पश्चिम बंगाल	43
	कुल	1695

[हिन्दी]

बांधों को क्षति

1591. श्री ब्रह्मानन्द मंडल: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस वर्ष सितंबर माह में बिहार और बंगाल में भारी वर्षा के कारण बांधों और झीलों को क्षति पहुंची और इसके कारण कितना नुकसान हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जिले-वार ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) सितम्बर, 2000 में अत्यधिक वर्षा और बाढ़ के कारण बिहार और पश्चिमी बंगाल में किसी भी बांध एवं झील को क्षति पहुंचने की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। बांधों एवं झीलों की क्षति के कारण हुए नुकसान की सूचना भी प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

मेडिकल स्टोर डिपो

1592. श्री अमर राय प्रधान: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** 14.3.2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2991 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इन प्रशासनिक तात्कालिकताओं का ब्यौरा क्या है जिनके कारण मेडीकल स्टोर डिपो से अवर श्रेणी लिपिक, अपर श्रेणी लिपिक, डिपो प्रबंधक और सहायक डिपो प्रबंधक तथा फार्मासिस्टों का स्थानान्तरण नहीं किया गया और वे कौन सी विशेष परिस्थितियां हैं जिनके तहत यह कार्मिक गत दस से बीस वर्षों से लगातार यहीं कार्यरत हैं;

(ख) उन अधिकारियों जो विशेषकर अपनी नियुक्ति की तिथि से उसी मेडिकल स्टोर डिपो में कार्यरत हैं के नाम क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाये जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) प्रशासनिक तात्कालिकताएं वहां लागू की जाती हैं जहां कहीं इसे संगठन के निर्बाध कार्य करने के लिए अनिवार्य समझा जाता है। सामान्यत: तैनाती तथा स्थानान्तरण स्थानान्तरण नीति के अनुसार किया जाता है। चूंकि केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के मेडिकल स्टोर डिपो में कार्य का स्वरूप औषधालयों के कार्य की तुलना में भिन्न है। केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के मेडिकल स्टोर डिपो में तैनात स्टाफ को स्टोरों की कार्यप्रणाली से अवगत होना पड़ता है और इसलिए उनका स्थानांतरण तथा तैनाती चरणबद्ध तरीके से की जाती है। तथापि, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना ने श्री महिन्द्रा बुकरालिया, अवर श्रेणी लिपिक, श्री आजाद सिंह, अवर श्रेणी लिपिक तथा श्री रतन सिंह, अवर श्रेणी लिपिक के संबंध में स्थानान्तरण आदेश पहले ही जारी कर दिये हैं।

इस समय डिपो प्रबंधक का पद रिक्त पड़ा है। सहायक डिपो प्रबंधक के पद पर कार्यरत अधिकारी पिछले 10 वर्षों से इस पद पर बने हुए नहीं हैं।

(ख) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना मेडिकल स्टोर डिपो, नई दिल्ली के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी नियुक्ति पर उक्त डिपो में पहली तैनाती प्रदान की गई थी:-

1. श्री धर्मेन्द्र कुमार, अवर श्रेणी लिपिक
2. श्रीमती इन्दिरा कुमार, फार्मासिस्ट
3. श्री विनय कुमार, फार्मासिस्ट
4. श्री यज्ञ दत्त, फार्मासिस्ट
5. श्री जय भगवान, फार्मासिस्ट
6. श्री नगेन्द्र धवन, फार्मासिस्ट
7. श्री पी.पी. श्रीवास्तव, सहायक डिपो प्रबंधक

(ग) स्थानान्तरणों की सामयिक समीक्षा की जाती है तथा अधिकारियों को समय-समय पर स्थानांतरित किया जाता है।

सरकारी अस्पतालों का उन्नयन

1593. श्री पी.डी. एलानगोवन:
श्री रामेश्वर डूडी:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश के विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी अस्पतालों के उन्नयन की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष और अब तक विभिन्न स्वास्थ्य परियोजनाओं के लिए राज्यवार उपलब्ध कराई गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाओं में सुधार, दवाओं की उपलब्धता बढ़ाने और उच्च स्तरीय चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराने हेतु कोई कदम उठाए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ङ) भारत के संविधान के अंतर्गत "स्वास्थ्य" राज्य का विषय है और अपनी प्राथमिकताओं और उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखकर अपने राज्य में सरकारी अस्पतालों के उन्नयन की जिम्मेवारी राज्य सरकारों की हैं।

तथापि वित्तीय स्वास्थ्य परिचर्या पद्धतियों के उन्नयन के लिए राज्य स्वास्थ्य पद्धति परियोजनाओं के अंतर्गत निम्नलिखित सात राज्यों को विश्व बैंक सहायता प्रदान की गई है:

राज्य	परियोजना परिव्यय
आंध्र प्रदेश	608.00 करोड़ रुपये
प. बंगाल	698.00 करोड़ रुपये
कर्नाटक	546.00 करोड़ रुपये
पंजाब	425.00 करोड़ रुपये
उड़ीसा	415.57 करोड़ रुपये
महाराष्ट्र	727.00 करोड़ रुपये
उत्तर प्रदेश	118 मिलियन यू.एस. डालर

कुछ अन्य कार्यक्रमों के अंतर्गत भी सहायता प्रदान की जा रही है जिनमें से कुछ नीचे दिये गये हैं:

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत सरकारी अस्पतालों में निम्नलिखित कार्यकलाप शुरू किये गये हैं:

(1) रक्त बैंकों का आधुनिकीकरण;

(2) यौन संचारित रोग क्लीनिकों का सुदृढ़ीकरण।

1997-98, 1998-99, 1999-2000 और 2000-2001 के लिए राज्य-वार आबंटन संलग्न विवरण-I पर है।

रक्त बैंकों और यौन संचारित क्लीनिकों को आधुनिक उपस्कर प्रदान करने के अलावा सरकारी अस्पतालों में एच.आई.वी. संक्रमित व्यक्तियों और एच.आई.वी. रोगियों में होने वाले अवसरवादी संक्रमणों के उपचार के लिए औषधों का प्रावधान करने हेतु विशेष प्रबंध किया गया है।

उपर्युक्त के अलावा, परिवार कल्याण कार्यक्रमों के अंतर्गत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रदान किया गया सहायता अनुदान (नकद और वस्तुगत) है जैसाकि संलग्न विवरण-II पर है।

केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों अर्थात् डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, सफदरजंग अस्पताल और लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज व संबद्ध अस्पतालों में रोगियों को जीवन रक्षक और अनिवार्य औषधें मुफ्त प्रदान की जाती हैं। इनके अतिरिक्त संबंधित अस्पताल की अस्पताल फार्मूलरी में अंतर्विष्ट सामान्य औषधों को भी मुफ्त प्रदान किया जाता है। रोगियों के लाभ के लिए आवश्यकताओं और बजट आबंटन पर विचार करते हुए उच्च तकनीकी चिकित्सा उपस्करों को सुसज्जित किया जाता है।

राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य सरकारों के माध्यम से निम्नलिखित अनुदान वस्तुगत अनुदान के रूप में प्रदान किया जा रहा है:

1. वस्तुगत अनुदान के रूप में नेत्र चिकित्सा उपस्कर, सीवन, इंट्राओक्लर लैंस और औषधें;
2. नए नेत्र वार्डों और नेत्र आपरेशन थिएटरों के निर्माण अथवा मौजूदा नेत्र वार्डों और नेत्र आपरेशन थिएटरों की मरम्मत और उन्हें सुसज्जित करने के लिए राज्य सरकारों को निधियां; और
3. नेत्र शल्य चिकित्सकों और परा-चिकित्सा स्टाफ को प्रशिक्षण।

वर्ष 1997-98, 1998-99, 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान निधियों का राज्यवार आबंटन संलग्न विवरण-III और IV में दर्शाया गया है।

अन्य कार्यक्रमों के तहत भी सहायता प्रदान की जाती है।

विवरण-I

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम

एस ए सी एस/एम सी ए सी एस द्वारा उपयोग निधियां

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	उपयोग 1997-98	उपयोग 1998-99	उपयोग 1999-00	उपयोग 2000-01 (नवम्बर, 2000 तक)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	425.00	650.00	1219.67	223.50
2.	अरुणाचल प्रदेश	25.00	30.00	159.00	19.00
3.	असम	100.00	100.00	322.00	194.00
4.	बिहार	50.00	110.00	55.00	96.00
5.	गोवा	50.00	35.00	98.00	16.50
6.	गुजरात	250.00	230.00	721.00	97.00
7.	हरियाणा	75.00	160.00	270.00	124.50
8.	हिमाचल प्रदेश	225.00	115.00	318.00	108.50
9.	जम्मू व कश्मीर	25.00	25.00	25.00	50.00
10.	कर्नाटक	175.00	335.00	801.67	203.00
11.	केरल	100.00	65.00	280.00	193.00
12.	मध्य प्रदेश	150.00	315.00	352.31	310.00
13.	महाराष्ट्र	950.00	800.00	998.35	302.00
14.	मणिपुर	150.00	245.00	352.38	205.00
15.	मेघालय	25.00	30.00	70.14	17.50
16.	मिजोरम	100.00	100.00	168.00	65.00
17.	नागालैंड	155.00	227.00	380.00	113.50
18.	उड़ीसा	75.00	100.00	200.00	118.50
19.	पंजाब	75.00	150.00	312.39	101.50
20.	राजस्थान	225.00	100.00	150.00	210.00
21.	सिक्किम	50.00	50.00	25.00	23.00

1	2	3	4	5	6
22.	तमिलनाडु	2000.00	800.00	883.09	367.00
23.	त्रिपुरा	50.00	20.00	50.00	40.00
24.	उत्तर प्रदेश	495.00	200.00	851.00	450.00
25.	पश्चिम बंगाल	100.00	350.00	425.00	292.50
26.	पांडिचेरी	0.00	40.00	25.00	21.50
27.	अंडमान और निकोबार	31.09	20.00	50.00	42.50
28.	चंडीगढ़	28.00	60.00	115.00	63.00
29.	दादर और नगर हवेली	16.00	—	25.00	9.00
30.	दमन और दीव	24.22	15.00	95.00	9.00
31.	दिल्ली	25.00	110.00	283.00	150.00
32.	लक्षद्वीप	15.42	—	25.00	8.50
33.	एम डी ए सी एस, मुम्बई	—	350.00	670.00	297.00
34.	अहमदाबाद एम सी	—	5.00	75.00	28.50
35.	चेन्नई एम सी	—	—	125.00	39.50
	कुल	6239.73	5942.00	10975.00	4609.00

विवरण-II

परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत बकाया सहित सहायता अनुदान (नगद और वस्तुगत)

(रुपये लाखों में)

क्रमांक	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1997-98			1998-99			1999-2000		
		नगद	वस्तुगत	कुल	नगद	वस्तुगत	कुल	नगद	वस्तुगत	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	8838.71	2387.25	11225.96	11652.79	2961.41	14614.20	16609.39	3023.31	19632.70
2.	अरुणाचल प्रदेश	147.73	89.65	237.38	144.06	75.75	291.81	231.20	103.35	334.55
3.	असम	3284.70	1165.61	4450.31	3260.45	1177.35	4437.80	7071.23	1421.68	8492.91
4.	बिहार	9894.51	2727.31	12621.82	8792.62	4025.28	128117.90	28435.89	4868.39	33304.28
5.	गोवा	168.13	38.70	206.83	184.83	58.94	243.77	243.44	82.50	325.94
6.	गुजरात	9446.00	1877.12	11323.12	10503.85	2108.13	12611.98	14612.87	2600.21	17213.08
7.	हरियाणा	3521.84	722.46	4244.30	2746.01	906.66	3652.67	3388.16	1019.59	4407.75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	हिमाचल प्रदेश	1123.72	307.30	1431.02	1973.97	399.57	2373.54	2069.01	338.33	2407.34
9.	जम्मू और कश्मीर	1873.62	264.16	2137.78	1600.73	455.77	2056.50	1803.64	458.21	2261.85
10.	कर्नाटक	5185.49	1275.84	6461.33	7681.02	2111.95	9792.97	16978.35	2107.70	19836.05
11.	केरल	2981.46	973.70	3955.16	4190.43	1313.51	5503.94	5487.87	1376.24	6864.11
12.	मध्य प्रदेश	6765.52	3227.78	9993.30	8566.08	4587.46	13153.54	11373.95	4988.02	16361.97
13.	महाराष्ट्र	8289.64	2388.04	10677.68	11164.04	3872.20	15036.24	11971.24	3924.85	15896.00
14.	मणिपुर	452.95	132.90	585.85	622.26	108.80	731.06	907.39	147.96	1055.35
15.	मेघालय	300.91	96.13	397.04	328.75	140.78	469.53	598.21	152.50	750.71
16.	मिजोरम	221.36	74.68	296.04	239.11	68.77	307.88	368.77	75.80	444.27
17.	नागालैंड	209.05	59.19	268.24	247.96	90.31	338.27	402.78	97.73	500.51
18.	उड़ीसा	4821.63	1337.46	6159.09	4710.89	1773.73	6484.62	6053.65	1765.56	7819.21
19.	पंजाब	2451.93	1117.79	3569.72	2558.65	1125.51	3684.16	2941.14	1246.95	4188.09
20.	राजस्थान	7299.73	2176.96	9476.69	8482.29	2688.55	11180.84	14307.20	3238.37	17545.57
21.	सिक्किम	218.87	46.00	264.87	307.72	41.68	349.40	416.73	68.33	485.06
22.	तमिलनाडु	10835.89	1924.08	12759.97	9197.30	2582.39	11779.69	21270.03	1833.16	23103.19
23.	त्रिपुरा	411.50	161.28	572.78	1781.61	193.98	1975.59	823.48	177.00	1000.48
24.	उत्तर प्रदेश	19276.48	5797.10	25073.58	4248.252	8773.56	51256.08	26295.63	10356.72	36652.35
25.	पश्चिम बंगाल	5201.99	2505.16	7707.15	11122.85	3172.95	14295.80	9003.46	2944.78	11948.24
	योग (संघ राज्य क्षेत्र)	113223.36	32873.65	146097.01	154552.79	44814.99	199367.78	203664.41	48417.24	252081.65
विधानमण्डल वाले संघ राज्य क्षेत्र										
1.	पांडिचेरी	138.53	35.49	174.02	137.85	54.55	192.40	148.13	38.19	186.32
2.	दिल्ली	719.82	435.59	1155.41	1012.59	473.35	1485.94	2092.19	698.88	2791.07
बिना विधानमण्डल वाले संघ राज्य क्षेत्रों के लिए परिव्यय										
1.	अंड. एवं निकोबार	100.34	22.06	122.40	104.60	19.00	123.60	0.00	0.00	0.00
2.	दादरा और नगर हवेली	34.41	5.55	39.96	59.31	9.98	69.29	0.00	0.00	0.00
3.	चंडीगढ़	96.25	17.08	113.33	131.33	75.72	189.05	0.00	0.00	0.00
4.	लक्षद्वीप	13.25	5.91	19.16	30.05	5.01	35.06	0.00	0.00	0.00
5.	दमन और दीव	32.25	12.15	44.40	43.50	8.55	52.05	0.00	0.00	0.00
	योग (संघ राज्य क्षेत्र)	1134.85	533.83	1668.68	1519.23	628.16	2147.39	2240.32	737.07	2977.39
	कुल योग	114358.21	33407.48	147765.69	156072.02	45443.15	201515.17	205904.73	49154.31	255059.04

विवरण-III

नौवीं योजना के दौरान जारी नगद अनुदान और किया गया व्यय

(रुपये लाखों में)

राज्य	1997-98			1998-99			1999-2000		
	नगद अनुदान	व्यय	अव्ययित	नगद	व्यय	अव्ययित	नगद	व्यय	अव्ययित
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
विश्व बैंक परियोजना									
आंध्र प्रदेश	204.34	277.63	-73.29	88.50	259.30	-170.25	159.25	297.79	-138.54
मध्य प्रदेश	138.40	429.09	-290.69	568.67	162.84	405.83	223.50	579.23	-355.73
महाराष्ट्र	99.27	164..35	-65.08	87.00	357.21	-270.21	352.75	844.74	-491.99
उड़ीसा	312.20	59.26	252.94	331.08	137.07	194.01	129.25	577.83	-448.58
राजस्थान	46.60	18.37	28.23	35.00	312.25	-276.75	122.50	26.97	95.53
तमिलनाडु	444.47	496.07	-51.60	551.00	705.92	-154.92	462.18	190.30	271.88
उत्तर प्रदेश	138.28	226.35	-88.07	207.25	91.41	115.84	318.32	323.69	-5:37
	1383.56	1671.12	-287.56	1869.00	2026.00	-157.00	1767.75	2840.55	-1072.8
बाकी के राज्य									
अरुणाचल प्रदेश	4.04	1.41	2.63	4.50	2.50	2.00	6.00	2.66	3.34
असम	4.54	3.19	1.35	49.65	—	49.65	30.50	—	30.50
बिहार	7.44	58.33	-50.89	19.50	56.94	-37.44	18.00	—	18.00
दिल्ली	1.25	0.18	1.07	11.20	6.08	5.12	12.52	11.50	1.02
गोवा	5.25	7.34	-2.09	63.00	7.16	55.84	11.50	8.88	2.62
गुजरात	4.01	13.89	-9.88	39.99	32.58	7.41	268.52	275.06	243.03
हरियाणा	2.97	0.00	2.97	37.50	14.66	22.84	115.27	—	115.27
हिमाचल प्रदेश	2.97	20.14	17.17	34.03	15.41	18.62	55.25	25.47	29.78
जम्मू और कश्मीर	20.66	0.00	20.66	52.50	—	52.50	22.75	—	22.75
कर्नाटक	11.78	11.96	-0.18	62.0-1	23.08	38.93	175.25	58.70	116.55
केरल	6.84	97.69	-90.85	16.07	38.17	-22.10	149.49	152.54	-3.05
मणिपुर	1.77	6.31	-4.54	16.76	6.31	10.45	9.00	9.69	-0.69
मेघालय	4.56	1.43	3.13	11.60	7.66	3.89	9.00	8.96	0.04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
मिजोरम	1.54	4.96	-3.42	16.60	10.71	5.89	9.50	12.54	-3.04
नागालैंड	3.85	10.25	-6.40	56.95	10.72	46.23	11.00	—	11.00
पंजाब	4.15	3.00	1.15	5.10	0.00	5.10	121.61	0.00	121.61
सिक्किम	7.92	11.61	-3.69	26.30	4.82	21.48	6.25	6.35	-0.10
त्रिपुरा	7.77	10.47	-2.70	37.74	19.50	18.24	17.39	22.00	4.58
पश्चिम बंगाल	3.25	36.41	-33.16	6.20	37.90	-31.70	77.10	—	77.10
अंडमान और निकोबार	4.00	1.50	2.50	3.80	2.32	1.48	10.67	7.23	10.17
चंडीगढ़	4.00	0.49	3.51	3.60	0.62	2.98	10.24	1.57	8.67
दादरा और नगर हवेली	4.00	1.14	2.86	3.70	0.91	2.79	2.50	0.50	2.00
दमन और दीव	4.00	4.00	0.00	3.70	5.55	-1.85	9.40	5.09	4.31
लक्षद्वीप	7.04	1.17	5.87	17.70	0.18	17.52	2.72	3.03	2.72
पांडिचेरी	4.00	0.95	3.05	2.30	0.55	1.75	20.82	14.39	6.43
उपयोग	133.60	307.82	-174.22	602.00	304.33	297.67	1182.25	357.64	824.61
कुल योग	1517.16	1978.94	-461.78	2471.00	2330.33	140.67	2950.00	3198.19	-248.19

विवरण-IV

वर्ष 2000-01 की दूसरी तिमाही तक सी.डब्ल्यू.फर. और रेन और प्रापण सहित राज्यों को आबंटित किया गया बजट और रिलीज की गई निधियां

(रुपये लाखों में)

राज्य	आबंटन	जारी I	जारी II	जारी III	फर और रेन	सी डब्ल्यू	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
अरुणाचल प्रदेश	28.50	1.63	1.63	1.63	2.00	20.00	26.89
असम	107.50	9.38	9.38	9.38	10.00	60.00	98.14
बिहार	132.50	10.63	10.63	10.63	15.00	75.00	121.89
गोवा	38.20	2.55	2.55	2.55	3.00	25.00	25.65
गुजरात	199.00	13.74	13.74	13.74	24.00	120.00	185.22
हरियाणा	112.00	10.50	10.50	10.50	10.00	60.00	101.50
हिमाचल प्रदेश	91.00	6.50	6.50	6.50	10.00	55.00	84.50

1	2	3	4	5	6	7	8
जम्मू और कश्मीर	88.50	5.88	5.88	5.88	10.00	55.00	82.84
कर्नाटक	103.20	23.30	23.30	23.30	10.00	0.00	79.90
केरल	131.50	16.60	16.60	16.60	10.00	55.00	114.80
मणिपुर	38.60	3.90	3.90	3.90	3.00	20.00	34.70
मेघालय	39.10	4.03	4.03	4.03	3.00	20.00	35.09
मिजोरम	33.60	2.65	2.65	2.65	3.00	20.00	30.95
नागालैंड	38.60	3.90	3.90	3.90	3.00	20.00	34.70
पंजाब	74.80	14.20	14.20	14.20	3.00	15.00	60.60
सिक्किम	21.10	1.03	1.03	1.03	2.00	15.00	20.09
त्रिपुरा	52.30	5.68	5.58	5.58	5.00	25.00	46.74
पश्चिम बंगाल	135.00	12.75	12.75	12.75	14.00	70.00	122.25
अंड. और निकोबार	3.75	3.25	—	—	0.50	0.00	3.75
चंडीगढ़	5.00	4.00	—	—	1.00	0.00	5.00
दादरा और नगर हवेली	3.75	3.25	—	—	0.50	0.00	3.75
दमण और दीव	3.75	3.25	—	—	0.50	0.00	3.75
लक्षद्वीप	3.75	3.25	—	—	0.50	0.00	3.75
दिल्ली	11.50	1.88	1.88	1.88	4.00	0.00	9.64
पांडिचेरी	8.50	1.43	1.43	1.43	2.80	0.00	7.09
उपयोग (क)	1505.00	169.06	152.06	152.06	149.80	730.00	1352.98
आंध्र प्रदेश	205.00	33.75	33.75	33.75	70.00	0.00	171.25
मध्य प्रदेश	192.00	38.00	38.00	38.00	40.00	0.00	154.00
महाराष्ट्र	363.00	32.00	32.00	32.00	70.00	165.00	331.00
उड़ीसा	680.00	20.00	20.00	20.00	100.00	500.00	660.00
राजस्थान	673.00	22.00	22.00	22.00	100.00	485.00	651.00
तमिलनाडु	195.00	33.75	33.75	33.75	60.00	0.00	161.25
उत्तर प्रदेश	227.00	35.50	35.50	35.00	85.00	0.00	191.50
उपयोग (ख)	2535.00	215.00	215.00	215.00	525.00	1150.00	2320.00
कुल योग	4040.00	384.06	367.06	367.06	674.80	1880.00	3672.98

[हिन्दी]

आतंकवाद से निपटने के लिए इस्रायली सहायता

1594. श्री रामपाल सिंह:
डा. अशोक पटेल:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सीमा पार से होने वाले आतंकवाद से निपटने के लिए इस्रायल से सहायता लेने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस्रायल सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) और (ख) इस्रायल और भारत आतंकवाद प्रतिरोधी संबंधी एक संवाद स्थापित करने के लिए सहमत हुए हैं। दोनों देशों के संबंधित प्राधिकारियों द्वारा विवरण तैयार किये जा रहे हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

स्वास्थ्य सेवा पर व्यय

1595. श्री अशोक ना. मोहोल: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा स्वास्थ्य पर कितने प्रतिशत व्यय किया जा रहा है;

(ख) क्या स्वास्थ्य पर किये जाने वाले खर्च के अनुपात में लगातार कमी हो रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार जनता को पर्याप्त और बेहतर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य संबंधी परिव्यय में वृद्धि करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस दिशा में क्या उपाय किये जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ङ) केन्द्र, राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में विभिन्न योजना अवधियों के दौरान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पर योजना निवेश के पैटर्न को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विभिन्न पूर्व योजना अवधियों के दौरान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पर परिव्यय/व्यय की प्रतिशतता लगभग एक जैसी ही रही है। नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान यह सर्वाधिक रही है।

सरकार एड्स, मलेरिया, क्षयरोग, कुष्ठरोग, दृष्टिहीनता के राष्ट्रीय कार्यक्रमों, प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय एजेंसियों से बाह्य सहायता जुटाकर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण क्षेत्रों के लिए संसाधनों को बढ़ाने हेतु हर प्रयास कर रही है। इसके अतिरिक्त, चुनिंदा राज्यों में ग्रामीण अस्पतालों का उन्नयन करने के लिए विश्व बैंक सहायता का लाभ उठाया गया है, जिससे स्वास्थ्य सेवा प्रदानगी में और अधिक सुधार होगा।

विवरण

सार्वजनिक क्षेत्र (केन्द्र, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र) में विभिन्न योजना अवधियों के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पर निवेश का पैटर्न

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	अवधि	कुल योजना निवेश (विकास के सभी शीर्ष)	स्वास्थ्य		परिवार कल्याण		कुल स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	
			परिव्यय/ व्यय	3 का %	परिव्यय/ व्यय	3 का %	परिव्यय/ व्यय	3 का %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	पहली योजना (वास्तविक) (1951-56)	1960.00	65.20	3.33	0.10	0.01	65.30	3.33

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	दूसरी योजना (वास्तविक) (1956-61)	4672.00	140.80	3.01	5.00	0.11	145.80	3.12
3.	तीसरी योजना (वास्तविक) (1961-66)	8576.50	225.90	2.63	24.90	0.29	250.80	2.92
4.	वार्षिक योजना (वास्तविक) (1966-69)	6625.40	140.20	2.12	70.40	1.06	210.60	3.13
5.	चौथी योजना (वास्तविक) (1969-74)	15778.80	335.50	2.13	278.00	1.76	613.50	3.89
6.	पांचवीं योजना (1974-79)	39426.20	760.80	1.93	491.80	1.25	1252.60	3.18
7.	(1979-80) (वास्तविक)	12176.50	223.10	1.83	118.50	0.97	341.00	2.81
8.	छठी योजना (परिव्यय) (1980-85)	97500.00	1821.00	1.87	1010.00	1.04	2831.00	2.90
	छठी योजना (वास्तविक) (1980-85)	109291.7	2025.20	1.85	1387.00	1.27	3412.20	3.12
9.	सातवीं योजना (परिव्यय) (1985-90)	180000.00	3392.90	1.88	3256.30	1.81	6640.20	3.69
	सातवीं योजना (वास्तविक)	218729.60	3688.60	1.69	3120.80	1.43	6809.40	3.11
10.	(1990-91) वास्तविक	61518.10	960.90	1.56	784.90	1.28	1745.80	2.84
11.	(1991-92) वास्तविक	65855.80	1042.20	1.58	856.60	1.30	1898.80	2.88
12.	आठवीं योजना परिव्यय (1992-97)	434100.00	7582.20	1.75	6500.00	1.50	14082.20	2.21
13.	नवीं योजना परिव्यय (1997-2002)	859200.00	19374.11	2.25	15120.20	1.76	34494.31	4.01

स्रोत: एफ.आर. प्रभाग, योजना आयोग

हेपेटाइटिस-बी टीकाकरण कार्यक्रम

1596. श्री किरीट सोमैया:
श्री नरेश पुगलिया:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** 7.8.2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2408 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हेपेटाइटिस-बी टीकाकरण की प्रायोगिक परियोजना शुरू करने को अंतिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को महाराष्ट्र या किसी अन्य राज्य सरकार से हेपेटाइटिस-बी टीकाकरण के बारे में कोई और निवेदन प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या विश्व के अनेक देश, डब्ल्यू.एच.ओ. और यूनीसेफ हेपेटाइटिस-बी टीकाकरण की अनुशंसा कर रहे हैं;

(च) यदि हां, तो क्या कतिपय विदेशी संस्थाओं ने देश में हेपेटाइटिस-बी टीकाकरण कार्यक्रम के लिए सहायता तथा अनुदान देने का प्रस्ताव किया है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) चुनिंदा जिलों और शहरों में हेपाटाइटिस ''बी'' शुरू करने की एक प्रायोगिक परियोजना के एक प्रस्ताव पर अभी विचार किया जा रहा है।

(ग) और (घ) हैपेटाइटिस ''बी'' को शुरू करने के लिए महाराष्ट्र, केरल और हरियाणा राज्यों से पूर्व में प्राप्त हुए अनुरोधों के अलावा आंध्र प्रदेश राज्य सरकार से एक नया अनुरोध भी प्राप्त हुआ है।

(ङ) जी, हां।

(च) से (ज) जी, हां। सरकार ने ऊपर (क) और (ख) के उत्तरों में संदर्भित प्रायोगिक परियोजना की सहायता के लिए ग्लोबल अलाइन्स फार वैक्सीन एंड इम्युनाइजेशन के साथ बातचीत शुरू की है। चिल्ड्रन वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो आंध्र प्रदेश में हैपाटाइटिस 'बी' टीकाकरण और अन्य रोग प्रतिरक्षण कार्यकलापों के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठन है, से अनुदान के लिए एक प्रस्ताव पर भी विचार किया जा रहा है।

डा. राम मनोहर लोहिया और अन्य अस्पतालों में उपलब्ध सुविधायें

1597. डा. विजय कुमार मल्होत्रा: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान डा. राम मनोहर लोहिया और अन्य सरकारी अस्पतालों में माह-वार और विभाग-वार कितने रोगी इलाज के लिए भर्ती हुए;

(ख) डा. राम मनोहर लोहिया और दिल्ली के अन्य केन्द्रीय अस्पतालों में चिकित्सक-रोगी का अनुपात कितना है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सरकारी अस्पतालों में पर्याप्त जनसुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन अस्पतालों में रोगियों को और अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किये गये/करने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

निजी रक्त बैंकों द्वारा रक्त एकत्र करना

1598. डा. संजय पासवान:
श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ निजी रक्त बैंक सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों और राज्य सरकारों के निर्देशों की अवहेलना कर के अवैध रूप से रक्त एकत्र कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए/उठाये जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) पेशेवर रक्तदाताओं से रक्त एकत्र करने के इस अवैध पेशे के बारे में देश के कुछ हिस्सों से इक्का-दुक्का समाचार मिले हैं। पेशेवर रक्तदान के पेशे पर 1 जनवरी, 1998 से रोक लगा दी गई है और तबसे विनियामक प्राधिकारी (केन्द्रीय और राज्य औषध नियंत्रण प्राधिकारियों) ने देश में ऐसे पेशे को कम करने के लिए कदम उठाए हैं। इन प्राधिकारियों को ऐसे पेशों को मानिटर करने और इन पर सख्त दण्ड लगाने के लिए और अधिक सुदृढ़ किया जा रहा है।

[अनुवाद]

स्वैच्छिक संघ/गैर-सरकारी संगठन

1599. श्री प्रभात सामन्तराय:
श्री दिग्गा पटेल:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष स्वास्थ्य परिचर्या और परिवार नियोजन के तहत स्वैच्छिक संघों और गैर-सरकारी संगठनों को विभिन्न परियोजनाओं हेतु विदेशी अभिदाय (पंजीकरण) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत विदेशी अंशदान प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार, परियोजना-वार ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) सूचना गृह मंत्रालय, जो एफ सी आर ए मामलों के लिए संबंधित प्राधिकारी हैं, से एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

बेरोजगार युवक

1600. **कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी:**
श्री होलक्षोमांग हौकिप:
श्री उत्तमराव पाटील:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु में दो वर्ष की वृद्धि के कारण बेरोजगार युवकों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो एक अक्तूबर, 1997 और एक अक्तूबर, 2000 की स्थिति के अनुसार देश में कितने बेरोजगार हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने प्रतिवर्ष दस मिलियन नौकरियां उपलब्ध कराने का वचन दिया था;

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष बेरोजगार युवकों को कितनी नौकरियां दी गई; और

(ङ) यदि हां, तो बेरोजगार युवकों को नौकरियां देने के लिए क्या प्रयास किये गये हैं/किये जाने का प्रस्ताव है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) और (ख) निजी क्षेत्र में युवकों के लिए रोजगार के अवसरों में वृद्धि की अवहेलना किये जाने के बावजूद, दो वर्ष तक केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति स्थगित किए जाने के कारण युवा बेरोजगारी में चिंताजनक वृद्धि से इंकार नहीं किया जाता क्योंकि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की संख्या (मई, 1998 में समूह क, ख और ग के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 60 वर्ष कर दी गयी) औसत वर्ष में 0.09 मिलियन है, जबकि युवा बेरोजगारी स्तर 8 से 9 मिलियन के आसपास है।

(ग) से (ङ) सरकार ने "रोजगार अवसर संबंधी कार्यबल" स्थापित किया है जिसके निम्नलिखित विचारार्थ विषय हैं:

(1) देश में वर्तमान रोजगार और बेरोजगारी की स्थिति की जांच करना।

(2) अगले 10 वर्षों में 10 करोड़ लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रोजगार सृजन की कार्यनीति का सुझाव देना। इसमें औसतन प्रतिवर्ष 1 करोड़ लोगों को रोजगार अवसर उपलब्ध कराने की कार्यनीति शामिल है।

(3) उपर्युक्त विचारार्थ विषयों से संबंधित अथवा प्रासंगिक अन्य मुद्दों पर विचार करना।

कार्यबल अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दे रहा है।

नैदानिक केन्द्रों और प्रयोगशालाओं संबंधी आदर्श विधान

1601. **डा. वी. सरोजा:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास नैदानिक केन्द्रों और प्रयोगशालाओं पर प्रभावी नियंत्रण हेतु एक आदर्श विधान का प्रारूप तैयार करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ग) चूंकि "स्वास्थ्य" राज्य का विषय है, इसलिए विभिन्न नैदानिक केन्द्रों/प्रयोगशालाओं के कार्यकरण को विनियमित करने के लिए प्रभावकारी प्राधिकरण स्थापित करने हेतु आवश्यक विधान लाना/आवश्यक उपाय करना प्रत्येक राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। तथापि, सरकार चिकित्सीय सेवाएं प्रदान करने वाले सभी अस्पतालों, नर्सिंग होमों और नैदानिक केन्द्रों में भौतिक आधारभूत ढांचे और कार्मिक शक्ति के न्यूनतम मानक सुनिश्चित करने हेतु अधिसूचना जारी करने की प्रक्रिया में है।

[हिन्दी]

पंचगव्य से औषधियां

1602. श्री जयाबहन बी. ठक्कर: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश में पंचगव्य (दुग्ध, दही, घी, मूत्र और गाय का गोबर) से बनाई जाने वाली अनेक प्रकार की औषधियों का उत्पादन करने वाले विभिन्न ''गऊ संवर्धन संस्थानों'' की जानकारी है जो अनेक रोगों के उपचार में बहुत प्रभावी हैं;

(ख) यदि हां, तो इस पद्धति को प्रोत्साहित करने हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस क्षेत्र में अनुसंधान कार्य करने के लिए कोई वित्तीय सहायता दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) केन्द्रीय आयुर्वेद एवं सिद्ध अनुसंधान परिषद से प्राप्त हुई सूचना के अनुसार ''गऊ सेवा संघ'' की राजस्थान में अनेक शाखाएं हैं।

गऊ सेवा संघ के अधीन बाबा बलवंत सिंह पंचगव्य अनुसंधान केन्द्र, दुर्गापुर-जयपुर नामक एक अनुसंधान केन्द्र चल रहा है। इस केन्द्र ने लगभग 32 आयुर्वेदिक फार्मूलेशन तैयार किये हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार ''गऊ संवर्धन संस्थान'' नामक एक संगठन भी पंचगव्य के उप-उत्पादों (बाई-प्रोडक्ट) में फार्मास्युटिकल अनुसंधान के क्षेत्र में कार्य कर रहा है।

(ख) पंचगव्य के अवयव पहले ही आयुर्वेद के शास्त्रीय ग्रंथों, जो औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की अनुसूची में हैं, में वर्णित फार्मूलेशनों में शामिल हैं। भारतीय आयुर्वेदिक फार्मूलरियों में पंचगव्य के अवयवों वाले विभिन्न फार्मूलेशनों का उल्लेख है। अनेक फार्मेसियां इन प्रिपरेशनों को तैयार कर रही हैं और उनका विपणन कर रही हैं।

(ग) से (ङ) इस क्षेत्र में अनुसंधान करने का कोई प्रस्ताव केन्द्रीय आयुर्वेद, सिद्ध एवं अनुसंधान परिषद को प्राप्त नहीं हुआ है।

भारत-रूस संयुक्त कृतिक बल

1603. श्री रामचन्द्र बैंदा: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रूस और भारत ने अफगानिस्तान के बारे में किसी संयुक्त कृतिक बल का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त कृतिक बल के उद्देश्य और विशेषताएं क्या हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) से (ग) रूसी परिसंघ के राष्ट्रपति महामहिम श्री व्लादिमिर पुतिन की 2-5 अक्तूबर, 2000 तक की यात्रा के दौरान भारत और रूस ने अफगानिस्तान से सम्बद्ध संयुक्त कार्यदल गठित करने का निर्णय लिया। अफगानिस्तान से संबद्ध संयुक्त कार्यदल की 20-21 नवम्बर, 2000 तक नई दिल्ली में प्रथम बैठक हुई जिससे दोनों पक्षों ने अफगानिस्तान की वर्तमान स्थिति के सभी आयामों की समीक्षा की तथा दोनों पक्ष इस संबंध में द्विपक्षीय स्तर तथा बहुपक्षीय तौर पर अपने सहयोग को जारी रखने पर सहमत हुए।

[अनुवाद]

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सहायक प्रोफेसर

1604. श्री रामदास आठवले: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और डा. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्र में कितने सहायक प्रोफेसर कार्य कर रहे हैं और आज की तारीख के अनुसार उनमें से कितने सहायक प्रोफेसर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के हैं;

(ख) क्या यह संख्या आरक्षण हेतु निर्धारित कोटे के अनुसार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) उक्त संगठन में तदर्थ सहायक प्रोफेसरों के चयन हेतु क्या मानदंड निर्धारित किये गये हैं; और

(च) पिछले तीन वर्षों के दौरान आज तक इस संबंध में निर्धारित आरक्षण कोटे के अनुसार अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान

संस्थान के नेत्र विज्ञान विभाग में और डा. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्र में विशेषकर सहायक प्रोफेसरों के पदों को भरने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (घ) इस समय अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में 110 (104 तदर्थ सहित) सहायक प्रोफेसर कार्यरत हैं। इनमें से 7 डा. आर पी. सेन्टर में कार्यरत हैं जिनमें से दो अनुसूचित जाति वर्ग के हैं। संस्थान में कार्यरत शेष 103 में से 9 अनुसूचित जाति वर्ग के हैं और एक अनुसूचित जनजाति वर्ग के हैं। दिल्ली के उच्च-न्यायालय में अनिर्णीत न्यायालय मामले के होने के कारण नवम्बर, 1994 से सहायक प्रोफेसरों के पद के लिए कोई नियमित नियुक्ति नहीं की जा रही है तथा यह मामला न्यायाधीन है।

(ङ) संस्थान में सहायक प्रोफेसरों के स्तर पर तदर्थ नियुक्तियाँ संबंधित विभागाध्यक्ष के अनुरोध पर यह सुनिश्चित करने के लिए की जा रही है कि संस्थान में शिक्षण, अनुसंधान और रोगी परिचर्या कार्यकलाप बाधित न हों। तदर्थ नियुक्ति करने के लिए रिक्तियों को पूरे भारत में सभी मेडिकल कालेजों एवं अस्पतालों को अधिसूचित कर दिया जाता है। निदेशक, संकायाध्यक्ष, उपनिदेशक (प्रशासन), उप-संकायाध्यक्ष, अल्पसंख्यक समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले एक संकाय सदस्य तथा संबंधित विभागाध्यक्ष की एक चयन समिति द्वारा अधिसूचना से प्राप्त आवेदनों पर विचार किया जा रहा है। निदेशक, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जो यह अधिकार है कि वे एक वर्ष की अवधि के लिए सहायक प्रोफेसर के स्तर पर तदर्थ नियुक्तियाँ कर सकते हैं।

(च) नेत्रविज्ञान तथा डा. आर.पी. सेन्टर के सहायक प्रोफेसर के पदों सहित संस्थान में विभिन्न विषयों में सहायक प्रोफेसर के रिक्त पदों को भरने के लिए कदम उठाये गये थे। सितम्बर, 1999 के दौरान नियमित नियुक्तियाँ करने के लिए एक विज्ञापन भी जारी किया गया था। तथापि, चूंकि यह मामला न्यायाधीन है, सहायक प्रोफेसर के पदों को नियमित आधार पर न भरने का निर्णय लिया गया।

आरक्षण संबंधी विधेयक

1605. श्री अशोक अर्गल: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित लोगों के लिए नियुक्ति और पदों का आरक्षण इस समय प्रथम श्रेणी की सेवाओं में सबसे निचले पदों तक ही सीमित है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) यह प्रतिबंध कब से और किन परिस्थितियों में लगाया गया था अब यह प्रतिबंध लगाने से पूर्व क्या प्रक्रिया थी;

(घ) किसी श्रेणी अथवा श्रेणियों की सेवाओं और पदों में प्रोन्नति के मामले में आरक्षण का प्रावधान करने वाले सतहत्तरवें संशोधन अधिनियम के माध्यम से संविधान में शामिल अनुच्छेद 16(4क) के तहत किये गये प्रावधान के अनुसार उच्च पदों की सेवाओं और नियुक्तियों के लिए आरक्षण नीति में विस्तार करने के जनादेश को लागू न करने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार संविधान के अनुच्छेद 15(4), 16(4) और 16(4क) के उपबंधों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु संसद में कोई अधिनियम लाने का है; और

(च) यदि हां, तो वर्ष, 1993 से इस संबंध में क्या प्रगति हुई है और आरक्षण के बारे में विधेयक की क्या स्थिति है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) से (ग) सभी समूहों के, सीधी भर्ती और पदोन्नति की गैर चयन-पद्धति द्वारा भरे जाने वाले पदों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण की सुविधा सुलभ है। संविधान के अनुच्छेद 335 के प्रावधानों के मद्देनजर, पदोन्नति की चयन-पद्धति द्वारा भरे जाने वाले समूह 'क' के सबसे निचले स्तर के पदों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण की सुविधा सुलभ है।

(घ) संविधान में अनुच्छेद 16(4क) समाविष्ट किये जाने से पहले मौजूद, पदोन्नति में आरक्षण की नीति कायम रखे जाने के उद्देश्य से, संविधान में उपर्युक्त अनुच्छेद, समाविष्ट किया गया।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

महामारी

1606. श्री भर्तृहरि महताब: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को जानकारी है कि देश में मलेरिया, काहलेरिया, मस्तिष्क ज्वर, पीलिया और अतिसार के रोगियों में तीव्र वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार का विचार इन रोगों के कारण प्रभावित अनेक व्यक्तियों का आकलन करने के लिए उड़ीसा में केन्द्रीय दल भेजने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा ऐसे रोगों पर नियंत्रण करने के लिए क्या कार्य योजना तैयार की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों द्वारा देश में यथासूचित मलेरिया, फाइलेरिया, दिमागी बुखार (जापानी एन्सेफेलाइटिस), पीलिया और अतिसारीय रोगों के मामलों की संख्या नीचे दी गई है:

रोग का नाम	वर्ष		
	1997	1998	1999
मलेरिया	2660057	2222748	2284713
फाइलेरिया	21269	26142	16643
दिमागी बुखार (जेई)	2516	2120	3428
पीलिया	133594	113257	130153
अतिसार	8065688	9634787	8053896

(ख) और (ग) राष्ट्रीय मलेरिया रोधी कार्यक्रम निदेशालय के दल मलेरिया की स्थिति का जायजा लेने के लिए उड़ीसा का आवधिक दौरा कर रहे हैं और मौके पर ही तकनीकी मार्गदर्शन, प्रशिक्षण आदि प्रदान करते हैं। वर्तमान वर्ष के दौरान अब तक राष्ट्रीय मलेरिया रोधी कार्यक्रम निदेशालय के अधिकारियों ने उड़ीसा के 14 दौरे किये हैं। मलेरिया और फाइलेरिया राज्य में स्थानिकमारी हैं। जापानी एन्सेफेलाइटिस उड़ीसा में कोई समस्या नहीं है। वर्तमान वर्ष के दौरान राज्य के 15 जिलों ने मलेरिया की घटनाओं में वृद्धि दर्शायी है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय मलेरिया रोधी कार्यक्रम निदेशालय और राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान के दलों ने मई-जून, 2000 के दौरान मलेरिया स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए केबीके जिलों का दौरा किया। दलों की रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ इन जिलों में मलेरिया रोगियों की जल्दी पहचान और तुरन्त उपचार के सुदृढ़ीकरण, चिकित्सा अधिकारियों और फार्मासिस्टों के प्रशिक्षण के लिए व्यवस्था करने और जैव पर्यावरणिक उपायों सहित वैक्टर नियंत्रण उपायों को शुरू करने, अन्तर क्षेत्रीय समन्वयन और सूचना शिक्षा संचार गतिविधियों के तीव्रीकरण की सलाह दी है।

(घ) मलेरिया, फाइलेरिया, दिमागी बुखार (जापानी एन्सेफेलाइटिस) और अतिसारीय रोगों के निवारण और नियंत्रण के लिए उठाये गये कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:

मलेरिया:

- नई औषधों द्वारा जटिल रोगियों के उपचार सहित मलेरिया की जल्दी पहचान और तुरंत उपचार का तीव्रीकरण।
- उपयुक्त कीटनाशियों के साथ चुनिंदा छिड़काव के लिए क्षेत्रों की प्राथमिकता और वैकल्पिक और एकीकृत वेक्टर नियंत्रण पद्धतियों के माध्यम से वेक्टर नियंत्रण उपायों का तीव्रीकरण।
- तकनीकी आवश्यकताओं के अनुसार चुनिंदा उपयोग के लिए सिंथेटिक पायरेथ्रायड जैसे नए कीटनाशियों को शुरू करना।
- जन जागरूकता और सामुदायिक सहभागिता के लिए सूचना शिक्षा और संचार गतिविधियों का तीव्रीकरण।
- सभी स्तरों पर गहन मनरभिविन्यास कार्यक्रमों और बेहतर प्रबंधन सूचना पद्धति के माध्यम से संस्थागत और प्रबंधन क्षमता निर्माण, जनशक्ति विकास।
- मिले-जुले उपायों के माध्यम से अतिरिक्त निवेश (इनपुट) करके मलेरिया नियंत्रण गतिविधियों के तीव्रीकरण के लिए सितम्बर, 1997 से 7 प्रायद्वीपीय राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान के 100 आदिवासी बहुल मलेरिया की उच्च स्थानिकमारी वाले जिलों और इन राज्यों के उच्च मलेरिया स्थानिकमारी वाले 19 शहरों/नगरों और कर्नाटक, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल राज्यों में 1045 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कवर करते हुए राष्ट्रीय मलेरिया रोधी कार्यक्रम के अंतर्गत विश्व बैंक सहायता प्राप्त संवर्धित मलेरिया नियंत्रण परियोजना का कार्यान्वयन।
- राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत दिसम्बर, 1994 से 7 पूर्वोत्तर राज्यों को 100% केन्द्रीय सहायता प्रदान की जा रही है।

फाइलेरिया:

- आवर्ती लार्वा-रोधी उपाय।
- लार्वाभक्षी मछलियों के साथ मच्छर प्रजनन पर जैविक नियंत्रण।

- सूक्ष्म-फाइलेरिया वाहकों की पहचान करके और डाई-इथाइल-कारबेमेजीन (डीईसी के साथ उपचार करके परजीवी-रोधी उपाय।
- प्रभावी प्रबंधन के लिए तीव्र और चिरकारी फाइलेरिया रोगियों को अस्पतालों में रैफर करना।
- जन जागरूकता बढ़ाने के लिए सूचना शिक्षा संचार गतिविधियाँ चलाना।
- 13 जिलों में सिंगल डोज एनुअल मास डीईसी थिरेपी की व्यवहार्यता और प्रभाव का अध्ययन करने के लिए प्रायोगिक परियोजना।
- राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान के अंतर्गत 3 प्रशिक्षण संस्थाओं में चिकित्सा और परा-चिकित्सा स्टाफ को प्रशिक्षण।

मानव स्वास्थ्य पर डीईसी के साथ अल्बेनडेजील गौली देने के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए समुदाय आधारित नैदानिक प्रयोग शुरू किये गये हैं।

दिमागी बुखार (जापानी एन्सेफेलाइटिस):

दिमागी बुखार (जापानी एन्सेफेलाइटिस) के निवारण और नियंत्रण की जिम्मेवारी मुख्यत: राज्य सरकारों की है। तथापि राष्ट्रीय मलेरिया रोधी कार्यक्रम निदेशालय जापानी एन्सेफेलाइटिस की घटनाओं को ध्यानपूर्वक मॉनिटर करता है और जापानी एन्सेफेलाइटिस प्रकोपों के प्रबंधन और नियंत्रण हेतु आवश्ययकता के अनुसार सामग्रीगत सहायता (तत्वत: कीटनाशी) भी प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त जापानी एन्सेफेलाइटिस की घटनाओं को रोकने और प्रकोपों का प्रबंध करने के लिए राष्ट्रीय मलेरियारोधी कार्यक्रम निदेशालय और राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान द्वारा राज्यों को तकनीकी मार्गदर्शन भी प्रदान किया जाता है। इसके अलावा जल्दी रोगी पहचान और मौतों के निवारण के उद्देश्य के साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/जिला चिकित्सा अधिकारियों के लिए जापानी एन्सेफेलाइटिस के नैदानिक प्रबंधन पर अभिविन्यास प्रशिक्षण का आयोजन किया जाता है। भारत सरकार उन राज्यों को जिन्हें जापानी एन्सेफेलाइटिस वैक्सीनों की जरूरत होती है अपने केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली से इस वैक्सीन की सप्लाई करने में मदद भी करती है।

अतिसार रोग:

- जांच के लिए जल नमूने उठाना।
- निगरानी गतिविधियों का तीव्रीकरण।
- क्लोरीन गोलियों का वितरण।
- ओ आर एस पैकेटों का वितरण।
- इश्तहारों, पोस्टरों, सामूहिक विचार-विमर्शों, मीडिया आदि के माध्यम से स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना।
- अल्प-सेवित क्षेत्रों में गरीबों का उपचार करने के लिए मोबाइल क्लीनिक।

इसके अतिरिक्त प्रायोगिक आधार पर देश के 45 जिलों में संचारी रोगों के लिए एक राष्ट्रीय निगरानी कार्यक्रम भी शुरू किया गया है।

[हिन्दी]

ग्रामीण लोगों को रोजगार देना

1607. डा. बलिराम: क्या **लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार खादी ग्रामोद्योग आयोग के माध्यम से ग्रामीण लोगों को देश में विशेषकर उत्तर प्रदेश में रोजगार देने का है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान लोगों को राज्य-वार किन-किन ग्रामों में रोजगार दिया गया है;

(ग) क्या लोगों को उनके कार्य के लिए कम वेतन दिया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो ग्रामीणों को उचित रूप से लाभ पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) सरकार खादी और ग्रामोद्योग के विकास हेतु विभिन्न कार्यक्रमों को बढ़ावा दे रही है। इससे खादी और ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) को वित्तीय सहायता मिलती है जो बदले में खादी संस्थानों को छूट और ब्याज की आर्थिक सहायता के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। ग्रामोद्योगों के विकास के लिए मार्जिन मनि योजना कार्यान्वित की जा रही है। योजना के अन्तर्गत परियोजना लागत का 25 प्रतिशत मार्जिन मनि के रूप में उपलब्ध कराया जाता है। 10 लाख रु. से अधिक और 25 लाख रु. तक की परियोजना लागत के लिए मार्जिन मनि दर 10 लाख रु. की 25 प्रतिशत और परियोजना की शेष लागत की 10 प्रतिशत है। कमजोर श्रेणियों के लिए

10 लाख रु. तक की परियोजना लागत की 30 प्रतिशत की दर पर मार्जिन मनि दी जाती है और शेष राशि (25 लाख रु. तक) के लिए यह दर 10 प्रतिशत है। खादी एवं ग्रामोद्योग कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सहित देश के सभी राज्यों में कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

(ख) ऐसी सूचना केन्द्रीय तौर पर नहीं रखी जा रही है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

खादी ग्रामोद्योग आयोग का पुनर्गठन

1608. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी: क्या लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खादी ग्रामोद्योग आयोग की योजना और कार्यनिष्पादन को प्रभावी बनाने और इसे एक अर्थक्षम संगठन बनाने के लिए इसे पुनर्गठित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उपर्युक्त पुनर्गठन में नई समितियां नियुक्त करने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो इन समितियों का कब तक गठन किए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) से (ङ) खादी और ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.सी.) का पुनर्गठन सरकार के विचाराधीन है।

[अनुवाद]

कार्डियो-वस्कुलर (हृदय संवहन) रोग

1609. श्री टी.एम. सेल्वागनपति: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि सकोला हैल्दी हार्ट फाउंडेशन द्वारा किए गए अनुसंधान के अनुसार भारतीय लोगों में हृदय रोग अत्यधिक हो रहे हैं और आशंका है कि भारत में सन् 2015 तक जानलेवा संक्रामक रोगों का स्थान कार्डियो-वस्कुलर रोग ले लेंगे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश के अस्पतालों में उक्त रोगों का उपचार करने के लिए चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) जी, हां। विश्व बैंक स्वास्थ्य क्षेत्र प्राथमिकता समीक्षा में यह प्रक्षेपित किया गया है कि 1985 और 2015 के बीच हृदयवाहिका रोग के कारण मौतों की संख्या दुगुनी हो जाएगी और हृदयवाहिका रोग भारत में 2015 तक संक्रामक रोग बन जाएंगे।

(ग) हृदयवाहिका रोगों का उपचार देश में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों में शहरी स्वास्थ्य परिचर्या संस्थाओं और ग्रामीण स्वास्थ्य परिचर्या प्रदाय पद्धति में विभिन्न स्तरों पर किया जाता है। इसके अलावा, अनेक जिला स्तरीय अस्पताल जो द्वितीयक स्तर की स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाएं प्रदान करते हैं, प्रमुख सरकारी गैर-स्वायत्त संस्थाएं जैसे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली और स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ इस क्षेत्र में तृतीयक स्तर की विशेषज्ञ परिचर्या सुविधाएं प्रदान करती हैं।

[हिन्दी]

हिन्दी/भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देना

1610. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किन-किन देशों में भारतीय मूल के लोग बड़ी संख्या में रह रहे हैं और उनके बच्चों को हिन्दी पढ़ाने और उन्हें भारतीय संस्कृति से भी अवगत कराने के लिए क्या प्रबंध किए गए हैं; और

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) और (ख) उन देशों के नाम जहां बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग रहते हैं संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विदेशों में हिन्दी के प्रचार-प्रसार की एक सुविचारित योजना है स्थानीय हिन्दी प्राध्यापकों के अलावा, यह मंत्रालय उन देशों में

हिन्दी के प्राध्यापकों को भेजता है जहां अपेक्षाकृत अधिक संख्या में भारतीय मूल के लोग रहते हैं और जहां हिन्दी की कक्षाएं चलाई जाती हैं। विभिन्न विदेशी विश्वविद्यालयों में भी हिन्दी के प्रोफेसर भेजे जाते हैं। विदेश स्थित भारतीय मिशन केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय द्वारा आयोजित पत्राचार पाठ्यक्रमों के जरिए हिन्दी सिखाने के लिए प्रोत्साहन तथा सहायता करते हैं।

मंत्रालय भारतीय संस्कृति, कला, साहित्य, भाषा, इतिहास और दर्शनशास्त्र जैसे विभिन्न विषयों पर भारतीय मिशनों को उनके पुस्तकालयों के लिए एवं हिन्दी के प्रसार से जुड़ी शैक्षिक संस्थाओं और स्वैच्छिक संगठनों को उपहारस्वरूप देने के लिए हिन्दी की पुस्तकों की भी आपूर्ति करता है। पठन-पाठन समग्री जिसमें पाठ्य-पुस्तकें, शब्दकोष, श्रव्य-दृश्य कैसेटें, कम्प्यूटर साफ्टवेयर, सी डी रोम आदि शमिल हैं, भी भेजी जा रही हैं। मिशन अपनी ओर से स्थानीय संगठनों तथा भारतीय समुदाय के साथ निकट सम्पर्क बनाए हुए हैं और हिन्दी भाषा से संबंधित अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। हमारे कुछ मिशन अपने प्रत्यायन के देशों में हिन्दी के प्रसार के लिए हिन्दी सम्मेलन, साहित्यिक गोष्ठियां, हिन्दी निबंध प्रतियोगिता आदि का आयोजन करते रहते हैं। विदेशों में हिन्दी के पठन-पाठन और प्रसार के साथ-साथ भारतीय संस्कृति से जुड़े संगठनों को उदार रूप से वित्तीय सहायता दी जाती है।

विवरण

उन देशों के नाम जहां बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग रहते हैं

आस्ट्रेलिया

आस्ट्रिया

बहरीन

कनाडा

चीन (हांगकांग)

फीजि

फ्रांस

जर्मनी

गुयाना

इन्डोनेशिया

इजरायल

इटली

जमैका

कीनिया

कुवैत

लेबनान

लीबिया

मेडागास्कर

मलेशिया

मारीशस

मोजाम्बिक

म्यांमा

नीदरलैंड

न्यूजीलैंड

नाईजीरिया

ओमान

पनामा

फिलीपीन्स

पुर्तगाल

कतर

रूस

रीयूनियन आईलैंड

सऊदी अरब

सिंगापुर

दक्षिण अफ्रीका

स्पेन

श्रीलंका

सूरीनाम

स्वीडन

स्वीट्जरलैंड

तंजानिया

थाईलैंड

त्रिनीडाड और टोबेगो

उगांडा

संयुक्त अरब अमीरात

यू.के.

संयुक्त राज्य अमरीका

यमन

जाम्बिया

जिम्बाब्वे

कृषि और ग्रामीण उद्योग का संवर्धन

1611. **श्री उत्तमराव पाटील:**
श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले:

क्या **लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में कृषि और ग्रामीण उद्योगों के विकास और संवर्धन हेतु विशेष, कार्यक्रम/परियोजनाएं शुरू की हैं;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न योजनाओं और उनके तहत प्रदान किए गए प्रोत्साहनों के पैकेज का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले पांच वर्षों के दौरान विशेषकर महाराष्ट्र में कृषि आधारित ग्रामीण उद्योगों के विकास और संवर्धन में प्राप्त की गई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(घ) पिछले दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान महाराष्ट्र में कृषि आधारित उद्योग के संवर्धन और विकास हेतु किए गए आवंटनों और आवंटनों में से जारी की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार ने धनराशि के जिले-वार उपयोग के संबंध में प्रगति रिपोर्ट मांगी है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) और (ख) खादी और ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आर.ई.जी.पी.) और राष्ट्रीय ग्रामीण औद्योगीकरण कार्यक्रम (एन.पी.आर.आई.) का कार्यान्वयन कर रहा है। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत खादी और ग्रामोद्योग इकाईयां स्थापित करने हेतु सहायता उपलब्ध कराई जाती है। खादी के संवर्द्धन हेतु छूट और ब्याज पर आर्थिक सहायता के रूप में सहायता प्रदान की जाती है। ग्रामीण उद्योगों के संवर्द्धन हेतु, 10 लाख रुपये तक की परियोजना लागत का 25% और 10 लाख रुपये से अधिक परन्तु 25 लाख रुपये तक की परियोजना लागत का अतिरिक्त 10% मार्जिन मनी के रूप में दिया जाता है। यह कार्यक्रम देश के सभी राज्यों में कार्यान्वित किया जा रहा है। एन.पी.आर.आई. के अंतर्गत के.वी.आई.सी. ने सामान्य सुविधाएं विकसित करने हेतु राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाण, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा और मणिपुर राज्यों में 50 ग्रामीण क्लस्टरों की पहचान की है।

(ग) पिछले 5 वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में खादी और ग्रामोद्योग का कार्य निष्पादन निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्पादन (लाख रु. में)	रोजगार (लाख व्यक्तियों में)
1995-96	71667.56	4.74
1996-97	75647.07	4.76
1997-98	69104.77	4.00
1998-99	93089.16	4.65
1999-2000	102679.71 (अनन्तिम)	5.04

(घ) पिछले दो वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान महाराष्ट्र में कृषि आधारित उद्योगों के संवर्द्धन और विकास के लिए किए गए आबंटनों और जारी निधियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

वर्ष	आबंटन (लाख रुपयों में)	जारी राशि (लाख रुपयों में)
1998-99	4045.15	1271.74
1999-200 (अनन्तिम)	6518.53	1304.75
2000-2001	3051.42	-

(ङ) जी, नहीं, सरकार प्रगति का जिले-वार अनुवीक्षण नहीं करती है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

प्रशिक्षण हेतु आवंटित धनराशि

1612. श्री भालचन्द्र यादव: क्या **लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष पूर्वी उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योग के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए आवंटित कुल धनराशि का ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि प्रत्येक विगत तीन वर्षों के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योग (एस.एस.आई.) के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए आवंटित राशि निम्न प्रकार से है:-

वर्ष	राशि आवंटन (लाख रु. में)
1997-98	13.30
1998-99	13.20
1999-2000	12.79

इसके अलावा, लघु उद्योग सेवा संस्थान, इलाहाबाद जो कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के लघु उद्योग उद्यमियों को सम्भालता है, जो लघु उद्योग के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु प्रत्येक विगत तीन वर्षों के दौरान किया गया निधि आवंटन निम्नोक्त है:-

वर्ष	राशि आवंटन (लाख रु. में)
1997-98	2.20
1998-99	2.57
1999-2000	2.83

[अनुवाद]

राष्ट्रीय पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम

1613. श्री होल्खोपांग हौकिप:
श्री रामशेठ ठाकुर:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री रामचन्द्र बैंदा:
श्री अशोक ना. मोहोल:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 9 नवम्बर, 2000 के ''दि टाइम्स ऑफ इंडिया'' में ''डैड पोलियो वैक्सीन गिवेन टू 35 लैक' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित तथ्य क्या हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार देश में राज्यवार वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम के पूर्ण वृतांत की जांच कराने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

उत्तर प्रदेश को सप्लाई की गई पोलियो वैक्सीन की क्षमता की तथाकथित कमी के बारे में दिनांक 9 नवम्बर, 2000 को ''टाइम्स ऑफ इंडिया'' के दिल्ली संस्करण में एक समाचार छपा था।

देश भर में रोगप्रतिरक्षण कार्यक्रम के अधीन सप्लाई की गई सभी वैक्सीनों की जांच राष्ट्रीय नियंत्रण प्रयोगशाला केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली द्वारा की जाती है और ये कार्यक्रम के अधीन इस्तेमाल के लिए तभी रिलीज की जाती है जब इन्हें जांच में संतोषजनक पाया जाता है। उन वैक्सीन बैचों, जिनका समाचार पत्र में उल्लेख किया है, की भी उत्तर प्रदेश को रिलीज करने से पूर्व विधिवत जांच की गई है।

यह भी पता चला है कि उत्तर प्रदेश को ग्रेड I स्टेज में वैक्सीन वायल मानीटर्स (वी.वी.एम.) वाली वैक्सीनें भेजी गई थी। वी.वी.एम. वैक्सीनों की क्षमता का एक विश्वस्त संसूचक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि जब एक बार वी.वी.एम. का इस्तेमाल व्यापक रूप से शुरू हो जाता है, तब वास्तव में क्षेत्रीय नमूने एकत्र करने और उनका विश्लेषण करने की पूर्व पद्धति को जारी रखना आवश्यक नहीं होता है। तथापि, सरकार क्षेत्रीय नमूना जांच को प्रचुर सावधानी के एक उपाय के रूप में जारी रखे हुए है।

21 नवम्बर, 1999 को आयोजित किए गए पल्स पोलियो प्रतिरक्षण दिवस के दौरान प्रयोग हेतु 1-2 नवम्बर, 1999 को

संबंधित वैक्सीन बैंचों की वास्तविक रूप से उत्तर प्रदेश को आपूर्ति की गई थी। तथापि, इस वैक्सीन की कुछ अप्रयुक्त मात्रा को मुरादाबाद में रखा गया था। यह भी पता लगाया गया है कि ऐसी कोई वैक्सीन मेरठ नहीं भेजी गई है जैसा कि समाचारों में बताया गया है।

सितम्बर, 2000 के पहले मुरादाबाद सहित उत्तर प्रदेश से क्षेत्रीय नमूने एकत्र किए गए तथा शीर्ष सरकारी प्रयोगशाला, राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, दिल्ली द्वारा परीक्षा किए गए तथा राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान ने निर्दिष्ट किया कि क्षेत्रीय नमूनों की उच्च प्रतिशतता को संतोषजनक पाया गया। हाल ही में राष्ट्रीय जैव उत्पाद संस्थान, नोएडा को उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय नमूनों को विश्लेषण करने का कार्य सौंपा गया था। इस संस्थान में जांच किए गए इस क्षेत्र के नमूनों में से 23% ने निम्न प्रभावकारिता दर्शायी।

उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को फिर से मुरादाबाद से, विशेषकर उसी बैंचों के यदि वे अभी तक उपलब्ध हैं, नमूने एकत्र करने तथा उन्हें फिर से दूसरी प्रयोगशाला में जांच करवाए जाने की सलाह दी गई है।

रैट ज्वर (लप्टोसपाइरोसिस)

1614. डा. सी. कृष्णन:
श्री वैको:
श्री सुरेश रामराव जाधव:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष राज्य-वार लेप्टोसपाइरोसिस रैट ज्वर के कारण कितनी मौतें हुई;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने इस समस्या का अध्ययन करने के लिए कोई चिकित्सा/अनुसंधान दल नियुक्त किया है;

(ग) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला; और

(घ) इस रोग का उन्मूलन करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) गैर-प्रतिवेदनीय (नॉन रिपोर्टेबल) रोग होने के कारण राज्य लेप्टोस्पाइरोसिस के आंकड़ों को केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरों को सूचित नहीं करते। तथापि राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान में लेप्टोस्पाइरोसिस संबंधी उपलब्ध वर्तमान जानपादिक रोग विज्ञानी आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) से (घ) राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, दिल्ली और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली देश के विभिन्न भागों में लेप्टोस्पाइरोसिस के प्रकोप जी जांच करने के लिए दल भेज रहे हैं। गुजरात और कर्नाटक में 1997 में और महाराष्ट्र और केरल में 2000 में ऐसे दल भेज गए थे। इस रोग को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

(1) इस रोग की प्रकृति, इसके निवारण और नियंत्रण को बताने वाला एक दिशा-निर्देश सभी राज्यों को परिचालित किया गया।

(2) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई थी जिसमें दिल्ली में विभिन्न अस्पतालों, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद, दिल्ली नगर निगम, दिल्ली प्रशासन, राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान और स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक के चिकित्सा और स्वास्थ्य व्यावसायिकों ने लेप्टोस्पाइरोसिस, इसके निवारण और नियंत्रण के बारे में सभी संबंधितों को सुग्राही बनाने के लिए भाग लिया। राजधानी के सभी अस्पतालों को इसी प्रकार की बैठकें आयोजित करने के लिए कहा गया ताकि चिकित्सकों को अत्यधिक सतर्क बने रहने और प्रयोगशाला पुष्टि के लिए नैदानिक सामग्री भेजने हेतु सुग्राही बनाया जा सके।

(3) दिल्ली के बड़े अस्पतालों के सूक्ष्म-जीव विज्ञानियों को राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान में जल्दी नैदानिक प्रक्रियाओं के बारे में अद्यतन जानकारी दी गई थी।

विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लप्टोसपाइरोसिस से होने वाली मौतें की संख्या		
	1998	1999	2000
गुजरात	42	31	16 (दिनांक 18 अक्तूबर-तक)
केरल	64	80	13 (दिनांक 7 जुलाई तक)
महाराष्ट्र	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	12 (दिनांक 16 अगस्त तक)
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	उपलब्ध नहीं	3	उपलब्ध नहीं

कर्मचारी चयन आयोग के परीक्षा केन्द्र

1615. **श्री चिंतामन वनगा:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्मचारी चयन आयोग और अन्य भर्ती आयोगों/बोर्डों द्वारा महिलाओं के लिए उनके निवास स्थान से छ: किलोमीटर की दूरी तक परीक्षा केन्द्र आबंटित करने हेतु कुछ अनुदेश विद्यमान हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कर्मचारी चयन आयोग ने 12 नवम्बर, 2000 को आयोजित अन्वेषकों के पदों हेतु परीक्षा के दौरान तीस किलोमीटर की परिधि तक महिलाओं को परीक्षा केन्द्र आवंटित किए थे; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) से (घ) जी, नहीं। संघ-लोक-सेवा-आयोग और कर्मचारी-चयन-आयोग, परीक्षा-केन्द्र, परीक्षाओं के संचालन की दृष्टि से किसी स्थान पर आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता और परीक्षाओं के सुचारू संचालन तथा प्रश्न-पत्रों की सुरक्षा के बारे में राज्य-सरकार/संघ राज्य-क्षेत्र-प्रशासन का आश्वासन ध्यान में रखते हुए खोलते हैं। परीक्षा-केन्द्र आबंटित करने में उपयुक्त चयन, निष्पक्षता और व्यक्ति-निरपेक्षता सुनिश्चित की जाती है। केन्द्रों के आबंटन के प्रयोजन से पुरुष और महिला उम्मीदवारों में भेद करना संभव नहीं है।

पेंशन भोगियों को नि:शुल्क यात्रा सुविधा

1616. **श्री जे.एस. बराड़:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रेलवे के भूतपूर्व कर्मचारियों और इंडियन एयरलाइंस/एयर इंडिया के कर्मचारियों के समान भारतीय रेलवे, राज्य के स्वामित्व वाली परिवहन बसों आदि में नि:शुल्क यात्रा करने के लिए पेंशन भोगियों को अनुमति देने के लिए निर्णय लिया गया है/लिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) केन्द्र सरकार के गैर-रेल कर्मचारी, न तो मुफ्त रेल-पास के हकदार हैं और न ही वे सेवारत रहने के दौरान भी राज्य-सरकार परिवहन बसों इत्यादि में मुफ्त यात्रा करने के हकदार हैं। अत: सेवा-निवृत्ति के पश्चात् उन्हें उपर्युक्त प्रसुविधा दिए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

वियाग्रा की स्थानापन्न दवा

1617. **श्री किशन सिंह सांगवान:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में वियाग्रा की स्थापन्न दवा शुरू की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह कुछ लोगों के लिए हानिकारक हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस औषध के हानिकारक प्रभाव को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) जी, नहीं। औषध सिंडेनाफिल साइट्रेट, जिसका मैसर्स फिजर द्वारा इस्तेमाल किया गया ब्रांड नाम "वियाग्रा" है, को अभी तक देश में विपणन हेतु अनुमोदित नहीं किया गया है।

(ख) से (ङ) ऊपर "क" को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

कोटाक्कल आयुर्वेद अस्पताल

1618. **श्री ए. पी. अब्दुल्लाकुट्टी:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास केरल में कोटाक्कल आयुर्वेद अस्पताल को आयुर्वेद विश्वविद्यालय बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या निर्णय लिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) केरल में कोट्टाकल आयुर्वेद अस्पताल को आयुर्वेद विश्वविद्यालय बनाने की आवश्यकता का उल्लेख किया गया है। तथापि, कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों की समस्याएं

1619. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी:
श्री सुन्दरलाल तिवारी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि स्कूल जाने वाले बच्चे केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की सुविधाओं का लाभ उठाने में असमर्थ हैं क्योंकि केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों का समय और उनके स्कूल का समय एक ही है तथा औषधालय का समय एवं कार्यालय समय एक ही है जिसके कारण सरकारी कर्मचारी कार्यालय देर से पहुंचते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को सुबह और शाम समय औषधालय खोलने के लिए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और औषधालयों को सुबह और शाम की पालियों में खोलने के लिए अनुदेशों के कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय का सामान्य कार्य समय 7.30 बजे पूर्वाह्न से 1.30 बजे अपराह्न तक है। सामान्य कार्य समय के बाद भी चिकित्सीय सुविधाएं बहुपारी (मल्टीशिफ्ट) केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों में सभी लाभार्थियों के लिए चौबीसों घंटे उपलब्ध रहती हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) ऊपर (क) को देखते हुए इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

प्रतिनियुक्ति पर तैनात अधिकारी

1620. श्री राधा मोहन सिंह: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या किसी कर्मचारी को किसी भी स्थिति में पांच वर्ष से अधिक समय तक प्रतिनियुक्ति पर नहीं रखा जा सकता और प्रतिनियुक्त कर्मचारी लेने वाले विभाग को अधिकारी की प्रतिनियुक्ति की अवधि की समाप्ति से पूर्व अन्य अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर लेने के लिए कदम उठाने होते हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारी लेने वाले विभागों द्वारा अनुदेशों का पालन न किए जाने और प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारी देने वाले विभागों द्वारा अपने कर्मचारियों को वापिस लेने के लिए कदम नहीं उठाए जाने का क्या कारण है;

(ग) नियमों, विनियमों और अनुदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) आज की स्थिति के अनुसार मंत्रालयवार कितने वरिष्ठ अधिकारी पांच वर्ष, चार वर्ष और तीन वर्ष से अधिक की अवधि से प्रतिनियुक्ति पर हैं, और उन्हें वापिस भेजने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) से (ग) प्रतिनियुक्ति का कार्यकाल बढ़ाया जाना नियंत्रित करने वाली शर्तें, दिनांक 5.1.1994 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 2/29/91-स्था (वेतन' 2) में निहित हैं। प्रतिनियुक्ति का सामान्य कार्यकाल, संवर्ग बाह्य पदों के भर्ती-नियमों में निर्धारित होता है। जिन पदों के भर्ती-नियमों में प्रतिनियुक्ति का कार्यकाल, अपेक्षाकृत लम्बी अवधि का निर्धारित हो, उन पदों के सिवाय अन्य सभी मामलों में कोई भी सरकारी कर्मचारी/अधिकारी अपने मूल विभाग से प्रतिनियुक्ति/बाह्य सेवा के आधार पर उसे नियुक्त करने वाले विभाग में अधिकतम 3 वर्ष हेतु प्रतिनियुक्ति/बाह्य सेवा पर जा सकता है। जहां कहीं लोक हित में प्रतिनियुक्ति/बाह्य सेवा की अवधि, बढ़ाई जानी आवश्यकता समझी जाती है, वहां वह तीन वर्ष से अधिक एक और वर्ष तक अथवा सामान्य कार्यकाल के बाद पहले वर्ष के लिए अधिकारी/कर्मचारी को प्रतिनियुक्ति/बाह्य सेवा पर लेने वाले मंत्रालय/संगठन द्वारा केन्द्रीय सरकार के संबंध में अपने सचिव और राज्य सरकार के संबंध में अपने मुख्य सचिव का आदेश प्राप्त कर लेने के उपरान्त ही तथा अन्य मामलों में समतुल्य स्तर के अधिकारी का आदेश प्राप्त कर लेने के उपरान्त ही बढ़ाने दी जाती है। जहां विरली और आपवादिक

परिस्थितियों में तथा लोक हित में प्रतिनियुक्ति की अवधि पांचवें वर्ष तक के लिए अथवा भर्ती-नियमों में निर्धारित अवधि से अधिक दूसरे वर्ष तक के लिए बढ़ाई जानी नितान्त आवश्यक हो, वहां अधिकारी को प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करने वाले मंत्रालय/विभाग अपने मंत्री के पूर्व अनुमोदन विशेष से और अन्य संगठन, अपने प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के मंत्री के अनुमोदन से प्रतिनियुक्ति की अवधि बढ़ाने में सक्षम हैं। प्रतिनियुक्ति की अवधि बढ़ाए जाने से संबंधित ऐसी ढील, अधिकारी/कर्मचारी की सेवाएं प्रतिनियुक्ति पर सुलभ करवाने वाले उसके मूल विभाग/संगठन के पूर्व अनुमोदन और जहां कहीं आवश्यक हो, वहां संघ लोक सेवा आयोग/राज्य-लोक सेवा आयोग और मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (ए.सी.सी.) के पूर्वानुमोदन से दी जाती है। जिन मामलों में प्रतिनियुक्ति की अवधि पांचवें वर्ष से अधिक, अथवा भर्ती-नियमों में निर्धारित अवधि से दो वर्ष से अधिक बढ़ाई जानी हो, उनमें ऐसा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का पूर्व अनुमोदन प्राप्त कर लेने के उपरान्त ही करने दिया जा सकता है।

(घ) 3 वर्ष से भी अधिक समय से प्रतिनियुक्ति पर चल रहे अधिकारियों से संबंधित जानकारी, केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जा रही है।

पद आधारित रोस्टर

1621. श्री बृजलाल खाबरी:
श्री अशोक अर्गल:

क्या **विदेश मंत्री** 16 अगस्त, 2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3584 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर के भाग (ग), (घ) और (ङ) में उल्लिखित केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन के बारे में अपेक्षित सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सूचना कब तक एकत्र कर लिए जाने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) जी हां। केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन से संबंधित अपेक्षित सूचना एकत्र कर ली गई है।

(ख) इसका और ब्यौरा विवरण में है।

(ग) कोई उत्तर नहीं।

विवरण

केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन

27.97 के अनुसार आरक्षण में अधिकता/कमी

श्रेणी	अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति		अन्य पिछड़ा वर्ग	
	अधिकता	कमी	अधिकता	कमी	अधिकता	कमी
श्रणी-1	4	शून्य	शून्य	3	शून्य	शून्य
श्रीणी-2	12	शून्य	4	शून्य	शून्य	शून्य
श्रणी-3	शून्य	12	शून्य	67	शून्य	33
श्रेणी-4	30	शून्य	शून्य	05	शून्य	33

[हिन्दी]

अस्पताल संबंधी परियोजनाओं को सहायता

1622. कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष देश में अस्पताल परियोजनाओं के लिए राज्य-वार कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है;

(ख) क्या सरकार निजी अस्पतालों में गरीबों के लिए बिस्तर आरक्षण सुविधा प्रदान करने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो आरक्षण प्रतिशत का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) भारत के संविधान के अन्तर्गत स्वास्थ्य राज्य का विषय है। यह संबंधित राज्य सरकार की जिम्मेवारी है कि वह

अपनी प्राथमिकताओं और संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए अस्पताल की परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करें। तथापि, द्वितीयक स्वास्थ्य परिचर्या प्रणालियों के उन्नयन के लिए, राज्य स्वास्थ्य प्रणाली परियोजना के अन्तर्गत निम्नलिखित सात राज्यों को विश्व बैंक सहायता प्रदान की गई है:-

राज्य	परियोजना परिव्यय
आंध्र प्रदेश	608.00 करोड़ रुपये
पश्चिम बंगाल	698.00 करोड़ रुपये
कर्नाटक	546.00 करोड़ रुपये
पंजाब	425.00 करोड़ रुपये
उड़ीसा	415.57 करोड़ रुपये
महाराष्ट्र	727.00 करोड़ रुपये
उत्तर प्रदेश	110 मिलियन अमेरिकी डालर

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

हार्डवेयर उत्पादों का निर्यात

1623. श्रीमती हेमा गमांग: क्या **सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार ने हार्डवेयर उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन उत्पादों का निर्यात करने के लिए जापान और दूसरे देशों के सहयोग से कोई योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) जी, हां।

(ख) इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) कोई विशिष्ट योजना तैयार नहीं की गई है। किन्तु, दोनों पक्षों के सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को एक साथ लाने के लिए जापान सरकार और भारत सरकार व्यवसाय प्रतिनिधिमण्डलों की अदला-बदली करने और सूचना प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए व्यापार संगोष्ठियां आयोजित करने पर सहमत हो गए हैं।

विवरण

सूचना प्रौद्योगिकी

सरकार द्वारा इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर क्षेत्र के लिए दिए गए प्रोत्साहन

1. पूँजीगत वस्तु निर्यात संवर्धन (ईपीसीजी) योजना को तर्कसंगत बनाया गया है और 5% शुल्क पर किसी देहरी सीमा के बिना इसे सभी क्षेत्रों में एक समान रूप से लागू किया गया है।

2. स्वचालित मार्ग द्वारा इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर के निर्यात के लिए स्थापित इकाइयों में 100 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी पूँजीनिवेश की अनुमति।

3. ईएचटीपी योजना के कार्यान्वयन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के पदनामित अधिकारियों के अनुमोदन की शक्तियों को और 20 मिलियन अमरीकी डॉलर तक बढ़ाया गया है।

4. निर्यात उन्मुखी योजनाओं (ईओयू/ईपीजेड/एसटीपी/ईएचटीपी) के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक इकाइयों के लिए कम्प्यूटरों एवं पेरिफेरलों पर वृद्धिमान मूल्यह्रास मानदंडों में बढ़ोत्तरी की गई। अब ये मूल्यह्रास पहले के लगभग 5 वर्ष के स्थान पर 3 वर्ष में 90% तक की समग्र सीमा तक होंगे।

5. निर्यातोन्मुखी इकाई (ईओयू)/निर्यात संसाधन क्षेत्र (ईपीजेड)/इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर प्रौद्योगिक पार्क (ईएचटीपी) योजनाओं के अंतर्गत इकाइयों की निर्यात के लदानपर्यंत नि:शुल्क मूल्य के 50 प्रतिशत तक घरेलू शुल्क क्षेत्र (डीटीए) अभिगम की अनुमति दी गई है। अनुमति पत्र में शामिल मदों के लिए हार्डवेयर इकाइयों की घरेलू शुल्क क्षेत्र बिक्री में ब्रोडबैंडिंग की अनुमति दी गई है।

6. अग्रिम लाइसेंसिंग योजना के तहत रूस को रुपये में होने वाले निर्यात में मूल्य संवर्धन मानदंडों को 100% से घटाकर 33% तक कर दिया गया है।

7. कंप्यूटरों पर 60 प्रतिशत की दर से मूल्यह्रास की अनुमति दी है।

8. वर्ष 2000-2001 के बजट में कंप्यूटर एवं पेरिफेरलों पर सीमा शुल्क 20% से घटाकर 15% कर दिया गया है। सभी भंडारण युक्तियों, एकीकृत परिपथों, सूक्ष्मसंसाधकों, रंगीन मॉनीटरों के डेटा प्रदर्श ट्यूबों एवं विक्षेपण संघटक-पुर्जों पर सीमा शुल्क घटाकर शून्य कर दिया गया है।

9. सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर को सीमा शुल्क तथा उत्पाद शुल्क से छूट दी गई है।

10. निर्यातोन्मुखी इकाइयों/निर्यात संसाधन क्षेत्र/इलेक्ट्रानिकी हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क की इकाइयों को आयकर अधिनियम की धारा 10ए तथा 10बी के तहत वर्ष 2010 तक आयकर के भुगतान से छूट दी गई है।

11. बाह्य व्यावसायिक उधारियों पर ब्याज पर कर के अवरोधन से छूट सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को भी उलब्ध कराई गई है।

12. अनुसंधान एवं विकास संबंधी कार्यकलापों में और अधिक पूंजी निवेश आकर्षित करने के लिए किसी विश्वविद्यालय, विद्यालय या संस्थान या वैज्ञानिक शोध संघों को वैज्ञानिक, सामाजिक या सांख्यिकी शोध के प्रयोजन से दी गई रकम पर 125% की भारित कटौती उपलब्ध कराई गई है।

13. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 को अधिनियमित किया है। यह अधिनियम साइबर सुरक्षा, साइबर अपराध और सूचना सुरक्षा से संबंधित विधिक पहलुओं से संबंधित है। इससे इंटरनेट के माध्यम से ई-वाणिज्य के विस्तार को प्रोत्साहन मिलेगा।

14. व्यवसाय से उपभोक्ता (बी-2-सी) ई-वाणिज्य को छोड़कर सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सभी विदेशी प्रत्यक्ष पूंजी निवेश के प्रस्तावों को स्वचालित मार्ग के अंतर्गत अनुमोदन।

सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत-रूस करार

1624. डा. जसवंत सिंह यादव:
श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार:
श्री सुरेश रामराव जाधव:

क्या **सूचना प्रौद्योगकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और रूस सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सामरिक साझेदारी को बढावा देने हेतु क्षेत्रों का पता लगाने के लिए सहमत हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दोनों देशों की बीच इस संबंध में किसी करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ज्ञान आधारित उद्योगों में व्यापार को बढ़ावा देने में इस करार से किस हद तक मदद मिलेगी?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) सूचना प्रौद्योगिकी तथा सम्बद्ध क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग तथा द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए दोनों देशों के बीच एक भारत-रूस कार्यकारी दल का गठन किया गया है। कार्यकारी दल की अब तक 7 बैठकें हो चुकी हैं, आखिरी बैठक सितम्बर, 2000 में हुई थी। कार्यकारी दल की सातवीं बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने निम्नलिखित क्षेत्रों में सहयोग करने पर सहमति व्यक्त की:

- इलेक्ट्रॉनिक तथा सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों के प्रमाणन में सहयोग,
- संचार तथा नेटवर्क प्रौद्योगिकियों में सहयोग,
- सॉफ्टवेयर,
- उच्च कार्यक्षमता अभिकलन प्रणाली तथा उसके अनुप्रयोग,
- उच्च प्रौद्योगिकियां तथा इलेक्ट्रानिक सामाग्रियां,
- शिक्षा के क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग,
- द्विपक्षीय व्यापार।

यह आशा की जाती है कि इन उपायों से दोनों के बीच व्यापार के आदान-प्रदान को बढ़ावा देने में सहायता मिलेगी।

साइबर कैफे के संबंध में भारत-अमरीका समझौता

1625. डा. जी. पुट्टास्वामी गौड़ा:
श्री आर.एस. पाटिल:

क्या **सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमरीका ने भारत में साइबर कैफे के विकास और अन्य सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी विकासात्मक कार्यों के लिए भारत को सहायता देने हेतु सहमति दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो हमारे प्रधान मंत्री की हाल ही की अमरीका यात्रा के दौरान इस संबंध में दोनों के बीच हुए समझौतों का ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) और (ख) भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ।

सूचना प्रौद्योगिकी कार्यक्रम

1626. श्री कालवा श्रीनिवासुलु: क्या सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सूचना प्रौद्योगिकी कार्यक्रम की संख्या दो लाख तक बढ़ाने का है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार जिस प्रकार लक्ष्यों को प्राप्त करेगी?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी में मानव संसाधन विकास के लिए दीर्घावधि नीति तैयार करने के लिए मानव संसाधन विकास पर एक कार्य दल का गठन किया है। कार्यदल का प्रथम विचारार्थ विषय सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित विषयों में विद्यार्थियों के दाखिले को शैक्षिक वर्ष 2001-02 से दुगुना और शैक्षिक वर्ष 2003-2004 से तिगुना करना है। इससे वर्ष 2007 तक सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों की संख्या 2,00,000 से ज्यादा तक बढ़ने की संभावना है।

[हिन्दी]

आयुर्वेदिक और अन्य भारतीय चिकित्सा पद्धतियों की रक्षा

1627. डा. (श्रीमती) सुधा यादव: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बौद्धिक सम्पदा अधिकारों (पेटेंट कानून) के आयुर्वेदिक और अन्य भारतीय चिकित्सा पद्धतियों की रक्षा हेतु कोई योजना तैयार की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) अन्यों द्वारा पेटेंटिंग को रोकने के लिए आसानी से सुलभ और पुन: प्रापणीय रूप से ही जनता के अधिकार क्षेत्र वाले पादपों के औषधीय इस्तेमाल के बारे में जानकारी पैदा करने के लिए पम्परागत ज्ञान डिजिटल पुस्तकालय का विकास किया जा रहा है। सिद्ध और यूनानी पद्धतियों में उपलब्ध ज्ञान के लिए इसी प्रकार के परम्परागत ज्ञान डिजिटल पुस्तकालय विकसित किए जाएंगे। कुछ संरक्षण पेटेंट अधिनियम के अधीन पहले ही उपलब्धत हैं।

लंबित परियोजनाएं

1628. श्री पुन्नूलाल मोहले: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) देश में फिलहाल कुल कितनी प्रमुख परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं;

(ख) इनमें से राज्यवार कितनी परियोजनाएं निर्धारित अवधि से पीछे चल रही हैं;

(ग) अनुबंधित समयावधि में इन परियोजनाओं के पूरा न होने के कारण हुई लागत वृद्धि का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं/प्रस्तावित हैं?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) से (ग) 1.11.2000 तक केंद्रीय क्षेत्र की 100 करोड़ रु. तथा अधिक लागत वाली 197 बड़ी परियोजनाएं क्रियान्वयन के अधीन थीं। इनमें से 98 परियोजनाएं अपनी अनुमोदित समय अनुसूचीत से पीछे चल रही हैं। विलंबित परियोजनाओं की संख्या तथा लागत वृद्धि का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) सरकार द्वारा उठाए गए/उठाने के लिए प्रस्तावित कदम परियोजनावार भिन्न-भिन्न हैं। तथापि, इन परियोजनाओं को शीघ्र

पूर्ण करने के लिए सरकार द्वारा सामान्य रूप से निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(1) सरकार द्वारा मासिक तथा त्रैमासिक प्रबोधन (अवरोधों को अभिज्ञात करने में ये प्रबोधन अभिकरणों को सक्षम बनाते हैं तथा प्रबंधकों को उपचारात्मक उपाय करने में सहायता प्रदान करते हैं;

(2) परियोजना प्राधिकारियों तथा प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा प्रगति की गहन समीक्षा, संबंधित राज्य सरकारों, उपस्कर आपूर्तिकर्ताओं, ठेकेदारों, परामर्शदाताओं तथा संबंधित अभिकरणों के साथ समन्वय;

(3) आपूर्तिकर्ताओं तथा टर्नकी ठेकेदारों के साथ उपस्करों के संस्थापन की स्थिति की समीक्षा।

(4) अंतर-मंत्रालयी समन्वय बैठकें तथा संबंधित पक्षों की सुविधा बैठकें आयोजित करना;

(5) संविदा पैकेजों को शीघ्र रूप से देने, भूमि अधिग्रहण तथा अन्य समस्याओं के समाधान के लिए अधिकृत समितियों का गठन;

(6) परियोजनाओं को समय से पूर्ण करने के लिए निधियां उपलब्ध कराना।

विवरण

अद्यतन समय अनुसूची के अनुसार परियोजनाओं में समय/लागत वृद्धि

कुल लागत (करोड़ रु. में)

क्र.सं.	क्षेत्र	परियोजना की संख्या	कुल लागत (करोड़ रु. में)			लागत वृद्धि वाली परियोजनाएं				समय वृद्धि वाली परियोजनाएं			
			अनुमोदित अद्यतन	प्रत्याशित लागत	लागत वृद्धि% में	संख्या	अनुमोदित अद्यतन	प्रत्याशित लागत	%वृद्धि	संख्या	अनुमोदित अद्यतन	प्रत्याशित लागत	स्तर (एमओ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	13	7974.4	8301.0	4.1	4	4387.4	5041.2	14.9	5	2513.6	2732.7	15- 57
2.	अरुणाचल प्रदेश	2	831.7	1635.6	96.7	1	675.7	1479.7	119.0	1	675.7	1449.6	50- 50
3.	असम	9	6337.5	8555.2	35.0	6	4270.5	6488.2	51.9	2	2068.9	3141.2	12- 32
4.	बिहार	13	5298.9	6590.2	24.4	4	1774.6	3088.5	74.0	6	1187.3	1402.9	6- 66
5.	गोवा	1	250.0	250.0	0.00	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0- 0
6.	गुजरात	7	5656.9	6255.5	10.6	5	903.6	1502.1	66.2	3	466.6	879.1	34- 120
7.	हरियाणा	4	9043.2	8964.6	-0.9	1	287.2	379.1	32.0	1	287.2	379.1	27- 27
8.	हिमाचल प्रदेश	2	9350.3	9350.3	0.0	0	0;0	0.0	0.0	1	7666.3	7666.3	39- 39
9.	जम्मू व कश्मीर	3	6467.5	7167.5	10.8	1	2500.0	3200.0	28.0	2	6059.8	6759.8	33- 84
10.	कर्नाटक	7	3350.6	5075.9	51.5	6	3114.1	4839.1	55.4	1	2275.0	2896.0	22- 22
11.	केरल	3	1128.8	1199.2	6.2	1	45.8	116.2	153.8	1	852.0	852.0	13- 13
12.	मध्य प्रदेश	9	4778.5	5113.4	7.0	5	1777.2	2112.0	18.8	5	2034.7	2310.8	8- 48
13.	महाराष्ट्र	20	10617.2	14008.5	31.9	11	8162.4	11568.9	41.7	11	2245.0	2929.0	6- 69
14.	मणिपुर	1	578.6	578.6	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0- 0
15.	मेघालय	1	71.2	422.6	493.7	1	71.2	422.6	493.7	1	71.2	422.6	72- 72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16.	मिजोरम	1	368.7	368.7	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0- 0
17.	नागालैंड	1	331.6	758.7	128.8	1	331.6	758.7	128.8	1	331.6	758.7	35- 35
18.	उड़ीसा	10	12450.2	14019.4	12.6	6	8054.6	9623.8	19.5	3	1207.4	1729.5	26- 72
19.	पंजाब	3	649.2	826.4	27.3	2	514.1	691.3	34.5	2	514.1	691.3	21- 132
20.	राजस्थान	4	2760.8	3419.0	23.8	4	2760.8	3419.0	23.8	1	2107.0	2511.0	42- 42
21.	सिक्किम	1	2198.0	2198.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0- 0
22.	तमिलनाडु	11	6762.1	7802.4	15.4	8	4494.3	5624.0	25.1	6	5372.1	6023.6	5- 73
23.	त्रिपुरा	1	575.0	825.0	43.5	1	575.0	825.0	43.5	0	0.0	0.0	0- 0
24.	उत्तर प्रदेश	8	5654.5	9095.5	60.9	7	5498.9	8939.9	62.6	5	4803.9	8075.9	7- 77
25.	पश्चिम बंगाल	14	2934.6	3652.4	24.5	10	1129.6	1847.5	63.5	9	1846.8	2335.4	1- 96
26.	अंडमान और निकोबार	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0- 0
27.	दिल्ली	3	5100.2	5469.8	7.2	3	5100.2	469.8	7.2	2	240.2	258.8	36- 46
28.	बहु राज्य	45	18060.2	22381.8	23.9	29	10622.1	15157.7	42.7	29	9851.0	12994.8	4- 177
	कुल	197	129580.6	154285.2	19.1	117	67051.1	92594.5	38.1	98	54677.2	69229.9	

[अनुवाद]

अमरीकी उपग्रह से प्राप्त छायाचित्रों की बिक्री पर से प्रतिबंध हटाना

1629. श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अमरीकी उपग्रह से प्राप्त उन 'हाई डेफीनेशन' छायाचित्रों की बिक्री से प्रतिबंध हटा दिया है जिसका वितरण देश में राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर पहले प्रतिबंधित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या 'आईकोनोस' नामक उपग्रह 700 किलोमीटर की ऊंचाई से साइकिल के टायर जितनी छोटी वस्तुओं के चित्र ले सकता है और रक्षा मंत्रालय ने इसके वितरण पर आपत्ति की थी, क्योंकि इससे गुप्त रक्षा प्रतिष्ठानों का भेद खुलने से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे की आशंका है;

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) यह प्रतिबंध हटाकर राष्ट्रीय सुरक्षा को किस सीमा तक निरापद किया जा सकता है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) से (ङ) आईकोनोस उपग्रह का सामान्य विभेदन एक मीटर का है। ऐसे प्रतिबिम्बन विभेदन से भवनों और अन्य संरचनाओं का पता लगाना सरल हो जाता है। इस पहलू और राष्ट्रीय सुरक्षा पर इसके पड़ने वाले प्रभाव पर सुदूर संवेदन आंकड़ा नीति को अंतिम रूप देते समय विचार किया जायेगा।

रेडियो कम्यूनिकेशन्स द्वारा भारती मिशनों को जोड़ा जाना

1630. श्री नरेश पुगलिया: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विदेश मंत्रालय को हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो कम्यूनिकेशन

नेटवर्क द्वारा विदेश स्थित उसके मिशनों से जोड़ने पर कुल कितनी राशि खर्च की गई है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): इस नेटवर्क को स्थापित करने में कुल 29.16 करोड़ रुपये व्यय हुए।

भीमा लिफ्ट इरीगेशन स्कीम

1631. **श्री जी.एस. बसवराज:**
श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा:

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने भीमा लिफ्ट इरीगेशन स्कीम को शीघ्र अनुमति देने हेतु केन्द्र सरकार को सौंपा है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने अभी तक इसके केवल दो पहुलओं को ही अनुमति दी है; और

(ग) परियोजनाओं के अन्य पहलुओं की अद्यतन स्थिति क्या है और इन पर अन्तिम अनुमति कब तक दिए जाने की संभावना है?

जल-संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) से (ग) कर्नाटक की भीमा लिफ्ट सिंचाई स्कीम केन्द्रीय जल आयोग में मूल्यांकन के लिए दिसम्बर, 1985 में प्राप्त हुई थी। एक वर्ष से अधिक समय तक केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों की अनुपालना न करने के कारण इस स्कीम को नवम्बर, 1988 में राज्य सरकार को वापस कर दिया गया था। इस स्कीम की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा विभिन्न केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियों की अनुपालना करने पर निर्भर करती है।

[हिन्दी]

लाभार्थियों को सीधी सहायता

1632. **श्री हरीभाऊ शंकर महाले:** क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार प्रत्येक राज्य में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए चलाए जा रहे कल्याणकारी कार्यक्रमों में हो रही अनियमितताओं को रोकने के लिए क्या कदम उठा रही है;

(ख) क्या सरकार का विचार इन लाभार्थियों को सीधे सहायता उपलब्ध कराने के लिए कोई कार्यक्रम तैयार करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसके कब तक लागू होने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और उत्थान संबंधी योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा नियमित रूप से कमियों और कठिनाइयों, यदि कोई हों, को दूर करने के लिए की जाती हैं जो योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के दौरान ध्यान में आती है। इसके अतिरिक्त, योजनाओं तथा कार्यक्रम का उचित और समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने तथा लक्ष्य समूहों तक वांछित लाभों को पहुंचाने के उद्देश्य से निम्नानुसार मानीटरिंग का एक प्रभावी तंत्र बनाया गया है, जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है:-

(1) प्राप्त प्रस्तावों की विस्तृत जांच के आधार पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां निर्मुक्त की जाती हैं।

(2) नई निर्मुक्तियां किए जाने से पूर्व, विगत निर्मुक्तयों के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्रों को प्रस्तुत करने पर बल दिया जाता है।

(3) योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति, शामिल लाभार्थियों तथा अन्य संगत सूचना/आंकड़ों को दर्शाते हुए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से आवधिक प्रगति रिपोर्टें प्राप्त की जाती हैं।

(4) योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए इस मंत्रालय से वरिष्ठ अधिकारी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का दौरा करते हैं।

(5) योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति का पता लगाने के लिए इस विषय से संबंधित प्रभारी राज्य सचिवों के साथ बैठकें की जाती हैं।

(6) गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से कार्यान्वयन योजनाओं के मामले में, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों की सिफारिशें प्राप्त करने के बाद तथा गैर-सरकारी संगठनों की स्थिति, उनके पूर्व कार्य-निष्पादन आदि करने के मूल्यांकन के बाद निधियां निर्मुक्त की जाती हैं। आवधिक प्रगति रिपोर्टों के अतिरिक्त गैर-सरकारी संगठनों को वार्षिक लेखा तथा लेखा-परीक्षा रिपोर्टें और उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित है जिनके आधार पर निधियों की आगे निर्मुक्ति की जाती है। राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के अधिकारियों तथा अन्य प्राधिकारियों एवं केन्द्र सरकार के अधिकारियों द्वारा भी गैर-सरकारी संगठनों के निरीक्षण भी किए जाते हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

नाभिकीय विद्युत संयंत्रों की स्थापना

1633. श्री सुल्तान सल्लाहुद्दीन ओवेसी: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नागार्जुन सागर में नाभिकीय विद्युत केन्द्र स्थापित करने के प्रस्ताव पर आंध्र प्रदेश सरकार और भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम के बीच 1968 से विचार-विमर्श हो रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या पर्यावरण की दृष्टि से इस प्रस्ताव को वास्तविक रूप नहीं दिया जा सका;

(ग) क्या परमाणु ऊर्जा आयोग ने पिछली समिति द्वारा अध्ययन किए गए स्थानों सहित देश के विभिन्न क्षेत्रों में स्थानों के चयन का मूल्यांकन करने के लिए एक स्थल चयन समिति का गठन किया है;

(घ) यदि हां, तो क्या समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो स्थल चयन समिति का गठन कब तक कर लिए जाने की संभावना है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) जी, हां। आंध्र प्रदेश सरकार ने नागार्जुन सागर में परमाणु बिजलीघर की स्थापना के लिए, परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा गठित पहले वाली स्थल चयन समितियों को एक स्थल का सुझाव दिया था।

(ख) जी, हां। इस स्थल के बाघ-वन के निकट होने को ध्यान में रखते हुए, पर्यावरणीय दृष्टि से इस स्थल की स्वीकृति में कठिनाईयां सामने आ रही हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। समिति के विचारार्थ विषयों के अनुसार, अंतिम रिपोर्ट को प्रस्तुत करने का समय दिसम्बर, 2000 के अंत तक है।

(च) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

अम्बेडकर राष्ट्रीय सार्वजनिक पुस्तकालय

1634. श्री पी.आर. खुंटे: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार मध्य प्रदेश में अम्बेडकर राष्ट्रीय सार्वजनिक पुस्तकालय स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसे किस स्थान पर स्थापित किए जाने की संभावना है और इस परियोजना की ताजा स्थिति क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता.

(ग) वर्ष 1993 में भारत के तत्कालीन प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में बाबा साहेब डा. अम्बेडकर संबंधी शताब्दि समारोह समिति ने दिल्ली में डा. अम्बेडकर राष्ट्रीय सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना करने का निर्णय किया।

स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता हेतु योजना

1635. मोहम्मद शहाबुद्दीन: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार आम जनता में स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए एक योजना तैयार करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न स्वास्थ्य परियोजनाओं हेतु नियत निधियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका में सुधार करने और इन स्वास्थ्य परियोजनाओं और स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम में उनकी सक्रिय भागीदारी बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) आम जनता में स्वास्थ्य जागरूकता में वृद्धि करने के लिए स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के भीतर केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरों देश में समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर, जन जागरूकता व्याख्यान देकर, स्वास्थ्य मेलों, प्रदर्शनियों का आयोजन करके, वीड़ियो स्पाट प्रस्तुत करके, दूरदर्शन के जरिए प्रसारण आदि करके स्वास्थ्य संवर्धन और शिक्षा कार्यकलापों का आयोजन करता है। विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में रोगों, उनकी रोकथाम, निदान और उपचार सुविधाओं के बारे में आम जागरूकता पैदा करने हेतु अलग से सूचना, शिक्षा एवं संचार कार्यकलापों की व्यवस्था है।

सूचना, शिक्षा एवं संचार कार्यकलाप केन्द्र और राज्य सरकार की निधियों के साथ तथा बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं में शुरू किए गए विभिन्न रोग नियंत्रण कार्यक्रमों का एक अभिन्न हिस्सा है।

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना के अधीन मुख्य राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रमों के लिए निम्नलिखित वित्तीय परिव्यय अनुमोदित किए गए हैं:-

1.	मलेरिया	–	1030 करोड़ रुपये
2.	एड्स	–	760 करोड़ रुपये
3.	क्षय रोग	–	426 करोड़ रुपये (2000-01 तक)
4.	कुष्ठ	–	337 करोड़ रुपये
5.	दृष्टिहीनता	–	448 करोड़ रुपये

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में गैर-सरकारी संगठनों की भागीदारी का अत्यावश्यक महत्व है। राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के अधीन गैर-सरकार संगठनों को सर्वेक्षण करने, सूचना, शिक्षा, संचार कार्यकलापों और उपचार के लिए अनुदान दिया जाता है। राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन पांच विभिन्न स्कीमों वाली एक गैर-सरकारी संगठन नीति तैयार की गई है और उसका व्यापक रूप में प्रचार-प्रसार किया गया है। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन गैर-सरकारी संगठनों को मॉडल/प्रायोगिक परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन गैर-सरकारी संगठनों के कार्यकलापों के सुदृढ़ीकरण/अनुवीक्षण के लिए विकेन्द्रीकृत आधार पर अनुदान रिलीज किया जाता है। विश्व बैंक सहायता प्राप्त संवर्धित मलेरिया नियंत्रिण परियोजना के अधीन सामुदायिक शिक्षा और जागरूकता गतिविधि बड़े पैमाने पर शुरू की जा रही है।

[अनुवाद]

कर्मचारी भविष्य निधि का पुनर्भुगतान

1636. श्री उत्तमराव ढिकले: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सेवा निवृत्ति के समय उद्योगों में काम करने वाले कामगारों को भविष्य निधि में जमा निधि के कितने प्रतिशत धन का पुनर्भुगतान किया जाता है;

(ख) क्या पूरी जमा राशि की पुनर्भुगतान योग्य बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) से (ग) कर्मचारी भविष्य निधि योजना के तहत अंशदाताओं की सेवा-निवृति के समय उनके खाते में जमा भविष्य निधि राशि का संपूर्ण भुगतान देय ब्याज सहित लाभार्थियों को किया जाता है। आमतौर पर भविष्य निधि का उपयोग अंशदाता अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों को पूरा करते समय करते हैं जैसे बच्चों की शादी, शिक्षा, चिकित्सा देख-रेख आदि, अत: भविष्य निधि की संपूर्ण जमा राशि की प्रतिपूर्ति को संभव नहीं पाया गया।

राष्ट्रीय परिवहन नीति

1637. श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सड़क परिवहन में कड़ी प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए एक राष्ट्रीय परिवहन नीति विकसित करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो विचाराधीन प्रसताव का ब्यौरा क्या है और इसकी ताजा स्थिति क्या है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) से (ख) परिवहन नीति को बदलती हुई आवश्यकताओं, प्रौद्योगिकियों और अवसरों के साथ चलना है। नौवीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेज में परिवहन नीति की रूपरेखा दी गई है। राष्ट्रीय और क्षेत्रीय महत्व की विशिष्ट परियोजनाओं के लिए निवेशों को आकर्षित करने और समय पर उनका समापन

सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने आधारिक संरचना संबंधी एक कार्यदल का गठन किया है। परिवहन आधारिक संरचना को सुदृढ़ करने के लिए, कार्यदल को भी एक एकीकृत राष्ट्रीय परिवहन नीति बनानी है। मसौदा रिपोर्ट इस समय कार्यदल के चर्चाधीन है।

[हिन्दी]

ढांचागत विकास निधि

1638. **श्रीमती रेनु कुमारी:**
श्री पदमसेन चौधरी:
श्री जगदम्बी प्रसाद यादव:
श्री प्रभात सामंतराय:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार के आर्थिक और सामाजिक ढांचे में लगातार गिरावट आ रही है;

(ख) यदि हां, तो सरकार वहां ढांचागत विकास के लिए क्या कदम उठा रही है;

(ग) क्या सरकार का विचार झारखंड, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़ और बिहार के विकास हेतु एक व्यापक ढांचागत विकास निधि बनाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या क्या है और प्रत्येक राज्य कों कितना अतिरिक्त नियतन किए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) योजना आयोग ने ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया है जो मापन योगसूचकों के रूप में बिहार की आर्थिक और सामाजिक संरचना में हुए परिवर्तनों को इंगित करता है।

(ख) आधारिक संरचनात्मक विकास के लिए राज्य सरकार योजनाएं बनाए, क्योंकि राज्य-योजनाओं/स्कीमों का कार्यान्वयन मुख्यत: राज्यों का उत्तरदायित्व है। क्षेत्रकों को प्राथमिकता देना राज्य सरकार के विशेषाधिकार और क्षेत्र में है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) वर्तमान में, व्यापक आधारित संरचनात्मक विकास निधियों के गठन का कोई प्रस्ताव आयोग में नहीं है।

[अनुवाद]

ठेका श्रम

1639. **श्री चन्द्रकांत खैरे:**
श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल:

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को औद्योगिक इकाइयों में ठेका श्रम की अनुमति देने संबंधी सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) जी, हां।

(ख) से (ग) नियोजक एसोसिएशनों ने सुझाव दिया है कि आर्थिक उदारीकरण को देखते हुए, ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 में ठेका श्रमिकों का शोषण रोकने के लिए उनको नियमित किये जाने न कि उनका उन्मूलन किए जाने का प्रावधान करने के लिए समुचित संशोधन किए जाने चाहिए। सभी बिन्दुओं पर विचार-विमर्श करने के पश्चात मौजूदा कानून में किए जाने वाले परिवर्तन या संशोधन, यदि कोई है, को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

राजमार्ग विकास परियोजना हेतु कार्ययोजना

1640. **श्रीमती श्यामा सिंह:**
श्री एन. जनार्दन रेड्डी:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग ने राजमार्ग विकास परियोजना का काम परियोजना की पर्याप्त तैयारी के बिना हाथ में लेने के लिए सरकार की आलोचना की है जिससे परियोजनाओं के पूरा होने में विलम्ब होता है और लागत में वृद्धि होती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने अनुबंधित समय के भीतर सड़क परियोजनाओं का काम भली भांति पूरा होना सुनिश्चित करने के लिए कोई कार्य योजना तैयार की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के संबंध में बहुत से संशोधित लागत अनुमान प्रस्तावों के मूल्यांकन से पता चला की कमजोर परियोजना आयोजना और निरूपण सहित अपर्याप्त निर्माण-पूर्व क्रियाकलाप विलम्ब और लागत में वृद्धि होने के प्रमुख कारणों में से एक हैं।

(ख) और (ग) सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने यह सुनिश्चित करने के लिए बहुत से कदम उठाए ताकि परियोजनाएं निर्धारित अवधि में पूरी हो जाएं। इसमें विस्तृत दिशा-निर्देश, जिनका संशोधन और विस्तार किया गया है, के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग मुख्य कार्य की परियोजना तैयारी, परियोजनाओं का निरूपण करने के लिए अनुभवी परामर्शदाताओं को लगाना तथा अड़चनें, यदि कोई हों, को सुनिश्चित करने और ऐसी अड़चनों के निवारण के लिए उपचारात्मक उपाय अपनाने की दृष्टि से राज्य लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित करना शामिल है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के क्षेत्रीय अधिकारियों को दिशानिर्देश दिए गए हैं कि कार्य के सम्पादन में आई समस्याओं/अड़चनों को दर्शाने के लिए मासिक रिपोर्ट भेजें ताकि उपचारात्मक उपाय किए जा सकें।

राष्ट्रीय जनसंख्या नीति

1641. श्री रामशेठ ठाकुर: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय जनसंख्या नीति ''स्वत: विरोधाभासी'' और ''अत्यधिक महिला विरोधी'' बन गई है;

(ख) क्या महाराष्ट्र और राजस्थान सहित अनेक राज्यों में दो से ज्यादा बच्चों वाले परिवारों के लिए हतोत्साहन संबंधी कार्यकलाप शुरू किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और औचित्य क्या है;

(घ) क्या अनेक महिला संगठनों एवं स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने उक्त हतोत्साहन संबंधी कार्यकलापों को वापिस लेने की मांग की है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो के अधिकारी

1642. श्री शिवाजी माने:
श्री राम मोहन गाड्डे:
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आसूचना एजेंसियों ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो के कुछ अधिकारियों के पाकिस्तान की आई.एस.आई. के साथ संबंध होने के कारण उन्हें निरुद्ध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए/प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

बिहार में चल रही सिंचाई परियोजाएं

1643. प्रो. दुखा भगत: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार में कई सिंचाई परियोजनाओं निर्माणाधीन हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये कहां पर स्थित हैं;

(ग) क्या ये परियोजनायें अपने पूरा किए जाने के निर्धारित समय से बहुत ज्यादा समय ले रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इनको पूरा करने में परियोजनावार कितना अतिरिक्त समय लगा है?

जल-संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) और (ख) मध्य प्रदेश में बाणसागर बांध परियोजना, जिसके लिए बिहार सरकार द्वारा केवल बांध की लागत का ही अंशदान किया जा रहा है, के अतिरिक्त, बिहार में 8 वृहद और 7 मध्यम परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। इन परियोजनाओं का विस्तृत ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) राज्य का विषय होने के कारण, सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, वित्त पोषण और उनका कार्यान्वयन राज्य सरकार द्वारा उनकी प्राथमिकता के अनुसार स्वयं उनके संसाधनों से किया जाता है।

विवरण

क्र.सं.	चल रही परियोजना का नाम	स्थिति	अनुमानित लागत (करोड़ रु. में)	चरम क्षमता (हजार हैक्टे. में)	पूरा होने का लक्ष्य (नौवीं योजना अथवा उसके बाद)
क. वृहद परियोजनाएं					
1.	अपर कियूल	जमुई	109.93	27.67	नौवीं योजना
2.	बरनार	जमुई	230.43	24.94	नौवीं योजना के बाद
3.	बटेश्वरस्थान पम्प फेज-1	भागलपुर	175.85	24.40	नौवीं योजना के बाद
4.	बागमती	नेपाल	154.73	101.60	नौवीं योजना के बाद
5.	दुर्गावती	कैनुर	266.97	51.83	नौवीं योजना
6.	गण्डक फेज-2		578.27	236.00	नौवीं योजना के बाद
7.	कोसी पूर्वी नहर फेज-2	पूर्णिया	156.32	0.00	नौवीं योजना के बाद
8.	पश्चिमी कोसी नहर	नेपाल	693.88	203.00	नौवीं योजना के बाद
ख. मध्यम परियोजनाएं					
1.	बिलासी	बांका	1961	4.05	नौवीं योजना
2.	बटेश्वरस्थान पम्प फेज-2	भागलपुर	37.87	6.50	नौवीं योजना के बाद
3.	धाकरानल्ला पम्प फेज-1	मुंगेर	173.60	6.05	नौवीं योजना के बाद
4.	धाकरानल्ला पम्प फेज -2	मुंगेर	11.48	4.02	नौवीं योजना के बाद
5.	मलाई	भोजपुर	12.08	7.74	नौवीं योजना के बाद
6.	ओरनी		50.12	9.60	नौवीं योजना के बाद
7.	सिंधवारनी	मुंगेर	34.10	9.38	नौवीं योजना के बाद

सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों का उपचार

1644. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अस्पताल अपने यहां आने वाले सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों की आपातकालीन चिकित्सा उपचार देने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे पीड़ितों की जीवन रक्षा के लिए प्रथम "स्वर्णिम घंटे" में यह उम्मीद की जाती है कि उन्हें विशेषीकृत चिकित्सा संबंधी देखभाल प्राप्त हो;

(घ) क्या सरकार को यह जानकारी है कि लगभग सभी बड़े अस्पताल अपने आपातकालीन कक्षों में सिर में लगी चोटों का उपचार करने में असफल रहते हैं और अपने उत्तरदायित्वों से बचने के लिए रोगियों को सुश्रुत अभिघात केन्द्र (एस.टी.सी.) भेज देते हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, सफदरजंग अस्पताल, दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल, राम मनोहर लोहिया अस्पताल, हिन्दु राव इत्यादि द्वारा सुश्रुत अभिघात केन्द्र को कितने रोगी भेजे गए।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) जी, हां। सर्वोच्च न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका (एस.एल.पी.) (सी.) संख्या 769/92-पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति एवं अन्य विरुद्ध पश्चिम बंगाल राज्य एवं अन्य के संबंध में अपने दिनांक 6.5.1996 के फैसले में वास्तविक रूप से जरूरतमंद लोगों की तात्कालिक चिकित्सा सेवा एवं उपचार सुनिश्चित करने के लिए उपचारी उपाय सुझाए थे। न्यायालय ने निर्देश दिए थे कि राज्य यद्यपि मुकदमों में शामिल नहीं थे, तथापि उन्हें पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा गठित जांच समिति की सिफारिशों एवं इसके अलावा, न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के आलोक में आवश्यक कदम उठाने चाहिए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों को क्रियान्वित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले की प्रतियां दिनांक 12.12.1996 को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एक उपयुक्त कार्रवाई करने के सुझाव के साथ परिचालित की गई थी। केन्द्र सरकार के नियंत्रणाधीन सभी अस्पतालों/संस्थानों जैसे-अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली, स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान चंडीगढ, जिपमेर, पांडिचेरी, सफदरजंग अस्पताल, लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज एवं सम्बद्ध अस्पताल तथा डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल को दिनांक 13.12.1996 को उपयुक्त मार्गनिर्देश भी जारी किए गए थे। इन मार्गनिर्देशों के अनुसार रुग्ण/गंभीर दशा वाले सभी रोगियों को बिस्तारों की अनुपलब्धता होने पर भी दाखिल किया जाना चाहिए तथा इन पर आवश्यक ध्यान दिया जाना चाहिए। आपात/केजुल्टी विभाग में बिस्तरों के अभाव में किसी भी मामले में मरीज को उपचार किए बिना नहीं छोड़ा जाएगा। तदनुसार केन्द्र सरकार के अस्पताल मार्गनिर्देशों का अनुपालन कर रह हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, सफदरजंग अस्पताल व लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज एवं सम्बद्ध अस्पतालों के केज्यूल्टी विभाग में रोगियों को आवश्यकतानुसार उपयुक्त चिकित्सा परिचर्या उपलब्ध कराई जाती है। तथा कोई भी घायल व्यक्ति सुश्रुताआघात केन्द्र को रेफर नहीं किया जाता है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल एवं हिन्दू राव अस्पताल के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

कैगा परमाणु बिजली परियोजना

1645. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार:

श्री कोलूर बसवनागौड:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में कैंगा परमाणु बिजली संयंत्र की कितनी इकाइयां कार्य कर रही हैं;

(ख) क्या संयंत्र के विस्तार का कोई प्रस्ताव सरका के विचाराधीन है;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं;

(घ) निर्माण की अनुमानित लागत क्या है और वर्ष 2000-2001 के दौरान इस हेतु कितनी धनराशि जारी की गई है; और

(ङ) संयंत्र की तीसरी और चौथी इकाई के विस्तार कार्य को कब तक आरंभ किए जाने की संभावना है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) वर्तमान में कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र के यूनिट 1 तथा 2 काम कर रहे हैं।

(ख) और (ग) जी, हां। तीसरे और चौथे यूनिट (कैगा 3 तथा 4 (2×220 मे.वा.) को स्थापित करने संबंधी प्रस्ताव पर सरकार से प्रशासनिक/वित्तीय अनुमति प्राप्त करने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

(घ) मार्च 1999 के मूल्य-स्तर के अनुसार कैगा-3 तथा 4 की अनुमानित लागत 2856 करोड़ रुपये है जिसमें 456 करोड़ रुपये का "निर्माण के दौरान लगने वाला ब्याज" भी शामिल है, आज की स्थिति के अनुसार, वर्ष 2000-2001 के दौरान कैगा-3 तथा 4 के लिए अग्रिम प्रापण हेतु पांच करोड़ रुपये की राशि दे दी गई है।

(ङ) निर्माण कार्य को भारत सरकार द्वारा परियोजना के लिए स्वीकृति दिए जाने के बाद शुरू किया जाएगा।

[हिन्दी]

परमाणु विद्युत संयंत्रों का स्थापित किया जाना

1646. श्री रामशकल:
श्री बृजलाल खाबरी:
श्रीमती जस कौर मीणा:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में देश में नए परमाणु विद्युत संयंत्रों को स्थापित किए जाने के कितने प्रस्ताव सरकार की मंजूरी मिलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं;

(ख) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में स्थापित किए जाने वाले परमाणु विद्युत संयंत्रों की संख्या क्या है;

(घ) वर्तमान में देश में कितने परमाणु विद्युत संयंत्र कार्य कर रहे हैं; और इनमें से प्रत्येक के द्वारा कितनी ऊर्जा उत्पन्न की जा रही है;

(च) क्या सभी परमाणु विद्युत संयंत्र अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर रहे हैं; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) कर्नाटक में एक अर्थात् कैगा-3 तथा 4 (2×220 मेगावाट).

(ख) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, कर्नाटकमें कांगा-1 तथा 2 (2×220 मेगावाट) और राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना-3 तथा 4 (2×220 मेगावाट) की स्थापना की जानी थी और इन सभी यूनिटों को ग्रिड के साथ जोड़ दिया गया है।

(ग) इस समय देश में, कुल 2720 मेगावाट क्षमता के सात परमाणु बिजलीघरों में चौदह यूनिट काम कर रहे हैं, प्रत्येक यूनिट की क्षमता का वितरण नीचे दिया गया है:

	यूनिट	कुल क्षमता	स्थल
1.	तारापुर परमाणु बिजलीघर-1 तथा 2 (2×160 मेगावाट)	320 मेगावाट	तारापुर, महाराष्ट्र
2.	राजस्थान परमाणु बिजलीघर यूनिट-1 (1×100 मेगावाट)	100 मेगावाट	रावतभाटा, राजस्थान
	यूनिट-2 (1×200 मेगावाट)	200 मेगावाट	-वही-
3.	राजस्थान परमाणु बिजलीघर-3 तथा 4 (2×220 मेगावाट)	440 मेगावट	-वही-
4.	मद्रास परमाणु बिजलीघर-1 तथा 2 (2×170 मेगावाट)	340 मेगावाट	कलपाक्कम, तमिलनाडु
5.	नरोरा परमाणु बिजलीघर-1 तथा 2 (2×220 मेगावाट)	440 मेगावाट	नरोरा, उत्तर प्रदेश
6.	ककरापार परमाणु बिजलीघर-1 तथा 2 (2×220 मेगावाट)	440 मेगावाट	ककरापार, गुजरात
7.	कैगा परमाणु बिजलीघर-1 तथा 2 (2×220 मेगावाट)	440 मेगावाट	कैगा, कर्नाटक
	कुल	2720 मेगावाट	

(घ) जी, हां।

(ङ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

फरक्का बराज

1647. श्री नवल किशोर राय:
श्री रामजीलाल सुमन:
श्री जी.एस. बसवराज:

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत फरक्का परियोजना और गंगा नदी द्वारा किये जाने वाले भू-अपरदन के कारण प्रतिवर्ष भारत भूमि का एक विशाल हिस्सा बंगलादेश में मिल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले में बंगलादेश के साथ विचार-विमर्श किया है;

(घ) यदि हां, तो ऐसा कब किया गया है और इसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या निवारात्मक उपाय किये गए हैं?

जल-संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) से (घ) नदी का बहाव परिवर्तनशील प्रकृति का होने के कारण गंगा नदी के तटों पर वर्ष-दर-वर्ष गाद जमने के कारण भूमि कटाव होता है तथा रेत जम जाती है। यह सूचना मिली है कि हाल के वर्षों में नदी की बंगलादेश वाली दिशा में रेत एकत्र हो गई है। तथापि इसका फरक्का बैराज से कोई संबंध नहीं है और इस मुद्दे पर बंगलादेश के साथ विचार-विमर्श नहीं हुआ है।

(ङ) पश्चिम बंगाल सरकार ने तट-रेखा में परिवर्तन रोकने के लिए जोखिमपूर्ण खण्डों में निवारक उपाय किए हैं। भारत सरकार ने भी इस संबंध में समय-समय पर राज्य सरकार की सहायता की है।

[अनुवाद]

उच्च शिक्षा हेतु सहायता

1648. श्री हरिभाई चौधरी: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम द्वारा गुजरात के पिछड़े वर्गों को उनकी उच्च शिक्षा हेतु कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई;

(ख) अब तक वर्षवार इससे कितने लोगों को लाभ मिला;

(ग) अब तक प्राप्त/अनुमोदित आवेदन-पत्रों और लंबित पड़े आवेदन-पत्रों की संख्या क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त सहायता देने के लिए व्यक्तियों का चयन किए जाने हेतु कौन से मानदण्ड अपनाए गए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एन बी सी एफ डी सी) शिक्षा ऋण योजना कार्यान्वित करता रहा है। पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान इस योजना के अंतर्गत गुजरात को कोई वित्तीय सहायता की स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है क्योंकि गुजरात राज्य माध्यम एजेंसी ने इस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम से वित्तीय सहायता की स्वीकृति के लिए कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) शिक्षण ऋण योजना के अन्तर्गत नामित राज्य माध्यम एजेंसियों के माध्यम से केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित पिछड़े वर्गों के उन छात्रों को ऋण स्वीकृत किया जाता है जिनकी पारिवारिक आय गरीबी की रेखा के दोगुना से नीचे अर्थात 42412 रुपये प्रति वर्ष है। यह ऋण उन छात्रों को भी प्रदान किया जाता है जिन्होंने किसी व्यावसायिक पाठ्यक्रमों अर्थात् एम.बी.ए., एम.सी.ए., आई.आई.टी./अन्य संस्थानों द्वारा संचालित इंजीनियरिंग में स्नातक पाठ्यक्रमों, भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा मान्यताप्राप्त चिकित्सा पाठ्यक्रमों तथा अस्पतालों प्रबंधन पाठ्यक्रम में डिप्लोमा और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय तथा अन्य मान्यताप्राप्त संस्थाओं द्वारा प्रदान की जा रही सुदूर शिक्षा में दाखिला लिया हो। यह सहायता संबंधित संस्था/कालेज के माध्यम से नामांकन तथा अध्ययन शुल्क, पुस्तकें, लेखन सामग्री आदि परीक्षा शुल्क भोजन और ठहरने तथा छात्रों की बीमा पालिसी के प्रीमियम पर व्यय को वहन करने के लिए दी जाती है।

[हिन्दी]

सेवा-निवृत्ति की आयु

1649. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:
श्री अनन्त गंगाराम गीते:
श्री किरीट सोमैया:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न राज्यों के सरकारी संस्थानों में केन्द्रीय सरकार के कुल कितने कर्मचारी कार्यरत हैं;

(ख) क्या सरकार के अनेक विभागों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में कर्मचारियों की संख्या काफी अधिक है और अतिरिक्त कर्मचारियों को हटाने के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्त-योजना घोषित की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार सेवानिवृत्ति की आयु को घटाकर 58 वर्ष करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) 31.3.1999 को मौजूदा स्थिति के अनुसार, केन्द्र-सरकार में राज्य-वार नियोजन दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) केन्द्र सरकार के विभागों में कर्मचारियों के अधिक होने की स्थिति, कार्य-अध्ययन के पश्चात् तय की जाती है, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में इन उपक्रमों का प्रबन्धन ही अधिशेष कर्मचारी चुनता है और उनकी संख्या निश्चित करता है। केन्द्रीय सरकार ने अपने कर्मचारियों के संबंध में स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति की कोई भी योजना आरंभ नहीं की है। फिर भी, केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी, केन्द्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमावली, 1972 के नियम 48-क के अनुसार 20 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी कर लेने के पश्चात स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति ले सकते हैं। सरकार ने लोक-उद्यम-विभाग के मई 5, 2000 के कार्यालय ज्ञापन सं. 2(32)/97-डी.पी.ई. (डब्ल्यू.सी.) जी.एल. XXII द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की अधिशेष जनशक्ति को युक्ति-युक्त बनाने की दृष्टि से स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति की योजना बनाई है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) उपर्युक्त (घ) के उत्तर के मद्देनजर, प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

31.3.1999 को मौजूदा स्थिति के अनुसार केन्द्रीय सरकार में राज्य-वार नियोजन

(हजार में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	केन्द्रीय सरकार
1	2	3
I.	**उत्तरी क्षेत्र**	**558.7**
1.	हरियाणा	32.1
2.	पंजाब	80.5
3.	हिमाचल प्रदेश	16.5
4.	चंडीगढ़	16.4
5.	दिल्ली	218.8
6.	राजस्थान	166.4
7.	जम्मू और कश्मीर	28.0
II.	**मध्य क्षेत्र**	**647.1**
8.	मध्य प्रदेश	212.4
9.	उत्तर प्रदेश	434.7
III.	**उत्तर पूर्वी क्षेत्र**	**112.4**
10.	असम	81.2
11.	मेघालय	16.8
12.	मणिपुर	4.6
13.	मिजोरम	0.8
14.	नागालैंड	6.5
15.	त्रिपुरा	2.6
IV.	**पूर्वी क्षेत्र**	**671.8**
16.	बिहार	180.3
17.	उड़ीसा	81.9
18.	पश्चिम बंगाल	409.6

1	2	3
V.	**पश्चिम क्षेत्र**	**582.2**
19.	गुजरात	148.7
20.	महाराष्ट्र	427.4
21.	गोवा	5.9
22.	दमन-दीव	0.4
VI.	**दक्षिण क्षेत्र**	**736.2**
23.	आंध्र प्रदेश	260.2
24.	कर्नाटक	133.1
25.	केरल	103.3
26.	पांडिचेरी	5.2
27.	तमिलनाडु	234.5
28.	अण्डमान और निकोबार	4.4
	कुल	3312.8

टिप्पणी: इनमें सुरक्षा बल, अर्द्ध सैन्य बल तथा बढ़ती-घटती जनसंख्या शामिल नहीं है।

[अनुवाद]

प्रधान मंत्री का संयुक्त राज्य अमेरिका का दौरा

1650. **श्री सुशील कुमार शिंदे:**
श्री के.पी. सिंह देव:
श्री माधव राव सिंधिया:
श्री आर.एल. भाटिया:
श्री सुन्दर लाल तिवारी:
श्रीमती रेणुका चौधरी:
कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली:
श्री मोहन रावले:
श्री प्रभात सामन्तराय:
श्री इन्द्रजीत गुप्त:
श्री वरकला राधाकृष्णन:
डा. अशोक पटेल:
श्री सुरेश कुरूप:
श्री उत्तमराव पाटील:
श्री टी. गोविन्दन:
श्री बी.के. पार्थसारथी:
श्री चाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी:
श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार:
श्री रामदास आठवले:
श्री तरुण गोगोई:
योगी आदित्य नाथ:
श्री बृजलाल खाबरी:
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी:
श्री जी.एस. बसवराज:

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हमारे प्रधान मंत्री द्वारा हाल में किए गए अमेरिकी दौरे के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ जिन मुद्दों पर चर्चा हुई इसका ब्यौरा क्या है;

(ख) इसके क्या परिणाम निकले तथा किन-किन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गये;

(ग) क्या चर्चा के दौरान प्रतिबंधों को वापस लेने का मुद्दा भी सामने लाया गया;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या भारत में ईसाईयों पर हुए हमलों के कारण कोई विरोध जताया गया था;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) उनके साथ गए भारतीय प्रतिनिधिमंडल में कौन-कौन थे; और

(ज) दो देशों के बीच आपसी संबंधों में इस दौरे से किस प्रकार बढ़ावा मिलेगा।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) अमरीकी राष्ट्रपति के निमंत्रण पर प्रधान मंत्री की अमरीका यात्रा के दौरान, दोनों पक्षों ने भारत और अमरीका के बीच नए संबंधों के दृष्टिकोण-पत्र के क्रियान्वयन में हुई प्रगति सहित, व्यापक द्विपक्षीय मसलों और व्यापार तथा वाणिज्य, वित्त और निवेश ऊर्जा तथा पर्यावरण, स्वास्थ्य विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और आतंकवाद प्रतिरोध जैसे क्षेत्रों में परस्पर लाभकारी सहयोग का और अधिक विस्तार करने की चर्चा की। दोनों पक्षों ने परस्पर हित-चिन्ता के व्यापक क्षेत्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय मसलों पर भी चर्चा की।

(ख) प्रधान मंत्री और राष्ट्रपति क्लिंटन ने उस दृष्टिकोण-पत्र की पुनः पुष्टि की जिसे भारत और अमरीका के बीच घनिष्ठ और गुणात्मक नए संबंधों की मार्च, 2000 में रेखांकित किया गया था। इस यात्रा की सामप्ति पर संपन्न एक संयुक्त वक्तव्य में, वे इस बात के लिए सहमत हुए कि भारत-अमरीकी संबंध विश्व के लिए शान्ति, समृद्धि, प्रजातंत्र, बहुवाद और स्वतन्त्रता के भविष्य की रूप-रेखा बनाने के लिए एक प्रमुख घटक का कार्य करेगा। उन्होंने दोनों पक्षों के बीच संवाद संरचना के क्रियान्वयन में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। इस संवाद संरचना में संयुक्त शान्ति कार्रवाईयों से संबद्ध एक संयुक्त कार्यदल तथा अफगानिस्तान से संबद्ध द्विपक्षीय संवाद की एक रूपरेखा जोड़ी गई है।

दोनों पक्षों ने नागर विमानन, जैव-प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, कपड़ा ऊर्जा, सूचना प्रौद्योगिकी, परस्पर करारोपण और निवेशों सहित वाणिज्यिक, आर्थिक और वैज्ञानिक संबंधों को प्रगाढ़ करने में प्रगति की है।

दोनों पक्षों ने अपने-अपने इस विश्वास को दोहराया कि दक्षिण एशिया के देशों के बीच विद्यमान समस्याएं केवल दक्षिण एशिया के राष्ट्रों द्वारा निपटायी जा सकती हैं और उन्होंने इस क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए एक आधार के रूप में सतत हिंसा और खूनखराबे की अस्वीकार्यता पर जोर दिया। उन्होंने आतंकवाद का मुकबला करने के लिए सहयोग को और आगे बढ़ाने का अपना-अपना दृढ़ निश्चय भी व्यक्त किया और अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद से लड़ने में अपने-अपने प्रयासों को तेज करने के संबंध में अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय का आह्वान किया।

इन चर्चाओं में, दोनों देशों के बीच अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा मसलों, विशेष रूप से एशियाई संदर्भ में, बढ़ता हुआ संवाद और सहयोग संबंधी इच्छा भी परिलक्षित हुई। दोनों पक्षों में अप्रसार मसलों पर मतभेदों को कम करने संबंधी दोनों देशों में अपने-अपने संवाद को जारी रखने की अपनी मंशा को भी दोहराया।

(ग) और (घ) अमरीकी पक्ष सरकार ने इस दृष्टिकोण से अवगत है कि भारत के विरुद्ध लगाए गए सभी एकपक्षीय प्रतिबंध अनुचित तथा हानिकारक हैं तथा उन्हें पूरी तरह से हटा लिया जाना है। अमरीका ने मई, 1998 में नाभिकीय परीक्षणों के पश्चात् भारत पर लगाए गए बहुत से एकपक्षीय प्रतिबंध हटा लिए हैं। अमरीका ने बकाया बचे प्रतिबंधों को हटाने की कोई समय सीमा नहीं बताई है।

(ङ) और (च) प्रधानमंत्री की वाशिंगटन यात्रा के दौरान कुछ निजी ग्रुपों द्वारा प्रदर्शन किया गया जिसमें उपस्थिति नाममात्र थी। अमरीकी सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को प्रधानमंत्री से पर्याप्त दूरी पर रोके रखा।

(छ) प्रधानमंत्री के साथ गए सरकारी प्रतिनिधिमण्डल में शामिल थे- श्री जसवंत सिंह, विदेश मंत्री; श्री यशवंत सिन्हा, वित्त मंत्री; डा. (श्रीमती) नजमा हेपतुल्ला, राज्य सभा की उप सभापति; श्री नरेश चन्द्र, अमरीका में भारत के राजदूत; श्री बृजेश मिश्र, प्रधान मंत्री के प्रधान सचिव; श्री ललित मानसिंह, विदेश सचिव; श्री एन.के. सिंह, प्रधान मंत्री के सचिव; श्री अशोक कुमार बसु, सचिव, ऊर्जा मंत्रालय; श्री श्यामलघोष सचिव, दूर संचार विभाग; श्री प्रबीर सेन गुप्ता, वाणिज्य सचिव; श्री एच के दुआ, प्रधान मंत्री के प्रैस सलाहकार; श्री कमलेश शर्मा, पी आर, पी एम आई, न्यूयार्क; श्री टी पी श्रीनिवासन, मिशन उप प्रमुख भारत का राजदूतावास, वाशिंगटन; श्री टी के मिश्रा, निदेशक एस जी पी; श्रीमती शशि यू. त्रिपाठी, प्रधान कौंसल, न्यूयार्क, श्री पी.पी. शुक्ला, संयुक्त सचिव, प्रधान मंत्री कार्यालय, श्री आलोक प्रसाद, संयुक्त सचिव, विदेश मंत्रालय; श्री आर एस जस्सल, संयुक्त सचिव, विदेश मंत्रालय; श्री पी एस राघवन, संयुक्त सचिव, प्रधान मंत्री कार्यलय, श्री अजय बिसारिया, प्रधान मंत्री के निजी सचिव; प्रो. अनूप मिश्रा, प्रधान मंत्री के वैयक्तिक चिकित्सक।

(ज) इस यात्रा के परिणामस्वरूप अमरीकी के साथ मैत्री और सहयोग के नए चरण को मजबूत करने तथा दोनों पक्षों के बीच समझबूझ को गहन करने में सहायता मिली है। दोनों पक्षों ने स्वीकार किया कि इस यात्रा से द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने, तेजी लाने तथा संबंधों को अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर लाने में गति देने के लिए सहायता मिली है, इस प्रकार मार्च, 2000 के दृष्टिकोण वक्तव्य में निर्दिष्ट, नए संबंध बनाने की प्रक्रिया में योगदान मिला है। राष्ट्रपति पद के दोनों उम्मीदवारों और अमरीकी कांग्रेस के साथ प्रधानमंत्री के क्रियाकलाप से उस व्यापक आधार वाले और द्विदलीय समर्थन के और अधिक मजबूत होने की उम्मीद है जो भारत के साथ अपेक्षाकृत अधिक मजबूत संबंध विकसित करने के लिए विद्यमान है। इसके फलस्वरूप नए प्रशासन के साथ-साथ भारत-अमरीका संबंधों में निरंतरता और गति बनाए रखने में भी योगदान मिला है। इस दौरे के परिणामस्वरूप प्रधान मंत्री को अमरीकी कांग्रेस और व्यवसायी समुदाय सहित अपने सामाजिक मूल्यों, राजनैतिक और आर्थिक प्रगति, अपनी विदेश नीति तथा सुरक्षा हित-चिन्ताओं, भारत-अमरीकी संबंधों पर अपना दृष्टिकोण और अन्तर्राष्ट्रीय मसलों पर अपनी राय पर अमरीका में अधिकसंख्यक श्रोताओं को सीधे संबोधित भी करने का अवसर मिला। उन्हें उस भारतीय-अमरीकी समुदाय के साथ क्रिया-कलाप करने का भी अवसर मिला था, जो अमरीकी राजनीति में एक बढ़ती हुई प्रभावकारी भूमिका अदा कर रहा है।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र के लिए वार्षिक योजना

1651. श्रीमती निवेदिता माने: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान संघ सरकार द्वारा महाराष्ट्र को आबंटित वार्षिक योजना परिव्यय का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राज्य सरकार ने आबंटन में वृद्धि हेतु कोई मांग की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) केन्द्रीय सहायता के रूप में 1946.79 करोड़ रुपये तथा राज्य के स्वयं के संसाधन के रूप में 9553.21 करोड़ रुपये को ध्यान में रखते हुए चालू वर्ष के लिए महाराष्ट्र सरकार की कोर वार्षिक योजना 11,500 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है।

(ख) उपाध्यक्ष, योजना आयोग और महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री के बीच वार्षिक योजना विचार-विमर्श के दौरान राज्य सरकार ने 12,330 करोड़ रुपये के आकार की योजना प्रस्तावित की है।

(ग) और (घ) योजना आयोग द्वारा विचार-विमर्श के दौरान यह स्पष्ट किया गया था कि यदि राज्य सरकार अतिरिक्त संसाधन मुहैया कराने में सक्षम होती तो यह एक बड़ी योजना बन सकती थी।

[अनुवाद]

ठेका श्रम अधिनियम में परिवर्तन

1652. श्री अनन्त नायक:
श्री वसुदेव आचार्य:

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को वर्तमान ठेका श्रम अधिनियम, 1970 में परिवर्तन हेतु प्रमुख मजदूर संघों से सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) जी, हां।

(ख) से (ग) केन्द्रीय व्यवसाय संघ संगठनों ने यह सुझाव दिया है कि एयर इंडिया के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार, ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 की धारा 10 के अंतर्गत निषेधात्मक अधिसूचना जारी किए जाने की दशा में मूल नियोजक के प्रतिष्ठान में ठेका श्रमिकों को स्वत: खपाये जाने का इस अधिनियम में प्रावधान किया जाना चाहिए। अन्य सुझाव ये हैं कि समान प्रकृति के कार्य के लिए नियमित कामगारों के साथ मजदूरी की समानता सुनिश्चित की जानी चाहिए तथा नियमित एवं बारहमासी प्रकृति के कार्य में ठेका श्रमिकों के नियोजन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। सभी बिन्दुओं को ध्यान में रखने के पश्चात् इस अधिनियम में किए जाने वाले परिवर्तनों अथवा संशोधनों, यदि कोई हों, को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

एच आई वी/एड्स पर डरबन में आयोजित सम्मेलन

1653. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 13 जुलाई, 2000 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में "इंडिया मे सून हैव हाफ दी वर्ल्डस एड्स पेशेन्टस" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) क्या हाल ही में एच.आई.वी./एड्स पर डरबन में कोई सम्मेलन आयोजित किया गया था;

(ग) क्या भारत सरकार की जनसंख्या का पांचवां हिस्सा जो कि लगभग 200 मिलियन के बराबर है, एच.आई.वी. वायरस से ग्रस्त है और लगभग 100 मिलियन लोग एड्स से ग्रस्त हैं, जैसा कि सम्मेलन में विशेषज्ञों ने अनुमोदन किया है;

(घ) यदि हां, तो किन-किन प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की गई है और इसके क्या परिणाम निकले;

(ङ) सम्मेलन में क्या उपचारात्मक उपाय सुझाए गए हैं; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/ प्रस्तावित हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) जी, हां।

(ख) जी, हां। 13वां विश्व एड्स सम्मेलन डरबन में दिनांक 9 से 14 जुलाई, 2000 को सम्पन्न हुआ।

(ग) जी, नहीं। एच.आई.वी. प्रहरी निगरानी डाटा 1999 के अनुसार देश में वयस्क जनसंख्या के अन्दर एच.आई.वी. से संक्रमितों की संख्या 1999 के मध्य में अनुमानत: 2.4 से 3.7 मिलियन थी।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) सम्मेलन का मुख्य विषय "चुप्पी को तोड़ना" था जिसका उद्देश्य विश्व-प्रयासों में आई बाधाओं पर ध्यान केन्द्रित करना और एच.आई.वी. महामारी के प्रवाह को मोड़ना था। इसमें अभी भी कई देशों में सामान्य रूप से प्रचलित आत्मसंतोष, अज्ञानता और नाकारा दृष्टिकोण सम्मिलित हैं, इसके अलावा देखभाल में पक्षपात, एच.आई.वी. टीकों एवं यौनिक रोगाणुनाशी दवाइयों का धीमा विकास, अनुसंधान शिक्षा एवं जन-स्वास्थ्य कार्यनीतियों के लिए साधन उपलब्ध कराने में प्रतिबद्धता का अभाव शामिल है।

(च) सरकार ने देश में एच.आई.वी./एड्स की रोकथाम तथा नियंत्रण के लिए एक वृहद कार्यक्रम हेतु, 1992 से एक राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम लागू किया है।

मदों का अनारक्षण

1654. श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी: क्या लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने लघु उद्योग क्षेत्र में कुछ मदों को अनारक्षित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) लघु उद्योग में प्रस्तावित निवश की सीमा को बढ़ाए जाने का ब्यौरा क्या है;

(घ) लघु उद्योग क्षेत्र में प्रस्तावित उदारीकरण का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस मामले पर मंत्रियों के समूह ने कुछ सिफारिशें की हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) और (ख) सरकार ने लघु उद्योग क्षेत्र से रेडीमेड गारमेन्ट्स को अनारक्षित करने का निर्णय लिया है जैसा कि राष्ट्रीय वस्त्र नीति, 2000 में घोषित किया जा चुका है।

(ग) से (च) मामला सरकार के विचाराधीन है।

[हिन्दी]

नए लघु उद्योगों को स्थापित किया जाना

1655. श्री राम टहल चौधरी: क्या लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने लघु उद्योगों की स्थापना हेतु कुछ जिलों का चयन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थानवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) नए लघु उद्योगों को स्थापित करने के लिए कौन से मानदंड निर्धारित किए गए हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार किसी लघु उद्योग (एस.एस.आई.) इकाई की स्थापना या लघु उद्योग की स्थापना हेतु किसी स्थल का चयन नहीं करती है। देश में लघु उद्योग इकाईयों की स्थापना वैयक्तिक उद्यमियों द्वारा की जाती है।

व्यापक स्वास्थ्य नीति

1656. श्री गजेन्द्र सिंह राजुखेड़ी: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2000-2001 के अंत तक प्रत्येक नागरिक को प्राथमिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रस्तावित व्यापक चिकित्सा नीति पर कार्य करना आरंभ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें आयुर्वेद, योग, सिद्धा और होमियोपैथी को कितना अधिमान दिया गया है; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ग) नई दिल्ली में दिनांक 8 से 10 अप्रैल, 1999 तक आयोजित केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण परिषद, शीर्ष परामर्शी विकास के छठे सम्मेलन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के प्रारूप पर विचार-विमर्श किया गया था। परिषद ने राज्य स्तर पर जन स्वास्थ्य आधारभूत ढांचे, चिकित्सा शिक्षा, अन्तरक्षेत्रीय समन्वय तथा भारतीय चिकित्सा पद्धति व आधुनिक चिकित्सा पद्धति आदि के बीच तालमेल सहित मानव संसाधन विकास को सुदृढ़ करने के लिए कार्यनीतियों के और गहन परीक्षण के सुझाव दिए थे। तदनुसार, विभिन्न सुझावों को समाविष्ट करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के प्रारूप को समुचित रूप में पुन: तैयार किया जा रहा है।

[अनुवाद]

पूंजी बाजार-सीएमसी लिमिटेड से धन प्राप्त करना

1657. **श्री राम मोहन गाड्डे:** क्या सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सीएमसी लिमिटेड ने अपनी विस्तार योजनाओं के लिए पूंजी बाजार से धन प्राप्त करने की अनुमति मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) निगम को अपनी विस्तार योजना को लागू करने में सक्षम बनाने हेतु कब तक अनुमति प्रदान की जाएगी; और

(घ) यदि नहीं, तो उक्त कंपनी के विस्तार कार्यक्रम को लागू करने हेतु सरकार द्वारा कौन से अन्य उपाय किये जा रहे हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) मामला सरकार के विचाराधीन है।

[हिन्दी]

जल प्रबंधन संबंधी केन्द्रीय जल आयोग की रिपोर्ट

1658. **श्री शावर चन्द गेहलोत:** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार को आज तक केन्द्रीय जल आयोग से जल प्रबंधन, जल जमाव एवं बाढ़ नियंत्रण के संबंध में कितनी रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं;

(ख) इस संबंध में इन रिपोर्टों में केन्द्रीय जल आयोग द्वारा क्या सुझाव दिये गए हैं/सिफारिशें की गई हैं; और

(ग) केन्द्रीय जल आयोग द्वारा दिए गए इन सुझावों/की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

जल-संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) हाल में, केन्द्रीय जल आयोग ने अन्य रिपोर्टों के साथ बाढ़ प्रबंधन, जल प्रबंधन, आदि के संबंध में निम्नलिखित रिपोर्टें तैयार की हैं:

(1) नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए बाढ़ प्रबंधन संबंधी कार्य दल रिपोर्ट।

(2) दूर-संवेदी और अन्य आंकड़ों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन प्रणाली-बाढ़ खतरा क्षेत्र संबंधी जल संसाधन की वैज्ञानिक समिति के तहत कार्य दल की रिपोर्ट।

(3) पश्चिमोत्तर क्षेत्र के लिए बाढ़ प्रबंधन संबंधी कार्य दल की रिपोर्ट।

(4) डिसनेट (सिंचाई वितरण प्रणाली नेटवर्क) संबंधी राष्ट्रीय दिशा-निर्देश।

(5) सिंचाई परियोजनाओं में सतही और भू-जल के संयुक्त उपयोग संबंधी आयोजन के लिए दिशा-निर्देश।

(6) सिंचाई प्रबंधन नीति संबंधी मसौदा।

(7) "जल संरक्षण", 1991 संबंधी लेख

(8) राजस्थान राज्य के सिंचित कमानों में जल निकास समस्याओं संबंधी स्थिति रिपोर्ट।

(9) पंजाब राज्य के सिंचित कमानों में जल निकास समस्या संबंधी स्थिति रिपोर्ट।

(10) "जल जमाव, मृदा लवणता और क्षारता"- जल संसाधन मंत्रालय द्वारा गठित कार्य दल की एक रिपोर्ट जिसमें केन्द्रीय जल आयोग के सदस्य प्रतिनिधि थे।

(ख) केन्द्रीय जल आयोग द्वारा इन रिपोर्टों में दिए गए सुझाव/सिफारिश का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:

(1) नौवीं योजना के दौरान देश में बाढ़ प्रबंधन के लिए व्यापक प्रस्ताव के साथ ही इसके लिए अपेक्षित वित्तीय परिव्यय।

(2) दिशा-निर्देशों, पद्धतियों और प्रायोगिक स्कीमों के साथ-साथ देश में बार-बार बाढ़ से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों के लिए दूर-संवेदी और अन्य आंकड़ों का प्रयोग करते हुए बाढ़ जोखिम मण्डलीकरण के लिए सिफारिश।

(3) देश में उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र में बाढ़ समस्याओं की समीक्षा की गई और समस्या के समाधान के लिए नीतिगत उपायों, संरचनात्मक तथा गैर-संरचनात्मक उपाय करने का सुझाव दिया गया।

(4) रिपोर्टों के क्रम संख्या क (4-10) पर, देश में जल के अधिकतम उपयोग के लिए सिंचाई प्रणालियों के प्रबंधन, जल जमाव की स्थिति, मृदा लवणता और क्षारीयता के वास्ते वितरण प्रणालियों की आयोजना, डिजाइन, प्रचालन और रख-रखाव करने तथा भूमि-गुणवत्ता ह्रास को रोकने तथा खराब भूमि का जीर्णोद्धार करने, जल जमाव को रोकने के लिए सतही जल के साथ भूजल का संयुक्त उपयोग करना तथा उपलब्ध दुर्लभ जल संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना इत्यादि प्रकाशित किए गए हैं।

(ग) जहां तक रिपोर्ट में उपरोक्त क्रम सं. क(1) का संबंध हैं, योजना आयोग ने बाढ़ प्रबंधन के वास्ते नौवीं पंचवर्षीय योजना परिव्यय को अंतिम रूप देते समय रिपोर्ट पर ध्यान दिया है। अन्य रिपोर्ट मूल रूप में संबंधित राज्यों को उनके दिशा-निर्देश तथा आवश्यक कार्रवाई करने के लिए भेजी गई है।

[अनुवाद]

डेपो प्रभेरा (डी.ई.पी.ओ. पी.आर.ए.बी.एच.ई.आर.ए.)

1659. श्री महबूब जहेदी:
श्री मुद्रागाड्डा पद्मानाभम्:
श्री दलपत सिंह परस्ते:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राज्य अमेरिका की एक बहुराष्ट्रीय कंपनी भारत में "डेपो प्रभेरा" (डी.ई.पी.ओ. पी.आर.ए.बी.एच.ई.आर.ए.) नामक एक जन्म नियंत्रक इंजेक्शन लाने पर विचार कर रही है और केन्द्र सरकार इस इंजेक्शन को अपने परिवार कल्याण कार्यक्रम में सूचीबद्ध करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस इंजेक्शन के गंभीर दुष्प्रभावों की सूचना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) महिलाओं की सुई के रूप में लगाए जाने वाले गर्भनिरोधक मेड्रॉक्सी प्रोगेस्ट्रॉन एक्सीटेट (150 मि.ग्रा.) के एक ब्रांड "डेपो प्रोवेरा" का भारत में 1994 से मैसर्स फार्मेसिया एंड अपजॉन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से विपणन किया जा रहा है। भारत सरकार की राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम में इस इंजेक्शन को शामिल करने की कोई तात्कालिक योजना नहीं है।

(ग) और (घ) डेपो प्रोवेरा के इतर प्रभावों में मासिक धर्म की अनियमितता, लंबे समय तक खून बहना तथा अनियमित रूप से खून बहना शामिल हैं। अन्य इतर प्रभाव सिरदर्द, चक्कर आना, पेट संबंधी गड़बड़, मुंहासे निकलना, दाग निकलना, पुरिटिस आदि हैं। कुछ महिलाओं के वजन बढ़ जाते हैं।

राष्ट्रीय लघु उद्योग विस्तार प्रशिक्षण संस्थान

1660. श्री ए.डी.के. जयशीलन: क्या **लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तमिलनाडु में राष्ट्रीय लघु उद्योग विस्तार प्रशिक्षण संस्थान का पर्यावरण कंसर्न केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) पर्यावरण संबंधी केन्द्र लघु उद्योग प्रशिक्षण विस्तार संस्थान संबंधी राष्ट्रीय संस्थान, हैदराबाद जोकि अच्छी प्रकार से सुसज्जित है और देश में सभी राज्यों को अपनी सेवाएं प्रदान कर सकता है, पर ध्यान देता है।

चिकित्सा और दन्त चिकित्सा महाविद्यालय

1661. **श्री टी. गोविन्दन:**
श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा:
श्री आर.एस. पाटिल:
श्री जसवंत सिंह बिश्नोई:
प्रो. उमा रेड्डी वेंकटेश्वरलु:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष राज्य-वार कितने चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना की गई है;

(ख) क्या सरकार को नए चिकित्सा महाविद्यालयों/दन्त चिकित्सा महाविद्यालय खोलने हेतु राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) राज्य-वार कितने चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालय खोलने की स्वीकृति दी गई है; और

(ङ) सरकार द्वारा चिकित्सा/दन्त चिकित्सा महाविद्यालय खोलने हेतु राज्य-वार और योजना-वार कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) सूचना संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) और (ग) अधोलिखित राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं:

(1) आंध्र प्रदेश—मेडिकल कालेज, अनन्तपुर

(2) महाराष्ट्र—मेडिकल कालेज, कोल्हापुर

(3) तमिलनाडु—मेडिकल कालेज, वेल्लोर

(4) सफदरजंग अस्पताल—नई दिल्ली में केन्द्र सरकार द्वारा मेडिकल कालेज की स्थापना।

(घ) सूचना संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ङ) "स्वास्थ्य" राज्य का विषय होने के नाते केन्द्र सरकार की राज्य सरकार को नए मेडिकल/दन्त चिकित्सा कालेज खोलने हेतु धनराशि देने की कोई योजना नहीं है। जहां तक सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में मेडिकल कालेज की स्थापना का संबंध है, कालेज को चलाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी।

विवरण-I

वर्ष 1998 के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा अनुमति प्रदत्त राज्यवार नए मेडिकल/दन्त चिकित्सा कालेज

क्र.सं.	राज्य का नाम	संख्या	
		मेडिकल कालेज	दंत चिकित्सा कालेज
1.	आंध्र प्रदेश	1	-
2.	हिमाचल प्रदेश	-	1
3.	कर्नाटक	-	3
4.	पंजाब	-	2
5.	तमिलनाडु	1	1
6.	उत्तर प्रदेश	-	1

वर्ष 1999 के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा अनुमति प्रदत्त राज्यवार नए मेडिकल/दन्त चिकित्सा कालेज

क्र.सं.	राज्य का नाम	संख्या	
		मेडिकल कालेज	दंत चिकित्सा कालेज
1.	आंध्र प्रदेश	2	-
2.	गुजरात	-	1
3.	हिमाचल प्रदेश	1	1
4.	कर्नाटक	3	1
5.	महाराष्ट्र	-	1
6.	तमिलनाडु	-	1
7.	उत्तर प्रदेश	-	2

वर्ष 2000 के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा अनुमति प्रदत्त राज्यवार नए मेडिकल/दन्त चिकित्सा कालेज

क्र.सं.	राज्य का नाम	संख्या	
		मेडिकल कालेज	दंत चिकित्सा कालेज
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	1	2
2.	गुजरात	2	1
3.	कर्नाटक	1	-

1	2	3	4
4.	केरल	1	-
5.	मध्य प्रदेश	-	2
6.	महाराष्ट्र	-	1
7.	पंजाब	-	2
8.	राजस्थान	-	23
9.	तमिलनाडु	1	-
10.	उत्तर प्रदेश	-	5

विवरण-II

वर्ष 1993 में भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम एवं दन्त चिकित्सा अधिनियम में संशोधन के बाद केन्द्र सरकार द्वारा अनुमति प्रदत्त राज्यवार नए मेडिकल/ दन्त चिकित्सा कालेज

क्र.सं.	राज्य का नाम	मेडिकल कालेजों की संख्या	दंत चिकित्सा कालेजों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	4	2
2.	गुजरात	4	2
3.	हरियाणा	-	2
4.	हिमाचल प्रदेश	1	4
5.	जम्मू व कश्मीर	1	-
6.	कर्नाटक	4	12
7.	केरल	2	-
8.	मध्य प्रदेश	-	2
9.	महाराष्ट्र	2	3
10.	उड़ीसा	-	1
11.	पांडिचेरी	1	-
12.	पंजाब	1	7
13.	राजस्थान	-	3
14.	तमिलनाडु	3	3
15.	उत्तर प्रदेश	2	13
	कुल	25	54

समुद्र से पेयजल

1662. श्री पी.एस. गढ़वी: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को गुजरात के कच्छ को जलापूर्ति करने हेतु रिवर्स ऑसमोसिस प्लांट की प्रक्रिया द्वारा समुद्री जल की उपयोगिता करने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ग) इस पर कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की आशा है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

[हिन्दी]

दिल्ली अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम

1663. श्री रवि प्रकाश वर्मा: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री 4.4.2000 के अंतारांकित प्रश्न संख्या 4998 और 17.5.2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7998 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अब तक अपेक्षित सूचना एकत्रित कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) और (ख) दिनांक 4 अप्रैल, 2000 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के लिए किसी अतारांकित प्रश्न संख्या 4998 को स्वीकार नहीं किया गया था। यह इस मंत्रालय का प्रश्न दिवस भी नहीं था। अतारांकित प्रश्न संख्या 4998 का उत्तर इस मंत्रालय द्वारा दिनांक 26.4.2000 को दिया गया था।

दिनांक 17 मई, 2000 को अतारांकित प्रश्न संख्या 7998 के संबंध में एक आश्वासन दिया गया था जिसके लिए कार्यान्वयन रिपोर्ट दिनांक 27 सितम्बर, 2000 को भेज दी गई है।

प्रश्न संख्या 4998 के उत्तर तथा प्रश्न संख्या 7998 से संबंधित कार्यान्वयन के ब्यौरे की एक-एक प्रति विवरण-I तथा II के रूप में संलग्न है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण I

दिल्ली अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम को वित्तीय सहायता

4998. श्री हरीभाऊ शंकर महाले: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष दिल्ली अनुसूचित जाति और विकास निगम लिमिटेड को योजनावार कितनी वित्तीय सहायता दी गई;

(ख) दिल्ली अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम लिमिटेड द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के तहत ऋण देने के लिए पारिवारिक आय का विश्लेषण और मूल्यांकन करने हेतु क्या मानदंड हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जातियों के कल्याण हेतु दिल्ली अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम द्वारा कितनी योजनाएं शुरू की गईं;

(घ) प्रत्येक योजना के अंतर्गत अलग-अलग कितने व्यक्तियों ने आवेदन किया;

(ङ) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक योजना के अंतर्गत आवेदनकर्ताओं का चयन करने के लिए क्या मानदंड अपनाए गए और उन्हें अलग-अलग कितने ऋण का संवितरण किया गया है;

(च) क्या सरकार को आवेदनों की जांच करने में भारी कदाचार की जानकारी है;

(छ) यदि हां, तो क्या इस संबंध में दिल्ली अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम लिमिटेड के अधिकारियों के विरुद्ध अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ज) यदि हां, तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है/किये जाने का विचार है और आवेदकों के हितों की रक्षा करने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) राज्य अनुसूचित जाति विकास निगमों को सहायता की योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार दिल्ली अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम सहित सभी राज्य अनुसूचित जाति विकास निगमों को शेयर इक्विटी में 49:51 के अनुपात में भाग लेती है। इस योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रदान की गई वित्तीय सहायता इस प्रकार है:-

वर्ष		प्रदान की गई वित्तीय सहायता
1997-98	-	223.95 लाख रु.
1998-99	-	शून्य
1999-2000	-	शून्य

(ख) ऋण की मंजूरी के लिए, यदि आवेदक अविवाहित हो तो उसके माता-पिता की आय को शामिल किया जाता है और यदि आवेदक शादी-शुदा हो तो उसके परिवार के सदस्यों की आय शामिल की जाती है।

अधिक धनराशि के ऋण के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा जारी किए गए आय प्रमाण-पत्र पर विचार किया जाता है। बैंक ग्राह्य योजना में आवेदक से केवल शपथपत्र अपेक्षित होता है। उपर्युक्त के अतिरिक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा जारी किए गए राशनकार्ड तथा अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र की फोटो प्रति की मांग की जाती है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान 12 योजनाएं शुरू की गई हैं।

(घ) ब्यौरे अनुबंध में दिए गए हैं।

(ङ) बैंक ग्राह्य योजनाओं तथा राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी मुक्ति एवं पुनर्वास योजना के अंतर्गत ऋण:

यह निगम समाचार-पत्र में प्रकाशित विज्ञापनों के माध्यम से आवेदन-पत्र आमंत्रित करता है। एक जांच समति जिसमें महाप्रबंधक, बैंक के ऋण अधिकारी, संबंधित बैंक प्रबंधक तथा डी.एस.एफ.डी.सी. के क्षेत्र निरीक्षक शामिल होते हैं, प्रबंध निदेशक के अनुमोदन से ऋणों की मंजूरी के लिए व्यवहार्य योजनाओं की सूक्ष्म जांच तथा बैंकों को इनकी संस्तुति करते हैं। इन प्रस्तावों पर अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र तथा

आय प्रमाण-पत्र (गरीबी की रेखा के नीचे अर्थात् 21,206/- रु. प्रतिवर्ष) और वैध राशन कार्ड की स्थिति के आधार पर कार्रवाई की जाती है।

एन.एस.एफ.डी.सी. योजनाओं के अंतर्गत ऋण:

आवेदन-पत्र समाचार-पत्रों में विज्ञापनों के माध्यम से आमंत्रित किये जाते हैं। लाभग्राहियों का चयन एक समिति द्वारा किया जाता है जिसमें महाप्रबंधक/प्रबन्ध निदेशक, निदेशक मंडल के दो प्रतिनिधि तथा एन एस एफ डी सी का एक एक प्रतिनिधि शामिल होता है। एन.एस.एफ.डी.सी. द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंडों के आधार पर लाभग्राही के पास राशन कार्ड होना चाहिए और उसे अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र एवं आय प्रमाण-पत्र (यह दर्शाते हुए कि वह गरीबी की रेखा के दुगुने के नीचे जीवन-यापन कर रहा है।) भी प्रस्तुत करना चाहिए। परिवहन क्षेत्र के लिए ऋणों के मामले में वैध ड्राइविंग लाइसेंस रखना जरूरी है। केवल पात्र व्यक्ति ही साक्षात्कार के लिए बुलाए जाते हैं और अन्तिम साक्षात्कार में निष्पादन के आधार पर किया जाता है।

एन.एस.एफ.डी.सी. योजनाओं के अंतर्गत ऋण

उच्च तकनीकी शिक्षा के लिए : आवेदक का भारत में कहीं पर किसी मान्यता प्राप्त सरकारी तकनीकी संस्थान में प्रवेश होना चाहिए और उसे आवश्यक रूप से दिल्ली का स्थायी निवासी होना चाहिए जिसके पास अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र हो और उसके परिवार की मासिक आय 2,000 रु. से अधिक नहीं हो।

प्रशिक्षण योजनाएं : उम्मीदवार को आवश्यक रूप से दिल्ली का निवासी होना चाहिए, उसके पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र होना चाहिए और परिवार की आय प्रतिमाह 2,000 रु. से अधिक नहीं होनी चाहिए। उम्मीदवारों का चयन हायर सेकेण्ड्री स्कूल परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाता है आवेदकों को संवितरित ऋण संबंधी ब्यौरे अनुबंध में दिए गए हैं।

(च) और (छ) जी, नहीं।

(ज) प्रश्न नहीं उठता।

अनुबंध

योजनाएं	वर्ष	प्राप्त आवेदन	स्वीकृत/संवितरित आवेदन
1	2	3	4
बैंक ग्राह्य योजनाएं:			
1. सामान्य ऋण योजना	1997-1998	5207	2245
	1998-1999	2789	1788
	1999-2000	1642	2232
2. सफाई कर्मचारियों	1997-1998	2965	1258
की मुक्ति एवं पुनर्वास	1998-1999	2159	1786
की राष्ट्रीय योजना	1999-2000	439	2011
एन.एस.एफ.डी.सी.			
सहायताप्राप्त योजनाएं			
1. परिवहन ऋण	1997-1998	शून्य	35*
	1998-1999	275	20
	1999-2000	1015	26

1	2	3	4
2. टी.एस.आर. की खरीद	1997-1998	शून्य	शून्य
	1998-1999	शून्य	15
	1999-2000	07	06
3. बस की खरीद	1997-1998	शून्य	03
	1998-1999	शून्य	शून्य
	1999-2000	02	02
डी.एस.एफ.डी.सी. योजनाएं :			
1. उच्चतर तकनीकी	1997-1998	23	23
शिक्षा के लिए ऋण	1998-1999	18	18
	1999-2000	31	31
प्रशिक्षण योजनाएं			
1. फुटवीयर डिजाइन में प्रशिक्षण	1998-1999	50	56
	1999-2000	50	73
2. कम्प्यूटर साफ्टवेयर विकास में परिक्षण	1997-1998	500	500
	1998-99	500	500
3. अन्य उद्योगों में प्रशिक्षण	1999-2000	500	700
	1997-1998	250	271
	1998-1999	200	200
	1999-2000	200	250
4. सफाई कर्मचारियों को प्रशिक्षण	1997-1998	200	215
	1998-1999	200	203
	1999-2000	200	263

*नए आवेदन आमंत्रित नहीं किये गये हैं।

अनुबंध-II

तेहरवीं लोक सभा का तीसरा सत्र, 2000

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

प्रश्न संख्या तारीख तथा संसद सदस्य का नाम	विषय	दिया गया आश्वासन	कब और कैसे पूरा किया गया	पूर्ति की तारीख विलम्ब का कारण
1	2	3	4	5
दिनांक 17.5.2000 के लिए श्री हरिभाऊ शंकर महाले द्वारा	**दिल्ली अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम लिमिटेड**			इसमें समय लगा क्योंकि अपेक्षित सूचना दिल्ली अनुसूचित जाति वित्त और

1	2	3	4	5
पूछा गया अतारांकित प्रश्न संख्या 7998	पूछा गया था कि:-			विकास निगम से एकत्र की जानी थी।
	(क) फोटोकापियर मशीन खरीदने हेतु ऋण मुहैया कराए जाने के लिए कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं;	(क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही	अपेक्षित सूचना दिल्ली अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम से प्राप्त कर	
	(ख) उक्त ऋण मुहैया कराए जाने के लिए निर्धारित आय सीमा से अधिक आय के आधार पर रद्द किए गए प्रत्येक आवेदन का ब्यौरा क्या है;	है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।	ली गई है। प्रश्न के भाग (क) से (च) के संबंध में उत्तर नीचे दिया गया:- (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान फोटोकापियर मशीन खरीदने के लिए ऋण की मंजूरी हेतु	
	(ग) प्रत्येक मामले में उन मंडल मजिस्ट्रेटों द्वारा विधिवत सत्यापित और आवेदक द्वारा घोषित आय क्या है;		डीएससीएफडीसी द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या नीचे दी गई है:-	
	(घ) प्रत्येक मामले में दिल्ली अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम के अधिकारी द्वारा निर्धारित आय क्या है और उनके निर्धारण का आधार क्या है;		(ख) से (च) 1997-98 के दौरान निम्नलिखित 3 मामलों को रद्द किया गया:-	
	(ङ) इस संबंध में दिल्ली अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम को कितनी शिकायतें मिली हैं, और		1. श्री राजू सुपुत्र श्री भानो निवासी 10/47 खिचड़ीपुर, दिल्ली	
	(च) अब तक इस पर क्या कार्यवाही की गई है तथा इस संबंध में क्या कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव है?		2. श्री भूपेन्द्र कुमार सुपुत्र श्री लक्ष्मण सिंह निवासी न्यू क्वाटर नं. 575, गांव खेड़ा खुर्द, दिल्ली	
			3. श्री सुशील कुमार सुपुत्र श्री सोनी सिंह निवासी 9-ए, एसपी मुखर्जी मार्ग, दिल्ली।	
			1999-2000 के दौरान श्री राजेश सुपुत्र श्री मूलचन्द से संबंधित एक आवेदन पत्र रद्द किया गया।	
			श्री राजू (क्र.सं.1) और सुशील कुमार (क्रम. सं. 3) ने एसडीएम द्वारा जारी किया गया कोई आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया था।	
			श्री भूपेन्द्र (क्र.सं. 2) सुपुत्र श्री लक्ष्मण सिंह ने 2000 रुपये प्रति माह की आय दर्शाने वाला एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया था।	
			श्री राजेश कुमार सुपुत्र श्री मूल चन्द्र ने एसडीएस द्वारा जारी किया गया आय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया था। इसके अनुसार आय 18000 रुपये प्रति वर्ष बताई गई है। आवेदक के पिता संसद में कार्यपालक अधिकारी हैं और आवेदक स्वर्य संसद सदस्य श्री आर.के. मालवीय के साथ कार्य कर रहे हैं और लगभग 2000 रुपये प्रति महीना कमा रहे हैं। इसके अतिरिक्त	

वर्ष	प्राप्त आवेदन पत्र
1997-98	175
1998-99	103
1999-2000	115

1	2	3	4	5
			आवेदक के पिता का पश्चिम विहार में तीन मंजिला मकान है और लगभग 3000 रुपये प्रति महीना किराए के रूप में कमा रहे हैं सक्षम प्राधिकारी ने उपर्युक्त सभी 4 मामलों पर विचार किया है और यह पाया है कि इन आवेदकों की सभी स्रोतों से पारिवारिक आय योजना में निर्धारित सीमा से अधिक है और इसलिए उपर्युक्त सभी 4 मामलों को निगम द्वारा रद्द कर दिया गया था। डीएसएफडीसी के अध्यक्ष निगम की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत आय के मानदंडों को परिभाषित करने वाली पद्धति की समीक्षा की गई और यह निर्णय लिया है कि जहां आवेदक वयस्क है उसे अलग अस्तित्व के रूप में समझा जाएगा और माता-पिता की आय को इस लाभार्थी की आय के साथ शामिल नहीं किया जाना चाहिए। तदनुसार उपर्युक्त सभी चार मामलों की समीक्षा की जा रही है जिससे इन सभी को इस संबंध में 3.7.2000 को विभिन्न समाचार-पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों के जवाब में फिर आवेदन करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है।	

[अनुवाद]

लंबित जलापूर्ति परियोजनाएं

1664. श्री सुरेश रामराव जाधव: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र की विशेषकर IV/मुम्बई (मध्य वैतर्न) की कितनी जलापूर्ति परियोजनाएं तकनीकी मंजूरी हेतु केन्द्रीय जल आयोग के पास लंबित पड़ी हुई हैं;

(ख) क्या परियोजनाओं को मंजूरी दिए जाने में कोई विलंब हुआ है; और

(ग) इन परियोजनाओं को कब तक मंजूरी प्रदान की जायेगी?

जल-संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) से (ग) मुम्बई महानगर की नगर पालिका से बांध निर्माण एवं सुरक्षा से संबंधित केवल एक जल आपूर्ति परियोजना अर्थात मुम्बई-IV मध्य वैतर्ना परियोजना तकनीकी जांच के लिए सितम्बर, 1993 में केन्द्रीय जल आयोग (सी.डब्ल्यू.सी.) को प्राप्त हुई है। इन परियोजना प्राधिकारियों से जनवरी, 2000 में टिप्पणियों के अन्तिम अनुपालन की प्राप्त सूचना के आधार पर केन्द्रीय जल आयोग ने फरवरी, 2000 में तकनीकी पहलुओं पर स्वीकृति प्रदान की है।

गुटनिरपेक्ष आंदोलन

1665. श्री एन.एन. कृष्णदास: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधान मंत्री अपनी अमेरिकी यात्रा के दौरान संयुक्त राष्ट्र सहस्त्राब्दी शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संबध में कोई वक्तव्य दिया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) और (ख) सहस्त्राब्दी शिखर सम्मेलन को संबोधित करते समय प्रधान मंत्री ने गुट निरपेक्ष आंदोलन का विशेष उल्लेख नहीं किया। तथापि अपने संबोधन में उन्होंने अपेक्षाकृत अधिक सामान्य शब्द "विकासशील देशों" का प्रयोग करके गुट निरपेक्ष आंदोलन की हित-चिन्ताओं को उजागर किया था, इस संबोधन में प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित मुद्दे उठाए थे:-

- चिन्ता प्रकट की थी कि घटते हुए संसाधनों के कारण विकासशील देशों को अपने सामाजिक दायित्व पूरा करने में लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

- विकासशील देशों में एचआईवी/एड्स के प्रभावों पर चिंता प्रकट की।

- अनियमित एवं सुगम पूंजी प्रवाह तथा पूंजी के अनियंत्रित प्रवाह के अस्थिरताकारी प्रवाह के कारण विकासशील देशों को होने वाले जोखिमों का हवाला दिया।

- अन्तर्राष्ट्रीय वित्त प्रणाली सहित नीति निर्धारण के प्रमुख मंचों पर विकासशील देशों की अधिक भागीदारी का आह्वान किया।

- विस्तारित सुरक्षा परिषद में विकसित एवं विकासशील देशों से नए स्थायी सदस्य बनाने का आह्वान किया।

कैंसर की बीमारी

1666. श्री पवन कुमार बंसल: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की एक रिपोर्ट के अनुसार देश में कैंसर की बीमारी बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो इस समय देश में कैंसर के कितने मामले हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) पिछले दशक में जनसंख्या आधारित कैंसर रजिस्ट्रियों के आंकड़े के समयपरक विश्लेषण से पता चलता है कि सभी शहरी कैंसर रजिस्ट्रियों में पुरुष और महिला दोनों में कैंसर की बीमारी में कुल मिलाकर कम लेकिन महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।

(ख) बंगलौर, मुम्बई और मद्रास में जनसंख्या आधारित कैंसर रजिस्ट्रियों के आंकड़े के आधार पर वर्ष 1992 में कैंसर के नए रोगियों की अनुमानित संख्या 644, 600 थी। आयु विशिष्ट रोग में किसी भी परिवर्तन को न मानते हुए वर्ष 2001 में कैंसर से 806000 लोगों के ग्रसित होने की प्रत्याशा है।

(ग) राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम को सुदृढ़ करने के लिए भारत सरकार ने रोग की शुरू में ही पहचान करने तथा इसके प्रति जागरूकता पैदा करने और उपचार हेतु निम्नलिखित स्कीमें शुरू की हैं:-

(1) विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों को समुन्नत करना।

(2) विनिर्दिष्ट मेडिकल कालेजों/अस्पतालों में "ऑक्कोलॉजी" स्कंध का विकास।

(3) देश के विभिन्न भागों में कोबॉल्ट थेरापी सुविधाओं की स्थापना।

(4) "मॉडिफाइड डिस्ट्रिक्ट कैंसर कन्ट्रोल प्रोग्राम" नामक प्रायोगिक परियोजना सहित जिला कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम।

(5) गैर-सरकारी संगठनों को समय पर कैंसर रोग का प्रारंभिक अवस्था में ही पता लगाने और जन-जागरण गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता।

[हिन्दी]

झाग वाले शैम्पू और टूथपेस्ट से कैंसर

1667. श्री ब्रह्मानंद मंडल: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 16 अक्तूबर, 2000 के "राष्ट्रीय सहारा" दिल्ली संस्करण में "अधिक झाग वाले शैम्पू और टूथपेस्ट से कैंसर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो अतिशय झाग वाले शैम्पू और टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) जी, हां। सोडियम लाउरेल सल्फेट (एसएलएस) झाग पैदा करने वाला एजेन्ट और इमल्सीकारक है और विश्व भर में प्रसाधन सामग्री में प्रयोग में लाया जाता है एवं सुरक्षित घटक माना जाता है। औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के अंतर्गत प्रसाधन सामग्री हेतु निर्धारित मानक भी एस एल एस के प्रयोग की अनुमति देता है और भारत में बनाई गई, विपणन की गई सभी प्रसाधन सामग्री को इन मानकों का अनुपालन करना पड़ता है। एस एल एस को कैंसर की बीमारी से जोड़ने संबंधी अध्ययनों की कोई सूचना नहीं है।

(ग) उपर्युक्त (क) और (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

साइबर अपराध

1668. श्री पी.डी. एलानगोवन:
श्री ब्रह्मानन्द मंडल:
श्री चन्द्रकांत खैरे:

क्या सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार साइबर अपराधों व अवैध साइबर संबंधी कार्यों से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा विशेषकर वित्त और रक्षा के मामले में संभावित खतरों को टालने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं और किन देशों के साथ इस मुद्दे को लेकर चर्चा की गई है तथा देश में जिन साइबर अपराधों की खबर है उनका राज्यवार सांख्यिकीय ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने साइबर अपराधों पर नजर रखते हुए किसी सी.बी.आई. प्रकोष्ठ का गठन किया है;

(घ) यदि हां, तो सी.बी.आई. प्रकोष्ठ द्वारा अब तक कितने मामले दर्ज किए जा चुके हैं;

(ङ) इन पर क्या कार्यवाही हुई है;

(च) भारत में अश्लीलता और अभद्र वेबसाइटों पर रोक लगाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(छ) क्या सरकार ने देश में इंटरनेट व ई-मेल की सुविधाओं में सुधार हेतु कोई कदम उठाए हैं; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) जी, हां।

(ख) सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारत में साइबर अपराध कम करने/नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

(1) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 अधिनियमित कर दिया गया है। इस अधिनियम में साइबर अपराध का सामना करने के लिए पर्याप्त प्रावधान हैं। अधिनियम के अलावा, इसके अन्तर्गत अधिसूचित नियमों में सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा संबंधी विस्तृत दिशा-निर्देश हैं।

(2) सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों, नेटवर्कों आदि में सुरक्षा संबंधी मुद्दों के लिए सम्पर्क का एक ही विश्वसनीय स्थल उपलब्ध कराने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय अन्य देशों के कम्प्यूटर आपात उत्तरदायी दलों के अनुसरण में सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा केन्द्र स्थापित करने की एक परियोजना कार्यान्वित कर रहा है।

(3) सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की गई सूचना सुरक्षा प्रबंध (आईएसएम) परियोजा का उद्देश्य देश में जागरूकता पैदा करना, प्रशिक्षण तथा तीसरी पार्टी प्रमाणन उपलब्ध कराना है।

(4) इन्टरनेट पर आधारित लेन-देन/अंकीय हस्ताक्षरों के लिए सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की सार्वजनिक कुंजी मूल संरचना तथा भुगतान प्रणालियों के लिए प्रौद्योगिकियों का विकास करने की प्रायोजित परियोजना भी है। ये परियोजनाएं पूरी होने के उन्नत चरण में हैं।

आस्ट्रेलिया, ब्राजील, फ्रांस तथा सिंगापुर सरकारों के साथ इस मुद्दे के बारे में सामान्य रूप में चर्चा की गई है।

कम्प्यूटर अपराधों से संबंधित कुछ घटनाओं की रिपोर्ट मिली है। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने दो मामले दर्ज किए हैं, जिसके ब्यौरे भाग (ग) में दिए गए हैं।

(ग) जी, हां। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के साइबर अपराधा कक्ष को सितम्बर, 1999 में अधिसूचित किया गया। दिनांक 3.3.2000 को पुलिस अधीक्षक की तैनाती से इसने कार्य करना शुरू कर दिया। यह कक्ष मूल संरचनात्मक सुविधाओं तथा प्रशिक्षित जनशक्ति की दृष्टि से अभी आरम्भिक स्तर पर है।

(घ) दो।

(ङ) (1) धारा 379, 419/420 आईपीसी के अंतर्गत दिनांक 28.6.2000 का मामला सं. आरसी एसआई 8 2000 ई 0001 तथा (2) धारा 120 बी आर/डब्ल्यू 292 आईपीसी के अंतर्गत अगस्त 2000 का मामला सं. आरसी एसआई 8 2000 ई 0002 की जांच की जा रही है।

(च) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में इलेक्ट्रानिक रूप में अश्लील सूचना के प्रकाशन प्रसारण पर कार्रवाई करने का प्रावधान है।

(छ) और (ज) सरकार देश में इन्टरनेट तथा ई-वाणिज्य के विकास के लिए एक सुविधा प्रदानकर्ता है। सरकार द्वारा इन्टरनेट सेवा प्रदानकर्ता (आईएसपी) नीति की घोषणा नवम्बर, 98 में की गई थी। आईएसपी के लिए अंतर्राष्ट्रीय गेटवे तथा सुरक्षा संबंधी मंजूरी के अंतर्गत समुद्रगत तंतु प्रकाशित केबल की प्रत्यक्ष उपलब्धता की अनुमति देकर कई बाधाएं दूर कर दी गई हैं। तब से, विभिन्न श्रेणियों में 399 लाइसेंस जारी किए गए हैं। इससे निजी क्षेत्र द्वारा प्रतिस्पर्धी सेवा का प्रावधान संभव हो पाया है।

सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम

1669. श्री अशोक ना. मोहोल :
श्री ए. वेंकटेश नायक :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1998-99, 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान आज तक शिशु परिचर्या और सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य को कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ख) उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल कार्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) विभिन्न राज्यों में कार्यक्रम के समुचित क्रियान्वयन हेतु केन्द्र सरकार द्वारा क्या दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम जिसमें तत्कालीन बाल जीवन-रक्षा और सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम को वित्तीय वर्ष 1998-99, 1999-2000 तथा चालू वर्ष के दौरान एकीकृत कर दिया गया था, के अंतर्गत प्रत्येक राज्य को जारी की गई धनराशि का ब्यौरा दर्शाने वाला एक विवरण-I संलग्न है।

(ख) प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत उठाये गये कदम दो प्रकार के हैं अर्थात् (1) पूरे देश में लागू होने वाले कदम; (2) कुछ चुने गए जिलों में लागू होने वाले कदम जो

जिलों में प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य की स्थिति पर निर्भर करते हैं। इन कदमों को दर्शाने वाला एक तालिका विवरण-II के रूप में संलग्न है।

(ग) योजना के दिशानिर्देशों को "कार्यान्वयन हेतु प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य योजनाएं" के नाम से एक दस्तावेज के रूप में लेखबद्ध कर दिया गया है। इनमें मुख्यत: प्रशासनिक एवं वित्तीय दिशानिर्देश हैं। बाल जीवन-रक्षा और सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम के अंतर्गत जारी किए गए तकनीकी दिशानिर्देश इस समय चल रहे कार्यकलापों पर लागू होते हैं और इनके साथ-साथ महिला एवं पुरुष बंध्यकरण हेतु मानकों पर दिशानिर्देश, प्रशिक्षण कार्यक्रम पर दिशानिर्देश, पैरामेडिकल कार्मिकों के लिए जननमार्गीय संक्रमण पर दिशानिर्देश और पल्स पोलियो प्रतिरक्षण पर दिशानिर्देश भी उन पर लागू होते हैं। यूरोपीय आयोग से सहायता प्राप्त सैक्टर निवेश कार्यक्रम के अंतर्गत स्वयं कार्यक्रम दस्तावेज में कार्यान्वयन हेतु दिशानिर्देश हैं। इनके परिचालन के लिए कार्यक्रम प्रबन्धकों को पुस्तिका के रूप में पूरक अनुदेश जारी किए गए हैं। ये वृहत दिशानिर्देश राज्यों द्वारा समय-समय पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर में अलग से जोड़े गए हैं और स्पष्ट किए गए हैं।

विवरण-I

प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम-राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में दी गई कुल (सामग्रीगत + नकद) सहायता

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	निम्नलिखित वर्षों के दौरान दी गई सामग्रीगत + नकद सहायता			कुल सहायता
		1998-99	1999-2000	2000-01	
1	2	3	4	5	6
1	आन्ध्र प्रदेश	2,828.72	4,134.36	3,135.84	10,098.92
2.	अरुणाचल प्रदेश	333.22	277.20	101.06	711.47
3.	असम	1,353.90	1,973.39	1,349.69	4,676.97
4.	बिहार	4,622.06	5,959.35	4,809.78	15,391.19
5.	गोवा	68.49	114.28	44.56	227.34
6.	गुजरात	2,478.84	2,515.28	1,858.67	6,852.79
7.	हरियाणा	1,173.54	1,382.80	703.33	3,259.67
8.	हिमाचल प्रदेश	702.12	469.83	225.52	1,397.47
9.	जम्मू कश्मीर	551.19	635.28	396.94	1,583.41
10.	कर्नाटक	2,132.18	2,076.72	1,624.32	5,833.22
11.	केरल	1,762.10	1,479.79	1,445.57	4,687.46
12.	मध्य प्रदेश	4,546.90	5,375.26	4,890.26	14,812.42
13.	महाराष्ट्र	3,749.79	4,528.00	3,319.32	11,597.11
14.	मणिपुर	177.16	638.68	245.96	1,061.80
15.	मेघालय	204.74	242.30	177.04	624.08
16.	मिजोरम	530.39	586.99	160.88	1,278.27

1	2	3	4	5	6
17.	नागालैंड	165.50	223.29	158.17	546.97
18.	उड़ीसा	2,061.83	2,409.46	1,461.81	5,933.09
19.	पंजाब	1,026.00	1,180.27	875.40	3,082.27
20.	राजस्थान	2,872.79	3,743.80	3,537.77	10,154.36
21.	सिक्किम	125.99	93.08	49.27	268.34
22.	तमिलनाडु	2,458.56	2,590.39	1,601.59	6,650.54
23.	त्रिपुरा	411.60	389.84	154.08	955.52
24.	उत्तर प्रदेश	8,239.35	11,402.89	7,883.55	27,525.79
25.	पश्चिम बंगाल	3,203.00	3,795.29	3,065.83	10,064.12
26.	अं. एवं नि. द्वीपसमूह	118.22	52.58	26.09	196.89
27.	चंडीगढ़	55.53	139.49	27.83	222.85
28.	दादरा एवं नगर हवेली	41.23	34.42	10.67	86.32
29.	दमण एवं दीव	35.96	40.40	8.63	85.00
30.	दिल्ली	462.15	458.52	357.07	1,277.74
31.	लक्षद्वीप	36.42	29.38	6.99	72.79
32.	पांडिचेरी	80.89	70.42	26.29	177.59
	योग	48,610.95	59,043.01	38,495.31	151,393.75

*आंकड़े अनन्तिम

छत्तीसगढ़, उत्तरांचल प्रदेश तथा झारखंड के नये बनाए गए 3 राज्यों से संबंधित चालू वर्ष में जारी राशि संबंधित मातृ राज्यों नामत: क्रमश: मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा बिहार के अंतर्गत शामिल हैं।

विवरण-II

सभी जिलों में उठाए जाने वाले कदम	चुने गए राज्यों/जिलों में उठाए जाने वाले कदम
1	2
* बाल जीवन रक्षा उपाय नामत: प्रतिरक्षण, विटामिन-ए (अंधता निवारण के लिए), मुखसेव्य पुनर्जलीकरण (निर्जलीकरण के कारण होने वाली मौत के निवारण के लिए) और न्यूमोनिया (ए.आर.आई.) के कारण होने वाली मौतों का निवारण।	* अनुमंडल स्तर पर जनन-मार्गीय संक्रमण/यौन-संचारित संक्रमण की जांच तथा उपचार।
* सुरक्षित मातृत्व उपाय नामत: प्रसव-पूर्व जांच, टेटनस हेतु प्रतिरक्षण, सुरक्षित प्रसव, रक्त अल्पता नियंत्रण कार्यक्रम।	* प्रथम रेफरल एककों पर आपाती प्रसूति परिचर्या-उनको औषधियां उपलब्ध कराकर।
	* प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर उनको पीएचएन/स्टाफ नर्स उपलब्ध कराकर अनिवार्य प्रसूति परिचर्या।

1	2
* सामुदायिक आवश्यकता निर्धारण दृष्टिकोण का परिचालन। * सांस्थानिक विकास। * एकीकृत प्रशिक्षण पैकेज। * संशोधित प्रबंधन सूचना प्रणाली। * स्वास्थ्य, यौन-संबंध तथा लिंग संबंधी सूचना, शिक्षा एवं संप्रेषण कार्यकलाप तथा परामर्श। * शहरी एवं जनजातीय क्षेत्रों हेतु प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य पैकेज। * जिला अस्पतालों में जनन-मार्गीय संक्रमण/यौन-संचारित संक्रमण (जहां उपलब्ध नहीं हैं)। * प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को उपस्कर तथा संविदा आधारित डॉक्टर आदि प्रदान करके सुरक्षित गर्भपात की सुविधा। * पंचायत, महिला समूह तथा गैर-सरकारी संगठनों के जरिए बढ़ी हुई सामुदायिक भागीदारी। * छोटे-मोटे निर्माण कार्य। * जनन-मार्गीय संक्रमण/यौन-संचारित संक्रमण एवं ई.ओ.सी. के प्रयोगशाला निदान के लिए प्रयोगशाला तकनीकीविदों हेतु प्रावधान। * किशोर स्वास्थ्य एवं प्रजनन स्वास्थ्य विज्ञान।	* मातृ एवं बाल स्वास्थ्य परिचर्या सुनिश्चित करने के लिए कमजोर जिलों में उप-केंद्रों पर अतिरिक्त सहायक नर्स-धात्री। * उप-केंद्रों पर उनको उपस्कर किट, आई.यू.डी. निवेशन तथा सहायक नर्स-धात्री किट उपलब्ध कराकर बेहतर प्रसव सेवाएं और आपाती परिचर्या। * ठेके पर नियुक्त किए गए पी.एच.एन./सहायक नर्स धात्रियों को सरकारी आवास नहीं मिलने पर मकान किराया। * कमजोर जिलों में पंचायतों के जरिए आपात स्थिति के दौरान गर्भवती महिलाओं को नजदीकी रेफरल केंद्र ले जाने के लिए रेफरल परिवहन की सुविधा। * स्थानीय क्षमता वृद्धि के अंतर्गत जिला उप-परियोजनाएं। * प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कैंप। * दाइयों का प्रशिक्षण। * प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य पहुंच बाह्य सेवाओं का सुदृढ़ीकरण।

मानसिक रूप से विकलांग

1670. श्री उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मानसिक रूप से विकलांग लोगों के कल्याण हेतु ट्रस्ट बनाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस ट्रस्ट की अधिशासी परिषद या इसके समतुल्य निकाय के सदस्यों के नाम क्या हैं; और

(घ) तत्संबंधी उद्देश्य क्या हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) जी, हां।

(ख) औटिज्म, प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक मंदता तथा बहु विकलांगता ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याणार्थ राष्ट्रीय न्यास अधिनियम दिनांक 30.12.1999 को पारित किया गया। यह न्यास एक सांविधिक निकाय है और उक्त अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके बोर्ड में एक अध्यक्ष हैं और पंजीकृत संगठनों से नियुक्त किए गए नौ व्यक्ति हैं जिनमें से तीन सदस्य प्रत्येक स्वैच्छिक संगठनों, ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक मंदता तथा बहु विकलांगता ग्रस्त व्यक्तियों के माता-पिता के एसोसिएशन से और विकलांग व्यक्तियों को एसोसिएशन से हैं, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, महिला एवं बाल कल्याण विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, वित्त, श्रम, शिक्षा, शहरी कार्य एवं रोजगार तथा ग्रामीण रोजगार तथा गरीबी उपशमन मंत्रालयों से संबंधित भारत सरकार में संयुक्त

सचिव के स्तर के आठ व्यक्ति, परोपकारी गतिविधियों में लगे व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग के एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व करने वाले 3 व्यक्ति (इस समय रिक्त) तथा संयुक्त सचिव, भारत सरकार, के पद के एक मुख्य कार्यपालक अधिकारी हैं। इस बोर्ड (मंडल) का गठन दिनांक 22.9.2000 की अधिसूचना के तहत किया गया।

(ग) इस ट्रस्ट के कार्य-व्यापार का सामान्य पर्यवेक्षण, निर्देशन तथा प्रबंधन कार्य एक बोर्ड में निहित है।

बोर्ड के सदस्यों के नाम निम्नलिखित हैं:-

(क) श्रीमती मेरी बरूआ

(ख) श्रीमती शारदा फतेहपुरिया

(ग) श्रीमती रूक्मणी कृष्णास्वामी

(घ) श्री दामोदर तिलक

(ङ) श्री एस.सी. पंत

(च) श्री अखिल पॉल

(छ) श्रीमती मार्लेने कामदार

(ज) डा. श्रीमती राजम पिल्लै

(झ) श्रीमती रेणु साहनी धर (संयुक्त सचिव)

(ञ) श्रीमती बी.एस. राव (संयुक्त सचिव)

(ट) श्री मदन मोहन झा (संयुक्त सचिव)

(ठ) श्री एस. बनर्जी (संयुक्त सचिव)

(ड) डा. पी.वी. थोमस (संयुक्त सचिव)

(ढ) श्री कृष्णन (संयुक्त सचिव)

(ण) श्रीमती गौरी चटर्जी (संयुक्त सचिव)

(त) श्रीमती आशा दास (अध्यक्ष एवं सचिव)

(थ) श्रीमती जयंती चन्द्रा (मुख्य कार्यपालक अधिकारी)

(घ) यह न्यास मुख्य रूप से ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक मंदता तथा बहु विकलांगताग्रस्त व्यक्ति तथा उनके परिवारों के अधिकारों का समर्थन करेगा, उनके परिवारों के अधिकारों का समर्थन करेगा, उनके विकास को बढ़ावा देगा तथा उनके हितों की रक्षा करेगा। इस लक्ष्य की दिशा में यह राष्ट्रीय न्यास उन कार्यक्रमों को समर्थन देगा जो स्वावलम्बन को बढ़ावा देते हैं, जब आवश्यक हो अभिभावकत्व को सुसाध्य बनाते हैं और उन विशेष व्यक्तियों की चिन्ताओं का निराकरण करेगा जिनका अपना पारिवारिक सहारा नहीं है। यह न्यास अन्य बातों के साथ-साथ ऊपर उल्लिखित श्रेणियों के व्यक्तियों के हितों की उनके माता-पिता और अभिभावकों की मृत्यु के बाद सुरक्षा करेगा।

सी.टी.बी.टी.

1671. डा. विजय कुमार मल्होत्रा : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सी.टी.बी.टी. का ब्यौरा क्या है;

(ख) उन देशों के नाम क्या हैं जिन्होंने सी.टी.बी.टी. पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ग) उन देशों के नाम क्या हैं जिन्होंने सी.टी.बी.टी. पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं; और

(घ) सी.टी.बी.टी. के संबंध में केन्द्र सरकार की क्या नीति है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) व्यापक नाभिकीय परीक्षण प्रतिबंध संधि (सी.टी.बी.टी.) में एक प्रस्तावना, 17 अनुच्छेद क्षेत्र के अनुसार राज्यों की एक सूची, प्रवर्त्तन प्रावधान से संबंधित राज्यों की एक सूची (अनुच्छेद XIV) और एक प्रोटोकोल है। संधि की प्रस्तावना "(नाभिकीय) हथियारों को समाप्त करने तथा कठोर और प्रभावी अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण के अंतर्गत सामान्य व पूर्ण निरस्त्रीकरण के अंतिम लक्ष्य" को दोहराती है और इस तथ्य को मान्यता प्रदान करती है कि व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि नाभिकीय शस्त्रों के विकास और इसे उन्नत बनाये जाने पर प्रतिबंध लगायेगी। अनुच्छेद I में कोई नाभिकीय शस्त्र परीक्षण विस्फोट अथवा कोई अन्य नाभिकीय विस्फोट न करने की बुनियादी बाध्यता का उल्लेख है। अनुच्छेद II के अंतर्गत वियना में व्यापक नाभिकीय परीक्षण प्रतिबंध संधि संगठन (सी.टी.बी.टी.ओ.) की स्थापना किये जाने का प्रावधान है जिसमें राज्य पक्षकारों का एक सम्मेलन, 51-सदस्यीय कार्यकारी परिषद (ई.सी.) अन्तर्राष्ट्रीय डाटा केन्द्र तथा इंटरनेशनल मानिटरिंग सिस्टम वाले एक तकनीकी सचिवालय होगा। अनुच्छेद III के अन्तर्गत राज्य पक्षकार द्वारा व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि के तहत अपनी बाध्यताओं के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक उपाय करने तथा सी.टी.बी.टी.ओ. और अन्य राज्य पक्षकारों के साथ वार्ता करने के लिए एक राष्ट्रीय प्राधिकार नामित करने की अपेक्षा की जाती है। अनुच्छेद IV में सत्यापन व्यवस्था का उल्लेख है जिसमें सीस्मिक नेटवर्क, रेडियो,

न्यूक्लाइड इन्फ्रासाउण्ड और हाइड्रोकाउस्टिक मानिटरिंग केन्द्रों, ऐच्छिक परामर्श एवं स्पष्टीकरण, स्थल निरीक्षण एवं विश्वासोत्पादक उपायों सहित अन्तर्राष्ट्रीय मानिटरिंग सिस्टम का प्रावधान किया गया है। स्थल निरीक्षण के लिए कार्यकारी परिषद में 30 समर्थक मतों की आवश्यकता पड़ती है। अनुच्छेद V में संधि का अनुपालन सुनिश्चित करने का प्रावधान है और यह अनुच्छेद सामूहिक रूप से उपाय करने वाले और/अथवा संयुक्त राष्ट्र में इस मामले को उठाने वाले पक्षकार राज्यों के सम्मेलन के माध्यम से इसके प्रावधानों के विपरीत स्थिति का भी समाधान करता है। अनुच्छेद VI और VII क्रमश: विवादों के समाधान और संशोधनों से सम्बद्ध हैं जबकि अनुच्छेद VIII में प्रत्येक 10 वर्ष के बाद समीक्षा सम्मेलन का प्रावधान है। अनुच्छेद IX में यह प्रावधान है कि संधि की अवधि असीमित है। पक्षकार राज्य 6 माह की सूचना देकर संधि से अपना नाम वापस ले सकता है जिसमें उसे उन घटनाओं का विवरण देना होगा जिनकी वजह से उसे अपना नाम वापस लेना पड़ा क्योंकि उसके सर्वोच्च हित खतरे में पड़ गए हैं। अनुच्छेद X-XII अनुलग्नकों की स्थिति, हस्ताक्षर अनुसमर्थन और अधिनियम से सम्बद्ध हैं। अनुच्छेद XIV में यह प्रावधान है कि संधि के अनुलग्नक 2 में दिए गए सभी 44 देशों द्वारा अनुसमर्थन दस्तावेज जमा कराने के 180 दिन बाद यह संधि प्रवृत्त होगी। इसमें उन राज्यों का सम्मेलन बुलाने का भी प्रावधान है जिन्होंने अपने अनुसमर्थन दस्तावेज जमा करा दिए हैं, परंतु संधि को हस्ताक्षर के लिए रखे जाने की वर्षगांठ की तारीख के तीन वर्ष बाद-यह प्रवृत्त नहीं हुई है। अनुच्छेद XV में प्रावधान है कि संधि के अनुच्छेदों के संबध में कोई आपत्ति नहीं की जाएगी और अनुच्छेद XVI से XVII अधिकृत पाठों से संबद्ध हैं और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को प्राप्तकर्ता के रूप में पदनामित करते हैं। संधि के साथ एक प्रोटोकोल संलग्न है जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय निगरानी प्रणाली, अन्तर्राष्ट्रीय डाटा केन्द्र के क्रियाकलापों, स्थल निरीक्षण, विश्वासोत्पादक उपायों के ब्यौरे और निगरानी केन्द्रों की सूचियां दी गई हैं।

(ख) अब तक व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि पर 160 देशों ने हस्ताक्षर किये हैं (विवरण-I के रूप में सूची संलग्न है)।

(ग) 33 देशों ने व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं, (विवरण-II के रूप में सूची संलग्न)।

(घ) व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि पर सरकार की स्थिति को प्रधान मंत्री 15 दिसंबर, 1998 को संसद में स्पष्ट किया था। स्वस्थगन का पालन करके हम व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि के मौलिक दायित्व की पूर्ति कर रहे हैं। इस समय व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर करने वाले 160 देश हैं जिनमें से अनेक ऐसे हैं जिन्होंने भारत की निरस्त्रीकरण पहलकदमी का समर्थन किया है और कर रहे हैं और ऐसे भी देश हैं जिनके साथ भारत की सामरिक वार्ताएं चल रही हैं। देश की राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी हित/चिंताओं को प्राथमिकता देते हुए सरकार यह मानती है कि अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को पुन: आश्वासन देना भी आवश्यक है।

विवरण-I

व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर करने वाले देशों की सूची

अफ्रीका

1. अल्जीरिया
2. अंगोला
3. बेनिन
4. बुरकिना फासो
5. बुरूंडी
6. केप वर्डे
7. चाड
8. कोमोरोस
9. कांगो
10. कोट डी आईवरी
11. कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य
12. जिबूती
13. मिस्र
14. इक्वाटोरियल गिनी
15. इथोपिया
16. गैबोन
17. घाना
18. निगी बिसाउ
19. गिनी
20. केन्या
21. लेसोथो
22. लाइबेरिया
23. मेडागास्कर

24. मलावी
25. माली
26. मॉरीतानिया
27. मोरक्को
28. मोजाम्बिक
29. नामीबिया
30. नाइजर
31. नाइजीरिया
32. साओ टोम और प्रिंसिपी
33. सेनेगल
34. सेशेल्स
35. सियरा लियोन
36. दक्षिण अफ्रीका
37. स्वाजीलैंड
38. टोगो
39. ट्यूनिया
40. युगांडा
41. जाम्बिया
42. जिम्बाब्वे
43. अल्बानिया
44. अर्मेनिया
45. अजरबैजान
46. बेलारूस
47. बोसनिया और हर्जेगोबिना
48. बुल्गारिया
49. क्रोएशिया
50. चेक गणराज्य
51. इस्टोनिया
52. जार्जिया
53. हंगरी
54. लातविया
55. लिथुआनिया
56. पोलैंड
57. मलदोवा गणराज्य
58. रोमानिया
59. रूसी परिसंघ
60. स्लोवाकिया
61. स्लोवेनिया
62. पूर्व यूगोस्लाविया का मेसेडोनिया गणराज्य
63. यूक्रेन

लातिन अमरीका और कैरेबियाई, देश

64. एंटीगुआ और बरबुडा
65. अर्जेंटीना
66. बोलिविया
67. ब्राजील
68. चिली
69. कोलंबिया
70. कोस्टारिका
71. डोमेनिकन गणराज्य
72. इक्वाडोर
73. अल सल्वाडोर
74. ग्रेनडा
75. ग्वाटेमाला
76. गयाना
77. हैती
78. होंडुरास
79. जमैका
80. मैक्सिको
81. निकारागुआ
82. पनामा

83. पाराग्वे
84. पेरू
85. सेंट लुसिया
86. सूरीनाम
87. उरूग्वे
88. वेनेजुएला

मध्यपूर्व और दक्षिण एशिया

89. बहरीन
90. बंगलादेश
91. ईरान इस्लामिक गणराज्य
92. इजरायल
93. जोर्डन
94. कजाकस्तान
95. कुवैत
96. कीर्गीस्तान
97. मालदीव
98. नेपाल
99. ओमान
100. कतर
101. श्रीलंका
102. ताजीकिस्तान
103. तुर्कमेनिस्तान
104. संयुक्त अरब अमीरात
105. उजबेकिस्तान
106. अमन

उत्तरी अमरीका और पश्चिमी यूरोप

107. अंडोरा
108. आस्ट्रिया
109. बेलजियम
110. कनाडा
111. साइप्रस
112. डेनमार्क
113. फिनलैंड
114. फ्रांस
115. जर्मनी
116. यूनान
117. होली सी
118. आइसलैंड
119. आयरलैंड
120. इटली
121. लीचटेंसटीन
122. लक्जमबर्ग
123. माल्टा
124. मोनाको
125. नीदरलैंड
126. नार्वे
127. पुर्तगाल
128. सैन मैरिनो
129. स्पेन
130. स्वीडन
131. स्विट्जरलैंड
132. तुर्की
133. ग्रेट ब्रिटेन का यूनाइटेड किंग्डम और उत्तरी आयरलैंड
134. संयुक्त राज्य अमेरिका

दक्षिण पूर्व एशिया, प्रशांत और सुदूर पूर्व

135. आस्ट्रेलिया
136. बुनी दारूस्लाम
137. कम्बोडिया

138. चीन

139. कुक आइलैंड

140. फिजी

141. इंडोनेशिया

142. जापान

143. किरीबाती

144. लाओ लोकतांत्रिक जन गणराज्य

145. मलेशिया

146. मार्शल द्वीप

147. माइक्रोनेशिया संघीय राज्य

148. मंगोलिया

149. म्यांमां

150. नौरू

151. न्यूजीलैंड

152. पपुआ न्यू गिनी

153. फिलीपींस

154. कोरिया गणराज्य

155. समोआ

156. सिंगापुर

157. सोलोमन द्वीप

158. थाइलैंड

159. वनातू

160. वियतनाम

विवरण-II

व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर नहीं करने वाले देशों की सूची

अफ्रीका

1. बोत्सवाना

2. कैमरून

3. मध्य अफ्रीकी गणराज्य

4. इरीट्रिया

5. गाम्बिया

6. लीबिया अरब जम्हीरिया

7. मारीशस

8. रवांडा

9. सोमालिया

10. सूडान

11. तंजानिया संयुक्त गणराज्य

पूर्वी यूरोप

12. यूरोस्लाविया

लातिन अमरीका और केरीबियाई देश

13. बहामास

14. बरवाडोस

15. बेलिज

16. क्यूबा

17. डोमीनिका

18. सेंट किट्स और नेविस

19. सेंट विंसेंट और ग्रेनाडाइन

20. त्रिनीडाड एवं टैबोगो

मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया

21. अफगानिस्तान

22. भूटान

23. भारत

24. इराक

25. लेबनान

26. पाकिस्तान

27. सऊदी अरब

28. सीरिया अरब गणराज्य

दक्षिण पूर्व एशिया, प्रशांत और सुदूर पूर्व

29. कोरिया लोकतांत्रिक जन गणराज्य

30. न्यूई

31. पलाउ

32. टोंगा

33. टुवालु

छुट्टी यात्रा रियायत

1672. डा. वी. सरोजा : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार शादीशुदा कर्मचारियों सहित अन्य कर्मचारियों को प्रतिवर्ष अपने गृह नगर की यात्रा हेतु छुट्टी यात्रा रियायत संबंधी सुविधाएं देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) के मद्देनजर, प्रश्न नहीं उठता।

(ग) छुट्टी यात्रा रियायत की मौजूदा योजना, पूर्णत: उदार और उपयुक्त मानी जाती है।

[हिन्दी]

औद्योगिक कानून

1673. श्री रामदास आठवले : क्या **लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार उद्योगों के विकास की गति तेज करने हेतु औद्योगिक कानूनों की समीक्षा करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अभी तक क्या कदम उठाए गए हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) से (ग) उद्योगों की विकास तथा वृद्धि, उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम 1951 (आई.डी.आर. अधिनियम) द्वारा नियंत्रित होती है। संभवत: इसी अधिनियम का संदर्भ है। उद्योगों पर लागू कानूनों, विनियमों की समीक्षा करने तथा प्रणाली को सरलीकृत करने की प्रक्रिया के अन्तर्गत सरकार द्वारा गठित एक विशेषज्ञ दल ने आई.डी.आर. अधिनियम के स्थान पर एक नए औद्योगिक अधिनियम का प्रस्ताव किया है जो विनियम के स्थान पर उद्योगों के संवर्धन तथा विकास पर केन्द्रित होगा। सरकार ने इस संबंध में नया अधिनियम बनाने की संभाव्यता की जांच करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी है।

[अनुवाद]

वित्तीय सहायता

1674. श्री भर्तृहरि महताब : क्या **लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) लघु उद्योगों की रुग्णता हेतु उड़ीसा को कुल कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने इस धनराशि के उपयोग से संबंधित जिले-वार और राज्य-वार प्रगति रिपोर्ट मांगी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) तत्कालीन चल रही केन्द्रीय प्रायोजित मार्जिन मनी स्कीम के अन्तर्गत रुग्ण लघु उद्योग इकाइयों को पुनर्जीवित करने के लिए वित्तीय वर्ष 1982-83 से 1984-85 के दौरान उड़ीसा राज्य को कुल 23 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई थी।

(ख) और (ग) जी, हां। संघ सरकार ने राज्यवार उपयोगिता प्रमाण-पत्र मांगे थे। राशि का पूर्ण उपयोग उड़ीसा में उस समय चल रही केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम ऑफ मार्जिन मनी के अन्तर्गत किया गया है।

[हिन्दी]

बहुउद्देशीय बांध

1675. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तारीख में देश में राज्य-वार कुल कितने बड़े-बड़े बांधों का निर्माण किया जा चुका है;

(ख) प्रत्येक बांध की कुल जल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है, इन बांधों से बांध-वार और राज्य-वार कुल कितनी भूमि की सिंचाई की जा रही है और इससे कितनी मात्रा में पीने का पानी उपलब्ध कराया जा रहा है;

(ग) उन बड़े बांधों का ब्यौरा क्या है जिनके स्थान परित्यक्त पड़े हुए हैं और इनके स्थान परित्यक्त रहने के क्या कारण हैं; और

(घ) इनके लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है और इनसे अर्जित लाभ की तुलना में इन पर कुल कितनी लागत आई है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) से (घ) देश में विभिन्न प्रयोजनों के लिए लगभग 3600 बड़े बांधों का निर्माण किया गया है। तथापि, आठवीं योजना के अंत तक देश में पूरी की गई वृहद सिंचाई परियोजनाओं (10000 हेक्टेयर से अधिक कृष्य कमान क्षेत्र वाली) की संख्या 200 है जिसमें से 74 परियोजनाएं योजना पूर्व-अवधि में पूरी कर ली गई थीं और शेष 126 परियोजनाएं योजना अवधि के दौरान पूरी की गई। योजना-पूर्व/योजना अवधि के दौरान पूरी की गई परियोजनाओं की राज्यवार संख्या तथा उन पर किये गए व्यय और उनसे सृजित क्षमता का ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

इस समय देश में स्थित वृहद जल विद्युत केन्द्रों की संख्या 25 है। इन केन्द्रों की संस्थापित सृजन क्षमता विवरण-II में दी गई है।

इन परियोजनाओं के द्वारा पेय प्रयोजनों के लिए मुहैया करायी गई जल की मात्रा का रखरखाव जल संसाधन मंत्रालय में नहीं किया जाता है।

विवरण-I

योजना-पूर्व और योजना अवधि (आठवीं योजना के अंत तक) के दौरान पूर्व वृहद सिंचाई परियोजनाओं की संख्या

क्र.सं.	राज्य का नाम	योजना पूर्व अवधि			योजना अवधि		
		पूर्ण परियोजनाओं की संख्या	लागत (करोड़ रु.)	सृजित क्षमता (हजार हेक्टे.)	पूर्ण परियोजनाओं की संख्या	लागत (करोड़ रु.)	सृजित क्षमता (हजार हेक्टे.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	11	24.52	1253	5	56.70	307
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—
3.	असम	—	—	—	2	9.46	47
4.	बिहार	2	3.5	395	17	682.22	1610
5.	गोवा	—	—	—	—	—	—
6.	गुजरात	2	7.22	21	10	335.78	701
7.	हरियाणा	1	5.77	436	4	107.38	804
8.	हिमाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—
9.	जम्मू कश्मीर	1	0.49	46	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	कर्नाटक	4	2.95*	178	3	156.91	283
11.	केरल	—	—	—	7	313.00	303
12.	मध्य प्रदेश	6	21.79	300	7	294.33	690
13.	महाराष्ट्र	5	10.87	156	17	997.00	694
14.	मणिपुर	—	—	—	1	28.79	38
15.	मेघालय	—	—	—	—	—	—
16.	मिजोरम	—	—	—	—	—	—
17.	नागालैंड	—	—	—	—	—	—
18.	उड़ीसा	3	उ.न.	167	6	273.09	387
19.	पंजाब	3	13.3	1251	4	264.92	424
20.	राजस्थान	1	3.32	185	2	502.28	1053
21.	सिक्किम	—	—	—	—	—	—
22.	तमिलनाडु	17	12.29	1097	5	65.13	266
23.	त्रिपुरा	—	—	—	—	—	—
24.	उत्तर प्रदेश	15	34.70	2553	35	589.34	2255
25.	पश्चिम बंगाल	3	2.35	138	1	24.60	251
	कुल	74	143.07	8176	126	4700.93	10113

*टिप्पणी : दो परियोजनाओं की लागत उपलब्ध नहीं है।

विवरण-II

वृहत जल विद्युत + केन्द्रों का ब्यौरा

क्र.सं.	जल विद्युत केन्द्र का नाम	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)
1	2	3
1.	भाखड़ा (बी.बी.एम.बी.)	1200
2.	पोंग (बी.बी.एम.बी.)	360
3.	रंजीत सागर	600
4.	आर.पी. सागर	172
5.	रिहन्द	300
6.	रामगंगा	198
7.	उकाइ	300
8.	गांधी सागर	115
9.	कोयना	1880
10.	मचकुंद	114.75
11.	नागार्जुन सागर	810
12.	श्रीसैलम	770
13.	शरवती	894

1	2	3
14.	सुपा	810
15.	इदुक्की	780
16.	सबरिगिरी	300
17.	मधुपत्ती	130.50
18.	इदामलयार	75
19.	मेत्तूर	240
20.	पेरियार	140
21.	हीराकुड	307.50
22.	बालिमेला	360
23.	रेंगाली	250
24.	इन्द्रावती	450
25.	लोकतक	105

राजस्थान में परमाणु विद्युत संयंत्र

1676. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान में इस समय कितने परमाणु विद्युत संयंत्र हैं और एक वर्ष के दौरान इनमें से कितने खराब हो चुके हैं;

(ख) क्या केन्द्र सरकार का विचार राजस्थान में और ऐसे संयंत्र स्थापित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो ये संयंत्र कब तक लगाए जाएंगे?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) राजस्थान परमाणु बिजलीघर का यूनिट-1, 2, 3 तथा 4 इस समय राजस्थान में काम कर रहे हैं। राजस्थान परमाणु बिजलीघर-1 को, शीतलक चैनलों और एंड-शील्डों का सेवाकालीन निरीक्षण करने के लिए 26.9.2000 से बंद किया हुआ है।

(ख) और (ग) राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना के यूनिट-5 तथा 6 का कार्य दसवीं योजनावधि के दौरान शुरू किए जाने की योजना है, बशर्ते कि इसके लिए अनुमोदन प्राप्त हो जाएं और वित्तीय संसाधन उपलब्ध हों।

[अनुवाद]

बर्गी बांध

1677. श्रीमती जयश्री बैनर्जी : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय देश में कितने बड़े बांध हैं और इनमें से प्रत्येक बांध की जल संग्रहण क्षमता कितनी है;

(ख) क्या कई बड़े बांध भूकंप संभावित क्षेत्र 3 और 4 में स्थित हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित बर्गी बांध जबलपुर में बार-बार भूकंप आने के लिए जिम्मेवार हैं; और

(घ) यदि हां, तो भूकंप के इस खतरे को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाए किए जाने का प्रस्ताव है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) देश में विभिन्न उद्देश्यों के लिए लगभग 3600 बड़े बांधों का निर्माण किया गया है। तथापि, 10 मिलियन क्यूबिक मीटर (एम.क्यूमे.) से ऊपर की भण्डारण क्षमता रखने वाले बांधों के सम्बन्ध में उपलब्ध सूचना के अनुसार, 173728.82 मिलियन क्यूबिक मीटर की कुल भण्डारण क्षमता वाले 811 बांधों को पूरा कर लिया गया है तथा 75422.51 मिलियन क्यूबिक मीटर की कुल भण्डारण क्षमता वाले 303 बांध निर्माणाधीन हैं। बांधों की संख्या तथा उनके भण्डारण क्षमता का राज्य-वार विस्तृत ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (घ) भारतीय मानक (आई.एस.) संहिता 1893-1984 के अनुसार, जबलपुर क्षेत्र, क्षेत्र-3 के अंतर्गत आता है। उपर्युक्त संहिता के अनुसार देश को पांच भूकम्पी क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। क्षेत्र-3 कम भूकम्पी क्षेत्र है। तथापि, क्षेत्र-3 और क्षेत्र-4 में स्थित अन्य बांधों के लिए कोई अलग से सूचना एकत्र नहीं की गई है। उपलब्ध सूचना के अनुसार मध्य प्रदेश में स्थित बार्गी बांध के कारण जबलपुर में बार-बार भूकम्प नहीं आता है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	पूरी की गई परियोजनाएं		निर्माणाधीन परियोजनाएं	
		सक्रिय भण्डारण मि.क्यू.मी.	संख्या	सक्रिय भण्डारण मि.क्यू.मी.	संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	24851.42	74	7123.27	26
2.	अरुणाचल प्रदेश	शून्य	—	—	—
3.	असम	शून्य	—	1054.32	3
4.	बिहार	4660.93	46	4352.73	27
5.	गोवा	44.30	1	674.45	2
6.	गुजरात	14919.07	104	7248.38	24
7.	हरियाणा	—	—	—	—
8.	हिमाचल प्रदेश	13806.44	3	109.55	1
9.	जम्मू व कश्मीर	—	—	—	—
10.	कर्नाटक	21556.07	41	3013.31	21
11.	केरल	4617.81	23	1615.69	8
12.	मध्य प्रदेश	18580.13	109	21633.14	45
13.	महाराष्ट्र	22095.71	155	12918.88	90
14.	मणिपुर	396.50	1	124.58	3
15.	मेघालय	697.96	4	—	—
16.	मिजोरम	—	—	—	—
17.	नागालैंड	—	—	1220.00	1
18.	उड़ीसा	14286.77	42	3304.63	14
19.	पंजाब	24.75	2	2344.00	1
20.	राजस्थान	8323.15	94	1591.48	17
21.	सिक्किम	—	—	—	—
22.	तमिलनाडु	6719.51	46	36.55	3
23.	त्रिपुरा	312.00	3	—	—
24.	उत्तर प्रदेश	16347.36	59	7057.56	17
25.	पश्चिम बंगाल	1475.15	3	—	—
26.	पांडिचेरी	13.79	1	—	—
	कुल मि. क्यूमेक्स	173728.82	811	75422.51	303
	क्यूबिक कि.मी. में	173.73		75.42	

टिप्पणी: केवल 10 मिलि. क्यूमेक्स मीटर और उसके ऊपर के सक्रिय भण्डारण क्षमता रखने वाली परियोजनाओं को ही शामिल किया गया है। 10 मिलि. क्यूमेक्स मीटर से कम क्षमता वाली मध्यम परियोजनाओं के माध्यम से 3 क्यूबिक कि.मी. (लगभग) अतिरिक्त सक्रिय भण्डारण क्षमता के सृजन का अनुमान है। इस प्रकार पूरी की गई परियोजनाओं में 177 क्यूबिक कि.मी. की कुल सक्रिय भण्डारण क्षमता सृजित की गई है।

शिशु मृत्युदर

1678. श्री प्रियरंजन दासमुंशी : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तारीख में प्रत्येक राज्य में शिशु मृत्युदर क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार नौवीं योजना के दौरान प्रत्येक राज्य में निवारात्मक कदम उठाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) भारत तथा बड़े राज्यों की 1999 में शिशु मृत्यु दर संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) वैक्सीन से रोके जा सकने वाले छह रोगों के खिलाफ प्रतिरक्षण, अतिसार और गंभीर श्वसन संक्रमण के कारण होने वाली मौतों का नियंत्रण, अनिवार्य नवजात परिचर्या की व्यवस्था तथा विटामिन-ए और आयरन की कमी के विरुद्ध रोगनिरोधन को सभी राज्यों में प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के एक अंग के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है। देश से पोलियो के उन्मूलन के लिए पल्स पोलियो कार्यक्रम शुरू किया गया है।

बाल स्वास्थ्य हेतु उठाए गए कदमों के सुदृढ़ीकरण तथा सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के उपाय के रूप में कुछ योजनाएं शुरू की गई हैं। आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल के पता लगाए गए 48 कमजोर जिलों में सीमावर्ती जिला समूह कार्यनीति परियोजना शुरू की गई है। बाल स्वास्थ्य सेवाओं सहित परिवार कल्याण सेवाओं में सुधार लाने के लिए विशेष निवेश प्रदान करने हेतु असम, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा गुजरात जैसे आठ कम कार्यनिष्पादन वाले राज्यों के 50 चुने गए जिलों में सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए एक नई योजना भी शुरू की गई है।

विवरण

शिशु मृत्यु दर, 1999 के अनंतिम अनुदान

	शिशु मृत्यु दर
भारत*	70
बड़े राज्य	
आन्ध्र प्रदेश	66
असम	76
बिहार	66
गुजरात	63
हरियाणा	60
कर्नाटक	58
केरल	14
मध्य प्रदेश	91
महाराष्ट्र	48
उड़ीसा	97
पंजाब	53
राजस्थान	81
तमिलनाडु	52
उत्तर प्रदेश	84
पश्चिम बंगाल	52
छोटे राज्य	
अरुणाचल प्रदेश	43
गोवा	21
हिमाचल प्रदेश	62
मणिपुर	25
मेघालय	56
मिजोरम	19
नागालैंड	उपलब्ध नहीं
सिक्किम	49
त्रिपुरा	42

*आंकड़ों के आंशिक रूप से प्राप्त होने के कारण नागालैंड (ग्रामीण) तथा जम्मू-कश्मीर को छोड़कर।

नोट : छोटे राज्यों के लिए 1997-99 की अवधि के शिशु मृत्यु दर

स्रोत : नमूना पंजीयन प्रणाली।

विदेशी सहायता प्राप्त शिक्षण परियोजनाएं

1679. श्री राम नायडू दग्गुबाटि : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न संकायों में भारत के शोधार्थियों की हाल ही में समाप्त हो रही विभिन्न विदेशी सहायता प्राप्त शिक्षण परियोजनाएं कौन-कौन सी हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न संकायों के लिए विदेशी सहायता प्राप्त छात्रवृत्तियों तथा संबंधित अवार्ड दिये जाने वालों के नाम क्या हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान विदेशी सहायता प्राप्त छात्रवृत्तियों के माध्यम से भारत के शोधार्थियों द्वारा पुरातत्व विज्ञान, कला और इतिहास के क्षेत्र में शोधकार्य किए गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) से (ग) यह प्रश्न विदेश मंत्रालय से संबंधित नहीं है। विदेशी सहायता प्राप्त शैक्षिक परियोजनाओं के वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग नोडीय हैं। हमने संबंधित मंत्रालय से इस प्रश्न को स्वीकार करने का अनुरोध किया है। वह मंत्रालय इसका उत्तर देगा।

अल्जेमीर्स रोग

1680. कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार अल्जेमीर्स रोग के लिए राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में इस समय राज्य-वार इस रोग से कितने व्यक्ति पीड़ित हैं;

(घ) क्या इस रोग के संबंध में कोई जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस कार्य में कौन-कौन से अभिकरण/संगठन लगे हुए हैं और पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) अल्झीमर रोग के लिए भारत में राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना की आवश्यकता इस समय महसूस नहीं की जा रही है क्योंकि इसे शारीरिक एवं मानसिक अक्षमता वाले वृद्ध व्यक्तियों की समस्याओं के व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखा जा रहा है। भारत में मानसिक विकारयुक्त रोगियों की परिचर्या आवश्यकता को प्राय: परिवार द्वारा पूरा किया जाता है और वृद्ध आबादी के लिए चलाए जाने वाले कार्यक्रम अल्झीमर के रोगियों को भी कवर करेंगे क्योंकि उनमें से अधिकतर वृद्ध व्यक्ति हैं। इसके अलावा भारत में अल्झीमर रोग तथा अन्य मानसिक विकारों के जानपदिक रोग विज्ञान का ठीक से अध्ययन या देश के विभिन्न भागों में मूल्यांकन नहीं हुआ है।

(ग) से (ङ) इस रोग की व्याप्तता के बारे में देश भर या राज्य-वार कोई वास्तविक ब्यौरा उपलब्ध नहीं है। तथापि, सीमित जानपदिक रोग विज्ञान संबंधी अध्ययनों के आधार पर यह स्पष्ट है कि 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों में अल्झीमर रोग तथा अन्य मानसिक विकारों की व्याप्तता 3-5 प्रतिशत है। इसके आधार पर ऐसा अनुमान किया जाता है कि भारत में 30 लाख से अधिक वृद्ध व्यक्ति अल्झीमर तथा अन्य प्रकार के मानसिक विकारों से ग्रस्त हैं। वर्ष 2000 में, भारतीय अल्झीमर एवं संबंधित विकार सोसायटी ने 18 सितम्बर से 24 सितम्बर तक "राष्ट्रीय मानसिक विकार जागरूकता सप्ताह" का आयोजन किया। इस समय डीडी-1 चैनल पर लोकप्रिय कार्यक्रम "जीवन रेखा" के अंतर्गत अल्झीमर रोग पर एक टी.वी. कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा है। इस कार्यक्रम को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के एक विभागीय सदस्य द्वारा एंकर किया जा रहा है।

यूरोपीय संघ द्वारा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रम

1681. श्री अरुण कुमार :
श्री रघुनाथ झा :
श्री प्रभुनाथ सिंह :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में यूरोपीय संघ का पंचवर्षीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्य का सेक्टर निवेश कार्यक्रम (चरण-2) क्रियान्वित है;

(ख) यदि हां, तो उक्त कार्यक्रम के लिए यूरोपीय संघ के प्रस्तावित बजट का ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत दो वर्षों के दौरान और आज तक राज्य-वार कितनी धनराशि खर्च की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) जी, हां।

(ख) यूरोपीय आयोग ने क्षेत्रीय निवेश कार्यक्रम के लिए 190 मिलियन ई.सी.यू. की सहायता देने का वचन दिया है।

(ग) सहभागी राज्यों के आबंटन की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

आर.सी.एच. कार्यक्रम-आवंटित राशि और किए गए खर्च का विवरण

क्र.सं.	ई.सी. राज्य	1999-2000	2000-2001	कुल
1.	आंध्र प्रदेश	1.00	50.00	51.00
2.	असम	21.10	15.00	36.10
3.	गुजरात	540.38	0.00	540.38
4.	हरियाणा	21.64	15.00	36.64
5.	हिमाचल प्रदेश	36.00	0.00	36.00
6.	केरल	21.00	15.00	36.00
7.	मध्य प्रदेश	21.00	15.00	36.00
8.	महाराष्ट्र	21.52	0.00	21.52
9.	मणिपुर	0.00	5.00	5.00
10.	मिजोरम	0.00	5.00	5.00
11.	उड़ीसा	1.60	20.00	21.60
12.	राजस्थान	648.01	35.00	683.01
13.	उत्तर प्रदेश	21.82	35.00	56.82
	कुल	1,355.07	210.00	1,565.07

संयुक्त अरब अमीरात से श्रमिकों की वापसी

1682. श्री शिवराज सिंह चौहान : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले एक वर्ष के दौरान संयुक्त अरब अमीरात से बड़ी संख्या में भारतीय श्रमिकों की वापसी हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार, वापस आए श्रमिकों की सहायता करने के लिए किस तरह तैयार है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) जी हां।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय मिशन ने भारतीय श्रमिकों को वापस भेजने को सुविधाजनक बनाने के लिए 1999 में 1202 तथा 1 जनवरी, 2000 से 15 नवम्बर, 2000 तक 1699 आपातकालीन प्रणाम-पत्र जारी किए।

संयुक्त अरब अमीरात प्राधिकारी निम्नलिखित श्रेणी के भारतीय श्रमिकों को वापस भेजते हैं:-

(1) ऐसे श्रमिकों को जिनके पास वैध वीसा नहीं हो,

(2) वीसा की शर्तों से इतर कार्य करने वाले श्रमिक,

(3) जेल की सजा पूरी करने के बाद।

(ग) सरकार वापस भेजे गए श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा तथा संयुक्त अरब अमीरात के उनके नियोक्ताओं से उनकी बकाया

राशि तथा उनके दावों के भुगतान हेतु हर सम्भव सहायता प्रदान करती है।

प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत ऋण

1683. डा. जसवंत सिंह यादव : क्या लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 25 अक्तूबर, 2000 के "द हिन्दुस्तान टाइम्स" में "वाइड स्प्रेड एनोमलिज इन ग्रान्टिंग लोन" शीर्षक के तहत प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या महत्वाकांक्षी प्रधान मंत्री रोजगार योजना अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रही हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा वास्तविक आवेदकों को ऋण उपलब्ध करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) जी, हां।

(ख) हरियाणा राज्य सरकार ने सूचना दी है कि सोनीपत जिले में प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों के चयन में कोई विसंगति नहीं हुई है। राज्य सरकार ने कहा है कि जिला टास्क फोर्स समिति द्वारा चुने गए लाभार्थियों को ऋणों का संवितरण योजना के अन्तर्गत विचार की गई पात्रता एवं शैक्षिक अर्हताओं के अनुसार किया गया है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। योजना ने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार 1993-94 से 1999-2000 के बीच योजना के अन्तर्गत 13.60 लाख के लक्ष्य की तुलना में 15.66 लाख बेरोजगार शिक्षित युवाओं को ऋण मंजूर किए गए हैं।

(ङ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऋण पात्र आवेदकों को ही मंजूर किए गए हैं, योजना के अन्तर्गत आवेदकों के चयन के लिए पात्रता मापदंड स्पष्ट रूप से निर्धारित किए गए हैं। जिला टास्क फोर्स समिति, जिसमें बैंकों के प्रबन्धक सदस्य के रूप में होते हैं, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा प्राप्त किए गए आवेदनों में से पात्र उम्मीदवारों का चयन करती है। आवेदनों की बैंक शाखाओं द्वारा पुन: संवीक्षा की जाती है। इसके अतिरिक्त, योजना के कार्यान्वयन का निरीक्षण करने के लिए जिला, राज्य एवं केन्द्रीय स्तरों पर समितियों का गठन भी किया गया है।

ठेका श्रम अधिनियम में परिवर्तन

1684. श्री वसुदेव आचार्य : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को प्रमुख मजदूर संघों से मौजूदा ठेका श्रम अधिनियम, 1971 में परिवर्तन हेतु सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) केन्द्रीय व्यवसाय संघ संगठनों ने यह सुझाव दिया है कि एयर इंडिया के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार, ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 की धारा 10 के अंतर्गत निषेधात्मक अधिसूचना जारी किए जाने की दशा में मूल नियोजक के प्रतिष्ठान में ठेका श्रमिकों को स्वत: खपाए जाने का इस अधिनियम में प्रावधान किया जाना चाहिए। अन्य सुझाव ये हैं कि समान प्रकृति के कार्य के लिए नियमित कामगारों के साथ मजदूरी की समानता सुनिश्चित की जानी चाहिए तथा नियमित एवं बारहमासी प्रकृति के साथ में ठेका श्रमिकों के नियोजन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। सभी बिन्दुओं को ध्यान में रखने के पश्चात् इस अधिनियम में किए जाने वाले परिवर्तनों अथवा संशोधनों, यदि कोई हों, को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

[हिन्दी]

अन्तर्राज्यीय जल विवाद

1685. श्री राजो सिंह : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तारीख के अनुसार देश में निपटान के लिये लंबित पड़े अन्तर्राज्यीय नदी जल विवाद मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में कोई कदम उठाये गये हैं;

(ग) यदि हां, तो उससे क्या परिणाम निकले; और

(घ) सभी विवादों को कब तक सुलझा लिये जाने की संभावना है?

जल-संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) से (घ) रावी और व्यास जल विवाद तथा कावेरी जल विवाद, अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत क्रमश: अप्रैल, 1986 और जून, 1990 में निर्णय के लिए अभिकरणों को भेजे गए थे। रावी और व्यास जल अधिकरण ने 30.1.1987 को एक तथ्यान्वेषी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। केन्द्र सरकार तथा राजस्थान, हरियाणा और पंजाब ने अन्तर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 की धारा 5(3) के तहत कुछ बिन्दुओं पर अधिकरण से स्पष्टीकरण और दिशानिर्देश मांगा है। कावेरी जल विवाद अधिकरण ने तमिलनाडु राज्य और पांडिचेरी संघ शासित क्षेत्र को राहत प्रदान करते हुए 25 जून, 1991 को एक अंतरिम आदेश जारी किया। केन्द्र सरकार ने इस अंतरिम आदेश को अंतिम रूप देने और विवाद से संबंधित पक्षों पर बाध्यकारी बनाते हुए 10.12.91 को इसे शासकीय राजपत्र में प्रकाशित किया। अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 में अधिकरणों के लिए, उनकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के वास्ते कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

[अनुवाद]

बांधों का निर्माण

1686. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अब तक देश भर में बनाए गए बहुउद्देश्यीय बांधों की राज्य-वार और वर्ष-वार संख्या कितनी है;

(ख) उन बांधों के निर्माण के कारण राज्य-वार कितने परिवार विस्थापित हुए और उनमें से कितने परिवारों का अब तक पुनर्वास किया गया है;

(ग) शेष परिवारों का पुनर्वास न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) इन शेष परिवारों को तत्काल पुनर्वास प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) बड़े बांधों के राष्ट्रीय रजिस्टर (1994) के अनुसार देश में कुल 3596 बांधों का निर्माण किया गया है। अधिकांश बांध एक से अधिक उद्देश्यों अर्थात् सिंचाई, शहरी, ग्रामीण, औद्योगिक जल आपूर्ति, जल विद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, मत्स्य-पालन, पर्यटन और नौवहन की पूर्ति करते हैं। विभिन्न राज्यों में विभिन्न अवधियों में निर्मित बड़े बांधों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (घ) राज्य का विषय होने के कारण बांधों के निर्माण से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों का पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना संबंधित राज्य सरकार द्वारा की जाती है। वांछित सूचना का केन्द्र में रख-रखाव नहीं किया जाता है।

विवरण

विभिन्न अवधियों में निर्मित बड़े बांधों का राज्यवार वितरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	अवधि								
		1900 तक	1901 से 1950 तक	1951 से 1960 तक	1961 से 1970 तक	1971 से 1980 तक	1980 से 1989 तक	1990 और आगे	निर्माण का वर्ष उपलब्ध नहीं	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आन्ध्र प्रदेश	3	24	16	20	18	18	2	57	158
2.	अरूणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	असम	0	0	0	0	0	2	0	0	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	बिहार	1	0	12	6	14	23	0	5	61
5.	गुजरात	5	47	7	76	133	131	8	6	466
6.	गोवा	0	0	0	0	1	4	0	0	5
7.	हरियाणा	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	1	2	1	0	0	4
9.	जम्मू व कश्मीर	0	0	0	0	2	2	0	3	7
10.	कर्नाटक	6	16	11	35	45	40	0	35	188
11.	केरल	0	1	4	16	7	5	0	5	38
12.	मध्य प्रदेश	1	86	39	81	256	397	77	9	946
13.	महाराष्ट्र	16	35	25	146	589	324	10	84	1229
14.	मणिपुर	0	0	0	0	1	0	0	1	2
15.	मेघालय	0	0	1	3	2	0	0	0	6
16.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	उड़ीसा	0	2	3	5	48	72	0	1	131
19.	पंजाब	0	0	1	0	0	0	0	0	1
20.	राजस्थान	5	5	30	19	20	16	0	27	122
21.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	तमिलनाडु	1	10	10	24	27	9	0	3	84
23.	त्रिपुरा	0	0	0	0	1	0	0	0	1
24.	उत्तर प्रदेश	4	25	21	28	19	12	14	0	123
25.	पश्चिम बंगाल	0	0	1	1	5	10	5	0	22
	कुल योग	42	251	234	461	1190	1066	116	236	3596

स्रोत : बड़े बांधों का राष्ट्रीय रजिस्टर (1994)

मेस्को इस्पात संयंत्र

1687. श्री त्रिलोचन कानूनगो : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा के जाजपुर जिले में निर्माणाधीन मेस्को इस्पात संयंत्र के श्रमिक और कर्मचारी संयंत्र के बंद होने के परिणामस्वरूप गंभीर समस्या का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

कोनार सिंचाई परियोजना

1688. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कोनार सिंचाई परियोजना की नवीनतम स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार कोनार सिंचाई परियोजना चालू करने में शामिल संबद्ध दलों की सहमति प्राप्त करने में सफल हो गयी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) से (घ) केन्द्रीय जल आयोग द्वारा कोनार सिंचाई परियोजना की विस्तृत रिपोर्ट का मूल्यांकन किया गया है और यह तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्रदान करने के लिए जल संसाधन मंत्रालय की तकनीकी सलाहकार समिति के समक्ष रखे जाने के लिए तैयार है।

[अनुवाद]

गैर-सरकारी क्षेत्र में भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारी

1689. श्रीमती हेमा गमांग :
श्री भीम दाहाल :
श्री के.पी. सिंह देव :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गैर-सरकारी क्षेत्र में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) और (ख) भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की निजी क्षेत्र में प्रतिनियुक्ति किए जाने के बारे में, सरकार को कुछ क्षेत्रों से सुझाव मिले हैं।

(ग) इस बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

बधावन रिपोर्ट

1690. श्री कालवा श्रीनिवासुलु : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को एम.के. बधावन की अध्यक्षता में गठित कृतिक बल से सिफारिशें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि हां, तो इन सिफारिशों को कब तक कार्यान्वित कर दिये जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) कृतक बल ने कर्मचारी भविष्य निधि/कर्मचारी राज्य बीमा योजनाओं का दायरा बढ़ाए जाने, कर्मचारी पेंशन योजना को युक्तिसंगत बनाए जाने, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के एकीकरण, भविष्य निधि से धन निकालने पर रोक लगाए जाने, प्रतिष्ठानों के अनिवार्य पंजीकरण, बेरोजगारी बीमा योजना शुरू किए जाने आदि की सिफारिश की है। चूंकि कृतक बल की सिफारिशों के भारी वित्तीय निहितार्थ होंगे, अत: कृतक बल की संपूर्ण रिपोर्ट को गहन अध्ययन के लिए द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग के लिए संदर्भित कर दिया गया है। सरकार को राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशें उपलब्ध होने के बाद ही कृतक बल की रिपोर्ट पर आगे की कार्रवाई की जा सकती है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

1691. श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश राज्य चिकित्सा और स्वास्थ्य सुविधाओं की जांच करने के लिए एक अन्य कृतिक बल पर विचार कर रहा है जो संभव उपायों पर सुझाव दे रहा है;

(ख) क्या राज्य सरकार लगभग 150-200 अस्पतालों में वीडियों कॉन्फरेंसिंग सुविधा स्थापित करने पर विचार कर रही है;

(ग) क्या इन्हें बाद में राज्य की राजधानी से जोड़ा जा सकता है;

(घ) क्या प्रधान मंत्री के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के अनुसार शहरों में व्यवसाईयों के समक्ष प्रमुख चुनौती अपने उच्च गुणवत्ता वाले और विशिष्टता वाले चिकित्सा ज्ञान को देश भर में लगभग 27,000 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में पहुंचाने को लेकर था;

(ङ) क्या चार राज्यों में केन्द्र सरकार की वैज्ञानिक परामर्शदात्री समिति द्वारा कार्यान्वित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में सुधार के लिए प्रायोगिक परियोजना ने इस पहलू को सिद्ध किया है; और

(च) यदि हां, तो ये कृतिक बल कब तक उपाय सुझाने में समर्थ हो सकेंगे?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मार्कण्डेय सिंचाई परियोजना

1692. श्री जी.एस. बसवराज : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक राज्य सरकार ने मार्कण्डेय परियोजना से संबंधित प्रस्ताव केन्द्र को प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव को अध्ययन और मंजूरी के लिए केन्द्रीय जल आयोग को भेजा गया है;

(ग) क्या नहरों की डिजाइन, आधारशिला अभियांत्रिकी और भू-तकनीकी जांच-पड़ताल जैसे कुछ पहलुओं के लिए मंजूरी की अभी जांच की जानी है और उन्हें मंजूर किया जाना है;

(घ) यदि हां, तो क्या कर्नाटक सरकार ने अध्ययन किये जाने वाले पहलुओं से संबंधित सारी जानकारी केन्द्रीय जल आयोग को उपलब्ध करा दी है; और

(ङ) यदि हां, तो उक्त परियोजना को मंजूरी प्रदान करने में विलम्ब के, यदि कोई कारण हों, क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) और (ख) जी, हां। कर्नाटक सरकार ने मार्कण्डेय परियोजना के तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन के लिए एक प्रस्ताव मई, 1997 में केन्द्रीय जल आयोग को प्रस्तुत किया है।

(ग) से (ङ) इस परियोजना रिपोर्ट की जांच की गई है और तटबंध डिजाइन, संयंत्र आयोजना, द्वार डिजाइन और कंक्रीट और मेसनरी बांध-डिजाइन पहलुओं को अंतिम रूप दे दिया गया है। शेष अधिकांश पहलुओं के संबंध में केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियां राज्य सरकार को पहले ही भेज दी गई हैं। इस स्कीम की स्वीकृति राज्य प्राधिकरणों द्वारा विभिन्न केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियों की तत्परता से अनुपालना करने पर निर्भर करती है।

[हिन्दी]

सकल घरेलू उत्पाद

1693. मोहम्मद शहाबुद्दीन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि और निर्माण क्षेत्र के विकास की धीमी गति के कारण चालू वित्त वर्ष के प्रथम तीन महीनों में सकल घरेलू उत्पाद की दर घट गयी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस प्रवृत्ति का विश्लेषण किया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी): (क) और (ख) जी, हां।

(ग) अर्थव्यवस्था के निष्पादन की निकटता से निगरानी की गई है और जब कभी अनिवार्य हुआ उभरती प्रवृत्तियों के मद्देनजर समुचित उपाय किए गए हैं। सरकार द्वारा किए गए विभिन्न आर्थिक सुधारात्मक उपायों से अर्थव्यवस्था पर अनुकूल प्रभाव होने तथा समग्र आर्थिक प्रणाली को गति प्रदान करने की प्रत्याशा है।

[अनुवाद]

हार्मोन संबंधी रोग

1694. श्री चन्द्रकांत खैरे : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अब तक 108 मिलियन से अधिक भारतीय होर्मोन संबंधी रोगों से ग्रस्त हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या निवारात्मक कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ग) यह अनुमान लगाया गया है कि लगभग 108 मिलियन भारतीय विभिन्न प्रकार के हार्मोन संबंधी विकारों से पीड़ित हैं। इन 108 मिलियन मामलों में थायरायड विकार, मधुमेह मेलिटस, उपापचयी अस्थि विकार, प्रजनन अंत:स्रावी (इंडोक्राइन) विकार, पिटयूटरी एवं आर्डेनल विकार आदि शामिल हैं। ये अनुमान ''करेंट साइंस'' के अक्तूबर, 2000 अंक में ''भारत में क्लीनिकल इंडाक्राइनालॉजी'' शीर्षक से हाल में छपे एक लेख पर आधारित हैं। तत्संबंधी तथ्य देश भर में अनुसंधान अनुभव तथा देश के विभिन्न भागों से आने वाले रोगियों के क्लीनिकल अनुभव पर आधारित हैं।

आयोडीन अल्पता विकारों के नियंत्रण और निवारण के लिए सरकार राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम को कार्यान्वित कर रही है। मधुमेह का उपचार ग्रामीण स्वास्थ्य परिचर्या प्रदानगी प्रणाली तथा शहरी स्वास्थ्य परिचर्या संस्थानों में सभी स्तरों पर किया जाता है। सरकार ने पेयजल पर एक प्रौद्योगिकी मिशन शुरू किया है जिसमें फ्लूरोसिस उन्मूलन एक महत्वपूर्ण घटक है। आर्डेनल विकारों को नियंत्रित करने के लिए एक राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम भी प्रचालन में है। जैव-प्रौद्योगिकी विभाग की सहायता से कम लागत प्रतिरक्षी जांच का विकास किया गया है। इन प्रयोगशाला तकनीकों के परिष्करण, उन्नयन और विपणन के लिए वाणिज्यीकरण हेतु प्रयास किये जा रहे हैं।

[हिन्दी]

सूचना प्रौद्योगिकी सम्मेलन

1695. श्री पी.आर. खुंटे : क्या **सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कतिपय मुख्य मंत्रियों और राज्य मंत्रियों को मि. बिल गेट्स की 'माइक्रोसॉफ्ट' कम्पनी द्वारा आयोजित सूचना प्रौद्योगिकी सम्मेलन में भाग लेने के लिए अमरीका जाने की अनुमति नहीं दी है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में किए गए अनुरोध का ब्यौरा क्या है और अनुमति न देने के क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) और (ख) माइक्रोसॉफ्ट ने 2 से 4 अप्रैल 2000 तक सिएटल, संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित सरकारी नेताओं के सम्मेलन में भाग लेने के लिए राज्य सरकारों को आमंत्रित किया था। इस संबंध में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार को गुजरात तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों और केरल तथा मध्य प्रदेश के मंत्रियों से पत्र प्राप्त हुए थे। किन्तु, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने इस प्रस्ताव को सहमति नहीं दी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इस तथ्य की जाकारी संबंधित राज्य सरकारों को दे दी थी और इसके साथ ही साथ तकनीकी दृष्टिकोण से अपनी अनापत्ति भी प्रेषित कर दी थी।

[अनुवाद]

ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्र

1696. श्रीमती श्यामा सिंह :
श्री वसुदेव आचार्य :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश में ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्र (आर.एच.सी.) की दिन-प्रतिदिन बिगड़ती स्थिति की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार देश में ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्रों (आर.एच.सी.) के कार्यकरण, विशेषकर केन्द्र सरकार द्वारा आबंटित धन के उपयोग की निगरानी कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) देश में प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र द्वारा औसत कितनी आबादी को शामिल किया जा रहा है;

(च) क्या सरकार का विचार देश में सारे ग्रामीण स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमों की समीक्षा करने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) सरकार ग्रामीण स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली, मुख्यतया आधारभूत ढांचे व प्रशिक्षित जनशक्ति के संबंध में अपर्याप्त बाहरी पहुंच की व्यक्तियों को जानती है।

(ग) और (घ) जी, हां। ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्रों की कार्य प्रणाली की निगरानी कई तरीकों से की जाती है:

1. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, परिवार कल्याण विभाग ने एक वार्षिक "द्रुत घरेलू सर्वेक्षण" (रैपिड हाऊसहोल्ड सर्वे) शुरू किया है जिसके द्वारा प्रति वर्ष भारत के 50 प्रतिशत जिलों के घरों का नमूना सर्वेक्षण किया जाता है। प्रत्येक एकान्तर वर्ष में हम जिला स्तर पर 100 प्रतिशत जिलों के बारे में अद्यतन सूचना रखते हैं कि क्या लोगों के द्वारा ग्रामीण स्वास्थ्य परिचर्या (आर.सी.एच.) सेवाओं का उपयोग किया जाता है और यदि हां, तो किस सीमा तक।

2. इसके अलावा, हमारे पास सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर केन्द्रित एक स्वास्थ्य सुविधा सर्वेक्षण कार्यक्रम है जो यह सुनिश्चित करता है कि क्या वे स्वास्थ्य आधारभूत ढांचे परिचालनात्मक हैं और हैं तो किस सीमा तक हैं। यह सुविधा सर्वेक्षण कार्यक्रम प्रत्येक राज्य के 50 प्रतिशत जिलों में आयोजित किया जाता है।

3. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के क्षेत्रीय निदेशक कार्यनीतिपरक रूप में 17 स्थलों पर स्थापित हैं, जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रमों की सीमा एवं पहुंच की बारम्बार निगरानी करते हैं। वे चालू कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं की कमियों और अपर्याप्तता को दर्शाने वाली नियमित रिपोर्टें अग्रेषित करते हैं।

4. चालू योजना के पुनरीक्षण एवं निगरानी के लिए परिवार कल्याण विभाग ने राज्यों के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रियों, राज्यों के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सचिवों एवं अवसर पड़ने पर विशिष्ट परियोजनाओं के निदेशकों के साथ अन्तरक्रिया को दोहराया है।

5. अन्ततः, परिवार कल्याण विभाग के सभी अधिकारियों/कार्मिकों ने उनकी कार्यप्रणाली के विषय में नवीनतम (फर्स्ट हैंड) सूचना प्राप्त करने के लिए राज्यों/जिलों का दौरा किया है।

(ङ) औसतन एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मैदानी क्षेत्रों में 1,20,000 तथा पहाड़ी एवं आदिवासी क्षेत्रों में 80,000 की जनसंख्या को कवर करता है।

(च) और (छ) सरकार ने ग्रामीण स्वास्थ्य परिचर्या में मौजूद अन्तरालों की पहचान कर ली है और इन महत्वपूर्ण अन्तरालों को भरने के लिए पहले ही कार्यकलाप प्रारम्भ कर दिए हैं जिनमें विशेषतौर पर प्रशिक्षित जनशक्ति की कमी, अपर्याप्त आपूर्ति, रेफरल यातायात साधनों के कमजोर कड़ियों एवं दिन-रात प्रसूति सेवाएं उपलब्ध कराने के क्षेत्र शामिल हैं।

गैर-सरकारी अस्पतालों, उपचर्या गृहों और गैर-सरकारी संस्थाओं को नियमित करने संबंधी नीति

1697. श्री शिवाजी माने :
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :
श्री राममोहन गाड्डे :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार गैर-सरकारी अस्पतालों, उपचर्या गृहों और अन्य गैर-सरकारी संस्थाओं को नियमित करने हेतु एक व्यापक नीति तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में राज्य सरकारों से परामर्श किया गया है;

(घ) यदि हां, तो प्राप्त सुझावों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) केन्द्र सरकार का इस पर क्या निर्णय है;

(च) क्या सरकार का विचार उनके कार्यकरण में पारदर्शिता लाने और उन्हें अधिक जिम्मेदार बनाने के उद्देश्य से एक विधायी आचार संहिता तैयार करने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह आचार संहिता कब तक लागू होगी?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (छ) भारतीय संविधान के अनुसार "स्वास्थ्य" राज्य का विषय है और यह संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का दायित्व है कि वह राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में उपलब्ध विधयों/कानूनों के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के निजी अस्पतालों, नर्सिंग होमों तथा अन्य गैर-सरकारी संस्थानों की कार्य-प्रणाली को नियमित करें। तथापि, भारत सरकार निम्नलिखित पहलुओं पर विचार कर रही है:-

(1) एक अनिवार्य प्रावधान बनाना कि रोगियों अथवा उनके परिजन यदि इच्छुक हैं तो वे रोगी के मेडिकल रिकार्ड की एक सत्यापित प्रति प्राप्त कर सकते हैं चाहे संबंधित अस्पताल सरकारी है अथवा निजी।

(2) भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम में उपयुक्त संशोधन द्वारा डाक्टरों की जानकारी को निरन्तर अद्यतन बनाने के लिए सतत 30 घंटे की चिकित्सा शिक्षा लेने के बाद प्रत्येक पांच वर्ष में पुन: पंजीकरण, तथा

(3) चिकित्सा सेवा प्रदान करने वाले सभी अस्पतालों, नर्सिंग होमों एवं नैदानिक केन्द्रों में भौतिक आधारभूत ढांचे एवं जन शक्ति के न्यूनतम मानक को अधिसूचित करना।

उपरोक्त प्रयास प्रारंभिक चरण में हैं तथा यह बताना संभव नहीं है कि इन प्रयासों को अंतिम रूप देने में कितना समय लगेगा।

जोड़ों के दर्द का उपचार

1698. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के अस्पतालों में उचित उपचार की अनुपलब्धता के कारण जोड़ों के दर्द से ग्रस्त बहुत से रोगी बिस्तर पर पड़े हुए हैं/नि:शक्त हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अस्पतालों में उपलब्ध सुविधाएं क्या हैं;

(ग) क्या सरकार के पास लोगों के लाभ के लिए कि उनका उपचार भली प्रकार से हो सके, नवीनतम तकनीक आयात करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने सूचित किया है कि गठिया के उपचार की अवधि एवं अपंगता प्रारंभिक उपचार शुरू होने के समय बीमारी की गहनता पर निर्भर करती है। अधिकांशत: गठिया के मरीजों को अस्पताल में भर्ती नहीं कराना पड़ता। उनका उपचार संतुलित तौर पर किया जाता है।

जोड़ बदलने की सुविधाएं डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, सफदरजंग अस्पताल, लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज एवं श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल सरीखे कई बड़े अस्पतालों एवं सम्बद्ध अस्पतालों में उपलब्ध हैं।

(ग) और (घ) उपलब्ध संसाधनों के अन्तर्गत तकनीकों का उन्नयन करना एक सतत प्रक्रिया है। तथापि, गठिया के रोगियों के मूल उपचार की व्यवस्था उपरोक्त तीन केन्द्र सरकार के अस्पतालों सहित कई अस्पतालों में उपलब्ध है।

विदेशों में मिशनों का खोला जाना तथा पदों का भरा जाना

1699. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान विदेशों में बंद किये गये किसी मिशन/पद को पुन: खोलने अथवा भरने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (ए.आई.आई.एम.एस.) के कार्यों की समीक्षा

1700. श्री नवल किशोर राय :
श्री रामजीलाल सुमन :
श्री जोरा सिंह मान :
डा. सुशील कुमार इन्दौरा :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (ए.आई.आई.एम.एस.) की स्थापना अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 के अंतर्गत की गयी थी;

(ख) यदि हां, तो उक्त संस्थान की स्थापना के मुख्य उद्देश्य क्या थे;

(ग) क्या इन उद्देश्यों को प्राथमिकता क्रम में रखा गया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी प्राथमिकता क्रम क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में रोगियों की बढ़ती हुई संख्या को ध्यान में रखते हुए उसके विस्तार की कोई योजना तैयार की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 की धारा 13 के अंतर्गत संस्थान के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

(1) स्नातक-पूर्व मेडिकल शिक्षा में शिक्षण की प्रणालियों का अपनी सभी शाखाओं में विकास करना ताकि भारत में सभी मेडिकल कालेजों तथा अन्य संबद्ध संस्थानों में मेडिकल शिक्षा का उच्च स्तर प्रदर्शित कर सके।

(2) स्वास्थ्य कार्यकलापों की सभी महत्वपूर्ण शाखाओं में कार्मिकों के प्रशिक्षण हेतु सर्वोत्तम स्तर की शैक्षिक सुविधाओं को एक स्थान पर लाना, तथा

(3) स्नातकोत्तर मेडिकल शिक्षा में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना।

उपर्युक्त अधिनियम में उद्देश्यों की प्राथमिकता का क्रम नहीं रखा गया है।

(ङ) और (च) पड़ोसी देशों सहित देश भर से बड़ी संख्या में रोगी इलाज के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अस्पताल में आते हैं। संस्थान लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सुविधाएं बढ़ाने हेतु अनुकूल प्रयास करता है। चूंकि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के बाह्य रोगी विभाग में असामान्य भीड़ रहती है, बाह्य रोगी विभाग की कार्य प्रणाली में सुधार लाने और बाह्य रोगियों की जांच शुरू करके भीड़ के दबाव को कम करने की योजना है।

[अनुवाद]

आतंकवाद से निपटने के लिए भारत और रूस के प्रयास

1701. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और रूस में आतंकवाद के खतरे पर विचार-विमर्श करने के लिए दोनों देशों की कार्यकारिणी समितियों की कोई बैठक आयोजित करने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) बैठक में चर्चा किये जाने वाले मुख्य मुद्दे क्या हैं; और

(घ) विश्व स्तर पर आतंकवाद की समस्या से निपटने के लिए दोनों देशों द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) से (ग) भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद और रूसी परिसंघ की सुरक्षा परिषद के बीच संपन्न सहयोग के प्रोटोकोल की शर्तों के अनुसार दोनों पक्ष अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद से सम्बद्ध संयुक्त समन्वय दल की स्थापना के लिए सहमत हुए हैं। इस दल की पहली बैठक शीघ्र होने की उम्मीद है।

(घ) रूसी परिसंघ के राष्ट्रपति महामान्या श्री ब्लाडिमीर पुतिन की 2 से 5 अक्तूबर, 2000 तक की भारत की राजकीय यात्रा के दौरान विभिन्न मुलाकातों में आन्तरिक आतंकवाद के विषय पर विस्तार से चर्चा हुई थी। भारत और रूसी परिसंघ अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद, उग्रवाद, जातीय, अलगाववाद, सीमा पार से संगठित अपराध तथा नशीली दवाओं के गैर-कानूनी व्यापार को अन्तर्राष्ट्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा मानते हैं। उन्होंने आतंकवाद तथा उग्रवाद के सभी स्वरूपों की निंदा की चाहे उसे न्यायोचित ठहराने के लिए राजनैतिक, दार्शनिक, सैद्धांतिक, धार्मिक, जातीय, तथा अन्य बातों का सहारा क्यों न लिया जाए। दोनों पक्षों ने उन राज्यों की निंदा की जो अन्तर्राष्ट्रीय आंतकवाद को सीमा पार से सहायता देते हैं, उकसाते हैं और प्रत्यक्ष रूप से समर्थन देते हैं। भारत और रूसी परिसंघ ने अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद को रोकने में सहयोग करने के लिए ठोस अन्तर्राष्ट्रीय कानूनी आधार की स्थापना करके और अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद से सम्बद्ध व्यापक अभिसमय और नाभिकीय आतंकवाद के कृत्यों के दमन से सम्बद्ध अभिसमय के जरिए संयुक्त प्रयासों की महत्ता पर बल दिया है।

[हिन्दी]

जन शिकायतें

1702. श्रीमती निवेदिता माने :
श्री विजय गोयल :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने एक निर्धारित समय के भीतर जन शिकायतों को दूर करने हेतु कोई प्रणाली विकसित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा प्राप्त की गयी और दूर की गयी शिकायतों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) आज की तिथि के अनुसार सरकार के पास कितनी जन शिकायतें लंबित पड़ी हैं; और

(ङ) प्रधान मंत्री के कार्यालय में कार्यरत लोक शिकायत प्रकोष्ठ की भूमिका का ब्यौरा क्या है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी): (क) और (ख) जी हां। चूंकि अधिकांश शिकायतें क्षेत्रीय स्तर पर उत्पन्न होती हैं, अत: उनका वास्तविक निवारण स्थानीय स्तर पर कार्यरत उन अभिकरणों द्वारा ही किया जाना होता है जो कि अपने-अपने कार्य-कलापों से संबंधित शिकायतों की विषय-वस्तु से पूर्ण रूप से अवगत होते हैं। तद्नुसार, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने केन्द्रीय सरकार के प्रत्येक मंत्रालय/विभाग/संगठन में एक वरिष्ठ अधिकारी के प्रभार के अधीन विकेन्द्रीकृत शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना की है। उन्हें विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ शिकायतों की पावती भेजने और उनका अंतिम रूप से निपटान करने के लिए समय-सीमाएं निर्धारित की गई हैं।

(ग) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष-वार प्राप्त हुई और निपटायी गई शिकायतों के विवरण निम्न प्रकार हैं:-

वर्ष	प्राप्त शिकायतों की संख्या (पीछे से लायी गई संख्या सहित)	निपटाई गई शिकायतों की संख्या
1997-1998	7,06,511	4,82,048
1998-1999	15,52,228	10,82,042
1999-2000	7,13,241	6,07,678

(घ) 1.4.2000 से 30.9.2000 की अवधि के दौरान लंबित पड़ी शिकायतों की संख्या 63,838 है।

(ङ) प्रधान मंत्री कार्यालय के 'लोक स्कंध' में, प्रधान मंत्री को उनके दौरे के दौरान तथा जनता दरबार में प्रस्तुत की गई याचिकाओं के साथ-साथ आम जनता से याचिकाएं प्राप्त की जाती हैं और उन पर कार्रवाई की जाती है। सभी याचिकाओं की छानबीन की जाती है तथा समुचित कार्रवाई के लिये इन्हें इस अनुरोध के साथ संबंधित प्राधिकारियों को भेज दिया जाता है कि वे उनका निपटारा करें और याचिकादाताओं को उपयुक्त उत्तर भेज दें। ऐसे कुछ चयनित मामलों में रिपोर्टें मंगाई जाती हैं जिन पर प्रधान मंत्री कार्यालय में अधिक ध्यान दिया जाना तथा उनके द्वारा मॉनिटरिंग की जानी अपेक्षित होती है।

[अनुवाद]

रूसी राष्ट्रपति की यात्रा

1703. **श्री अनन्त नायक :**
श्री माधवराव सिंधिया :
श्री टी. गोविन्दन :
श्री सुरेश कुरुप :
श्री आर.एस. पाटिल :
श्री बीर सिंह महतो :
श्री भेरूलाल मीणा :
श्री ताराचन्द भगोरा :
श्रीमती जसकौर मीणा :
श्री जी. पुट्टास्वामी गौडा :
श्री सुन्दरलाल तिवारी :
श्री अरूण कुमार :
डा. जसवंत सिंह यादव :
श्रीमती निवेदिता माने :
श्री सुशील कुमार शिन्दे :
श्री हरिभाऊ शंकर महाले :
श्री सदाशिव राव दादोबा मंडलिक :
श्री रामशकल :
डा. अशोक पटेल :
श्रीमती रेणूका चौधरी :
श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी :
श्री पी.एस. गढ़वी :
श्री रामचन्द्र बैंदा :
श्री उत्तमराव पाटील :
श्री तरूण गोगोई :
योगी आदित्यनाथ :
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रूस के राष्ट्रपति की हाल की भारत-यात्रा के दौरान जिन मुद्दों पर चर्चा हुई उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) इस अवसर पर जिन समझौतों/समझौता-ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए उनकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(घ) क्या भारत पर रूस के ऋणभार के मुद्दे पर भी चर्चा हुई;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस चर्चा का क्या परिणाम निकला तथा भारत पर बकाया ऋणराशि कितनी है;

(च) क्या रूसी राष्ट्रपति ने एशियाई त्रिकोण बनाने का विचार प्रस्तुत किया है;

(छ) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ज) प्रमुख राष्ट्रीय/अंतर-राष्ट्रीय मुद्दों पर आपसी समझ बनाने में इस यात्रा से कहां तक सहायता मिली है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) और (ख) रूसी परिसंघ के राष्ट्रपति महामहिम श्री व्लादिमिर पुतिन ने 2-5 अक्तूबर 2000 तक भारत की राजकीय यात्रा की। यात्रा के दौरान भारत रूस द्विपक्षीय संबंधों के संपूर्ण परिदृश्य तथा आपसी हित चिंता के क्षेत्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय मसलों पर चर्चा की गयी। दोनों पक्षों ने इस बात को दोहराया कि भारत-रूस संबंध समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं और निरंतरता, विश्वास एवं आपसी समझबूझ इसकी विशेषता है। इस बात को नोट किया गया कि ये संबंध साझी भावनाओं और आपसी हितों पर आधारित हैं। दोनों पक्षों ने अपने संबंधों को और घनिष्ठ और संवर्द्धित करने की आवश्यकता के प्रति दोनों देशों में विद्यमान राष्ट्रीय सर्वसम्मति का भी उल्लेख किया।

(ग) इस यात्रा के दौरान कुल मिलाकर 17 करारों/द्विपक्षीय दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किये गये। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण भारत और रूसी परिसंघ के बीच सामरिक भागीदारी से संबद्ध घोषणा है। यह दस्तावेज 21वीं सदी में भारत और रूसी परिसंघ बनता है। अन्य करार विधि मामले और न्याय डाक संचार खुरदुरे प्राकृतिक हीरों और बेशकीमती धातुओं के प्रसंस्करण और व्यापार सहित व्यापार और आर्थिक सहयोग, ऊर्जा क्षेत्र, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, संस्कृति सैन्य तकनीकी सहयोग एवं आणविक ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के क्षेत्रों से संबंधित थे। इस मसले पर एक संयुक्त घोषणापत्र भी जारी किया गया।

(घ) और (ङ) रूसी परिसंघ के राष्ट्रपति के साथ वार्ता में रुपया पुनर्भुगतान उपाय के जरिए व्यापार और आर्थिक सहयोग को भी शामिल किया गया। जनवरी 2001 में मास्को में आयोजित होने वाली व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीय और सांस्कृतिक सहयोग से संबद्ध भारत-रूस अंतर-सरकारी आयोग के सातवें सत्र में इस विषय पर और चर्चा की जाएगी। अभी भारत पर सोवियत ऋणों का बोझ लगभग 18,683 करोड़ रु. का है।

(च) जी नहीं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

(ज) अक्टूबर, 2000 में रूसी परिसंघ के राष्ट्रपति की भारत की राजकीय यात्रा से हमारा द्विपक्षीय संबंध नये गुणात्मक स्तर तक पहुंचा है। इससे भारत-रूस भागीदारी को नया जीवन मिला है। भारत और रूसी परिसंघ के बीच सामरिक भागीदारी से संबद्ध घोषणा बुनियादी महत्व का एक दस्तावेज है जो नयी सहस्राब्दि में हमारी भागीदारी का निर्णय करेगा। चर्चा के दौरान दोनों पक्षों ने क्षेत्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय मसलों पर विचारों में समानता दर्शायी।

एम.एम.आर. टीके

1704. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने हाल ही में एम.एम.आर. जन-टीकाकरण योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो क्या देश के सभी सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रों, अस्पतालों और दवाखानों में एम.एम.आर. टीके बिलकुल नि:शुल्क उपलब्ध कराया जाना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या एम.एम.आर. टीका सुरक्षित व देश में ही विनिर्मित हैं तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन के सभी निर्धारित मानकों को पूरा करता है और इसे भारतीय बालरोग विशेषज्ञ अकादमी की सिफारिशों पर विश्वव्यापी प्रतिरक्षण कार्यक्रम में शामिल किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ग) जी, नहीं।

(घ) से (च) एम.एम.आर. मम्प्स, खसरे और रुबेला के लिए एक मिश्रित वैक्सीन है। यह महंगा वैक्सीन है। उपलब्ध

सूचना के अनुसार यह सुरक्षित है और कुछ स्वदेशी सुविधाओं द्वारा तैयार किया जा रहा है। भारतीय बाल रोग अकादमी की अनुशंसाओं के बावजूद, वैक्सीन की उच्च लागत और चलाए जा रहे नेमी प्रतिरक्षण कार्यक्रम एवं पोलियो-उन्मूलन में सुधार लाने और इसे सुदृढ़ करने की सरकार की मौजूदा प्राथमिकता के कारण एम.एम.आर. को विश्वव्यापी प्रतिरक्षण कार्यक्रम में शामिल करना संभव नहीं हो सका है।

राज्य संसाधनों का उपयोग

1705. श्री गुद्दा सुकेन्दर रेड्डी: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग का राज्य संसाधनों के उपयोग पर नजर रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि धनराशि का उपयोग केवल विशिष्ट योजना-शीर्षों पर ही किया जाये कोई अभितंत्र बनाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस समय योजना आयोग इस पर राज्यों के कार्य-निष्पादन की किस प्रकार निगरानी कर रहा है;

(घ) क्या यह प्रणाली संतोषप्रद कार्य नहीं कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी): (क) से (ग) विशिष्ट योजना शीर्षों के लिए योजना के वास्ते राज्य संसाधनों के उपयोग की मानीटरिंग प्रगति रिपोर्टों के माध्यम से की जाती है और योजना सहायता जारी करने के लिए राज्यों द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री तथा अधिकारी स्तर दोनों पर राज्यों से विचार-विमर्श करके यह सुनिश्चित किया जाता है और राज्यों का योजना आयोग के आवधिक दौरों के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। राज्य निष्पादन की वार्षिक योजना चर्चाओं के दौरान विस्तृत रूप से समीक्षा की जाती है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित पद

1706. श्री राम टहल चौधरी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित पदों को भरने के संबंध में किए जा रहे कार्य की समीक्षा करने के लिए एक पैनल बनाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सभी आरक्षित और अनारक्षित रिक्तियां इस बारे में संगत अनुदेशों के अनुसार भरी जाती हैं। फिर भी, आरक्षित पद समय पर भरे जाने के बारे में अनुदेश समय-समय पर दोहराए जाते हैं।

श्रमिकों का शोषण

1707. श्री थावर चन्द गेहलोत : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) श्रमिकों के आर्थिक शोषण को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान कितने उद्योगों के खिलाफ श्रम कानूनों के उल्लंघन हेतु कार्रवाई की गई है; और

(ग) आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया में श्रमिकों के हितों की रक्षा हेतु सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

अमरीकी परमाणु प्रणाली को भंग करना

1708. श्री एन.एन. कृष्णदास : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधानमंत्री की अमरीकी यात्रा के दौरान और संयुक्त राष्ट्र संघ की सहस्राब्दि शिखरवार्ता के दौरान, भारत, डियेगो-गार्सिया में अमरीकी परमाणु-अड्डे को भंग करने की मांग उठाने में असफल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारत, अमरीका द्वारा बनाई जा रही राष्ट्रीय प्रतिरक्षा प्रणाली के बारे में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने में भी विफल रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) और (ख) हिन्द महासागर में विदेशी सैन्य अड्डों के मामले पर भारत की स्थिति सुविख्यात है। दिएगो गार्सिया में अमरीकी अड्डों को समाप्त करने का मामला न तो शिखर सम्मेलन के दौरान न ही अमरीका के साथ हुई द्विपक्षीय चर्चाओं के दौरान बातचीत के लिए उठा था।

(ग) और (घ) यह मामला अमरीका के साथ द्विपक्षीय बातचीत में उठा था। प्रधानमंत्री ने इस संबंध में प्रौद्योगिकीय, राजनीतिक और निरस्त्रीकरण से जुड़े पहलुओं को शामिल करते हुए भारत की हित-चिंताओं पर जोर डालते हुए सरकार की स्थिति स्पष्ट की थी।

खादी ग्रामोद्योग आयोग पर से राज-सहायता समाप्त करना

1709. श्री पवन कुमार बंसल : क्या **लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने खादी ग्रामोद्योग आयोग पर से राज-सहायता समाप्त कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसका खादी के उत्पादन और ग्रामीण कारीगरों पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

पिछड़े राज्यों का विकास

1710. श्री ब्रह्मानन्द मंडल : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश के पिछड़े राज्यों की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने पिछड़े राज्यों के विकास के लिए एक ब्ल्यू-प्रिंट तैयार किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस योजना को कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी): (क) से (ङ) जी, नहीं। केन्द्रीय सरकार ने स्वयं किसी राज्य की पिछड़ा राज्य के रूप में पहचान नहीं की है। आनुक्रमिक योजना दस्तावेजों का एक प्रमुख ध्यान केन्द्रित करने वाला बिन्दु देश के पिछड़े क्षेत्रों और राज्यों को उठाना रहा है। किसी क्षेत्र की आयोजना और विकास और इस परियोजनार्थ निधियों का आबंटन करना संबंधित राज्य का मुख्य रूप से उत्तरदायित्व है। बहरहाल, केन्द्र सरकार राष्ट्रीय विकास परिषद के समझौता के साथ, सामान्य केन्द्रीय सहायता के वितरण के लिए प्रयोग में आने वाले फार्मूले में विकास स्तरों में अंतरों के लिए उपयुक्त वेटेज समनुदेशित करके पिछड़े क्षेत्रों के विकास में राज्य सरकारों के प्रयासों की सहायता करती है। इसके अतिरिक्त, विशेष क्षेत्र कार्यक्रम और विभिन्न गरीबी उन्मूलन स्कीमों के अंतर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता आबंटित की जाती है।

[अनुवाद]

सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की समीक्षा

1711. **श्री पी.डी. एलानगोवन :**
श्री भर्तृहरि महताब :
श्री त्रिलोचन कानूनगो :

क्या सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में सूचना प्रौद्योगिकी के निष्पादन और प्रगति की समीक्षा की है और निर्धारित लक्ष्यों तथा उपलब्धियों के पदों में, सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर क्षेत्रकों में, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सहित कितना निवेश किया गया है;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष और पूर्ववर्ती दो वर्षों के लिए तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस क्षेत्र में कार्य-निष्पादन को बढ़ाने के लिए 2000-2001 के दौरान किए गये/प्रस्तावित नवीन नीतिगत प्रयासों का ब्यौरा क्या है और राज्यवार-कितनी वृद्धि होने की प्रत्याशा है;

(घ) 31.3.2000 की स्थिति के अनुसार, 1999-2000 के दौरान कुल कितनी इकाइयां काम कर रही थीं और कितनी नई इकाइयों का पंजीयन किया गया तथा करों से छूट-प्राप्त क्षेत्रों में राज्यवार कितनी इकाइयां काम कर रही थी; और

(ङ) भारत के अग्रणी 20 शीर्ष सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर-उद्योगों के कार्य-निष्पादन का सांख्यिकीय ब्यौरा क्या है और देश की सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की अन्य सॉफ्टवेयर उत्पादक-इकाइयों के संबंध में ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) से (ग) जी, हां। भारत को वर्ष 2000 तक सूचना प्रौद्योगिकी महाशक्ति बनाने के राष्ट्रीय उद्देश्य के मद्देनजर सरकार राष्ट्रीय स्तर पर सूचना प्रौद्योगिकी के विकास में हुई प्रगति की निरंतर निगरानी कर रही है। किन्तु, सरकार द्वारा राज्यवार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। सरकार का वर्ष 2008 तक 50 बिलियन अमरीकी डॉलर के सॉफ्टवेयर निर्यात तथा 10 बिलियन अमरीकी डॉलर के हार्डवेयर निर्यात का लक्ष्य है। पिछले दो वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान विदेशी पूंजीनिवेश संवर्धन बोर्ड (एफ.आई.पी.बी.), उद्योग मंत्रालय द्वारा अनुमोदित प्रस्तावों के ब्यौरे नीचे दिए अनुसार हैं:-

वर्ष	संख्या	राशि (करोड़ रुपए में)
1998-1999	218	943.84
1999-2000	438	2477.84
2000-2001 (सितम्बर तक)	261	6282.90

सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में किए गए नीतिगत उपायों के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(घ) 31.3.2000 की स्थिति के अनुसार वर्ष 1999-2000 के दौरान एस.टी.पी.आई. योजना के अंतर्गत चालू इकाइयों तथा नई पंजीकृत इकाइयों के केन्द्रवार आंकड़े संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं। सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एस.टी.पी.) योजना के अंतर्गत ये इकाइयां पहले ही आयकर से मुक्त हैं।

(ङ) नैसकॉम (राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर तथा सेवा कम्पनी संघ) के अनुसार शीर्ष 20 सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर कम्पनियों द्वारा वर्ष 1999-2000 के दौरान किया गया कुल निर्यात 10258 करोड़ रुपए (लगभग) था। वर्ष 1999-2000 के दौरान कुल सॉफ्टवेयर निर्यात 17150 करोड़ रुपए था।

विवरण-I

सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए गए नीतिगत उपाय

- सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने जन साधारण के लिए सूचना प्रौद्योगिकी पर एक कार्य दल का गठन किया है। कार्य दल ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट पेश की है तथा कई महत्वपूर्ण सिफारिशें की हैं। कार्य दल ने वर्ष 2008 तक कम से कम 100 मिलियन इंटरनेट सम्पर्क स्थापित करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है तथा सम्पूर्ण देश में दस लाख इंटरनेट समर्थित सूचना प्रौद्योगिकी कियॉस्क/साइबर कैफे स्थापित किए जाएंगे।
- जन साधारण तक सूचना प्रौद्योगिकी की पहुंच बढ़ाने के लिए सरकार सिक्किम सहित देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी 487 खण्डों में सामुदायिक सूचना केन्द्र स्थापित कर रही है। देश के अन्य सुदूर क्षेत्रों के लिए भी ऐसी योजनाएं तैयार की जाएंगी।

- देश के विभिन्न भागों में सॉफ्टवेयर निर्यातक इकाइयों को उच्च गति डेटा संचार सुविधाएं तथा निर्माण की सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकार ने देश में 15 सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित किए हैं। कुछ और केन्द्र देश में स्थापित किए जा रहे हैं।

- सूचना प्रौद्योगिकी कम्पनियों को उद्यम पूंजी वित्त उपलब्ध कराने के प्रयोजन से 100 करोड़ रुपए की लागत से सॉफ्टवेयर तथा सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के लिए एक राष्ट्रीय उद्यम निधि (एन.एफ.एस.आई.टी.) का गठन किया गया है।

- मानव संसाधन विकास मंत्री की अध्यक्षता में मानव संसाधन विकास पर एक कार्यदल गठित किया गया है। यह कार्यदल अन्य बातों के अलावा अगले शैक्षणिक वर्ष से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों/क्षेत्रीय इंजीनियरी कॉलेजों में भर्ती की संख्या दुगुनी करने तथा अगले दो वर्षों में तिगुनी करने के लिए अपनी रिपोर्ट एक माह के अंदर देगा।

- सरकार ने विदेशों में सूचना प्रौद्योगिकी व्यवसाय के विकास तथा संवर्धन के लिए कई प्रोत्साहन देने की भी घोषणा की है। इन प्रोत्साहन के ब्यौरे परिशिष्ट में दिए गए हैं।

- सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के टी.डी.आई.एल. (भारतीय भाषाओं के लिए प्रौद्योगिकी विकास) कार्यक्रम के अंतर्गत कई उपाय किए गए हैं। 13 शैक्षणिक तथा अुसंधान एवं विकास संस्थाओं में भारतीय भाषाओं के समाधान के स्रोत केन्द्र संविधान के अंतर्गत आने वाली सभी राजभाषाओं पर कार्य करेंगे।

- सूचना प्रौद्योगिकी एवं सॉफ्टवेयर विकास पर गठित राष्ट्रीय कार्यदल ने वर्ष 2008 तक 50 बिलियन अमरीकी डॉलर मूल्य के सॉफ्टवेयर निर्यात का लक्ष्य रखा है। वर्ष 1999-2000 के दौरान 4 बिलियन अमरीकी डॉलर के सॉफ्टवेयर का निर्यात हुआ। सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर के लिए उक्त कार्यदल ने वर्ष 2008 तक 10 बिलियन अमरीकी डालर के निर्यात का लक्ष्य निर्धारित किया है।

परिशिष्ट

सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए प्रोत्साहन

विदेशों में सूचना प्रौद्योगिकी व्यवसाय को बढ़ावा और प्रोत्साहन देने के लिए भारत सरकार ने लाइसेंसिंग समाप्त कर दी है तथा प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाने के लिए उन्हें सरल कर दिया है। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं:

1. देश में इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य को सहज बनाने के प्रयोजन से कानूनी ढांचा उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम को अधिनियमित किया है। इस अधिनियम की अन्य बातों के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक संविदाओं की स्वीकार्यता, कम्प्यूटर अपराधों के रोक तथा इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग/दस्तावेजों आदि की मान्यता के लिए कानूनी ढांचे का प्रावधान किया गया है। क्षेत्राधिकार, अधिप्रमाणन एवं मूल स्रोत जैसे विषयों का समाधान करने के लिए अंकीय हस्ताक्षर के तंत्र का अनुमोदन किया गया है।

2. शून्य सीमा शुल्क पर पूंजीगत वस्तु निर्यात संवर्धन (ई.पी.सी.जी.) योजना।

3. 100 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी पूंजीनिवेश की अनुमति।

4. सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क योजना।

5. ए.डी.आर./जी.डी.आर. निर्गमों से जुड़े भारतीय सॉफ्टवेयर कम्पनियों के लिए विशेष स्टॉक विकल्प स्कीम।

6. सूचना प्रौद्योगिकी एवं सॉफ्टवेयर उद्योग के लिए कार्यशील पूंजी वित्त।

7. कम्पनी अधिनियम में श्वेट इक्विटी को शामिल कर लिया गया है।

8. निर्यातोन्मुखी इकाई (ई.ओ.यू.)/निर्यात संसाधन क्षेत्र (ई.पी.जेड.)/सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एस.टी.पी.) योजना के अंतर्गत इकाइयों के निर्यात के लदान पर्यन्त नि:शुल्क मूल्य के 50 प्रतिशत तक घरेलू शुल्क क्षेत्र (डी.टी.ए.) अभिगम।

9. कम्प्यूटर पर 60 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से मूल्यह्रास।

10. कम्प्यूटर एवं पेरिफेरलों पर सीमा शुल्क घटाकर 15 प्रतिशत तक लाना। सभी भंडारण युक्तियों, एकीकृत परिपथों, सूक्ष्मसंसाधकों, रंगीन मॉनीटरों के डेटा प्रदर्श ट्यूबों एवं विक्षेपण संघटक-पुर्जों पर सीमा शुल्क 0 प्रतिशत है।

11. सॉफ्टवेयर को सीमा-शुल्क तथा उत्पाद शुल्क से छूट दी गई है।

12. निर्यातोन्मुखी इकाइयों/निर्यात संसाधन क्षेत्र/सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क की सॉफ्टवेयर इकाइयों को आयकर से छूट।

13. बाह्य व्यावसायिक उधारियों पर ब्याज पर कर के अवरोधन से छूट।

14. कम्प्यूटर प्रणालियां निःशुल्क रूप से आयात की जा सकती है। निर्यातोन्मुखी इकाइयों/निर्यात संसाधन क्षेत्र/सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क/इलेक्ट्रॉनिकी हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (ई.एच.टी.पी.) की इकाइयों से शैक्षिक संस्थानों, अस्पतालों आदि को प्रयुक्त कम्प्यूटरों को उपहार में देने की शुल्क मुक्त अनुमति दी गई है।

15. उद्यम पूंजी निधि के लाभांश से आय पर कराधान से छूट।

16. अमेरिका में महत्वपूर्ण गठजोड़ स्थापित करने में लघु एवं मध्यम उद्यमियों को सहायता करने के लिए "सिलिकन घाटी", कैलीफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में "व्यवसाय सहायता केन्द्र" खोला गया है।

विवरण-II

एस.टी.पी.आई. योजना के अन्तर्गत इकाइयां

केन्द्र का नाम	मार्च 2000 तक अनुमोदित इकाइयां	1999-2000 के दौरान अनुमोदित इकाइयां	प्रचालनरत इकाइयां
बंगलौर	746	470	422
भुवेश्वर	152	116	137
कलकत्ता	131	95	107
चेन्नै	535	413	292
गांधीनगर	295	246	179
हैदराबाद	977	785	539
जयपुर	95	71	69
मोहाली	131	111	107
नवी मुम्बई	755	715	163
नोएडा	1103	854	823
पुणे	474	372	139
त्रिवेन्द्रम	188	138	72
योग	5582	4386	3049

राष्ट्रीय श्रवण-विकलांग संस्थान

1712. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय श्रवण-विकलांग संस्थान (एन.आई.एच.एम.) अपने क्षेत्र में प्रशिक्षित कर्मचारियों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान एन.आई.एच.एम. द्वारा कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया;

(ग) क्या प्रशिक्षण के स्तर को बढ़ाना का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) से (घ) पिछले तीन वर्षों के लिए राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान द्वारा डिप्लोमा, डिग्री, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित किए गए व्यक्तियों की संख्या निम्नलिखित है:-

	डिप्लोमा	डिग्री	स्नातकोत्तर डिग्री	कुल
1997-98	85	91	30	206
1998-99	82	90	28	200
1999-2000	108	106	20	234

डिप्लोमा/डिग्री/स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रमों को भारतीय पुनर्वास परिषद् के परामर्श से तैयार किया जाता है। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सामान्यतया भारतीय पुनर्वास परिषद के परामर्श से प्रारम्भ किए जाते हैं।

आवारा कुत्तों द्वारा फैलाई जाने वाली रैबीज की बीमारी से होने वाली मौतें

1713. डा. विजय कुमार मल्होत्रा : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में दिल्ली में आयोजित एक सेमिनार में भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद ने भारत में आवारा कुत्तों द्वारा फैलाई जाने वाली "रैबीज" की बीमारी से हो रही मौतों की बढ़ती संख्या पर गम्भीर चिन्ता प्रकट की है;

(ख) पिछले छह महीनों के दौरान नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् दिल्ली नगर निगम और दिल्ली छावनी क्षेत्र द्वारा कितने आवारा कुत्तों को पकड़ा और मारा गया; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा कौन से उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

फर्जी-चिकित्सकों के संबंध में कानून

1714. श्री नरेश पुगलिया : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का देश में फर्जी-चिकित्सकों की गतिविधियों से निपटने के लिए, एक कानून बनाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(घ) इस कानून को कब तक अधिनियमित किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (घ) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम 1970 और केन्द्रीय होमियोपैथी परिषद अधिनियम 1973 में निहित प्रावधानों के अनुसार कोई गैर-पंजीकृत चिकित्सक इलाज नहीं कर सकता। इस प्रावधान का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को संबंधित अधिनियम के अंतर्गत कैद और जुरमाने की सजा हो सकती है।

तथापि, कानून के तहत उन अनर्ह चिकित्सकों के विरुद्ध निरोधक कार्रवाई करने संबंधी कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है जो डाक्टर होने का छल करते हैं और इलाज करते हैं। इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने अनर्ह व्यक्तियों द्वारा इलाज किए जाने को रोकने हेतु एक मॉडल विधायी प्रस्ताव तैयार करने के लिए कदम उठाया है।

[हिन्दी]

"एम्स" में एम्बूलेंस की सुविधा

1715. श्री रामदास आठवले : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में कोई एम्बूलेंस उपलब्ध नहीं है, जबकि वहां इस प्रयोजनार्थ कुछ मारूति वैनें है जो एम्बूलेंस के निर्धारित मानक पर खरी नहीं उतरतीं - जैसा कि 9 सितम्बर 2000 के "दैनिक जागरण" समाचार-पत्र के दिल्ली संस्करण में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा "एम्स" में आवश्यक दवाओं तथा जीवन रक्षक उपकरणों से सुसज्जित एम्बूलेंस वाहन उपलब्ध कराने के लिए कौन से सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ग) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में आठ एम्बूलेंस हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की नीति के अनुसार जब अ.भा.आयु. संस्थान में कोई बिस्तर

खाली नहीं रहते हैं तो इन एम्बूलेंसों का उपयोग केजुएल्टी में उपचार के बाद स्थिर रोगियों को नजदीक के सफदरजंग अस्पताल या अन्य सरकारी अस्पतालों में ले जाने के काम में किया जाता है। कतिपय स्थितियों में जरूरत पड़ने पर एम्बूलेंसों को रोगियों को लाने हेतु भेजा जाता है। एम्बूलेंस आवश्यक उपकरण और दवाओं से सुसज्जित होते हैं और विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कार्यकुशल और अर्हताप्राप्त कार्मिक उपलब्ध कराने के सभी प्रयास किए जाते हैं।

[अनुवाद]

भारत-ब्राजील समझौता-ज्ञापन

1716. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी :
श्री रामचन्द्र बैंदा :

क्या **सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और ब्राजील ने इलेक्ट्रानिक्स, वाणिज्य, सूचना, सुरक्षा तथा साइबर-अपराध जैसे प्रबंधन क्षेत्रों में सहयोग करने के लिए एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ब्राजील ने सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तथा इसमें भारत के साथ सहयोग करने में गहरी रुचि प्रदर्शित की है;

(घ) यदि हां, तो आगामी तीन वर्षों के दौरान दोनों देशों के बीच कुल कितने डालर राशि की सहयोग-गतिविधियां होने का अनुमान है; और

(ङ) यदि इस संबंध में कोई अनुमान किया गया है, तो उसके संबंध में ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) जी, हां।

(ख) निम्नलिखित क्षेत्रों में पारस्परिक सहयोग का पता लगाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी पर एक ब्राजील-भारत कार्यदल का गठन किया गया है:

1. सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में अनुसंधान, डिजाइन एवं विकास
2. तीसरे विश्व के बाजारों का पता लगाना
3. इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य
4. इलेक्ट्रॉनिक शासन
5. आभासी शिक्षा के जरिए मानव संसाधन विकास
6. सूचना सुरक्षा तथा साइबर अपराध
7. बैंकिंग स्वचालन

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) इस संबंध में कोई अनुमान नहीं लगाया गया है।

भूमिहीनों को भूमि

1717. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** दिनांक 2 अगस्त, 2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1723 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अपेक्षित जानकारी एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और यह सूचना कब तक एकत्र कर ली जाएगी?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) से (ग) दिनांक 2 अगस्त, 2000 का अतारांकित प्रश्न सं. 1723, वर्ष 1991-92 के दौरान भूमिहीनों को भूमि के वितरण से संबंधित है।

प्रश्न की विषय-वस्तु भूमिहीन परिवारों से संबंधित है जो इस मंत्रालय से संबंधित नहीं है। प्रारंभिक रूप से इस प्रश्न को ग्रामीण विकास मंत्रालय से स्वीकार करने के लिए कहा गया था। यह प्रश्न इस मंत्रालय के नाम स्वीकृत हो जाने के पश्चात्, ग्रामीण विकास मंत्रालय से संगत सूचना भेजने का अनुरोध किया गया। ग्रामीण विकास मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, वर्ष 1991-92 के दौरान 420681 एकड़ भूमि भूमिहीन परिवारों को वितरित की गई थी। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय से सूचना एकत्र करने में कुछ समय लगा।

विवरण

वर्ष 1991-92 के दौरान भूमिहीन लोगों को भूमि के वितरण दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वितरित भूमि	लाभग्राहियों की सं.	टिप्पणी
1	2	3	4	5
1.	अरूणाचल प्रदेश	–	–	वितरण के लिए कोई सरकारी भूमि खाली नहीं।
2.	मेघालय	–	–	भूमि सरकार के पास नहीं है।
3.	नागालैंड	–	–	कोई भूमिहीन व्यक्ति नहीं और न ही वितरण के लिए कोई सरकारी भूमि है।
4.	उड़ीसा	लागू नहीं	277102	–
5.	सिक्किम	–	–	कोई अधिशेष भूमि नहीं।
6.	तमिलनाडु	लागू नहीं	849650	–
7.	त्रिपुरा	36509	6056	–
8.	पश्चिम बंगाल	583825	1611857	–
9.	चंडीगढ़	–	–	कोई सरकारी कृषि भूमि खाली नहीं।
10.	दादर एवं नगर हवेली	–	–	कोई उपयुक्त खाली भूमि नहीं।
11.	लक्षद्वीप	–	–	कोई खाली भूमि नहीं।
12.	पांडिचेरी	147	71	–
		620481	2744736	

[हिन्दी]

राजस्थान में उपचर्या-महाविद्यालय

1718. श्री जसवन्त सिंह बिश्नोई : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राजस्थान में कितने उपचर्या-महाविद्यालय खोले गए हैं;

(ख) क्या भारतीय उपचर्या परिषद ने इन विद्यालयों को खोलने की अनुमति प्रदान की थी;

(ग) यदि हां, तो यह अनुमति कब दी गई;

(घ) क्या सरकार का उन महाविद्यालयों को बन्द कर देने का कोई प्रस्ताव है, जो भारतीय उपचर्या परिषद की अनुमति के बिना ही खोल दिए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) भारतीय नर्सिंग परिषद की ओर से दी गई सूचना के अनुसार पिछले 3 वर्षों में राजस्थान में नर्सिंग कालेज खोलने से संबंधित केवल एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

(ख) जी नहीं। संस्थान से परिषद द्वारा प्रस्ताव के संबंध में आवश्यक कागजात प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

प्रशासनिक लागत में वृद्धि

1719. **कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आठ पूर्वोत्तर राज्यों की प्रशासनिक लागत में बेतहाशा वृद्धि से विकास कार्य ठप्प-सा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन राज्यों को विशेष सहायता मुहैया कर इस संकट से उबरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी): (क) से (ग) यह सही है कि पूर्वोत्तर के आठ राज्यों में प्रशासनिक व्यय (गैर-योजना व्यय) के स्तर में यथेष्ठ वृद्धि हुई है। इसके लिए निश्चित रूप में निधियों का विचलन हुआ होगा जो अन्यथा विकास के लिए उपलब्ध कराई जा सकती थी, इसके बुरे प्रभाव को सरकार द्वारा किए गए निम्नलिखित उपायों के माध्यम से कम किया गया है:-

(1) सामान्य केन्द्रीय सहायता का 30 प्रतिशत विशेष श्रेणी राज्यों, जिनमें पूर्वोत्तर राज्य शामिल हैं, के लिए उद्दिष्ट किया जाता है।

(2) अन्य राज्यों के 30 प्रतिशत अनुदान एवं 70 प्रतिशत ऋण के मुकाबले योजना सहायता का 90 प्रतिशत अनुदान तथा 10 प्रतिशत ऋण के रूप में होता है।

(3) केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के योजना प्रावधान का 10 प्रतिशत पूर्वोत्तर राज्यों के विकास हेतु उद्दिष्ट किया गया है।

(4) वर्षों से बढ़ रहे राज्य योजना परिव्ययों के अतिरिक्त, केन्द्रीय मंत्रालयों एवं विभागों के पूर्वोत्तर राज्यों के विकास हेतु निर्धारित परिव्ययों की खर्च न की गई शेष निधियों के स्थानांतर के माध्यम से सृजित किए गए संसाधनों के गैर-व्यपगत केन्द्रीय पूल में से भी निधियां स्वीकृत की जा रही हैं।

(5) पूर्वोत्तर परिषद भी क्षेत्र में आधारिक संरचना के विकास में कार्यरत है।

(6) केन्द्रीय ऋण सहायता को उपयोग में लाने के लिए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रमों (ए.आई.बी.पी.) के संबंध में, पूर्वोत्तर राज्यों की लघु सिंचाई परियोजनाओं को शामिल करके तथा अन्य राज्यों के 33 प्रतिशत अंश के मुकाबले इन राज्यों के अंश के रूप में 25 प्रतिशत की अनुमति देकर, विशेष वितरण किए गए हैं।

फीजी का राष्ट्रमंडल से निष्कासन

1720. **श्री अरूण कुमार** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि फीजी को राष्ट्रमण्डल की सहायता से निष्कासित करने के लिए अब तक की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): मिलबुक कार्य योजना के प्रावधानों के अनुसार फिजी में लोकतंत्र एवं सांवैधानिक शासन की बहाली होने तक फिजी को राष्ट्रमण्डल की परिषद से निकाल दिया है। 18-20 अक्टूबर, 2000 तक अपिया, समोया में राष्ट्रमण्डलीय वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमण्डल ने राष्ट्रमण्डल से हरारे घोषणा में निहित सिद्धांतों तथा मिलबुक कार्य योजना के प्रावधानों का कड़ाई से पालन करने का आह्वान किया है। सरकार ने राष्ट्रमण्डल मंत्रिस्तरीय कार्यदल द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार फिजी के लिए विशेष दूत शीघ्र नियुक्त करने की आवश्यकता पर बल दिया। भारत फिजी में हो रही घटनाओं पर लगातार नजर रखे हुए है।

[अनुवाद]

सूचना प्रौद्योगिकी सेवा के लिए 'कामन एक्शन प्लान'

1721. **श्री सुशील कुमार शिंदे** :
श्रीमती रेणूका चौधरी :
श्री माधवराव सिंधिया :

क्या **सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्रियों की हाल ही में हुई बैठक में सूचना प्रौद्योगिकी सेवा प्रदान करने के तेरह सूत्रीय 'कॉमन एक्शन प्लान' को अपनाया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त प्लान के अनुसरण में कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) राज्य के मंत्रियों का एक सम्मेलन दिनांक

15. [redacted]
प्रौद्योगिकी को बढ़ावा
अपनाई गई है।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) राज्य सरकारों तथा केन्द्र सरकार के संबंधित विभागों ने समान कार्ययोजना के विभिन्न बिंदुओं पर कार्रवाई शुरू कर दी है।

विवरण

सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रियों का प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन

भारत में सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए समान कार्य योजना

सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रियों का प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन दिनांक 15 जुलाई, 2000 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री, श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सम्मेलन का उद्घाटन किया जिसमें विभिन्न राज्यों के चौदह मंत्रियों ने भी भाग लिया।

सम्मेलन में प्रधानमंत्री को निम्नलिखित तीन महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा करने के लिए धन्यवाद दिया गया:

(1) 15 अगस्त, 2000 के पहले लंबी दूरी के राष्ट्रीय प्रचालनों (एन.एल.डी.ओ.) पर पूर्णरूपेण नियंत्रण हटाना इसमें जारी किए जाने वाले लाइसेंसों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।

(2) 15 अगस्त, 2000 तक इंटरनेट सेवा प्रदानकर्ताओं (आई.एस.पी.) के लिए समुद्र की तली में ऑप्टिकल फाइबर संपर्क पर एकाधिकार को पूर्णत: समाप्त करना। निजी आई.एस.पी. को अकेले अथवा अंतर्राष्ट्रीय अध: समुद्र बैंडविड्थ प्रचालकों के साथ मिल कर संयुक्त रूप से भारत में कहीं भी अपना लैंडिंग स्टेशन स्थापित करने की अनुमति दी जाएगी।

(3) सुप्रशिक्षित सूचना प्रौद्योगिकी व्यवसायविदों की संख्या पर्याप्त मात्रा में बढ़ाने के लिए दीर्घावधि नीति तैयार करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी में मानव संसाधन विकास पर एक कार्यदल का गठन। यह कार्यदल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेजों, अन्य इंजीनियरिंग कॉलेजों एवं शिक्षण संस्थानों की वर्तमान मूल संरचनात्मक सुविधाओं के अनुकूलतम उपयोग के लिए योजना बनाएगा ताकि अगले शैक्षिक सत्र में विद्यार्थियों की भर्ती की क्षमता दुगुनी एवं पास जमा करने और शेष बकाया राशि को भू-राजस्व से वसूल

इन निर्णयों के [redacted] देश की दूरसंचार सुविधाओं और सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षण की आधारभूत को सुदृढ़ करने में अत्यधिक सहायता *मिलेगी।*

विस्तृत एवं अत्यधिक सार्थक विचार-विमर्श के बाद सम्मेलन में भारत में सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित आम सहमति वाली कार्य योजना स्वीकार की गई:

(1) संघ सरकार एवं राज्य सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग एवं अन्य सड़कों पर ऑप्टिकल फाइबर बिछाने के लिए अभिगम उपलब्धकर्ताओं को राह सुविधा का स्वतंत्र अधिकार देगी तथा नकद अथवा वस्तु के रूप में कोई शुल्क नहीं लेगी। यह सुविधा उपलब्ध कराने के लिए नाममात्र का मरम्मत शुल्क लिया जाएगा।

(2) वर्तमान में उभरते हुए सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्रों की भौतिक एवं नागरिक आधारभूत सुविधाओं में सुधार किया जाएगा।

(3) कम्प्यूटरों पर भारतीय भाषाओं के विकास तथा इंटरनेट पर सभी भारतीय भाषाओं के उपयोगी विषय के निर्माण को बढ़ावा दिया जाएगा।

(4) सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षण एवं सूचना प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षण के लिए सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा तथा उनमें सुधार किया जाएगा। इसके लिए निजी क्षेत्र के शैक्षिक संगठनों के संसाधनों एवं विशेषज्ञता का सरकारी एवं अन्य स्थापित शैक्षिक संस्थानों के साथ सहक्रिया की जाएगी।

(5) पारदर्शिता, उत्तरदायित्व एवं कार्यकुशलता में सुधार करने के प्रयोजन से इलेक्ट्रॉनिक शासन को बढ़ावा देने के लिए संघ एवं राज्य सरकार विशेष उपाय करेंगे।

(6) सरकार सुदूर शिक्षण एवं विस्तार कार्यक्रमों के लिए ऑप्टिकल फाइबर, सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर, सैट टॉप बॉक्स, अन्य इंटरनेट अभिगम युक्तियों तथा टेलीविजन सेटों के लिए सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क व्यवस्था को कम करेगा।

(7) अगले तीन से पांच वर्ष तक सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र पर कोई बिक्री कर एवं अन्य राज्य कर नहीं लगाए जाएंगे।

(8) अन्य बातों के साथ-साथ राज्यों को ए.आई.सी.टी.ई. की शक्तियों का विकेन्द्रीकरण करने के जरिए सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षण के लिए मान्यता तंत्र को सुदृढ़ किया जाएगा।

(9) निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के निर्णय को तीव्र किया जाएगा। निजी विश्वविद्यालय राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके स्थापित किए जाएंगे।

(10) मांग से पहले बैंडविड्थ उपलब्ध होना चाहिए। यह आवश्यक है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय लंबी दूरी, अन्तिम छोर एवं उपग्रह नामक बैंडविड्थ की मांग एवं आपूर्ति में अंतर है। विश्वसनीयता एवं गुणवत्ता के संदर्भ में दूरसंचार की आधारभूत सुविधाओं के सभी चारों तत्वों के संवर्धन एवं सुधार की आवश्यकता है।

(11) शैक्षणिक संस्थानों के लिए इंटरनेट अभिप्राय के प्रयोजन के विशेष दर पर विचार किया जाएगा। सभी आई.एस.पी. से विशेष दरों का निर्धारण करने के लिए अनुरोध किया जाए। सभी अन्य इंटरनेट डायल-अप ग्राहकों के लिए इंटरनेट प्रयोग के प्रयोजन से एक समान शुल्क लेने के लिए भी सभी आई.एस.पी. से अनुरोध किया जाए।

(12) पहले से ही स्वीकृत इंटरनेट अंतर्राष्ट्रीय गेटवे को 15 अगस्त, 2000 तक प्रचालन आरम्भ कर देना चाहिए।

(13) शैक्षिक, स्वास्थ्य एवं अन्य सरकारी प्रसारणों के लिए केयू बैंड के उपयोग की अनुमति दी जाए।

परिवार पेंशन निधि

1722. श्री राम मोहन गाड्डे : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत कर्मचारी परिवार पेंशन निधि में कितनी धनराशि एकत्र हो गई है;

(ख) इस योजना के तहत अभी तक कितने कर्मचारियों को लाभ पहुंचा है;

(ग) इस योजना से कर्मचारियों के परिवारों को वस्तुत: कहां तक लाभ हो पा रहा है; और

(घ) क्या केन्द्र सरकार की ओर से भी इस निधि में योगदान करने और कर्मचारियों के पेंशन लाभ की धनराशि में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) कर्मचारी भविष्य निधि में 31.3.2000 की स्थिति के अनुसार कुल राशि 27410.13 करोड़ रुपये थी।

(ख) और (ग) कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के अनुसार सेवा निवृत्ति, सेवा निवर्त्तन, पूर्णत: स्थायी विकलांगता, सेवाकाल में मृत्यु, सेवा के बाद मृत्यु आदि जैसी आकस्मिकताओं में पेंशन संदेय है। विधवा पेंशन की न्यूनतम राशि 450 रुपये है जो अधिकतम 2500 रुपये प्रति माह हो सकती है। इसके अलावा, परिवार में दो बच्चों तक न्यूनतम 150 रुपये प्रतिमाह के अध्यधीन विधवा पेंशन का 25 प्रतिशत अलग से भुगतान किया जाता है। 31.10.2000 की स्थिति के अनुसार 8,44,281 लाभानुभोगी कर्मचारी पेंशन योजना के अन्तर्गत पेंशन पा रहे थे।

(घ) सरकार पहले ही कामगारों की मजदूरी के 1.16 प्रतिशत की दर से कर्मचारी पेंशन स्कीम के लिए अंशदान कर रही है। कर्मचारी पेंशन निधि का मूल्यांकन और पेंशन लाभों की समीक्षा वार्षिक आधार पर की जाती है। 31.3.98 की स्थिति के अनुसार कर्मचारी पेंशन निधि का वित्तीय मूल्यांकन करा लिया गया है और पेंशन भोगियों को 1.4.1998 से पेंशन के भुगतान पर 5.5 प्रतिशत की वृद्धि की मंजूरी प्रदान की गयी है।

गैर-सरकारी संगठनों को दिए जाने वाले अनुदान पर रोक

1723. श्री अशोक ना. मोहोल :
श्रीमती श्यामा सिंह :
श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी :

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 3 नवम्बर, 2000 को "एन.जी.ओज. अनहैप्पी ओवर द टर्मिनेशन ऑफ ग्रान्ट" शीर्षक से "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित एक समाचार के अनुसार गैर-सरकारी संगठनों को दिए जाने वाले अनुदानों पर पांच वर्षों तक रोक लगाने का निर्णय दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रत्येक गैर-सरकारी संगठन को मिलने वाले अनुदान पर रोक लगाए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या ऐसे निर्णय से अंततोगत्वा विकलांगों व अन्य लाभान्वितों को फिलहाल मिलने वाले लाभों व सेवाओं पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा;

(घ) इन गैर-सरकारी संगठनों द्वारा कुल कितनी धनराशि का दुरूपयोग किया गया है;

(ङ) क्या सरकार ने ऐसे चूककर्त्ता गैर-सरकारी संगठनों से धन वसूली के लिए कोई कदम उठाया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) इस वर्ष जून, 2000 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने गैर-सरकारी संगठनों/स्वैच्छिक संगठनों की सहायता के लिए दिशा-निर्देश जारी किये जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ एक ही परियोजना के लिए 5 वर्षों से अधिक की अवधि से मंत्रालय से सहायता अनुदान प्राप्त करने वाले स्वैच्छिक संगठनों को निर्मुक्त की जा रही वित्तीय सहायता को धीरे-धीरे खत्म करने का प्रावधान शामिल है।

(ख) नई परियोजना के मामले में सरकार से सहायता 10 वर्षों की अवधि के लिए सीमित होगी। ऐसी चल रही परियोजनाओं जो पिछले 10 वर्षों और अधिक सहायता प्राप्त कर रही है, को 5 वर्ष की समापन अवधि प्रदान की जाएगी तथा उनके संबंध में जिन्हें कम अवधि के लिए सहायता दी जाती है समापन की अवधि 10 वर्ष की होगी। जहां समापन अवधि 5 वर्षों की है प्रत्येक वर्ष राशि में 20% की कमी की जाएगी। 10 वर्षों की समापन अवधि के मामले में प्रत्येक वर्ष 10% की कमी की जाएगी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) 42 गैर-सरकारी संगठनों द्वारा 144.88 लाख रु. की धनराशि का दुरूपयोग किया गया है।

(ङ) जी, हां।

(च) यदि निरीक्षण या अन्य स्रोतों से सूचना के फलस्वरूप किसी संगठन को उसे निर्मुक्त किए गए सहायता अनुदान का दुरूपयोग करना या निर्मुक्त निधियों के अनुरूप इसके द्वारा गुणवत्ता सेवाएं प्रदान नहीं करना पाया जाता है तो उस गैर-सरकारी संगठन को आगे सहायता अनुदान की निर्मुक्ति रोक दी जाती है। प्रबंधन को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है और यदि स्पष्टीकरण असंतोषप्रद पाया जाता है तो उस संगठन को काली सूची में डालने की कार्रवाई की जाती है तथा संबंधित राज्य सरकार/जिला कलेक्टर से सरकारी सहायता से सृजित परिसम्पत्तियों को जब्त करने, उसे निपटाने, इस प्रकार से एकत्रित धनराशि को सरकार के पास जमा करने और शेष बकाया राशि को भू-राजस्व से वसूल करने को कहा जाता है।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सार्वजनिक स्वास्थ्य का नीतिगत ढांचा

1724. श्रीमती रेणु कुमारी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमरीका और भारत का विचार सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य तेज करने के उद्देश्य से कोई नीतिगत ढांचा तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसी संयुक्त परियोजनाओं को किन-किन क्षेत्रों में लागू किया जाएगा?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ग) जी हां। प्रकट हो रहे और पुन: प्रकट हो रहे संक्रामक रोग एवं निगरानी पर भारत-अमेरिका सहयोग को बढ़ाने हेतु दिसम्बर, 1997 में एक संयुक्त दस्तावेज में बताए गए प्राथमिकता वाले चार क्षेत्र प्रकोप की जांच-पड़ताल, प्रशिक्षण, प्रयोगशाला सुदृढ़ीकरण और अनुसंधान थे। संयुक्त दस्तावेज दिसम्बर, 2002 से प्रभावी होगा और समय-समय पर इसका नवीकरण हो।

प्रकट हो रहे और पुन: प्रकट हो रहे संक्रामक रोगों की निगरानी पर चर्चा करने के लिए सी.डी.सी., यू.एस.ए. के आठ सदस्यीय दल ने दिसम्बर, 1999 में भारत का दौरा किया। इस दल ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अधिकारियों, राज्यों एवं अन्य भारतीय संस्थाओं के स्वास्थ्य अधिकारियों, दिल्ली एवं अन्तर्राष्ट्रीय संगठन में अमेरिकी मिशन के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण चर्चा की।

यौन संचारित रोगों और एच.आई.वी./एड्स की रोकथाम के लिए सहयोग पर जून, 2000 में एक संयुक्त दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए गए। इसका उद्देश्य आचरण संबंधी निवारण कार्यनीतियों सहित एच.आई.वी./एड्स और यौन संचारित रोग की रोकथाम संबंधी अनुसंधान प्रयास तथा एच.आई.वी./एड्स एवं यौन संचारित रोगों और निगरानी, यौन संबंधी रोग (एस.आर.डी.) का उपचार एवं प्रजनन स्वास्थ्य में जानपदिक एवं प्रचालनात्मक अनुसंधान शुरू करना है।

[अनुवाद]

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की भांति चिकित्सा अनुदान आयोग

1725. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार चिकित्सा क्षेत्र में अनुसंधान कार्य को प्रोत्साहन देने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान की तर्ज पर एक चिकित्सा अनुदान आयोग गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इससे संबंधित विधान संसद के समक्ष कब तक लाए जाने की संभावना है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इन सभी संस्थानों में अनुसंधान कार्यों में सुधार लाने के उद्देश्य से सभी मेडिकल कालेजों को राष्ट्रीय चिकित्सा पुस्तकालय से जोड़ने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (घ) वित्तीय कमी को देखते हुए स्वास्थ्य सेवाओं में शिक्षा आयोग की स्थापना संबंधी प्रस्ताव को प्रास्थगित रखा गया है।

(ङ) मेडिकल कॉलेजों के पुस्तकालयों को राष्ट्रीय मेडिकल पुस्तकालय से जोड़ने संबंधी प्रस्ताव पर कार्रवाई हो रही है।

तेंदूपत्ता कामगार

1726. श्री त्रिलोचन कानूनगो : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि उड़ीसा राज्य के विभिन्न हिस्सों में कार्यरत तेंदूपत्ता कामगारों का उनके नियोजकों द्वारा शोषण किया जा रहा है;

(ख) क्या इन तेंदूपत्ता कामगारों को महीनों से वेतन नहीं मिल रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(घ) कामगारों के हितों की रक्षा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) से (घ) उड़ीसा सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार राज्य सरकार, वन विभाग के माध्यम से तेन्दु पत्ते एकत्र करती है। तेन्दु पत्ता कामगारों की मजदूरी का भुगतान उजरती दर के आधार पर किया जाता है। तेन्दु पत्ते एकत्रित करने के लिए उड़ीसा वन विकास निगम लिमिटेड *(आई.एफ.डी.सी.)* अपेक्षित निधि उपलब्ध कराता है और तेन्दु पत्ता कामगारों को यथा-समय भुगतान करने के लिए सभी प्रयास किए जाते हैं। इन कामगारों को मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए गए हैं।

राष्ट्रीय भूमि उपयोग आयोग

1727. श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भूमि उपयोग नीति से संबंधित कोई नया राष्ट्रीय आयोग गठित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का उसके औचित्य तथा वित्तीय प्रभार और कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति/अनुवर्ती कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सत्य है कि खाद्य भंडार और जल प्रबंधन से संबंधित वास्तविक मुद्दे को हल करने के लिए भूमि उपयोग नीति से संबंधित मोहन धारिया समिति पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है; और

(घ) 175 मिलियन हेक्टेयर अनुपजाऊ और बेकार भूमि का विकास करने के लिए ठोस योजना तैयार करने के लिए की गई कार्रवाई/की जाने वाली कार्रवाई का राज्यवार/विशेषकर महाराष्ट्र का, ब्यौरा क्या है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी): (क) और (ख) जी हां, सरकार ने देश में भूमि संसाधनों के उपयोग, विभिन्न क्षेत्रों की प्रधान कृषि जलवायु-विषयक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए कृषि के विकास और वन संसाधनों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तरों पर समीक्षा और दीर्घावधिक कार्य नीति समन्वय करने के लिए भूमि उपयोग नीति संबंधी एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना करने का

निर्णय लिया है। वर्ष 1985 में प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय भूमि उपयोग और बंजर भूमि विकास परिषद, वर्तमान में देश के भूमि संसाधनों से संबंधित सभी नीति मामलों को समन्वित करता है। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय कृषि मंत्री के नेतृत्व में राष्ट्रीय भूमि उपयोग और संरक्षण बोर्ड, केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड और केन्द्रीय पर्यावरण और वन मंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय वानिकी और पारिस्थितिकी विकास बोर्ड अपने संबंधित क्षेत्रों में आने वाले भूमि उपयोग नीति के विभिन्न अवयवों की देखभाल करते हैं।

(ग) और (घ) श्री मोहन धारिया की अध्यक्षता में किसी भूमि उपयोग नीति संबंधी समिति की स्थापना नहीं की गई। तथापि, नवम्बर 1994 में श्री मोहन धारिया की अध्यक्षता में बंजर भूमि विकास संबंधी एक उच्च स्तरीय समिति की स्थापना की गई थी। समिति ने दिसम्बर, 1998 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। समिति ने, देश की 175 मिलियन हेक्टेयर निम्नीकृत और बंजर भूमि के विकास के लिए भावी योजनाएं बनाने की और एक केन्द्रीय भूमि उपयोग प्राधिकरण स्थापित करने की सिफारिश की थी। कार्यान्वयन और इसकी सिफारिशों के लिए महाराष्ट्र सहित सभी राज्यों को समिति की रिपोर्ट भेजी गई थी। राज्यों से उचित जल, भूमि उपयोग तथा बंजर भूमि विकास के लिए 10-15 वर्षीय भावी योजना बनाने का विशेष रूप से अनुरोध किया गया। उपर्युक्त समिति के अतिरिक्त, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा श्री सी.एच. हनुमंत राव की अध्यक्षता में वर्ष 1994 में एक तकनीकी समिति का गठन किया गया, जिसने क्षेत्र विकास कार्यक्रमों नामत: सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.), मरूस्थल विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) और जल संभर आधार पर ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.) के कार्यान्वयन के लिए प्रचालनात्मक दिशानिर्देशों, उद्देश्यों, कार्यनीतियों और व्यय मानदंडों के एक समान सैट की सिफारिश की। अन्य क्षेत्र विकास कार्यक्रमों जैसे वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय जल संभर विकास परियोजना (एन.डब्ल्यू.डी.पी.आर.ए.), कृषि मंत्रालय द्वारा प्रचालित किए जा रहे नदी घाटी परियोजना के आवाह क्षेत्र तथा बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के विकास के लिए भी समान दिशानिर्देशों को अपनाया गया है।

व्यावसायिक दक्षता हेतु विशिष्ट प्रशिक्षण संस्थान

1728. श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा लोगों को व्यावसायिक रूप से दक्ष बनाने हेतु देश भर में विशिष्ट प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने के संबंध में विभिन्न क्षेत्रों से सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये सुझाव किस प्रकार के हैं;

(ग) क्या सरकार ने इन सुझावों की जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) जी नहीं। फिर भी, देशभर में स्कूल छोड़ देने वाले युवकों को व्यावसायिक कौशल प्रदान करने के लिए, काफी संख्या में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों/केन्द्रों (आई.टी.आई./आई.टी.सी.) की स्थापना की गई है। ये संस्थान, संबंधित राज्य सरकारों/संघ क्षेत्रों के वित्तीय एवं प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत आते हैं। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों एवं औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र खोलना/आरम्भ करना, संबंधित राज्य सरकारों/संघ क्षेत्रों के क्षेत्राधिकार में आता है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

गोदावरी जल उपयोगिता योजना

1729. श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय जल आयोग ने गोदावरी जल उपयोगिता योजना के क्रियान्वयन में तेजी लाने के लिए एक विशेष कृतक बल का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या आन्ध्र प्रदेश ने भी केन्द्र सरकार को एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भेजने के लिए पहल करने का निर्णय किया है;

(ग) क्या गोदावरी नदी के आर-पार निर्माण हेतु प्रस्तावित परियोजनाओं की रूपरेखाओं को तैयार करने हेतु आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के मुख्य मंत्रियों से युक्त एक कृतक बल का गठन किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) और (ख) यद्यपि राज्य का विषय होने के कारण, सिंचाई परियोजनाओं का कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा स्वयं अपने संसाधनों में से तथा अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है। तथापि, गोदावरी जल का उपयोग करने के लिए

इचमपल्ली और पोलावरम परियोजनाओं में शामिल अन्तर्राज्यीय मुद्दों का समाधान करने के लिए सरकार द्वारा एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

नैदानिक उपकरण

1730. श्री चन्द्रकांत खैरे :
श्री आनंदराव विठोबा अडसुल :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में बनाए जा रहे थर्मामीटर और नैदानिक उपकरण पूर्णरूपेण निर्धारित मानकों के स्तर के नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(ग) मानकीकृत नैदानिक उपकरणों के निर्माण के लिए क्या ठोस उपाय किए गए हैं/किये जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ग) यद्यपि औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के अंतर्गत थर्मामीटर और अन्य नैदानिक उपकरण के लिए कोई अनिवार्य मानक नहीं हैं, थर्मामीटर सहित कुछ नैदानिक उपकरण हेतु भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्माताओं के स्वैच्छिक अनुपालन के लिए मानक निर्धारित किए गए हैं।

[हिन्दी]

जनसंख्या संबंधी राष्ट्रीय आयोग

1731. श्री पी.आर. खुंटे :
श्री नवल किशोर राय :
श्री सुबोध मोहिते :
डा. सुशील कुमार इन्दौरा :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जनसंख्या संबंधी राष्ट्रीय आयोग गठित किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त आयोग का गठन किस तिथि को किया गया था और उक्त आयोग की अब तक आयोजित बैठकों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त बैठकों में कतिपय निर्णय लिए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त निर्णयों को लागू करने के लिए क्या कार्रवाई किये जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) क्या जनसंख्या संबंधी उक्त राष्ट्रीय आयोग की बैठक हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित की गई थी; और

(च) यदि हां, तो उक्त बैठक में क्या मुख्य निर्णय लिए गए?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) जी हां।

(ख) जनसंख्या संबंधी राष्ट्रीय आयोग का गठन 11 मई, 2000 को किया गया था। आयोग की पहली बैठक 23 जुलाई, 2000 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी।

(ग) और (घ) इस बैठक में निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय/घोषणाएं की गई:

(1) जनसंख्या स्थिरीकरण में योगदान कर रही परियोजनाओं को सहायता प्रदान करने हेतु 100 करोड़ रु. की सीड मनी से एक राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरीकरण कोष की स्थापना। अपेक्षा की जाती है कि व्यापार, उद्योग, निगम क्षेत्र और व्यक्तिगत स्तर पर भी लोग इस कोष में योगदान करेंगे।

(2) जनसंख्या वृद्धि को रोकने में पिछड़ रहे राज्यों पर विशेष जोर देते हुए क्षेत्र विशिष्ट कार्यक्रमों हेतु शक्ति प्राप्त कार्यदल की स्थापना।

(3) जनसंख्या संबंधी राष्ट्रीय आयोग निम्नलिखित विषयों पर कार्य दल गठित करेगा:

- गर्भनिरोधन, मातृ एवं बाल स्वास्थ्य हेतु अपूर्ति आवश्यकताएं।
- स्वास्थ्य, महिला विकास, पोषण, जलापूर्ति एवं स्वच्छता जैसे अन्य सामाजिक क्षेत्र की आपूर्ति आवश्यकताएं।
- जनसंख्या स्थिरीकरण के संबंध में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा।

- जन्म, मृत्यु एवं विवाह का पंजीकरण।
- सूचना, शिक्षा एवं सम्प्रेषण एवं प्रेरणा हेतु मीडिया।
- भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होमियोपैथी को मुख्य धारा में लाना।
- किशोर।
- आयोग द्वारा मॉनीटरिंग हेतु तंत्र।
- उद्योग, श्रम एवं गैर-सरकारी संगठनों सहित सविल समाज की भागीदारी।

(ङ) और (च) जनसंख्या संबंधी राष्ट्रीय आयोग की कोई अगली बैठक आयोजित नहीं की गई है।

[अनुवाद]

जनसंख्या नियंत्रण

1732. श्रीमती श्यामा सिंह:
डा. रमेश चंद तोमर:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने नियंत्रण को प्रभावकारी ढंग से लागू करने के लिए कुछ राज्यों में जिलों का चयन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में "बीमारू" राज्यों के लिए कोई आकस्मिक योजना तैयार की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौर क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) जी, हां। बाह्य सहायता प्राप्त विभिन्न क्षेत्र परियोजनाओं की सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ग) और (घ) इस समय विश्व बैंक, डानिडा, यू एफ आई डी (यू के), यू एन एफ पी ए और जर्मन सरकार की वित्तीय सहायता से 1194.78 करोड़ रु. की लागत से दिल्ली सहित 13 राज्यों के चुनिंदा जिले/शहरों में छह क्षेत्र परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त विश्व बैंक से सहायता प्राप्त प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत 283.88 करोड़ रुपये की कुल लागत से 17 राज्यों में 24 प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य उप परियोजनाएं (17 जिले एवं 7 शहर) अक्तूबर 1997 से पांच की अवधि के लिए कार्यान्वित की जा रही हैं।

सरकार द्वारा फरवरी, 2000 में अपनाई गई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति में अन्य सभी राज्यों सहित चार राज्यों नामत: बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में परिवार कल्याण सेवाओं के सुदृढ़ करना और बल प्रदान करना अभिकल्पित है।

जनसंख्या नियंत्रण में पिछड़ रहे इन राज्यों सहित अन्य राज्यों पर विशेष जोर देते हुए विशिष्ट कार्यक्रम तैयार करने हेतु स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में एक शक्ति संपन्न कार्य कार्य दल गठित करने का निर्णय किया गया है।

विवरण

विभिन्न क्षेत्र परियोजनाओं के अंतर्गत कवर किए गए जिलों/राज्यों की सूची

परियोजना के नाम	दाता एजेन्सी	राज्य	कवर किए गए शहर/राज्य
1	2	3	4
भारत जनसंख्या परियोजना-8	विश्व बैंक	शहरी स्लम शहर	हैदराबाद, दिल्ली, कलकत्ता, बंगलौर और आंध्र प्रदेश के 94 शहर, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु एवं मध्य प्रदेश में संभार तंत्र सहायता परियोजना
भा.ज.परि-9	विश्व बैंक	असम	सम्पूर्ण राज्य
		राजस्थान	जोधपुर, पाली, चुरू सिरोही, बाडमेर, जालोर, नागौर, बीकानेर, गंगानगर और जैसलमेर

1	2	3	4
		कर्नाटक	बेल्लारी, शिमोरम, मैसूर, चित्रदुर्ग, दक्षिण कन्नड़, उत्तर कन्नड़, हासन, माडया, कोडागू, बीजापुर, बेलगांव, गुलबर्ग और चिकमगलूर
डानिडा	डानिडा सरकार	तमिलनाडु	धर्मपुरी, तन्जावूर, तिरुवरुर, कृष्णागिरि और नागपत्तनम
		मध्य प्रदेश	सम्पूर्ण राज्य
स्वा. एवं प.क. परियोजना	डी.एफ.आई. डी.(यू.के.)	उड़ीसा	भद्रक और क्योंझर
एकीकृत जनसंख्या एवं विकास परियोजना (आई.पी.डी.)	यूएनएफपीए	महाराष्ट्र	धूले, गादी हिरोली, थाने और चन्द्रापुर जिला और कलयान, भिवान्डी थाने, उल्हासनगर और पुणे नगर निगम
		राजस्थान	अलवर, भिलवाडा, उदयपुर, चित्तौडगढ़, सवाई माधोपुर और भरतपुर
		केरल	कासरगोड, वायानाड और कन्नूर
		उड़ीसा	कोरापुट, नवरंगपुर, रायगढ़ और मलकांगीरी
		गुजरात	बहोद, बनासकंठा, कच्छ, सुरेन्द्रनगर एवं सबरकंठा
		मध्य प्रदेश	सीधी, रीवा, सतना, पन्ना और छत्तरपुर
बुनियादी स्वास्थ्य परियोजना	जर्मन सरकार	महाराष्ट्र	सीन्धु दुर्ग, रत्नागिरी, पुणे और रायगढ़

[हिन्दी]

लघु उद्योग इकाईयों का बन्द होना

1733. **श्री रवि प्रकाश वर्मा :**
श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले :
श्री विजय हान्दिक :
श्री रामनाथडू दग्गुबाटि :

क्या लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में उदारीकरण और भूमण्डलीकरण की नीतियों के परिणामस्वरूप बहुत सी लघु उद्योग इकाईयां बन्द/रुग्ण हो गई हैं या बन्द होने की कगार पर हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) लघु उद्योग इकाईयों के बन्द होने के परिणामत: रोजगार की स्थिति पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है और सरकार द्वारा इस संबंध में कौन से उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या सरकार ने पिछले तीन वर्षों में मानक-मानदण्डों के अनुरूप, लघु उद्योग इकाईयों की वर्तमान स्थिति तथा सेक्टर-वार इनके कार्य-निष्पादन का राज्यवार कोई मूल्यांकन किया है;

(ङ) यदि हां, तो लघु उद्योग के उन्नयन के लिए उठाए गए/जाने वाले कदमों/नीतियों का ब्यौरा क्या है; और

(च) लघु उद्योग इकाईयों के संबंध में कपूर समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है तथा इनमें से किन-किन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) से (ग) बन्द लघु उद्योग इकाईयों की संख्या तथा लघु उद्योग इकाईयों के बन्द होने के परिणामस्वरूप रोजगार पर उसके प्रभाव के बारे में सूचना केन्द्रीय तौर पर नहीं रखी जाती है। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकों द्वारा वित्त पोषित रुग्ण लघु उद्योग के बारे में आंकड़े संकलित करता है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार मार्च, 1999 के अन्त में रुग्ण लघु उद्योग इकाईयों की संख्या 3,06,221 थी। लघु उद्योग इकाईयों के बन्द होने/रुग्णता के लिए कई कारण होते हैं। बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा उनमें एक कारण है। सरकार को लघु उद्योग इकाईयों के बीच औद्योगिक रुग्णता के प्रभाव के बारे में पूर्ण जानकारी है और सम्भाव्य तौर पर जीवनक्षम रुग्ण इकाईयों की समय पर पहचान करने तथा उनके पुनर्वास के लिए कई कदम उठाए गए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ राज्य-स्तरीय अन्त: संस्थानिक समितियां के रूप में संस्थानिक तंत्र, बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों में विशेष पुनर्वास कक्ष, तथा बेरोजगारी से बचने के लिए पात्र इकाईयों को पुनर्वास सहायता दिए जाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए विस्तृत मार्गनिर्देश शामिल हैं।

(घ) और (ङ) लघु उद्योगों के संवर्धन एवं सुदृढ़ीकरण के लिए नए नीतिगत उपायों की घोषणा प्रधान मंत्री द्वारा 30 अगस्त, 2000 को की गई थी। घोषित किए गए महत्वपूर्ण उपायों में मिश्रित ऋणों की सीमा को 10 लाख रु. से बढ़ाकर 25 लाख रु. करना, उद्योग संबंधित सेवा एवं व्यापार उद्यमों को प्राथमिकता क्षेत्र उधार देना, चुने हुए क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी में निवेश के लिए 12 प्रतिशत की पूंजीगत आर्थिक सहायता देना, आई.एस.ओ.-9000 प्रमाणन प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता जारी रखना, परीक्षण प्रयोगशालाओं के लिए लघु एसोसिएशनों को एक बार ही 50 प्रतिशत का पूंजी अनुदान दिया जाना, प्रतिस्पर्धा में सुधार के लिए उत्पाद शुल्क छूट सीमा को 50 लाख रु. से बढ़ाकर 1 करोड़ रु. करना आदि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, लघु उद्योग इकाईयों की गुणना करने का फैसला किया गया है।

(च) कपूर समिति द्वारा की गई 126 सिफारिशों में से अभी तक 84 सिफारिशों पर निर्णय लिए गए हैं,जिसमें से 64 निर्णयों को स्वीकार कर लिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्वीकार की गई कुछ प्रमुख सिफारिशों में शाखा प्रबन्धकों को तदर्थ सीमाओं के लिए और अधिक शक्तियां प्रत्यायोजित करना, ऋण आवेदनों का सरलीकरण करना और निर्धारित समय अनुसूची के अनुसार ऋण आवेदनों का शीघ्र निपटान करना, क्रेडिट आवश्यकताओं के मूल्यांकन के लिए बैंकों को स्वयं के मानदण्ड निर्धारित करने की स्वतंत्रता देना, बैंकों द्वारा और अधिक विशिष्ट लघु उद्योग शाखाओं का खोला जाना, मिश्रित ऋणों के लिए सीमा को बढ़ाया जाना, वसूली तंत्र को सुदृढ़ करना आदि शामिल है।

[अनुवाद]

बांधों के संबंध में स्थापित विश्व आयोग

1734. श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विश्व बैंक द्वारा प्रायोजित बांधों के संबंध में विश्व आयोग की रिपोर्ट का अध्ययन किया है जिसने बाढ़ का दामोदर घाटी और हिराकुड बांधों पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया है;

(ख) क्या आयोग का यह कार्य विभिन्न बांधों की स्थापना हेतु विश्व बैंक से मांगी गई धनराशि की समीक्षा करने का है;

(ग) क्या रिपोर्ट में यह बताया गया है कि अब तक निर्मित बांधों से आशानुरूप विद्युत उत्पादन नहीं हो रहा है और सिंचाई क्षमता भी नहीं बढ़ी है साथ ही यह बाढ़ों को भी रोकने में असफल सिद्ध हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) जी, हां। बांधों संबंधी विश्व आयोग की रिपोर्ट में बांधों और इनकी प्रभावकारिता के विश्वव्यापी मूल्यांकन का प्रयास किया गया है।

(ख) चूंकि बांधों संबंधी विश्व आयोग का वित्त पोषण विश्व बैंक द्वारा किया जाता है, इसलिए इसके उद्देश्यों में, विभिन्न बांध स्थापित करने के लिए विश्व बैंक से निधियों संबंधी मांग की पुनरीक्षा करना शामिल नहीं होता है।

(ग) से (ङ) बांधों संबंधी विश्व आयोग ने अपनी रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ यह टिप्पणी की है कि (1) ऐसा प्रतीत

होता है कि विद्युत उत्पादन के लिए निर्मित बड़े बांधों से लक्ष्य के आसपास परन्तु लक्ष्य से कम विद्युत उत्पादन होता है। ये सामान्यत: अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं मगर लक्ष्यों की तुलना में इनके आर्थिक निष्पादन में उतार-चढ़ाव होता है तथा इसके साथ ही इनका कार्य निष्पादन कई बार कम और अधिक होता है। (2) सिंचाई सेवाएं प्रदान करने के लिए बनाये गये बड़े बांधों से वास्तविक लक्ष्य विशेष रूप से कम प्राप्त हुए हैं, इसमें उनकी लागत वसूल नहीं की गई है और उनसे आशा की तुलना में कम आर्थिक लाभ हुआ है, और (3) बाढ़ नियंत्रण घटक वाले बड़े बांधों से इस संबध में महत्वपूर्ण लाभ मिला है लेकिन साथ ही अभी भी बाढ़ के खतरे वाले क्षेत्रों में लोगों के अधिक बसे रहने के कारण बाढ़ के खतरों से असुरक्षा बढ़ गई है, और कुछ मामलों में बांधों के खराब प्रचालन सहित अनेक कारणों से बाढ़ से और भी हानि हुई है।

बांधों संबंधी विश्व आयोग की रिपोर्ट में विभिन्न देशों के अनुभव के आधार पर प्राप्त आंकड़ों पर आधारित विश्वव्यापी मुद्दों पर कार्रवाई की गई है। बांधों संबंधी विश्व आयोग के तथ्य सरकारों पर बाध्य नहीं हैं।

स्वर्गीय पं. श्यामजी कृष्ण वर्मा की अस्थियां मंगाना

1735. श्री किरीट सोमैया : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने स्वतंत्रता सेनानी स्व. पंडित श्यामजी कृष्ण वर्मा की अस्थियां स्विटजरलैण्ड से भारत वापस लाने का मामला उठाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मंत्रालय को उनकी अस्थियां वापस मंगाने में मदद करने का अनुरोध करते हुए संसद सदस्यों, स्वतंत्रता सेनानियों और अन्य संघों से कुछ पत्र प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) अभी यह मामला किस चरण में है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) से (ङ) जी हां। सरकार स्विटजरलैण्ड से स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय पंडित श्यामजी कृष्ण वर्मा की अस्थियां वापस लाए जाने के बारे में प्राप्त अभ्यावेदनों पर गौर कर रही है। जेनेवा स्थित भारत के प्रधान कौंसलावास ने जेनेवा केन्टन के सम्बद्ध अधिकारियों के साथ मामले को उठाया है। पता चला है कि ये अधिकारी भी जेनेवा स्थित सैण्ट जार्ज क्लोरोम्बारियम के विचारों पर गौर करेंगे जिसे स्वर्गीय पंडित श्यामजी कृष्ण वर्मा के परिवार ने 1930 में 2038 तक, इस मामले में निर्णय लिए जाने से पूर्व अस्थियों को सुरक्षित रखने का दायित्व सौंपा है।

[हिन्दी]

ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926

1736. कुंवर अखिलेश सिंह : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926 को निरस्त करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस अधिनियम के अंतर्गत सामान्य संगठनों को पंजीकृत करने का प्रावधान है जिसे अब बंद कर दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण पुन: प्रारंभ किए जाने की संभावना है;

(च) यदि हां, तो इसे कब तक पुन: प्रारंभ किए जाने की संभावना है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) और (ख) व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 में विभिन्न संशोधन सरकार के विचाराधीन हैं। इस संबंध में 28.4.2000 को राज्य सभा में व्यवसाय संघ (संशोधन) विधेयक, 2000 प्रस्तुत किया जा चुका है। इस विधेयक को विचारार्थ और रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु श्रम एवं कल्याण संबंधी संसदीय स्थायी समिति के लिए संदर्भित कर दिया गया है।

(ग) से (छ) व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 में व्यवसाय संघों के पंजीकरण और कतिपय परिस्थितियों में पंजीकृत व्यवसाय संघों से संबंधित कानून को परिभाषित करने का प्रावधान है। तथापि, चूंकि यह अधिनियम सामान्य संगठनों के पंजीकरण का प्रावधान नहीं करता है अत: ऐसे संगठनों हेतु पंजीकरण पुन: प्रारम्भ करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

विद्युत उत्पादन

1737. श्री सुरेश कुरूप :
श्री रूपचन्द मुर्मू :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नौवीं योजना के दौरान विद्युत उत्पादन के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिए जाने की संभावना है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या आठवीं योजना के अन्तर्गत रखा गया 3000 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है; और

(घ) आठवीं योजना के अंत तक विद्युत क्षमता सहित सफलता दर क्या रही और नौवीं योजना के अंत तक कितने उत्पादन की उम्मीद है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी): (क) जी, नहीं। नौवीं योजना के मध्यावधि मूल्यांकन के दौरान योजना आयोग द्वारा किया गया आकलन दर्शाता है कि नौवीं योजना के दौरान विद्युत ऊर्जा उत्पादन के 606.7 बिलियन किलोवाट प्रति घंटा के लक्ष्य के मुकाबले योजना के अंत तक लगभग 79 बिलियन किलोवाट प्रति घंटा (13.2%) की गिरावट होगी।

(ख) इसका मुख्य कारण नौवीं योजना के दौरान क्षमता संवर्धन में कमी का होना है।

(ग) आठवीं योजना कार्यक्रम में 30,538 मे.वा. की क्षमता संवर्धन की परिकल्पना की गई थी जिसके मुकाबले आठवीं योजना अवधि के दौरान 16422.6 मे.वा. का ही संवर्धन किया गया।

(घ) आठवीं योजना में क्षमता संवर्धन में सफलता की दर नौवीं योजना अवधि के लक्ष्य की लगभग 54 प्रतिशत रही तथा नौवीं योजना के मध्यावधि मूल्यांकन के दौरान योजना आयोग द्वारा किया गया आकलन दर्शाता है कि 24309 मे.वा. के क्षमता संवर्धन, जो 40,245 मे.वा. के योजना लक्ष्य का लगभग 60 प्रतिशत है, की संभावना है।

परमाणु हथियारों से मुक्त और हिंसा रहित विश्व व्यवस्था

1738. श्री मणिशंकर अय्यर : क्या **विदेश मंत्री** 17 मई, 2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8051 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने निरस्त्रीकरण सम्मेलन में परमाणु हथियारों और बड़े पैमाने पर विनाश के अन्य हथियारों को समयबद्ध तरीके से समाप्त करने संबंधी अभिसमय पर वार्ता आरम्भ करने के लिए प्रस्ताव को सह-प्रायोजित किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या मसौदा प्रस्ताव में संयुक्त राष्ट्र महासभा के निरस्त्रीकरण संबंधी 1988 के विशेष सत्र में प्रस्तुत परमाणु हथियारों से मुक्त और हिंसा रहित विश्व व्यवस्था संबंधी कार्य योजना का कोई उल्लेख किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) "नाभिकीय हथियारों के उपयोग के निषेध से सम्बद्ध अभिसमय" पर भारत के संकल्प पर बातचीत शुरू करने के लिए निरस्त्रीकरण सम्मेलन की मांग की गई है ताकि किसी भी परिस्थिति में नाभिकीय हथियारों के उपयोग अथवा उपयोग की धमकी का निषेध करते हुए एक अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय पर सहमति हो सके। संकल्प में यह भी उल्लेख है कि ऐसा अभिसमय एक चरणबद्ध कार्यक्रम के भीतर विनिर्दिष्ट समय सीमा में नाभिकीय हथियारों को पूरी तरह से समाप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।

(ख) विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर नाभिकीय हथियारों को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए चरणबद्ध कार्यक्रम का विचार 1988 की नाभिकीय हथियार मुक्त कार्ययोजना और अहिंसात्मक विश्व व्यवस्था का भाग है। नाभिकीय हथियारों के उपयोग के निषेध से सम्बद्ध अभिसमय उक्त कार्य योजना में दिए गए कार्यक्रम के चरण-1 का भाग है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

बाल श्रम पर आयोग

1739. श्री प्रभात सामन्तराय : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राज्य स्तर पर बाल श्रम पर आयोग गठित करने का है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों से बाल श्रम पर ऐसे आयोग गठित करने को कहा है;

(ग) यदि हां, तो इस पर राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया क्या है; और

(घ) विभिन्न राज्यों में बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) सरकार ने देश में बाल श्रम की समस्या से निपटने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। 1987 में सरकार द्वारा एक राष्ट्रीय बाल श्रम नीति की घोषणा की गयी थी जिसमें बाल श्रम से संबंधित कानूनों को कड़ाई से प्रवर्तित करने, बाल श्रमिकों के माता-पिता की आर्थिक दशा में सुधार करने के उद्देश्य से उनके लाभार्थ सेवाओं के अभिमुखीकरण और बाल श्रम की उच्च बहुलता वाले क्षेत्रों में परियोजनाएं शुरू करने की परिकल्पना की गयी है। बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत, इस अधिनियम की सूची में सूचीबद्ध व्यवसायों/प्रक्रियाओं में बच्चों का नियोजन प्रतिषिद्ध कर दिया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत अन्य व्यवसायों तथा प्रक्रियाओं में बच्चों की रोजगार परिस्थिति को विनियमित किया जाता है। कानूनी उपायों के अलावा, सरकार ने राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना कार्यक्रम के माध्यम से जोखिमकारी व्यवसायों में कार्यरत बाल श्रमिकों को कार्य से हटाने और पुनर्वासित करने के लिए कदम उठाए हैं। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना कार्यक्रम के अंतर्गत अनौपचारिक शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, पोषणाहार, छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य देख-रेख आदि के प्रावधान वाले विशेष स्कूलों की स्थापना की गयी है। लगभग 2 लाख बच्चों को शामिल करने के लिए बाल श्रम बहुल 11 राज्यों में अभी तक 94 बाल श्रम परियोजनाएं शुरू की गयी हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस मुद्दे पर विचार-विमर्श किया था। दिनांक 10.12.96 के अपने निर्णय में न्यायालय ने अनेक निदेश दिए हैं जिनमें जोखिमकारी व्यवसायों में बच्चों को मुआवजे की अदायगी किया जाना भी शामिल है। इन निदेशों को कार्यान्वित करने के लिए सरकार ने पहले ही अनेक कदम उठाए हैं।

विकलांग व्यक्तियों के लिए नौकरियों में आरक्षण

1740. श्री भीम दाहाल : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नि:शक्तता अधिनियम में अशक्त व्यक्तियों को सरकारी नौकरियों में तीन प्रतिशत आरक्षण देने की व्यवस्था है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित कोटा को नियमित रूप से भरा जाता है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा राज्यों में आरक्षित कोटे को भरने हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, की धारा 33 के तहत समुचित सरकार को प्रत्येक विकलांग के लिए पहचान किए गए पदों में नि:शक्त व्यक्तियों के लिए कम से कम 3% रिक्त पदों को आरक्षित करने का सांविधिक दायित्व सौंपा गया है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग तथा लोक उद्यम विभाग दोनों के द्वारा इस संबंध में समय-समय पर अनुदेश जारी किए गए हैं। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17.9.1999 के कार्यालय ज्ञापन सं. 36035/19/99-स्थापना (आरइएस) के अंतर्गत सभी नियुक्ति प्राधिकरणों से भर्ती एजेंसियों को यह प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है कि नि:शक्त व्यक्तियों के लिए 3% आरक्षण से संबंधित नीति का अनुपालन किया गया है।

(घ) चूंकि नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम के संदर्भ में समुचित सरकार के अंतर्गत राज्य सरकार तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन शामिल हैं, इसलिए उनसे नियमित रूप से समुचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है ताकि नि:शक्त व्यक्तियों से संबंधित 3% आरक्षण की नीति को ध्यान में रखा जा सके।

इस मंत्रालय ने फरवरी, 2000 में सम्पन्न राज्य समाज कल्याण सचिवों के सम्मेलन में इस अधिनियम की धारा 33 सहित विभिन्न उपबन्धों के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा भी की है।

भविष्य निधि योजना

1741. श्री महबूब जहेदी : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सभी राज्यों में कृषि कामगारों के लिए भविष्य निधि योजना लागू करने हेतु कानून बनाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) से (ग) कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के तहत् 20 या अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले कृषि फार्मों, फल बगीचों, मुर्गी पालन फार्मों, पशु पालन फार्मों, चाय, काफी, रबड़ सिनकोना के बागानों में नियोजित कामगारों को पहले ही भविष्य निधि हितलाभ उपलब्ध है।

[हिन्दी]

चूककर्त्ता इकाईयां

1742. श्री गजेन्द्र सिंह राजूखेड़ी : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा उन चूककर्ता संस्थानों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है जो समय पर भविष्य निधि की राशि जमा नहीं कराते;

(ख) क्या 31 मार्च, 2000 तक 21698 संस्थानों को चूककर्ता घोषित किया गया है और उन पर 1058 करोड़ रुपए के अधिक राशि बकाया है; और

(ग) यदि हां, तो कितने संस्थानों ने बकाया राशि का भुगतान कर दिया है और कितने संस्थान बकाया राशि का भुगतान नहीं कर पाए हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) भविष्य निधि देयों का समय पर भुगतान करने में चूक करने वाले नियोक्ताओं के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 7क, 7घ, 8ख, 8छ 14, 14ख इत्यादि के अन्तर्गत और जहां आवश्यक हो धारा 406 और 409 के अंतर्गत आवश्यक कानूनी और दांडिक कार्रवाई की जाती है।

(ख) जी हां।

(ग) 1058.00 करोड़ रु. की कुल भविष्य निधि बकाया राशि में से 767.76 करोड़ रु. की राशि की बी.आई.एफ.आर., न्यायालय, परिसमापन और अन्य कानूनी प्रक्रियाओं के कारण तत्काल वसूली नहीं की जा सकती। शेष बकाया राशि में से क.भ.नि. संगठन बकाया राशि के आंशिक अथवा पूर्ण परिसमापन के माध्यम से 152.74 करोड़ रु. की वसूली कर चुका है। क.भ. निधि चूककर्ताओं की सूची को सामान्यत: वार्षिक आधार पर अद्यतन/अंतिम रूप दिया जाता है।

गहन श्रम संबंधी उत्पादकता

1743. श्री ए. नरेन्द्र : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश की गहन श्रम संबंधी उत्पादकता, विशेषरूप से कृषि उत्पादकता अन्य देशों की तुलना में कम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में गहन श्रम संबंधी उत्पादकता में सुधार करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) से (ग) भारत और अन्य देशों के कृषि क्षेत्र में श्रम गहन उत्पादकता के तुलनात्मक संगत आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। देश में, कौशलों का उन्नयन करके और उर्वरकों, सिंचाई आदि जैसे अन्तर्निविष्ट साधनों का प्रयोग करके श्रम गहन उत्पादकता में सुधार लाने का प्रयास एक सतत प्रक्रिया है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा सर्वेक्षण

1744. श्री मणि शंकर अय्यर : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन ने 1994-99 के इन पांच वर्षों के लिए अपना सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस रिपोर्ट को कब तक सार्वजनिक किए जाने की आशा है;

(ग) क्या अब तक प्राप्त की गई सूचना और विचाराधीन [illegible] वर्षों में प्रत्येक वर्ष उसी संगठन द्वारा वार्षिक रूप से किए गए "थीन सैम्पल" सर्वेक्षणों द्वारा उद्घाटित रुझानों मे विरोधाभास है;

(घ) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं; और

(ङ) वार्षिक सर्वेक्षणों और पंचवर्षीय सर्वेक्षणों के परिणाम के मध्य बेहतर तालमेल सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी): (क) और (ख) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन ने क्षेत्रीय कार्य तथा सारणीयन पूरा कर लिया और 54वें दौर तक सभी सर्वेक्षणों के परिणाम जारी कर दिए हैं तथा 55वें दौर (जुलाई 1999 से जून 2000) के संबंध में जून 2000 के अंत तक क्षेत्रीय कार्य पूरा हो गया था। जुलाई-दिसम्बर 2000 (छः माह) के दौरान 55वें दौर में एकत्रित आंकड़ों के आधार पर उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण के मुख्य परिणाम भी जारी किए जा चुके हैं।

(ग) से (ङ) जांच के मुख्य विषय दौर-ब-दौर बदलते रहते हैं और 51वें दौर से शामिल किए गए विषय निम्न प्रकार हैं:-

दौर	मुख्य विषय
51	असंगठित विनिर्माण।
52	स्वास्थ्य देख-रेख, शिक्षा में भागीदारी।
53	गैर-निदेशिका व्यापार प्रतिष्ठान तथा स्व:लेखा व्यापार उद्यम।
54	सामान्य संपत्ति संसाधनों, स्वच्छता तथा स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग।
55	अनौपचारिक गैर-कृषि उद्यम।

तथापि, 51 से 54 तक प्रत्येक सर्वेक्षण दौर में उपभोक्ता व्यय और रोजगार तथा बेरोजगारी के लिए कुछ परिवारों का सर्वेक्षण भी किया गया था। इन थीन प्रतिदर्श सर्वेक्षणों के परिणामों में छोटे प्रतिदर्श आकार के कारण बड़ी प्रतिदर्श त्रुटियां हो सकती हैं। परिणामों का बेहतर तालमेल जनशक्ति और वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता को शामिल करते हुए प्रत्येक वर्ष उपभोक्ता व्यय पर बड़े पैमाने के प्रतिदर्श सर्वेक्षण आयोजित करके ही प्राप्त किया जा सकता है।

[हिन्दी]

बाल श्रम का उन्मूलन

1745. श्री हरीभाऊ शंकर महाले : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने देश में बाल श्रम शोषण के निकृष्टतम स्वरूप के उन्मूलन पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सम्मेलन के 182वें प्रस्ताव पर हस्ताक्षर नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार का विचार इस सम्मेलन के उक्त प्रस्ताव पर कब तक हस्ताक्षर करने का है; और

(घ) बाल श्रमिकों के कार्यस्थलों पर अनुकूल वातावरण तैयार करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) से (ग) जून 1999 में सम्पन्न अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के 87वें सत्र ने बाल श्रम के सबसे विकृत रूपों के उत्सादन और इसके उन्मूलन के लिए शीघ्र कार्रवाई करने से संबंधित अं. श्रम संगठन अभिसमय संख्या 182 को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। इस अभिसमय को स्वीकार करने के तुरन्त बाद सरकार ने सभी सामाजिक भागीदारों के परामर्श से अभिसमय संख्या 182 के अनुसमर्थन की कार्रवाई आरम्भ कर दी है।

(घ) बाल श्रम (उत्सादन एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 अधिनियम की अनुसूची में वर्णित व्यवसायों और प्रक्रियाओं में बाल श्रमिकों का नियोजन प्रतिषिद्ध करता है तथा अधिनियम के अंतर्गत प्रतिषिद्ध न किए गए सभी नियोजनों में बच्चों की कार्यदशाओं का विनियमन करता है। इसमें कार्य समय, साप्ताहिक अवकाश और कार्य स्थल पर सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने हेतु, स्वास्थ्य व सुरक्षा के उपाय शामिल हैं।

ई.एस.आई. अस्पताल

1746. श्री जय प्रकाश : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश में राज्य कर्मचारी बीमा (ई.एस.आई.) अस्पतालों की बदहाल स्थिति की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उनकी स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार का उत्तर प्रदेश के कुछ औद्योगिक क्षेत्रों में सुपर स्पेशियलिटी ई.एस.आई. अस्पताल खोलने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) और (ख) क.रा.बी. योजना के अन्तर्गत चिकित्सा देखरेख के प्रावधानों का प्रशासन राज्य सरकारों द्वारा किया जा रहा है, केवल दिल्ली, नोएडा में इनका प्रशासन सीधे क.रा.बी. निगम द्वारा किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के कुछ क.रा.बी. अस्पतालों में चिकित्सकों, पैरा-

मेडिकल स्टाफ, दवाइयों, मरहम पट्टी, उपकरणों इत्यादि की कमी के बारे में छुटपुट शिकायतें मिलती रही हैं। ऐसी शिकायतें प्राप्त होते ही समुचित उपचारात्मक कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकारों को प्रेषित कर दिया जाता है। कामगारों को उचित चिकित्सा देखरेख की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क.रा.बी. निगम ने क.रा.बी. अस्पतालों के लिए स्टाफ और उपकरण हेतु मानक/दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं। हाल ही में क.रा.बी. निगम ने क.रा.बी. अस्पतालों के कार्यचालन में त्वरित सुधार लाने के लिए एक कार्ययोजना तैयार की है और उसे क.रा.बी. निगम के परामर्श में क्रियान्वित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार सहित राज्य सरकारों को भेज दिया गया है। कार्ययोजना में अन्य बातों के साथ-साथ अस्पतालों में आधुनिक उपकरणों की खरीद और उन्हें लगाया जाना, क्षेत्रीय, ट्रामा केन्द्रों की स्थापना, अति-विशिष्ट सेवाओं की व्यवस्था, रक्त बैंक, कैंसर रोकथाम केन्द्र इत्यादि शामिल हैं। चिकित्सा देखरेख के प्रशासन में राज्य सरकारों की संसाधन संबंधी स्थिति में सुधार करने के लिए 1.4.1999 से चिकित्सा देखरेख के व्यय की अधिकतम सीमा 500 रुपये प्रति बीमाकृत व्यक्ति प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 600 रुपये प्रति बीमाकृत व्यक्ति प्रतिवर्ष कर दी गई है। बीमाकृत व्यक्तियों के अति-विशिष्ट उपचार के मामले में अग्रिम/व्यय की प्रतिपूर्ति का त्वरित भुगतान सुनिश्चित करने के लिए एक परिक्रामी निधि का गठन किया गया है।

(ग) से (ङ) कार्ययोजना के अन्तर्गत राज्य सरकारों द्वारा विद्यमान क.रा.बी. अस्पतालों में ही अति-विशिष्ट सेवाएं विकसित किया जाना अपेक्षित है। ऐसी अति-विशिष्ट सेवाएं विकसित करने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त होते ही उस पर विचार किया जाएगा।

भविष्य निधि क्षेत्रीय कार्यालय

1747. श्री राजो सिंह : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को बिहार के शेखपुरा जिले में भविष्य निधि उपक्षेत्रीय कार्यालय खोलने हेतु ज्ञापन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव सरकार के पास कब से लंबित है;

(ग) प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) से (घ) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में उप-क्षेत्रीय कार्यालय क.भ. निधि संगठन योजना के अंतर्गत व्याप्त प्रतिष्ठानों/कर्मचारियों की कुल संख्या, वित्तीय अर्थक्षमता आदि जैसे मानदंडों को ध्यान में रखते हुए खोले जाते हैं। प्रस्ताव पर विचार करते समय क्षेत्रीय क.भ.नि. समिति की सिफारिशों को भी ध्यान में रखा जाता है। इस विषय में क्षेत्रीय क.भ.नि. समिति ने कोई सिफारिश नहीं की है। अत: शेखपुरा में क.भ.नि. उप क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का प्रश्न ही नहीं उठता।

परामर्शदाता के रिक्त पद

1748. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विदेश स्थित विभिन्न भारतीय दूतावासों में इस समय परामर्शदाता (आर्थिक) के देशवार कितने पद हैं;

(ख) परामर्शदाता (आर्थिक) का कार्यकाल कितना है;

(ग) किन-किन देशों में परामर्शदाता (आर्थिक) का पद रिक्त पड़ा है अथवा तत्पदस्थ अधिकारी का कार्यकाल समाप्त हो गया है; और

(घ) रिक्त पड़े होने की दशा में, इसके क्या कारण हैं और यदि कार्यकाल समाप्त हो गया हो, तो रिक्त पद को न भरने के क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) विदेशों में 60 देशों में हमारे मिशनों/केन्द्रों में वाणिज्यिक प्रतिनिधियों के कुल 95 पद हैं। देशवार सूची संलग्न विवरण में दी गई है। शेष देशों जहां हमारे मिशन/केन्द्र हैं, में जिन अधिकारियों को विशेष रूप से वाणिज्यिक प्रतिनिधि के रूप में मनोनीत नहीं किया जा सकता है, वे अपने अन्य दायित्वों के अलावा वाणिज्यिक अधिकारियों की भूमिका भी विधिवत रूप से निभा रहे हैं।

(ख) विदेश स्थित मिशनों/केन्द्रों में वाणिज्यिक प्रतिनिधि यदि विशेष रूप में उल्लेख न किया गया हो तो आमतौर पर तीन वर्ष की अवधि के लिए तैनात किए जाते हैं।

(ग) और (घ) लंदन स्थित भारत के हाई कमीशन में मिनिस्टर (आर्थिक) का पद इस समय रिक्त पड़ा है। इस रिक्ति को भरने के लिए कार्यवाई शुरू कर दी गई है।

विवरण

उन देशों की सूची जहां विदेश स्थित भारतीय मिशनों/केन्द्रों में वाणिज्यिक प्रतिनिधियों को तैनात किया गया

क्र.सं.	देश	पदों की संख्या
1	2	3
1.	इथियोपिया	1
2.	घाना	1
3.	सेनेगल	1
4.	तंजानिया	1
5.	सूडान	1
6.	जाम्बिया	1
7.	नाइजीरिया	1
8.	अमरीका	6
9.	कनाडा	4
10.	बंगलादेश	3
11.	म्यामां	1
12.	श्रीलंका	1
13.	चीन	4
14.	जापान	2
15.	बेल्जियम	4
16.	स्विटजरलैंड	3
17.	जर्मनी	5
18.	यूनाइटेड किंगडम	4
19.	फ्रांस	2
20.	इटली	1
21.	स्वीडन	1
22.	युगोस्लाविया	1
23.	रोमानिया	1
24.	हंगरी	1
25.	रूस	2
26.	चैक गणराज्य	1
27.	बुल्गारिया	1
28.	पोलैण्ड	1
29.	ओमन	2
30.	सऊदी अरब	3
31.	सीरिया	2
32.	मोरक्को	1
33.	टयूनिशिया	1
34.	लिबिया	1
35.	नेपाल	2
36.	थाईलैंड	2
37.	फिलीपीन्स	1
38.	सिंगापुर	1
39.	आस्ट्रेलिया	2
40.	कुवैत	1
41.	इंडोनेशिया	1
42.	दक्षिणी अफ्रीका	1
43.	अल्जिरिया	1
44.	कजाकस्तान	1
45.	तुर्की	1
46.	तुर्कमेनिस्तान	1
47.	लेबनान	1
48.	ब्राजील	1
49.	मिस्र	1
50.	कतर	1
51.	वियतनाम	1
52.	पाकिस्तान	1
53.	उक्रेन	1
54.	मेक्सिको	1

1	2	3
55.	पनामा	1
56.	मारीशस	1
57.	द. कोरिया	1
58.	उजबेकिस्तान	1
59.	इजरायल	1
60.	नीदरलैण्ड	1
	कुल	95

झारखंड के लिए आर्थिक पैकेज

1749. श्री ब्रह्मानन्द मंडल : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या झारखण्ड राज्य बनने के पश्चात् बिहार सरकार द्वारा उत्तरी बिहार के लिए कोई आर्थिक पैकेज का कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/की जा रही है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी): (क) से (ग) उत्तरी बिहार के लिए विकास पैकेज की रूपरेखाओं को अग्रेषित करने वाला एक पत्र बिहार सरकार से प्राप्त हुआ है। इस पैकेज में केन्द्रीय सरकार द्वारा भेजी गई वे स्कीम/परियोजनाएं हैं जो प्रस्तुत किए जाने हेतु तैयार हैं, वे स्कीमें जो राज्य को राष्ट्रीय औसत के स्तर तक ले जाने के लिए आवश्यक हैं तथा वे प्रस्ताव जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सस्थाओं के समक्ष रखे जाने के लिए केन्द्र सरकार के पास भेजे गए तथा वे जो अभी तक अनुमोदन हेतु प्राप्त नहीं हुए हैं, शामिल हैं। प्रस्तावित स्कीमों का एक वित्तीय सारांश विवरण के रूप में संलग्न है। राज्य सरकार के उन अधिकारियों, जिन्हें अब और विस्तृत चर्चा हेतु आमंत्रित किया गया है, के साथ प्रारम्भिक चर्चाएं पहले ही पटना में हो चुकी हैं।

विवरण

प्रस्तावित स्कीमों का वित्तीय सारांश

(करोड़ रुपए)

विभाग	श्रेणी-1 केन्द्रीय सरकार को भेजे गए	श्रेणी-2 वे स्कीमें जो प्रस्तुत किए जाने हेतु तैयार हैं	श्रेणी-3 राष्ट्रीय औसत तक लाने के लिए	श्रेणी-4 अंतर्राष्ट्रीय अभिकरणों द्वारा निधि पोषण हेतु प्रस्तावित	योग
1	2	3	4	5	6
जल संसाधन	23,000	18,060	14,400	—	55,460
लघु सिंचाई एवं कृषि (विशेष) कार्यक्रम	3,113	346	—	5,075	8,534
ऊर्जा	8,580	8,605	570	—	17,755
सड़क निर्माण	925	5,604	25,334	—	31,863
ग्रामीण	—	9,644	5,262	548	15,454
कृषि	80	—	—	—	80

1	2	3	4	5	6
गन्ना विकास	—	—	750	—	750
पशुपालन विकास एवं	60	18	51	64	193
मत्स्य पालन उद्योग	278	155	—	—	433
शिक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	1,520	3,165	10,196	—	14,881
			1,181	—	1,181
स्वास्थ्य पर्यटन	41	—	30	—	71
शहरी विकास	3253	9	35	217	3,514
कुल	40,850	45,606	57,809	5,904	150,169

सीमा क्षेत्र विकास परियोजना

1750. श्री हरिभाई चौधरी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सीमा क्षेत्र विकास परियोजना के तहत देश के विभिन्न राज्यों को वर्ष-वार कितनी धनराशि संवितरित की गई;

(ख) प्रशासनिक कार्य पर कितनी धनराशि खर्च की गई और खर्च की गई राशि का सीमावार प्रतिशत क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा अनावश्यक प्रशासनिक व्यय पर नियंत्रण करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी): (क) सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता का आबंटन उन राज्यों को ब्लाक रूप में की जाती है जिनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं होती हैं। आबंटन संलग्न विवरण-I में दर्शाये गये हैं।

(ख) केवल तीन राज्यों ने प्रशासनिक कार्य संबंधी व्यय की रिपोर्ट भेजी है। इस शीर्ष में व्यय और कुल जारी राशि का प्रतिशत संलग्न विवरण-II में दर्शाया गया है।

(ग) कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य, सीमा के नजदीक स्थित दूरस्थ, दुर्गम क्षेत्रों में रह रहे लोगों की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करना है, इसलिए प्राय: राज्यस्तरीय छानबीन समितियां ही इस प्रकार की स्कीमों का अनुमोदन करती हैं और प्रशासनिक व्यय कम से कम रखने का प्रयास किया जाता है।

विवरण-I

सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम : पिछले तीन वर्षों के दौरान संवितरित विशेष केन्द्रीय सहायता

(करोड़ रु.)

राज्य	1997-98	1998-99	1999-2000
1	2	3	4
असम	2.06	4.27	7.20
गुजरात	8.58	8.88	9.87
जम्मू व कश्मीर	10.34	31.38	33.52

1	2	3	4
मेघालय	3.95	4.11	4.52
मिजोरम	6.73	6.82	8.00
पंजाब	8.54	7.72	9.70
राजस्थान	25.63	26.52	29.17
त्रिपुरा	10.96	11.34	12.47
पश्चिम बंगाल	15.00	29.38	38.05
अरूणाचल प्रदेश	4.00	11.00	13.00
मणिपुर	4.00	4.00	4.00
नागालैण्ड	4.00	4.00	4.00
हिमाचल प्रदेश	—	4.00	4.00
सिक्किम	—	4.00	5.50
उत्तर प्रदेश	—	4.00	12.00
बिहार	—	—	7.00

टिप्पणी : वर्ष 1998-99 में सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम को चीन की सीमा तक तथा वर्ष 1999-2000 में भूटान एवं नेपाल की सीमाओं तक विस्तारित किया गया।

विवरण-II

सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम : प्रशासनिक कार्यों के संबंध में वर्षवार जारी की गई राशि, व्यय तथा प्रशासनिक कार्यों के संबंध में जारी की गई राशि की तुलना में व्यय का प्रतिशत

(रु. लाख)

राज्य/वर्ष	जारी की गई राशि	व्यय	प्रतिशत
राजस्थान			
1997-1998	2563.00	3.53	0.14
1998-1999	2652.00	32.50	1.23
1999-2000	2917.00	4.53	0.16
जम्मू व कश्मीर			
1997-1998	1034.00	10.13	0.98
1998-1999	3138.00	10.00	0.32
1999-2000	3352.00	8.13	0.24
मिजोरम			
1997-1998	673.00	1.50	0.22
1998-1999	682.00	0.00	0.00
1999-2000	800.00	18.53	2.32

[अनुवाद]

लंबित श्रम मामले

1751. श्री ए. नरेन्द्र : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने श्रम-संबंधी विवादों के मामलों के शीघ्र निपटान के लिए अतिरिक्त श्रम अदालतों/औद्योगिक न्यायाधिकरणों का गठन किया है तथा लोक अदालतों का आयोजन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन न्यायालयों द्वारा कितने मामलों का निपटान किया गया और अक्तूबर, 2000 तक कितने मामले लंबित थे?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) और (ख) सरकार ने 9वीं पंचवर्षीय योजना में पांच के.औ. न्यायि.-सह-श्रम न्यायालय गठित किए हैं, ये लखनऊ, नागपुर, चेन्नई, भुवनेश्वर तथा हैदराबाद प्रत्येक में एक-एक हैं, इनके लिए मानदंड उद्योगों की बहुलता वाले क्षेत्र और क्षेत्र में औद्योगिक विवादों की संख्या है। जहां तक लोक अदालतों के आयोजन किए जाने का संबंध है, श्रम मंत्रालय ने किसी लोक अदालत का आयोजन नहीं किया है क्योंकि श्रम कानूनों में सांविधिक उपचार उपलब्ध हैं और कानून में पीड़ित लोगों को न्यूनतम राहत प्रदान करने के लिए उपाय निर्धारित हैं।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

विगत तीन वर्षों में अक्तूबर, 2000 तक लम्बित एवं निपटान किए गए मामलों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण

के.स.औ.अ. का नाम	1998		1999		2000 (अक्तूबर, 2000 तक)	
	लम्बित	निपटाए गए	लम्बित	निपटाए गए	लम्बित	निपटाए गए
1. लखनऊ (15.6.99 से कार्य करना आरंभ किया)	–	–	31	–	179	16
2. नागपुर (1.7.99 से कार्य करना आरंभ किया)	–	–	52	–	208*	29*
3. चेन्नई (15.3.2000 से कार्य करना आरंभ किया)	–	–	–	–	74	6
4. भुवनेश्वर (5.6.2000 से कार्य करना प्रारम्भ किया	–	–	–	–	23	–
5. हैदराबाद (20.10.2000 से कार्य करना आरम्भ किया	–	–	–	–	–	–
योग	–	–	83	–	484	51

*जुलाई, 2000 तक सूचना प्राप्त

श्रमदिवसों की हानि

1752. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हड़ताल और तालाबंदी के कारण होने वाले श्रमदिवसों की हानि को कम-से-कम करने के उद्देश्य से बेहतर औद्योगिक संबंध स्थापित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) से (ग) सरकार हड़तालों और तालाबंदी से बचने और केन्द्रीय क्षेत्र में बेहतर औद्योगिक संबंध स्थापित करने के लिए सुलह की कार्यवाही कर रही है। सामाजिक संवाद को बढ़ाने और कर्मकार व प्रबंधन की शिकायतों पर विचार-विमर्श करने हेतु त्रिपक्षीय तंत्र स्थापित किया गया है। इस मंच पर, आर्थिक सुधारों पर सरकार की नीतियों पर चर्चा की जाती है। कर्मकारों की प्रबंधन में सहभागिता की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी सरकार विशेष बल दे रही है ताकि और अधिक सौहर्दपूर्ण औद्योगिक संबंध बनाए जा सकें। आशा है कि इन कदमों से बेहतर औद्योगिक संबंध बनेंगे और इसके फलस्वरूप हड़तालों तथा तालाबन्दियों से होने वाली हानियां कम होंगी।

[हिन्दी]

रोरिक परिसम्पदा की स्थिति

1753. श्री तूफानी सरोज : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार को रोरिक परिसम्पदा का नियंत्रण सौंपे जाने के बाद से इसकी स्थिति में गिरावट आई है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इसकी स्थिति में सुधार करने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) और (ख) कर्नाटक सरकार ने एक अधिनियम के द्वारा 21 नवम्बर, 1996 को रोरिक की सम्पदा का अधिग्रहण कर लिया। इस अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली एक याचिका के आधार पर कर्नाटक के माननीय उच्च न्यायालय ने इस मामले में यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिया।

कर्नाटक के माननीय उच्च न्यायालय की अनुमति से 17 दिसम्बर, 1997 को कर्नाटक सरकार ने बहुमूल्य हस्तकृतियों और चित्रों को वेंकटप्पा कला दीर्घा में स्थानांतरित करवा दिया ताकि उनकी मूल स्थिति में उनका संरक्षण और अनुरक्षण किया जा सके।

रोरिक एस्टेट की स्थिति में सुधार लाने के लिए कर्नाटक सरकार ने माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है जिसका उद्देश्य भवनों की साफ-सफाई और छोटे-छोटे मरम्मत कार्य करवाने और पेड़-पौधों को नष्ट होने से बचाने के लिए कार्य करने की अनुमति प्राप्त करना था।

बच्चों द्वारा बुनी जाने वाली दरियों के आयात पर प्रतिबंध

1754. श्री सुन्दर लाल तिवारी :
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ देशों ने दरी उद्योग और कुछ अन्य उद्योगों जिनमें बच्चे मजदूरों के रूप में काम कर रहे हैं के उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा स्थिति को सुलझाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि-दर

1755. डा. मदन प्रसाद जायसवाल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अन्य देशों की तुलना में भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि-दर उत्साहवर्धक नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) भारत में सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि-दर को तीव्र गति से बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी): (क) जी, नहीं। 1990 के दशक में भारत विश्व में तीव्रतम गति से बढ़ रही दस अर्थव्यवस्थाओं में रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) अर्थव्यवस्था की संवर्द्धित वृद्धि दर प्राप्त करने के लिए रणनीति बचत और निवेश की दरों में पूर्णत: तीव्र गतिवर्द्धन, अधिकतम क्षमता उपयोग और बुनियादी क्षेत्र में निवेश के उचित स्तर पर निर्भर करती है। इन्हें प्राप्त करने के लिए कुछेक उपायों की रूपरेखा नौवीं पंचवर्षीय योजना में प्रस्तुत की गई है।

आई.टी.आई. हेतु धनराशि

1756. श्री रघुराज सिंह शाक्य : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान आज तक सरकार द्वारा राज्य-वार पिछड़े क्षेत्रों की महिलाओं को औद्योगिक प्रशिक्षण देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को कितनी सहायता दी गई;

(ख) क्या सरकार को उक्त वित्तीय सहायता के दुरुपयोग संबंधी कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को इस संबंध में कोई निगरानी दल का गठन करने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) वर्ष 1997-98 एवं वर्ष 1998-99 के दौरान पिछड़े क्षेत्रों की महिलाओं को औद्योगिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश को व्यावसायिक प्रशिक्षण परियोजना के अंतर्गत सरकार द्वारा क्रमश: 13.98 लाख रुपये एवं 37.46 लाख रुपये की सहायता उपलब्ध कराई गई। वर्ष 1999-2000 एवं वर्ष 2000-2001 (आदिनांक) के दौरान कोई सहायता उपलब्ध नहीं कराई गई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) से (च) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

देय राशि की वसूली

1757. श्री वैको :
डा. सी. कृष्णन :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 मार्च, 2000 की स्थिति के अनुसार प्राधिकारियों द्वारा वसूल की जाने वाली ई.एस.आई. तथा पी.एफ. की देय राशि कितनी है और पूर्व वर्षों की तुलना में यह कितना है;

(ख) इन देय राशियों में से बी.एफ.आई.आर. के अंतर्गत कम्पनियों से कितनी राशि वसूल की जानी है;

(ग) कम्पनियों का ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक मामले में ई.एस.आई. की धनराशि तथा पी.एफ. की देय राशि कितनी है;

(घ) प्राधिकारियों द्वारा इन देय राशियों की उगाही करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं और प्रत्येक मामले में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार की क्या नीति है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) पिछले वर्ष के बकाया 452.28 करोड़ रुपये की तुलना में 31.3.2000 की स्थिति के अनुसार ई.एस.आई. की बकाया देय राशि 524.79 करोड़ रुपये थी। इसी प्रकार पिछले वर्ष के बकाया 573.18 करोड़ रुपये की तुलना में 31.3.2000 की स्थिति के अनुसार ई.पी.एफ. की बकाया देय राशि 1058.31 करोड़ रुपये थी।

(ख) और (ग) बी.आई.एफ.आर. के अधीन 554 कंपनियों से ई.एस.आई. देय राशि 147.83 करोड़ रुपये और 797 पंजीकृत प्रतिष्ठानों से ई.पी.एफ. देय राशि 273.38 करोड़ रुपये वसूली योग्य है। पंजीकृत प्रतिष्ठानों/कंपनियों की संख्या बहुत अधिक है इसलिए उनका अलग-अलग विवरण प्रस्तुत करना कुछ मुश्किल है।

(घ) और (ङ) रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 के तहत बी.आई.एफ.आर. के साथ पंजीकृत रुग्ण औद्योगिक कंपनियों से देय राशि की वसूली करने के लिए अवपीडक कार्रवाई करना अनुमेय नहीं है। तथापि, कर्मचारियों के अंशदान को उनके वेतन से काटे जाने पर तथा ई.एस.आई. और ई.पी.एफ. प्राधिकारियों के पास जमा न करवाने की स्थिति में चूककर्ता कंपनियों के विरुद्ध वसूली और अभियोजन कार्रवाई की जाती है।

कामगार की परिभाषा

1758. श्री वरकला राधाकृष्णन : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कामगार की परिभाषा को परिवर्तित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का उक्त परिभाषा में वैधानिक रूप से परिवर्तन करने के पूर्व, ट्रेड-यूनियनों से परामर्श करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) से (ङ) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में सामाजिक भागीदारों की आवश्यकता/सुझावों के आधार पर और आर्थिक सुधारों के समनुरूप अनेक संशोधन प्रस्तावित हैं। संशोधन प्रस्तावों की सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से पूर्व विभिन्न स्तरों पर जांच की जाती है। संशोधन के ब्यौरे अंतिम अनुमोदन के पश्चात् ही सार्वजनिक किए जा सकते हैं।

कर्नाटक में एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम

1759. श्री कोलूर वसवनागौड़ : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक में एम.बी.बी.एस. नियमों के अनुसार प्रथम एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम के लिए कोई कैरी ओवर प्रणाली नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(ग) प्रथम एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम में भी कैरी ओवर सुविधा प्रदान करने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ग) भारतीय चिकित्सा परिषद के नियमों के अनुसार दाखिलों को एक शैक्षणिक सत्र से दूसरे सत्र के लिए अग्रेषित करने की अनुमति नहीं है। भारतीय चिकित्सा परिषद के नियमों एवं भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1956 की धारा 10ए के प्रावधानों के अनुसार कोई भी मेडिकल कालेज केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना अपनी दाखिला क्षमता को नहीं बढ़ाएगा।

यह मामला कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा भी 1996 की डब्ल्यू.पी. संख्या 22316 के जरिए निर्धारित किया गया जिसे सर्वोच्च न्यायालय का समर्थन भी मिला था। पिछली बकाया रिक्तियों के आधार पर ज्यादा दाखिले दिए जाने के प्रश्न पर कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कहा था कि कालेज के नियमों के तहत एक वर्ष में दिए जाने वाले दाखिलों की अनुमति के अलावा किसी भी उम्मीदवार को पिछली बकाया रिक्तियों के आधार पर दाखिला देने का कोई अधिकार नहीं है।

केन्द्रीय भंडार/एन.सी.सी.एफ.

1760. श्री चन्द्र भाष सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास केन्द्रीय भंडार/एन.सी.सी.एफ. के क्रय-विक्रय के संबंध में कोई व्यापक नीति है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त नीति की समीक्षा करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) और (ख) केन्द्रीय भण्डार और एन.सी.सी.एफ., स्वायत्त सहकारी संगठन हैं और क्रय-विक्रय के बारे में अपनी नीतियां निर्धारित करने की दृष्टि से उनका अपना निदेशक-मण्डल है। फिर भी, सरकार द्वारा जारी अनुदेशों में, मंत्रालयों/विभागों आदि को इन सहकारी संगठनों से स्टेशनरी तथा अन्य मदों की स्थानीय खरीद के बारे में, सामान्य वित्तीय नियमावली में निर्धारित निविदा (टैंडर) प्रक्रिया के निर्वाह से छूट दिए जाने का प्रावधान है।

(ग) से (ङ) केन्द्रीय भण्डार/एन.सी.सी.एफ. द्वारा/से मदों के क्रय-विक्रय से संबंधित नीति की समीक्षा किया जाना एक सतत चलती रहने वाली प्रक्रिया है।

[हिन्दी]

राजस्थान में बेरोजगार युवक

1761. श्री पुष्प जैन :
श्री भर्तृहरि महताब :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में, देश में विशेषकर राजस्थान और उड़ीसा में राज्यवार कितने शिक्षित तथा अशिक्षित बेरोजगार युवक हैं और उनका श्रेणी-वार अर्थात् शारीरिक रूप से विकलांगों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों आदि का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उनको कब तक रोजगार प्रदान कर दिए जाने की संभावना है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) 31.12.98 (नवीनतम उपलब्ध) की स्थिति के अनुसार रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर शिक्षित, अशिक्षित, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विकलांग रोजगार चाहने वालों, यह आवश्यक नहीं कि सभी बेरोजगार हों, की संख्या से संबंधित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) रोजगार कार्यालय, नियोक्ताओं द्वारा उन्हें अधिसूचित, रिक्तियों हेतु रोजगार चाहने वालों के नाम भेजते हैं। रोजगार उपलब्ध करवाने हेतु समय सीमा अर्थव्यवस्था में उपयुक्त संख्या में रोजगार सृजन पर निर्भर करेगी। इसके अतिरिक्त, श्रम बाजार एवं रोजगार चाहने वालों की शिक्षा/कौशल स्तर में असमानता है। अत: कोई समय सीमा निर्दिष्ट नहीं की जा सकती।

विवरण

31.12.1998 की स्थिति के अनुसार रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर में रोजगार चाहने वालों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	समस्त श्रेणियों का योग	शिक्षित (कालम 2 में शामिल 10वीं कक्षा एवं उससे अधिक)	अशिक्षित (कालम 2 में शामिल अशिक्षितों सहित 10वीं कक्षा से कम)	अनुसूचित जाति (कालम 2 में शामिल)	अनुसूचित जनजाति (कालम 2 में शामिल)	शारीरिक रूप से विकलांग (कालम 2 में शामिल)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	3206.5	2022.2	1184.3	569.2	91.5	53.2
2.	अरुणाचल प्रदेश	13.7	3.1	10.6	0.2	5.4	@
3.	असम	1489.3	932.5	556.8	91.7	152.7	44
4.	बिहार	3310.0	2482.8	827.2	415.2	243.3	17.4
5.	गोवा	111.8	83.2	28.6	1.8	—	1.0
6.	गुजरात	943.3	698.7	244.6	199.2	101.1	17.4
7.	हरियाणा	820.1	562.5	257.6	132.3	@	9.4
8.	हिमाचल प्रदेश	795.4	494.5	300.9	146.3	21.8	7.2
9.	जम्मू और कश्मीर	164.8	72.2	92.6	7.8	2.2	0.7
10.	कर्नाटक	1812.7	1217.5	595.2	249.1	68.7	24.1
11.	केरल	3672.1	2749.1	923.0	413.1	22.0	29.0
12.	मध्य प्रदेश	2547.1	2026.2	520.9	338.6	264.6	28.7
13.	महाराष्ट्र	4103.1	3044.2	1058.9	592.9	138.2	30.3
14.	मणिपुर	334.7	218.6	116.1	2.4	94.2	1.5

1	2	3	4	5	6	7	8
15.	मेघालय	33.4	18.9	14.5	0.3	26.5	0.1
16.	मिजोरम	74.2	34.3	39.9	—	87.8	0.1
17.	नागालैंड	27.7	19.2	8.5	0.2	24.5	0.1
18.	उड़ीसा	970.9	743.5	227.4	146.8	92.2	10.1
19.	पंजाब	578.8	389.0	189.8	173.7	0.2	10.1
20.	राजस्थान	891.2	622.2	269.0	134.7	66.7	19.8
21.	सिक्किम*	—	—	—	—	—	—
22.	तमिलनाडु	4175.8	2852.8	1323.0	849.4	8.3	56.1
23.	त्रिपुरा	246.3	109.5	136.8	17.1	19.1	2.7
24.	उत्तर प्रदेश	2638.5	2007.9	630.6	512.9	12.5	27.1
25.	पश्चिम बंगाल	5724.7	3350.0	2374.7	579.2	115.8	54.6
26.	अं. एवं नि. द्वीपसमूह	27.0	8.6	18.4	—	0.7	0.2
27.	चंडीगढ़	110.4	59.9	50.5	27.7	0.1	0.8
28.	दादरा एवं नगर हवेली	6.0	1.2	4.8	0.2	0.9	0.1
29.	दिल्ली	1128.2	869.0	259.2	186.7	26.9	6.3
30.	दमन और दीव	6.0	3.5	2.5	0.5	0.5	0.1
31.	लक्षद्वीप	9.3	1.7	7.6	—	6.4	0.1
32.	पांडिचेरी	116.6	90.6	26.0	10.4	@	1.6
	योग	40089.6	27788.9	123005.	5799.4	1694.6	415.3

*इस राज्य में कोई रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा है। @ 50 से कम
विशेष टिप्पणी : हो सकता है पूर्णांकों के कारण आंकड़े योग से मेल न खाएं।

[अनुवाद]

सकल घरेलू उत्पाद

1762. श्री मणिशंकर अय्यर : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधान मंत्री ने अपनी अमेरिकी यात्रा के दौरान यह वक्तव्य दिया है कि उनकी सरकार का लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद की वार्षिक विकास-दर 9% तक बनाए रखने का है;

(ख) यदि हां, तो मार्च 1998 में राजग सरकार के सत्ता संभालने से विकास की औसतन वार्षिक दर क्या रही है; और

(ग) मार्च 1998 से वास्तविक रूप में हासिल विकास दरों के बीच अन्तर के क्या कारण हैं और दसवीं योजना के लिए अब किन अनुमानों पर विचार किया जा रहा है?

वित्तनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी): (क) जी हां।

(ख) मार्च, 1998 में जब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन सरकार ने कार्यभार ग्रहण किया, तब से औसत वार्षिक विकास दर वर्ष 1998-2000 की अवधि के लिए 6.6 प्रतिशत होने का अनुमान है।

(ग) योजना आयोग ने दसवीं योजना संबंधी प्रक्रिया शुरू कर दी है।

बैगर्स कान्ट चूज

1763. श्री रामजी मांझी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 12 नवम्बर, 2000 के "द हिन्दुस्तान टाइम्स" में "बैगर्स कान्ट चूज" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने रक्त संग्रहण और वितरण से संबंधित कोई नीति तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या रक्त की मांग और आपूर्ति के बीच के 50 प्रतिशत के अन्तर को आयात के माध्यम से पूरा किया जाता है, और एच.आई.वी., हेपेटाइटिस-बी और ऐसे अन्य संक्रमणों के खतरों के बावजूद अविनियमित क्षेत्रों मूलत: व्यवसायियों और दूषित रक्त वाले रक्तदाताओं द्वारा रक्त उत्पाद लिया जाता है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (ए.आई.आई.एम.एस.)/सफदरजंग अस्पताल (एस.जे.एच.) में सुरक्षित रक्त की हर समय उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए ट्रांसफ्यूजन मेडिसन डिपार्टमेंट स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ज) भारत में कितने रक्त बैंक हैं और वे राज्यवार तथा संघ राज्य क्षेत्रवार कितने लोगों को रक्त की आपूर्ति करते हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) जी हां। आलेख में बताया गया है कि देश में खून की कमी है और स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा दिये जाने की जरूरत है। इसमें यह भी कहा गया है कि रक्त के संग्रहण, भंडारण और वितरण की प्रणाली को सुव्यवस्थित किए जाने की आवश्यकता है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय रक्त नीति, जो सरकार के अनुमोदन की प्रतीक्षा में है, में रक्ताधान हेतु रक्त के संग्रहण, भंडारण और वितरण के मुद्दों को पर्याप्त तौर पर उठाया गया है। नीति में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि खून की सारी आवश्यकताएं स्वैच्छिक रूप से बिना भुगतान लिए रक्तदान करने वालों द्वारा पूरी होनी चाहिए और खून का प्रयोग बिना किसी बर्बादी के विवेकपूर्ण ढंग से होना चाहिए। इसमें अवयव पृथक्कीकरण, गुणवत्ता की सुनिश्चितता और देश में रक्ताधान सेवाओं के केन्द्रीकरण को प्रोत्साहित किया गया है।

(ङ) और (च) देश में खून की कुल मिलाकर कोई कमी नहीं है। तथापि, देश के विभिन्न भागों में खून की मौसमी तथा कभी कभार कमी हो सकती है। देश में संपूर्ण रक्त का आयात नहीं किया जाता है, लेकिन कुछ रक्त उत्पादों का रक्ताधान सुरक्षा की सारी शर्तें पूरी करने के बाद किया जाता है।

(छ) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में पहले से ही रक्ताधान चिकित्सा का एक विभाग कार्य कर रहा है।

(ज) देश में 1549 लाइसेंस प्राप्त रक्त बैंक कार्य कर रहे हैं और इन रक्त बैंकों का राज्य-वार/संघ क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण.

देश में अनुमोदित रक्त बैंकों की राज्य-वार सूची

	राज्य	अनुमोदित रक्त बैंकों की संख्या
1		2
1.	आंध्र प्रदेश	135
2.	अंडमान नि. द्वीप समूह	2
3.	असम	31
4.	अरुणाचल प्रदेश	3
5.	बिहार	50
6.	चण्डीगढ़	3
7.	दिल्ली	37

1		2
8.	गोवा	6
9.	गुजरात	142
10.	हरियाणा	27
11.	हिमाचल प्रदेश	12
12.	जम्मू व कश्मीर	11
13.	कर्नाटक	100
14.	केरल	106
15.	मध्य प्रदेश	78
16.	महाराष्ट्र	234
17.	मेघालय	2
18.	मणिपुर	3
19.	मिजोरम	5
20.	नागालैंड	3
21.	उड़ीसा	55
22.	पांडिचेरी	7
23.	पंजाब	52
24.	राजस्थान	50
25.	सिक्किम	1
26.	तमिलनाडु	175
27.	त्रिपुरा	5
28.	उत्तर प्रदेश	131
29.	पश्चिम बंगाल	83
	कुल	1549

गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले बेरोजगार व्यक्ति

1764. श्री होलखोमांग हौकिप : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 30 अक्तूबर, 2000 की स्थिति के अनुसार देश के पिछड़े जिलों में बेरोजगारों, विशेषकर गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों से संबंधित बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या उन्हें रोजगार दिलाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार द्वारा किए जाने वाले प्रस्तवित उपायों का ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) सामान्य प्रमुख स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एन.एस.एस.ओ.) द्वारा सरसरी तौर पर किए गए नमूना सर्वेक्षण के आधार पर वर्ष 1997 में बेरोजगारी की संख्या लगभग 8 मिलियन होने का अनुमान है। उनमें से गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की संख्या उपलब्ध नहीं है।

(ख) से (घ) नौवीं योजना का दृष्टिकोण बेरोजगारी एवं अल्प रोजगार की उच्च दरों की प्रवृत्ति वाले क्षेत्रों में अधिक श्रम सघन सैक्टरों, सब-सैक्टरों तथा प्रौद्योगिकियों पर संकेन्द्रण से विकासात्मक प्रक्रिया में अधिक उत्पादन रोजगार सृजित करना है। सरकार भी गरीबी उन्मूलन हेतु शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन योजनाएं चला रही है।

औद्योगिक विवाद अधिनियम

1765. श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के चैपटर "वी बी" को हटाने के लिए सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) से (ग) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में सामाजिक भागीदारों की आवश्यकता/सुझावों के आधार पर और आर्थिक सुधारों के समनुरूप अनेक संशोधन प्रस्तावित हैं। संशोधन प्रस्तावों की, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से पूर्व विभिन्न स्तरों पर जांच की जाती है। संशोधन के ब्यौरे अंतिम अनुमोदन के पश्चात् ही सार्वजनिक किए जा सकते हैं।

अपराह्न 12.01 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) सेन्ट्रल काउंसिल आफ इंडियन मैडीसिन, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्ट्रल काउंसिल आफ इंडियन मैडीसिन, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 2447/2000]

(3) (एक) सेन्ट्रल काउंसिल आफ इंडियन मैडीसिन, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्ट्रल काउंसिल आफ इंडियन मैडीसिन, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 2448/2000]

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:

(1) मंत्रालयों/विभागों में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के निजी सचिवों (विलीन श्रेणी 'क' और 'ख') को विशेष वेतन मंजूर करने के लिए संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र और अनिवार्य माध्यस्थम् के अन्तर्गत माध्यस्थम् बोर्ड द्वारा दिये गये पंचाट को नामंजूर करने के संबंध में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 2449/2000]

(2) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 246 जो 8 जुलाई, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा जिसमें उड़ीसा कॉडर से संबंधित भारत प्रशासनिक सेवा (काडर सदस्य संख्या का नियतन) छठा संशोधन विनियम, 1999 के बारे में दिनांक 29 जून, 1999 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 477(अ) का शुद्धि पत्र दिया हुआ है।

(दो) भारतीय प्रशासनिक सेवा (काडर) पहला संशोधन नियम, 2000 जो 5 अगस्त, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 289 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय पुलिस सेवा (काडर) पहला संशोधन नियम, 2000 जो 5 अगस्त, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 290 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय वन सेवा (काडर) पहला संशोधन नियम, 2000 जो 5 अगस्त, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 291 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) सा.का.नि. 805(अ) जो 21 अक्तूबर, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 1 नवम्बर, 2000 से नवगठित उत्तरांचल राज्य के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा काडर का गठन किया गया है।

(छह) सा.का.नि. 808(अ) जो 21 अक्तूबर, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 15 नवम्बर, 2000 से नवगठित झारखंड राज्य के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा काडर का गठन किया गया है।

(सात) सा.का.नि. 811(अ) जो 21 अक्तूबर, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 नवम्बर, 2000 से नवगठित छत्तीसगढ़ राज्य के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा काडर का गठन किया गया है।

(आठ) सा.का.नि. 814(अ) जो 21 अक्तूबर, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 नवम्बर, 2000 से नवगठित उत्तरांचल राज्य के लिए भारतीय पुलिस सेवा काडर का गठन किया गया है।

(नौ) सा.का.नि. 817(अ) जो 21 अक्तूबर, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 15 नवम्बर, 2000 से नवगठित झारखंड राज्य के लिए भारतीय पुलिस सेवा काडर का गठन किया गया है।

(दस) सा.का.नि. 820(अ) जो 21 अक्तूबर, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 नवम्बर, 2000 से नवगठित छत्तीसगढ़ राज्य के लए भारतीय पुलिस सेवा काडर का गठन किया गया है।

(ग्यारह) सा.का.नि. 823(अ) जो 21 अक्तूबर, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 नवम्बर, 2000 से नवगठित उत्तरांचल राज्य के लिए भारतीय वन सेवा काडर का गठन किया गया है।

(बारह) सा.का.नि. 826(अ) जो 21 अक्तूबर, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 15 नवम्बर, 2000 से नवगठित झारखंड राज्य के लिए भारतीय वन सेवा काडर का गठन किया गया है।

(तेरह) सा.का.नि. 829(अ) जो 21 अक्तूबर, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 नवम्बर, 2000 से नवगठित छत्तीसगढ़ राज्य के लिए वन सेवा काडर का गठन किया गया है।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 2450/2000]

(3) (एक) सेन्ट्रल इन्स्टीट्यूट आफ हैण्ड टूल्स, जालंधर के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) सेन्ट्रल इन्स्टीट्यूट आफ हैण्ड टूल्स, जालंधर के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 2451/2000]

(4) (एक) सेन्ट्रल टूल रूम, लुधियाना के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) सेन्ट्रल टूल रूम, लुधियाना के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 2452/2000]

(5) (एक) सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट आफ टूल डिजाइन, हैदराबाद के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट आफ टूल डिजाइन, हैदराबाद के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 2453/2000]

(6) संविधान के अनुच्छेद 323(1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) संघ लोक सेवा आयोग का वर्ष 1998-99 का उनतालीसवां वार्षिक प्रतिवेदन।

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन के अध्याय 10 में निर्दिष्ट मामलों के संदर्भ में संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श को स्वीकार न किए जाने के कारणों को स्पष्ट करने वाला ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 2454/2000]

(7) (एक) भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 2455/2000]

(8) (एक) इंडो-जर्मन टूल रूम, इंदौर के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) इंडो-जर्मन टूल रूम, इंदौर के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 2456/2000]

(9)(एक) इंडो-जर्मन टूल रूम, अहमदाबाद के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडो-जर्मन टूल रूम, अहमदाबाद के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 2457/2000]

(10)(एक) प्रक्रिया एवं उत्पाद विकास केन्द्र, आगरा के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) प्रक्रिया एवं उत्पाद विकास केन्द्र, आगरा के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 2458/2000]

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनिलाल): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) शिक्षु अधिनियम 1961 की धारा 37 की उपधारा (3) के अंतर्गत शिक्षु (संशोधन) नियम, 2000 जो 15 जुलाई, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 267 में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 2459/2000]

(2) अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 268, जो 15 जुलाई, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, तथा जिसमें शिक्षु अधिनियम, 1961 की धारा 6 के अंतर्गत जारी अधिसूचना में उल्लिखित व्यापार विषय क्षेत्र सहित व्यापार परीक्षण/जांच के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 6 के खंड (कक) बोर्ड अथवा राज्य तकनीकी शिक्षा परिषद अथवा अन्य प्राधिकरण के प्रयोजनों को विनिर्दिष्ट किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 2460/2000]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): महोदय, मैं, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 23 की उपधारा (2) के अंतर्गत खाद्य अपमिश्रण निवारण (76वां संशोधन) नियम, 2000, जो 29 सितम्बर, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 760(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 2461/2000]

अपराह्न 12.02 बजे

राज्य सभा से सन्देश

[अनुवाद]

महासचिव : मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना सभा को देनी है:

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे राज्य सभा द्वारा 27 नवम्बर, 2000 को हुई अपनी बैठक में पारित स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (संशोधन) विधेयक, 2000 की एक प्रति संलग्न करने का निर्देश हुआ है।"

2. महोदय, मैं राज्य सभा द्वारा 27 नवम्बर, 2000 को यथापारित स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (संशोधन) विधेयक, 2000 को सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.02½ बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति

दसवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (बालाघाट): अध्यक्ष जी, मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति का दसवां प्रतिवेदन (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.03 बजे

प्राक्कलन समिति

विवरण

[अनुवाद]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): महोदय, मैं वस्त्र मंत्रालय-वस्त्र उद्योग की रुग्णता/वस्त्र उद्योगों का बंद होना के बारे में प्राक्कलन समिति (12वीं लोक सभा) के चौथे प्रतिवेदन पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के संबंध में प्राक्कलन समिति (13वीं लोक सभा) के पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही का विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.03$^{1}/_{2}$ बजे

श्रम और कल्याण संबंधी स्थायी समिति

सातवें से दसवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र कुमार (सागर): अध्यक्ष जी, मैं श्रम और कल्याण संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:

(1) व्यवसाय संघ (संशोधन) विधेयक, 2000 का सातवां प्रतिवेदन।

(2) श्रम मंत्रालय—अनुदानों की मांगें-2000-2001 से संबंधित श्रम और कल्याण संबंधी स्थायी समिति (13वीं लोक सभा) के तीसरे प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी आठवां प्रतिवेदन।

(3) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय—अनुदानों की मांगें-2000-2001 से संबंधित श्रम और कल्याण संबंधी स्थायी समिति (13वीं लोक सभा) के चौथे प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी नौवां प्रतिवेदन।

(4) जनजातीय कार्य मंत्रालय—अनुदानों की मांगों 2000-2001 से संबंधित श्रम और कल्याण संबंधी स्थायी समिति (13वीं लोक सभा) के पांचवें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी दसवां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.04 बजे

याचिका का प्रस्तुतीकरण

[अनुवाद]

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर-पूर्व): महोदय, मैं मुम्बई के चेम्बूर और उसके आसपास के क्षेत्र में पर्यावरण संबंधी प्रदूषण के बारे में चेम्बूर, मुम्बई के श्री प्रमोद शिरवालकर और अन्य लोगों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 2462/2000]

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब 'शून्य काल' प्रारम्भ होगा।

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री सुदीप बंद्योपाध्याय को बोलने के लिए कहा है।

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर): महोदय, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का क्या हुआ?

अध्यक्ष महोदय : हम इस पर आधे घंटे बाद चर्चा करेंगे।

[हिन्दी]

सरदार बूटा सिंह (जालौर): अध्यक्ष जी, माननीय रेणूका चौधरी को सदन में आने की अनुमति नहीं दी जा रही है। *...(व्यवधान)* उनको सदन में आने से रोका गया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको मौका दूंगा, अभी मैंने माननीय सुदीप बंद्योपाध्याय को बुलाया है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय (कलकत्ता उत्तर-पश्चिम): महोदय, यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसके लिए मैंने निवेदन किया है। *...(व्यवधान)* मैं पश्चिम बंगाल में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार के बारे में एक मूल मुद्दे को उठाना चाहता हूं *...(व्यवधान)* मैं भाकपा(मा.) के सदस्यों की बात सुनने के लिए तैयार हूं। वे भी चर्चा में भाग ले सकते हैं। मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं। प्रश्न यह है कि पिछले कुछ माह से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अल्पसंख्यकों पर लगातार अत्याचार किए जा रहे हैं। इन घटनाओं में कौन मारा गया और कौन मारा जा रहा है, यह गौण मुद्दा है *...(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह "शून्य काल" है।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : यह मामला कल सभा में उठाया जा चुका है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : "शून्य काल" के दौरान कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जाता है।

श्री बसुदेव आचार्य : आप हर दिन एक ही मामले को उठाने की अनुमति नहीं दे सकते हैं। वे हर दिन उसी मामले को उठा रहे हैं। आप हर दिन उसी मामले को उठाने की अनुमति दे रहे हैं। उन्हें उसी मामले को उठाने की अनुमति कैसे दी जा सकती है? *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं सबको बुलाऊंगा। श्री आचार्य आप इसका खंडन कर सकते हैं।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : आप एक ही मामले को हर दिन उठाने की अनुमति नहीं दे सकते हैं। वे उसी मामले को कैसे उठा सकते हैं? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कल कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक में कुछ निर्णय लिया गया था।

श्री बसुदेव आचार्य : कल भी उन्होंने यही मामला उठाया था और आज भी वे इसी मामले को उठा रहे हैं। वे हर दिन एक ही मामले को कैसे उठा सकते हैं? *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपको सुनेंगे।

[अनुवाद]

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय : कितने घर लूटे गए हैं? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री आचार्य, मैं आपको भी बोलने की अनुमति दूंगा।

श्री बसुदेव आचार्य : उन्हें उसी मामले को उठाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए *...(व्यवधान)* एक ही मामले को हर दिन नहीं उठाया जा सकता है *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बुलाऊंगा।

[अनुवाद]

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय : पूर्व प्रधानमंत्री श्री चन्द्र शेखर की अध्यक्षता में एक संसदीय समिति वहां का दौरा करे और आरोपों की जांच करे। *...(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : यह राज्यों से संबंधित मामला है। कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री सुदीप बंद्योपाध्याय के भाषण के सिवाय कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय : पंसकुरा लोक सभा उप-चुनावों और कलकत्ता नगर निगम के चुनावों में भाकपा(मा) की हार के बाद पिछले कुछ माह में अनेक हिंसक घटनाएं हुई हैं। *...(व्यवधान)*। संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली स्टालिनवादी कम्युनिस्ट पार्टी के हाथों में है। हम केन्द्र सरकार से वहां एक संसदीय समिति भेजने का आग्रह कर रहे हैं *...(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त करें। आप हर दिन एक ही मामला उठा रहे हैं।

...(व्यवधान)

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय : हम राज्य में संविधान के अनुच्छेद 356 को लागू करने की मांग करते हैं *...(व्यवधान)* पश्चिम बंगाल में दो मुख्यमंत्री कार्य कर रहे हैं। एक पूर्व मुख्यमंत्री हैं जो संविधानेत्तर प्राधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री आचार्य आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है?

...(व्यवधान)

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय : वे सलामी गारद ले रहे हैं, सरकारी कार्यालयों का उद्घाटन कर रहे हैं और मुख्य मंत्री के बंगले में रह रहे हैं और केन्द्र सरकार पर दोषारोपण कर रहे हैं *...(व्यवधान)* मैं केन्द्र सरकार से राज्य में एक संसदीय दल भेजने का आग्रह कर रहा हूं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : नहीं, कृपया अपना भाषण पूरा करें। आप हर दिन एक ही मामले को उठा रहे हैं।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : यह दुर्भाग्यपूर्ण है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हर रोज सभा में यह समस्या उत्पन्न होती है। आप उनको बोलने नहीं देते और वे आपको बोलने नहीं देते।

...(व्यवधान)

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय : उन्होंने मुझे शांति से बोलने नहीं दिया। *...(व्यवधान)* वह ऐसा क्यों कर रहे हैं? *...(व्यवधान)* हम भी उन्हें बोलने नहीं देंगे।

अध्यक्ष महोदय : बसुदेव आचार्य जी, आप क्या कहना चाहते हैं?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : सुदीप बंद्योपाध्याय जी, मैंने आपको अपनी बात कहने की अनुमति दी है और आप अपनी बात कह चुके हैं। अब आप कृपया अपने स्थान पर बैठ जायें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सुदीप बंद्योपाध्याय जी, बसुदेव आचार्य जी, मैं आप दोनों से अनुरोध करता हूं कि कृपया अपने स्थान पर बैठ जायें। ऐसे बहुत से सदस्य हैं जिन्होंने 'शून्य काल' के दौरान महत्वपूर्ण मामले उठाने के लिए सूचनाएं दी हैं। मुझे उन्हें भी बोलने का मौका देना है।

...(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): अध्यक्ष महोदय, हम सुदीप बंद्योपाध्याय जी द्वारा लगाये गये आरोपों का पूर्णत: खंडन करते हैं। ये आरोप बेबुनियाद, झूठे, गलत और शरारतपूर्ण हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कुंवर अखिलेश सिंह जी, यह ठीक नहीं है। आप कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइये।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में पहले से ही यह प्रचारित किया गया कि उसका संबंध आई.एस.आई. से है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सरदार बूटा सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपने कहा था कि आप मुझे बोलने के लिए आमंत्रित करेंगे। आपको सदस्यों को संरक्षण प्रदान करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : पहले श्री रामजीलाल सुमन अपनी बात समाप्त कर लें, उसके बाद मैं आपको आमंत्रित करूंगा। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइये।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, बी.जे.पी., आर.एस.एस. और वी.एच.पी. द्वारा यह प्रचार किया गया कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का संबंध आई.एस.आई. से है। इस बात में सरकार भी शामिल है और कहा गया कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय आई.एस.आई. का अड्डा है। यह गंभीर मामला है। वहां 12 लड़कों के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई है। मैं बताना चाहता हूं कि उनमें से 6 लड़के पहले से ही

[श्री रामजीलाल सुमन]

विश्वविद्यालय छोड़ चुके हैं, 4 छात्र निष्कासित हो चुके हैं और 2 छात्रों के बारे में स्थानीय प्रशासन ने कह दिया है कि उनका इस घटना से कोई संबंध नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, इस घटना से विश्वविद्यालय में तनाव पैदा हो गया है और उसे बदनाम किया जा रहा है। इस घटना को अल्पसंख्यकों के विरुद्ध प्रचार का साधन बनाया जा रहा है और जानबूझ कर उत्तर प्रदेश की सरकार तनाव पैदा कर रही है। मेरा आपसे अनुरोध है कि राज्य सरकार को हिदायत दें जिससे कि अलीगढ़ में तनाव न हो। क्षेत्र में जो तनाव की स्थिति है, उससे छात्र एवं स्टाफ के लोग आतंकित हैं क्योंकि जब कभी वहां पर पुलिस का जाना होता है, तो तनाव बढ़ जाता है। विश्वविद्यालय प्रशासन को विश्वास में नहीं लिया जाता है। यह बहुत गम्भीर घटना है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री रामजीलाल सुमन, कृपया इस बात को समझिए कि यह राज्य से संबंधित विषय है। हर कोई राज्य के विषयों को यहां उठाना चाहता है। यह ठीक नहीं है।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का मैटर स्टेट सब्जैक्ट कैसे हो सकता है?

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): अध्यक्ष महोदय, यह केन्द्र सरकार की यूनिवर्सिटी है और केन्द्र सरकार ही कुलपति की नियुक्ति करती है और वह विश्वविद्यालय केन्द्र के अधीन है। इस विश्वविद्यालय में न केवल मुस्लिम लड़के पढ़ते हैं बल्कि गैर-मुस्लिम जिनकी संख्या 40 प्रतिशत है, हिन्दू, सिक्ख, ईसाई तथा अन्य धर्मों के छात्र भी पढ़ते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है और पढ़ाई का स्तर एवं अनुशासन उच्च स्तर का है। इस विश्वविद्यालय को आई.एस.आई. के नाम पर बी.जे.पी. सरकार की बंद करने का षडयंत्र है। यही नहीं, नदवां के मौलाना अली मियां को इस्लामिक धर्म का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला था तथा वे धर्मनिरपेक्ष भी थे। उन्हीं के नदवां विश्वविद्यालय को आई.एस.आई. का अड्डा बताकर श्री अली मियां को भी अपमानित तथा बदनाम किया गया। अलीगढ़ विश्वविद्यालय ने डा. जाकिर हुसैन जैसे कई महान नेताओं को पैदा किया, उस विश्वविद्यालय को उ.प्र. सरकार ने बन्द करने का आदेश दिया था। हमने समाजवादी पार्टी का 5-सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भेजकर किसी तरह अलीगढ़ विश्वविद्यालय को बंद होने से बचाया। सवाल यह नहीं है, अब सवाल आपके सामने आ गया है, स्वयं जिला प्रशासन कहता है कि दो छात्रों का आई.एस.आई. से कोई मतलब नहीं है। छः छात्र बहुत पहले से विश्वविद्यालय में नहीं है, पहले ही छोड़ चुके हैं। जिन चार छात्रों के नाम रपट में हैं, वे छात्र विश्वविद्यालय से निकाल दिये गये हैं। उसके बाद भी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को बी.जे.पी. एवं उ.प्र. सरकार का आई.एस.आई. एजेन्ट बताना गलत है। इसलिए हमारी अपील है कि यह केन्द्रीय सरकार सुप्रीम कोर्ट के किसी भी वर्तमान जज से जुडीशल इन्कवायरी कराये। यह मामला इसलिए गंभीर है कि पूरे के पूरे मुसलमानों पर शक कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी हमेशा से कहती है कि आपने आतंकवादियों के खिलाफ उदारता की नीति बरती है। आप आतंकवादियों को जहाजों में साथ बैठाकर ले गये हैं। हम आज भी कह रहे हैं कि अगर हिम्मत है तो आतंकवादियों के अड्डों पर हमला कीजिए ...*(व्यवधान)* मुस्लिम विश्वविद्यालय, नदवा का विश्वविद्यालय या मुसलमानों के सारे स्कूलों आई.एस.आई. का एजेन्ट बताकर सारे मुसलमानों को बदनाम एवं अपमानित करने की कोशिश की जा रही है, जबकि आई.एस.आई. को सरकार ही बढ़ावा दे रहे है। आप आई.एस.आई. एजेन्टों को जहाजों में बैठाकर ले जा रहे हैं तथा कान्धार छोड़ने जाते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मुलायम सिंह जी, दूसरे मैम्बर्स को भी बोलना है।

श्री मुलायम सिंह यादव : आप कहते हैं कि मुस्लिम विश्वविद्यालय आई.एस.आई. के एजेन्ट हैं, नदवा, अलीगढ़ विश्वविद्यालय एवं सारे मुसलमानों के स्कूल हैं। इसकी सुप्रीम कोर्ट के जज से इंक्वायरी होनी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मुलायम सिंह जी, आप किसी को बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं ...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : हम लोग इंक्वायरी कराने के लिए तैयार हैं। आज सरकार आई.एस.आई. के मामले में उदार नीति बरत रही है और यह सरकार आई.एस.आई. को पूरी स्वतंत्रता दे रही है और मुसलमानों को इस देश के अंदर बदनाम कर रहे हैं ...*(व्यवधान)* मुसलमानों के विश्वविद्यालयों एवं शैक्षिक संस्थाओं को बदनाम कर रहे हैं। आप सुप्रीम कोर्ट के किसी वर्तमान जज से जांच करा लें, यह हमारी मांग है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने मल्होत्रा जी को बोलने के लिए आमंत्रित किया है।

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): अध्यक्ष जी, मुलायम सिंह जी और उनकी पार्टी ने जो आरोप लगाये हैं...*(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.): सर, यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है, सरकार अभी इसका उत्तर दे ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : दूसरे मैम्बर्स को भी मौका देना है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपके लीडर बोल चुके हैं, अब आप क्यों बोल रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह आप लोग क्या कर रहे हैं। आपको मौका दिया गया था, आपके लीडर यह मैटर रेज कर चुके हैं, अब आप क्या कर रहे हैं, यह ठीक नहीं है।

श्री मुलायम सिंह यादव : क्या यह कोई मामूली बात है, आई.बी. के लोग कैसे जा रहे हैं, क्या यह कोई मामूली बात है, आपने इसका क्या निदान किया है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने मल्होत्रा जी को बुलाया है, आप बैठ जाइये।

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर): यह हर रोज तमाशा करते हैं, क्या हाउस में सिर्फ यही हैं, हम नहीं हैं। हमारा कोई इश्यु नहीं है, सिर्फ समाजवादी पार्टी का इश्यु है। इन्होंने यह क्या तमाशा करके रखा है, इसे बंद कराईये। ...*(व्यवधान)*

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष जी, मुलायम सिंह जी और उनकी पार्टी ने जो आरोप लगाये हैं ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : इन्होंने जो आरोप लगाये हैं, मैं उनका प्रतिवादन करता हूं। ये बिल्कुल मिथ्या और पूरी तरह से निरर्थक आरोप लगाये गये हैं। कोई भी पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी आई.एस.आई. की नहीं हो सकती। परंतु इसकी आड़ में जो आई.एस.आई. के एजेन्ट हैं, जो देश भर में आई.एस.आई. की गतिविधियां चला रहे हैं वह बहुत ही गंभीर मामला है। यह इस तरह का मामला नहीं है जिसकी आड़ में छिपने की कोशिश की जाए। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, नदवा या उत्तर प्रदेश के मदरसे आदि इन सबको शामिल करने का हमारा इरादा नहीं है। परंतु वहां पर आई.एस.आई. की जो गतिविधियां चल रही हैं ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अखिलेश यादव जी, मैं आपके खिलाफ कार्यवाही करूंगा।

[हिन्दी]

आप सारे हाउस को डिस्टर्ब कर रहे हैं, यह आप क्या कर रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं दल के नेता को अपने सदस्यों पर नियंत्रण करने के लिए कह रहा हूं। अभी और भी सदस्य हैं।

[हिन्दी]

मुलायम सिंह जी यह ठीक नहीं हैं, आप अपने मैम्बर्स को बतायें।

श्री मुलायम सिंह यादव : हम चाहते हैं कि मल्होत्रा जी बोलें लेकिन सरकार जवाब दे। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप क्यों नहीं समझते बाकी मेम्बर्स ने भी नोटिस दिया है।

श्री मुलायम सिंह यादव : आप नाराज़ हो रहे हैं, हम तो शांति से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप समझिये कि बाकी सदस्यों ने भी नोटिस दिया है।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : न कोई यूनिवर्सिटी, न कोई मुस्लिम सम्प्रदाय, न कोई मदरसा, जिस तरह से कहा गया कि हमारी पार्टी कहती है कि ये सारे आई.एस.आई. के एजेन्ट हैं, ऐसी बात नहीं है। हम यह भी कहना चाहे हैं कि ये सब पूरे के पूरे आई.एस.आई. के अड्डे बन गए हैं, ऐसी बात भी नहीं है, परंतु इसकी आड़ में कोई आई.एस.आई. के जो सचमुच एजेन्ट हैं, जिनको पकड़ा गया है, जिन्होंने खुद माना है जो पाकिस्तान के एजेन्ट हैं, जो पाकिस्तानी हैं, उनको छिपाने की कोशिश की जा रही है, यह भी मुनासिब नहीं है। आई.एस.आई. इस देश में क्या कर रही है, वह सबको मालूम है। मैं कहना चाहता हूं कि ...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : कार में बैठाकर उनको छोड़ने जा रहे हैं और आई.एस.आई. की बात करते हैं? आई.एस.आई. को नहीं, ये सिर्फ मुसलमानों को सजा देना चाहते हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह : शून्य काल में इनका नोटिस नहीं है और हम लोगों ने नोटिस दिया है तो हमें बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। ...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : मेरा कहना है कि आप इस तरह से पार्टी पर आरोप मत लगाइए। आप आई.एस.आई. के खिलाफ नहीं हैं, उससे तो आप मिले हुए हैं। आई.एस.आई. के नाम पर आप राजनीति करना चाहते हैं। आप आई.एस.आई. का सहारा ले रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप सीनियर मेम्बर हैं, लीडर भी हैं। अभी दूसरे मेम्बर्स को भी सुनना है।

...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : आप आई.एस.आई. का साथ दे रहे हैं। सारे देश को बरबाद कर रहे हैं, मुसलमानों पर हमला कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : मुझे खुशी है कि मुलायम सिंह जी इस बात से सहमत हैं कि आई.एस.आई. के लोगों को सख्ती से दबाना चाहिए। हमारा भी यही कहना है और जो आरोप उन्होंने हम पर लगाए हैं, हम उनका प्रतिवादन करते हैं। मुझे इतना ही कहना है। ...*(व्यवधान)*

सरदार बूटा सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस सदन के माननीय सदस्यों के अधिकारों की रक्षा करना आपका फर्ज है। आप यदि हमारे अधिकारों की रक्षा नहीं करेंगे तो हम इस सदन के सदस्य के रूप में अपने देश की सेवा नहीं कर सकते। आज सुबह जब मैं सदन आ रहा था ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपने कोई नोटिस नहीं दिया है।

सरदार बूटा सिंह : मैंने लिखकर आपको दिया है।

अध्यक्ष महोदय : कब दिया है? कितने बजे दिया है? नोटिस दस बजे से पहले देना चाहिए।

सरदार बूटा सिंह : दस बजे से पहले कैसे दे सकता था। यह तो जब मैं संसद भवन में प्रवेश कर रहा था, तब हुआ। आप सुन लीजिए।

मैं जब सुबह संसद भवन आ रहा था तो सड़क पर बहुत सारी पुलिस ने हमारी माननीय सदस्या रेणुका चौधरी को घेर कर रखा हुआ था। मैंने सोचा कि शायद ट्रैफिक ब्रेकडाउन हो गया है। जब मैं उतर कर गया तो देखा कि हमारे सदन की माननीय सदस्या और किसान नेता रेणुका चौधरी जी को दिल्ली पुलिस ने घेर कर रखा है। वह अपना ट्रैक्टर खुद चलाकर ला रही हैं और उनको इसलिए रोक रहे हैं कि इस सड़क पर हैवी व्हीकल्स आने की आज्ञा नहीं है, मगर ट्रैक्टर हैवी व्हीकल नहीं है। माननीय सदस्या अपना ट्रैक्टर खुद चलाकर ला रही हैं और उनको पार्लियामेंट में प्रवेश नहीं दिया गया। मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि आप दिल्ली पुलिस को आदेश दीजिए और जिन अफसरों ने उन्हें रोका है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए क्योंकि किसी सदस्य को सदन में आने से रोकना हमारे अधिकारों का हनन है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि माननीय सदस्या रेणुका चौधरी जी को आप स्पेशल आदेश देकर इस सदन में बुलवाइए। वह किसानों की बात करने के लिए आ रही हैं, सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए आ रही हैं, इतना ही मेरा आपसे अनुरोध है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सरदार बूटा सिंह जी, कृपया पहले मेरी बात सुन लीजिए। वह ट्रेक्टर से आ रही थीं, जिस पर कोई पार्किंग लेबल नहीं लगा हुआ था। उसके लिए वहां कोई पार्किंग स्थल नहीं है। माननीय सदस्यों को संसद में आने के लिए फैरी सेवा भी प्रदान की जाती है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सरदार बूटा सिंह : उनको पार्लियामैंट तक नहीं आने दिया। ...*(व्यवधान)* बाहर से तो लोग आते हैं। ...*(व्यवधान)* काफी लोग तो जीपों में भी आते हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह कोई सही तरीका नहीं है। वह फैरी सेवा का उपयोग कर सकती हैं। यह सब क्या है?

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

सरदार बूटा सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपको सभी माननीय सदस्यों के अधिकार की रक्षा करनी चाहिए। *...(व्यवधान)* आप यह फैसला करिये। *...(व्यवधान)* कोई मैम्बर घोड़े पर आता है तो क्या आप उसको अंदर नहीं आने देंगे? *...(व्यवधान)* उसके ऊपर पार्किंग लेबल लगा हुआ था। *...(व्यवधान)*

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): अध्यक्ष महोदय, पिछले कुछ समय से आसाम प्रांत के अंदर हिंदी भाषी प्रांत के लोगों को जो कि कई पीढ़ियों से वहां रह रहे हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हम आपको भी बुलायेंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अगर आप हाउस को डिस्टर्ब करेंगे तो हम आपको नहीं बुलायेंगे।

...(व्यवधान)

प्रो. रासा सिंह रावत : वे वहां अपने व्यवसाय में लगे हुए हैं। इन लोगों को आसाम टाइगर फोर्स और उल्फा आदि उग्रवादी तत्व कभी लूट के नाम पर, कभी फिरौती के नाम पर और कभी उनको सरेआम गोलियों से उड़ा देते हैं। *...(व्यवधान)* उनमें दहशत फैली हुई है। अब तक करीब 40 से अधिक लोगों को वे मौत के घाट उतार चुके हैं। जिसमें से कई राजस्थान के रहने वाले हैं। *...(व्यवधान)* बिहार के रहने वाले हैं, यू.पी. के रहने वाले हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रो. रासा सिंह रावत जी, यह मुद्दा पहले ही सदन में उठाया जा चुका है और इसका उत्तर भी दे दिया गया है। कृपया बात को समझें।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत : अन्य प्रांतों के रहने वाले हैं। वे रोजी-रोटी की तलाश में वहां गये हुए हैं। *...(व्यवधान)* यह राष्ट्रीय एकता का सवाल है। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि सरकार इस पर स्टेटमैंट दे। *...(व्यवधान)* वहां उनकी रक्षा के लिए भारत सरकार क्या कदम उठाने जा रही है। इसके अलावा वे राज्य सरकार को निर्देश दे ताकि वहां उन लोगों की रक्षा की जा सके। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब, श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति बोलें।

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति (विशाखापत्तनम): महोदय, मैं पिछले एक सप्ताह से इस अवसर की प्रतीक्षा कर रहा हूं। *...(व्यवधान)* काफी अर्से के बाद मुझे यह अवसर मिला है। कृपया मुझे बोलने दीजिए।

महोदय, पिछले कुछ दिनों से सभी प्रमुख समाचारपत्रों में विज्ञापन आ रहे हैं *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): अध्यक्ष महोदय, प्रो. रासा सिंह रावत जी ने जो बात कही है, वह सही है। *...(व्यवधान)* वहां निर्दोष लोगों को मारा जा रहा है। *...(व्यवधान)* इस पर सरकार को बयान देना चाहिए। *...(व्यवधान)* देश के कोने-कोने से लोग आसाम में जाते हैं। *...(व्यवधान)* रावत जी ने जो बात कही है, मैं उसका समर्थन करता हूं कि सरकार इस पर एक बयान दे। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : डा. रघुवंश प्रसाद सिंह जी, कृपया बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति जी के भाषण के अलावा कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति : यह काफी महत्वपूर्ण मामला है। मैं सदन के सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि कृपया मेरी बात ध्यान से सुनें।

सभी प्रमुख समाचारपत्रों में "हैव ए कोज़ी टॉक, हैव ए म्यूजिकल टॉक, हैव ए टैंटालाइजिंग टॉक, हैव ए कूल टॉक अथवा

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति]

इसी तरह के कुछ अन्य अश्लील संदेशों वाले विज्ञापन दिए जा रहे हैं जो युवाओं को लुभा रहे हैं। ये विज्ञापन काफी आकर्षक नामों से दिए जाते हैं। सभी प्रमुख समाचारपत्रों में ये विज्ञापन होते हैं। ये नम्बर प्राइवेट एजेंसियां देती हैं। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड इसको बढ़ावा दे रहा है। ये सभी एस.टी.डी. नंबर हैं। जब बड़े-बुजुर्ग घर में नहीं होते तो हमारे सभी लड़के-लड़कियां, छात्र और बच्चे इन नंबरों पर टेलीफोन करते हैं। *...(व्यवधान)*

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया): यह टेलीफोन पर वेश्यावृत्ति है। *...(व्यवधान)*

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति : जी हां, मैं आपकी बात से सहमत हूं। इस प्रकार की जाने वाली सभी बातें अश्लील हैं। इन नंबरों के माध्यम से की जाने वाली ये सभी बातें आपत्तिजनक हैं। ऐसे मामलों में कई-कई घंटों तक टेलीफोन का प्रयोग किया जाता है। इसका दोषी तो महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड है। सरकार को थोड़े से किराया प्रभार के लिए इतना अधिक नीचे नहीं गिरना चाहिए। 90 प्रतिशत किराया प्रभार प्राइवेट पार्टियों को दिया जा रहा है और केवल 10 या 15 प्रतिशत ही महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के पास रह जाता है। यह हमारी संस्कृति अथवा विरासत नहीं है। यह भारतीय संस्कृति के खिलाफ है।

माननीय मंत्री जी को इस बात का उत्तर देना चाहिए। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड को इस तरह की कालें तत्काल बंद कर देनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इसका उत्तर दें। मैं आशा करता हूं कि पूरा सदन इस विषय पर मुझसे सहमत होगा। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब, आप मंत्री जी को उत्तर नहीं देने दे रहे हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जी हां, आप इसका समर्थन कर सकते हैं।

...(व्यवधान)

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): यह लोक सभा के कवरों पर भी है।

अध्यक्ष महोदय : राधाकृष्णन जी, मैंने मंत्री जी को बुलाया है। आप कृपया मूर्ति जी की बात का समर्थन कर सकते हैं।

श्री वरकला राधाकृष्णन : मैं उनका समर्थन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : तब तो यह ठीक है। कोई परेशानी नहीं है।

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): अध्यक्ष महोदय, मेरे विचार से, मूर्ति जी ने काफी महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। इस सदन में बैठा कोई भी सदस्य, चाहे वह सत्तापक्ष का है अथवा विपक्ष का, उनकी इस बात से असहमत नहीं होगा कि किसी भी व्यक्ति को अनैतिक कार्यों के लिए टेलीफोन का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। मेरे विचार से पिछले एकाध महीने से ही ये विज्ञापन आने शुरू हुये हैं।

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति : यह विज्ञापन सभी समाचारपत्रों में आये हैं।

श्री प्रमोद महाजन : मैं किसी बात से इन्कार नहीं कर रहा हूं। मैं आपसे सहमत हूं। आपने जो कुछ कहा है, मैं उससे पूरी तरह सहमत हूं और आपने जो कुछ नहीं भी कहा है, उससे भी सहमत हूं।

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति : बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री प्रमोद महाजन : ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे याद है कि पिछले वर्ष जब इस प्रकार के विज्ञापन समाचारपत्रों में प्रकाशित होने शुरू हुये थे तो उस समय श्रीमती सुषमा स्वराज संचार मंत्री थीं। उन्होंने कुछ इस प्रकार की व्यवस्था की थी जिससे लोग इसका उपयोग नहीं कर सकते थे। जैसाकि मैंने कहा है, मैं इसका पक्ष नहीं ले रहा हूं। मैं भी इस प्रकार के विज्ञापनों और लोगों द्वारा टेलीफोन के दुरुपयोग से नाराज हूं। मैं तो इस पर चर्चा भी नहीं करना चाहता क्योंकि इससे भी ऐसी बातों का प्रचार होगा। उनमें से कुछेक एजेंसियां तो इस देश में भी नहीं हैं। वे एजेंसियां बाहर की हैं। वे बैंकाक में हैं। वे कई दूसरे देशों में हैं जहां आप आई.एस.डी. कॉल करते हैं।

श्री संतोष मोहन देव : कुछ मंत्री भी इसका उपयोग कर रहे हैं।

श्री प्रमोद महाजन : आप पूर्व मंत्री कहना भूल गये।

इसलिए मैं कह सकता हूं कि यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और मैं व्यक्तिगत तौर पर संचार मंत्री जी के साथ इस मुद्दे पर विचार-विमर्श करूंगा। हम इस बात पर ध्यान दें कि किसी व्यक्ति द्वारा टेलीफोन की लाइनों का इस प्रकार दुरुपयोग प्रौद्योगिकी के माध्यम से कैसे रोक सकते हैं। इसके साथ ही यदि प्रौद्योगिकी की दृष्टि से यह सम्भव नहीं है तो ऐसी स्थिति में मेरे विचार से, आपको सबको शिक्षित करना होगा।

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति : प्रौद्योगिकी की दृष्टि से नहीं। यह तो केवल उदारीकरण की प्रक्रिया है। इस तरह का उदारीकरण इस क्षेत्र में नहीं होना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, यह सब क्या है? माननीय सदस्य, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

श्री प्रमोद महाजन : जैसाकि मैंने कहा है कि हमें इस मामले में प्रौद्योगिकीय कदम उठाना चाहिए ताकि विदेश संचार निगम लि. (वी.एस.एन.एल.) और महानगर टेलीफोन निगम लि. को इस प्रकार वार्तालाप करने की अनुमति न दे सकें। सरकार इन सभी विज्ञापनों की जांच कर सकती है और इस प्रकार के सभी टेलीफोन तत्काल काट सकती है। ...*(व्यवधान)* कृपया मुझे अपनी बात कहने दीजिए।

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़): कृपया इन सभी विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगा दीजिए।

श्री प्रमोद महाजन : श्री पवन कुमार बंसल जी, आप अधिवक्ता हैं। हमें कानून के अंतर्गत ही रहकर कुछ करना होगा। जैसाकि मैंने कहा है, हमें कानून के अंतर्गत ही रहकर कार्य करना होगा, लेकिन सरकार निकट भविष्य में इस प्रकार के विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने की सभी संभावनाओं की जांच करेगी ...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): यदि किसी कानून की आवश्यकता है तो आप कोई उचित विधान क्यों नहीं लाते हैं।

श्री प्रमोद महाजन : मैं समझता हूं कि हम सभी इससे सहमत हैं कि इसे रोका जाना चाहिए। यदि इस संबंध में सदस्यगणों का कोई विशेष सुझाव है तो वे मुझे दे सकते हैं। हम प्रत्येक सुझाव को क्रियान्वित करेंगे।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : मैं एक विशिष्ट सुझाव दे रहा हूं। आप एक उचित विधान लाने हेतु विधि मंत्रालय से परामर्श क्यों नहीं करते हैं ...*(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन : मैं विधि मंत्री से बात करूंगा ...*(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन : हमारे संसदीय कवरों के द्वारा एम.टी.एन.एल. के फोन नम्बर दिए जा रहे हैं ...*(व्यवधान)*

श्री चन्द्रशेखर (बलिया, उत्तर प्रदेश): माननीय सदस्य एक गंभीर आरोप लगा रहे हैं। उनकी बात सुनी जानी चाहिए। उन्होंने कहा है कि इन विज्ञापनों को हमारे संसदीय पत्रों के माध्यम से परिचालित किया जा रहा है। क्या यह सच है?

श्री वरकला राधाकृष्णन : एम.टी.एन.एल. के कवर किस प्रकार वितरित किए जा रहे हैं?

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : उनके आरोप के अनुसार यह संसदीय पत्रों में हुआ है। यह एक गंभीर बात है।

श्री प्रमोद महाजन : मैं विनम्रतापूर्वक कहना चाहूंगा कि सरकार संसदीय पत्रों का परिचालन नहीं करती है।

श्री चन्द्रशेखर : मैं सरकार से नहीं बल्कि माननीय अध्यक्ष से पूछ रहा हूं।

यदि इसका परिचालन किया गया है तो इसकी किसने अनुमति दी है और यह किस प्रकार हुआ और माननीय सदस्य द्वारा इसका उल्लेख किए जाने के कारण कार्यवाही की जानी चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, सभी मामलों की कुछ सीमाएं होनी चाहिए। यदि सरकार असमर्थ है, जैसाकि उन्होंने कहा है, संसदीय पत्रों के माध्यम से इनका परिचालन रोकने को सुनिश्चित करने के लिए संसद सहायक हो सकती है।

एक अन्य बात, जिसका कि किसी माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है, यह है कि एक माननीय सदस्या ट्रैक्टर पर बैठकर सभा में आ रही थी और इस मामले को सभा में उठाया गया है। कल कोई सदस्य टैंक पर बैठकर आ सकते हैं और क्या इसकी अनुमति दी जानी चाहिए? क्या हम इस संस्था का मजाक नहीं बना रहे हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार चुप बैठी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं खेदपूर्वक कहना चाहूंगा कि आपको कतिपय लोगों को रोकने तथा कतिपय सदस्यों को दंडित करने हेतु अपने अधिकार का प्रयोग करना चाहिए ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

श्री संतोष मोहन देव (सिलचर): माननीय अध्यक्ष महोदय ....

अध्यक्ष महोदय : श्री संतोष मोहन देव की बात को छोड़कर कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं एक-एक करके नाम पुकार रहा हूं।

...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री पवन कुमार बंसल : उनको गेट पर नहीं रोका गया। *...(व्यवधान)* उनको पार्लियामेंट के स्टाफ ने नहीं रोका, पुलिस ने रोका है *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह बात खत्म हो चुकी है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं केवल उन्हीं के नाम पुकार रहा हूं जिसकी सूची मेरे पास है। कृपया, समझने की कोशिश करें।

श्री संतोष मोहन देव : माननीय अध्यक्ष महोदय, असम में प्रतिदिन छः से सात हिंदी भाषी लोगों, नवजात शिशु, बच्चे, 80 वर्षों से अधिक वृद्ध व्यक्तियों की औसतन रूप से हत्या की जा रही है। हमने इस मुद्दे को सभा में उठाया था। अन्य माननीय सदस्यों ने भी इसे सभा में उठाया था इसके बाद माननीय मंत्री महोदय ने हमें आश्वासन दिया था कि वो इससे संबंधित मंत्री को अवगत करायेंगे तो वो इस मामले में एक वक्तव्य देंगे। अब तक कुछ भी नहीं हुआ है।

इसके बाद आपने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना देने का सुझाव दिया था। हमने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना दी थी। कई राज्यों के कई सदस्यों ने इसकी सूचना दी है। मैं आपसे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर शीघ्र चर्चा कराये जाने का अनुरोध करता हूं क्योंकि असम के अखबारों में हम पर आरोप लगाया जाता है कि सभा में आने वाले सदस्य इस संबंध में कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं आपकी कठिनाइयों से अवगत हूं लेकिन फिर भी अनुरोध करता हूं कि आप इस मामले को हल्के रूप से न लें।

अध्यक्ष महोदय : आप मुझसे मेरे कक्ष में मिल सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री राजीव प्रताप रूडी (छपरा): अध्यक्ष महोदय, मैं जो विषय उठाने जा रहा हूं, वह पूरे सदन से जुड़ा हुआ है और सभी सांसदों से जुड़ा हुआ है। प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना में 2500 करोड़ रुपए रेखांकित करके अलग रखे गए हैं, ताकि पूरे देश में ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया जा सके। इस बारे में प्रधान मंत्री जी ने आठ महीने पहले घोषणा की थी। लेकिन अभी तक यह तय नहीं हो पाया है कि रूरल कनेक्टिविटी, ग्रामीण सड़कों के निर्माण की जो स्कीम है, वह किस प्रकार से कार्यान्वित की जाएगी। जहां तक हमारी जानकारी है, भारत सरकार इस दिशा में निर्णय लेने जा रही है कि यह पैसा राज्य सरकारों को बजटीय प्रोविजन के रूप में दिया जाए। मेरा अनुरोध है, सभी सांसद भी सहमत होंगे कि इसे केन्द्रीय प्रदत्त योजना के रूप में भारत सरकार द्वारा लागू कराया जाए, राज्य सरकार पर इसकी जिम्मेदारी न डाली जाए। इसलिए सीधे यहीं से इसका कार्यान्वयन हो और सांसदों की भी भागीदारी इसमें हो। राज्य सरकार पर यह जिम्मेदारी न डाली जाए। मैं चाहूंगा कि आपकी तरफ से भी इस बारे में निर्णय हो। संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हैं, वे भी इस पर कुछ कहें। यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है। *...(व्यवधान)* अध्यक्ष महोदय, इस पर आपका नियमन नहीं होगा तो हमें पता नहीं चलेगा कि रूरल कनेक्टीविटी के लिए जिन सड़कों का निर्माण होना है, वह किस प्रकार होगा, राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा या ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किया जाएगा *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री वैको जी।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप सभी श्री राजीव प्रताप रूडी से अपने को सम्बद्ध कर सकते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री वैको (शिवकाशी): महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सभा और सरकार का ध्यान एक बहुत ही गंभीर मामले की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : दुर्भाग्य की बात यह है कि इस सभा के कई सदस्य सदन में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। मैं नेताओं से अनुरोध कर रहा हूं कि इस ओर ध्यान दें तथा इस संबंध में सहायता करें अन्यथा सभा की कार्यवाही चलाना कठिन होगा। यह सब क्या हो रहा है?

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय : महोदय, कुछ सदस्य तो कार्य मंत्रणा समिति के निर्णयों तक का अनुपालन नहीं कर रहे हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कभी-कभी, वरिष्ठ सदस्य भी सभा की कार्यवाही में व्यवधान डालते हैं।

...(व्यवधान)

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री वैको : महोदय, बहुत ही दुख के साथ मैं सभा का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि श्रीलंका की नौसेना द्वारा हमारे ही जल सीमा में हमारे अपने भारतीय मछुआरों तथा तमिल मछुआरों की हत्या की घटनाएं एक आम बात हो गई है। वर्ष 1974 से लेकर अब तक, लगभग हजारों बार, हमारे मछुआरों पर जब वे समुद्र में मछली पकड़ रहे थे तब श्रीलंका की नौसेना ने कई बार हमले करके उन्हें मार दिया।

महोदय, 48 घंटे पहले, पैमबैन के पास, श्रीलंका की नौसेना ने गोलीबारी करके हमारे मछुआरों पर हमला किया था। हमारे चार मछुआरों ने तैरकर स्वयं को बचाया *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री वैको जी, 'शून्य काल' की प्रक्रिया यह है कि आप केवल दो मिनट का ही समय ले सकते हैं। .....अन्य सदस्य भी बोलना चाहते हैं।

...(व्यवधान)

श्री वैको : अन्य सदस्यों ने अन्य मुद्दों पर काफी समय ले लिया है। उन्होंने कितना समय ले लिया है? यह एक बहुत गंभीर मामला है। *...(व्यवधान)*

महोदय, जब वे मछली पकड़ने जाते हैं तो उनके जीवन को तूफान और चक्रवात के कारण खतरों का सामना करना पड़ता है। इस समय भी चक्रवात है। जब वे अपनी जीविका कमाने के लिए अपने जीवन को खतरे में डालकर मछली पकड़ने जाते हैं तो जब तक समुद्र तट तक पहुंचते हैं तब तक उनके परिवार के लोग इस बात से आतंकित रहते हैं कि वे पास आएंगे या नहीं। इस प्रकार, ऐसी स्थिति में हमारे मछुआरे श्रीलंकाई नौसैनिकों द्वारा मारे जाते हैं। अगर सरकार कड़ा रुख नहीं अपनाती, इन हत्याओं की निन्दा नहीं करती तथा श्रीलंका सरकार को कड़ी चेतावनी नहीं देती तब तक यह बंद नहीं होगा।

महोदय, मुनियास्वामी नामक मछुआरा मारा गया था। उसका परिवार शोक में डूबा हुआ है। कच्चातिवू में मछली पकड़ना हमारा अधिकार है। वास्तव में, यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात थी कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने कच्चातिवू, जो हमारे देश का हिस्सा था, को श्रीलंका को दे दिया था।

अब, श्रीलंका के नौसेना प्रमुख ने हमारे नौसेना प्रमुख के साथ चर्चा की। हमारे नौसेना और तटरक्षक भी इसमें शामिल हैं। अगर वे कोई कड़ी कार्रवाई करेंगे तो श्रीलंका की नौसेना यहां आने का साहस कभी नहीं करेगी।

महोदय, एक छोटा सा देश इस देश की विशाल नौसेना को चुनौती दे रहा है। जब किसी देश की नौसेना द्वारा किसी देश का कोई नागरिक मारा जाता है तो यह उस देश के सम्मान का प्रश्न है। ऐसा रोज ही हो रहा है। *...(व्यवधान)*

श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयप्पन (शिवगंगा): माननीय श्री वैको और माननीय मंत्री, श्री जार्ज फर्नान्डीज के बीच क्या गुप्त बातचीत हुई? मछुआरों की सुरक्षा के मुद्दे पर तुरंत विचार किया जाना चाहिए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह एक समस्या है। एक सदस्य मुद्दा उठाता है और दूसरे इसकी निंदा करते हैं।

...(व्यवधान)

श्री वैको : भारत सरकार को इस मुद्दे को श्रीलंका सरकार के साथ उठाना चाहिए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी नहीं जाएगा। अब श्री वरकला राधाकृष्णन बोलेंगे।

...(व्यवधान)

श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम (तंजावूर): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए मामले से अपने आप को संबद्ध करता हूं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने पहले ही इस बारे में माननीय प्रधान मंत्री को एक पत्र लिख दिया है *...(व्यवधान)* मेरा सरकार से आग्रह है कि श्रीलंका की नौसेना के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करे...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री पलानीमनिक्कम, आप श्री वाइको से संबद्ध हो सकते हैं...*(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन : महोदय, मैं भारत में कपड़ा उद्योग के बारे में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं। अब भारत सरकार ने कपड़ा नीति की घोषणा कर दी है *...(व्यवधान)*

महोदय, यह नीति सम्पूर्ण कपड़ा उद्योग के लिए हानिकारक है। न केवल इतना अपितु यह भारत के हथकरघा उद्योग को सीधे ही प्रभावित करेगी। केरल प्रथम राज्य है जहां प्राचीनतम हथकरघा उद्योग है। हम हथकरघा का सामान अन्य देशों को निर्यात कर रहे थे किन्तु अब इस घोषित नीति के कारण यह सब रुक गया है। यह नीति राष्ट्र विरोधी, उद्योगों के विरुद्ध और मजदूरों के हितों के विरुद्ध है। हमारा प्राचीन हथकरघा अब रुका पड़ा है और अब वह काम नहीं कर रहा है। हथकरघा वस्तुओं के आयात पर लगी सभी पाबन्दियां हटा ली गई हैं। बहुराष्ट्रीय कम्पनियां और विदेशी

ऐजेन्सियां अब भारत में हथकरघा वस्त्र का आयात कर सकती हैं। इससे हथकरघा मजदूरों के हितों पर विशेषकर तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और आन्ध्र प्रदेश में प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। सभी राज्य बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। केरल राज्य में विशेषकर कैन्नोर, कोजीक्रोड और अन्य उत्तरी जिले पूर्ण भुखमरी के कगार पर हैं। हथकरघा उद्योग के समक्ष गंभीर संकट है। यह ही हालत दक्षिण जिलों में है। मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि इस नीति पर पुनर्विचार करे, हथकरघा उद्योग को संरक्षण प्रदान करे और हथकरघा बुनकरों का संरक्षण करे अन्यथा उनकी हालत गंभीर हो जाएगी। मैं उन्हें चेतावनी देता हूं ...*(व्यवधान)*

प्रो. ए.के. प्रेमाजम (बडागरा): यह अत्यन्त गंभीर मामला है, महोदय ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप सभी श्री राधाकृष्णन से संबद्ध हो सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया समझने का प्रयास करें कि मैं सूची के अनुसार चल रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (मंदसौर): महोदय, दामोदर वेली कार्पोरेशन का बोकारों थर्मल पावर स्टेशन का 'ए' प्लांट लगभग पांच महीने से बंद पड़ा हुआ है। उसमें करीब साढ़े तीन करोड़ रुपए का हर महीने नुकसान हो रहा है। 600 मजदूर बेकार बैठे हुए हैं। जब थर्मल पावर बंद हुआ तब वह 60 मेगावाट बिजली पैदा कर रहा था। जो 2500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है उसे वहां के अधिकारियों द्वारा वसूला जाए और बोकारो थर्मल पावर प्लांट को अविलम्ब चालू किया जाए। प्रबंधन द्वारा प्रदूषण नियमों का समय पर अनुपालन न करने के कारण करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है।

महोदय, मेरा सरकार से आग्रह है कि इसे तुरंत चालू करवाए। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री के. फ्रांसिस जार्ज (इदुक्की): महोदय, मैं सरकार का ध्यान केरल राज्य के समक्ष मुल्लापेरीयार बांध से संबंधित अत्यन्त गंभीर समस्या की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं ...*(व्यवधान)* यह, मुल्लापेरियार बांध 100 वर्ष पुराना है। केरल और तमिलनाडु के बीच जल बंटवारे के बारे में पूर्व ब्रिटिश सरकार ने पूर्व ट्रावनकोर राज्य से एक समझौता किया था और वह समझौता 999 वर्षों के लिए था, एक ऐसी चीज जो इस देश में सुनी नहीं गई है – एक हजार वर्ष का समझौता जो कि भावी पीढ़ियों पर लागू होगा। अब इस जल बंटवारे के बारे में विवाद है। हम सभी यह जानते हैं, और मैं केन्द्र सरकार को यह सूचित करना चाहता हूं कि केरल में भयंकर, जल का विद्युत संकट है। यह समझौता 104 वर्ष पुराना है और ऐसी स्थिति बहुत समय से रही है। अब केन्द्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के आदेश पर केरल और तमिलनाडु के मुख्यमंत्रियों की एक बैठक बुलाई थी और उस बैठक में एक तीन सदस्यीय समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया है – जिसमें मामले की जांच के लिए तमिलनाडु और केरल का प्रतिनिधित्व एक-एक सदस्य द्वारा किया जाएगा और एक सदस्य केन्द्रीय जल आयोग से होगा। समाचारपत्रों में यह आया कि उस बैठक के कार्यवृत्त में हेरफेर किया गया है और अब केन्द्र सरकार ने एक सात सदस्यीय समिति का गठन किया है और उसमें केरल से मात्र एक सदस्य है। इस समिति का कार्य बांध की सुरक्षा की जांच करना था।

वह समिति मुल्लापेरीयार में आई और उसने जल स्तर को 136 फुट से 152 फुट बढ़ाने के बारे में अध्ययन किया ...*(व्यवधान)* महोदय, यह अत्यन्त आवश्यक मामला है। कृपया मुझे समापन के लिए एक मिनट का समय दें।

अध्यक्ष महोदय : आपने पहले ही अधिक समय ले लिया है।

...*(व्यवधान)*

श्री के. फ्रांसिस जार्ज : महोदय, यदि यह जलस्तर बढ़ाया गया तो हमें प्रभावित करेगा। यह गंभीर मामला है। ...*(व्यवधान)*

प्रो. ए.के. प्रेमाजम : यह केरल का ज्वलंत मामला है। हम किसी को भी केरल से अन्याय नहीं करने देंगे ...*(व्यवधान)*

श्री रमेश चेन्नितला (मवेलीकारा): महोदय, यह केरल के लोगों का अधिकार है ...*(व्यवधान)*

प्रो. ए.के. प्रेमाजम : किसी भी समिति में हमारा उचित प्रतिनिधित्व होना चाहिए ...*(व्यवधान)*

श्री के. फ्रांसिस जार्ज : महोदय, केन्द्र सरकार को हस्तक्षेप करना है ...*(व्यवधान)*

श्री वैको : महोदय, यह दो राज्यों, तमिलनाडु और केरल के बीच विवादित मामला है।

अध्यक्ष महोदय : यह क्या है? वाईको जी, आप अन्य सदस्यों को बोलने ही नहीं दे रहे हैं। मैंने श्री गंगा रेड्डी को बुलाया है।

...(व्यवधान)

श्री एस.एस. पलानीमणिक्कम (तंजावूर): महोदय, केरल और तमिलनाडु से समिति में मात्र एक-एक सदस्य हैं *...(व्यवधान)*

श्री वैको : तमिलनाडु राज्य वहां *...(व्यवधान)*

श्री के. मुरलीधरन (कालीकट): केरल राज्य को पानी कम मिल रहा है *...(व्यवधान)*

प्रो. ए.के. प्रेमाजम : महोदय, यह एक पुरानी संधि है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप सभी श्री फ्रांसिस जार्ज से संबद्ध हो सकते हैं।

श्री वरकला राधाकृष्णन : महोदय, केरल के साथ बहुत अन्याय हो रहा है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : क्या आप अन्य लोगों को नहीं बोलने देना चाहती? यह क्या है? महोदया आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। आप हमेशा सभा की कार्यवाही में व्यवधान डालती हैं। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री वैको : महोदय, यह विवादित मामला है जो तमिलनाडु के लोगों के अधिकारों को प्रभावित कर रहा है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मैं बोल रहा हूं।

...(व्यवधान)

श्री रमेश चेन्नितला : आप ऐसा कैसे कहते हैं? इससे केरल के अधिकारों पर प्रभाव पड़ रहा है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री वैको : उन्होंने पहले ही बहुत अन्याय किया हुआ है।

श्री रमेश चेन्नितला : केरल के साथ अन्याय हो रहा है। सरकार को इस पर जवाब देने दो। मंत्री महोदय यहां हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री गंगा रेड्डी जी के कथन के अतिरिक्त अन्य कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री जी. गंगा रेड्डी (निजामाबाद): महोदय, मैं सरकार का ध्यान एक महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। सरकारी कोष पर अत्यधिक बोझ को देखते हुए तेल पूल के घाटे को कम करना अत्यावश्यक है। इस बारे में मेरा यह निवेदन है कि घाटे को कम करने के लिए गन्ने से निर्मित शोधित स्प्रिट व शीरा को पैट्रोलियम उत्पादों में 10 प्रतिशत मिलाया जाए। यह मिश्रण शुद्ध पैट्रोलियम उत्पादों जितना ही कार्यक्षम है और इस प्रकार 10 प्रतिशत बचत की जा सकती है। संयोगवश यह प्रक्रिया ब्राजील में वर्षों से चल रही है और कार्यक्षमता में कमी के बारे में अब तक कोई शिकायत नहीं मिली है।

अत: मेरा माननीय पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री जी से अनुरोध है कि इस प्रक्रिया को अविलम्ब हमारे देश में आरम्भ किया जाए ताकि विदेशी मुद्रा के बोझ से बचा जा सके।

[हिन्दी]

श्री लाल बिहारी तिवारी (पूर्वी दिल्ली): अध्यक्ष जी, 18 नवम्बर 1997 को मेरे निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत वजीराबाद पुल पर हुई दुर्घटना में 28 बच्चों की मृत्यु हो गयी थी और करीब 62 बच्चे घायल हुए थे। वहां पर उसी प्रकार की और कोई दुर्घटना न हो, इसके लिए बच्चों के अभिभावकों ने एक एडीशनल पुल के बनाने की बात कही थी। लेकिन वह पुल आज तक नहीं बनाया गया है। इसी तरह से जमुनापार और पूर्वी दिल्ली की बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए गीता कालोनी से शांति वन तक एक पुल बनाने की बात कही गयी थी।

चूंकि इसके बनने में तीन-चार वर्ष लगेंगे इसलिए मार्जिनल बांध पुस्ता से मजनू टीला तक पंटून पुल का निर्माण किया जाना चाहिए लेकिन ऐसी कोई योजना शुरू नहीं हुई। मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि वजीराबाद पुल के पास एक नया पुल शीघ्र बनाया जाए, गीता कालोनी शमशान घाट से शांति वन तक एक पुल बनाया जाए और उपरोक्त पंटून पुल शीघ्र बनाया जाए ताकि दिल्ली की जनता को आने-जाने में कोई दिक्कत न हो तथा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब श्री समर चौधरी जी बोलेंगे। श्री बाजू बन रियान उनसे संबद्ध हो सकते हैं।

श्री समर चौधरी (त्रिपुरा पश्चिम): अध्यक्ष महोदय, त्रिपुरा की हालत जातीय हिंसा और अस्थिरता के कारण अत्यन्त खराब है। ऐसा इसलिए है कि केन्द्र सरकार पूर्णत: वहां सुरक्षा बल तैनात करने के बारे में अनदेखी कर रही है। मैं आपके समक्ष एक बात रखना चाहता हूं। राज्य सरकार ने कुछ क्षेत्रों को गड़बड़ी वाला क्षेत्र घोषित किया है और 45 में से 22 पुलिस स्टेशनों को गड़बड़ी वाला क्षेत्र घोषित किया गया है। जबकि उन पुलिस स्टेशन के क्षेत्रों में बढ़ते हुए उग्रवाद से शांति को खतरा बढ़ रहा था, तो राज्य सरकार को केन्द्र सरकार की ओर से फौज की तीन बटालियन, असम राईफल की तीन बटालियन और के.रि.पु.ब. और सी.सु.ब. के रूप में मदद मिल रही थी। भा.ज.पा. के सत्ता में आने और श्री अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधान मंत्री बनने के बाद सेना की सभी तीन बटालियनें वापस बुला ली गईं और असम राइफल की तादाद 3 बटालियन से घटा कर सिर्फ 16 कंपनियां कर दी गई हैं।

इस समय, राज्य में उपद्रवी गतिविधियां इतनी बढ़ गई हैं कि वे पूरे राज्य, इसके विकास इत्यादि को अव्यवस्थित कर रही हैं। सीमा में घुसपैठ की गुंजाइश है। पहले पेशेवर विशेषज्ञों ने मूल्यांकन किया था कि सीमा सुरक्षा बल के 15 बटालियनों को सीमा की रक्षा करनी चाहिए किंतु इस समय सिर्फ आठ या नौ बटालियन वहां तैनात हैं। इसके कारण पूरी सीमा खुली पड़ी हुई है।

अब, मैं उपद्रवियों और उग्रवादियों की सीमापार से घुसपैठ पर आता हूं। सीमा पार बांग्लादेश के क्षेत्र में सशस्त्र उग्रवादियों के छिपने के 29 ठिकाने हैं। वहां जो शिविर हैं उनमें सभी प्रकार के युद्ध प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। वस्तुस्थिति यह है। हर बार वे लोग ए.के. श्रृंखला के राइफलों अथवा अत्याधुनिक हथियारों से लैस होकर हमारे क्षेत्र में आ रहे हैं और त्रिपुरा के लोगों पर धावा बोल रहे हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, सरकार को जवाब देना चाहिए।

श्री समर चौधरी : सरकार जवाब नहीं दे रही है।

अध्यक्ष महोदय : लेकिन आप सरकार को उत्तर देने का मौका नहीं दे रहे हैं। सदस्य सरकार को उत्तर नहीं देने दे रहे हैं।

श्री समर चौधरी : मुख्यमंत्री यहां बार-बार आए तथा गृह मंत्री, रक्षा मंत्री तथा संसद सदस्यों से उनका ध्यान आकृष्ट करने के लिए बातचीत किया। वाममोर्चा ने भी अपना अभ्यावेदन दिया। संसद सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल ने प्रधान मंत्री से भी बातचीत की किंतु अभी तक राज्य को अतिरिक्त सुरक्षा बल नहीं दिया गया है। स्थिति यह है।

त्रिपुरा के कंचनपुर अनुमंडल में और तेलिअम्मा में अक्टूबर और नवम्बर महीने में नरसंहार हुआ। इन नरसंहारों ने जातीय हिंसा और जातीय दंगों को बढ़ावा दिया।

अध्यक्ष महोदय : इस पर सरकार की कोई प्रतिक्रिया है?

श्री समर चौधरी : महोदय, मंत्री जी यहां उपस्थित नहीं हैं। प्रधान मंत्री जी भी यहां नहीं हैं, जो आने वाले हैं।

[हिन्दी]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): अध्यक्ष महोदय, मामले की गम्भीरता को देखते हुए मैं गृह मंत्री को इस विषय से अवगत कराऊंगा।

[अनुवाद]

श्री समर चौधरी : उन्हें सभा में जवाब देना चाहिए।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, उन्हें जरूर आना चाहिए और एक वक्तव्य देना चाहिए कि पूर्वोत्तर में त्रिपुरा के लोगों को कैसे बचाया जाए क्योंकि वे सुरक्षा बलों को वापस बुला रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी।

श्री समर चौधरी : महोदय, मैं आपको आधुनिकीकरण के बारे में कुछ अन्य जानकारी प्रदान कर सकता हूं क्योंकि सरकार हमेशा आधुनिकीकरण की बात कर रही है।

अध्यक्ष महोदय : श्री चौधरी, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री समर चौधरी : विगत तीन वर्षों के दौरान सिर्फ 400 ए.के. 47 राइफल और 2,300 एस.एल.आर. राइफल दिए गए हैं। जबकि वास्तविक जरूरत बहुत ज्यादा है, वस्तुत: राज्य को आधुनिक उपकरणों की कोई आपूर्ति नहीं की गई है।

अपराह्न 1.00 बजे

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो): अध्यक्ष महोदय, पिछले कुछ वर्षों से इस देश में डायबिटीज की बीमारी बड़ा भयंकर रूप लेती जा रही है। इस बीमारी के इलाज के लिये एक महत्वपूर्ण दवा इन्सुलिन की कमी सारे देश में हो रही है। यह विशेष दवा दो स्रोतों - एक ह्युमन इन्सुलिन मिलती है जो महंगी होती है जिसे आम आदमी इस्तेमाल नहीं कर पाता जबकि दूसरी, जो एनीमल वेस्ट इन्सुलिन, जो सस्ती होती है, इसे आम गरीब आदमी इस्तेमाल करता है। देश के अंदर इसका भयंकर अकाल पड़ा हुआ है और इस कारण देश के ग्रामीण क्षेत्रों में लाखों लोग डायबिटीज बीमारी का इलाज नहीं करा पा रहे हैं। इसका कारण यह है कि महंगी दवा उन गरीब लोगों की आर्थिक क्षमता से परे है। डाक्टर्स ने रिपोर्ट दी है कि दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में बच्चों तक को डायबिटीज की बीमारी हो रही है। अगर तत्काल सरकार ने कार्यवाही नहीं की तो बच्चों पर इसका गम्भीर असर पड़ेगा। शूगर लैवल बढ़ने के कारण वह कॉमा में जा सकता है। मैं चाहता हूं कि सरकार इस मामले की तत्काल गंभीरता समझे। यह मालूम हुआ है कि मल्टी नैशनल कम्पनीज ह्युमन इन्सुलीन इसलिये बना रही हैं कि यह उन्हें सूट करता है और महंगी बिकती है और ऐनीमल बेस्ड इन्सुलीन बनाना बंद कर दिया है जिससे बाजार में इसकी कमी बनी हुई है। सरकार ऐनीमल बेस्ड इन्सुलीन गरीब और आम आदमी को सस्ते दर पर बाजार में उपलब्ध करना सुनिश्चित करे। स्वास्थ्य मंत्री यहां बैठे हुये हैं, वे सदन को आवश्वासन दें कि सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : चतुर्वेदी जी, वह भी स्वास्थ्य संबंधी मुद्दा ही उठा रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, संयोग से स्वास्थ्य मंत्री जी यहां बैठे हुये हैं। मैं आपके माध्यम से उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि एच.आई.वी. एड्स संक्रमण विवादास्पद मुद्दा बन चुका है। दुनियाभर के वैज्ञानिक इस मुद्दे पर एकमत नहीं हैं। कुछ वैज्ञानिक एच.आई.वी. वायरस की दवा के अस्तित्व को मानने के लिये सहमत नहीं हैं। लेकिन भारत जैसे विकासशील देश में इस बीमारी के संक्रमण होने के आंकड़े यू.एन.एस., यू.एस.ऐड. और विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसी अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा सुनियोजित ढंग से प्रचारित किया जा रहा है। इस संबंध में जनसत्ता में श्री राम बहादुर राम ने एक लेख निकाला है जिसमें लिखा है कि लाइलाज रोग से फैलता उद्योग। इसमें विवादास्पद आंकड़े बताये गये हैं। प्लानिंग कमीशन के अनुसार इस समय 35-40 लाख लोग पीड़ित हैं। हमारे वर्तमान विदेश सचिव श्री ललित मानसिंह ने 85 लाख रोगी बताये हैं। संसद की स्थायी समिति ने यह संख्या 81 लाख बताई है। इसी तरह सदन में पिछले दिनों मंत्री जी ने जो आंकड़े दिये हैं, वे गुमराह करने वाले हैं। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि 1425 करोड़ रुपया विश्व बैंक से अनुदान के रूप में लिया गया है जिसे 30 वर्षों में 28 प्रतिशत सूद सहित वापस देना है। एक विदेशी कम्पनी गलैक्सो एड्स की जो दवा बनाती है, ने एक साल 1999 में करीब 3 हजार करोड़ रुपये की दवा बेच दी है जबकि प्रचारित नहीं थी। अनुमान किया जाता है कि अगले पांच वर्षों में 20 हजार करोड़ रुपये की दवा बिकेगी। यह 20 हजार करोड़ रुपया अगले 30 वर्षों में ब्याज समेत देना होगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि एक तरफ 25 हजार करोड़ रुपया लेगी और 1425 करोड़ रुपया अनुदान के रूप में दिया है, उसे देना होगा। यह भारत की अर्थव्यवस्था को खराब करने की साजिश चल रही है। मेरा माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन है कि मामले की गंभीरता को समझें और वे सदन को बतायें कि इतना बड़ा घपला-घोटाला हुआ है, वे इस पर कार्यवाही कर रहे हैं या नहीं?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, क्या आप इन दोनों मुद्दों के संबंध में कुछ कहना चाहेंगे?

[हिन्दी]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने डायबिटीज का मामला उठाया है, उसमें बहुत सारी कंपनियां इसलिए उसे बंद कर रही हैं कि जो पहले एनीमल बेस्ड इनसुलिन था, उसमें क्या होता है कि थोड़े दिनों के बाद एन्टी बॉडीज बनने लगती है और जिस आदमी को दस यूनिट की आवश्यकता है, उसकी क्षमता 20 यूनिट हो जायेगी, कुछ दिनों के बाद 40 यूनिट तथा 80 यूनिट हो जायेगी। उसे इस तरह से लेना पड़ता है। इसीलिए दुनिया भर में धीरे-धीरे लोगों ने उसे डिस्कार्ड कर दिया और जो आकल दूसरी मैथड है, उसे लोग अपना रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं दिखवा लूंगा कि उसकी कमी नहीं होनी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : उसकी कीमत ऐसी हो कि उसे आम आदमी अफोर्ड कर सके।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री चतुर्वेदी, जब मंत्री उत्तर दे रहे हैं तो क्यों परेशान कर रहे हैं?

[हिन्दी]

डा. सी.पी. ठाकुर : माननीय सदस्य ने एड्स के विषय में जो कहा है, उसमें दो मत नहीं हैं कि एड्स वायरस डिसीज है और यह वायरस के कारण होती है। लेकिन जैसे माननीय सदस्य कह रहे हैं, किसी ने कहा कि एड्स की बीमारी होती ही नहीं है। अफ्रीका में भी वहां के राष्ट्रपति ने कहा कि यह बीमारी अफ्रीका में नहीं है। लेकिन जब इतने लोग मरने लगे तो उन्होंने माना। ग्लैक्सो की बात उन्होंने कही है इसकी हम लोग जांच करायेंगे। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : जो लोग वैजिटेरियन हैं वे लोग एनीमल बेस्ड इंसुलिन कैसे लेंगे, यह भी सोचना चाहिए।

डा. सी.पी. ठाकुर : हम दिखवा लेंगे।

अध्यक्ष महोदय : पहले दासमुंशी जी को देना है।

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): अध्यक्ष महोदय, कौन बनेगा करोड़पति, आप, आप, आप या मैं। मैं नहीं बनूंगा करोड़पति। महोदय, स्टार टी.वी. पर कौन बनेगा करोड़पति प्रोग्राम अमिताभ बच्चन द्वारा चलाया जाता है। इस प्रोग्राम से बच्चों, महिलाओं और हम सबकी जनरल नॉलेज बढ़ती जा रही है। इससे हमें अच्छी जानकारी मिलती है। एक दिन इस प्रोग्राम में एक सवाल था - पार्लियामेंट में जो 'जीरो ऑवर' चलता है यह जीरो ऑवर एक घंटे का होता है या 15 मिनट, 30 मिनट या 45 मिनट का होता है। इसके रिप्लाई में जीरो ऑवर एक घंटे का बताया गया था, जबकि जीरो ऑवर की कोई लिमिट नहीं होती है। लेकिन वहां का जो रिप्लाई है, यह रिप्लाई गलत नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि स्टार टी.वी. का जो कौन बनेगा करोड़पति प्रोग्राम है, उसमें इस प्रश्न का जो रिप्लाई दिया गया था, वह रिप्लाई सही होना चाहिए। जीरो ऑवर एक घंटा का नहीं होता है, दस मिनट का भी हो सकता है। जीरो ऑवर दो घंटे का भी हो सकता है। इसलिए यह रिप्लाई ठीक नहीं है। इसलिए सरकार से हमारा निवेदन है कि स्टार टी.वी. को आप फौरन इंस्ट्रक्शंस दें।

श्री पुन्नू लाल मोहले (बिलासपुर): अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर में मुंगेली, पौड़ी, मंडला राजमार्ग को राष्ट्रीयकृत मार्ग घोषित करने की बाबत मैं बोलना चाहता हूं। मुंगेली से रायपुर इस मार्ग को जोड़ने से नये छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी रायपुर होने से राजमार्ग को राष्ट्रीयकृत मार्ग बनाया जाए। वहां की रोड्स बहुत ऊबड़-खाबड़ हो चुकी हैं। आवागमन अवरुद्ध हो चुका है। जबकि वहां आवागमन बहुत बढ़ गया है, लेकिन मार्ग अवरुद्ध हो रहे हैं, जिसके कारण लोग समय पर नहीं पहुंच पाते हैं। राज्य सरकार के पास पैसा नहीं है। इन मार्गों को नाबार्ड योजना में शामिल किया गया है। उक्त मार्गों के बनने से राजधानी रायपुर जुड़ जायेगी, जिससे लोगों को आवागमन की सुविधा प्राप्त होगी। उक्त मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कर आवागमन हेतु प्रशासकीय स्वीकृति देकर तत्काल राशि प्रदान की जाए। धन्यवाद।

श्री दह्याभाई वल्लभभाई पटेल (दमन और दीव): अध्यक्ष महोदय, दमन दीव यूनियन टैरिटरी में जिला पंचायत का 1994 में गठन किया गया था। लेकिन उसके बाद से उसे आज तक कोई पावर्स नहीं दी गई ...*(व्यवधान)*

श्री अशोक अर्गल (मुरैना): सर, दलितों पर अत्याचार हो रहा है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपका स्टेटमैंट लॉ एंड आर्डर का है, इसे आप यहां कैसे उठा सकते हैं।

श्री दह्याभाई वल्लभभाई पटेल : 1972-73 के अमेंडमेंट के मुताबिक जिला पंचायत को अब तक कुछ पावर्स नहीं दी गई है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि 1972-73 अमेंडमेंट के मुताबिक जिला पंचायत को पावर्स दी जाएं। दमन के अंदर आई.ए.एस., लाबी पूरी तरह से ब्यूरोक्रेट चला रहे हैं। वहां कुछ पावर्स नहीं हैं और जिला पंचायत को कोई पावर्स नहीं दी गई हैं। मेरा सरकार से निवेदन है कि जल्दी से जल्दी जिला पंचायत को पावर्स दी जाएं। दो साल पहले जिला पंचायत की रिपोर्ट फाइनेन्स मिनिस्ट्री ने होम मिनिस्ट्री में रखी। लेकिन वह अभी तक ऐसे ही पड़ी है। लेकिन जिला पंचायतों को पावर्स नहीं दी गई। मेरा सरकार से निवेदन है कि जिला पंचायत को जल्दी से पावर्स दी जाए। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री मोहन एस. देलकर (दादरा और नगर हवेली): माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां कोई विधान मंडल नहीं है और कोई प्रजातांत्रिक प्रणाली नहीं है। मैं इस मामले पर माननीय सदस्यों के साथ हूं।

[हिन्दी]

श्री माणिकराव होडल्या गावीत (नन्दुरबार): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि एक दुर्घटना जो 1 नवंबर, 2000 को हुई, भुसावल से सूरत

76 अप पैसेन्जर में किकाकुवी-वयारा के बीच में चार लोग एक बोगी के ऊपर बैठे थे जिनकी करंट लगने से मत्यु हो गई। उनको सिर्फ 5000 रुपये मुआवजा दिया गया है जिस राशि को बढ़ाकर एक लाख रुपये करना चाहिए। इस लाइन पर चलने वाली गाड़ियों में 9-10 बोगियां ही होती हैं जिससे पैसेन्जर बोगियों के ऊपर बैठते हैं। वहां इलेक्ट्रिफिकेशन का काम चल रहा है और गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तार से टकराने से वे लोग मर गए और उनकी मृत्यु हो गई। इसी लाइन पर जो गाड़ियां चल रही हैं अप और डाउन में चार गाड़ियां चल रही हैं, उनमें बोगियों की संख्या 15-16 करनी चाहिए ताकि यात्री छतों पर न बैठें और इस तरह की दुर्घटनाएं न हों, यह मैं रेलमंत्री जी से विनती करना चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री खारवेल स्वाइं (बालासोर): माननीय अध्यक्ष महोदय, सांस्कृतिक नगर भुवनेश्वर में स्थित अधिकांश ऐतिहासिक इमारतों के गगनचुम्बी इमारतों से छिप जाने का खतरा पैदा हो गया है। कई मंदिरों के तो बिल्कुल उपेक्षित हो जाने की संभावना हो गई है। संस्कृति मंत्री ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि केन्द्र सरकार ने संरक्षित ऐतिहासिक इमारतों के चारों ओर 100 मीटर के क्षेत्र को निर्माण तथा खनन के लिए निषिद्ध क्षेत्र घोषित किया है। तथापि, इन ऐतिहासिक इमारतों से 20 मीटर से 80 मीटर के क्षेत्र के अंदर भी गगनचुम्बी इमारतें बन रही हैं। मैं भारत सरकार से अपील करता हूं कि भुवनेश्वर क्षेत्र, जहां कई अत्यंत प्राचीन और वास्तुकला की दृष्टि से सुंदर मंदिर स्थित हैं, को एक धरोहर क्षेत्र घोषित किया जाए और इन मंदिरों के आसपास गगनचुम्बी इमारतों के निर्माण को कड़ाई से रोके।

श्री अजय चक्रवर्ती (बसीरहाट): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस महान सभा में एक गंभीर मामला उठाना चाहता हूं और मैं इसकी ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। आई.डी.पी.एल. भारत की सरकारी क्षेत्र की सबसे पुरानी औषधि निर्माता कंपनियों में एक है। आई.डी.पी.एल. जीवन-रक्षक दवाओं का निर्माण बहुराष्ट्रीय कंपनियों की तुलना में सस्ते दरों पर कर रही है। आई.डी.पी.एल. के मामले को बी.आई.एफ.आर. के पास भेज दिया गया तथा बी.आई.एफ.आर. ने भारत सरकार को आई.डी.पी.एल. के लिए पुनरुद्धार पैकेज प्रस्तुत करने को कहा था। सरकार पुनरुद्धार पैकेज प्रस्तुत करने की अनिच्छुक है। सरकार ने आई.डी.पी.एल. के पुनरुद्धार के लिए इस संबंध में कोई अंतिम कदम नहीं उठाया है। आई.डी.पी.एल. के कामगारों और कर्मचारियों को उनकी मजदूरी तथा वेतन लम्बे समय से नहीं मिल रहा है। आई.डी.पी.एल. के कामगार और कर्मचारी जो हैदराबाद और देश के अन्य भागों से आए हैं और इस समय दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं। आई.डी.पी.एल. की हैदराबाद में प्रधान एकक और देश के अन्य भागों में इसके एकक अब बंद हैं। सरकार ने आई.डी.पी.एल. के लिए पुनरुद्धार पैकेज प्रस्तुत करने के लिए अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है। मेरी अत्यन्त विनम्र मांग है कि सरकार को आई.डी.पी.एल. के लिए पुनरुद्धार पैकेज तैयार करने के लिए तत्काल कदम उठाना चाहिए और ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि आई.डी.पी.एल. के कामगारों और कर्मचारियों को उनकी मजदूरी और वेतन तत्काल मिल जाए।

[हिन्दी]

श्री राम टहल चौधरी (रांची): अध्यक्ष महोदय, रांची जिला और पूरा झारखंड मलेरिया की चपेट में आया हुआ है। एक वर्ष में हजारों आदमी मर गए हैं और अभी यह स्थिति है कि अस्पतालों में भी जगह नहीं है। दवाएं भी नहीं मिल पा रही हैं। दवाएं महंगी हैं और जंगल-झाड़ियों के किनारे जो आदिवासी रहते हैं, गरीब परिवारों के लोग रहते हैं, उनके बीच यह बीमारी फैल रही है।

मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि इसकी रोकथाम के लिए वहां केन्द्रीय टीम भेजी जाये। इसके साथ-साथ आप उस क्षेत्र में सस्ती दवा की व्यवस्था भी करायें ताकि रोज जो सैंकड़ों की तादाद में लोग मर रहे हैं, वे न मरें।

श्री ताराचंद साहू (दुर्ग): अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ एक नया राज्य है और छत्तीसगढ़ में हमको भीषण अकाल की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। इस समय नवम्बर का महीना चल रहा है। यद्यपि ग्रीष्म ऋतु के अभी 6 माह हैं, उसके बावजूद इस समय वहां स्थिति बहुत खराब है। तालाब सूख गये हैं, नदी-नाले सूख गये हैं तथा बोरवेल का पानी बहुत नीचे चला गया है। वहां पीने के पानी का संकट है, निस्तार तालाब के पानी का संकट है। पशु चारे का संकट है जिसकी वजह से बड़ी संख्या में लोग वहां से पलायन कर रहे हैं। सदन को यह सुनकर आश्चर्य होगा कि मैं एक गांव में गया और वहां के सरपंच ने नाम सहित बताया कि उस गांव से 1700 लोग पलायन कर गये हैं। वहां बहुत खराब स्थिति है। मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करूंगा कि वहां पैसे की जरूरत न होकर अनाज की ज्यादा जरूरत है। वहां 80 प्रतिशत अनाज और 20 प्रतिशत पैसा दिया जाये। वहां की स्थानीय सरकार, प्रदेश की सरकार अपने स्वागत-सत्कार में मस्त है। वे इस अकाल का भी राजनीतिकरण करने लग गयी है। यह दुख का विषय है। उन्होंने एक फरमान भी जारी किया है जिसमें साफ निर्देश दिया गया है कि केवल वहां के प्रभारी मंत्री के निर्देश पर ही राहत कार्य किये जायेंगे। मगर कोई भी राहत कार्य नहीं किया गया है। केवल प्रत्येक ब्लाक में जबकि ब्लाक की संख्या 100 गांव की

[श्री ताराचंद साहू]

होती है, 50 हजार रुपये दिये गये हैं जो कि नगण्य सी स्थिति है। यह बहुत खराब हाल है। जब गांव से लोग पलायन कर रहे हैं तो इससे बाहर के लोगों को भी मालूम हो गया है कि छत्तीसगढ़ में भीषण अकाल की स्थिति है, इसका वे फायदा उठा रहे हैं। वहां उनका शोषण हो रहा है। महिलाओं को जबरदस्ती रोका जा रहा है तथा पुरुषों को मारपीट कर वापिस भगा दिया गया है। ठेकेदारों द्वारा उनका पैसा रोक लिया गया है।

मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करूंगा कि वहां के सांसदों की एक समिति बनाकर इस स्थिति से निपटा जाये।

[अनुवाद]

श्री बीर सिंह महतो (पुरूलिया): महोदय, दामोदर वैली बास्तुहारा संग्राम समिति झारखण्ड स्टेशन के धनबाद जिला में मैथन में 4 नवम्बर, 2000 से धरना पर है। डी.वी.बी.एस.एस. मैथन और पंचेत जल संग्रहण क्षेत्र के विस्थापित लोगों का एक संगठन है।

उन्होंने एक मांग पत्र पेश किया है। उनकी पहली मांग है कि 1978 के विस्थापित पैनेल में, जिन्होंने 40 वर्ष की अवस्था पूरी कर ली है के आश्रितों को उनके स्थान पर नियुक्ति दी जाए और 1978 के पैनेल पर कार्यवाही छः महीने के अंदर पूरी की जाए।

उनकी दूसरी मांग है कि 1992 में पुनः तैयार की गई विस्थापित पैनेल का सत्यापन उनके भूअभिलेखों से तत्काल कराया जाए।

महोदय, उनकी तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण मांग है कि दामोदर घाटी निगम की अप्रयुक्त भूमि दुकानों और व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए तत्काल विस्थापित तथा स्थानीय लोगों को आवंटित कर दी जाए।

अतएव, महोदय, मैं सरकार के प्राधिकारियों से अनुरोध करता हूं कि वे दामोदर घाटी निगम के साथ कृपया बैठें तथा इस मुद्दे को निपटाएं ताकि इस संगठन की मांगें जो कि बहुत समय से लंबित हैं, यथाशीघ्र पूरी की जा सके।

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सरकारी मीडिया दूरदर्शन का कुछ प्राइवेट पार्टियों द्वारा दुरुपयोग किए जाने की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

समाचार का प्रसारण न केवल देश में अपितु पूरे विश्व में भी सूचना देने का महत्वपूर्ण माध्यम है। किंतु कुछ प्राइवेट समाचार निर्माता सरकारी मीडिया का दुरुपयोग कर रहे हैं। मेरा अनुरोध है कि हमारे सरकारी मीडिया का उपयोग समुचित तरीके से हो तथा इन पर इस तरह से निगरानी रखी जाए कि समाचार ठीक से तैयार किए जाएं और पूरे देश में सही समाचार का प्रसारण हो।

महोदय, जैसा कि आप जानते हैं दूरदर्शन के डी.डी.-7 चैनल पर जो कि बांग्ला चैनेल है, एक समाचार एजेन्सी 'खास खबर' के नाम से एक कार्यक्रम प्रस्तुत करती है। 21 नवम्बर को अपने समाचार के प्रसारण के दौरान उन्होंने कश्मीर को 'भारत अधिकृत कश्मीर' कहा। हम सभी जानते हैं कि 'पाक अधिकृत कश्मीर' तो है किंतु भारत अधिकृत कश्मीर है ही नहीं। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है।

इसी प्रकार, कुछ दिनों पहले, उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज को उल्टा दिखलाया।

इसी तरह से कुछ महीने पहले, समाचार देते समय उन्होंने अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त एक दार्शनिक का अपमान किया।

बाद में उन्होंने क्षमा याचना की। इसलिए प्राइवेट समाचार निर्माताओं को दूरदर्शन के लिए समाचार तैयार करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। 'स्टार' समाचार और 'जी' समाचार प्राइवेट चैनेल हैं। किंतु सरकार द्वारा चलाई जा रही चैनलों का प्राइवेट समाचार निर्माताओं द्वारा दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। 'खास खबर' और 'आज तक' जैसे समाचार कार्यक्रमों को प्राइवेट पार्टियों द्वारा तैयार किए जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यदि सरकार इन समाचार कार्यक्रमों में शामिल समाचारों को समुचित रूप से नहीं देखती है तथा उनकी जांच-परख नहीं करती है तो पूरे देश में गलत समाचार का प्रसारण हो जाएगा। इसलिए, मैं मांग करता हूं कि प्राइवेट रूप से तैयार किए गए समाचार कार्यक्रमों पर अविलम्ब रोक लगा दी जाए और सरकार को अकेले उपयुक्त समाचार कार्यक्रमों का प्रसारण करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए तथा इस मामले की जांच करनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री संतोष कुमार गंगवार : मैं संबंधित मंत्री को इससे अवगत करवा दूंगा।

श्री जे.एस. बराड़ (फरीदकोट): अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान एक बहुत अलार्मिंग स्थिति पर दिलाना चाहता हूं। रमजान के पवित्र मौके पर प्रधान मंत्री जी ने सारे देश में जो सीज फायर का ऐलान किया है, उसका सब पार्टियों ने स्वागत किया

है और सारी दुनिया में उसका स्वागत हुआ है। इसकी सब लोगों को चिन्ता है जैसे वहां हर समुदाय का कत्ल हो रहा है, इंटैलीजेंस एजैंसीज बुरी तरह फेल हुई हैं और एक दिन पूरा होने पर सत्रह लोगों का कत्ल और पैरा-मिलिट्री फोर्सेस, मिलिट्री फोर्सेस, माइनौरिटीज़, किसी को सिख, किसी को हिन्दू कह कर वहां जो कत्ल किया जा रहा है, इस पर सरकार को तुरन्त कोई न कोई पुख्ता और मुस्तकिल कदम उठाना चाहिए नहीं तो सीज़ फायर का ऐलान किया गया है, उसका देश को कोई फायदा नहीं होने वाला है। मैं सरकार से विनती करूंगा कि वह अपनी बहुत डूंगी नींद से उठे और इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कश्मीर का मसला है, अपना ध्यान पूरे रूप से दे क्योंकि उनको मालूम था कि रमजान के पवित्र मौके पर एलान करने के बाद एक्रॉस दी बार्डर टैरोरिज्म, आई.एस.आई. अपनी सरगर्मी तेज़ करेंगी। लेकिन सरकार ने उसका कोई इंतजाम नहीं किया और वह इसमें पूरी तरह असफल रही है।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, हमारे हाथ में अद्भुत दस्तावेज़ है। उसमें कहा गया है कि सरकार के चार मंत्री हैं जिन पर डिस्प्रोपोर्शनेट असैट और इनकम टैक्स के नोटिस के लिए कोर्ट ने कहा है कि तीन महीने में कार्यवाही करके सूचित कीजिए। सरकार ने एफीडैविट किया है कि उसमें हाई लैवल इन्क्वारी हो रही है और कार्यवाही करेंगे।*.. इन पर कोर्ट के निर्देश के अनुसार इनकम टैक्स की कार्यवाही हुई और डिस्प्रोपोर्शनेट असैट केस का क्या हुआ? एक तरफ ये मंत्री सरकार में बैठे हैं और दूसरी तरफ लालू प्रसाद जी पर, जो गरीबों के आदमी हैं, डिस्प्रोपोर्शनेट असैट केस में बराबर फजीहत करने की कार्यवाही हो रही है। मेरा आरोप है कि सरकार दोहरा मापदंड अख्तियार कर रही है। एक तरफ इनकम टैक्स और डिस्प्रोपोर्शनेट असैट के कसूरवार लोग मंत्री के सिंहासन पर बैठे हैं और दूसरी तरफ राजनैतिक प्रतिशोध की भावना से गरीब लोगों के नेता को जेल में बराबर भेज कर गरीबों को डीमौरोलाइज़ करने की कोशिश की जा रही है। हमारी सदन से प्रार्थना है कि इस पर विचार होना चाहिए और हम जानना चाहते हैं कि जो चार मंत्री सरकार में बैठे हैं, उन पर क्या कार्यवाही हुई, क्या कार्यवाही होगी और मंत्री पद पर रहते हुए इनकम टैक्स और डिस्प्रपोर्शनेट असैट की कैसे कार्यवाही होगी। आप सदन के मालिक हैं, इस पर निर्णय किया जाए और कार्यवाही की जाए। चारों कसूरवार मंत्री जेल में जाएं और बराबर कार्यवाही हो।

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

[अनुवाद]

श्री ई. अहमद (मंजेरी): महोदय, कृपया सम्बद्ध मंत्री को निर्देश दें कि वह यहां आयें और स्थिति स्पष्ट करें। वह सभा के प्रति जवाबदेह हैं।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर): मान्यवर, रोजाना समाचार पत्रों में पढ़ने को मिल रहा है कि भारत सरकार राजस्थान सरकार की मदद नहीं कर रही है। राजस्थान के मुख्य मंत्री जी का यह आरोप निराधार है, मिथ्यापूर्ण है। अपनी अकुशलता को छिपाने के लिए बार-बार भारत सरकार को बदनाम कर रहे हैं। राजस्थान में इस समय अकाल पड़ा है और पीने के पानी का संकट है। भारत सरकार ने इसके लिए राज्य सरकार को पहले 75 करोड़ रुपए मैचिंग ग्रांट के रूप में दिए, लेकिन राज्य सरकार ने इसको टोटल में नहीं मिलाया। उसके बाद राज्य सरकार ने 105 करोड़ रुपए वसूल कर लिए और फिर तीसरी बार 100 करोड़ रुपए वसूल कर लिए। लेकिन अन्य मदों पर यह पैसा खर्च कर दिया, अकाल और पानी पर खर्च नहीं किया। राजस्थान सरकार के मुख्य मंत्री जी ने वह सारा पैसा विधायकों के भत्तों आदि पर व्यय कर दिया, मानवीय समस्या पर नहीं किया। मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह मुख्य मंत्री को पाबंद करें कि इतना पैसा लेने के बाद भी वे भारत सरकार को बदनाम न करें और पैसे का सदुपयोग करें। राजस्थान में भयंकर रूप से पानी की समस्या है। कोई भी गांव, कोई भी शहर ऐसा नहीं बचा, जहां यह समस्या न हो। इसलिए मानवीय समस्याओं पर मुख्य मंत्री जी को ध्यान देना चाहिए तथा इस प्रकार का स्टेटमेंट देने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है।

श्री संतोष कुमार गंगवार : अध्यक्ष महोदय, माननीय रघुवंश प्रसाद ने जो आरोप लगाया है, वह आपकी अनुमति के बिना और परामर्श किए बिना लगाया है। जिन चार मंत्रियों के नाम उन्होंने लिए हैं, मैं चाहता हूं इसको कार्यवाही से एक्सपंज कर दिया जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यदि वे आपत्तिजनक हैं तो उसे कार्यवाही वृत्तांत से हटा दिया जाएगा।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। मेरे पास इस सम्बन्ध में दस्तावेज हैं, जो मैं सदन के पटल पर रखता हूं। अगर यह गलत निकले तो हमें सदस्यता से बर्खास्त कर दिया जाए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री लक्ष्मण सेठ (तामलुक): महोदय, मैं एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं। कलकत्ता पत्तन न्यास ने नदी नियामक उपायों हेतु प्रस्ताव दिया है। जैसाकि आप जानते हैं पत्तन महत्वपूर्ण हैं और वे अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है। पत्तन अत्यन्त महत्वपूर्ण बुनियादी सुविधा है और औद्योगिक पुनरुत्थान के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। कलकत्ता पत्तन और हल्दिया पत्तन तटीय पत्तन हैं। अत: शिपिंग चैनलों का निकर्षण किया जाना चाहिए। काफी लम्बे समय से, 1991 से चैनल में आवागमन को बनाए रखने के लिए कोई बड़ा निकर्षण कार्य नहीं किया गया है। इसीलिए बड़े जहाज नौवहन चैनल में जाने के लिए कठिनाईयों का सामना कर रहे हैं।

महोदय, दो वर्ष पूर्व कलकत्ता पत्तन न्यास ने नदी विनियामक उपायों के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। कलकत्ता पत्तन न्यास ने जर्मन परामर्शदात्री फर्म को इस काम के लिए नियुक्त किया है। श्री सुन्दरम इसके चेयरमैन हैं। इसकी सिफारिशों के अनुसार निष्कर्षण के लिए योजना तैयार की गई थी। लेकिन भारत सरकार के जल भूतल परिवहन मंत्रालय और वित्त मंत्रालय इसे मंजूरी नहीं दे रहे हैं और जिसके परिणामस्वरूप हल्दिया पत्तन और कलकत्ता पत्तन को बन्द किया जा रहा है।

मैं माननीय जल-भूतल परिवहन मंत्री और वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह नदी विनियामक उपायों को मंजूरी दे ताकि हल्दिया और कलकत्ता पत्तनों को पश्चिम बंगाल और पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र के हित में बचाया जा सके।

श्री के. मुरलीधरन (कालीकट): मैं उत्तरी केरल के हज तीर्थयात्रियों द्वारा झेली गई कठिनाइयों के संबंध में अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं। हज तीर्थयात्रियों में केरल से लगभग 75% हज यात्री उत्तरी केरल के होते हैं। इनकी उड़ानें मात्र कोचीन अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से ही संचालित की जाती हैं। इस कारण उत्तर केरल के हज यात्रियों को एक दिन पहले से यात्रा शुरू करनी पड़ती है।

कोचीन हवाई अड्डे का उद्घाटन दो वर्ष पहले ही किया गया था। इसमें आवास सुविधा नहीं है। अत: मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि कालीकट हवाई अड्डे को केरल से हज यात्रियों के लिए आरम्भ स्थान के रूप में घोषित करे और यह भी सुनिश्चित करे कि हवाई जहाज उपलब्ध हो ताकि वापसी उड़ान की अनिश्चितता से बचा जा सके। अगले महीने, रनवे विस्तार का कार्य पूरा हो जाएगा। अत: एयर इण्डिया कालीकट से जेद्दाह के लिए उड़ानें शुरू कर सकती है। इससे केरल के उत्तरी भाग के हज यात्रियों को बहुत सहायता मिलेगी।

श्री ई. अहमद : महोदय, श्री मुरलीधरन ने जो कुछ कहा उसके सम्बन्ध में, मैं माननीय अध्यक्ष महोदय और सभा के भी ध्यान में लाना चाहता हूं कि पिछली बार एयर इंडिया हाजियों को वापस नहीं ला सकी थी क्योंकि उसने केवल चैन्नई, मुम्बई और अन्य स्थानों पर ही यात्रियों को लाने का प्रबन्ध किया था। केरल, हैदराबाद और लखनऊ के हाजियों को इसके कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अत: इन सभी स्थानों पर भी प्रबन्ध किये जाने की मांग की गई जहां तक कालीकट हवाई अड्डे क्षेत्र का सम्बन्ध है, सब कुछ तैयार है। 8000 हाजियों में से 6000 हाजी केरल और कालीकट हवाई क्षेत्र के उत्तर भाग से हैं और उन्हें कोचीन जाना पड़ता है और वहां भी पर्याप्त प्रबन्ध नहीं किए गए हैं। हैदराबाद भी समस्या का एक अन्य मुद्दा है। हाजियों को अत्यंत कठिनाई हो रही है क्योंकि उन्हें या तो मुम्बई अथवा दिल्ली जाना पड़ता है। अत: मेरा अनुरोध है कि कालीकट और हैदराबाद दोनों स्थानों से हज तीर्थयात्रियों के लिए यह सेवा शुरू की जाए।

श्री रमेश चेन्नितला : महोदय, मैं भी स्वयं को श्री मुरलीधरन के विचारों के साथ सम्बद्ध करता हूं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, मैं स्वयं को श्री सुदीप बंद्योपाध्याय के विचारों के साथ सम्बद्ध करता हूं। मैं उस समय अनुपस्थित था।

[हिन्दी]

श्री हरीभाऊ शंकर महाले (मालेगांव): अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश में पवित्र गंगा बहती है। उसके किनारे पर इलाहाबाद शहर है। वहां कुम्भ मेले की तैयारी शुरू हो गई है। इस संबंध में केन्द्र सरकार ने ज्यादा से ज्यादा मदद की है। ऐसी स्थिति दक्षिण भारत में है। वहां गोदावरी नाम की नदी है। उसके तट पर नासिक और त्रयंबकेश्वर है। सन् 2003 में कुम्भ मेला होने वाला है। मेरी केन्द्र सरकार से विनती है कि वह सड़क, रेलवे और अन्य सुविधा के बारे में ज्यादा से ज्यादा मदद करे।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष जी, मैं भी अपने आप को इनके साथ एसोशिएट करता हूं।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

श्री टी. गोविन्दन (कासरगौड): *देर से दिये गये अवसर के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। केरल राज्य की आम जनता सार्वजनिक वितरण प्रणाली के चावल और गेहूं के मूल्यों में हाल में हुई वृद्धि से बेहाल है। यह सब इस सरकार की गलत और बिना सोची-समझी आयात नीतियों के कारण हुआ है जब पिछले वर्ष की तुलना में हमारे राज्य के कृषि उत्पादों जैसे रबड़ नारियल और सुपारी को आधे मूल्य ही प्राप्त हुए हैं। मेरे राज्य के किसानों को पैट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों की वृद्धि का भार भी सहना पड़ा है। केन्द्र सरकार द्वारा खाद्यान्नों के जारी मूल्यों में हाल की वृद्धि के परिणामस्वरूप बाजार मूल्य और सार्वजनिक वितरण प्रणाली मूल्य में समानता आई है। जब अच्छे किस्म के चावल और गेहूं खुले बाजार में उसी मूल्य पर उपलब्ध होते हैं तो कौन सार्वजनिक वितरण प्रणाली से उसे खरीदेगा। अत: अनाज को कम मात्रा में उठाया जा रहा है जिसके कारण गोदामों में अनाज का ढेर लग रहा है। मुझे तो सन्देह है कि व्यापारियों के साथ गुप्त सांठगांठ की गई है। मैं महसूस करता हूं कि केन्द्र सरकार का यह कर्तव्य होना चाहिए कि वह मूल्य में कमी करे और यह वस्तुओं के मूल्य से प्रकट होना चाहिए। अत: मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मार्फत वितरित की जाने वाली गेहूं और चावल के मूल्यों में कटौती करने पर विचार करे और खाद्य तेलों के आयात शुल्क में वृद्धि करे।*

अपराह्न 1.33 बजे

कार्य मंत्रणा समिति

पन्द्रहवां प्रतिवेदन

श्री माधवराव सिन्धिया (गुना): महोदय, मैं कार्य-मंत्रणा समिति का पन्द्रहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा भोजन के लिए अपराह्न 2.30 बजे तक स्थगित होती है।

अपराह्न 1.34 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.30 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

---

*मूलत: मलयालम में दिये गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

अपराह्न 2.34 बजे

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.34 बजे पुन: समवेत हुई।

[श्री पी.एच. पांडियन *पीठासीन* हुए]

सभापति महोदय : अब सभा ध्यानाकर्षण प्रस्तावों पर चर्चा करेगी।

अपराह्न 2.35 बजे

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

मारुति उद्योग लिमिटेड में श्रमिकों में असंतोष

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजबाद): महोदय, मैं भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में वक्तव्य दें:

> "मारुति उद्योग लिमिटेड में श्रमिकों में असंतोष से उत्पन्न स्थिति और इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम।"

[अनुवाद]

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री मनोहर जोशी): महोदय, मैं मारुति उद्योग लिमिटेड में श्रमिकों में असंतोष के सम्बन्ध में वक्तव्य देना चाहता हूं। मारुति उद्योग लिमिटेड भारत सरकार और जापान की सुजुकी मोटर निगम के बीच 50:50 का संयुक्त उद्यम है। श्रमिक असन्तोष 9 सितम्बर, 2000 को शुरू हुआ था यह मुख्य रूप से काम करने वालों को उत्पादकता से जुड़े लाभों के भुगतान के संबंध में मारुति उद्योग लिमिटेड और मारुति उद्योग कर्मचारी संघ के बीच मतभेद के कारण है। श्रमिकों की अन्य मांगों में वाहन भत्ते का संशोधन, पेंशन योजना पर आधारित कम्पनी का निर्माण, गैर-उत्पादन वाले क्षेत्रों में निगरानी स्तर के कर्मचारियों की पदोन्नति और कम्पनी में शिकायत निदान तंत्र स्थापित करना सम्मिलित है।

मारुति उद्योग लिमिटेड में '1995 प्रोत्साहन योजना' 1 अप्रैल, 1995 से 4 वर्षों की अवधि के लिए शुरू की गई थी। मा.उ.लि. प्रबन्धन कर्मचारी लागत पर नियंत्रण रखना चाहता था ताकि नई प्रोत्साहन योजना बनाते हुए प्रतिस्पर्द्धात्मक बाजार में मा.उ.लि. की प्रतिस्पर्द्धा बनाई रखी जाए। दूसरी ओर मा.उ.लि. कर्मचारी संघ

[श्री मनोहर जोशी]

प्रोत्साहन परिकलन के नए तरीके का विरोध कर रहे हैं। संघ प्रतिनिधियों और मा.उ.लि. प्रबन्धन की 23 सितम्बर, 2000 को बैठक हुई ताकि नयी प्रोत्साहन योजना के लिए प्रबन्धन के प्रस्ताव पर विचार किया जा सके। लेकिन किसी समझौते पर नहीं पहुंचा जा सका।

चूंकि मामले का हल नहीं किया जा सका और फैक्टरी में उत्पादन प्रभावित हो रहा था, प्रबन्धन ने 11 अक्तूबर, 2000 को नयी प्रोत्साहन योजना को अधिसूचित करने का निर्णय लिया ताकि कार्यकरण को सामान्य बनाया जा सके। प्रबन्धन ने फैक्टरी में 12 अक्तूबर, 2000 से श्रमिकों के जाने से पहले उनसे अच्छे व्यवहार का वायदा लिया। मा.उ.क. संघ ने भी सिविल कोर्ट से अच्छा व्यवहार का वायदा दिये जाने की मांग के विरुद्ध अन्तरिम निषेधाज्ञा लगाए जाने का अनुरोध किया लेकिन न्यायालय ने इस अनुरोध को खारिज कर दिया। मा.उ.लि. ने आन्दोलन शुरू होने से लेकर 44 कर्मचारियों और 21 प्रशिक्षुओं को नौकरी से निकाल दिया और उनकी सेवाएं समाप्त कर दी। अन्य 10 कर्मचारियों को निलम्बित कर दिया।

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल (पाटन): यह अत्यन्त आपत्तिजनक है। श्रमिकों से अच्छा व्यवहार करने का प्रमाणपत्र नहीं मांगा जा सकता।

सभापति महोदय : मंत्री जी वक्तव्य दे रहे हैं। पहले उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए।

...(व्यवधान)

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): प्रबन्धन श्रमिकों से अच्छे व्यवहार के प्रमाणपत्र की मांग किस प्रकार कर सकते हैं? *...(व्यवधान)*

प्रो. ए.के. प्रेमाजम (वडागरा): यह एक तरह की तानाशाही है।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): ऐसा पहली बार हुआ है।

सभापति महोदय : आप प्रक्रिया का अनुपालन करें।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : हम जानना चाहते हैं क्या मंत्री जी इससे सहमत हैं *...(व्यवधान)* आप क्या इसका समर्थन करते हैं?

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभापति महोदय, मजदूरों के प्रति सरकार की दमनकारी नीतियां हैं *...(व्यवधान)* वहां पर 83 लोगों को बर्खास्त कर दिया गया है। *...(व्यवधान)*

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): सभापति महोदय, वहां पर मजदूरों के हकों को नज़र-अंदाज किया जा रहा है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : वे वक्तव्य दे रहे हैं। कृपया आप पहले वक्तव्य सुनें। कृपया अंतिम दो पंक्तियां देखें।

...(व्यवधान)

श्री मनोहर जोशी : महोदय, मैं आप से सहमत नहीं हूं। मैं अपना वक्तव्य पूरा करना चाहता हूं। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय : डा. आर.पी. सिंह, आप मंत्री महोदय की बात पूरी सुनें।

श्री मनोहर जोशी : 17 और 18 अक्टूबर, 2000 को एम.यू.एल. के कार्मिकों की मृत्यु की दो दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुईं। एम.यू.ई.यू. ने आरोप लगाया था कि प्रबंधन के अत्यन्त कठोर रवैये के परिणामस्वरूप ये दो घटनाएं हुईं। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप पूरा वक्तव्य सुनें।

श्री मनोहर जोशी : मारूति उद्योग लिमिटेड के प्रबंधन ने दावा किया है कि उसका इससे कोई लेना-देना नहीं है *...(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, सुजुकी इस देश के कानून से ऊपर नहीं है *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय : यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है। जिन सदस्यों के नाम यहां शामिल हैं उनके सिवाय किसी सदस्य को बोलने की अनुमति नहीं दी गई है।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : किसी को अनुमति नहीं दी गई है।

...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): आपकी नीति क्या है? *...(व्यवधान)*

श्री मनोहर जोशी : आप नीति के बारे में नहीं सुन रहे हैं। आपको इतना शिष्टाचार भी नहीं है कि आप मेरी बात सुनें। नीति के बारे में वक्तव्य में स्पष्टीकरण दिया गया है। महोदय, मैं यह अपेक्षा करता हूं कि सदस्य सरकार की नीति शालीनता से सुनें। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय : डा. आर.पी. सिंह, कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री मनोहर जोशी : मुझे आशा है कि सदस्य उस वचनबंध के बारे में सरकार की नीति को सुनेंगे जिसकी मांग प्रबंधन कर रहा है। यदि आप इस बारे में नहीं सुन सकते हैं तो फिर मैं कैसे स्पष्ट करूं? *...(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन : सदाचरण वचन-बंध के बारे में आपका दृष्टिकोण क्या है? *...(व्यवधान)*

श्री मनोहर जोशी : यदि आप उचित ढंग से प्रश्न पूछें तो मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा न कि तब जब मैं वक्तव्य पढ़ रहा हूं। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मंत्री महोदय को अपना वक्तव्य पूरा करने दें।

...(व्यवधान)

श्री मनोहर जोशी : सभापति महोदय, मुझे यह कहते हुए खेद है कि यदि वे उचित ढंग से प्रश्न पूछें तो मैं उनका उत्तर दे सकूंगा। इस सर्वोच्च सभा में मैं ऐसी अपेक्षा नहीं करता हूं *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय : यह कोई प्रक्रिया नहीं है।

...(व्यवधान)

श्री मनोहर जोशी : एम.यू.एल. के प्रबंधन ने दावा किया है कि वह प्रबंधकों, पर्यवेक्षकों, प्रशिक्षुओं और कामगारों जिन्होंने सदाचरण वचनबंध पर हस्ताक्षर किए हैं, की सहायता से समान्य स्तर से उत्पादन को बढ़ाने में सक्षम हुए हैं। कंपनी में कुल 4515 यूनियन से जुड़े कर्मचारियों में से 1474, 27 नवम्बर, 2000 तक अपने काम पर वापिस आ गए हैं। प्रबंधन ने सूचित किया है कि अप्रैल से सितम्बर तक का प्रतिदिन का औसतन उत्पादन 1205 वाहन था जबकि नवम्बर, 2000 के दौरान 27 नवम्बर, 2000 तक एम.यू.एल. प्रतिदिन औसतन 1310 वाहनों का उत्पादन कर उत्पादन के उच्च स्तर को प्राप्त करने में सक्षम रहा है।

मैंने यूनियन के प्रतिनिधियों और प्रबंधन के साथ कई बैठकें की हैं। इस संबंध में माननीय सांसद भी मिल चुके हैं। हर स्तर पर मैंने अपना पूरा प्रयास किया है कि विवाद का समाधान निकाला जाए और कामगारों तथा प्रबंधन के बीच एक सौहार्दपूर्ण समझौता हो। यह महत्वपूर्ण है कि फैक्ट्री में अनुशासन बनाए रखा जाए और प्रतिस्पर्धा के इस कड़े दौर में विशेषकर जो आज बाजार में बना हुआ है, उद्यम की लाभदायकता (प्रोफिटेबिलिटी) को पंगु न बना दे। यदि ज्यादा भी न हो तो समानरूप से यह महत्वपूर्ण है कि कामगारों के अधिकारों की रक्षा की जाए और उन्हें किसी प्रकार का उत्पीड़न न झेलना पड़े। प्रबंधन ने कुछ सुरक्षात्मक उपायों की मांग की है ताकि संगठन में सद्भाव बनाया रखा जाए और कामगारों के खिलाफ की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई के संबंध में कानून अपना कार्य करेगा। प्रबंधन द्वारा अधिसूचित की गई प्रोत्साहन योजना को इस समय उत्पादकता के मानदंडों के अनुरूप पाया गया है और इसका विधिवत् पालन किया जाए। तथापि, प्रत्येक कामगार से सदाचरण वचनबंध (गुड कंडक्ट अंडरटेकिंग) लेने के संबंध में दबाव बनाना सरकार ने उपयुक्त नहीं समझा इस प्रकार का वचन सामूहिक करार (कलेक्टिव बारगेनिंग) करने की भावना के अनुकूल नहीं है। इसलिए, सरकार ने प्रस्ताव किया था कि यूनियन प्रबंधन को आश्वासन दे कि कर्मचारी कंपनी के वर्तमान स्थाई आदेशों का पालन करें। इससे यह होगा कि कामगार कंपनी के लागू नियमों और पद्धतियों के अनुरूप काम करने के लिए सहमत हो जाएंगें। इस प्रकार के आश्वासन के अतिरिक्त यूनियन से इस बात की सहमति के लिए अनुरोध किया गया था कि दुराचरण के कथित आरोप के लिए कामगारों के खिलाफ लंबित अनुशासनात्मक कार्रवाई उपयुक्त श्रमिक कानूनों के अनुसार की जाएगी और प्रबंधन द्वारा अधिसूचित की गई प्रोत्साहन योजना को स्वीकार किया जाएगा।

प्रबंधन इस बात के लिए सहमत हो गया है और प्रत्येक कर्मचारी से अच्छे आचरण की प्रतिबद्धता लेने संबंधी आग्रह को वापस लेने के लिये सहमत हो गया है। यूनियन के प्रत्युत्तर की प्रतीक्षा है। हमें आशा है कि कामगारों को उनकी प्रमुख मांग कि सदाचरण वचनबंध को वापस लिया जाए, संबंधी समझौते की यह शर्तें स्वीकार्य होंगी। इस बात पर अवश्य ध्यान दिया जाए कि समझौते का सार सामूहिक करार करने की भावना और कामगारों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना है।

सभापति महोदय : श्री रामजीलाल सुमन।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : उन्होंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना दी है। केवल उन्हीं माननीय सदस्यों को बोलने की अनुमति दी जाएगी जिन्होंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना दी है। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य : श्री सेल्वागनपति की अनुपस्थिति के कारण कृपया मुझे बोलने की अनुमति दें *...(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : अन्नाद्रमुक के सहयोगी दल का होने के कारण मुझे उनके स्थान पर बोलने का अधिकार है। क्या आप इस बात से सहमत हैं?

सभापति महोदय : कोई भी सदस्य किसी दूसरे के स्थान पर नहीं बोल सकता है।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री रामजीलाल सुमन बोलेंगे।

श्री वसुदेव आचार्य : जब आप पीठासीन हैं तो कृपया मुझे बोलने की अनुमति दें। चूंकि आपकी पार्टी का सदस्य अनुपस्थित है अत: मुझे बोलने की अनुमति दी जा सकती है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : आपकी पार्टी उनका सहयोगी दल नहीं है।

श्री वसुदेव आचार्य : वे मेरे अच्छे मित्र हैं।

श्री मनोहर जोशी : महोदय, मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है। मैं जानता हूं कि इस चर्चा को आरंभ करने वाले श्री टी.एम. सेल्वागनपति इस समय सभा में उपस्थित नहीं हैं। निश्चित रूप से दूसरे सदस्य बोल सकते हैं।

सभापति महोदय : इसीलिए मैंने श्री रामजी लाल सुमन को बोलने के लिए बुलाया है। नियम 197 में उपबंध है कि केवल वे ही सदस्य अनुपूरक प्रश्न पूछने के पात्र होंगे जिन्होंने सूचना दी है।

श्री वसुदेव आचार्य : अध्यक्षपीठ को मुझे बोलने की अनुमति देने का विवेकाधिकार है। महोदय, आप अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं।

सभापति महोदय : यह तब लागू होगा जब कोई सदस्य बोलने वाला नहीं होगा। किंतु इस समय तीन सदस्य बोलने वाले हैं। इसलिए, अभी श्री रामजीलाल सुमन बोलेंगे।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): सभापति महोदय, मारुति उद्योग लिमिटेड में पिछले 18 महीने से काफी असंतोष है। श्रमिकों का उत्पीड़न हो रहा है और अनुशासन के नाम पर उनका दमन किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि प्रबंधन तंत्र ने जो लिखकर दिया होगा, उसे माननीय जोशी ने पढ़ दिया होगा। मेरी जानकारी के अनुसार 4167 मजदूर अभी भी बाहर हैं। वे काम करना चाहते हैं लेकिन प्रबंधनतंत्र काम कराने के लिये तैयार नहीं है। मारुति उद्योग लिमिटेड एम्पलाइज यूनियन ही उक्त संस्थान की एकमात्र यूनियन है जिसने मैनेजमेंट से प्रार्थना की थी कि उनकी दो समस्यायें हैं जिसे हल करने के लिये मिल-बैठकर विचार कर लिया जाये। बुनियादी तौर पर उनकी दो समस्यायें हैं : उत्पादन में प्रोत्साहन योजना और पेंशन स्कीम। यूनियन द्वारा बार-बार अनुरोध करने के बावजूद जब उनकी बात नहीं सुनी गई तो 18 सितम्बर को यूनियन ने स्ट्राइक का नोटिस दिया। उसके तत्काल बाद उन लोगों ने क्रमिक अनशन शुरू कर दिया। 12 अक्तूबर को कारखाने का गेट बंद कर दिया गया और यूनियन के महामंत्री जो हड़ताल पर थे, उन्हें बिना किसी वारंट के गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गेट के पास एक तरफ यह हलफनामा चिपका दिया गया कि जो मजदूर अंडरटेकिंग देगा, उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा तभी वह अंदर जा सकेगा। 12 मजदूरों को निलम्बित किया गया और 70 मजदूरों का निष्कासन हुआ।

थोड़ा बहुत कानून के बारे में हम भी जानते हैं। यदि किसी को दंडित करना है तो उसे इतना मौका मिलना चाहिए कि उसका पक्ष भी आप सुन सकें। यह कर्मकारों से संबंधित स्थाई आदेश मारुति उद्योग लि. गुड़गांव का है। यह जो किताब हैं, इसमें जो नियमावली है, किसी मजदूर को हटाने के लिए 21.2, 21.3 और 21.4 इसमें प्रावधान है। खंड 21.1 के उपखंड 21.12 के अंतर्गत कोई आदेश तब तक जारी नहीं किया जा सकता जब तक संबंधित कर्मकारों को आरोपित कदाचारों के संबंध में लिखित सूचना नहीं दी जाती और उसके विरुद्ध आरोपित परिस्थितियों के संबंध में उसे स्पष्टीकरण देने का अवसर प्रदान नहीं कर दिया जाता। खंड 21.3, खंड 21.1 के उपखंड *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप प्रश्न पूछ सकते हैं।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : नियम 197(2) में उपबंध है:

"ऐसे वक्तव्य पर, जब वह दिया जाए, कोई वाद-विवाद नहीं होगा, परन्तु प्रत्येक सदस्य जिसके नाम में कार्य-सूची में मद दिखाई गई हो, अध्यक्ष की अनुमति से स्पष्टीकरण के लिए प्रश्न पूछ सकेगा और ऐसे सभी प्रश्नों के अन्त में मंत्री महोदय द्वारा उत्तर दिया जाएगा"

आप वाद-विवाद कर रहे हैं। आप मंत्री महोदय से प्रश्न पूछिए।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन : मैं उसी पर आ रहा हूं। मेरा कहने का मतलब है कि कर्मचारियों को बगैर कोई नोटिस दिये, बगैर उनका पक्ष जाने उन्हें दंडित कर दिया गया और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दो कर्मचारी श्री चंद्रभान और श्री राजेश की लाशें मारुति उद्योग लि. के परिसर में मिलीं, इन दोनों को मार दिया गया। वहां की यूनियन बराबर यह प्रयास करती रही, प्रार्थना करती रही कि अगर मैनेजमैंट यह कहता है कि हमारा दोष नहीं है तो पूरे मामले की सी.बी.आई. से जांच करा ली जाए। सभापति महोदय, मेरा आरोप है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर से मैनेजमैंट इसके लिए जिम्मेदार है। बुनियादी सवाल यह है कि छः फरवरी, 1998 को यूनियन और मैनेजमैंट के बीच एक समझौता हुआ था और यह एग्रीमैंट 31 मार्च, 2000 को समाप्त हो गया। नया एग्रीमैंट हो सकता है। श्रमिकों का जो पक्ष है, श्रमिकों की जो यूनियन है, वह चाहती है कि उनके साथ नया एग्रीमैंट हो। लेकिन मैनेजमैंट दूसरा एग्रीमैंट करने के लिए तैयार नहीं है। करोड़ों का नुकसान हो रहा है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मारुति उद्योग में कारों के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है, प्रति गाड़ी कम खर्चा आया है, उत्पादन में वृद्धि हुई है, मुनाफा हुआ है, क्या उस मुनाफे में श्रमिकों का हिस्सा नहीं हो सकता है। उन्हीं के खून-पसीने की कमाई से मारुति उद्योग लाभ कमा रहा है और जब वे यह मांग करते हैं कि इस मुनाफे में उनका भी आंशिक अंश होना चाहिए तो उनके साथ बदसलूकी करते हैं, मार-पिटाई करते हैं, उन्हें बिना कारण बताये आप प्रतिष्ठान से बाहर कर देते हैं। यह किसी भी तरह से न्यायसंगत नहीं है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आपको स्पष्टीकरण मांगने के लिए प्रश्न पूछना है। वाद-विवाद नहीं चल रहा है। अध्यक्षपीठ वाद-विवाद की अनुमति नहीं दे सकती है। आपने पहले ही पांच मिनट से अधिक समय ले लिया है।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): मेरी माननीय मंत्री जी से मांग है कि उत्पादन प्रोत्साहन योजना और पेंशन योजना का लाभ श्रमिकों को मिलना चाहिए और उसके लिए एक नया एग्रीमैंट होना चाहिए। जो एग्रीमैंट पहले था, उसकी अवधि समाप्त हो गई है। अब नया एग्रीमैंट हो। जिन लोगों की मृत्यु हो गई है। उनकी मृत्यु के बारे में सी.बी.आई. जांच हो तथा जो निष्कासित और निलम्बित श्रमिक हैं, उन्हें तत्काल काम पर वापिस लिया जाए और जो शपथपत्र गेट पर लगा दिया गया है, उसे वहां से हटा दिया जाए, अवैध तालाबंदी तत्काल समाप्त की जाए, यही मेरा निवेदन है।

डा. सुशील कुमार इन्दौरा (सिरसा): माननीय सभापति जी, जिस बात का डर था कि मल्टी नेशनल कम्पनीज भारत में आयेंगी और देश के मजदूरों के माध्यम से देश को गुलाम बनाने का काम करेगी, उसका पहला शिकार मारुति उद्योग के मजदूर हुए हैं। आज मारुति उद्योग में मैनेजमैंट और मजदूरों के बीच एक टकराव है और उस टकराव में मजदूरों ने मांग की है जिसके बारे में माननीय मंत्री जी ने बताया।

लेकिन उसमें दो मुख्य मांगों—जैसे प्रोत्साहन योजना का संशोधन और कंपनी धारा पेंशन योजना के निर्धारण के साथ-साथ सरकार ने यह प्रतिबंध लगाया कि अच्छे आचरण के प्रफॉर्मा पर साइन करके मजदूर फैक्ट्री में काम करने के लिए जा सकता है। इसी बीच में कुछ घटनाएँ हुईं जिसमें दो मजदूरों की जान चली गई। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो मजदूर मारे गए हैं, उसकी निष्पक्ष जांच क्या वह सी.बी.आई. से करवाएंगे?

सभापति जी, मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि 1.4.1995 को इन्होंने प्रोत्साहन योजना शुरू की थी, लेकिन विस्तार से इन्होंने नहीं बताया कि उसमें मजदूरों का क्या हिस्सा था। मजदूर ने अपनी मेहनत से, अपने खून-पसीने से न केवल मारुति उद्योग को, बल्कि देश को भी मजबूती दी अतः उसमें मजदूरों का भी हिस्सा बनता है। इस प्रोत्साहन योजना का कितना प्रतिशत पहले मजदूर को दिया जा रहा है और आगे सरकार की क्या योजना है कि वह मजदूर को कितना प्रतिशत हिस्सा देगी जिससे उत्पादन भी बढ़े और उसका फायदा न केवल देश को हो बल्कि मजदूरों को भी हो। मैं मंत्री जी से यह भी जानना चाहूंगा कि लोकतंत्र में मजदूरों का अधिकार होता है कि जब भी उस पर कोई मुसीबत आती है तो वह लोकतांत्रिक तरीके से, चाहे हड़ताल के माध्यम से या जलसा-जुलूस के माध्यम से अपनी बात सरकार तक पहुंचाए, मगर सरकार ने प्रतिबंध लगाकर उनके अधिकारों का हनन किया है। माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि वे गुड कंडक्ट अंडरटेकिंग पर

[डा. सुशील कुमार इन्दौरा]

जो कर्मचारियों के हस्ताक्षर लिये जा रहे हैं, उसको भी रोकने का काम करें। आप खुद जानते हैं कि मारुति उद्योग के बहुत से कर्मचारी यूनियन के लोग न केवल आपसे मिले हैं, पांडियन जी से मिले हैं। रामजीलाल जी से मिले हैं, बल्कि अनेक माननीय सदस्यों और प्रधान मंत्री जी से भी मिले हैं और उन्हें अपनी दुखदायी घटनाएं बताई हैं। उनकी मांगों पर गौर कर उन्हें न्याय दिलवाया जाए। उन्होंने लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात कहने की कोशिश की है, लेकिन यह आश्वासन भी मिलना चाहिए कि हड़ताल समाप्त करके मैनेजमैंट उनका विक्टिमाइजेशन तो नहीं करेगी।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): हरियाणा सरकार द्वारा लेबर कमिश्नर पर दबाव डालें, मगर हरियाणा सरकार दबाव नहीं डाल रही है। आप चौटाला जी को कहिये। ...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): वहां मजदूरों को जाने नहीं दे रहे हैं, काम नहीं करने दे रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि यदि माननीय सदस्य हरियाणा सरकार की सहायता कर सकते हैं और यदि हरियाणा सरकार श्रमिकों के मुद्दे पर मारुति उद्योग लिमिटेड के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए सक्रिय हो सकती है तो मंत्री महोदय को भी कार्यवाही करनी होगी किंतु हरियाणा में सत्तारूढ़ पार्टी और जिस पार्टी के माननीय सदस्य हैं दोनों ही राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में है और इसीलिए मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूं।

[हिन्दी]

डा. सुशील कुमार इन्दौरा (सिरसा): माननीय सभापति महोदय, यह केन्द्र सरकार से जुड़ी हुई बात है। यह हरियाणा सरकार से न जुड़कर केन्द्र से जुड़ी हुई बात है क्योंकि मारुति उद्योग में केन्द्र सरकार का 50 प्रतिशत हिस्सा है और जापान की सुजुकी कंपनी का 50 प्रतिशत हिस्सा है। इसलिए इस पर केन्द्र सरकार को ऐक्शन लेना है। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि मारुति उद्योग के उत्पादन पर इसका क्या असर पड़ा है।

अपराह्न 3.00 बजे

जैसे मंत्री जी ने बताया कि वाहन का औसतन उत्पादन बढ़ा है जबकि मेरे पास बिजनेस स्टैंडर्ड नामक अखबार की कटिंग है, उसमें लिखा है कि-

[अनुवाद]

> "मारुति-800 की बिक्री में गिरावट आई है। सितम्बर में 16223 कारों की बिक्री हुई थी जबकि अक्तूबर में 8775 कारों की बिक्री हुई है।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : 20 हजार करोड़ रुपए का घाटा है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : डा. रघुवंश प्रसाद सिंह आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। आप बैठकर बातें कर रहे हैं। यह संसद है।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : यदि आपने सूचना दी होती तो मैं आपको बोलने की अनुमति दे देता।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. सुशील कुमार इंदौरा (सिरसा): मेरा कहना है कि जो बिक्री का मामला है, वह उत्पाद पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है। अगर उत्पाद बढ़ेगा तो बिक्री भी बढ़ेगी। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यदि वाकई ही उत्पाद बढ़ा है तो बिक्री क्यों घटी है?

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आपको केवल प्रश्न पूछना है।

[हिन्दी]

डा. सुशील कुमार इन्दौरा : मैं भाषण न देकर सवाल ही पूछ रहा हूं। माननीय मंत्री जी ने अभी कहा कि जो निलंबित किये गये थे, उनमें से 44 कामगारों और 21 प्रशिक्षिओं की सेवाएं हैं जबकि मेरी जानकारी के हिसाब से 88 वर्कर्स को डिसमिस और 15 वर्कर्स को सस्पैंड किया गया है। क्या यह सही जानकारी है या मेरे पास जो जानकारी है, वह सही है? डिसइन्वेस्टमैंट पर भी चर्चा चल रही थी। ...*(व्यवधान)* यह कहा जाता है कि देश बिक रहा है, डिसइन्वेस्टमैंट हो रहा है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार मारुति उद्योग में भी डिसइन्वेस्टमैंट लाकर इसको बरबाद करने पर तुली है?

मैं सरकार से यह भी जानना चाहता हूं कि क्या सरकार जल्दी से इस मामले में हस्तक्षेप करके उन गरीब मजदूरों के हित की कोई बात करने जा रही है या नहीं? इसके साथ-साथ आयात का जो प्रॉफिट है, वह अधिकारीगण को ज्यादा मिलता है या मजदूरों को, क्योंकि मजदूरों को तन्ख्वाह का एवरेज 7,500 रुपये है। मैंने यह सुना है कि अधिकारीगण दो से तीन लाख रुपये का मुनाफा कमा रहे हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उन मजदूरों के खून-पसीने का पैसा उनको मिल रहा है या नहीं?

[अनुवाद]

श्री अजय चक्रवर्ती (बसीरहाट): सभापति महोदय, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मैंने इस मुद्दे की ओर माननीय मंत्री का ध्यान आकर्षित किया और माननीय मंत्री ने इस संबंध में वक्तव्य दिया। मैं कहना चाहता हूं कि यह तथ्यों के विपरीत है। मारुति उद्योग लिमिटेड में विवाद मजदूर में असंतोष के कारण नहीं पैदा हुआ अपितु यह प्रबंधन के असंवैधानिक, अनैतिक, गैर-कानूनी और कठोर रवैये का कारण उत्पन्न हुआ है। प्रबंधन देश के कानूनों का सम्मान नहीं करता है। प्रबंधन ने श्रमिक कानूनों को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है। फिर भी वह मारुति उद्योग लिमिटेड के एकमात्र मान्यताप्राप्त श्रमिक संघ से द्विपक्षीय वार्ता करने के लिए सहमत नहीं है।

यही नहीं, कामगारों को कारखाने में प्रवेश करने नहीं दिया जा रहा है। कारखाने में प्रवेश से पूर्व उन्हें सदाचरण प्रमाणपत्र देने के लिए कहा जा रहा है। यह सदाचरण प्रमाणपत्र उसी प्रमाणपत्र की तरह है जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107 के अधीन दिया जाता है। क्या वे बंधुआ मजदूर हैं? वे कारखाने में आने से पहले सदाचरण का प्रमाणपत्र क्यों दे? यही नहीं, प्रबंधकों ने 83 श्रमिकों को भी बर्खास्त कर दिया। प्रबंधकों ने 70 से अधिक श्रमिकों को निलंबित कर दिया। मारुति उद्योग लि. के प्रबंध मण्डल द्वारा की गई कार्यवाही मानवता और संविधान के विरुद्ध है। यह भारतीय संविधान द्वारा देश के नागरिकों को प्रदत्त अधिकारों का उल्लंघन है।

प्रबंध मंडल ने संविधि में दी गई मजदूर संघ की शांतिपूर्ण गतिविधियों को भी करने से रोका। यही नहीं प्रबंध मण्डल ने प्रतिदिन समाचार पत्रों में यह गलत प्रचार किया कि उनका उत्पादन दिन-प्रतिदिन गिर रहा है और उन्हें 300 करोड़ रु. की हानि हुई है।

सभापति महोदय : आपका प्रश्न क्या है? वाद-विवाद नहीं हो रहा है। कृपया आप अपना प्रश्न पूछिए।

श्री अजय चक्रवर्ती : महोदय, मैं अपना प्रश्न पूछ रहा हूं। उन्होंने हरियाणा पुलिस की सहायता से मजदूर संघ के अध्यक्ष और सचिव को उस समय गिरफ्तार कर लिया जब वे भूख हड़ताल पर थे।

मैं माननीय मंत्री महोदय से विशेष रूप से यह पूछना चाहता हूं कि विभिन्न राजनैतिक दलों के सांसदों द्वारा माननीय प्रधान मंत्री को दिए गए संयुक्त ज्ञापन को देखते हुए क्या सरकार मारुति उद्योग लि. में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए उचित कदम उठाएगी? क्या सरकार प्रबंध मण्डल को यह आदेश देगी कि वह प्रत्येक मजदूर के सदाचरण के लिए मांगे गए सदाचरण वचनबंध आदेश को वापिस ले ले? क्या सरकार मारुति उद्योग लि. के प्रबंध मण्डल को यह आदेश देने के लिए तैयार है कि वह मजदूरों की बर्खास्तगी और उनके निलंबन के आदेश तुरंत वापिस ले ले? क्या सरकार योग्य सांविधिक निकायों को लंबित मामलों पर कार्यवाही करने का आदेश देने के लिए तैयार है? क्या सरकार कारखाने की चारदीवारी के भीतर कार्यरत मजदूरों की मृत्यु की निष्पक्ष जांच प्रारंभ करने के लिए तैयार है? अंत में, क्या सरकार यह भूल गई है कि सरकार के पास मारुति उद्योग लि. के 50 प्रतिशत शेयर हैं और वह कंपनी की मालिक है। क्या सरकार ने सुजुकी कंपनी को अपना स्वामित्व अधिकार बेचकर उनके समक्ष आत्मसमर्पण का निर्णय कर लिया है?

मैं माननीय मंत्री जी से खासतौर पर यही पूछना चाहता हूं।

[हिन्दी]

श्री नवल किशोर राय (सीतामढ़ी): माननीय सभापति महोदय, अभी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर मारुति उद्योग के मजदूरों के असंतोष पर माननीय मंत्री जी ने वक्तव्य दिया है, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यह वक्तव्य देखने से लगता है कि यह मारुति उद्योग प्रबन्धन द्वारा बनाया गया वक्तव्य है। इसमें इन्होंने जो बताया है कि मारुति उद्योग में वाहनों का उत्पादन बढ़ा है, यह बिल्कुल सत्य से परे है। मारुति उद्योग के मैनेजमेंट ने पूर्व नियोजित तरीके से इस मामले को खड़ा किया, जिसके कारण से पहले से 25,000 गाड़ियां बनाकर स्टोर करके रखी गईं और उनको अब निकालकर एक फर्जी फीगर देकर उसके उत्पादन को बढ़ाने की बात कही जा रही है, जबकि 4700 मजदूरों में से 4100 मजदूर फैक्टरी से बाहर हैं। यहां माननीय सदस्यों की तरफ से जो चर्चा हो रही है कि इस मामले को जिस तरह से पेश किया जा रहा है कि यह मजदूरों का आन्दोलन है। मैं इससे इन्कार करता हूं। यह मजदूरों का आन्दोलन नहीं है। मजदूरों को तो भीतर जाने से रोका गया है। मैं आपके सामने एक फोटोग्राफ प्रदर्शित करना चाहता हूं। गेट पर पुलिस लगाकर, गुड कंडक्ट अंडरटेकिंग का बोर्ड लगाकर मजदूरों को रोका गया कि इस पर जो हस्ताक्षर करेंगे वही अंदर जाएंगे। हमने ऐसा कोई

[श्री नवल किशोर राय]

आंदोलन नहीं देखा, जिसमें इस तरह मजदूरों को रोका गया हो, जबकि यहां तो आंदोलन ही नहीं हुआ। कहा जा रहा है कि मजदूर आंदोलन पर हैं, मैं इससे सहमत नहीं हूं। मजदूरों को पुलिस लगाकर रोका गया।

* आपने कहा है कि गुड कंडस्ट अंडरटेकिंग वापस लेने के बारे में सरकार ने कहा है। जब गुड कंडस्ट अंडरटेकिंग का बोर्ड लगाकर मजदूरों को प्रवेश करने से रोका गया, उसके बाद मजदूरों ने सभा की और सरकार के पास फरियाद पहुंचाने का प्रयास किया। इसके बाद 70 लोगों को निष्कासित कर दिया गया और 15 को निलम्बित किया गया। जो 15 साल से, 30 साल से काम कर रहे हैं, उनको गुड कंडक्ट का बोर्ड लगाकर काम करने से रोका गया। जो कर्मचारी इस काले कानून को मानने को तैयार नहीं हुए, उनको निकालने की कार्रवाई की गई। मंत्री महोदय बयान दे रहे हैं कि श्रम कानून के अधीन कार्रवाई की जाएगी। मारुति उद्योग प्रबंधन ने ऐसी स्थिति पैदा की। उसने नया काला कानून टांग दिया, मजदूरों को अंदर नहीं जाने दिया और इसके तहत कार्रवाई की गई। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार प्रबंधन को यह आदेश देगी कि बिना शर्त निलम्बन और निष्कासन की तिथि से सभी कर्मचारियों को सम्मान के साथ सेवा में वापस लिया जाए? मारुति उद्योग में प्रति वर्ष मजदूरों की मेहनत से आय बढ़ती जा रही है। पिछले वित्तीय वर्ष में 300 करोड़ रुपए मजदूरों के पसीने से अर्जित किए गए। 1995 में जो प्रोत्साहन योजना लागू की गई, जो इंसेंटिव दिया गया, पेंशन के बारे में निर्णय लिया गया, उस एग्रीमेंट की अवधि समाप्त हो गई इसलिए इस अवधि में जो मुनाफा बढ़ा, उसी रेशो से मजदूरों के लिए क्या सरकार प्रोत्साहन योजना लागू करना चाहती है या नहीं? पेंशन के बारे में आदेश देना चाहती है या नहीं? चन्द्रभान और राजेश ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री नवल किशोर राय : मैं आधा मिनट और लूंगा। जिन कर्मचारियों की रहस्यमय मौत हुई क्या उनके परिवार वालों को मुआवजा दिया जाएगा या नहीं? सभापति महोदय, इस मामले को गम्भीरता से लिया जाए और जल्द से जल्द इसको हल किया जाए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब, माननीय मंत्री महोदय उत्तर देंगे।

...*(व्यवधान)*

श्री राजीव प्रताप रूडी (छपरा): महोदय, मैंने एक सूचना दी है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री रूडी, आपकी सूचना पर अध्यक्ष महोदय ने अनुमति नहीं दी।

श्री राजीव प्रताप रूडी : महोदय, मैं अपनी बात कहना चाहता हूं ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : जी नहीं। आपकी सूचना को अध्यक्ष महोदय ने खारिज कर दिया है।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप सभी वरिष्ठ सदस्य हैं। इस पुस्तक में आप मुझे उपबंध दिखाइए - नियम 197 - जिसके अंतर्गत मैं आपको अनुमति दे सकता हूं।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रियंरजन दासमुंशी : महोदय, मैं आपसे आपके विवेकाधिकार का उपयोग करने का अनुरोध कर रहा हूं। एक बड़े उपक्रम और सार्वजनिक हित से जुड़ा यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। मंत्री महोदय स्पष्ट करें कि इस इकाई को बनाए रखने या इसके संबंध में विनिवेश पर सरकार की नीति क्या है? निष्कासित कर्मचारियों की बहाली के संबंध में सरकार की क्या नीति है? ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : चूंकि मैं पीठासीन हूं अत: मैं कुछ नहीं कह सकता। संभवत: मंत्री महोदय को मेरा अभिवेदन याद होगा।

श्री बसुदेव आचार्य : माननीय सभापति महोदय, मंत्री जी के उत्तर देने के बाद कृपया मुझे उनसे एक प्रश्न पूछने की अनुमति दें ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राजीव प्रताप रूडी : 2 लाख 747 हजार करोड़ रुपए लोक उपक्रमों में लगाए गए ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

सभापति महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में यह सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आपको नियम 197 का पालन करना चाहिए। यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है। श्री राजीव प्रताप रूडी, आप कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : नहीं, यह कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

सभापति महोदय : श्री रामदास आठवले, यह कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

सभापति महोदय : स्वयं अध्यक्ष महोदय ने आपको अनुमति नहीं दी है। आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : यह सही नहीं है। यह गलत है। अध्यक्षपीठ के विनिर्णय का आपको आदर करना चाहिए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : अध्यक्षपीठ के विनिर्णय का आप आदर करें।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : अब मुझे कार्यवाही करनी पड़ेगी। कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय : श्री राजीव प्रताप रूडी, आप मुझे कार्यवाही करने के लिए मजबूर कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री राजीव प्रताप रूडी, अपना स्थान ग्रहण कीजिए। एक सदस्य से ऐसी अपेक्षा नहीं की जा सकती है। मैं आपके विरुद्ध कार्यवाही करूंगा। मुझे कार्यवाही करनी पड़ेगी।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : मंत्री महोदय, आप अपने पक्ष पर नियंत्रण रखें। आपको नियंत्रण रखना चाहिए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : यह सही नहीं है।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री राजीव प्रताप रूडी, कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

सभापति महोदय : यह ठीक नहीं है।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : सत्तारूढ़ दल उन पर नियंत्रण क्यों नहीं रख रहे हैं?

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप उन पर नियंत्रण क्यों नहीं रखते?

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप उन पर नियंत्रण क्यों नहीं रख रहे हैं। श्री राजीव प्रताप रूडी, यह ठीक नहीं है।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री राजीव प्रताप रूडी, कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय : आप मुझे कार्यवाही करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। आप बैठ नहीं रहे हैं। मुझे कार्यवाही करनी पड़ेगी। मैं कार्यवाही करूंगा। मुझे आपको बाहर जाने के लिए कहना पड़ेगा। श्री रामदास आठवले जी मुझे आपको बाहर जाने के लिए कहना पड़ेगा। मैं आपको बाहर जाने के लिए कहूंगा।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : नहीं, बात पूरी हो गयी है। आप व्यवस्था का पालन करें। आप नियमों का पालन करें। मैं कार्यवाही करूंगा।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप पहले ही अपनी बात कह चुके हैं।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : नहीं, अब माननीय मंत्री अपना भाषण आरम्भ कर सकते हैं।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : मंत्री जी के भाषण के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

सभापति महोदय : श्री नवल किशोर राय, मुझे आपको बाहर जाने के लिए कहना पड़ेगा।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री नवल किशोर राय, मुझे आपको बाहर जाने के लिए कहना पड़ेगा।

श्री मनोहर जोशी : मैं उन सभी सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने वाद-विवाद में भाग लिया है। इतने महत्वपूर्ण पहलू को इस सम्मानित सभा के समक्ष लाने के लिए मैं उनका आभारी हूं। मुझे खुशी है कि मामले पर चर्चा की गई क्योंकि मारुति उद्योग लि. से संबंधित सभी लोगों के हित में यह चर्चा की जानी आवश्यक थी। मैं श्री बसुदेव आचार्य की इस बात से सहमत हूं कि यह राष्ट्र के भी हित में है और इस सभा में मामले पर चर्चा की जानी चाहिए। इसलिए, मैं संपूर्ण सभा से अनुरोध करूंगा कि आज जो मैं मुद्दा उठाऊंगा वे ऐसी कंपनियों के प्रबंध मण्डल के दृष्टिकोण से और मजदूर संघों के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। आज देश इस बड़ी ही विचित्र स्थिति का सामना कर रहा है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि अभी हर जगह मंदी का दौर है और बेरोजगारी की समस्या भी आज व्यापक स्तर पर मौजूद है।

मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति, आपने नोटिस दिया है। यह क्या है? आपको नियमों का पालन करना चाहिए।

श्री मनोहर जोशी : यह देखना हम सभी की जिम्मेदारी है कि जो कंपनियां चल रही हैं, वे चलती रहें। मुझे विश्वास है कि जो देश का कल्याण चाहता है, वह निश्चित रूप से मेरे विचारों से सहमत होगा कि हमें सबसे पहले देश-हित को रखना चाहिए। और इसीलिए, जिन राजनीतिक दलों और यूनियनों के लिए हम काम करते हैं, उनमें रुचि रखते हुए, इस बात का ध्यान रखना भी आवश्यक है कि विभिन्न कंपनियों की इकाइयां बंद न हो। और, इसीलिए संबद्ध मंत्री होने के नाते, मैं लगभग पिछले तीन-माह से प्रबन्धन और यूनियनों के बीच समझौता करने का गंभीर प्रयास कर रहा हूं। यह एक अजीब मामला है। मुझे यह बताते हुए खुशी है कि इस कंपनी का प्रबंधन तो अच्छा है ही, साथ ही कामगार भी अच्छे हैं *...(व्यवधान)* नि:संदेह, जब मैं कामगारों की बात करता हूं तो मेरा तात्पर्य उनके नेताओं से भी होता है।

किसी कंपनी की समृद्धि एक ही बात पर निर्भर नहीं करती है। किसी कंपनी की समृद्धि के अनेक कारण होते हैं और हमें मारुति उद्योग लिमिटेड जैसी कंपनी पर गर्व होना चाहिए। इस कंपनी ने अपनी स्थापना से ही अत्यधिक प्रगति की है। शायद कोई ही इस कंपनी को इस वजह से इसका श्रेय न देना चाहे कि पहले लाइसेंसिंग प्रणाली थी। 1991-92 के पश्चात् कुछ वर्षों के दौरान प्रतिस्पर्धा के दौर में भी जब अन्य कंपनियों को हानि हुई इस कंपनी ने अपनी प्रमुखता बनाए रखी। अन्य कंपनियों के मामले में मैंने देखा है कि आरंभ में जिन कंपनियों ने अपने आप शुरूआत की थी बाद में धीरे-धीरे अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने उन्हें अधिग्रहीत कर लिया। आज ऑटोमोबाइल क्षेत्र की स्थिति खराब है और हम देखते हैं कि यदि किसी कंपनी के 50% शेयर सरकार के पास होते हैं तो हम कहते हैं कि ये भारतीयों के पास है, इस मामले पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए।

ऐसा नहीं है कि मैं प्रबंधन अथवा यूनियन का पक्ष ले रहा हूं। परंतु यदि मैं कुछ आंकड़े आपके सम्मुख रखूं तो आपको उन पर सही भावना से विचार करना चाहिए। मैं सभा में उठाये गए सभी मुद्दों पर चर्चा करूंगा और यदि समय रहा तो सभी उठाये

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

गए प्रश्नों पर भी चर्चा करूंगा। परंतु मैं यह कहना चाहता हूं और यह समझने की बात है कि प्रोत्साहन देना अपने आप में मोल-भाव करने की बात नहीं है। प्रोत्साहन किसी कंपनी द्वारा दिया गया प्रस्ताव है। यह कोई सौदेबाजी अथवा विवाद का प्रश्न नहीं है। प्रोत्साहन का निर्णय स्वयं प्रबंध द्वारा किया जाता है, जिस पर यूनियनों की सहमति भी होती है। इसे अधिकार नहीं माना जाता। महंगाई भत्ता, वेतन अथवा मूल वेतन जैसी कुछ अन्य बातें भी हैं। ये श्रमिकों के अधिकार होते हैं, जिनके लिए वे लड़ते हैं। पेंशन इत्यादि कुछ अन्य मुद्दे भी हो सकते हैं। ये मुद्दे भी इस सभा में उठाये हैं। परंतु श्रमिकों ने उन्हें कभी मेरे सामने नहीं रखा।

दो मुद्दे, जिनके बारे में श्रमिक शुरू से ही संवेदनशील थे, उनमें एक प्रोत्साहन के बारे में था और दूसरा अच्छे आचरण परिवचन के बारे में जिसे यहां सांसदों ने बड़े जोरदार ढंग से उठाया ...*(व्यवधान)* नि:संदेह मैं उत्पीड़न के मुद्दे पर भी विचार करूंगा, जिसे सभा में भी उठाया गया है और मेरे वक्तव्य में भी उसका जवाब दिया गया है। नि:संदेह, मैं उसका भी उल्लेख करूंगा ...*(व्यवधान)*

अत:, यह एक ऐसा मामला है जिसमें दोनों पक्ष ही अच्छे हैं। हड़ताल चलती रही और कभी-कभी मुझे स्वयं यह लगता है कि इस विशेष हड़ताल के अन्य बाह्य कारण जानने के लिए इसकी तह तक जाने की आवश्यकता है, जो मैं अभी तक नहीं कर पाया हूं।

परंतु इसका स्पष्ट कारण यह है कि कोई हड़ताल नहीं है। अपितु लोग इसे हड़ताल मान रहे हैं ...*(व्यवधान)* परंतु मैंने कहा है कि यह हड़ताल नहीं है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अजय चक्रवर्ती जी, आप मेरी अनुमति के बिना नहीं उठ सकते।

...*(व्यवधान)*

श्री मनोहर जोशी : पहले मैं प्रोत्साहन मुद्दे का उल्लेख करता हूं। यह मामला 1988 में शुरू हुआ था। चार वर्षों के लिए समझौता किया गया था। पहली बार समझौता किया गया था। दूसरी बार समझौता नहीं हो सका। अत:, चार वर्षों के बाद प्रबन्धन ने एक घोषणा की और कामगारों ने प्रोत्साहन स्वीकार कर लिया। इसलिए, इस बार भी ऐसा किया गया। प्रोत्साहन की घोषणा की गई परंतु उसे कामगारों ने स्वीकार नहीं किया। यह जानना महत्वपूर्ण है कि प्रोत्साहन क्या है और इसके क्या परिणाम होते हैं। मैं इस सम्माननीय सभा में प्रोत्साहन की तुलना यूनियन प्रस्ताव और प्रबन्धन प्रस्ताव, प्रति-माह प्रति श्रमिक इस प्रोत्साहन की कंपनी लागत रखना चाहता हूं। यह आंकड़ा वास्तव में रुचिकर है। यदि सभी कामगारों को आज की तारीख में वह राशि मिल जाये, तो मुझे इसकी खुशी होगी।

महोदय, 1999-2000 में यूनियन का प्रस्ताव 25,636 रुपये का था और प्रबन्धन का प्रस्ताव 23,008 रुपये का था। 2000-2001 में प्रबन्धन का प्रस्ताव लगभग 25,800 का था और यूनियन का प्रस्ताव 30,000 का था। इसी प्रकार से, 2001-2002 में प्रबन्धन का प्रस्ताव 29,743 रुपये का होगा तथा यूनियन की ओर से 37000 का होगा। वर्ष 2002-2003 में यह प्रस्ताव 33767 रुपये होगा जबकि यूनियन का आग्रह 42,559 रुपये होगा। वर्तमान परिस्थितियों में भी, वर्ष 2000 के दौरान प्रबन्धन प्रोत्साहन देने के लिए तैयार है। परंतु कामगार 42,000 की मांग कर रहे हैं। क्या मैं एक सरल सा प्रश्न पूछ सकता हूं, जिसका उत्तर यहां मेरे सभी विद्वान मित्र दे सकते हैं? मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या तीन-चार वर्षों के पश्चात् इतनी बड़ी धनराशि देना संभव है? कंपनी ने स्वयं यह विचार किया कि यह निर्णय आज नहीं किया जाना चाहिए।

महोदय, हम जानते हैं कि विभिन्न राज्यों की विभिन्न सरकारों के मामले में क्या हुआ। बिना सोचे-समझे इतना अधिक वेतन दे दिया गया क्योंकि इन सरकारों के पास प्रबंधन नाम की चीज नहीं थी और अब लगभग वे सभी राज्य वित्तीय समस्याओं का सामना कर रहे हैं। कुछ राज्य तो कामगारों का वेतन भी देने की स्थिति में नहीं हैं। क्या आप चाहते हैं कि यह स्थिति मारुति उद्योग लि. में भी हो? ...*(व्यवधान)* श्री राजीव प्रताप रूडी, मुझे खेद है। मैं किसी का भी पक्ष नहीं ले रहा हूं। मैं मात्र तथ्य दे रहा हूं। आखिरी फैसला उन्हें करने दीजिए।

तथापि, कुछेक बातों के संबंध में मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं भी श्रमिकों के हक में हूं। हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या विशेष वेतन देना संभव है। जब इस कंपनी की स्थापना की गई, उस समय के लाभ संबंधी आंकड़े मैं आपको बताना चाहता हूं, दस वर्षों के उपरांत लाभ क्या था? आज लाभार्जन कितना है; और पांच वर्षों के उपरांत यह लाभ कितना होगा। सभी को कंपनी को अपनी कंपनी मानना चाहिए। कोई यह नहीं कह सकता कि इस प्रकार कंपनी चलाना सरकार की सिरदर्दी है। यह सरकार आज इस दल की सरकार हो सकती है परंतु सरकारें बदलती रहती हैं। हमने पहले भी यह देखा है। अत: हमें यह महसूस करना चाहिए कि यह कंपनी हमारी है और यदि कंपनी आपकी होगी तो क्या आपका व्यवहार ऐसा ही होगा? यदि आप इसी प्रकार व्यवहार करेंगे तो यह कंपनी भी अन्य राज्यों की कंपनी की तरह होगी जो भुगतान करने में भी असमर्थ होगी। अत: मैं सभी सदस्यों को अन्य कंपनियां जो वेतन देती है, उसके बारे में बताने के लिए तैयार हूं जिसके बारे में श्री राजीव प्रताप रूडी ने बोला है और इसे रिकार्ड में शामिल नहीं किया गया है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री रूडी, आप जवाब नहीं दे सकते। उनका भाषण कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया है।

श्री मनोहर जोशी : मैं यहां उनको जवाब नहीं दे रहा हूं ...*(व्यवधान)* श्री राजीव प्रताप रूडी, आपको इसकी चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है। आंकड़े वास्तव में चौंकाने वाले हैं। वर्तमान स्थिति यह है कि कोई भी अन्य कम्पनी मारुति उद्योग लि. की तुलना में 50% भी वेतन नहीं दे रही है।

इसी से यह सारी गड़बड़ी को शुरूआत होती है। मैं यह कहना चाहता हूं कि केवल मैं ही नहीं अपितु सरकार भी श्रमिकों के पक्ष में है। परन्तु यदि श्रमिकों को 15000 रुपये वेतन मिलता है और प्रोत्साहन हित यह राशि 23,000 हो जाती है, मैं औसत बता रहा हूं आप समझ लीजिए, कई बार यह इससे अधिक भी हो सकती है, कभी उससे थोड़ी कम और एक आम कामगार को जो सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए, उन्हें वे सभी प्राप्त हैं ...*(व्यवधान)*

मैंने आपकी बात को संतोषजनक ढंग से सुना है। मैंने किसी सदस्य के भाषण में कभी व्यवधान नहीं डाला। मेरा अनुरोध है कि कृपया मेरी बात भी सुनें। महोदय, इसीलिए श्रमिकों से मेरी बातचीत हुई है। श्रमिकों के साथ मेरी बातचीत प्रबन्धन की तुलना में कई बार हुई है। यदि आप जानना चाहते हैं तो मैं उनके साथ हुई बैठकों का रिकार्ड आपको बता सकता हूं। मैंने प्रबन्धन के साथ दो बार बातचीत की है परंतु श्रमिकों के प्रतिनिधियों के साथ मैंने दस बार बातचीत की है। अत:, ऐसा नहीं है कि मैं उनकी भावनाओं को समझने में असफल रहा हूं। मैंने उनके साथ बातचीत की थी क्योंकि वे प्रबन्धन का नहीं बल्कि समाज का एक बड़ा भाग हैं। यदि आप यह समझते हैं कि यह सरकार प्रबन्धन का साथ देना चाहती है, तो दुर्भाग्यवश यह अच्छी धारणा नहीं है। मैंने श्रमिकों के साथ दस बार बातचीत की है और अंतत: उन्होंने यह बताया है कि प्रोत्साहन का मुद्दा इतना अधिक महत्वपूर्ण नहीं है।

मैं इस बात पर विस्तार से चर्चा नहीं करना चाहता कि कितने श्रमिक काम पर गए और कितने श्रमिक काम पर नहीं गये। मैं यह कह सकता हूं कि मेरे आंकड़े हमेशा प्रामाणिक नहीं होते, परंतु आंकड़े लगभग वही हो सकते हैं क्योंकि मुझे दोनों ओर से आंकड़े प्राप्त हुए हैं और मैंने पाया है कि आंकड़े लगभग एक जैसे हैं। आंकड़े महत्वपूर्ण नहीं हैं, उसमें जो सिद्धांत की बात है, वह महत्वपूर्ण है, अर्थात् क्या आप उतना वेतन दे सकते हैं जितने की मांग की गई है। मैं व्यक्तिगत रूप से यह महसूस करता हूं कि वास्तव में किसी सरकार अथवा किसी कंपनी के लिए वेतन बढ़ाना संभव नहीं है।

मैं समझता हूं कि यह औद्योगिक असंतोष अचानक शुरू नहीं हुआ है। यह योजना 31.3.1999 को अधिसूचित की गई। दिसंबर, 1999 में नयी योजना बनाने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। यूनियन और प्रबन्धन के बीच 2 अगस्त, 2000 और 7 सितम्बर, 2000 के मध्य कई बैठकें हुईं। यूनियन की प्रस्ताव पर सहमति नहीं थी। उसका भी मैंने बुरा नहीं माना। 11.9.2000 को श्रमिकों ने काले बिल्ले लगाकर आन्दोलन किया, गेट पर बैठकें आयोजित की और धीरे काम करो की नीति अपनाकर 3 अक्तूबर, 2000 से वे धीरे काम करने के साथ औजार बंद हड़ताल पर चले गये। फैक्टरी परिसर में औजार बंद हड़ताल, धीरे काम हड़ताल, नारेबाजी, जलूस आदि के कारण उत्पादन में 5,500 से अधिक वाहनों का घाटा हुआ। मैंने हमेशा इस बात को समझा है क्योंकि यह कर्मचारियों का अधिकार है। दिनांक 18.9.2000 को क्रमिक भूख हड़ताल हुई और 11.9.2000 से 22.9.2000 तक ठेका मजदूरों को फैक्टरी में जाने नहीं दिया गया। इस प्रकार, ये सब घटनाएं घटी। अत:, प्रबंधन ने अंतत: कामगारों से सदाचरण प्रमाणपत्र मांगा।

प्रश्न यह है कि क्या यह प्रमाणपत्र पहले कभी मांगा गया है। किसी ने यहां कहा कि यह कभी नहीं मांगा गया। ऐसा नहीं है कि यह कभी नहीं मांगा गया है बल्कि मैं यह समझता हूं कि सामान्यत: ऐसी कोई पद्धति नहीं रही है। यदि कोई कहता है कि यह कभी नहीं मांगा गया तो मुझे इस सभा को बताना होगा कि यह मांगा ही नहीं गया वरन् अन्य कम्पनियों में ऐसे वचनबंध दिए जा चुके हैं।

श्री वसुदेव आचार्य : व्यक्तिगत रूप से नहीं।

श्री मनोहर जोशी : मेरे पास यह 'टेल्को', लखनऊ में दिया गया सदाचरण बंधपत्र है और मैं इस बंधपत्र की विषय-वस्तु पढ़ने के लिए तैयार हूं ...*(व्यवधान)*

श्री अजय चक्रवर्ती : क्या आप इसका समर्थन करते हैं?

सभापति महोदय : श्री चक्रवर्ती, आपने प्रश्न पूछा है और वे उत्तर दे रहे हैं। आप दूसरा प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं।

श्री मनोहर जोशी : महोदय, मैं यह बात स्पष्ट कर दूं कि मैं केवल उनके तर्कों का उत्तर देने के लिए यह पढ़ रहा हूं। यदि कोई कहता है कि यह नहीं दिया गया है तो मैं कहता हूं कि यह एक कम्पनी में नहीं बल्कि चार कम्पनियों में दिए गए हैं। मैं इस मामले में पड़ना नहीं चाहता क्योंकि मैंने कहा है कि न तो मैं और न ही सरकार इस प्रकार की वचनबद्धता से सहमत है।

किसी ने मुझे स्थायी आदेशों की पुस्तक दिखाई। मैं स्थायी आदेशों संबंधी यह पुस्तक देने के लिए तैयार हूं। यह किताब क्या है? मैंने इस पुस्तक के प्रत्येक पृष्ठ को चिन्हित किया है। सभा में इस पुस्तक का एक-एक शब्द नहीं पढ़ा जा सकता। यह प्रत्येक श्रमिक के लिए स्थायी आदेश है जिस पर कामगार भी हस्ताक्षर करने के लिए सहमत हैं। कामगारों के दृष्टिकोण से इसमें कोई कठिनाई नहीं है। वे इस पर पुन: हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हैं।

यह सदाचरण बचनबंध है। इस पुस्तक का प्रत्येक वाक्य और यह दोनों में एक ही बात कही गई है। मैं वास्तव में यह समझ नहीं पा रहा हूं कि प्रबंधन इस बात के लिए जोर क्यों दे रहा है। मैं यह भी नहीं समझ पाया हूं कि कामगार इस पर हस्ताक्षर करने से मना क्यों कर रहे हैं। मैं उन माननीय सदस्यों से चर्चा करने के लिए तैयार हूं जिन्होंने इसका कड़ा विरोध किया है। आप मुझे बताएं कि क्या यह इस तरफ से अथवा उस तरफ से अहम जैसी एक ही बात नहीं है और जिससे अंतत: कंपनी को ही भारी नुकसान हो रहा है? वित्तीय घाटे के अलावा आज मारुति उद्योग की क्या प्रतिष्ठा है? इस कंपनी की सबसे अच्छी साख थी। मुझे यह कहते हुए खेद है कि ऐसी हड़तालों के कारण साख कम होती है। यदि इस कम्पनी में विनिवेश होता है तो कोई भी इसके मूल्यों को कम करने के लिए इसका फायदा उठाने की कोशिश कर सकता है। क्या ऐसा नहीं हुआ है? आप मुझे इसके बारे में बताएं।

अत:, मैं आपको बचनबंध में लिखे एक-एक शब्द को बताने के लिए तैयार हूं जिसमें स्थायी आदेश के सिवाय कुछ नहीं है जिसके लिए कामगार शुरू से ही सहमत हैं। इसलिए, बचनबंध को मांगने और इसके लिए इंकार करने में कुछ भी विशेष नहीं है। अनावश्यक रूप से यह प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है ...*(व्यवधान)*

डा. सुशील कुमार इन्दौरा : तो, प्रबंधन इसके लिए दबाव क्यों डाल रहा है? ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : माननीय मंत्री महोदय, इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में एक घंटे का समय व्यतीत हो चुका है। आपने एक घंटे का समय लिया है।

श्री मनोहर जोशी : महोदय, इस मुद्दे को समझना बहुत कठिन है ...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : प्रबंधन कामगारों से व्यक्तिगत रूप से बचनबंध देने के लिए दबाव क्यों डाल रहा है? ...*(व्यवधान)*

श्री मनोहर जोशी : मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। महोदय, यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : आप सदाचरण बचनबंध क्यों मांग रहे हैं?

सभापति महोदय : श्री दासमुंशी, आप किस नियम के अंतर्गत बोल रहे हैं?

...*(व्यवधान)*

श्री मनोहर जोशी : महोदय, सभा को सदाचरण बचनबंध की शब्दावली के बारे में पता होना चाहिए। कृपया मुझे स्थायी आदेश की शब्दावली पढ़ने की भी अनुमति प्रदान करें ...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : हम स्थायी आदेश के बारे में जानते हैं।

श्री मनोहर जोशी : यदि आप स्थायी आदेश के बारे में जानते हैं तो बचनबंध की शब्दावली भी वही है।

श्री बसुदेव आचार्य : जब स्थायी आदेश हैं तो सदाचरण बचनबंध की क्या आवश्यकता है? ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : माननीय मंत्री महोदय, कृपया अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करें। यदि आप उनकी ओर देखेंगे तो वे प्रश्न पूछेंगे।

श्री मनोहर जोशी : महोदय, अत:, मेरा मुद्दा वही है कि यह मुद्दा केवल अहम का है और इसलिए मेरे विचार से इस समस्या का कोई महत्व नहीं है। अंतत:, सरकार ने सिद्ध कर दिया है सरकार कामगारों के साथ है और इसलिए उन्होंने कम्पनी को यह वापस लेने के लिए कहा है।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, उन्होंने मुख्य बात का उत्तर नहीं दिया है ...*(व्यवधान)*

श्री मनोहर जोशी : महोदय, हम अब बचनबंध पर हस्ताक्षर के लिए आग्रह नहीं कर रहे हैं। मैं यह बात स्पष्ट कर दूं। हमने केवल यह कहा है कि यह विशेष स्थायी आदेश महत्वपूर्ण है और कामगारों की ओर से संघ यह देने के लिए तैयार है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : सभापति महोदय, मंत्री जी इस विवाद को हल करवा दें।

श्री मनोहर जोशी : मैं वही कहना चाहता हूं।

श्री रामदास आठवले : सभापति महोदय, यह सवाल कितने दिन में हल हो जायेगा? एक दिन में, दो दिन या दो महीने में? *...(व्यवधान)*

'[अनुवाद]

सभापति महोदय : यह क्या है? क्या आप नियमों का पालन कर रहे हैं?

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, बिना किसी नोटिस के कामगारों को निलम्बित किया गया है। प्रबंधन हमारे देश को श्रम कानूनों का उल्लंघन कर रहा है *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप अपने स्थान पर बैठ जाइए।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, इन्होंने इसका उत्तर नहीं दिया है *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

सभापति महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, आप सदाचरण बचनबंध वापस लेने के लिए कह रहे हैं। आप यहां अपना आचरण देखिए। आप कृपया इस प्रकार का आचरण मत दिखाइए।

श्री मनोहर जोशी : महोदय, मैं बचनबंध के बारे में विस्तार से स्पष्ट करने के लिए तैयार हूं। मैं आपको यह पढ़कर सुनाने के लिए तैयार हूं। मैं आपको दोनों प्रतियां दे दूंगा। मुझे दोनों प्रतियां देने में कोई आपत्ति नहीं है *...(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, हम यह जानना चाहते हैं कि क्या सरकार प्रबंधन द्वारा कामगारों के विरुद्ध की गई कार्यवाही और कामगारों पर लगाए गए जुर्माने को वापस लेने के लिए कहेगी। उन्होंने इसका उत्तर नहीं दिया है। यही मुख्य समस्या है *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं दे रहा हूं। कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री मनोहर जोशी : महोदय, मैं सेवा से बर्खास्तगी के मामले पर आ रहा हूं।

सभापति महोदय : माननीय मंत्री महोदय, कृपया एक मिनट प्रतीक्षा करें। श्री बसुदेव आचार्य कामगारों के विरुद्ध की गई कार्यवाही और सदाचरण बचनबंध आदि को वापस लेने के लिए कह रहे हैं। आपको यहां स्वयं अपना आचरण देखना चाहिए।

...(व्यवधान)

श्री मनोहर जोशी : महोदय, उन्हें मेरी बात सुनने में कठिनाई हो रही होगी। यह संघों के लिए असुविधाजनक है *...(व्यवधान)* महोदय, किसी को मेरी बात सुनना कष्टकारी लग सकता है क्योंकि यह संघों के लिए असुविधाजनक है *...(व्यवधान)* मैं संघों के बारे में नहीं कह रहा हूं; मैं कामगारों के बारे में कह रहा हूं *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय : वरिष्ठ सदस्यों को इस प्रकार का आचरण नहीं करना चाहिए।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, वे समस्या का समाधान नहीं कर रहे हैं *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मंत्री महोदय, अब अपनी बात समाप्त करें।

...(व्यवधान)

श्री मनोहर जोशी : महोदय, मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है *...(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, वे उत्तर नहीं दे रहे हैं *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

श्री बसुदेव आचार्य : मुख्य मुद्दा कामगारों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का है। उन्होंने इसका उत्तर नहीं दिया है *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय : सदस्यों को व्यवस्था को बनाए रखना चाहिए। मैं केवल यही कह सकता हूं।

श्री मनोहर जोशी : मैं भी उसी बात पर आ रहा हूं बशर्ते वे मुझे बोलने दें *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय : सदस्यों को नियमों का पालन करना चाहिए और व्यवस्था बनाए रखना चाहिए।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : मुख्य मुद्दा कामगारों के विरुद्ध की-गई-कार्यवाही के संबंध में है *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैं क्या कर सकता हूं?

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री मनोहर जोशी : महोदय, मैं सदस्यों द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों पर आ रहा हूं *...(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, हम सुनने के लिए तैयार हैं। मंत्री जी अपने उत्तर में तीन बातें बतायें - क्या वे निष्कासन के आदेश वापस लेंगे, क्या वे विनिवेश करेंगे और क्या वे *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री दासमुंशी, आप किस नियम के अंतर्गत बोल रहे हैं?

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, हम परम्परा के अनुसार बोल रहे हैं। ऐसी परम्परा है।

सभापति महोदय : किंतु आपको नियमों का पालन करना चाहिए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री बसुदेव आचार्य और श्री दासमुंशी अच्छा आचरण कीजिए और नियमों का पालन कीजिए। केवल तभी हम दूसरों के लिए नियम की बात कर सकते हैं।

श्री मनोहर जोशी : महोदय, मुझे खुशी है कि आप मारुति कंपनी से अधिक अनुशासन तो बनाए हुए हैं। मुझे वास्तव में खुशी है *...(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : इसके अतिरिक्त यह परम्परा भी है *...(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, यह परम्परा है कि सदस्य अध्यक्षपीठ को संबोधित करते हैं इसलिए हम आपको संबोधित करते हैं *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय : जब हम अनुशासन की बात करते हैं, तो कम से कम हमें स्वयं को भी अनुशासित रखना चाहिए।

श्री मनोहर जोशी : महोदय, मैं इसकी प्रशंसा करता हूं *...(व्यवधान)* महोदय, परिवचन के चौथे मुद्दे पर, न्यायालय का फैसला भी परिवचन के विरुद्ध गया है, न्यायालय ने इस मुद्दे पर विचार किया है। मेरे पास न्यायालय का निर्णय भी है *...(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : यह सर्वोच्च मंच है *...(व्यवधान)*

श्री मनोहर जोशी : पहला निर्णय संघों के विरुद्ध गया था। उन्हें व्यादेश प्राप्त करने में सफलता नहीं मिली *...(व्यवधान)* इसलिए, उसके बाद, *...(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, आप स्वयं ही श्रेष्ठ अधिवक्ता हैं और आप कानून जानते हैं *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, आप किस नियम के अधीन बोल रहे हैं?

...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, मैं मंत्री महोदय का धन्यवाद करता हूं। मैं जानता हूं कि मैं मारुति कंपनी के पक्षधर हैं। मैं जानता हूं कि ये विनिवेश के विरुद्ध हैं *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री दासमुंशी और श्री बसुदेव आचार्य आप कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री मनोहर जोशी : यदि इनकी मंशा केवल मारुति कंपनी से ही है तो मैं समझ सकता हूं किंतु इनका इरादा उससे कहीं अधिक है कि *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मंत्री जी, कृपया अपना उत्तर खत्म कीजिए।

श्री मनोहर जोशी : महोदय, मैं केवल तीन मिनट में खत्म करता हूं।

यदि प्रश्न सेवा समाप्ति और दूसरे भागों और निष्कासन की कार्यवाही से संबंधित है तो मैं सूचित करना चाहूंगा कि इस मुद्दे पर हमने कानूनी राय प्राप्त की है। मैं इसे पढ़ूंगा, कृपया ध्यानपूर्वक सुनिए। मैं पढ़ रहा हूं:

> "25 कामगारों की सेवा, कंपनी परिचालन के लिए आवश्यक सेवाएं न बनाए रखने के कारण समाप्त कर दी गई है। इन मामलों में व्यक्तिगत नोटिस भी जारी किए गए थे और

[श्री मनोहर जोशी]

सार्वजनिक नोटिस भी जारी किए गए थे। कारीगरों को धीमा काम करने, औजार बंद हड़ताल करने और उत्पादन बंद करने हेतु जैसे दुराचार के कारण 19 कारीगर निष्कासित कर दिए गए।'' ...*(व्यवधान)* महोदय, मैं बताता हूं कि मारुति कार फैक्ट्री में क्या होता है। आज स्पर्धा का समय है। कृपया मेरी बात सुनिए। यदि कंपनी में ऐसा ही व्यवहार होता रहेगा तो कारों का उत्पादन नहीं होगा और अंत में कंपनी बंद हो जाएगी और सभी लोग बेरोजगार हो जाएंगे। मैं कामगारों को बचाने का प्रयास कर रहा हूं।

श्री बसुदेव आचार्य : प्रबन्धन के व्यवहार के बारे में आप क्या विचार कर रहे हैं?

श्री मनोहर जोशी : आप आज जो कुछ कार्यवाही कर रहे हैं वह कामगारों को बचाने का तरीका नहीं है।

महोदय, मैं यह बताना चाहता हूं कि कारों का उत्पादन सहयोग से ही होता है। यदि उसमें किसी एक इकाई का भी योगदान न हो तो कारों का उत्पादन नहीं होगा। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? कामगार यही करना चाह रहे थे इसलिए निष्कासन की कार्यवाही करनी पड़ी। महोदय, यह बड़े ही सुनियोजित ढंग से किया गया है। मैंने इसका बारीकी से अध्ययन किया है। जिन कामगारों ने कारखाने के काम को बंद कराने का प्रयास किया उन्हींको निष्कासित किया गया है। आवश्यक सेवाएं तो सभी को प्रदान करनी ही पड़ेंगी ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं इसलिए आप बोल नहीं सकते।

श्री मनोहर जोशी : महोदय, मैं सभी कामगारों को बचाने का प्रयास कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि हम सभी कामगारों के खिलाफ कार्यवाही कर रहे हैं ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपको नोटिस देना चाहिए था। यह तरीका नहीं है।

श्री बसुदेव आचार्य : मैंने नोटिस दिया था।

सभापति महोदय : इसे अस्वीकृत कर दिया गया है और आपका नाम प्राथमिकता सूची में भी नहीं है। आपका नाम बैलट में भी नहीं आया है।

...*(व्यवधान)*

श्री मनोहर जोशी : कृपया मेरी बात सुनिए। अंततः मैं उस तरीके से कामगारों के रोजगार को नहीं बचा सकता जैसा कि कुछ लोग मुझसे चाहते हैं। कानून अपना काम करेगा यदि उनका कानूनी तरीके से बचाव किया जाएगा तो हमें कुछ नहीं कहना है और हमें खुशी ही होगी। सभी का बचाव हो ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, डा. इन्दौरा, कृपया बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

श्री मनोहर जोशी : कंपनी जो कुछ कार्यवाही करना चाहती है, कर सकती है। आखिरकार, हमें बात भी तो समझनी चाहिए कि इस कंपनी पर केवल सरकार का ही स्वामित्व नहीं है। कंपनी प्रबंध बोर्ड के अधीन है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपको नियमों, कानून और अध्यक्षपीठ का पालन करना होगा।

श्री मनोहर जोशी : विनिवेश के प्रश्न पर क्या मैं विनिवेश समिति द्वारा पारित संकल्प पढ़ सकता हूं ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। श्री दासमुंशी आप मेरे धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं।

...*(व्यवधान)**

श्री मनोहर जोशी : मैं यह बताना चाहता हूं कि कामगारों को बचाने के लिए कभी-कभी कड़ाई से काम लेना पड़ता है। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो कंपनी को बचाया नहीं जा सकेगा। कुछ कामगारों के लिए यदि हम सभी कामगारों के रोजगार का बलिदान कर देंगे तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? हम इसके लिए तैयार नहीं हैं। हम सभी कामगारों की नौकरियों को बचाना चाहते हैं और इसलिए उनके विरुद्ध यह कार्यवाही की गई है। इसी के साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि कानून की जीत होगी। हम कानूनी प्रक्रिया के पक्ष में हैं। कानून के दायरे में जो कुछ भी संभव है, वही किया जाएगा ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मंत्री महोदय के वक्तव्य के साथ ही वाद-विवाद समाप्त हुआ।

श्री बसुदेव आचार्य : किस नियम के अधीन?

सभापति महोदय : ऐसा मैं नहीं बल्कि नियम 197 कहता है।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री मनोहर जोशी : इसलिए मैं व्यक्तिगत रूप से यह महसूस करता हूं कि इस मुद्दे पर सभा को सहयोग करना चाहिए। सभा को एक अच्छा संकेत देना चाहिए कि यदि हम देश में स्पर्द्धा को प्रोत्साहित करना चाहते हैं तो हमें कामगारों के हित में कार्यरत प्रबंधन की सहायता करनी चाहिए। आखिरकार, प्रबंधन ही कामगारों की नौकरियों को बचाने का प्रयास कर रहा है। इसलिए हमें केवल भावनाओं से ही नहीं सोचना चाहिए।

इन शब्दों के साथ ही मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : प्रक्रिया का पालन किए बिना आप ऐसे खड़े नहीं हो सकते।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : अब हम अगला मद अर्थात् "नियम 197 के अधीन मामले" पर चर्चा प्रारंभ करेंगे।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : यह कार्यवाही गैर-कानूनी है

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप वाद-विवाद के लिए पूरे एक घण्टा और पन्द्रह मिनट का समय ले चुके हैं। आपको इससे संतुष्ट होना चाहिए।

[हिन्दी]

अपराह्न 3.48 बजे

इस समय श्री अखिलेश कुमार सिंह, श्री रामदास आठवले और श्री अजय चक्रवर्ती आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

अपराह्न 3.48 बजे

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) राजस्थान में बूंदी के गन्ना उत्पादकों को देय बकाया धनराशि का भुगतान सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री रघुवीर सिंह कौशल (कोटा): मेरे संसदीय क्षेत्र बूंदी (राजस्थान) में केशोराय पाटन में चीनी मिल स्थापित है। यहां के सैकड़ों मजदूरों को कई महीनों से वेतन नहीं मिल रहा है। किसानों के गन्ने की कीमत भी करोड़ों रुपयों में शेष है जिससे किसानों व मजदूरों में रोष व्याप्त है तथा वे उद्वेलित हो रहे हैं। आश्चर्य की बात तो यह है कि एक ओर तो किसानों को गन्ना लगाने के लिए अनुदान देकर प्रोत्साहित किया जा रहा है और दूसरी ओर शुगर मिल को बंद करने की चर्चा सरकार की ओर से की जा रही है जिससे किसानों को घोर विपत्ति का सामना करना पड़ रहा है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि किसानों की गन्ने की कीमत की बकाया राशि के शीघ्र भुगतान, मजदूरों के वेतन का भुगतान एवं केशवराय पायन शुगर मिल को बंद न करने के लिए राजस्थान सरकार से आग्रह किया जाए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया सभा की कार्यवाही में व्यवधान न डालें।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री चक्रवर्ती, कृपया सभा की कार्यवाही में व्यवधान मत डालिए।

...(व्यवधान)

(दो) झारखण्ड राज्य के सभी कार्य क्षेत्रों में आदिवासियों की मुख्य हिस्सेदारी सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री सालखन मुर्मू (मयूरभंज): झारखंड राज्य की स्थापना विशेषकर आदिवासियों के लिए व्यर्थ न चली जाए, क्योंकि आदिवासी

[श्री सालखन मुर्मू]

लोगों ने ही शुरू से अंत तक इसके लिए संघर्ष किया, इसलिए यह सुझाव दिया गया है कि एक अधिनियम लाकर नए राज्य में सभी कार्य क्षेत्रों में आदिवासियों के लिए 60 प्रतिशत हिस्सा सुनिश्चित किया जाए और मूल निवासियों और अन्य वासियों को क्रमशः 30 प्रतिशत और दस प्रतिशत हिस्सा मिले। झारखंड विधान सभा की 81 सीटों को बढ़ाकर 150 किया जाए और सीटों का पुनः आबंटन इस प्रकार किया जाए जिससे कि आदिवासियों को 60 प्रतिशत, मूल निवासियों को 30 प्रतिशत और अन्यवासियों को 10 प्रतिशत सीटें मिलें। यही फार्मूला नौकरी, शिक्षा और व्यापार आदि पर भी लागू किया जाए। नए राज्य में 50 सीटों वाली झारखंड विधान परिषद होनी चाहिए, जिसमें शिक्षाविदों, सामाजिक कार्यकर्त्ताओं, विशेषज्ञों और मलही-परगना, मानकी-मुण्डा, परहा-पंचायत इत्यादि के परंपरागत आदिवासी मुखियों को शामिल किया जाए। झारखंड राज्य की राजभाषा के रूप में अनुछेद 345 के अनुसार कम से कम एक आदिवासी भाषा को अपनाया जाना चाहिए, जो अधिकांश आदिवासियों द्वारा बोली जाती है।

यह झारखंड के आदिवासियों और अन्य लोगों के विकास और पहचान के लिए महत्वपूर्ण और अत्यंत आवश्यक है।

(ङ) गुजरात के बनासकांठा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में भारी उद्योग स्थापित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री हरिभाई चौधरी (बनासकांठा): सभापति महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र बनासकांठा में कोई बड़ा उद्योग नहीं है और यहां के लोगों को जीविका के लिए दूसरे स्थानों पर जाना पड़ता है। अतः एक कोई बड़ा आधारभूत उद्योग इस संसदीय क्षेत्र में तत्काल लगाये जाने की प्रक्रिया शुरू की जाये एवं इस क्षेत्र में डेयरी के माध्यम से बहुत से लोग अपनी जीविका चला रहे हैं। इन पेशों में लगे लोगों को कोई भी सहायता सरकार से नहीं मिल रही है।

मैं, सदन के माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा कि इस समस्या का समाधान शीघ्र करवाने का निर्देश दें जिससे बनासकांठा संसदीय क्षेत्र का विकास हो सके।

[अनुवाद]

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं नियमों का पालन करूंगा।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया अपने स्थानों पर वापस जाइए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप सभा के अन्य माननीय सदस्यों के संसदीय कार्य में व्यवधान डाल रहे हैं। आप उन्हें नियम 377 के अधीन अपना मामला पढ़ने दें। आप इस तरह का व्यवहार नहीं कर सकते।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : अब, मुझे त्वरित कार्यवाही करनी पड़ेगी।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : यह प्रक्रिया नहीं है। कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

सभापति महोदय : आप सभा की कार्यवाही में व्यवधान डाल रहे हैं। आप अन्य सदस्यों को भी परेशान कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया सभा की कार्यवाही में बाधा न डालें। कृपया अन्य सदस्यों के भाषण के बीच में भी व्यवधान न डालें। यह प्रक्रिया नहीं है।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आपने इस संबंध में सूचना नहीं दी है। आपने चर्चा में भी भाग नहीं लिया है। कृपया अपने स्थानों पर वापस जाइए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : क्या आप अध्यक्षपीठ की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे?

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : जब आप अध्यक्षपीठ की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं तो यहां अनुशासन की बातें भी न करें।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

(चार) छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर क्षेत्र में सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री सोहन पोटाई (कांकेर): माननीय सभापति जी, वन पर्यावरण तथा वन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण अनुमति प्राप्त नहीं मिलने के कारण बस्तर संभाग छत्तीसगढ़ की विभिन्न परियोजना आज भी अधूरी रह गई है। इसके साथ ही 1980 से पूर्व बसे वन भूमि वाले ग्रामवासियों एवं विशेष पिछड़ी जाति के आदिवासियों को शासन से मिलने वाली अन्य सुविधा एवं मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं।

मेरे संसदीय क्षेत्र सिहावा नगरी विधान सभा जिला धमतरी में सोन्दूर बांध है जिसकी सिंचाई क्षमता 15000 हेक्टेयर है परन्तु बारिश के दिनों में 700 हेक्टेयर में तथा गर्मी में 250 हेक्टेयर में सिंचाई हो पाती है। 7 टी.एम.सी. पानी रखने की क्षमता वाले बांध में मात्र 3.50 टी.एम.सी. ही पानी रखा जाता है। पानी रखाव क्षेत्र में झाड़ है जिसकी वन पर्यावरण को स्वीकृति नहीं मिल पायी है एवं परियोजना भी अधूरी है।

इसी तरह दुधावा पूर्व सर्वे के अनुसार एक केनाल शेष है। कांकेर जिला के ही पीवी 133, पीवी 36 अधूरी, कोटली बोनेली वि.ख. भानुप्रताप पुर प्रस्तावित बांध की औपचारिकता पूर्ण है। रेलवे लाइन दिल्ली राजहरा से राजघाट भी पर्यावरण स्वीकृति नहीं मिलने से खटाई में है।

सम्पूर्ण वनवासी क्षेत्र की उक्त परियोजना के पूर्ण होने से आदिवासियों का विकास संभव है। बोधघाट परियोजना में भी लगभग 35 करोड़ रुपये खर्च होने के बावजूद पर्यावरण स्वीकृति के अभाव में अपूर्ण है।

मेरा केन्द्र सरकार से निवेदन है कि इन परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति दी जाए।

(पांच) गोपालपुर पत्तन को रायपुर से जोड़ने वाली सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री विक्रम केशरी देव (कालाहांडी): महोदय, गोपालपुर बंदरगाह से रायपुर तक की सड़क, जो भिलाई इस्पात शहर से गोपालपुर बंदरगाह को जोड़ती है के महत्व को देखते हुए इसे राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाना चाहिए जिससे प्रचुर मात्रा में खनिज संपदा से परिपूर्ण लेकिन गरीबी से प्रभावित तट से सुदूर क्षेत्र का विकास हो सके ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : सभा के कार्य में व्यवधान न डालें।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : यह अनुशासनहीनता है।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : रघुवंश जी, कृपया उन्हें बताइए।

...*(व्यवधान)*

श्री विक्रम केशरी देव : यह राष्ट्रीय राजमार्ग सरकार की उस नीति का भी हिस्सा होगा जो आधार संरचना को मजबूती प्रदान करने के लिए बनाई गई है ताकि पिछड़े क्षेत्रों जैसे केबीके जिलों की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सके ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : जब मुझे आप को निलम्बित करना पड़ेगा तो मैं निलम्बित करूंगा।

...*(व्यवधान)*

श्री विक्रम केशरी देव : उड़ीसा सरकार ने केन्द्रीय सरकार को 1998 में सड़क मार्ग में परिवर्तन करने के संबंध में एक प्रस्ताव भेजा था ...*(व्यवधान)* पहले यह मार्ग रायपुर से अमत-बेलगांव, तक जाता था, परंतु बारगट-बोरीगुमा सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने की वजह से, यदि इसे बेलगांव तक ले जाया गया तो यह एक दूसरे को काटेंगी ...*(व्यवधान)* इसलिए, मेरा सुझाव है कि इस सड़क का विस्तार भवानीपत्तन-खरियार रोड़-महासमुंद तक किया जाए ...*(व्यवधान)* महासमुंद से, यह सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 से मिल जाएगी जिससे मध्य प्रदेश और उड़ीसा के पिछड़े क्षेत्रों का विकास होगा। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : सदस्य कार्यवाही में भाग ले रहे हैं। शोर मत मचाइए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : रघुवंश जी, इन्हें साथ ले जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री विक्रम केशरी देव : इसलिए, मेरा निवेदन है कि गोपालपुर बंदरगाह और रायपुर के बीच की सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाए।

सभापति महोदय : मुझे आपको सभा से बाहर निकालने का आदेश देना पड़ेगा।

...(व्यवधान)

अपराह्न 3.56 बजे

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन* **हुए]**

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया अपने-अपने स्थानों पर वापस चले जाइए।

अपराह्न 3.56 बजे

(इस समय श्री कुंवर अखिलेश सिंह, श्री रामदास आठवले और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थानों पर वापस चले गये।)

...(व्यवधान)

अपराह्न 3.57 बजे

(इस समय श्री बसुदेव आचार्य, डा. रघुवंश प्रसाद सिंह, श्री कुंवर अखिलेश सिंह, श्री रामदास आठवले और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गए।)

(छह) राजस्थान सरकार को राज्य में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

डा. गिरिजा व्यास (उदयपुर): महोदय, पिछले तीन सालों से राजस्थान को सूखे का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है फिर भी इसके पास केवल 1.1 प्रतिशत ही जल संसाधन है। 25 प्रतिशत से भी कम कृषि योग्य भूमि के के लिए सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध हैं। राज्य में खरीफ की फसल मुख्यत: वर्षा पर आधारित है। मानसून न आने से राज्य में खरीफ की फसल का काफी नुकसान हुआ है और जल स्तर बहुत नीचे चला गया है। जलाशयों और टैंकों में जल संग्रहण कम होने के कारण पीने के पानी और सिंचाई के लिए पानी की समस्या उत्पन्न हो गई है। प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को तत्काल राहत पहुंचाने की आवश्यकता है, उन्हें लाभदायक रोजगार दिए जाने और पशुधन की रक्षा और पीने के पानी के संरक्षण के लिए उपाय किए जाने की आवश्यकता है। राज्य सरकार को अत्यधिक वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है इसलिए उसे तत्काल केन्द्रीय सहायता की आवश्यकता है। मैं केन्द्र सरकार से निवेदन करती हूं कि इस मामले पर मानवता के आधार पर गम्भीरता से विचार किया जाए और राजस्थान सरकार को तत्काल वित्तीय और सामग्री सहायता उपलब्ध कराई जाए।

(सात) आन्ध्र प्रदेश सरकार को राज्य में मस्तिष्क ज्वर (जापानी एंसीफैलिटिस) के प्रसार को रोकने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी (कुडप्पा): महोदय, मैं केन्द्र सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूं कि आंध्र प्रदेश में मस्तिष्क ज्वर (जापानी एनसेफलिटिस) महामारी ने 10 नवम्बर, 2000 तक 300 से भी अधिक मंडलों में बच्चों को प्रभावित किया है और 44 जानें ले ली हैं। अनन्तपुर, कुरनूल, कुडप्पा, चित्तूर, गुन्टूर, प्रकाशम, नालगोंडा, वारंगल और महबूबनगर जिलों में मस्तिष्क ज्वर के मामले सामने आये हैं।

पिछले वर्ष 15 जिलों से 174 मामले और 28 लोगों की जानें जाने की खबर है। पिछले तीन-चार वर्षों में राज्य में इस बीमारी ने बहुत से लोगों को अपना ग्रास बनाया है। इस बीमारी पर रोक लगाने के लिए केवल एक जे.ई. वैक्सीन की आवश्यकता होती है, जिसका निर्माण हिमाचल प्रदेश में कसौली में एक टीका फैक्टरी में किया जाता है। इस दवाई की देश में अत्यंत कमी है क्योंकि सिर्फ कसौली में ही इसे बनाने की फैक्टरी है और आंध्र प्रदेश के लिए आवंटित की गई इसकी खुराकें वहां के लिए पर्याप्त नहीं हैं।

मैं केन्द्र सरकार से जापान और चीन से इस टीके का आयात करने का अनुरोध करता हूं क्योंकि इसकी कमी महसूस की जा रही है और कसौली में अभी जो फैक्टरी है, वह मांग को पूरा नहीं कर पा रही है। केन्द्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान करे और इस बीमारी के कारणों की जांच के लिए जो वर्षों से आंध्र प्रदेश को प्रभावित कर रही है, राज्य में स्वास्थ्य विशेषज्ञ भेजें।

अपराह्न 4.00 बजे

(आठ) पंजाब में स्थित फगवाड़ा में रेलवे उपरिपुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्रीमती संतोष चौधरी (फिल्लौर): मेरे फिल्लौर संसदीय क्षेत्र के फगवाड़ा विधान सभा क्षेत्र में रेलवे ओवरब्रिज की अति आवश्यकता है। यह घनी आबादी वाला औद्योगिक नगर रेलवे फाटक के कारण दो हिस्सों में बंटा हुआ है। स्कूल, कालेज, अस्पताल, कारखाने एवम् लुधियाना, जालन्धर, चंडीगढ़, नवांशहर अथवा दिल्ली को जाने का नेशनल हाईवे भी रेलवे फाटक के एक तरफ रह जाता है जिस कारण बच्चों से लेकर बूढ़े व्यक्तियों को फाटक के अधिक समय तक बंद रहने के कारण बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। पिछले कुछ वर्षों से मैं लोक सभा में यह प्रश्न कई बार उठा चुकी हूं, परंतु रेलवे मंत्रालय ने इस ज्वलंत समस्या को गम्भीरता से नहीं लिया।

अत: मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि फगवाड़ा तथा आसपास के नागरिकों की समस्या का अवश्य ही समाधान कर के कृतार्थ करें।

(नौ) कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के अंतर्गत 1.4.93 और 15.11.95 के बीच सेवा छोड़ने वाले कर्मचारियों के लिए पेंशन लाभ का प्रावधान करने वाली योजना को शीघ्र क्रियान्वयन किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

प्रो. ए.के. प्रेमाजम (बडागरा): महोदय, 11.4.93 से 15.11.95 की अवधि के दौरान नौकरी छोड़ने वाले कर्मचारी पेंशन फंड के सदस्यों को कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के तहत लाभ प्रदान करने का प्रस्ताव था। इस योजना में ऐसे लोग, जिन्होंने साठ वर्ष पूरे न किए हों और 1.4.93 को कर्मचारी परिवार पेंशन योजना 1971 के सदस्य नहीं रहे हैं, को भी यह लाभ प्रदान करने का प्रस्ताव था। यह परामर्श भी दिया गया था कि जो लोग कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के पेंशन फायदे लेना चाहते हैं, वे कर्मचारी पेंशन फंड उपक्षेत्रीय कार्यालय में फॉर्म-10डी में अपना सहमति पत्र दे दें।

तद्नुसार 1.4.93 से 15.11.95 के बीच ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मवूर, कोजीकोड केरल राज्य से सेवानिवृत्त अनेक कर्मचारियों जो कर्मचारी परिवार पेंशन योजना, 1971 के सदस्य नहीं थे, ने निर्धारित समयावधि में कोजीकोड उपक्षेत्रीय कार्यालय में फार्म 10-डी में अपनी सहमति दे दी थी। परंतु अभी तक कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के अंतर्गत पेंशन देने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

अत: मेरा सरकार से, विशेषत: माननीय श्रम मंत्री से अनुरोध है कि वह बिना किसी विलंब के अधिसूचना जारी करने के लिए आवश्यक निर्देश दें।

(दस) इन्सुलिन के मूल्यों में कमी करके उन्हें वहन करने योग्य बनाए जाने की आवश्यकता

डा. मन्दा जगन्नाथ (नगर कुरनूल): महोदय, विगत आठ वर्षों में जीवन रक्षक दवा इन्सुलिन के मूल्य में 6 गुना वृद्धि हुई है जिसके फलस्वरूप मधुमेह से पीड़ित लाखों व्यक्ति विशेषकर गरीब वर्ग के लोग बहुत परेशानी का सामना कर रहे हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां समाज, स्वास्थ्य, मानवाधिकारों और न्याय के प्रति अपनी जिम्मेदारी की उपेक्षा कर रही हैं। मेरा सरकार से अनुरोध है कि गरीब रोगियों की मदद हेतु सभी दवाओं, विशेषरूप से इन्सुलिन के मूल्य में कमी की जाये। भारत में लगभग ढाई मिलियन युवा व्यक्ति मधुमेह से पीड़ित हैं और इनमें से आधे गरीब हैं। इन्सुलिन अब उनकी क्रय क्षमता से बाहर हो गई है। सरकार को लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना ही चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि ऐसी दवाईयां हर व्यक्ति की मांग की पूर्ति के लिए बनाई जानी चाहिए।

वर्ष 1991 में इन्सुलिन का सबसे अधिक प्रचलित रूप, बोवाइन, काफी सीमा तक वहन करने योग्य मूल्यों अर्थात् प्रति 400 यूनिट की शीशी 12 रुपये में उपलब्ध थी। अब इस एक शीशी की कीमत 76 रुपये है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने यहां काम करना बन्द कर दिया है और अब इसका आयात पूर्ण रूप से लाभार्जन के उद्देश्य से किया जाता है।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि इन्सुलिन के मूल्य वहन करने योग्य सीमा तक कम करने के लिए तत्काल कार्यवाही करे ताकि 40 प्रतिशत गरीब मधुमेह रोगी जो इस जीवन रक्षक दवा को खरीदने में असमर्थ हैं, इस दवा के माध्यम से अपना इलाज कर सकें।

(ग्यारह) उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में रतनपुरा रेलवे स्टेशन पर उत्सर्ग एक्सप्रेस के ठहराव की व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता

श्री बालकृष्ण चौहान (घोसी): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र घोसी जनपद मऊ,

[श्री बालकृष्ण चौहान]

उत्तर प्रदेश के अंतर्गत पूर्वोत्तर रेलवे एक महत्वपूर्ण स्टेशन रतनपुरा से होकर गुजरने वाली नई ट्रेन "उत्सर्ग एक्सप्रैस" जो छपरा से लखनऊ तक जाती है, की ओर दिलाना चाहता हूं। रतनपुरा स्टेशन के चारों तरफ घनी आबादी है तथा ट्रैफिक के हिसाब से लाभकारी भी है। क्षेत्र की जनता की उत्कट इच्छा है कि उत्सर्ग एक्सप्रैस नियमित रूप से रतनपुरा में रुका करे। इस बाबत क्षेत्रीय जनता आंदोलनरत है। रेलवे प्रशासन द्वारा कई बार उक्त स्टेशन पर उत्सर्ग के ठहराव का आश्वासन दिया जा चुका है, लेकिन अभी तक ठहराव सुनिश्चित नहीं हो सका।

अत: मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि रतनपुरा स्टेशन पर जनहित में उत्सर्ग का ठहराव किया जाए।

(बारह) तमिलनाडु के तिरूतनी और अवड़ी के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को और अधिक रेल सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री ए. कृष्णास्वामी (श्रीपेरूम्बुदुर): महोदय, मेरे चुनाव क्षेत्र श्रीपेरूम्बुदुर से रेल यात्री प्रतिदिन तिरुतनी से आवड़ी आते-जाते हैं। वे अपनी प्रतिदिन की आजीविका के लिए सेंट्रल चेन्नई जाते हैं। इनमें से अधिकतर यात्री सरकारी कर्मचारी, रेल कर्मचारी और दिहाड़ी कर्मचारी हैं। रेल सुविधाओं के लगातार बने न रहने के कारण उन्हें बहुत परेशानी होती है। जब हमने दक्षिण रेलवे के महाप्रबंधक के कार्यालय से सम्पर्क किया तो हमें बताया गया कि जब तक चौथी पटरी नहीं बिछ जाती तब तक वे यातायात को सुगम बनाने में और अधिक रेल सुविधाएं उपलब्ध कराने में असमर्थ हैं।

इसलिए, मैं सरकार से और विशेष रूप से माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वर्तमान रेलवे बजट में चेन्नई-पट्टाभिराम से तिरूवल्लूर या अराक्कोनम् तक की क्वाड्रूपलिंग परियोजना को सम्मिलित किया जाए।

(तेरह) बिहार में छपरा जिले के मशरख और सिवान जिले के बसन्तपुर में उर्वरक संयंत्र लगाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): अध्यक्ष महोदय, 15 नवंबर को झारखंड राज्य के अस्तित्व में आ जाने के पश्चात् शेष बिहार मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर रह गया है। झारखंड से अलग शेष बिहार औद्योगिक विकास की दृष्टि से लगभग शून्य है। ऐसे में कृषि के सम्यक विकास पर पुरजोर ध्यान दिये जाने, किसानों को कृषि के वैज्ञानिक तरीकों से अवगत कराने तथा कृषि हेतु साधन मुहैया कराये जाने की सख्त आवश्यकता है। यूं भी बिहार के बंटवारे का सबसे बुरा असर किसानों पर पड़ा। महोदय, उत्तरी बिहार के किसान वैसे भी कभी बाढ़ तो कभी सूखा और कभी लागत का अभाव, तो कभी खाद की कमी के कारण बेहद गरीबी की स्थिति में है। मेरे संसदीय क्षेत्र में पड़ने वाले दो जिले छपरा एवं सीवान मूलत: कृषि प्रधान जिले हैं तथा यहां की कुल आबादी कृषि पर निर्भर है।

मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि मेरे संसदीय क्षेत्र के दोनों जिलों छपरा एवं सीवान में क्रमश: मशरख तथा बसंतपुर में जैविक खाद का कारखाना स्थापित किया जाये तथा अविलंब जैविक खाद का कारखाना लगाने हेतु कृभको अध्यक्ष को निर्देशित किया जाये।

(चौदह) देश में, विशेषकर तमिलनाडु के पोल्लाची संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में चाय बागान श्रमिकों और किसानों की समस्याओं पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

डा. सी. कृष्णन (पोल्लाची): महोदय, मेरे संसदीय चुनाव क्षेत्र पोल्लाची और देश में अन्य चाय उगाने वाले राज्यों के चाय बगान श्रमिक और किसान, चाय के मूल्यों में आ रही कमी के कारण बहुत कठिनाई में हैं। इसी के कारण उन्हें हरी पत्तियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य भी प्राप्त नहीं हो रहा है।

इस संबंध में निम्नलिखित उपाय तुरंत किए जाने चाहिए:

1. हरी पत्तियों का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2 रु. प्रति कि.ग्रा. से बढ़ाकर 5 रु. प्रति कि.ग्रा. किया जाना चाहिए।

2. घरेलू चाय उद्योग को बचाने के लिए और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए चाय निर्यात पर से सीमा शुल्क खत्म किया जाना चाहिए।

3. विभिन्न देशों से चाय के आयात पर रोक लगानी चाहिए या चाय के आयात पर अत्यधिक डंपिंग शुल्क लगाया जाना चाहिए।

4. तमिलनाडु में सहकारी संस्थाओं और निजी चाय कारखानों और सहकारियों के समान कंपनी संपदा पर से भी सीमा शुल्क हटाया जाना चाहिए।

अपराह्न 4.09 बजे

कोल इंडिया (अन्तरण, विनियमन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2000—*राज्य सभा द्वारा यथापारित*

अध्यक्ष महोदय : अब सभा मद सं. 13 प्रारंभ करेगी।

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. चणमुगम): महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

> "कोल इंडिया लिमिटेड में या किसी समनुषंगी कंपनी में निहित भूमि के या भूमि में या उस पर के अधिकारों अथवा किसी कोयला खान कोककारी कोयला खान या कोक भट्टी संयंत्र के संबंध में अधिकार, हक और हित के, कोल इंडिया लिमिटेड की किसी समनुषंगी कंपनी या किसी अन्य समनुषंगी कंपनी को, अन्तरण का निदेश देने और ऐसी भूमि या अधिकारों के कतिपय अंतरणों का विधिमान्यकरण करने के लिये केन्द्रीय सरकार को सशक्त करने का उपबंध करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाये।"

1972 और 1973 में दो चरणों में जब से कोयले की खानों का राष्ट्रीयकरण किया गया, कोयला खान राष्ट्रीयकरण अधिनियम, 1973 तथा कोयला उद्योग के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् यद्यपि विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत अधिग्रहीत भूमि अथवा ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकारों तथा किसी कोयला खान, या कोक भट्टी संयंत्र के संबंध में अधिकार, हक और हित के अंतरण, कोल इंडिया लिमिटेड या इसकी पूर्ववती कम्पनी में निहित करने का निदेश था, वास्तव में इसकी समनुषंगी कंपनियां ऐसी भूमि, कोयला खानों या संयंत्रों का प्रबंधन कर रही थीं।

ऐसी भूमि को विधिक हक अथवा उस पर के अधिकार अथवा कोयला खान अथवा कोककारी भट्टी संयंत्र के संबंध में अधिकार, हक और हित के अभाव में इन समनुषंगी कंपनियों में मुकदमेबाजी और कानूनी पेचीदगियां उत्पन्न हो गई हैं। हालांकि कंपनी अधिनियम, 1956 में पुनर्निर्माण और विलय का उपबंध है किंतु इस अधिनियम के अंतर्गत इसका प्रभाव भविष्य में ही होगा।

अत: कोल इंडिया लिमिटेड में निहित कोयला खान या कोककारी भट्टी संयंत्र के संबंध में भूमि और उसके अधिकारों को किसी समनुषंगी कंपनी को अथवा किसी समनुषंगी कंपनी में निहित किसी अन्य समनुषंगी कंपनी को अन्तरित करने हेतु केन्द्र सरकार को सशक्त करने की आवश्यकता महसूस की गई। प्रस्तावित विधान लागू होने से पहले किए गए इस प्रकार के अन्तरणों का विधिमान्यकरण करना भी आवश्यक समझा गया।

इस विधेयक का उद्देश्य इस लक्ष्य को प्राप्त करना है।

अपराह्न 4.11 बजे

[श्री वसुदेव आचार्य *पीठासीन* हुए]

यह विधेयक दिनांक 14.2.1995 को राज्य सभा में पुर:-स्थापित किया गया। बाद में इस पर चर्चा कर इसे दिनांक 24.11.2000 को पारित कर दिया गया।

इन शब्दों के साथ ही मैं इस विधेयक पर विचार करने और इसे पारित करने का आग्रह करता हूं।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

> "कि कोल इंडिया लिमिटेड में या किसी समनुषंगी कंपनी में निहित भूमि के या भूमि में या उस पर के अधिकारों अथवा किसी कोयला खान कोककारी कोयला खान या कोक भट्टी संयंत्र के संबंध में अधिकार, हक और हित के, कोल इंडिया लिमिटेड की किसी समनुषंगी कंपनी या किसी अन्य समनुषंगी कंपनी को, अन्तरण का निदेश देने और ऐसी भूमि या अधिकारों के कतिपय अंतरणों का विधिमान्यकरण करने के लिये केन्द्रीय सरकार को सशक्त करने का उपबंध करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाये।"

सभापति महोदय : इस विधेयक के लिए केवल एक घंटे का समय आबंटित किया गया है।

[हिन्दी]

श्री राजो सिंह (बेगुसराय): महोदय, यह जो बिल पेश किया गया है, ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : राजो सिंह जी, आप बैठ जाइए।

श्री राजो सिंह : आप एक मिनट हमारी बात तो सुन लीजिए। ...*(व्यवधान)* इन्हें पहले बिल पेश करना था, इसमें यह लिखा ही नहीं है कि बिल किसने पेश किया।

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर): महोदय, विधेयक में उद्देश्य का कथन नहीं दिया गया है।

सभापति महोदय : इसका कारण यह है कि यह दूसरी सभा द्वारा पारित किया जा चुका है। राज्य सभा ने पास कर दिया है।

श्री संतोष मोहन देव : महोदय, कोयला मंत्रालय और कोल इंडिया की स्थिति बहुत खराब है। उनका कोई सभापति नहीं है। प्रेस में तरह-तरह की बातें प्रकाशित हुई हैं। आनुषंगी कंपनियां कार्यवाहक प्रबंध निदेशकों द्वारा चलाई जा रही हैं। जो कई सालों से पदों पर आसीन नहीं हैं। यह विधेयक सम्पदा के अन्तरण के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कटु आलोचना के पश्चात् लाया गया है। आप भी, महोदय, संबंधित स्थाई समिति के सदस्य थे। जब यह विधेयक राज्य सभा से लोक सभा में आया तो, इस पर वर्तमान विदेश मंत्री, जो उस समय स्थाई समिति के सभापति थे, के विचार पढ़ना चाहूंगा:

> "कोल इंडिया (अन्तरण, विनियमन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 1995 का उद्देश्य केन्द्रीय सरकार को कोल इंडिया लिमिटेड या इसकी आनुषंगी कंपनी में निहित कोयला खान, कोकिंग कोयला खान या कोक भट्टी संयंत्र से संबंधित भूमि या भूमि में या भूमि पर अधिकार, अधिकार, नाम और हित इसकी किसी आनुषंगी कम्पनी को हस्तांतरित करने हेतु निर्देश देना का अधिकार देना है और ऐसी भूमि या अधिकारों के कतिपय अंतरणों को विधिमान्य करना है।"

समिति ने इस विधेयक पर विभिन्न राज्य सरकारों विशेषकर पश्चिम बंगाल और बिहार से विचार प्राप्त किए, और उनका विस्तृत अध्ययन किया। इसमें आगे यह कहा गया है:

> "इस विधेयक पर खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957, मिनरल कन्सेशन रूल्स, 1960 और कतिपय अन्य राज्य अधिनियमों के प्रावधानों का उल्लंघन किये जाने के आधार पर आपत्ति की गई है। दूसरी ओर सरकार ने यह स्पष्टीकरण दिया है कि विधेयक का स्रोत कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 है।
>
> इस अधिनियम की धारा 28 में एक अध्यारोही प्रावधान है जिसमें यह कहा गया है कि राष्ट्रीयकरण अधिनियम का प्रभाव बना रहेगा चाहे इस समय कोई भी कानून प्रभावी हों। समिति ने विस्तृत जांच और चर्चा के बाद यह मत बनाया कि यह प्रस्तावित विधेयक कोल इंडिया लिमिटेड की समानुषंगी कंपनियों को नाम की कमी के आधार पर चुनौती देने की संभावना के अलावा किसी अन्य उद्देश्य को पूरा नहीं करता। इसलिए समिति का यह विचार है कि इस समय कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973, पर पुन: गौर करने की आवश्यकता है और जैसा कि इसके प्रभावी कार्यान्वयन में होने वाली किसी कमी को दूर करने के लिए प्रावधान किया गया है। इसलिए समिति कोल इंडिया (अंतरण विनियमन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 1995 को संसद में स्वीकृति के लिए सिफारिश करने में असमर्थ है।"

यह स्थाई समिति की सिफारिशें थी। जब मंत्री महोदय ने इस विधेयक को प्रस्तुत किया, मुझे आशा थी कि वे इस बात का जिक्र करेंगे। मुझे उनसे यह भी आशा थी कि वे इस सभा के समक्ष इस मामले में आ रही कठिनाइयों को हल करने के लिए आए हैं और यह विधेयक सीमित उद्देश्य के लिए है। मंत्री महोदय का यह कहना उचित है कि इन कोयला खानों को 1971 और 1973 के अधिनियमों द्वारा अधिगृहीत किया गया था। यह मजदूरों की कार्य दशा को सुधारने के लिए किया गया था और दूसरे भारत के कोयला क्षेत्रों के, जो हमारे लिए मूल्यवान सोने की तरह है और जो हमारी स्टील, तप्प-विद्युत और अन्य परियोजनाओं को कच्चे माल की पूर्ति करते हैं, आधुनिकीकरण के लिए किया गया था। यह अन्य कई अनावश्यकताओं की पूर्ति करता है। परंतु इतिहास क्या कहता है? वह कहता है कि मजदूरों की दशा बद से बदतर हुई है। उन्होंने आनुषंगिक इकाइयों को इस तरह परिवर्तित किया कि वे प्रभावी रूप से चल सके। आनुषंगिक इकाइयां सफेद हाथी हैं। कुछ ही दिन पूर्व, हमने कुछ समाचार-पत्रों में कुछ रिपोर्टें देखी हैं। चूंकि जो सी.बी.आई. के छापे में शामिल हैं, वे इस सभा में उपस्थित नहीं हैं इसलिए मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। परंतु मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि इस योजना के पीछे एक लॉबी काम कर रही है। वे यह कह रहे हैं कि सी.बी.आई. के छापे के बावजूद अमुक व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता है क्योंकि वह अच्छा आदमी है। यह प्रमाण-पत्र किसने दिया? क्या सी.बी.आई. या न्यायालय ने यह प्रमाणपत्र दिया है या उस लॉबी के आदमी यह प्रमाण-पत्र दे रहे हैं जो उनके पीछे कार्यरत हैं?

आज, आप यह विधेयक हमारे समक्ष यह बताने के लिए लाए हैं कि यह एक बार ही सम्पदा के अंतरण का प्रश्न है और आप इसे नियमित करना चाहते हैं। यह सम्पदा अन्य आनुषंगिक कंपनियों को अंतरित की गई है। हम इसका स्वागत करते हैं। इसका कारण है कि आपको यहां कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा। परंतु प्रश्न यह उठता है कि आप दूसरा विधेयक क्यों लाए जो ऊर्जा संबंधी स्थाई समिति के सभापति के रूप में मेरे समक्ष है। इसका नाम कोयला खान राष्ट्रीयकरण (संशोधन) विधेयक, 2000 है इसके द्वारा कोयला क्षेत्र में निजी निवेश की अनुमति दी जा रही है। इसके पीछे विचार कोल इंडिया से आनुषंगिक ईकाइयों को सम्पदा का अंतरण करना है। इसके बाद आनुषंगिक ईकाइयां

निजी क्षेत्र से सहयोग करेंगे। इससे सभी राज्यों जैसे बिहार, पश्चिम बंगाल और नए बने राज्यों का नुकसान होगा। आपको इससे लाभ होगा और बेहतरीन हिस्सा आपको मिलेगा। इस विधेयक से राज्य अपने पास उपलब्ध सीमित संसाधनों से वंचित हो जायेंगे। यह विदित तथ्य है कि खान और खनिज भी राज्य की ही संपत्ति हैं। उन्हें उस पर प्रीमियम या रायल्टी मिलती है और इससे उनके राज्यों का खर्च चलता है। कई सालों से, हमने इस सभा में देखा है कि चाहे वह कांग्रेस की सरकार हो या जनता सरकार हो या आपकी सरकार हो, सभी राज्यों को उनके वैध रायल्टी और अन्य अधिकारों से वंचित रखते हैं। आप जमींदार बन गये हैं। सभी राज्य, चाहे वे उत्तर के हों चाहे दक्षिण के, तकलीफ में हैं, वे कोई भी विकास कार्य नहीं शुरू कर पा रहे हैं।

केन्द्रीय सरकार, अधिनियम पर अधिनियम लाकर उनको साहूकार की तरह निचोड़ने की कोशिश कर रही हैं। यह ठीक नहीं है। यह कार्य उचित नहीं है। इसी कारण मैं इस विधेयक का स्वागत नहीं करता।

ठीक है, उच्चतम न्यायालय ने कुछ आलोचना की है और राज्य सभा की उद्योग संबंधी स्थाई समिति ने आपके पक्ष में कुछ सिफारिश की हैं। समिति ने अपने प्रतिवेदन में कहा है कि पराशर समिति की सिफारिशों के अनुसार आपको इसे नियमित करना होगा। इसलिए आपने इसे नियमित कर दिया। किंतु इस विधेयक का समर्थन करने से पहले मैं इस बात के लिए आपका समर्थन चाहूंगा कि आप कुछ भी करें, लेकिन इन राज्यों को अपने रॉयल्टी के वैध अधिकारों से वंचित न करें।

मैं पंजाब जैसे एक राज्य को जानता हूं जिसकी रुचि रक्षित खानों में है। इस बारे में मैं आपको व्यक्तिगत रूप से लिख चुका हूं; कई और सांसदों ने भी आपको लिखा है; मुख्य मंत्रियों ने भी प्रधान मंत्री को लिखा है किंतु यह दिया ही नहीं गया। इसका क्या कारण है? क्योंकि कुछ सहायक कंपनियां इसका विरोध कर रही हैं। ये तो न खुद कुछ करेंगे न किसी को करने देंगे। मैंने तत्कालीन सचिव के समक्ष यह प्रस्ताव रखा था कि वे यह पता लगाएं कि क्या वे उन कोयले की खानों का उपयोग करेंगे और यदि वे वास्तव में ऐसा चाहते हैं तो इसका समर्थन करने वाला मैं पहला व्यक्ति हूंगा। वे न तो इनका उपयोग कर रहे हैं और न ही इसे राज्य सरकार को ही दे रहे हैं। मैं इसे निजी क्षेत्र को देने के पक्ष में हूं। आप और क्या छोड़ेंगे? आप मारुति, भारतीय खाद्य निगम और बैंक तो छोड़ ही रहे हैं। आप उनका निजीकरण करना चाह रहे हैं। सरकार ने यह एक नया सिद्धांत प्रारंभ कर दिया है।

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति (विशाखापट्टनम): ये सब किसने शुरू किया? आपकी सरकार ने यह शुरू किया था।

श्री संतोष मोहन देव : किसी ने भी इसे शुरू किया किंतु मैं पहले ही यह कह चुका हूं कि कांग्रेस सरकार, भाजपा सरकार और सभी सरकारें समान रूप से इसके लिए जिम्मेदार हैं। आप कृपया मुझे ध्यान से सुनें। मैं इन सब से ऊपर हूं। मैं हमेशा सीधी बात करता हूं।

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति : आप मुझसे सहमत हैं। धन्यवाद।

श्री संतोष मोहन देव : मेरा मुद्दा यह है कि आज जो भी हो रहा है किंतु राज्यों के हितों की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए।

गरीबों के लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अब आप हमें किसी और पर विश्वास करने के लिए कह रहे हैं। उस दिन, जब माननीय वित्त मंत्री, विश्व प्रसिद्ध लोगों के आर्थिक सम्मेलन में बोल रहे थे तो उन्होंने कहा था कि यदि आपके पास 30 प्रतिशत शेयर भी हैं तो आपकी स्थिति हल्की नहीं है। यह मुद्दा असल में काफी रुचिकर है। मंत्रियों के रूप में हमने हमेशा सुना – मैं भी लम्बे समय तक मंत्री था – कि नियंत्रण रखने के लिए कम से कम 51 प्रतिशत शेयर तो होना ही चाहिए। अब आपका नया सिद्धांत है कि 33 प्रतिशत शेयरों से भी आप नियंत्रण रख सकते हैं।

माननीय मंत्री बहुत ही अच्छे, नेक और ईमानदार आदमी हैं किंतु उन्हें सावधान रहना होगा। वे भ्रष्ट लोगों से घिरे हुए हैं। कोल इंडिया लिमिटेड बेईमान लोगों का गढ़ है। आप रिकॉर्ड देखें। कोल इंडिया लिमिटेड की संपत्तियों को उसकी सहायक कंपनियों में स्थानांतरित करने का मुख्य कारण क्या है? ये सहायक कम्पनियां कई सालों से बिना किसी परेशानी के उनके लिए कार्य कर रही हैं।

मैं कुछ खास प्रश्न पूछना चाहता हूं। लम्बा भाषण देकर मैं आप पर बोझ नहीं डालूंगा। मैं संक्षेप में ही पूछूंगा। मेरा पहला प्रश्न यह है कि क्या न्यायालय में कोई ऐसा मामला है जिसमें किसी सहायक कम्पनी के कानूनी हक को चुनौती दी गई हो। यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है? इस विधेयक को पारित करने में इस प्रश्न से सहायता मिलेगी क्योंकि मेरे विचार से आपको पारदर्शी होना चाहिए। आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं क्योंकि ये सब आपके विभाग को पता है।

मेरा दूसरा प्रश्न है कि क्या यह सच नहीं है कि कोल इंडिया लिमिटेड की संपत्तियों में से की जमीनें बहुमूल्य हैं और सरकार उनसे लाभ उठाना चाहती है। मैं आपको बताता हूं कि यह कैसे

[श्री संतोष मोहन देव]

होता है। इन सहायक कम्पनियों में भूतलक्षी प्रभाव से संपत्ति के हस्तांतरण की आवश्यकता क्या है, खासकर तब, जबकि सरकार कोयला क्षेत्र में निजी निवेश को अनुमति देने के लिए, कोयला खान राष्ट्रीयकरण (संशोधन) विधेयक, 2000 ला चुकी है?

मैं पिछले सात दिनों से इस विधेयक का अध्ययन कर रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय ने इसे मेरी समिति को भेजा है। यदि आप इस विधेयक का अध्ययन करें तो ये सभी समस्याएं हल हो जाएंगी।

इस विधेयक को लाने की आपको इतनी जल्दी क्या है? मुझे और सभा को यह समझने दीजिए तभी हम आपका साथ देंगे और मेरे विचार से आपने विधेयक के उद्देश्यों और कारणों या कहीं और इसे स्पष्ट नहीं किया है। मेरा विचार था कि आप इसे स्पष्ट करेंगे। हम इसका समर्थन नहीं करेंगे। सरकार, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम जैसे कोयला बहुल राज्यों की समस्याओं का हल कैसे करेगी?

श्री राम टहल चौधरी (रांची): और झारखण्ड भी।

श्री संतोष मोहन देव : मैं माफी चाहता हूं, इसमें झारखण्ड भी है।

इन सभी चीजों पर विचार करते हुए, मेरा अंतिम प्रश्न है कि क्या आप उचित कदम उठाएंगे? मुझे विश्वास है कि आप अपने उत्तर में यह जरूर बताएंगे कि आप उचित कदम उठाएंगे। आधुनिकीकरण के लिए आपकी योजना और आपके कार्यक्रम क्या हैं? विद्युत क्षेत्र यह कहता रहा है कि जब आप कोयले की आपूर्ति करते हैं तो इसमें केवल 70 प्रतिशत ही कोयला होता है जबकि इसमें 20 प्रतिशत पत्थर और 10 प्रतिशत मिट्टी होती है। सभी कोयला धोवनशालाओं (वाशरीज़) की हालत खराब है। आपके पास धन का अभाव है। क्या सरकार का विचार भूमि बेचकर उससे अर्जित आय का निवेश कोयला धोवनशालाओं के आधुनिकीकरण में करने का है? वहां की स्थिति कैसी है? सिंगरेनी कोलफील्ड अच्छी तरह से कार्य कर रहा है। लेकिन मुझे पता चला है कि हाल ही में यहां एक चाल चली गयी है। मेरे लिए यहां यह कहना ठीक नहीं है क्योंकि लोगों ने मुझे ऊर्जा संबधी स्थायी समिति के सभापति के रूप में सूचना दी है। इसके अंतर्गत चलने वाली विद्युत परियोजना और इसका संयंत्र भी ठीक ढंग से कार्य कर रहे हैं। इन संपत्तियों को उन्हें बेचने और उन्हें जमींदार बनाने के लिए आप शीर्षक परिवर्तन करने का प्रयत्न न करें। ऐसा नहीं होना चाहिए।

जैसाकि मैंने कहा था, आप एक ईमानदार और विश्वसनीय आदमी हैं। आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। इसलिए, मैं विधेयक की पारदर्शिता के बारे में कह रहा हूं। विभाग को भी पारदर्शी बनाने का प्रयत्न कीजिए। मैं यह समझ नहीं पा रहा हूं कि वहां नियुक्त एक सचिव को मात्र एक महीने के ही भीतर स्थानांतरित क्यों किया जा रहा है। श्री कॉल क्यों हटाए गए? क्योंकि उन्होंने सत्ता के कुछ शक्तिशाली व्यक्तियों की कुछ मांगों को स्वीकार नहीं किया था। वे वहां दबाव डालने वालों को अनुगृहित नहीं कर सके। यदि उन्हें कोई पसन्द नहीं कर रहा था तो वित्त मंत्रालय से कोई दूसरा व्यक्ति भेज दिया जाता, यही हो रहा है।

आप सरकार का समर्थन कर रहे हैं ...*(व्यवधान)* जब आप सरकार का समर्थन कर रहे हों तो आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आप मुख्य स्तंभ हैं और अन्य सहायक स्तंभ हैं। इसलिए, आपको इन सब चीजों को ठीक करना हैं। मेरे विचार से यह ऐसा विधेयक है जिसे टाला जा सकता है। मेरे दल तथा मेरे साथ बैठे मुख्य सचेतक का निदेश है कि मैं इसका समर्थन करूं इसलिए मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। लेकिन मुझे ये सब बातें कहनी हैं। मैंने कल भी आप से कहा था और अपनी भावनाओं से अवगत कराया था। मेरे विचार से जब यह दूसरा विधेयक है तो इस समय इसकी बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। यदि फिर भी आप यह विधेयक प्रस्तुत कर रहे हैं तो आपको राज्य सरकारों के अधिकारों को छीनने हेतु इस विधेयक का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। आज, आंध्र प्रदेश को छोड़कर सभी राज्य सरकारें विश्व बैंक पर निर्भर हैं। उन्हें विश्व बैंक से बहुत अधिक धनराशि मिली है। अन्य राज्यों का नुकसान हो रहा है। पश्चिम बंगाल के पास अन्य संयंत्रों के लिए धनराशि नहीं है। झारखण्ड का भी नुकसान हो रहा है।

श्री के. येरननायडू (श्रीकाकुलम): आंध्र प्रदेश में सिंगरैनी खानें ठीक चल रही हैं। हमें इनसे लाभ मिल रहा है और हम अपने कामगारों को बोनस दे रहे हैं। हम शुद्ध लाभ में से उन्हें बोनस दे रहे हैं।

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर): आप भी श्री मूर्ति का अनुसरण कर रहे हैं। मैं आपकी प्रशंसा कर रहा हूं और जब मैं आपकी प्रशंसा करता हूं तो आप उसे नहीं समझ पाते हैं और आप पुनः आलोचना करना शुरू कर देते हैं। हम पुराने मित्र हैं। मैं चाहता हूं कि सिंगरैनी खानों को प्रोत्साहन मिले। जब मैं प्राक्कलन समिति का सभापति था तब मैं ताप विद्युत परियोजना देखने गया था और मैंने वहां एक पौधा भी लगाया था।

मैं हाल ही में वहां गया था। मैंने उसे बढ़ते हुए देखा था। परियोजना प्रबंधक ने मुझे बताया कि केवल पौधा ही नहीं बल्कि सिंगरैनी फील्ड्स में भी बढ़ोत्तरी हो रही है।

इसलिए, अंत में, मैं मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि मैं उनका समर्थन कर रहा हूं। इन शब्दों के साथ मैं अपना सशर्त समर्थन करता हूं। जब मैं आपका उत्तर सुन लूंगा तो मैं आपको पूर्ण समर्थन दूंगा।

अपराह्न 4.30 बजे

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह *पीठासीन* हुए]

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर): माननीय सभापति जी, यह बिल माननीय मंत्री जी इसलिए लाये हैं चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने भारत कोकिंग वर्सेज गवर्नमेंट ऑफ बिहार के मामले में एक निर्णय दिया था। उसी निर्णय के आधार पर माननीय मंत्री जी बिल लाये हैं। इसे राज्य सभा ने पास कर दिया है। यह बात सही है कि श्री संतोष मोहन देव जी एक कमेटी का जिक्र कर रहे थे। सौभाग्य से मैं भी उसी कमेटी का सदस्य हूं और कोल माइन्स के बारे में अगली मीटिंग में विचार होने जा रहा है। चूंकि माननीय मंत्री जी यह बिल लाये हैं, राज्य सभा ने इसे पास कर दिया है और उस पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय यह है:-

> "इस विधेयक का उद्देश्य कोल इंडिया लि. या किसी समनुषंगी कम्पनी में निहित भूमि के या भूमि में या उस पर के अधिकारों अथवा किसी कोयला खान, कोककारी कोयला खान या कोक भट्टी संयंत्र के संबंध में अधिकार, हक और हित के, कोल इंडिया लि. की किसी समनुषंगी कम्पनी या किसी अन्य समनुषंगी कम्पनी को, अन्तरण का निदेश देने और ऐसी भूमि या अधिकारों के कतिपय अन्तरणों का विधिमान्यकरण करने के लिए केन्द्रीय सरकार को सशक्त करना है। जो असैट्स सब्सिडीयरी कम्पनियों को ट्रांसफर हो गये, उसमें कहीं न कहीं कोई लेकुना रह गया। उस लेकुना को दूर करने के लिए माननीय मंत्री जी यहां पर यह बिल लाये हैं। आठ सब्सिडीयरी कम्पनियां हैं, जिनके नाम का उच्चारण करने की मुझे आवश्यकता नहीं हैं। अब वे अपने नाम पर दर्ज सम्पत्ति को अंतरित कर सकते हैं। उन्हें शक्ति प्रदान करने के उद्देश्य से यह विधेयक पुरः स्थापित किया गया है ताकि वे अपनी भूमि और सम्पत्ति को दूसरी कम्पनियों को अंतरित कर सके।"

यह एक छोटा सा अमेंडमैंट है। मेरे से पूर्व माननीय वक्ता ने जो बात कही है कि कोल इंडिया लि. के चेयरमैन नहीं हैं, सब्सिडियरी कम्पनी को टाइटल देने के बारे में बिल लाया गया है, वह एक प्रकार से रिट्रोस्पेक्टिव है। यदि इस प्रकार से भारत सरकार को इन सब्सिडीयरी कम्पनीज को जो दिया गया है, उनकी लैंड को और उनके इंटरेस्ट को ट्रांसफर करने का अधिकार मिल जाता है तो काम ठीक प्रकार से हो जाता है। इसीलिए यह बिल लाया गया है। यह बात सही है कि श्री संतोष मोहन जी जो बात बता रहे थे कि इन कम्पनियों के कर्मचारियों में निश्चित रूप से कहीं न कहीं असंतोष है। उन्हें बोनस या अन्य सुविधाएं नहीं मिल रही होंगी। माननीय मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि अब आप कोल मिनिस्टर हो गये हैं कर्मचारियों में जो असंतोष हैं, वहां जो चेयरमैन नहीं हैं, उस संबंध में माननीय मंत्री जी निश्चित रूप से कोई न कोई उपचार करेंगे और उपचार करने के बाद उसकी व्यवस्था करेंगे।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इसमें कई स्टेट्स को जो रॉयल्टी मिला करती थी, उसका जो नुकसान होगा, उसकी भरपाई किस प्रकार होगी, इस संबंध में भी वह विचार करें और स्टाम्प ड्यूटी का जो नुकसान राज्य सरकारों को होगा, उस संबंध में वह निश्चित रूप से विचार करेंगे कि किस प्रकार से इस होने वाले नुकसान की पूर्ति होगी। कोल इंडिया की खदानों में चप्पे-चप्पे में भ्रष्टाचार की बात कही गई है। इस बारे में मुझे विशेष पता नहीं हैं। इस बारे में बिहार के लोगों को ज्यादा मालूम होगा। निश्चित रूप से इसमें कहीं न कहीं सुधार करना होगा। कानूनी प्रावधान में जो रुकावट आ रही है, कोल इंडिया सुचारू रूप से चल सके, उसके नाते माननीय मंत्री जी यह बिल लाये हैं। आपको मालूम ही है कि देसी कोयले की कीमत कोई देने को तैयार नहीं हैं, कोयले की कीमत धीरे-धीरे गिर रही है, उसकी गुणवत्ता भी गिर रही है। यह बात सही है कि यह बिल हमारी ऊर्जा समिति में डिस्कस होने जा रहा है। लेकिन मैं आपकी पार्टी का सदस्य होने के नाते, आपका सेवक होने के नाते इस बिल का समर्थन करता हूं।

इस बिल को पास किया जाए जिससे जो कानूनी दिक्कतें आ गई हैं, उन कानूनी दिक्कतों को दूर किया जा सके। यह छोटा सा बिल है। जो सबसीडियरी कंपनियां हैं, उनको राइट देने का यह बिल है। इन कंपनियों में जो भी कमियां होंगी, समिति अपनी ओर से जब रिपोर्ट देगी तो माननीय मंत्री जी निश्चित रूप से उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। इतना कहकर मैं बिल का समर्थन करता हूं। यह बिल जल्दी लाना चाहिए था, लेकिन देरी से लाया गया, इसका कारण मंत्री जी को मालूम है। सरकारें बदलती हैं और इसमें देर लग जाती है। इसका मुझे भी खेद है और मंत्री जी को भी खेद होगा। सबसीडियरी कंपनीज को जो अधिकार मिलना चाहिए प्रॉपर्टी और लैण्ड को ट्रांसफर करने का, वह अधिकार उनको मिल सकें, इसी भावना के साथ माननीय मंत्री जी जो बिल लाए हैं, मैं इसका पुरजोर समर्थन करता हूं और मुझे उम्मीद है कि सदन इस बिल को पास करेगा।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, मैं कोल इंडिया (अंतरण, विवियमन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2000 का विरोध करता हूं। इस विधेयक को पहली बार 1995 में राज्य सभा में पुंर:स्थापित किया गया था और इसके बाद इसे ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति को सौंप दिया गया। श्री संतोष मोहन देव की अध्यक्षता में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति ने बताया कि वे विधेयक संसद में प्रस्तुत करने की सिफारिश नहीं कर सकते हैं। उन्होंने इसका कारण बताया है। अपनी वर्ष 1995-96 की रिपोर्ट में उन्होंने विधेयक की संवीक्षा की है। उन्होंने कोयला मंत्रालय तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय का साक्ष्य लिया और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ऐसे विधेयक की कोई आवश्यकता नहीं है। तो फिर यह विधेयक उद्योग संबंधी स्थायी समिति को पुन: क्यों भेजा गया? उद्योग संबंधी स्थायी समिति ने भी इस विधेयक की जांच की और सिफारिश की कि इस विधेयक को पारित किया जाए।

महोदय, इस विधेयक की आवश्यकता क्या है? कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम के अंतर्गत वर्ष 1972 और 1973 में कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण किया गया। वर्ष 1972 से पूर्व सभी कोयला खानें निजी क्षेत्र के अंतर्गत थी। कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण क्यों किया गया? उनका राष्ट्रीयकरण इसलिए किया गया क्योंकि निजी प्रबंधन के अंतर्गत अवैज्ञानिक, तरीके से अंधाधुंध खनन किया जाता था तथा कामगारों से अधिक काम लिया जाता था और उनका शोषण किया जाता था। कामगारों के हितों की रक्षा करने, कोयला उत्पादन बढ़ाने तथा वैज्ञानिक तरीके से खनन करने के उद्देश्य से कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण किया गया। भूमि का स्वामित्व सरकार के पास था और तदनन्तर इसे कोल इंडिया को अंतरित कर दिया गया। अब इस भूमि को कोल इंडिया की आनुषंगिक ईकाइयों को और आगे अंतरित करने और इन्हें स्वतंत्र स्वरूप देने की क्या आवश्यकता है? कोल इंडिया के पास क्या बचेगा?

महोदय, हम मांग करते रहे हैं कि कोल इंडिया का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। इसका संगठन भारतीय इस्पात प्राधिकरण की भांति होना चाहिए। भारतीय इस्पात प्राधिकरण ही एकमात्र कम्पनी है। इसके अंतर्गत इस्पात संयंत्र हैं।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि. में केवल एक बोर्ड है और विभिन्न इस्पात संयंत्रों के लिए कोई पृथक बोर्ड नहीं है। लेकिन कोल इंडिया का अपना बोर्ड है। इसकी आठ अनुषंगी ईकाइयां हैं। पहले इसकी पांच अनुषंगी ईकाइयां थी लेकिन इसने कुछ खानों को दो भागों में विभक्त करके तीन और अनुषंगी ईकाइयां बनाई हैं। इसलिए,अब आठ अनुषंगी ईकाइयां हैं और उनके आठ बोर्ड हैं। ये आठ सफेद हाथी हैं। कोल इंडिया की तीन अनुषंगी ईकाइयां अर्थात् ई.सी.एल., सी.सी.एल., बी.सी.सी.एल. नव गठित झारखण्ड राज्य में स्थित हैं और ये तीनों इकाइयां घाटे में चल रही हैं। ये घाटे में इसलिए चल रही हैं क्योंकि ये सबसे पुरानी खानें हैं। रानीगंज और झरिया की खानें देश की सबसे पुरानी खाने हैं। इन तीनों अनुषंगी ईकाइयों के अंतर्गत बड़ी संख्या में भूमिगत खानें हैं इनमें से प्रत्येक इकाई में एक लाख से अधिक कार्यबल काम कर रहा है।

महोदय, जब ये अनुषंगी इकाइयां स्वतंत्र हो जाएंगी और जो भूमि कोल इंडिया लि. के स्वामित्व में है वह इन अनुषंगी ईकाइयों को अंतरित कर दी जाएगी। लेकिन इस समय भूमि को अंतरित करने की क्या आवश्यकता है? वर्ष 1972 और 1973 में कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् 1995 में यह विधेयक पुर: स्थापित हुआ, जब श्री अजित पांजा कोयला मंत्री थे। यह विधेयक पिछले पांच वर्षों से ठंडे बस्ते में पड़ा रहा। लेकिन अचानक सरकार को ध्यान आया और उसने यह विधेयक सभा के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। मैं यह जानना चाहता हूं कि कोल इंडिया से अलग होकर ई.सी.एल. का अस्तित्व बना रहेगा। कोल इंडिया की क्या भूमिका होगी? मंत्री महोदय ने उद्देश्यों और कारणों के कथन में इसके बारे में कुछ नहीं बताया है। यह विधेयक कोल इंडिया लि. अथवा किसी समनुषंगी कम्पनी में निहित भूमि के अथवा भूमि में या उस पर के अधिकारों अथवा कोयला खान, कोककारी कोयला खान या कोक भट्टी संयंत्र के संबंध में अधिकार, हक और हित के कोल इंडिया लि. की किसी समनुषंगी कम्पनी अथवा किसी अन्य समनुषंगी कम्पनी को अंतरित करने का निदेश देने और ऐसी भूमि अथवा अधिकारों के कतिपय अंतरणों का विधिमान्यकरण करने के लिए केन्द्रीय सरकार को सशक्त करना है। इन पकार की भूमि का प्रबंधन करने में अब कोई कठिनाई नहीं है। इसलिए, अब इस विधेयक की क्या आवश्यकता है और इसके पीछे क्या उद्देश्य है?

सभापति महोदय : कृपया अब अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, मैंने अभी अपनी बात शुरू की है और मैं केवल पांच मिनट ही बोला हूं।

सभापति महोदय : आपके दल को केवल चार मिनट ही आवंटित किये गये हैं और आप पहले ही पांच मिनट ले चुके हैं। अत:, कृपया संक्षेप में बोलिए।

श्री बसुदेव आचार्य : मैं अपनी बात संक्षेप में रखूंगा परन्तु यह एक महत्वपूर्ण विधेयक है। अत:, मुझे और 15 मिनट तक बोलने की अनुमति दी जाए।

अतः, अब इस विधेयक को लाने का क्या उद्देश्य है? इसका एकमात्र उद्देश्य है कि जब भारत सरकार ने उदारीकरण की नीति अपनाई और सभी कोयला खानों का निजी कम्पनियों के लिए खोलने का निर्णय किया, उस समय रक्षित खनन के लिए 1995 में कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम को संशोधित किया गया।

अब, इस विधेयक का उद्देश्य कोयला खनन का निजीकरण करना है। यह हमारे कोयला उद्योग के निजीकरण की दिशा में उठाया गया एक कदम है। उन्होंने इसका स्पष्टीकरण नहीं दिया है। उन्होंने कहा है कि यह एक बहुत ही साधारण विधेयक है। श्री भार्गव, यह साधारण सा विधेयक नहीं है। इसके पीछे एक मोटिव है। अतः, उनको यह स्पष्ट करना चाहिये कि इसमें कोल इंडिया की क्या भूमिका होगी। वह इस समय पर यह विधेयक क्यों ला रहे हैं। इस विधेयक से कोल इंडिया और उसकी आनुषंगिक इकाइयों के संगठन को मजबूत करने का उद्देश्य किस प्रकार पूरा होगा? नुकसान उठाने वाली आनुषंगिक इकाइयों का क्या होगा?

कल मुझे ई.सी.एल. के पुनरुद्धार के बारे में मंत्री महोदय से एक लिखित उत्तर प्राप्त हुआ। मैंने उनसे एक प्रश्न पूछा था। उन्होंने उसका सकारात्मक उत्तर नहीं दिया है कि भारत सरकार ई.सी.एल. के पुनरुद्धार पर विचार कर रही है। अपितु भारत सरकार 64 खानों को बंद करने पर सक्रिय रुप से विचार कर रही है। इस विधेयक को लाने का यही उद्देश्य है। ई.सी.एल. का क्या होगा? क्या ई.सी.एल. का अस्तित्व बना रहेगा? क्या सी.सी.एल. बनी रहेगी अथवा नहीं? क्या बी.सी.एल. बनी रहेगी अथवा नहीं? क्या वे खानों को बंद होने देंगे? पिछले आठ-नौ सालों में कितना निवेश किया गया है? क्या ईस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड को कोई बजटीय सहायता प्रदान की गई है? कोई बजटीय सहायता प्रदान नहीं की जा रही है। हम कोयले का आयात कर रहे हैं। हम कितना आयात कर रहे हैं? जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी, केवल सात मिलियन टन कोयले का आयात किया जाता था। आजकल 24 मिलियन टन कोयले का आयात किया जाता है। हमारे पास कोकिंग और गैर-कोकिंग दोनों प्रकार के कोयले के प्रचुर भंडार हैं। इसके बावजूद भी हम इसका आयात कर रहे हैं। यहां तक कि पहले घरेलू कोयले के मुकाबले आयातित कोयले के लिए कम रेल भाड़ा था। अब उसे समाप्त कर दिया गया है। उसमें 10 प्रतिशत की रियायत है। अतः, उन्हें ये सब बातें स्पष्ट कर देनी चाहिए।

ऊर्जा सम्बन्धी स्थायी समिति के सभापति ने एक और विधेयक भेजा है इस पर हमारी समिति विचार करेगी। फिर, अलग विधेयक लाने की आवश्यकता ही क्या है? क्या राष्ट्रीयकरण विधेयक में इस पहलू को शामिल किया जाएगा अथवा नहीं?

कोल इंडिया की स्थिति बहुत बुरी है। उन्होंने ठीक ही कहा है कि उसका कोई चेयरमैन नहीं है। हम यह नहीं जानते कि चेयरमैन कौन बनेगा। एक व्यक्ति का चयन हो गया था, परन्तु उसके घर पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने छापा मारा। ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड का कोई स्थायी चेयरमैन नहीं है। एक अध्यक्ष प्रबन्ध निदेशक हैं, जो तीन सहायक इकाइयों का काम देख रहा है। एक अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक तीन सहायक इकाइयों ई.सी.एल., सी.सी.एल. और बी.सी.सी.एल. का काम किस प्रकार देख सकता है? एक प्रबन्ध निदेशक तीन आनुषंगिक इकाइयों का काम देख रहा है। वहां कोई स्थायी चेयरमैन नहीं है। वहां भ्रष्टाचार है। मुझे बताया गया था कि कोल इंडिया का चेयरमैन बनने के लिए 40 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया था। यदि कोल इंडिया का चेयरमैन बनने के लिए इतनी बड़ी धनराशि की पेशकश होती है, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि वहां कितना भ्रष्टाचार है। वहां माफिया काम कर रहे हैं। माफियाओं का शासन है। माफिया इस बात की सिफारिश कर रहे हैं कि किसे चेयरमैन बनाया जाना चाहिये और अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक कौन होगा। भ्रष्टाचार को कम करने के लिए कोई ठोस उपाय नहीं किया गया है। ई.सी.एल. को पुनर्जीवित किया जा सकता है। बी.सी.सी.एल. और सी.सी.एल. का भी आधुनिकीकरण करके और उनमें धन का निवेश करके उन्हें पुनर्जीवित किया जा सकता है। यंत्रीकरण के लिए कितनी धनराशि खर्च की गई है? ई.सी.एल., सी.सी.एल. और बी.सी.सी.एल. में कितने प्रतिशत मशीनरी उपयोग में लाई जाती है।

उन्होंने करोड़ों रुपये खर्च करके भारी मशीनरी का आयात किया है। उसका कितना प्रतिशत उपयोग किया जा रहा है। इस मशीनरी का केवल 57 प्रतिशत ही उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कितना निवेश किया है?

कुछ दिन पूर्व, पिछले सप्ताह छह लाख कोयला कामगारों ने हड़ताल की थी। उनके हड़ताल पर जाने का कारण उनकी दो मांगें थी। एक मजदूरी-समझौते के बारे में थी, जिसे 13 सितम्बर को अंतिम रूप दिया गया था। 'सीटू' के अतिरिक्त सभी यूनियनों ने इस समझौते पर हस्ताक्षर करने से इंकार कर दिया था। इस पर हड़ताल हुई थी। चार सहायक इकाइयों, ई.सी.एल., बी.सी.सी.एल., सी.सी.एल, एस.ई.सी.एल. में पूरी तरह हड़ताल हुई सिंगरेनी कोयला खदान और डब्ल्यू.सी.एल. में भी पूर्ण हड़ताल हुई। इसके लिए पूर्ण ड़ताल हुई। इसका तात्पर्य यह है कि कोयला उद्योग के श्रमिकों ने मजदूरी-समझौते को नकार दिया है। इस सभा में मैंने मांग की थी कि कोल इंडिया लिमिटेड के प्रबन्धन को नये मजदूरी-समझौते के बारे में यूनियनों के साथ तत्काल बातचीत आरंभ करना चाहिये।

[श्री बसुदेव आचार्य]

महोदय, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि कार्यकारी अधिकारियों अथवा अधिकारियों के मामले में 120 प्रतिशत की वृद्धि की गई है; न्यूनतम वृद्धि लगभग 5,000 रुपये की गई है और अधिकतम वृद्धि 15,000 रुपये है। परन्तु 40 प्रतिशत मजदूरों के मामले में कोई वेतन वृद्धि नहीं की गई है उन्हें इस समझौते से कोई फायदा नहीं होगा अपितु उन्हें कम मजदूरी मिलेगी; कुछ श्रमिकों के मामले में बहुत ही कम वृद्धि की गई है। कार्यवाही अधिकारियों के लिए यह वृद्धि 120 प्रतिशत क्यों की गई है और श्रमिकों की मजदूरी में कमी क्यों की गई है? मंत्रालय कोल इंडिया के प्रबन्धन को यह निर्देश बल्कि आदेश क्यों नहीं दे रहा है कि श्रमिकों के साथ नए सिरे से बातचीत शुरू की जाये?

दूसरी मांग कोयला खान राष्ट्रीयकरण (संशोधन) अधिनियम निरसन विधेयक, जिसे कोयला उद्योग का निजीकरण करने के लिए राज्य सभा में पुर:स्थापित किया गया था को वापस लिये जाने के बारे में थी। मंत्री महोदय को स्पष्ट करना चाहिए कि इस विधेयक को लाने की क्या जरूरत है। इसके पीछे क्या उद्देश्य था? इस समय, वे यह विधेयक क्यों लाये। घाटा उठाने वाली सहायक इकाइयों का क्या होगा? कोल इंडिया लिमिटेड की इसमें क्या भूमिका होगी? क्या आनुषंगिक इकाइयों और कोल इंडिया को दुगुना कर और दुगुना उत्पाद शुल्क देना होगा? जहां तक राज्य सरकारों की रॉयल्टी का संबंध है

[हिन्दी]

आपका भी इसमें इंटरेस्ट है, लेकिन अभी मांग नहीं कर रहे, क्योंकि सारा झारखंड में चला गया।

सभापति महोदय : झारखंड के लिए मांग करेंगे।

श्री बसुदेव आचार्य : बिहार में तो अब कुछ रहा नहीं, लेकिन पहले बड़े जोर-शोर से आप मांग करते थे। हम भी आपको सपोर्ट करते थे।

[अनुवाद]

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति : यदि आपको दुगुना कर और दुगना उत्पाद शुल्क देना पड़ता है, तो फिर अधिनियम के अनुसार आपको दुगुनी रॉयल्टी दी जायेगी।

श्री बसुदेव आचार्य : इसकी व्यवस्था अधिनियम में नहीं है। इसमें पुन: संशोधन करना पड़ेगा। यह उसमें शामिल किया जाए।

अत:, इस विधेयक को लाने का कोई औचित्य नहीं है। आनुषंगिक इकाइयों को भूमि अंतरित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चूंकि सरकार की अवैध कार्य को वैध करने की मंशा है, इसलिए मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

डा. वी.वी. रमैया (एलूरू): माननीय सभापति महोदय, यह कोल इंडिया (अन्तरण, विनियमन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2000 को लाने के लिए मुख्यत: सर्वोच्च न्यायालय और बिहार सरकार जिम्मेदार है।

इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य कोल इंडिया लिमिटेड को प्राप्त कोयला खानों के भूमि अंतरण का अधिकार, नाम के हितों को इसकी सहायक कंपनियों को हस्तांतरित करने की शक्ति केन्द्रीय सरकार को प्रदान करना है, और निश्चित अंतरणों को सहायक कंपनियां, जिनमें, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, वेस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड, इस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीयूट लिमिटेड, साऊथ इस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड और महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड शामिल हैं को हस्तांतरित करने में सहायता देना है।

इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य भूमि का हस्तांतरण करना है। पूरे कोल इंडिया लिमिटेड के पास पर्याप्त भूमि है। जब सहायक कम्पनियां को भूमि बंधक रखकर पूंजी जुटानी पड़ती है, पैसा उधार लेना पड़ता हैं, तो यह उनके लिए संभव नहीं होता क्योंकि भूमिकाना हक उनके पास नहीं है। भूमि हक के अंतरण में भी कुछ समस्याएं हैं। और इसी कारण, यह विधेयक संसद में लाया गया ताकि उन्हें भूमि पर अधिकार प्राप्त हो सकें। राज्य सरकारों को दिया जाने वाला स्टाम्प शुल्क भी बहुत अधिक है। इन्हीं बातों को वह दूर रखा चाहते हैं ताकि उन्हें भूमि का अंतरण संभव हो सके। कोल इंडिया लिमिटेड का स्वामित्व, जिसका कि माननीय सदस्यों ने उल्लेख किया है, शत प्रतिशत केवल कोल इंडिया लिमिटेड के हाथों में है।

सहायक कंपनियों के पास पूंजी नहीं है। इस विधेयक से भूमि अंतरण संभव होगा। वास्तव में, यह एक तरह का दायित्व का निर्वहन करना है, सच्चाई तो यह है कि यह कोई बड़ी समस्या नहीं है।

जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा है, कोल इंडिया लिमिटेड और इसकी सहायक कम्पनियों का गठन मुख्यत: उत्पादन बढ़ाने के लिए है और श्रमिक संबंधों और उनके कल्याण की बातों को भी ध्यान में रखने के लिए किया गया है। सच तो यह है कि, आज अगर आप देखें तो, रेलवे द्वारा ढुलाई किए जा रहे माल का 40 प्रतिशत कोयले को ले जाने के लिए है। आज, जबकि रेलवे

ने अपनी तकनीक कोयला आधारित ईंजन से डीजल और बिजली के ईंजन से बदल दी है, रेलवे से कोयले की मांग समाप्त हो जाएगी। कोयले की ढुलाई मुख्यत: बिजली उत्पादन के लिए होगी। क्योंकि, हमारे देश के विकास का मुख्य स्रोत ऊर्जा है।

जैसा कि कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है, हमने अपनी मांग की पूर्ति मुख्यत: कोयले के आयात द्वारा की है। तटीय राज्यों की बिजली परियोजनाओं के लिए, कोयला का आयात सस्ता पड़ता है और वे उसे इस्तेमाल भी कर सकते हैं। परंतु देश के भीतर उत्पादन बढ़ाने के लिए, इसका आधुनिकीकरण ही एक उपाय है।

कोयले की ढुलाई में आने वाली लागत एक बड़ी समस्या हैं। आज सबसे उत्तम उपाय यह है कि हमें कोयला खानों के मुहानों पर धोवनशालाएं स्थापित करनी चाहिए जिससे कोयले की ढुलाई की लागत कम की जा सके। यह बिजली परियोजनाओं और कोयला खनन दोनों के लिए आर्थिक दृष्टि से लाभदायक और कार्य-कुशलता को बढ़ाने वाला होगा।

श्री संतोष मोहन देव ने सिंगरेनी कोयले की खानों का भी उल्लेख किया है। इसने काफी समय बाद मुनाफा देना आरंभ किया है। इसका कारण है कि वे बेहतर प्रबंधन और बेहतर प्रौद्योगिकी अपना रहे हैं। इन आनुषंगिक ईकाइयों को भी सुदृढ़ बनाना होगा। यदि उन्हें कुछ समस्या है तो इन समस्याओं को सुलझाने के लिए, वे एकजुट हो सकते हैं, यह एकीकरण है, बेहतर प्रबंधन तकनीक अपनाकर वे समस्याओं को सुलझा सकते हैं।

अपराह्न 5.00 बजे

आज कोल इंडिया उसके लिए आवश्यक सभी सहायता जुटाने के योग्य हो सकता है। हमारे कुछ सदस्यों ने अन्य शंकाएं व्यक्त की हैं क्या इसके लिए उत्पाद शुल्क और स्थानीय कर दोनों रूपों में दोहरे कराधान की ओर बढ़ना पड़ेगा। दूसरी बात आयकर प्रावधान और अन्य ऐसी ही बातों से संबंधित है। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री ने इन बातों पर ध्यान दिया होगा। संबंधित विभागों से मंत्रणा करने के बाद, वे इन पहलुओं पर निश्चित रूप से गौर करेंगे। जैसा कि हमारे माननीय सदस्यों ने कहा है, इस कोयला उद्योग में माफिया एक बड़ी चुनौती है जो प्रभावित करेगी। यह अति महत्वपूर्ण है कि हमें पूर्ण सावधानीपूर्वक उन पर निगरानी रखनी होगी। तभी वे इन सहायक कम्पनियों का संचालन कर पाएंगे जो कि विभिन्न राज्यों में हैं और सुदूर स्थित है। हमें कुछ क्षेत्रों में नक्सलवाद की समस्या पर भी नजर रखनी है। बहरहाल, यह विधेयक केवल भूमि अंतरण और मालिकाना हक का अधिकार देता है ताकि सहायक कम्पनियां आनुषंगी उचित बाहरी सहायता से स्वयं को अधिक कार्यकुशल बना सकें और स्वयं का आधुनिकीकरण करने के योग्य हो सकें। वित्तीय आवश्यकताओं के संबंध में, जो उनकी आवश्यकताएं है उन्हें वे वित्तीय संस्थाओं से उधार लेकर या पूंजी बाजार से राशि जुटाकर पूरा करेंगे। हालांकि हमें इस विधेयक की स्वीकृति पर कोई आपत्ति नहीं है, मुझे आशा है कि इन बातों और अन्य बातों पर माननीय मंत्री गौर करेंगे। ये सभी सावधानियां बरतते हुए, उन्हें इनमें सुधार करना चाहिए।

श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार (मैसूर): माननीय सभापति महोदय, मैं आपको मुझे इस विधेयक पर बोलने का अवसर देने के लिए धन्यवाद देता हूं। मेरा निवेदन है कि यह विधेयक इस सभा में सर्वोच्च न्यायालय के भारत कोकिंग कोल लिमिटेड बनाम बिहार सरकार पर दिए गये अपने फैसले के बाद लाया गया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह विधेयक राज्य सरकार को कोल इंडिया और उसकी सहायक कम्पनियों को भूमि के अंतरण का अधिकार देता है और कुछ हस्तांतरणों को विधिमान्य करने के लिए है।

मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि अधिकतर कोयला खानें आदिवासी क्षेत्रों में स्थित हैं। यह सभी जानते हैं। एक समाचार-पत्र ने कहा है कि कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां, जिसमें आस्ट्रेलिया की रीयो टिनटोन शामिल है, बहुत सक्रिय रही हैं, और इन क्षेत्रों में खनन की संभावनाओं का पता लगाने का प्रयास कर रही हैं। इस विधेयक द्वारा, पिछले दरवाजे से, सरकार भूमि अधिग्रहण अधिनियम की कमियों को दूर करने का प्रयत्न करेगी और इसीलिए इस विधेयक को लाया गया है। इस विधेयक के माध्यम से, वे आदिवासी भूमि और वन संसाधनों को गैर-आदिवासी लोगों को जिनमें बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी शामिल हैं आसानी से हस्तांतरित कर सकेंगी। यह बहुराष्ट्रीय कंपनियां बहुत थोड़ी राशि में कच्चा माल प्राप्त करती हैं। इसे तैयार करके हमारे देश में ही सौ प्रतिशत लाभ पर बेचा जाता है। इसके अतिरिक्त आप आदिवासी भूमि को अनधिसूचित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। आदिवासी भूमि को संविधान द्वारा संरक्षण प्राप्त है। आदिवासी भूमि को गैर-आदिवासियों को नहीं बेचा जा सकता। इस विधेयक द्वारा, आप इसकी अनुमति देने का प्रयत्न कर रहे हैं। आप आदिवासी लोगों के अधिकारों पर अतिक्रमण कर रहे हैं। मेरा यह निवेदन है कि आदिवासी भूमि को छेड़ा न जाए। रीयो टिनटोन और अन्य ऐसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को दूर रखा जाए क्योंकि वे अधिक लाभ नहीं पहुंचाती हैं। सरकार बड़ी संख्या में आदिवासी लोगों की जिन्दगी तबाह कर रही है। लाभ हमें प्राप्त नहीं होगा। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारों के भी प्रभावित होने की संभावना है क्योंकि विभिन्न पार्टियों से संपत्तियों के हस्तांतरण पर लिए जाने वाली रायल्टी और स्टाम्प शुल्क पर राज्य सरकारों के अधिकारों का अतिक्रमण किया जा रहा है।

[श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार]

सरकार इस सम्पत्ति को इस प्रकार ले रही है जैसे इसे किसी भी व्यक्ति को हस्तांतरित कर सकती है। यह कार्य गैर-कानूनी और अनैतिक है तथा बहुत बड़ी बेईमानी है। ऐसी सम्पत्ति के अंतरण के मामले में सरकार को विधि मंत्रालय से परामर्श करना चाहिए और यह विचार करना चाहिए कि आदिवासी लोगों के अधिकारों का अतिक्रमण न हो। यहां दोहरे कराधान की संभावना है और धारिता तथा सहायक कम्पनियों से उत्पाद शुल्क वसूल किए जाने की संभावना है जिसके परिणामस्वरूप मुकदमेबाजी और सम्पूर्ण कोल इंडिया कम्पनी को घाटा होने की संभावना है।

आगे मैं यह कहना चाहता हूं कि कोल इंडिया कम्पनी का कोयला उत्पादन वर्ष 1998-99 से लेकर चालू वर्ष तक काफी कम हो गया है। सरकार को कम्पनियों को खत्म करने के लिए इनके अधिकार छीनने का प्रयास करने के स्थान पर खनन संबधी गतिविधियां तेज करने पर विचार करना चाहिए ताकि अधिक कोयले का उत्पादन हो सके और इन सभी कोयला खानों को अर्थक्षम बनाया जा सके।

वर्ष 1998-99 में उत्पादन 18.168 टन था जबकि वर्ष 2000 में यह घटकर 17.52 टन हो गया इस कमी के क्या कारण हैं? मैं कोयला उद्योग अथवा इसके प्रबन्धन से, जो विभिन्न कोयला माफियाओं के चक्कर लगाते हैं और उनके इशारों पर नाचते हैं, यह पूछना चाहता हूं। उनके षड्यंत्र का पर्दाफाश किया जाना चाहिए। इससे राजस्व प्रभावित हुआ है और उत्पादन कम हुआ है।

हमारी जनसंख्या का सत्तर प्रतिशत भाग कृषि कार्यों में संलग्न है और गांवों में रहता है हमें उनके लिए विद्युत चाहिए। दुर्भाग्य से, सरकार ग्रामीण क्षेत्र अथवा कृषि क्षेत्र को बिजली प्रदान करने की स्थिति में नहीं है। कोयले के उत्पादन में सुधार करने के स्थान पर ताकि ताप विद्युत आधारित कंपनियां आगे बढ़कर पर्याप्त विद्युत का उत्पादन कर सकें, इस सरकार ने तो कोयला उद्योग को उत्पादन के लिए पुन: सक्षम बनाने पर विचार करने की जरूरत भी नहीं समझी।

इसके स्थान पर सरकार ने कोयला कंपनियों के निजीकरण और प्रबन्धन में भागिता के लिए विदेशी कंपनियों को आमंत्रित किया है। 1971 और 1973 में कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। सरकार उनका कुछ निजीकरण कर सकती थी, परंतु मैं यह समझता हूं कि इसे देश, कोयला कंपनियों और विशेष रूप से अधिकांश आदिवासी, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हक में नहीं है, के हितों की पूर्ण अनदेखी नहीं करनी चाहिए।

श्री पी.एच. पांडियन (तिरूनेलवेली): तमिलनाडु में कुड्डालौर में अभी तेज समुद्री तूफान आया था। माननीय मंत्री यहां मौजूद हैं। तमिलनाडु में समुद्री तूफान के क्या विनाशक प्रभाव हुए और केन्द्र सरकार कौन-कौन से राहत उपाय करने जा रही है।

अभी हमें जानकारी मिली है। माननीय मंत्री यहां उपस्थित हैं। उन्होंने वहां वक्तव्य दिया है।

कृषि मंत्री (श्री नीतीश कुमार): मैंने उनको सूचित कर दिया है।

श्री पी.एच. पांडियन : उन्होंने अभी दूसरे सदन को सूचित किया है। उसकी तीव्रता और प्रभाव क्या हुए? इसका विनाशकारी प्रभाव पड़ा है। उन्हें वक्तव्य देना है।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : सभापति महोदय, मौसम विज्ञान विभाग ने पहले से इसकी चेतावनी दी थी, इसलिए पहले से उन इलाकों में इवैक्यूएशन आदि का काम हुआ था। अभी यह सूचना प्राप्त हुई है कि लगभग दो बजे वह साइक्लोन कडलूर के ऊपर से गुजरा है। उसकी स्पीड और विलॉसिटी 90 से 100 किलोमीटर पर-आवर के बीच है। तमिलनाडु गवर्नमैंट से सूचना प्राप्त हुई है कि कुछ पेड़ उखड़े हैं और नागपट्टनम इलाके में वर्षा हो रही है। जैसा मौसम विज्ञान विभाग द्वारा पहले से बताया गया कि तमिलनाडु, पांडिचेरी और दक्षिणी आन्ध्र प्रदेश के तटवर्ती इलाकों में इसके चलते व्यापक वर्षा होगी। जो सूचना मिली है, उसके मुताबिक अभी तक की यही स्थिति है।

श्री पी.आर. खुंटे (सारंगढ़): सभापति महोदय, मैं कोल इंडिया (अन्तरण, विनियमन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2000 के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। पूर्ववर्ती सरकार की गलत और भ्रष्ट प्रबन्धन के चलते हमारा देश कोयले के मामले में बहुत पिछड़ा है। दुनिया में कई ऐसे देश हैं जैसे चीन, आस्ट्रेलिया और पोलैंड जो कोयला उत्पादन में और कोयले की गुणवत्ता बढ़ाने में सर्वोत्तम स्थान पर हैं। हमारे देश में कोयले के उत्पादन में वृद्धि हो रही है। 1998-99 में वह 206.31 मिलियन टन था। वह बढ़कर 208.18 टन चला गया। इसका उत्पादन तो बढ़ रहा है लेकिन कोयले की क्वालिटी में किसी प्रकार की बढ़ोत्तरी नहीं हो रही है।

अपराह्न 5.12 बजे

[श्री पी.एच. पांडियन *पीठासीन* हुए]

हमारे देश में कोयले की जो क्वालिटी होनी चाहिए, वैसी क्वालिटी का कोयला उपभोक्ताओं को नहीं मिल रहा है। इसका

उत्पादन बढ़ा कर इसका फायदा उठाना चाहिए। आप इस बात पर जरूर विचार करे। जितनी हमारी मांग है, हम उतने कोयले का उत्पादन नहीं कर रहे हैं। एक तरफ जो कोयले का उत्पादन होता है, वह ज्यों-का-त्यों पड़ा रहता है क्योंकि क्वालिटी की कमी है। हम इसका ज्यादा उत्पादन करते हुए भी निर्यात नहीं कर रहे हैं। हमें दूसरे देशों से इसका आयात करना पड़ता है। मेरी मांग है कि उसका उत्पादन बढ़े या न बढ़े लेकिन कोयले का दर्जा बढ़ना चाहिए। वह प्रथम श्रेणी का होना चाहिए ताकि उसका इस्तेमाल उपभोक्ता कर सकें।

हमारे देश में कई कोयले के कारखाने हैं। सी.आई.एल. और बी.सी.सी.एल. ऐसी कम्पनियां हैं जो कोयले का उत्पादन करती हैं। एक ही कम्पनी सी.आई.एल. करीबन 86 परसैंट कोयले की पूर्ति करती है। हमारे देश में कोयले का पिछले दिनों क्या दाम था?

सन् 1999 में यह 595.84 रुपये प्रति टन था जो बढ़कर 775.62 रुपये प्रति टन हो चुका है। हमें यह देखना चाहिये कि उत्पादन कितना हो? सभी जगह जरूरत से ज्यादा लोग खदानों में काम कर रहे हैं। किसी खदान में तो दस गुना से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। इस कारण से उत्पादन की लागत बढ़ रही है और उत्पादन लागत ज्यादा होने के कारण हम अन्य देशों से बहुत पीछे हैं, उनसे स्पर्द्धा नहीं कर पा रहे हैं। यदि कोई नया आदमी कोयला उद्योग करना चाहे या चलाना चाहे तो उन्हें बाहरी देशों से सॉफ्ट लोन मिल जाता है। उदाहरण के लिये, जर्मनी ने हमारे देश को कोयला खनन के लिए लोन दिया है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि वे सॉफ्ट लोन तो देते हैं लेकिन साथ में शर्त भी निर्धारित करते हैं। मशीनरी चले या न चले, उनके पुर्जे भारत में मिलें या न मिलें, विदेश से आयात की गई मशीन बंद हालत में पड़ी हुई हैं। आखिर, यह नुकसान किसका हो रहा है? कुल मिलाकर हमारे देश का नुकसान हो रहा है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से मांग करना चाहता हूं कि कोयले की स्पर्द्धा करने के लिये हमारे यहां के कोयले के अंदर जो राख है, उसे निकालने के लिये कोयला धुलाई होनी चाहिये। हमारे यहां कोयला धुलाई के लिये कई प्रोजैक्ट लगाये जाने चाहिये। ये धुलाई प्रोजैक्ट निजी क्षेत्रों में भी खोल देने चाहिये। हमारे पास इतना कोयला है कि विदेशों को निर्यात कर सकते हैं, केवल इच्छा शक्ति की जरूरत है।

सभापति महोदय, हमारे नवगठित छत्तीसगढ़ प्रदेश में मेरा संसदीय क्षेत्र सारंगढ़ आता है जहां कोयला खनन का कार्य कोरबा, चिरिमिरी, रायगढ़ के अतिरिक्त उड़ीसा राज्य से लगे क्षेत्रों में भारी मात्रा में कोयला उत्पादन होता है। इसलिये मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि मेरे क्षेत्र में कोयला धुलाई प्रोजैक्ट की स्थापना की जाये। वहां इस प्रोजैक्ट की काफी संभावना इसलिये भी है कि प्राय: सभी बड़ी नदियों-महानदी, हसो, केलो, मान, पैरी, अर्पा आदि का पानी बहकर समुद्र में चला जाता है। उस पानी का लाभ स्थानीय लोगों को नहीं मिल पा रहा है। हमारे क्षेत्र में जिस तरह से कोयला खनन का काम होता है, उसके लिये धुलाई प्रोजैक्ट लगाया जाना जरूरी है। इसका लाभ शासन को राजस्व के रूप में प्राप्त होगा ही, साथ ही बेरोजगारों को रोजगार मिल सकेगा।

सभापति महोदय, मैं आपके ध्यान में एक बात और लाना चाहूंगा कि कोयला खदान में जो लेबर चार्जेज लग रहा है, एक ट्रक कोयला खदान के लिये एक हजार रुपया मजदूरी के लिये लगती है।

उस कोयले को ट्रक में लोड करने के लिए प्रति ट्रक आठ रुपये भुगतान करना पड़ता है और उस ट्रक को पास कराने के लिए खासकर हमारे छत्तीसगढ़ और झारखंड प्रदेश में जो अभी नया प्रदेश गठित हुआ है, वहां के थानेदारों को प्रति ट्रक पांच हजार रुपये रिश्वत के रूप में दिये जाते हैं। इसलिए इस अंचल के थानों में थानेदार लोग भारी-भरकम रिश्वत देकर थाना प्रभारी बनकर जाते हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : इसके लिए एक घंटा दिया गया है। एक घंटा, दस मिनट हो चुके हैं। तीन और सदस्यों को बोलना है। कृपया अपनी बात खत्म कीजिए।

[हिन्दी]

श्री पी.आर. खूंटे (सारंगढ़): सर, मैं पहली बार बोल रहा हूं, पहली बार सदस्य चुनकर आया हूं। मुझे सदन में बोलने का मौका नहीं मिला है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : यदि यह आपका पहला भाषण है, तो मैं आपको अनुमति दूंगा।

[हिन्दी]

श्री पी.आर. खूंटे : माननीय सभापति जी, उस ट्रक का भाड़ा करीब दस हजार रुपये लगता है और उस ट्रक से जो कोयला भेजा जाता है, वह कोयला बनारस में लगभग चालीस हजार रुपये में बिकता है। महोदय, आपको याद होगा पूर्व में कोयले से डीजल

[श्री पी.आर. खुंटे]

बनाने के लिए इसका उपयोग करने का सुझाव आया था। लेकिन उस दिशा में अभी तक क्या पहल हुई है, किसी को पता नहीं है। आज देश में डीजल का संकट है। हमें डीजल विदेशों से महंगी दर पर आयात करना पड़ता है, जिससे उपभोक्ताओं को बहुत असुविधा होती है। अगर हम कोयले से डीजल का उत्पादन करें तो ईंधन के रूप में काफी सफलता अर्जित कर सकते हैं।

सभापति महोदय, आज जहां-जहां भी कोयले का खनन हो रहा है, जहां भी कॉलियरीज हैं, वहां इतना भयंकर भ्रष्टाचार है कि उसका उदाहरण इस सदन में देने में संकोच होता है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इस भ्रष्टाचार को रोकने की दिशा में वह पहल करें और साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि देश में जहां भी कॉलियरीज हैं, जहां बड़ी संख्या में हरिजन, आदिवासी और गरीब तबके के लोग कोयला खनन के कार्य में लगे रहते हैं, उनका श्रमिकों के रूप में शोषण होता है। जो श्रमिक वहां काम करते हैं, उन्हें आकस्मिक मृत्यु के बाद उचित मुआवजा भी नहीं मिलता है। इतना ही नहीं, कई ऐसी कॉलियरीज हैं जहां मजदूरों के लिए सस्ती दर की कैन्टीन भी नहीं हैं। अगर मजदूर बीमार पड़ जाते हैं तो वहां सस्ती स्वास्थ्य सेवा भी सुलभ नहीं कराई जाती है। इस विधेयक पर अनेक माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं और उनकी ओर से बहुत अच्छे सुझाव आये हैं। इसे राज्य सभा ने पास कर दिया है और मुझे विश्वास है कि लोक सभा का सम्मानित सदन भी इस विधेयक को सर्वानुमति से पास करेगा। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं और इस विधेयक का पुरजोर समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : सभापति महोदय, कोल इंडिया का विधेयक जमीन की हेराफेरी करने के लिए लाया गया है। हेराफेरी करने के लिए सैंट्रल गवर्नमैंट को पावर्स मिल जाएं, इसलिए यह बिल लाया गया है। यह 1995 में तैयार हुआ था, उस समय श्री अजीत पांजा इसके मिनिस्टर थे। वह चाहते थे कि यह विधेयक पास हो जाए। लेकिन वह इधर से उधर चले गये। अभी श्री षणमुगम जी पांच वर्ष के विलम्ब से यह विधेयक लाये हैं। सन् 1972-73 में नेशनलाइजेशन हो गया, मॉडर्नाइजेशन हो गया। अब ब्रिटेन में कोयला इतना ज्यादा पैदा हो गया कि उन्हें रोकना पड़ा। लेकिन अपने यहां कोयले की क्या स्थिति है। माननीय सदस्य भाषण कर रहे थे, सब कहते हैं कि माफिया है, कोल माफिया है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि कोल माफिया का इसमें बोलबाला है। उसे रोकने के लिए सरकार कौन सी कार्रवाई कर रही है। इसमें करप्शन, भारी भ्रष्टाचार और लूट है।

आज वे सबसीडियरीज एक व्हाइट ऐलीफैन्ट हैं ऐसा बसुदेव आचार्य जी कहते हैं जिनका घर भी कोयला क्षेत्र में है और वहां कोयला खानें हैं। कोयला खान मजदूरों की हालत आज ठीक नहीं है। उनका भारी शोषण होता है। नीति कहती है कि कम से कम 40 प्रतिशत पनबिजली होनी चाहिए और 60 प्रतिशत थर्मल पावर होनी चाहिए। ज्यादा पनबिजली हो जाए तो अच्छा है। हमारे देश में डेढ़ लाख मैगावाट पनबिजली की पोटेन्शियेलिटी है लेकिन सरकार उसके लिए उपाय नहीं कर रही है। कोयला तो जमा धन है। कोयला जलाकर जो बिजली पैदा करते हैं, उसके बजाय पनबिजली पर जोर दिया जाना चाहिए। इस पर ध्यान न देने से अपनी संपत्ति कोयले को हमें जलाना पड़ता है। केवल अपने देश के कोयले से काम नहीं चल रहा है। फिर कहते हैं कि विदेशी कोयला सस्ता है। उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी लगती है। ऑस्ट्रेलिया से, साउथ अफ्रीका से कोयला मंगाया जाता है। थर्मल पावर प्लांट में हम देखते हैं कि खराब कोयला दिया जाता है और कोयला के बदले पत्थर भेज दिया जाता है। इससे थर्मल पावर प्लांट भी नुकसान में हैं। सरकार को देखना चाहिए कि जिस लायक जरूरत है थर्मल पावर प्लांट में, जिस तरह की कोयले की जरूरत है, उस तरह का कोयला उपलब्ध हो। कोयले की जगह पत्थर जाने से टर्बाइन और बॉइलर खराब हो जाते हैं। कोयले का पाउडर बनाते हैं और जब बॉइलर में झोंकते हैं तो पत्थर पिसकर बॉइलर में चला जाता है जिससे वह खराब हो जाता है। हमारे यहां ज्यादा थर्मल पावर प्लांट हैं। इसलिए कोल सप्लाई ठीक से होई यह सरकार को देखना चाहिए। पनबिजली पर ध्यान ज्यादा देना चाहिए क्योंकि कोयला तो निश्चित मात्रा में है और भविष्य के लिए हमें उसे सुरक्षित रखना चाहिए। हमारे देश में डेढ़ लाख मैगावाट कैपेसिटी पनबिजली की है।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ और कोल से जो राज्यों को पैसा मिलता था, वह रोक दिया गया। उससे जिन राज्यों में कोयले का उत्पादन होता है, खानें है, उनका बड़ा भारी नुकसान हो रहा है। 1997 में एक ऐक्सपर्ट कमेटी बनी कि अभी जो कोयले की रॉयल्टी देते हैं, तीन-चार वर्ष बाद उसको बढ़ाना है तो वह काम नहीं होता है। जो कोयले वाले राज्य हैं, उनको नुकसान उठाना पड़ रहा है। 1997 में सरकार ने एक समिति का गठन किया। उस समिति ने रिपोर्ट दी कि ऐडवेलोरम आधार पर कोयले की रॉयल्टी मिलनी चाहिए लेकिन वह वजन के आधार पर मिल रही है। इससे अरबों रुपये की क्षति हर साल कोयला उत्पादक राज्यों को होती है। 1997 में जब सरकार की समिति ने रिपोर्ट दी तो क्यों सरकार उस पर बैठी हुई है? यह भी स्पेसेफिक ढंग से बताएं। झारखंड नया प्रदेश बना है, बिहार से केन्द्र सरकार की दुश्मनी थी इसलिए न्याय नहीं दिया, ऐडवेलोरम आधार पर, मूल्य के आधार पर कोयले की रॉयल्टी नहीं दी और वजन के आधार पर रॉयल्टी

दे रहे हैं। कीमत बढ़ती जाती है और रॉयल्टी वजन के आधार पर ही स्थिर है। ऐसा अंधेर, अन्याय चलने वाला नहीं है। अभी इन्होंने बिहार के दो हिस्से किये और प्रधान मंत्री कहते हैं कि रीऑर्गनाइज किया है। बिहार को आप दुश्मन मानते हैं तो हम आपसे कहने को तैयार हैं कि आपकी कृपा की जरूरत नहीं है, हम अपने बल पर लड़ने वाले हैं। बिहार की शिकायत करते हैं कि हमारा मजदूर बाहर जाता है रोजगार के लिए और अब देखिये, पंजाब का हारवैस्टर बिहार में जा रहा है।

बिहार की शिकायत करते हैं कि वह गरीब है, भूखा है जबकि सरकार के बैंकों में 37 हजार करोड़ रुपये वहां के गरीब आदमी ने जमा करके रखा है। आंध्र ने 26 हजार करोड़ रुपये जमा किये हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि इन्वेस्टमैंट कितना होता है? जब बिहार ज्वाइंट था तब 22 प्रतिशत था और अब 17 प्रतिशत हो गया है। क्या यह अंधेर नहीं है? हमारा पैसा देश के अन्य राज्यों में लगाकर आप देश को चलाते हैं और बिहार को भूखा कहते हैं? इसलिए यह सब बातें चलने वाली नहीं हैं। आपने झारखंड राज्य को बनाया और संयोग से वहां भाजपा का ही राज बन गया लेकिन वह टिकाऊ नहीं है। यह ठीक बात है कि एक धक्के में ही सरकार गिर जायेगी लेकिन अगर झारखंड राज्य के साथ भी अन्याय होगा तो हम चुप नहीं बैठने वाले हैं इसीलिए हम सरकार को सावधान करते हैं। झारखंड राज्य में ही खान-खनिज पड़ा है लेकिन आप तीन वर्ष 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 से कोयले की रायल्टी नहीं दे रहे हैं। यह चौथा वर्ष चल रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार की एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट, जिसमें यह बताया गया है कि मूल्य के आधार पर ही कोयले की रायल्टी मिलनी चाहिए, ऐडवेलोरम के आधार पर कोयले की रायल्टी मिलनी चाहिए, उसे आप क्यों दबाकर बैठे हुए हैं? आप क्यों राज्यों का हिस्सा मार रहे हैं? राज्यों की आर्थिक हालत खराब है जबकि सारे खान-खनिज का मालिक केन्द्र सरकार है, दिल्ली सरकार है। मैं पूछना चाहता हूं कि राज्यों के हिसाब से उसका रेवन्यू कहां है? इस प्रकार झारखंड का 1500 करोड़ रुपये का सरप्लस बजट होगा और बिहार का माइन्स 3000 करोड़ रुपये का बजट होगा। आपने यह राज्य बना दिया क्योंकि यह आपकी पार्टी प्रोग्राम में था। इसको बनाने से इनको ऐसा लगा कि हम बहुत भारी तरक्की का काम कर रहे हैं लेकिन आपने जितने राज्यों का हिसाब किया है, उसका हिसाब आपसे लोग लेंगे क्योंकि तेलंगाना भी उठ रहा है, विदर्भ भी उठ रहा है। इस तरह की कई मांगें उठ रही हैं। आपके लिए उनको संभालना मुश्किल हो जायेगा।

आपने झारखंड प्रदेश नया बनाया है। इस संबंध में बड़ा बयान हो रहा था कि वहां का हम विकास करायेंगे, तरक्की करायेंगे। मैं यह जानना चाहता हूं कि आप कोयले की रायल्टी झारखंड राज्य को कब दे रहे हैं। आपने तीन वर्ष तो बिता दिये हैं। ...*(व्यवधान)* पीछे वाला भूतलक्षित से होता। इनको पहले लगता था कि हम अपने स्वार्थ के लिए बोल रहे हैं लेकिन बंटवारे के बाद हम स्वार्थ में नहीं बल्कि परमार्थ में बोल रहे हैं कि झारखंड प्रदेश का जो हिस्सा मारा जा रहा है, वह उसे मिलना चाहिए। अगर आप नहीं मानेंगे तो हम केवल याचना करने वाले ही नहीं हैं बल्कि लड़कर लेने वाले हैं। उनको ठंडा करके, अकल सिखाकर, मजबूर करके हम अपना हक और न्याय लेंगे। यह उनको देना पड़ेगा। झारखंड हमारा हिस्सा है इसलिए उसे भी हम पीछे नहीं छोड़ेंगे। झारखंड प्रदेश के माननीय सदस्य इस विषय में कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि वे वहां बंधुआ मजदूर हैं। जब दुनिया से बंधुआ मजदूर खत्म हो रहा है तो ये वहां पर बंधुआ मजदूर बने हुए हैं। ये जनता की बात नहीं बोलेंगे इसलिए हमको बोलना पड़ेगा क्योंकि वाजिब और न्यायसंगत हमारी मांग है। जब सरकार इस पर स्पष्ट ढंग से उत्तर देगी तब हम इस बिल को सपोर्ट करेंगे, नहीं तो हम बिल को रोककर भी रख सकते हैं, इतना आप जान लीजिए। मेरा कहना है कि कमेटी की रिपोर्ट जो आप तीन साल से दबाकर बैठे हुए हैं, उसे आप कब देंगे। जब तक आप इसका स्पष्ट उत्तर नहीं देंगे तब तक हम इस बिल को पास नहीं होने देंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज): माननीय सभापति जी, माननीय मंत्री जी ने जो विधेयक इस सदन में राज्य सभा से पारित होने के पश्चात् उपस्थापित किया है, उसका हम समर्थन करते हैं। हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि 1972-73 में कोल कम्पनियां का नैशनलाइजेशन हुआ था, उस समय उसका उद्देश्य था कि जहां हम मजदूरों की सेवा शर्तों में सुधार करेंगे, उनको रहने के लिए आवास मुहैया करेंगे, उनके बाल-बच्चों के लिए पढ़ने की व्यवस्था करेंगे वहीं जिनकी जमीन ली गई, जिनका कोल खदान लिया गया है, उनको हम नौकरी देंगे।

उनके लिए व्यवस्था करेंगे। लेकिन मान्यवर, आज झारखंड अलग हो गया है। हम बिहार से आते हैं। हमें बिहार सरकार में भी रहने का मौका मिला लेकिन हमने नजदीक से देखा है कि जिनकी जमीन चली गई, जिनकी जमीन ले ली गई, वे आज ठोकरें खा रहे हैं। जब देश आजाद हुआ तो हमने जमींदारी प्रथा का नाश किया लेकिन एक नया जमींदार कोल फील्ड में पैदा कर दिया। सी.सी.एल., बी.सी.एल. की आज क्या परिस्थिति है। हम सोच रहे थे कि नैशनलाइजेशन के बाद अच्छे किस्म के कोयले का उत्पादन होगा, वैज्ञानिक ढंग से कोयले का उत्पादन होगा, उसमें चोरी समाप्त करेंगे। लेकिन आप गौर से देखेंगे तो पता लगेगा कि ऊपर से लेकर नीचे तक जितने भी पदाधिकारी हैं, वे

[श्री रघुनाथ झा]

चोरी करने में लगे हुए हैं। कोयले के इलाके के माननीय सदस्य यहां बैठे हैं। उस इलाके में हजारों रुपये का कोयला साइकिलों पर ट्रकों पर ले जाकर चोरी हो रहा है। इनके विभाग से आज तक चोरी रोकने का कोई उपाय नहीं हुआ।

एक मिश्रा कमेटी बनी थी। उसने जांच की थी कि कोयले के उत्पादन में कैसे वृद्धि हो, उसकी चोरी कैसे रोकी जाए। उसने अपने सुझाव दिए। इस सदन में भी उस बारे में चर्चा हुई और उसमें जिन अधिकारियों को इंगित किया गया कि उनकी देख-रेख में चोरी हो रही है, वे भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उन अधिकारियों को अच्छी-अच्छी फील्ड दी गई, उनको लूट करने की छूट दी गई, उनको छूट की तरजीह मिली। मुझे कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है, हम सब जानते हैं। इसी सदन के 26 माननीय सांसदों ने सी.सी.एल. के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप में प्रधान मंत्री जी को ज्ञापन दिया। उसकी जांच हो रही थी। कोल कन्सलटेटिव कमेटी में भी उस इलाके के सभी माननीय सदस्यों ने इस सवाल को उठाने का काम किया था। यह कहा था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्यवाही करें, जांच करें। लेकिन जांच हो रही थी तब तक कोल इंडिया के चेयरमैन को सी.सी.एल. का सी.एम.डी. बनाने के लिए कोल मंत्रालय ने अनुशंसा कर दी, सी.वी.सी. से भी क्लीयर करवा लिया। वह इतना प्रभावशाली व्यक्ति है। अभी सी.बी.आई. ने उसके घर में, रांची, मद्रास और दूसरी जगह छापे मारे तो पांच लाख रुपये की विदेशी शराब मिली, सात लाख रुपये का सोना मिला, मद्रास में घर मिला और कुछ लोग कहते हैं कि बीस लाख रुपये नकद मिले, कुछ कहते हैं कि अट्ठाइस लाख रुपये निकद मिले। उस अफसर को आज तक नहीं हटाया गया, सैक नहीं किया गया। उसी अफसर को बनाने के लिए ये सब लोग कोशिश कर रहे हैं। उसे सबसे बड़ी ताकत देने वाले हैं। हम कहना चाहते हैं कि बड़े लोगों के खिलाफ अगर चार्ज हुआ तो उन्हें मुख्य मंत्री का पद भी छोड़ना पड़ा है लेकिन वह अफसर कितना प्रभावशाली है, कितना ताकतवर है। वह सी.एम.डी. आज मंत्री की भी परवाह नहीं करता है। आज यह परिस्थिति है। ऐसे अधिकारियों को लेकर अगर आप चाहते हैं कि बहुत बड़ी क्रांति कर देंगे, बहुत उन्नति करेंगे तो यह संभव नहीं है। ...*(व्यवधान)* रिपोर्ट है, जांच हुई है। कोकिंग कोल की बिक्री नॉन-कोकिंग कोल करके करते हैं।

उसकी काफी रिपोर्ट पाई गई। ये सारे अधिकारी उस पर पालथी मारकर बैठे हुए हैं। ये जहां पर हैं, वहीं पर रहकर लूट कर रहे हैं और ये लोग चुपचाप हैं। हम लोग तो इस मामले को हाउस में लाएंगे। यह तो चूंकि बिल है, इसका लिमिटेड परपज है, लेकिन हम लोग हाउस में इस मामले को लाएंगे और बड़े से छोटे आदमी को हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं, चाहे हम इस पक्ष में रहें या उस पक्ष में रहें। इस सवाल को, भ्रष्टाचारियों को अगर कोई बचाने का काम करेगा तो हम लोग उसके खिलाफ लड़ने का काम करेंगे। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हम लोग दण्ड देने का काम करेंगे, जब तक कि हम लोगों की सारी मांग पूरी नहीं होंगी। रघुवंश बाबू रायल्टी के बारे में कह रहे थे, हम लोगों ने जीवन भर इसके लिए आन्दोलन किया। इसमें रायल्टी मूल्य आधारित होनी चाहिए, टनेज पर अभी रायल्टी मिल रही है। झारखण्ड तो अभी 1-2 महीने पहले अलग हुआ है, लेकिन हमारी रायल्टी का हिस्सा ये लोग तीन वर्षों से मारकर बैठे हुए हैं, नहीं दे रहे हैं।

अब हम लोग बहुत विनम्रतापूर्वक सरकार से, माननीय मंत्री जी से कहना चाहते हैं, मंत्री जी अभी आपका ट्रांसफर हैल्थ डिपार्टमेंट से कोयला डिपार्टमेंट में हुआ है। हैल्थ डिपार्टमेंट से आप कोयला विभाग में आये हैं तो जरा कोयले के मामले को ठीक करिये। जिस तरह से आपने हैल्थ को ठीक किया था, उस तरह से कोयले को ठीक मत करिये। आप इस काम को निष्ठापूर्वक करिये, हम लोग आपका समर्थन करेंगे। यह बिल तो चूंकि राज्य सभा से आया है, सुप्रीम कोर्ट के डायरैक्शन पर आया है तो हम लोग इसका समर्थन कर रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय (कलकत्ता उत्तर-पश्चिम): मैं कुछेक प्रश्नों और आपत्तियों के साथ इस विधेयक का समर्थन करता हूं। कोयला खानों में श्रमिकों की छंटनी का खतरा है और वे पूर्ण रूप से निराश और हताश हैं।

महोदय, इस विधेयक के माध्यम से सरकार का कोल इंडिया की परिसंपत्ति इसकी आनुषंगिक इकाइयों को सौंपने का विचार है। मैं कुछेक बातों का स्पष्टीकरण चाहता हूं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह भारत में कोयला खानों के निजीकरण की दिशा में उठाया गया कदम है। हम कोयला खानों का निजीकरण नहीं बल्कि उनका पूर्ण आधुनिकीकरण चाहते हैं। क्या माननीय कोयला मंत्री उसी प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं जो सेल के मामले में अपनाया गया है अर्थात् इस संगठन में उनके अधीन आठ निदेशक मंडल होंगे। यदि ऐसी बात है तो सरकार के लिए यह बहुत बड़ी और महंगी व्यवस्था होगी जिसके लिए सरकारी खाते में से और अधिक धनराशि अंतरित करनी होगी। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार कोल इंडिया में आठ निदेशक मंडल स्थापित करने का प्रयास कर रही है। जब माननीय मंत्री इस चर्चा का जवाब दें तो इस बात को भी स्पष्ट करें।

कोल इंडिया के श्रमिकों को, चाहे वह ई.सी.एल. हो, बी.सी.सी.एल. हो अथवा सी.सी.एल., सरकार से अपनी रोजगार-

सुरक्षा के संबंध में कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिल रहा है क्योंकि आस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका से कोयले का आयात काफी बढ़ गया है। अब कोल इंडिया का भविष्य अंधकार में है। यदि आयात बढ़ता रहा, तो कोल इंडिया का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जायेगा। यदि देश के किसी सरकार उपक्रम का अस्तित्व इस सीमा तक खतरे में पड़ सकता है तो मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि इस संगठन के अस्तित्व को बचाये रखने के प्रति उसका क्या दृष्टिकोण है।

महोदय, यदि इतने बड़े पैमाने पर कोयले के आयात को अनुमति दी जाती रही, तो कोल इंडिया लिमिटेड का भविष्य खतरे में पड़ जायेगा।

सभापति महोदय, इस प्रश्न के अतिरिक्त, मैं माननीय मंत्री से कुछेक प्रश्न और पूछना चाहूंगा।

इस संगठन के 7.5 लाख स्थायी कर्मचारियों सहित यह सबसे बड़ा दूसरा संगठन है। अत:, इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

महोदय, हमें अभी भी याद है कि तत्कालीन कोयला मंत्री श्री अजित कुमार पांजा ने कोयला श्रमिकों के लिए पेंशन योजना शुरू की थी। परंतु अब उनके लिए इस पेंशन योजना का इस विधेयक में अथवा इस मंत्रालय के निर्णय में कहीं नामोनिशान नहीं है। अत:, यह एक अन्य प्रश्न है जिस पर माननीय मंत्री को विचार करना चाहिए।

महोदय, कोल इंडिया लिमिटेड को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। श्री बसुदेव आचार्य यहां मौजूद हैं। मुझे अभी भी याद है कि जब श्री अजित कुमार पांजा कोयला मंत्री थे, उस समय इस विवाद पर बड़ी जल्दबादी की गई। पश्चिम बंगाल की सरकार जो उपकर और कोयले पर रॉयल्टी के रूप में दोहरा कर लगा रही थी और उसके कारण उत्पन्न हुए विवाद के कारण कोल इंडिया को अधिकतम घाटा हुआ। यह मामला अभी भी सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है।

यदि कोल इंडिया लि. की यह स्थिति हो गई है तो फिर इस महान संगठन की 64 खानों के कोयला श्रमिकों की स्थिति तो पूर्ण रूप से अनिश्चितताओं से परिपूर्ण होगी। कोयला श्रमिकों की स्थिति से सभी परिचित हैं। उनके पास घर नहीं है, उनके पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, जिससे वे अपने बच्चों को उचित शिक्षा दिलवा सकें। हर दिन उन्हें बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।

जहां तक इन श्रमिकों के मानवाधिकारों का प्रश्न है, सरकार उन्हें किस प्रकार सुरक्षा प्रदान कर रही है? मात्र विधेयक पारित करना पर्याप्त नहीं है। उन्हें कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए। यदि वे संगठन की विभिन्न कार्यालयीन व्यवस्थाओं को पुनर्संगठित करने के लिए संसद में अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें उन्हें वह अधिकार देने में हिचकिचाहट नहीं है अर्थात् श्रमिकों के हितों की हर कीमत पर सुरक्षा की जानी चाहिए।

आप जानते हैं कि सरकारी उपक्रम कंपनियों पर पहले से ही खतरा मंडरा रहा है, यहां तक कि कुछ लाभ अर्जित करने वाले उपक्रम भी खतरे में हैं। कोल इंडिया लि. को इस देश की विश्वसनीय कंपनी होने के नाते सभी प्रकार की सुरक्षा दी जानी चाहिए। मैं इस बात पर बल देता हूं कि आयातित कोयले से कोल इंडिया लिमिटेड के भविष्य पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, जो खत्म होने के कगार पर है। इसका मुख्यालय मेरे निर्वाचन क्षेत्र कलकत्ता उत्तर-पश्चिम में होने के कारण मुझे इस संगठन और इसकी समस्याओं की अच्छी जानकारी है। मुझे यह भी भली-भांति मालूम है कि इस कार्य संचालन में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

महोदय, कोयला मजदूरों के एक बड़े भाग का भाग्य अनिश्चितताओं और आशंकाओं से भरा हुआ है।

इस विधेयक का उद्देश्य बहुत सीमित है। हमें आपसे बातचीत करने का उचित अवसर नहीं मिला और मुझे उम्मीद है कि जब मुझे यह अवसर मिलेगा तो आप सभी प्रश्नों का स्पष्टीकरण दे देंगे, ताकि प्रत्येक वर्ग में यह संदेश जाये कि कोल इंडिया लिमिटेड को उत्प्रेरित किया जा सकता है, 64 खानों को प्रेरित किया जा सकता है और हम इन लोगों को नई रोशनी दिखा सकते हैं।

इन शब्दों के साथ, मैं पुन: इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): सभापति महोदय, आपने मुझे इस विधेयक पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात कहूंगा।

महोदय, यह एक महत्वपूर्ण विधेयक है जिसे हम राज्य सभा में पहले ही पारित कर चुके हैं। मुझे याद है कि श्री मोहन कुमारमंगलम तमिलनाडु के एक महान व्यक्ति थे जिन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण किया था।

तमिलनाडु के ही एक और मंत्री, जो अब कोयला मंत्रालय का नेतृत्व कर रहे हैं, संभवत: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के

[श्री प्रियरंजन दासमुंशी]

दबाव में आकर निजीकरण और विनिवेश के लिए विभिन्न उपायों का पता लगा रहे हैं। इस समय राष्ट्र का ध्यान राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार की ओर है कि विभिन्न विभागों के बारे में उसके क्या विचार हैं।

वित्त मंत्री भी चुप्पी साधे बैठे हैं, अरुण शौरी जी विनिवेश के बारे में अपने विचारों को अंतिम रूप देने के लिए एक के बाद एक इकाइयों का विश्लेषण कर रहे हैं। प्रत्येक मंत्रालय को अपनी नीति न बताने के कड़े आदेश हैं। यहां तक कि मारुति उद्योग लिमिटेड से संबंधित ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के दौरान हमने देखा कि मंत्री महोदय ने इस प्रश्न का स्पष्ट रूप से उत्तर नहीं दिया कि क्या उनका विनिवेश करने का कोई विचार है। हम अनुषंगी कंपनियों को संपत्ति के अंतरण का और अन्य सब बातों का समर्थन करते हैं। हम इस विधेयक का समर्थन करते हैं क्योंकि हम माननीय मंत्री जी की विवशताओं को समझते हैं। लेकिन क्या वह राजग सरकार की ओर से आज स्पष्ट रूप से यह घोषणा कर सकते हैं कि राजग सरकार का अपने कार्यकाल के दौरान भारत के कोयला क्षेत्र का निजीकरण करने का कोई विचार नहीं है अथवा इसकी दूर-दूर तक कोई योजना नहीं है? उन्हें इस बात का उत्तर देना होगा। उन्हें कोई अस्पष्ट उत्तर देने का प्रयास नहीं करना चाहिए।

कोयला माफिया कोयला क्षेत्र पर शासन कर रहे हैं। एक आम आदमी होने के कारण मुझे यह कहते हुये खेद है कि कोयला माफिया का कोयला क्षेत्र के अधिकारी वर्ग और राजनीतिज्ञों के बीच सांठगांठ है। कोयला माफिया ही कोयला खानों और कोयला क्षेत्र के घाटे को सुनिश्चित कर रहा है। यह देखा गया है कि इस क्षेत्र पर उन कामगारों की बजाय माफिया शासन कर रहा है जो वास्तव में अपने जीवन को जोखिम में डाल रहे हैं। इसलिए, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि वह कोयला खानों को माफिया के हाथों से बचाने के लिए क्या विशेष उपाय करने पर विचार कर रहे हैं। मैं यहां किसी का नाम नहीं लेना चाहता, माननीय मंत्री जी उन्हें अच्छी तरह जानते हैं। यह सूची बहुत लंबी है। आप किसी भी व्यक्ति को कोल इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन नियुक्त कर सकते हैं और हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है। हमारी उसमें कोई भूमिका नहीं है क्योंकि यह कैबिनेट की नियुक्ति समिति के पास जाता है। लेकिन कृपया किसी लॉबी के दबाव में किसी ऐसे व्यक्ति के नाम का प्रस्ताव करें जिसके विरुद्ध केंद्रीय जांच ब्यूरो की जांच चल रही है। यदि आप ऐसा करते हैं तो सरकार घोटालों से घिर जायेगी। सहायक कंपनियों के सरकारी पदाधिकारियों को नियमित आधार पर क्यों नहीं नियुक्त किया जाता है? केवल कार्यवाहक अधिकारी ही क्यों नियुक्त किये जाते हैं? कोल इंडिया लिमिटेड को आज तक चेयरमैन क्यों नहीं मिल सका? हमने समाचारपत्रों में पढ़ा है कि कुछ कार्यवाही की जा रही है लेकिन कृपया इन दबावों में मत आइए।

हाल ही में मैं कोयला मंत्रालय के सचिव से बात कर रहा था। मुझे एक रोचक जानकारी मिली है। ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड इस तरह से निविदा आमंत्रित करने का विचार कर रहा है कि निविदा के प्रत्युत्तर में किसी विशेष समूह को बढ़ावा मिले, किसी खास व्यक्ति को बढ़ावा दिया जाये। आपकी भी एक सहायक कंपनी निविदा आमंत्रित कर रही है। जब आप निविदा आमंत्रित करें तो आपको कतिपय विनिर्दिष्टयां अथवा आवश्यकताएं निर्धारित करनी चाहिए। लेकिन कुछ समूहों को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से वे निविदा संबंधी प्रपत्र को इस तरह से तैयार कर रहे हैं कि वे कुछ अपेक्षित मदों को नहीं दिखा रहे हैं। सहायक कंपनियों में यह भ्रष्टाचार सभी जगह व्याप्त है। इस भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए आपको कठोर कदम उठाने होंगे। कोल इंडिया लिमिटेड ने जो घाटा दिखाया है उसका कारण कामगारों की अकुशलता नहीं है वे मेहनत करते हैं बल्कि यह तो कोयला क्षेत्र के अधिकारी वर्ग और माफिया दोनों की हेराफेरी के कारण हुआ है। कोयले से लदे ट्रक के ट्रक कोलफील्डों से बिना किसी उचित प्रबंध के सीधे बंगलादेश तक जा रहे हैं। इस पर कोई रोक नहीं हैं। ऐसे माफिया हैं जिनकी पुलिस के साथ, कोयला क्षेत्र के अधिकारी वर्ग के साथ और सीमा सुरक्षा बल के कर्मियों के साथ भी सांठगांठ हैं।

चूंकि हमने राज्य सभा में इस विधेयक का समर्थन किया है, इसलिए हम यहां पर भी इसका समर्थन करेंगे। लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि मैंने जो तीन बातें पूछी हैं, वे उनका स्पष्ट रूप से उत्तर दें।

एक मुद्दा यह भी है कि आयात को कैसे कम किया जाये। मैं श्री बसुदेव आचार्य जी का आभारी हूं। उन्होंने पहली बार कांग्रेस की प्रशंसा की है। कांग्रेस के शासन के दौरान सात मिलियन टन कोयले का आयात किया जाता था अब 24 मिलियन टन कोयले का आयात किया जा रहा है। कोयले के आयात में इतनी अधिक वृद्धि क्यों हुई है? क्या यह इस तथ्य के कारण है कि भारत में विद्युत क्षेत्र में उभरने वाला निजी क्षेत्र और राज्य बिजली बोर्ड धोवनशालाओं में खराब व्यवस्था और कोयले की गुणवत्ता की शिकायत कर रहे हैं? अथवा यह किसी और कारण से है? आपको इस बात का विश्लेषण करना है क्योंकि अपने संसाधनों की बर्बादी रोकने के लिए यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और माननीय मंत्री से पुन: अनुरोध करता हूं कि वह सभा को स्पष्ट

रूप से यह आश्वासन दें कि कोयला खानों और किसी भी सहायक कंपनी का निजीकरण करने का कोई विचार नहीं है।

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति (विशाखापत्तनम): सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। कई माननीय सदस्यों ने यह कहा है कि इसका विकेन्द्रीयकरण करने से उत्पादन में वृद्धि होगी। कई माननीय सदस्यों ने यह भी कहा है कि हमें केवल आयात पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए। घरेलू उत्पादन में भी वृद्धि की जाए। अत: घरेलू उत्पादन में वृद्धि करने का यह सही कदम है। इसके साथ ही, इससे गुणवत्ता में भी सुधार होगा। माफिया अलग-थलग पड़ जायेगा। चूंकि हम एक ही माध्यम पर निर्भर है इस वजह से ही इतना अधिक भ्रष्टाचार फैला रहा है। इसे समाप्त किया जाना चाहिए। यदि आप बुनियादी ढांचा व्यापक बनायेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें शामिल होंगे और उत्पादन भी अधिक होगा। देश की ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यही उचित कदम है। हमें स्वच्छ ऊर्जा पर भी निर्भर करना चाहिए। पन विद्युत स्वच्छ ऊर्जा है जो हमारे देश में बेकार की जा रही है। यदि आप कोयले का उपयोग नहीं करते हैं तो वह बचा रहेगा, खराब नहीं होगा लेकिन यदि आप जल का उपयोग नहीं करते हैं तो वह बेकार हो जाएगा, और समुद्र में चला जायेगा। पन विद्युत का विकास करना होगा। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। दूसरी स्वच्छ ऊर्जा है परमाणु ऊर्जा। मुझे नहीं मालूम कि हम परमाणु ऊर्जा पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं। फ्रांस जैसे अन्य देशों में ऊर्जा की 90 प्रतिशत आवश्यकता परमाणु ऊर्जा द्वारा पूरी की जाती है। हम केवल तापीय ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं। उसके लिए आपको बढ़िया किस्म के कोयले की आपूर्ति करनी पड़ेगी। उसके लिए आपके पास धोवनशालाएं आदि भी होनी चाहिए। बढ़िया किस्म का कोयला न मिलने के कारण कई विद्युत संयंत्रों के समक्ष कठिनाईयां आ रही हैं। अधिकांशत: बढ़िया किस्म का कोयला उपलब्ध न होने के कारण संयंत्र बंद हो जाते हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं यह संशोधन लाने के लिए माननीय मंत्री का पूरा समर्थन करता हूं और मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि यह संशोधन जल्दी से जल्दी किया जाये।

[हिन्दी]

श्री हरीभाऊ शंकर महाले (मालेगांव): सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मंत्री जी इस सदन में जो बिल लाए हैं, मैं इसका समर्थन करता हूं। इस बिल पर दोनों तरफ से विचार होना चाहिए, लेकिन इस बिल पर एक ही तरफ से विचार हुआ है, दूसरी तरफ से नहीं हुआ। जमीन छीनने का काम करने के लिए विचार हो गया है, लेकिन जिसकी जमीन छीननी है उसके लिए क्या करने वाले हैं, इस पर विचार नहीं हुआ। मेरा यह कहना है कि उनको ज्यादा दाम देना जरूरी है और उनको नौकरी भी देनी चाहिए।

महोदय, देश खाली लक्ष्मी से, सरस्वती से नहीं चलता, इसके साथ-साथ श्रम भी चाहिए। जो व्यक्ति अपना पसीना बहाता है, उसके बारे में कभी किसी ने नहीं सोचा। इस बारे में भी सोचना चाहिए। मजदूर की स्थिति इतनी खराब है, मैंने खुद देखा है। महाराष्ट्र में ज्यादा से ज्यादा खदानें हैं, नागपुर में भी हैं। मजदूरों के ईलाज के लिए, शिक्षा और मकान आदि के लिए कोई सुविधा नहीं है। वे ऐसे ही पड़े रहते हैं, क्योंकि ये आदिम जाति के लोग हैं। सरकार हमेशा आदिम जाति का नाम लेती है, पानी पीते हैं तो आदिम जाति का नाम लेते हैं, हर जगह आदिम जाति का नाम लेते हैं, लेकिन इस प्रकार से कैसे चलेगा। यह बात ठीक नहीं है। दूसरी बात यह है कि कोयला तो रेवेन्यू देने वाला साधन है।

सायं 6.00 बजे

हमारे महाराष्ट्र में थर्मल पावर भुसावल में है, परली में लेकिन वहां हमेशा खराब कोयला जाता है जिससे थर्मल पावर में खराबी आती है, इस पर ध्यान देना चाहिए। यही मुझे विनती करनी है। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैं आशा करता हूं कि सभा यह विधेयक पारित होने तक सभा का समय बढ़ाने से सहमत है।

अनेक माननीय सदस्य : जी हां, महोदय।

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम.टी. पणमुगम): मैं उन माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस वाद-विवाद में भाग लिया और अपने बहुमूल्य तथा अच्छे सुझाव दिये। इस चर्चा में कुल 12 सदस्यों ने भाग लिया है। वे हैं: सर्वश्री संतोष मोहन देव, गिरधारी लाल भार्गव, बसुदेव आचार्य, बी.बी. रमैया, वाडियार, पी.आर. खूंटे, रघुनाथ प्रसाद सिंह, रघुनाथ झा, सुदीप बंद्योपाध्याय, प्रियरंजन दासमुंशी, एम.वी.वी.एस. मूर्ति और हरीभाऊ शंकर महाले।

संतोष मोहन देव जी यह जानना चाहते थे कि न्यायालय में ऐसा कौन सा मुकदमा है जिससे सरकार को यह विधेयक लाने के लिए विवश किया है। मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा कि अगस्त, 1990 में बी.सी.सी.एल. बनाम बिहार राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने जो कुछ कहा है, उसी संदर्भ में यह विधेयक लाने का निर्णय किया गया। देव जी ने आधुनिकीकरण और राज्य सरकार के हित की रक्षा करने की आवश्यकता की भी बात की थी। माननीय सदस्य ने यह भी महसूस किया कि कोल

[श्री एम.टी. पणमुगम]

इंडिया में रिक्त पदों को भरे जाने की आवश्यकता है और भ्रष्टाचार पर रोक लगायी जाये। कोयला खान राष्ट्रीयकरण (संशोधन) विधेयक, 2000 का उद्देश्य कोल इंडिया का निजीकरण करना नहीं है अपितु किसी भी भारतीय कंपनी, यह निजी कंपनी भी हो सकती है, को गैर-रक्षित कोयला खनन करने की अनुमति देना है। इसका उद्देश्य कोल इंडिया अथवा इसकी सहायक कंपनियों की भूमिका को कम करना नहीं है।

गिरधारी लाल भार्गव जी ने इस विधेयक का समर्थन करते हुये कहा कि यह विधेयक संविधि में कमी को दूर करने के लिए लाया गया है। उन्होंने सरकार से श्रमिकों की स्थिति में सुधार लाने का और यह सुनिश्चित करने का भी अनुरोध किया कि राज्य सरकार को हुये घाटे को पूरा किया जाये। उन्होंने सरकार से कोल इंडिया के प्रशासन में भी सुधार करने का अनुरोध किया है।

आचार्य जी ने विधेयक के इतिहास के बारे में बताया। उन्होंने कोल इंडिया में राष्ट्रीयकरण से पहले और उसके बाद के परिदृश्य की भी बात की। माननीय सदस्य चाहते हैं कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण के समान ही कोल इंडिया का भी गठन किया जाये। उन्होंने बी.सी.सी.एल, सी.सी.एल. आदि के बारे में चिंता व्यक्त की है। ऐसी अनेक भूमिगत खानें हैं। उनका विश्वास है कि श्रमिकों की संख्या अधिक होने के कारण उद्योग को घाटा हुआ है। उन्होंने कोकिंग कोल के आयात की भी बात की। मैं मंत्री महोदय को यह बताना चाहता हूं कि कोकिंग कोयले का आयात किया जा रहा है क्योंकि इसकी हमारे देश में कमी है। माननीय सदस्य ने अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशकों की कमी का भी उल्लेख किया है। ...*(व्यवधान)*

श्री वसुदेव आचार्य : हमारे पास प्रचुर भंडार हैं ...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : क्या कमी का समर्थन करने का आपके पास कोई कारण है? ...*(व्यवधान)*

श्री एन.टी. पणमुगम : भारत में कोकिंग कोयले की कमी है।

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा : सभापति जी, कमी कहां हैं, कोकिंग कोल को तो ये नॉन-कोकिंग को करके बेचते हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : उन्हें उत्तर देने दें।

श्री एन.टी. पणमुगम : महोदय, सदस्य महोदय ने उल्लेख किया है कि अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशकों की कमी है।

शीघ्र ही पी.एस.ई.बी. चयन प्रक्रिया का आयोजन करेगी।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, मंत्री महोदय क्या उत्तर दे रहे हैं? क्या इस देश में प्रतिभावान लोगों की कमी है?

श्री एन.टी. पणमुगम : उन्होंने कोयला कंपनियों में अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशकों की कमी का उल्लेख किया था। परन्तु पी.एस.ई.बी. जल्दी ही इस सम्बन्ध में चयन प्रक्रिया आयोजित करने जा रही है। उन्होंने कोल-इंडिया में भ्रष्टाचार का भी उल्लेख किया था। उन्होंने यह भी कहा था कि भारी मिट्टी खोदने की मशीनों का समुचित उपयोग नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कोयला श्रमिकों की हड़ताल का भी उल्लेख किया था। महोदय, कोल इंडिया श्रमिकों के साथ बातचीत शुरू कर चुकी है। मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं कि निश्चित रूप से इस पर यथाशीघ्र समझौता हो जायेगा। मैंने श्रमिकों के मुद्दों का निपटान करने का भी आदेश दिया है। इस विधेयक का उद्देश्य निजीकरण नहीं है।

श्री वसुदेव आचार्य : मंत्री महोदय, मैं यह नहीं जानता कि आपके पास इस बात की जानकारी है अथवा नहीं कि पहली बातचीत असफल हो चुकी है।

श्री एन.टी. पणमुगम : बातचीत अभी भी चल रही है। उन्होंने रॉयल्टी देने के बारे में कहा है। हम भी यह सोच रहे हैं कि रॉयल्टी यथामूल्य के आधार पर होनी चाहिये। इसको जल्दी ही निपटा लिया जायेगा। इससे राज्यों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। कोल इंडिया प्रबंधन, मजदूरी के मामले को निपटाने के लिए यूनियनों के साथ बातचीत कर रहा है। सरकार यथाशीघ्र इस मामले को निपटायेगी।

माननीय सदस्य, डा. बी.बी. रमैया ने विधेयक का समर्थन किया है। वह सरकार से यह प्रमाणित करवाना चाहते थे कि कोल इंडिया उद्योग के क्षेत्र में वे एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती रहे। वे यह महसूस करते हैं कि कोयले की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए कोल इंडिया को पिट-हैड-धोवनशालाएं स्थापित करनी चाहिये। उन्होंने कोयले के आयात और कोयला माफिया का भी उल्लेख किया है। उन्होंने यह भी कहा है कि कोल इंडिया के पास आनुषंगिक कंपनियों की पूंजी का 100 प्रतिशत शेयर है। अत:, इन संपत्तियों का अंतरण आनुषंगिक कंपनियों को कर देने से कोल इंडिया का अस्तित्व समाप्त नहीं हो जायेगा।

माननीय सदस्य, श्री वाडियार ने अपनी शंका व्यक्त की है कि आदिवासी भूमि को गैर-आदिवासी लोगों को अंतरित करने में संभवत: इस विधेयक का दुरूपयोग किया जायेगा और बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी उनका शोषण करेंगी। उन्होंने राज्यों को स्टॉम्प शुल्क घाटों के प्रति भी चिंता जाहिर की है। वह चाहते हैं कि कोयले का उपयोग करके कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विद्युत का उत्पादन किया जाना चाहिये। माननीय सदस्य, श्री पी.आर. खुंटे ने विधेयक का समर्थन किया है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, वह उत्तर नहीं दे रहे हैं। वह केवल यह बता रहे हैं कि सदस्यगण ने क्या कहा। उन्हें उठाये गये प्रश्नों का जवाब देना चाहिये। यह धन्यवाद प्रस्ताव नहीं है।

श्री एन.टी. चणमुगम : महोदय, मैं उसका जवाब दूंगा। वह यह भी चाहते हैं कि धोवनशालायें स्थापित करके कोयले की गुणवत्ता में सुधार किया जाना चाहिये। वह यह भी महसूस करते हैं कि इससे आसपास के क्षेत्र में रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। महोदय, कोयले से डीज़ल का उत्पादन करने के प्रयास किये जायेंगे। उन्होंने कोल इंडिया में भ्रष्टाचार को कम करने के लिए सरकार द्वारा उठाये गए कदमों के बारे में पूछा।

माननीय सदस्य, श्री रघुवंश प्रसाद सिंह ने भ्रष्टाचार और कोयला-माफिया के बारे में बोला है। वह यह महसूस करते हैं कि कोयला श्रमिकों का शोषण किया जा रहा है। वह यह समझते हैं कि ताप विद्युत पर निर्भरता को कम किया जाना चाहिये। उन्होंने कहा है कि कोयले की गुणवत्ता में सुधार किया जाना चाहिये। उन्होंने रॉयल्टी बढ़ाने के बारे में भी बोला है। उन्होंने इस पर चिंता व्यक्त की है कि पहले तीन वर्षों में रॉयल्टी नहीं दी जा रही है।

माननीय सदस्य, श्री रघुनाथ झा ने विधेयक का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि विस्थापित लोगों को राहत प्रदान की जानी चाहिये। वह यह चाहते हैं कि भ्रष्टाचार और कोयले की चोरी को रोका जाना चाहिये।

सदस्य आर.एन. मिश्रा समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों का कार्यान्वयन चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि प्रस्तावित कोल इंडिया के अध्यक्ष की सिफारिशें गलत थीं।

माननीय सदस्य श्री सुदीप बंद्योपाध्याय ने विधेयक का स्वागत किया। वह आधुनिकीकरण चाहते हैं और उनका कहना है कि श्रमिकों की समस्या को सुलझाया जाये, श्रमिकों को पेंशन दी जाये और श्रमिकों के अन्य हितों की रक्षा की जाये। उन्होंने यह भी कहा है कि कोयले के आयात का प्रभाव को.इं.लि. पर नहीं पड़ना चाहिये। वह चाहते हैं कि ईस्टर्न कोल माइन्स, जो घाटा उठा रही है, की बुरी स्थिति पर सरकार तत्काल ध्यान दे।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी ने कहा है कि इस विधेयक का उद्देश्य कोयला क्षेत्र की सुरक्षा करना है। सदस्य महोदय चाहते हैं कि कोयला माफिया की गतिविधियों की जांच की जाये और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण किया जाये। उन्होंने कोयले के आयात के बारे में भी अपने विचार व्यक्त किए हैं। इस संदर्भ में मैं यह कहना चाहूंगा कि आयात शुल्क मूल रूप में 15 प्रतिशत था। आयात में कमी करने के लिए हमने इसे बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर दिया। घरेलू कोयले के संवर्द्धन के लिए पहले रेल भाड़े में जो 10 प्रतिशत की रियायत दी जाती थी, उसे वापिस ले लिया है।

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति चाहते हैं कि कोयले की गुणवत्ता में सुधार किया जाये। उन्होंने विधेयक का समर्थन किया है और जल विद्युत और अन्य साफ-सुथरी ऊर्जाओं का संवर्द्धन चाहते हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि भ्रष्टाचार को रोका जाना चाहिये।

श्री हरिभाऊ शंकर महाले ने विधेयक का समर्थन किया और वे यह चाहते हैं कि आदिवासी लोगों के कल्याण का ध्यान रखा जाये। वे कोयले की गुणवत्ता में भी सुधार करना चाहते हैं।

मैंने सभा में कोल इंडिया (अंतरण, विनियमन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2000 पर हुई चर्चा और चर्चा के दौरान माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुना है। ये शंकायें जताई जा रही थी कि यह विधेयक निजीकरण को बढ़ावा देगा अथवा को.इं.लि. की भूमिका धारिता कम्पनी के रूप में हो जायेगी। स्टॉम्प ड्यूटी में अथवा खदान पट्टा प्रदान करने के अधिकार में राज्य के हिस्से में कमी के बारे में भी उल्लेख किया गया है। अब मैं चर्चा के दौरान उठाये गये महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में बताना चाहता हूं।

मैं यह बताना चाहता हूं को.इं.लि. की आनुषंगिक कम्पनियों में भूमि के कानूनी नाम, कोक ओवन संयंत्र, खनन संबंधी अधिकारों और अन्य सम्पत्तियों के कारण वहां मुकदमेबाजी और अन्य कानूनी खामियों को बढ़ावा मिला है। इस मामले की जांच सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति में की गई थी। समिति के निर्देश दिया था कि आनुषंगिक कम्पनियां जो को.इं.लि. को सौंपी गई खानों और सम्पत्तियों का वस्तुत: प्रबन्धन कर रही है के हक में भूमि और सम्पत्तियों के अंतरण संबंधी अधिकार, को बिना किसी विलम्ब के लागू किया जाना चाहिये। दो पूर्व महान्यायवादियों ने भी परामर्श दिया था कि उपयुक्त विधायी उपायों के माध्यम से इस मामले को सुलझाया जाना चाहिये।

[श्री एन.टी. षणमुगम]

उद्योग संबंधी स्थायी समिति ने सभा में चर्चा के दौरान उठाये गये अनेक मुद्दों की विस्तृत जांच भी की। 27 जुलाई, 2000 को लोक सभा में रखी गई स्थायी समिति की रिपोर्ट ने इन मामलों पर विस्तार से प्रकाश डाला और इसीलिए इन सब बातों पर पुन: विचार करना मेरे लिए आवश्यक नहीं है, समिति ने विधेयक को स्वीकृति देने की सिफारिश की है।

यह बताया गया कि नया विधान लाने के स्थान पर कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 में उपयुक्त संशोधन करके वही उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है। इस बात की सराहना की जानी चाहिये कि जो को.इं.लि. ने विभिन्न तरीकों और संविधियों जैसे 1972 और 1973 का कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 और भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 और प्रत्यक्ष समझौता, बातचीत इत्यादि के माध्यम से भूमि, खनन संबंधी अधिकार और अन्य सम्पत्तियां अर्जित की है। कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम में संशोधन में अन्य अधिनियमों और तरीकों से अर्जित भूमि और सम्पत्ति को शामिल नहीं किया जा सकता था। अत: एक अलग कानून बनाने की आवश्यकता है।

कुछ राज्य सरकारों द्वारा आशंकायें व्यक्त की गई है कि इस विधेयक को स्वीकृति देने से राज्य सरकारों के सांविधानिक अधिकारों, विशेष तौर पर खनन संबंधी पट्टा, स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क संबंधी अधिकारियों का उल्लंघन हो सकता है।

मैं इस पर बल देना चाहता हूं कि कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के उपरान्त केन्द्र सरकार राज्य सरकार की स्वीकृत पट्टेदार बन गई है। जब केन्द्र सरकार ने इसके बदले में इन कोयला खानों को कोल इंडिया लि. को सौंप दिया तो को.ई.लि. राज्य सरकार की स्वीकृत पट्टेदार बन गई। यह स्वीकृत पट्टे खनिज रियायत नियम, 1960 के साथ पठित, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के अंतर्गत प्रदत्त संविदाकृत पट्टे समझी जाती हैं। इसी प्रकार की व्यवस्था उक्त अधिनियम के अंतर्गत अर्जित भूमि और खनन संबंधी अधिकारों के संबंध में कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 के प्रावधानों के अंतर्गत की गई है। इस प्रकार, जहां भूमि और खनन संबंधी अधिकार उपर्युक्त विधानों के अंतर्गत अर्जित किये गये हैं, ये संविधियां खनन पट्टे प्रदान करने के संबंध में राज्य सरकारों के पास स्वविवेक की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ते।

जहां तक स्टॉम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क एकत्र करने के प्रश्न का संबंध है, मैं पुन: यह बताना चाहता हूं कि चूंकि ये लेन-देन कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम और कोयला धारक क्षेत्र अधिनियम के मौजूदा प्रावधानों के अन्तर्गत नहीं आते। यह विधेयक अन्य बातों के साथ-साथ पूर्ववर्ती प्रभाव से कोल इंडिया लि. से इसकी आनुषंगिक कम्पनियों को सम्पत्ति के अंतरण को वैध बनाता है। इस प्रकार के अंतरण को संपत्ति का अंतरण अधिनियम अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 के माध्यम से वैधता प्रदान नहीं की जा सकती क्योंकि उनमें पूर्ववर्ती प्रभावोपायों की अनुमति नहीं है। अत: ऐसे अंतरणों पर कोई शुल्क नहीं लगाया जा सकता।

इसके अतिरिक्त, जिन संपत्तियों के बारे में चर्चा हो रही है वे राष्ट्रीय संपत्तियां हैं और राष्ट्रीय हित में, उनके हस्तांतरण के लिए स्टाम्प शुल्क से छूट मिलनी चाहिए। स्थायी समिति भी इसी निर्णय पर पहुंची है कि और उनका भी यह विचार है कि प्रस्तावित कानून, राज्य विधान के अधिनियमों को अध्यारोही कर सकता है क्योंकि यह कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम के परिणामस्वरूप लाया गया है और इस अधिनियम की धारा 28 का अध्यारोही प्रभाव इस समय लागू किसी अन्य कानून को, जो इसके संगत नहीं है, निष्प्रभावी कर देता है।

कुछ माननीय सदस्यों ने यह आशंका व्यक्त की है कि विधेयक कोल इंडिया के निजीकरण में मददगार होगा। मैं माननीय सदस्यों को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि इस आशंका का कोई आधार नहीं है। यह विधेयक कोयला खानों के स्वामित्व को विधिमान्य करता है जिसका प्रबंधन और संचालन कोल इंडिया लिमिटेड की कोयला उत्पादक आनुषंगिक इकाईयां करती है ...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : यह निजीकरण की ओर उठाया गया कदम है।

श्री एन.टी. षणमुगम : नहीं, ऐसा नहीं है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : आप यह बताइए कि क्या यह सरकार की नीति है या कोल इंडिया लिमिटेड के निजीकरण या विराष्ट्रीकरण के लिए कोई नीति लंबित पड़ी है। आप इसका उत्तर दीजिए।

श्री एन.टी. षणमुगम : कोल इंडिया के निजीकरण का कोई विचार नहीं है ...*(व्यवधान)*

श्री वसुदेव आचार्य : फिर आपने राज्य सभा में विधेयक क्यों प्रस्तुत किया? ...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : मैं अब की सरकार की नीति की बात कर रहा हूं। क्या आप सभा को आश्वासन दे सकेंगे कि ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी ...*(व्यवधान)*

उत्पादन बढ़ा कर इसका फायदा उठाना चाहिए। आप इस बात पर जरूर विचार करें। जितनी हमारी मांग है, हम उतने कोयले का उत्पादन नहीं कर रहे हैं। एक तरफ जो कोयले का उत्पादन होता है, वह ज्यों-का-त्यों पड़ा रहता है क्योंकि क्वालिटी की कमी है। हम इसका ज्यादा उत्पादन करते हुए भी निर्यात नहीं कर रहे हैं। हमें दूसरे देशों से इसका आयात करना पड़ता है। मेरी मांग है कि उसका उत्पादन बढ़े या न बढ़े लेकिन कोयले का दर्जा बढ़ना चाहिए। वह प्रथम श्रेणी का होना चाहिए ताकि उसका इस्तेमाल उपभोक्ता कर सकें।

हमारे देश में कई कोयले के कारखाने हैं। सी.आई.एल. और बी.सी.सी.एल. ऐसी कम्पनियां हैं जो कोयले का उत्पादन करती हैं। एक ही कम्पनी सी.आई.एल. करीबन 86 परसैंट कोयले की पूर्ति करती है। हमारे देश में कोयले का पिछले दिनों क्या दाम था?

सन् 1999 में यह 595.84 रुपये प्रति टन था जो बढ़कर 775.62 रुपये प्रति टन हो चुका है। हमें यह देखना चाहिये कि उत्पादन कितना हो? सभी जगह जरूरत से ज्यादा लोग खदानों में काम कर रहे हैं। किसी खदान में तो दस गुना से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। इस कारण से उत्पादन की लागत बढ़ रही है और उत्पादन लागत ज्यादा होने के कारण हम अन्य देशों से बहुत पीछे हैं, उनसे स्पर्द्धा नहीं कर पा रहे हैं। यदि कोई नया आदमी कोयला उद्योग करना चाहे या चलाना चाहे तो उन्हें बाहरी देशों से सॉफ्ट लोन मिल जाता है। उदाहरण के लिये, जर्मनी ने हमारे देश को कोयला खनन के लिए लोन दिया है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि वे सॉफ्ट लोन तो देते हैं लेकिन साथ में शर्त भी निर्धारित करते हैं। मशीनरी चले या न चले, उनके पुर्जे भारत में मिलें या न मिलें, विदेश से आयात की गई मशीन बंद हालत में पड़ी हुई हैं। आखिर, यह नुकसान किसका हो रहा है? कुल मिलाकर हमारे देश का नुकसान हो रहा है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से मांग करना चाहता हूं कि कोयले की स्पर्द्धा करने के लिये हमारे यहां के कोयले के अंदर जो राख है, उसे निकालने के लिये कोयला धुलाई होनी चाहिये। हमारे यहां कोयला धुलाई के लिये कई प्रोजैक्ट लगाये जाने चाहिये। ये धुलाई प्रोजैक्ट निजी क्षेत्रों में भी खोल देने चाहिये। हमारे पास इतना कोयला है कि विदेशों को निर्यात कर सकते हैं, केवल इच्छा शक्ति की जरूरत है।

सभापति महोदय, हमारे नवगठित छत्तीसगढ़ प्रदेश में मेरा संसदीय क्षेत्र सारंगढ़ आता है जहां कोयला खनन का कार्य कोरबा, चिरिमिरी, रायगढ़ के अतिरिक्त उड़ीसा राज्य से लगे क्षेत्रों में भारी मात्रा में कोयला उत्पादन होता है। इसलिये मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि मेरे क्षेत्र में कोयला धुलाई प्रोजैक्ट की स्थापना की जाये। वहां इस प्रोजैक्ट की काफी संभावना इसलिये भी है कि प्राय: सभी बड़ी नदियों-महानदी, हसो, केलो, मान, पैरी, अर्पा आदि का पानी बहकर समुद्र में चला जाता है। उस पानी का लाभ स्थानीय लोगों को नहीं मिल पा रहा है। हमारे क्षेत्र में जिस तरह से कोयला खनन का काम होता है, उसके लिये धुलाई प्रोजैक्ट लगाया जाना जरूरी है। इसका लाभ शासन को राजस्व के रूप में प्राप्त होगा ही, साथ ही बेरोजगारों को रोजगार मिल सकेगा।

सभापति महोदय, मैं आपके ध्यान में एक बात और लाना चाहूंगा कि कोयला खदान में जो लेबर चार्जेज लग रहा है, एक ट्रक कोयला खदान के लिये एक हजार रुपया मजदूरी के लिये लगती है।

उस कोयले को ट्रक में लोड करने के लिए प्रति ट्रक आठ रुपये भुगतान करना पड़ता है और उस ट्रक को पास कराने के लिए खासकर हमारे छत्तीसगढ़ और झारखंड प्रदेश में जो अभी नया प्रदेश गठित हुआ है, वहां के थानेदारों को प्रति ट्रक पांच हजार रुपये रिश्वत के रूप में दिये जाते हैं। इसलिए इस अंचल के थानों में थानेदार लोग भारी-भरकम रिश्वत देकर थाना प्रभारी बनकर जाते हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : इसके लिए एक घंटा दिया गया है। एक घंटा, दस मिनट हो चुके हैं। तीन और सदस्यों को बोलना है। कृपया अपनी बात खत्म कीजिए।

[हिन्दी]

श्री पी.आर. खूंटे (सारंगढ़): सर, मैं पहली बार बोल रहा हूं, पहली बार सदस्य चुनकर आया हूं। मुझे सदन में बोलने का मौका नहीं मिला है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : यदि यह आपका पहला भाषण है, तो मैं आपको अनुमति दूंगा।

[हिन्दी]

श्री पी.आर. खूंटे : माननीय सभापति जी, उस ट्रक का भाड़ा करीब दस हजार रुपये लगता है और उस ट्रक से जो कोयला भेजा जाता है, वह कोयला बनारस में लगभग चालीस हजार रुपये में बिकता है। महोदय, आपको याद होगा पूर्व में कोयले से डीजल

[श्री पी.आर. खूंटे]

बनाने के लिए इसका उपयोग करने का सुझाव आया था। लेकिन उस दिशा में अभी तक क्या पहल हुई है, किसी को पता नहीं है। आज देश में डीजल का संकट है। हमें डीजल विदेशों से महंगी दर पर आयात करना पड़ता है, जिससे उपभोक्ताओं को बहुत असुविधा होती है। अगर हम कोयले से डीजल का उत्पादन करें तो ईंधन के रूप में काफी सफलता अर्जित कर सकते हैं।

सभापति महोदय, आज जहां-जहां भी कोयले का खनन हो रहा है, जहां भी कॉलियरीज हैं, वहां इतना भयंकर भ्रष्टाचार है कि उसका उदाहरण इस सदन में देने में संकोच होता है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इस भ्रष्टाचार को रोकने की दिशा में वह पहल करें और साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि देश में जहां भी कॉलियरीज हैं, जहां बड़ी संख्या में हरिजन, आदिवासी और गरीब तबके के लोग कोयला खनन के कार्य में लगे रहते हैं, उनका श्रमिकों के रूप में शोषण होता है। जो श्रमिक वहां काम करते हैं, उन्हें आकस्मिक मृत्यु के बाद उचित मुआवजा भी नहीं मिलता है। इतना ही नहीं, कई ऐसी कॉलियरीज हैं जहां मजदूरों के लिए सस्ती दर की कैन्टीन भी नहीं हैं। अगर मजदूर बीमार पड़ जाते हैं तो वहां सस्ती स्वास्थ्य सेवा भी सुलभ नहीं कराई जाती है। इस विधेयक पर अनेक माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं और उनकी ओर से बहुत अच्छे सुझाव आये हैं। इसे राज्य सभा ने पास कर दिया है और मुझे विश्वास है कि लोक सभा का सम्मानित सदन भी इस विधेयक को सर्वानुमति से पास करेगा। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं और इस विधेयक का पुरजोर समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : सभापति महोदय, कोल इंडिया का विधेयक जमीन की हेराफेरी करने के लिए लाया गया है। हेराफेरी करने के लिए सैंट्रल गवर्नमैंट को पावर्स मिल जाएं, इसलिए यह बिल लाया गया है। यह 1995 में तैयार हुआ था, उस समय श्री अजीत पांजा इसके मिनिस्टर थे। वह चाहते थे कि यह विधेयक पास हो जाए। लेकिन वह इधर से उधर चले गये। अभी श्री षणमुगम जी पांच वर्ष के विलम्ब से यह विधेयक लाये हैं। सन् 1972-73 में नेशनलाइजेशन हो गया, मॉडर्नाइजेशन हो गया। अब ब्रिटेन में कोयला इतना ज्यादा पैदा हो गया कि उन्हें रोकना पड़ा। लेकिन अपने यहां कोयले की क्या स्थिति है। माननीय सदस्य भाषण कर रहे थे, सब कहते हैं कि माफिया है, कोल माफिया है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि कोल माफिया का इसमें बोलबाला है। उसे रोकने के लिए सरकार कौन सी कार्रवाई कर रही है। इसमें करप्शन, भारी भ्रष्टाचार और लूट है।

आज वे सबसीडियरीज एक व्हाइट ऐलीफैन्ट हैं ऐसा बसुदेव आचार्य जी कहते हैं जिनका घर भी कोयला क्षेत्र में है और वहां कोयला खानें हैं। कोयला खान मजदूरों की हालत आज ठीक नहीं है। उनका भारी शोषण होता है। नीति कहती है कि कम से कम 40 प्रतिशत पनबिजली होनी चाहिए और 60 प्रतिशत थर्मल पावर होनी चाहिए। ज्यादा पनबिजली हो जाए तो अच्छा है। हमारे देश में डेढ़ लाख मैगावाट पनबिजली की पोटेन्शियेलिटी है लेकिन सरकार उसके लिए उपाय नहीं कर रही है। कोयला तो जमा धन है। कोयला जलाकर जो बिजली पैदा करते हैं, उसके बजाय पनबिजली पर जोर दिया जाना चाहिए। इस पर ध्यान न देने से अपनी संपत्ति कोयले को हमें जलाना पड़ता है। केवल अपने देश के कोयले से काम नहीं चल रहा है। फिर कहते हैं कि विदेशी कोयला सस्ता है। उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी लगती है। ऑस्ट्रेलिया से, साउथ अफ्रीका से कोयला मंगाया जाता है। थर्मल पावर प्लांट में हम देखते हैं कि खराब कोयला दिया जाता है और कोयला के बदले पत्थर भेज दिया जाता है। इससे थर्मल पावर प्लांट भी नुकसान में हैं। सरकार को देखना चाहिए कि जिस लायक जरूरत है थर्मल पावर प्लांट में, जिस तरह की कोयले की जरूरत है, उस तरह का कोयला उपलब्ध हो। कोयले की जगह पत्थर जाने से टर्बाइन और बॉइलर खराब हो जाते हैं। कोयले का पाउडर बनाते हैं और जब बॉइलर में झोंकते हैं तो पत्थर पिसकर बॉइलर में चला जाता है जिससे वह खराब हो जाता है। हमारे यहां ज्यादा थर्मल पावर प्लांट हैं। इसलिए कोल सप्लाई ठीक से होई यह सरकार को देखना चाहिए। पनबिजली पर ध्यान ज्यादा देना चाहिए क्योंकि कोयला तो निश्चित मात्रा में है और भविष्य के लिए हमें उसे सुरक्षित रखना चाहिए। हमारे देश में डेढ़ लाख मैगावाट कैपेसिटी पनबिजली की है।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ और कोल से जो राज्यों को पैसा मिलता था, वह रोक दिया गया। उससे जिन राज्यों में कोयले का उत्पादन होता है, खानें है, उनका बड़ा भारी नुकसान हो रहा है। 1997 में एक ऐक्सपर्ट कमेटी बनी कि अभी जो कोयले की रॉयल्टी देते हैं, तीन-चार वर्ष बाद उसको बढ़ाना है तो वह काम नहीं होता है। जो कोयले वाले राज्य हैं, उनको नुकसान उठाना पड़ रहा है। 1997 में सरकार ने एक समिति का गठन किया। उस समिति ने रिपोर्ट दी कि ऐडवेलोरम आधार पर कोयले की रॉयल्टी मिलनी चाहिए लेकिन वह वजन के आधार पर मिल रही है। इससे अरबों रुपये की क्षति हर साल कोयला उत्पादक राज्यों को होती है। 1997 में जब सरकार की समिति ने रिपोर्ट दी तो क्यों सरकार उस पर बैठी हुई है? यह भी स्पेसेफिक ढंग से बताएं। झारखंड नया प्रदेश बना है, बिहार से केन्द्र सरकार की दुश्मनी थी इसलिए न्याय नहीं दिया, ऐडवेलोरम आधार पर, मूल्य के आधार पर कोयले की रॉयल्टी नहीं दी और वजन के आधार पर रॉयल्टी

सभापति महोदय : कृपया पहले उन्हें बोलने दीजिए।

...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : क्या आप सभा को आश्वस्त करेंगे कि कोल इंडिया के निजीकरण का कोई प्रयास नहीं किया जाएगा? *...(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : आपने कोयला खान राष्ट्रीयकरण (संशोधन) विधेयक को राज्य सभा में प्रस्तुत क्यों किया? आपने किस उद्देश्य से उसे वहां प्रस्तुत किया? यदि आपका कोल इंडिया के निजीकरण का कोई इरादा नहीं था, तो आपने इसे राज्य सभा में क्यों प्रस्तुत किया? यदि यही बात है तो, आप इस विधेयक को वापिस ले लें *...(व्यवधान)* महोदय, वे सभा को गुमराह कर रहे हैं। उन्हें सभा को गुमराह करने की अनुमति नहीं दी जा सकती *...(व्यवधान)* महोदय, इन्हीं मंत्री महोदय ने कोल इंडिया के निजीकरण का विधेयक राज्य सभा में प्रस्तुत किया था *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप उन्हें उत्तर देने दें। कृपया उन्हें अपना उत्तर समाप्त करने दें।

...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, आप सदस्य को अवश्य संरक्षण दें। सदस्य ने मंत्री महोदय से प्रश्न पूछा है। क्या वे स्पष्टत: कहेंगे कि कोल इंडिया के निजीकरण के लिए कोई कार्य नहीं किया जा रहा है? यह एक सीधा प्रश्न है।

सभापति महोदय : कृपया उनके उत्तर पूरा होने की प्रतीक्षा कीजिए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप मंत्री महोदय को अपना उत्तर पूरा करने दीजिए।

...(व्यवधान)

श्री एन.टी. चणमुगम : इस विधेयक का उद्देश्य मात्र कोल इंडिया लिमिटेड की कोयला उत्पादन करने वाली आनुषंगिक ईकाइयों द्वारा संचालित और प्रबंधन की जाने वाली कोयला खानों का विधिमान्यकरण करना है। इस विधेयक में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिससे कोयला खानों के निजीकरण में सुविधा हो *...(व्यवधान)* इक्विटी के विनिवेश या कोयला खानों को निजी कंपनियों को बेचे जाने/अंतरण के लिए आनुषंगिक कंपनियों को न केवल को.इं.लि. अपितु केन्द्रीय सरकार से भी अनुमति प्राप्त करनी पड़ेगी *...(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : मैं इस विधेयक की बात नहीं कर रहा हूं। मैं सरकार की नीति के बारे में बोल रहा हूं *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, श्री दासमुंशी और श्री आठवले, कृपया बैठ जाइए। कृपया माननीय मंत्री को उत्तर देने दें। कृपया उन्हें उत्तर पूरा करने दें।

...(व्यवधान)

श्री एन.टी. चणमुगम : यह प्रश्न भी उठाया गया कि क्या यह विधेयक को.इं.लि. को धारक कंपनी का दर्जा देने पर प्रभाव डालेगा। यहां पुन:, मैं इस सभा को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि जहां तक को.इं.लि. के धारक कंपनी के रूप में नियंत्रण का सवाल है, उसे किसी प्रकार कम नहीं किया गया है, क्योंकि एसोसिएशन ऑफ कोल इंडिया के अनुच्छेद में स्पष्ट किया गया है कि किसी आनुषंगिक कंपनी को, अपनी संपत्ति के किसी बड़े हिस्से के हस्तांतरण से पूर्व, कोल इंडिया से अनुमति लेनी पड़ती है *...(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : इसमें कोल इंडिया लिमिटेड की क्या भूमिका होगी? *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री आचार्य, यह अपनी बात कहने का तरीका नहीं है।

श्री एन.टी. चणमुगम : चाहे कुछ भी हो, आनुषंगिक इकाइयों की शत प्रतिशत प्रदत्त पूंजी का स्वामित्व को.इं.लि. के पास है। इसमें आगे यह स्पष्ट किया गया है कि विदेशी ऋण के लिए या संयुक्त उद्यम में भागीदारी के लिए, आनुषंगिक इकाई को "को.इं.लि. द्वारा और माध्यम" से ही कार्य करना होता है *...(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : सरकार की क्या नीति है? *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप मंत्री महोदय को निर्देश नहीं दे सकते कि वे किस प्रकार उत्तर दें।

श्री एन.टी. चणमुगम : मैंने माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गये सभी मुद्दों पर स्थिति को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। विधेयक का उद्देश्य मौजूदा कानून में खामियों को दूर करना है। इससे कोल इंडिया लिमिटेड की विभिन्न आनुषंगिक ईकाइयों की भूमि और परिसम्पत्तियों को स्पष्ट करने में सहायता मिलेगी। इससे मुकदमेबाजी से छुटकारा मिलेगा और इससे कोयला कंपनियों को अन्य स्रोतों से संसाधन जुटाने में सहायता मिलेगी *...(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : सरकार की क्या नीति है?

सभापति महोदय : आप मंत्री महोदय से इस प्रकार जिरह नहीं कर सकते। आप मंत्री महोदय को उत्तर देने से नहीं रोक सकते। कृपया मंत्री महोदय के उत्तर देते समय व्यवधान उत्पन्न न करें।

...(व्यवधान)

श्री एन.टी. वणमुगम : मैं माननीय सदस्यों को उनके चर्चा में भाग लेने के लिए धन्यवाद देता हूं, जिससे विधेयक के विभिन्न पहलू पर प्रकाश डाला गया। राज्य सभा ने इस विधेयक को पहले ही पारित कर दिया है। क्या मैं अब इस महान सभा से भी इस विधेयक को पारित करने का निवेदन कर सकता हूं?

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, आपकी अनुमति से, मैं केवल एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। मंत्री महोदय, क्या आप इस सभा को आश्वासन देंगे कि आपकी सरकार का कोल इंडिया के निजीकरण और इसके विनिवेश की कोई योजना नहीं है? मैं केवल यही आश्वासन चाहता हूं *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री दासमुंशी और श्री आचार्य, उन्होंने यह बात पहले ही स्पष्ट कर दी है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : उन्होंने इसका उत्तर नहीं दिया है। मुझे खेद है कि यह सभा की कार्यवाही संचालन का तरीका नहीं है *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि कोल इंडिया लिमिटेड में या किसी समनुषंगी कंपनी में निहित भूमि के या भूमि में या उस पर के अधिकारों अथवा किसी कोयला खान कोककारी कोयला खान या कोक भट्टी संयंत्र के संबंध में अधिकार, हक और हित के, कोल इंडिया लिमिटेड की किसी समनुषंगी कंपनी या किसी अन्य समनुषंगी कंपनी को, अन्तरण का निदेश देने और ऐसी भूमि या अधिकारों के कतिपय अंतरणों का विधिमान्यकरण करने के लिये केन्द्रीय सरकार को सशक्त करने का उपबंध करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : सभा इस विधेयक पर खंड-वार विचार आरम्भ करेगी। प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 से 4 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 4 विधेयक में जोड़ दिए गये।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री एन.टी. वणमुगम : मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री बसुदेव आचार्य : चूंकि माननीय मंत्री ने स्थिति स्पष्ट नहीं की है, विरोध में, हम सभा भवन से बाहर जा रहे हैं।

सायं 6.23 बजे

(इस समय श्री बसुदेव आचार्य और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गए)

सभापति महोदय : सभा कल, 30 नवम्बर, 2000 के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित होती है।

सायं 6.24 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 30 नवम्बर, 2000/ 9 अग्रहायण, 1922 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

सभापति महोदय : कृपया पहले उन्हें बोलने दीजिए।

...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : क्या आप सभा को आश्वस्त करेंगे कि कोल इंडिया के निजीकरण का कोई प्रयास नहीं किया जाएगा? *...(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : आपने कोयला खान राष्ट्रीयकरण (संशोधन) विधेयक को राज्य सभा में प्रस्तुत क्यों किया? आपने किस उद्देश्य से उसे वहां प्रस्तुत किया? यदि आपका कोल इंडिया के निजीकरण का कोई इरादा नहीं था, तो आपने इसे राज्य सभा में क्यों प्रस्तुत किया? यदि यही बात है तो, आप इस विधेयक को वापिस ले लें *...(व्यवधान)* महोदय, वे सभा को गुमराह कर रहे हैं। उन्हें सभा को गुमराह करने की अनुमति नहीं दी जा सकती *...(व्यवधान)* महोदय, इन्हीं मंत्री महोदय ने कोल इंडिया के निजीकरण का विधेयक राज्य सभा में प्रस्तुत किया था *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप उन्हें उत्तर देने दें। कृपया उन्हें अपना उत्तर समाप्त करने दें।

...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, आप सदस्य को अवश्य संरक्षण दें। सदस्य ने मंत्री महोदय से प्रश्न पूछा है। क्या वे स्पष्टत: कहेंगे कि कोल इंडिया के निजीकरण के लिए कोई कार्य नहीं किया जा रहा है? यह एक सीधा प्रश्न है।

सभापति महोदय : कृपया उनके उत्तर पूरा होने की प्रतीक्षा कीजिए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप मंत्री महोदय को अपना उत्तर पूरा करने दीजिए।

...(व्यवधान)

श्री एन.टी. चणमुगम : इस विधेयक का उद्देश्य मात्र कोल इंडिया लिमिटेड की कोयला उत्पादन करने वाली आनुषंगिक ईकाइयों द्वारा संचालित और प्रबंधन की जाने वाली कोयला खानों का विधिमान्यकरण करना है। इस विधेयक में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिससे कोयला खानों के निजीकरण में सुविधा हो *...(व्यवधान)* इक्विटी के विनिवेश या कोयला खानों को निजी कंपनियों को बेचे जाने/अंतरण के लिए आनुषंगिक कंपनियों को न केवल को.इं.लि. अपितु केन्द्रीय सरकार से भी अनुमति प्राप्त करनी पड़ेगी *...(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : मैं इस विधेयक की बात नहीं कर रहा हूं। मैं सरकार की नीति के बारे में बोल रहा हूं *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, श्री दासमुंशी और श्री आठवले, कृपया बैठ जाइए। कृपया माननीय मंत्री को उत्तर देने दें। कृपया उन्हें उत्तर पूरा करने दें।

...(व्यवधान)

श्री एन.टी. चणमुगम : यह प्रश्न भी उठाया गया कि क्या यह विधेयक को.इं.लि. को धारक कंपनी का दर्जा देने पर प्रभाव डालेगा। यहां पुन:, मैं इस सभा को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि जहां तक को.इं.लि. के धारक कंपनी के रूप में नियंत्रण का सवाल है, उसे किसी प्रकार कम नहीं किया गया है, क्योंकि एसोसिएशन ऑफ कोल इंडिया के अनुच्छेद में स्पष्ट किया गया है कि किसी आनुषंगिक कंपनी को, अपनी संपत्ति के किसी बड़े हिस्से के हस्तांतरण से पूर्व, कोल इंडिया से अनुमति लेनी पड़ती है *...(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : इसमें कोल इंडिया लिमिटेड की क्या भूमिका होगी? *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री आचार्य, यह अपनी बात कहने का तरीका नहीं है।

श्री एन.टी. चणमुगम : चाहे कुछ भी हो, आनुषंगिक इकाइयों की शत प्रतिशत प्रदत्त पूंजी का स्वामित्व को.इं.लि. के पास है। इसमें आगे यह स्पष्ट किया गया है कि विदेशी ऋण के लिए या संयुक्त उद्यम में भागीदारी के लिए, आनुषंगिक इकाई को "को.इं.लि. द्वारा और माध्यम" से ही कार्य करना होता है *...(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : सरकार की क्या नीति है? *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप मंत्री महोदय को निर्देश नहीं दे सकते कि वे किस प्रकार उत्तर दें।

श्री एन.टी. चणमुगम : मैंने माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गये सभी मुद्दों पर स्थिति को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। विधेयक का उद्देश्य मौजूदा कानून में खामियों को दूर करना है। इससे कोल इंडिया लिमिटेड की विभिन्न आनुषंगिक ईकाइयों की भूमि और परिसम्पत्तियों को स्पष्ट करने में सहायता मिलेगी। इससे मुकदमेबाजी से छुटकारा मिलेगा और इससे कोयला कंपनियों को अन्य स्रोतों से संसाधन जुटाने में सहायता मिलेगी *...(व्यवधान)*

श्री वसुदेव आचार्य : सरकार की क्या नीति है?

सभापति महोदय : आप मंत्री महोदय से इस प्रकार जिरह नहीं कर सकते। आप मंत्री महोदय को उत्तर देने से नहीं रोक सकते। कृपया मंत्री महोदय के उत्तर देते समय व्यवधान उत्पन्न न करें।

...(व्यवधान)

श्री एन.टी. वणमुगम : मैं माननीय सदस्यों को उनके चर्चा में भाग लेने के लिए धन्यवाद देता हूं, जिससे विधेयक के विभिन्न पहलू पर प्रकाश डाला गया। राज्य सभा ने इस विधेयक को पहले ही पारित कर दिया है। क्या मैं अब इस महान सभा से भी इस विधेयक को पारित करने का निवेदन कर सकता हूं?

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, आपकी अनुमति से, मैं केवल एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। मंत्री महोदय, क्या आप इस सभा को आश्वासन देंगे कि आपकी सरकार का कोल इंडिया के निजीकरण और इसके विनिवेश की कोई योजना नहीं है? मैं केवल यही आश्वासन चाहता हूं *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री दासमुंशी और श्री आचार्य, उन्होंने यह बात पहले ही स्पष्ट कर दी है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : उन्होंने इसका उत्तर नहीं दिया है। मुझे खेद है कि यह सभा की कार्यवाही संचालन का तरीका नहीं है *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि कोल इंडिया लिमिटेड में या किसी समनुषंगी कंपनी में निहित भूमि के या भूमि में या उस पर के अधिकारों अथवा किसी कोयला खान कोककारी कोयला खान या कोक भट्टी संयंत्र के संबंध में अधिकार, हक और हित के, कोल इंडिया लिमिटेड की किसी समनुषंगी कंपनी या किसी अन्य समनुषंगी कंपनी को, अन्तरण का निदेश देने और ऐसी भूमि या अधिकारों के कतिपय अंतरणों का विधिमान्यकरण करने के लिये केन्द्रीय सरकार को सशक्त करने का उपबंध करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : सभा इस विधेयक पर खंड-वार विचार आरम्भ करेगी। प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 से 4 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 4 विधेयक में जोड़ दिए गये।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री एन.टी. वणमुगम : मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री वसुदेव आचार्य : चूंकि माननीय मंत्री ने स्थिति स्पष्ट नहीं की है, विरोध में, हम सभा भवन से बाहर जा रहे हैं।

सायं 6.23 बजे

(इस समय श्री वसुदेव आचार्य और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गए)

सभापति महोदय : सभा कल, 30 नवम्बर, 2000 के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित होती है।

सायं 6.24 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 30 नवम्बर, 2000/ 9 अग्रहायण, 1922 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

लोक सभा वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण)
बुधवार,29 नवम्बर,2000/ 8 अग्रहायण ,1922 (शक)
का
शुद्धि-पत्र

कॉलम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
विषय-सूची(i)	6	*तारांकित प्रश्न संख्या 141 और 144	*तारांकित प्रश्न संख्या 141 से 144
विषय-सूची(ii)	11	श्री सोहन पोटाई	श्री सोहन पोंटाई
78	21	केन्द्रीत आयुर्वेद एवं सिद्धा	केन्द्रीय आयुर्वेद एवं सिद्ध
217	3	श्री जयाबहन बी.ठक्कर	श्रीमती जयाबहन बी.ठक्कर
239	25,26,27	श्रणी श्रीणी,श्रणी	श्रेणी

पी.एल.एस.–48/11/8/2000 (एन०)
280

© 2000 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और मैसर्स जैनको आर्ट इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।